

प्रत्यक्ष कर संहिता, 2010

खंडों की व्यवस्था

अध्याय 1
प्रारंभिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

भाग ए

आयकर

अध्याय 2

शुल्क का आधार

2. आयकर का भुगतान और प्रभार करने का दायित्व।
3. कुल आय का दायरा।
4. भारत में निवास।
5. भारत में उपार्जित मानी जाने वाली आय।
6. वित्तीय वर्ष में प्राप्त मानी गई आय।
7. लाभांश आय।
8. कुल आय में किसी अन्य व्यक्ति की आय भी शामिल होगी।
9. व्यक्ति की आय में पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे और अन्य की आय शामिल होगी।
10. कुल आय में शामिल न की गई आय।
11. व्यक्ति, संस्था या निधि जो आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

अध्याय 3

कुल आय की गणना

I.—सामान्य

12. कुल आय की गणना।
13. आय के स्रोतों का वर्गीकरण।
14. साधारण स्रोतों से आय की गणना।
15. विशेष स्रोतों से आय की गणना।
16. पति-पत्नी के बीच आय का बंटवारा पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित होगा।
17. दोहरे कराधान से बचाव।
18. व्यय को कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. जहां स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई है वहां राशि कटौती योग्य नहीं है।

II.— आय के शीर्ष

ए.—रोजगार से आय

20. रोजगार से आय।
21. रोजगार से आय की गणना।
22. सकल वेतन का दायरा।
23. सकल वेतन से कटौती।

बी.—घर की संपत्ति से आय

24. गृह सम्पत्ति से आय।
25. गृह संपत्ति से आय की गणना।
26. सकल किराये का दायरा।
27. सकल किराये से कटौती।

धाराएं

28. अग्रिम किराये के लिए प्रावधान।
29. प्राप्त किराये के बकाया के लिए प्रावधान।

सी.—व्यापार से आय

30. व्यवसाय से आय।
31. व्यवसाय जब उसे पृथक एवं अलग माना जाता है।
32. व्यवसाय से आय की गणना।
33. सकल आय.
34. व्यवसाय व्यय का निर्धारण।
35. परिचालन व्यय का निर्धारण।
36. वित्त प्रभार का निर्धारण।
37. पूंजी भत्ते का निर्धारण।
38. मूल्यहास का निर्धारण।
39. प्रारंभिक मूल्यहास का निर्धारण।
40. सेवांत भत्ते का निर्धारण।
41. वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास भत्ते के लिए कटौती।
42. व्यवसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर लाभ की गणना।
43. व्यवसाय पुनर्गठन से संबंधित विशेष प्रावधान।
44. वास्तविक लागत का अर्थ।
45. परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य और समायोजित मूल्य का अर्थ।

डी.—पूंजीगत लाभ

46. पूंजीगत लाभ.
47. कुछ हस्तांतरणों से प्राप्त आय को पूंजीगत लाभ नहीं माना जाएगा।
48. करदेयता का वित्तीय वर्ष।
49. किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय की गणना।
50. प्रतिफल का पूर्ण मूल्य।
51. अर्जन की लागत के लिए कटौती।
52. अधिग्रहण या सुधार की अनुक्रमित लागत।
53. निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत।
54. किसी निवेश परिसंपत्ति के सुधार की लागत।
55. निवेश परिसंपत्ति के रोलओवर के लिए राहत।

ई.—अवशिष्ट स्रोतों से आय

56. अवशिष्ट स्रोतों से आय।
57. अवशिष्ट स्रोतों से आय की गणना।
58. सकल अवशिष्ट आय।
59. सकल अवशिष्ट आय से कटौती।

III.—आय का एकत्रीकरण

60. आय के शीर्ष के अंतर्गत आय का एकत्रीकरण।
61. साधारण स्रोतों से आय का एकत्रीकरण।
62. विशेष स्रोतों से आय का एकत्रीकरण।
63. कुल आय का निर्धारण।

धाराएं

64. किसी कंपनी के व्यवसाय पुनर्गठन या सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन से संबंधित विशेष उपबंध।
65. असंबद्ध निकाय के गठन में परिवर्तन के मामले में हानियों का एकत्रीकरण।
66. कुछ कम्पनियों के मामले में हानियों का एकत्रीकरण।
67. नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने की स्थिति में हानि का एकत्रीकरण नहीं किया जाएगा।

IV.—कर प्रोत्साहन

68. साधारण स्रोतों से सकल कुल आय में से कटौती।
69. बचत के लिए कटौती।
70. जीवन बीमा के लिए कटौती।
71. स्वास्थ्य बीमा के लिए कटौती।
72. बच्चों की शिक्षा के लिए कटौती।
73. धारा 70, 71 और 72 के अंतर्गत कटौतियों की सीमा।
74. गृह संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती।
75. उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती।
76. चिकित्सा उपचार के लिए कटौती।
77. विकलांग व्यक्ति के लिए कटौती।
78. आश्रित व्यक्ति के चिकित्सा उपचार और भरण-पोषण के लिए कटौती विकलांगता।
79. कुछ निधियों या गैर-लाभकारी संगठनों को अंशदान या दान की कटौती।
80. भुगतान किये गये किराये के लिए कटौती।
81. राजनीतिक अंशदान के लिए कटौती।
82. निवेशक संरक्षण निधि की आय में कटौती।
83. लेखकों की रॉयल्टी आय में कटौती।
84. पेटेंट पर रॉयल्टी की कटौती।
85. बैंकिंग गतिविधियों से सहकारी समिति की आय की कटौती।
86. प्राथमिक सहकारी समितियों की आय में कटौती।

V.—खातों का रखरखाव और अन्य संबंधित मामले

87. लेखाओं का रखरखाव।
88. खातों की लेखापरीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की रिपोर्टिंग।
89. लेखांकन की विधि।

अध्याय 4

कुल आय की गणना से संबंधित विशेष प्रावधान

गैर-लाभकारी संगठन

90. इस अध्याय की प्रयोज्यता
91. किसी गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय।
92. किसी गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय की गणना।
93. किसी गैर-लाभकारी संगठन की सकल प्राप्तियाँ।
94. किसी गैर-लाभकारी संगठन के व्यय।
95. निवेश के तरीके।
96. किसी गैर-लाभकारी संगठन की मानी गई आय।
97. हितबद्ध व्यक्ति के लाभ के लिए निधियों या आस्तियों का उपयोग या अनुप्रयोग।

धाराएं

98. गैर-लाभकारी संगठन का पंजीकरण।
99. लेखाओं का रखरखाव और कर लेखा परीक्षा।
100. गुमनाम दान.
101. गैर-लाभकारी संगठन के रूपांतरण के परिणाम।
102. इस अध्याय के उपबंधों का कुछ मामलों में लागू न होना।
103. इस अध्याय में व्याख्याएँ।

अध्याय 5

बही लाभ की गणना

104. बही लाभ की गणना।
105. बही लाभ की गणना के लिए लाभ और हानि खाता तैयार करना।
106. बही लाभ पर भुगतान किये गये कर के लिए कर क्रेडिट।
107. इस संहिता के अन्य उपबंधों का लागू होना

अध्याय 6

उद्यम पूंजी कंपनी से प्राप्त आय पर कर से संबंधित प्रावधान

और वेंचर कैपिटल फंड

108. उद्यम पूंजी कंपनी और उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय पर कर।

भाग बी

लाभांश वितरण कर

अध्याय 7

घरेलू कंपनियों के वितरित मुनाफे पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान

109. घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभ पर कर।

भाग सी

वितरित आय पर कर

अध्याय आठ

वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान

110. म्यूचुअल फंड या जीवन बीमाकर्ता द्वारा वितरित आय पर कर।

भाग डी

शाखा लाभ कर

अध्याय 9

शाखा लाभ कर का प्रभार

111. शाखा लाभ पर कर.

भाग ई

संपत्ति-कर

अध्याय X

संपत्ति कर का प्रभार

112. शुद्ध संपत्ति पर कर।
113. शुद्ध संपत्ति की गणना।
114. शुद्ध संपत्ति में कुछ परिसंपत्तियां शामिल होंगी।

भाग एफ

संहिता के दुरुपयोग की रोकथाम

अध्याय 11

कर से बचने से संबंधित विशेष प्रावधान

धाराएं

115. उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए व्यय की अस्वीकृति।
116. शस्त्र अधिनियम के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन से आय का निर्धारण लंबाई कीमत.
117. सन्निकट मूल्य का निर्धारण।
118. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता.
119. ऐसे लेन-देन द्वारा आयकर से बचना जिसके परिणामस्वरूप आय गैर-रहने वाले।
120. प्रतिभूति के विक्रय और पुनर्खरीद लेन-देन द्वारा कर का परिहार।
121. प्रतिभूति में खरीद और बिक्री-वापस लेन-देन द्वारा कर का परिहार।
122. ऋण साधन से प्राप्त खंडित अवधि आय।
123. सामान्य प्रति परिहार नियम।
124. इस अध्याय में व्याख्याएँ।
125. उद्देश्य की धारणा.

भाग जी

कर प्रबंधन

अध्याय बारह

कर प्रशासन और प्रक्रिया

क.—कर प्रशासन

126. आयकर प्राधिकारी।
127. आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति और नियंत्रण।
128. उच्च प्राधिकारियों की शक्तियाँ।
129. बोर्ड की अनुदेश जारी करने की शक्तियाँ।
130. आयकर प्राधिकारियों का अधिकार क्षेत्र।
131. मूल्यांकन अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र।
132. मामलों को अन्तर्गत करने की शक्ति।
133. पदधारी का परिवर्तन।
134. साक्ष्य की खोज और प्रस्तुतीकरण संबंधी शक्तियाँ।
135. तलाशी और जब्ती।
136. अभिरक्षा में ली गई सामग्री को पुनः प्राप्त करने की शक्ति।
137. अभिगृहीत या अधिगृहीत लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को रखना और छोड़ना।
138. अन्य व्यक्तियों की सामग्री का परिदान।
139. अभिगृहीत या अधिगृहीत आस्तियों का प्रतिधारण और उपयोग।
140. सूचना मांगने की शक्ति।
141. सर्वेक्षण की शक्ति।
142. करदाता के संबंध में सूचना प्रकट करने की शक्ति।
143. आयकर प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना।

बी.—मूल्यांकन प्रक्रिया

धाराएं

144. कर आधारों की स्व-रिपोर्टिंग।
145. कर रिटर्न तैयार करने वाला।
146. विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करना।
147. स्व-मूल्यांकन कर.
148. वापसी की पावती।
- 149 रिटर्न का प्रसंस्करण.
150. कर निर्धारण से पूर्व जांच के लिए नोटिस।
151. विशेष लेखापरीक्षा।
152. आस्तियों के मूल्य का निर्धारण।
153. सन्निकट मूल्य का निर्धारण।
154. अनुचित परिहार समझौते का निर्धारण और उसके परिणाम।
155. मूल्यांकन.
156. सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन.
157. संयुक्त आयुक्त द्वारा कर निर्धारण हेतु निर्देश।
158. विवाद समाधान पैनल द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्देश।
159. मूल्यांकन पुनः प्रारंभ करना।
160. तलाशी मूल्यांकन के लिए अनुमोदन।
161. भूल का सुधार.
162. मांग की सूचना।
163. मूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन पूरा करने की समय-सीमा।
सी.—विशेष मामलों में मूल्यांकन की प्रक्रिया
164. प्रतिनिधि करदाता।
165. प्रतिनिधि करदाता के अधिकार और दायित्व।
166. प्रत्यक्ष कर निर्धारण या वसूली वर्जित नहीं है।
167. प्रतिनिधि करदाता के मामले में संपत्ति के विरुद्ध उपचार।
168. व्यवसाय पुनर्गठन पर मूल्यांकन।
169. हिन्दू अविभाजित परिवार का विभाजन के पश्चात मूल्यांकन।
170. सामयिक शिपिंग व्यवसाय के संबंध में अनिवासी का मूल्यांकन।
171. भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन।
172. किसी विशेष घटना या उद्देश्य के लिए गठित असंगठित निकाय का मूल्यांकन।
173. कर से बचने के लिए सम्पत्ति अन्तर्गत करने वाले व्यक्तियों का कर निर्धारण।
174. बंद किया गया कारोबार.
175. किसी अनिगमित निकाय के संविधान में परिवर्तन की स्थिति में उसका मूल्यांकन।
176. प्रतिभागी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर मूल्यांकन।
177. कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता का मूल्यांकन।

डी.— अपील और पुनरीक्षण

178. आयुक्त (अपील) को अपील।
179. अपील का प्ररूप और परिसीमा।
180. अपील की प्रक्रिया।
181. आयुक्त (अपील) की शक्तियां।

धाराएं

182. अपील न्यायाधिकरण।
183. अपील न्यायाधिकरण में अपीलें।
184. अपील अधिकरण द्वारा मांग पर स्थगन।
185. अपील अधिकरण के आदेश।
186. अपील अधिकरण की न्यायपीठों का गठन और प्रक्रिया।
187. उच्च न्यायालय में अपील।
188. उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।
189. सर्वोच्च न्यायालय में अपील।
190. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई।
191. राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण।
192. अन्य आदेशों का संशोधन।

अध्याय XIII

कर संग्रहण और वसूली

ए.— स्रोत पर कर की कटौती

193. स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण तथा अग्रिम भुगतान।
194. प्रत्यक्ष भुगतान।
195. स्रोत पर कर कटौती करने का दायित्व।
196. आय का भुगतान और कर की कटौती।
197. कर की कम कटौती या कोई कटौती नहीं होने का प्रमाण पत्र।
198. कटौतीकर्ता का दायित्व।
199. कर कटौती के बिना भुगतान की रिपोर्टिंग।
200. कुछ मामलों में कर की कोई कटौती नहीं होगी।
201. कटौती किये गये कर का क्रेडिट।

बी.—स्रोत पर कर का संग्रहण

202. स्रोत पर कर संग्रहण।
203. संगृहीत कर के लिए क्रेडिट।
204. उप-अध्याय ए और बी के अंतर्गत व्याख्याएँ।

सी.—अग्रिम कर

205. अग्रिम कर का भुगतान करने का दायित्व।
डी.— बकाया या अग्रिम प्राप्तियों के संबंध में राहत के लिए कर क्रेडिट
206. अग्रिम प्राप्तियों के बकाया के लिए कर राहत।

ई.—विदेशी कर क्रेडिट

207. विदेशी कर क्रेडिट।

एफ.—संपत्ति-कर का भुगतान

208. संपत्ति कर का भुगतान।

जी.— केन्द्र सरकार को देय ब्याज

209. कर आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज।
210. अग्रिम आयकर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज।
211. अग्रिम आयकर के आस्थगन के लिए ब्याज।
212. अतिरिक्त वापसी पर ब्याज।

धाराएं

213. उठाई गई मांग पर ब्याज देय होगा।
214. कर काटने, एकत्र करने या भुगतान करने में विफलता के लिए ब्याज।
एच.—रिफंड
215. धन वापसी.
216. वापसी पर ब्याज।
217. कुछ विशेष मामलों में धन वापसी का दावा करने का हकदार व्यक्ति।

I.—पुनर्प्राप्ति

218. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली।
219. कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूली।
220. पुनर्प्राप्ति के तरीके.
221. कर वसूली अधिकारी जिसके द्वारा वसूली की जानी है।
222. अनिवासी के संबंध में उसकी परिसंपत्तियों से कर बकाया की वसूली।
223. परिसमापनाधीन कंपनी की दशा में वसूली।
224. किसी कम्पनी के प्रबंधक का दायित्व।
225. प्रतिभागियों का संयुक्त और पृथक दायित्व।
226. राज्य सरकार के माध्यम से वसूली।
227. विदेशी देशों या निर्दिष्ट के साथ समझौतों के अनुसरण में कर की वसूली इलाका।
228. कुछ मामलों में कर निकासी प्रमाणपत्र।
229. वाद द्वारा या अन्य विधि के अधीन वसूली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय XIV

दंड

230. कर आधारों की कम रिपोर्टिंग के लिए जुर्माना।
231. जहां तलाशी शुरू की गई है वहां जुर्माना।
232. अन्य चूकों के लिए जुर्माना।
233. प्रक्रिया.
234. शास्ति अधिरोपित करने की समय-सीमा का वर्जन।

अध्याय XV

अभियोग पक्ष

235. अध्याय किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होगा।
236. किसी प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन।
237. धारा 135 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उपबंधों का अनुपालन करने में विफलता।
238. कर वसूली को विफल करने के लिए संपत्ति को हटाना, छिपाना, अंतरित करना या परिदान करना।
239. धारा 223 की उपधारा (1) और (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में विफलता।
240. स्रोत पर काटा गया या संग्रहित कर का भुगतान करने में विफलता या लाभांश या आय वितरण का भुगतान करने में विफलता।
ब्याज कर.
241. कर चोरी का जानबूझकर प्रयास।
242. कर आधारों का विवरण प्रस्तुत करने में विफलता।
243. विवरण और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता।
244. इस संहिता के अधीन निदेशों का अनुपालन करने में विफलता।

धाराएं

245. सत्यापन में झूठा कथन।
246. लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों का मिथ्याकरण।
247. मिथ्या विवरणी का दुष्प्रेरण।
248. कम्पनियों आदि द्वारा अपराध
249. अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत।
250. कुछ मामलों में आस्तियों और लेखा पुस्तकों के बारे में उपधारणा।
251. दोषपूर्ण मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा।
252. अभियोजन का मुख्य आयुक्त या आयुक्त के अधीन कार्य करना।
253. दूसरे और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड।
254. अपराधों का असंज्ञेय होना।
255. लोक सेवकों द्वारा सूचना का प्रकटीकरण।

अध्याय 16

अग्रिम निर्णय और विवाद समाधान

256. निर्णय और विवाद समाधान का दायरा।
257. अग्रिम विनिर्णय और विवाद समाधान प्राधिकरण।
258. अग्रिम न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया।
259. आयकर प्राधिकारी या अपील अधिकरण द्वारा कुछ मामलों में कार्यवाही न किया जाना।
260. अग्रिम न्यायिक निर्णय की प्रयोज्यता
261. कुछ परिस्थितियों में अग्रिम निर्णय शून्य होगा।
262. विवाद समाधान की प्रक्रिया।
263. प्राधिकरण द्वारा मांग पर रोक।
264. भूल सुधारने की शक्ति।
265. प्राधिकार की शक्तियाँ।
266. प्राधिकरण की प्रक्रिया।
267. इस अध्याय में व्याख्याएँ।

अध्याय XVII

मामलों का निपटारा

268. आयकर निपटान आयोग।
269. समझौता आयोग का अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ।
270. उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
271. मामलों को एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को स्थानांतरित करने की अध्यक्ष की शक्ति।
272. निर्णय बहुमत से होगा।
273. मामलों के निपटारे के लिए आवेदन।
274. आयकर की अतिरिक्त राशि।
275. आवेदन की स्वीकृति।
276. मामले की आगे की जांच।
277. निपटान का आदेश।
278. निपटान पर कर का भुगतान।
279. राजस्व की सुरक्षा के लिए अनंतिम कुर्की का आदेश देने की समझौता आयोग की शक्ति
280. कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही का पुनः प्रारम्भ।

धाराएं

281. प्रवेश के पश्चात समझौता आयोग की शक्तियां
282. निरीक्षण तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
283. समझौता आयोग की उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति
284. समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही का उपशमन।
285. कार्यवाही के उपशमन की स्थिति में संदत्त कर के लिए क्रेडिट।
286. निपटान आदेश के तहत देय राशियों की वसूली।
287. समझौते का आदेश अंतिम होगा।
288. पश्चातवर्ती आवेदन पर प्रतिबन्ध
289. कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना।
290. इस अध्याय में व्याख्याएँ।

भाग एच

सामान्य

अध्याय XVII

291. विदेशी देशों या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के साथ करार।
292. स्थायी खाता संख्या।
293. कर खाता संख्या।
294. कुछ ऋणों या जमाओं की स्वीकृति या प्रतिसंदाय का ढंग।
295. वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने का दायित्व।
296. कुछ स्थानान्तरणों का शून्य होना।
297. कुछ मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए अनंतिम कुर्की।
298. साधारणतया सूचना की तामील
299. नोटिसों और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण।
300. कुछ परिस्थितियों में नोटिस वैध माना जाएगा।
301. जब परिवार विघटित हो जाए या असंगठित निकाय विघटित हो जाए तो नोटिस की तामील।
302. कुछ मामलों में करदाताओं के संबंध में सूचना का प्रकाशन।
303. कुछ मामलों में पंजीकृत मूल्यांकक की उपस्थिति।
304. प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति।
305. कर आधार और कर का पूर्णांकन।
306. क्षतिपूर्ति।
307. अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति।
308. अपराधों का संज्ञान।
309. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 लागू नहीं होंगे।
310. कर आधारों की विवरणी का कुछ आधारों पर अवैध न होना।
311. भौतिक निधि के बारे में उपधारणा।
312. सिविल न्यायालयों में वादों का निषेध।
313. निरस्त करने की शक्ति।

भाग I

व्याख्याएं और विविध प्रावधान

अध्याय 16

व्याख्याएं और निर्माण

धाराएं

314. इस संहिता में व्याख्याएँ।

315. निर्माण.

अध्याय 20

मिश्रित

316. नियम बनाने की शक्ति।

317. नियमों, योजनाओं और अधिसूचनाओं का संसद के समक्ष रखा जाना।

318. निरसन और व्यावृत्ति।

319. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

प्रथम अनुसूची.

दूसरी अनुसूची.

तीसरी अनुसूची.

चौथी अनुसूची.

पांचवीं अनुसूची.

छठी अनुसूची.

सातवीं अनुसूची.

आठवीं अनुसूची.

नौवीं अनुसूची.

दसवीं अनुसूची.

ग्यारहवीं अनुसूची.

बारहवीं अनुसूची.

तेरहवीं अनुसूची.

चौदहवीं अनुसूची.

पंद्रहवीं अनुसूची.

सोलहवीं अनुसूची.

सत्रहवीं अनुसूची.

अठारहवीं अनुसूची.

उन्नीसवीं अनुसूची.

बीसवीं अनुसूची.

इक्कीसवीं अनुसूची.

बाईसवीं अनुसूची.

प्रत्यक्ष कर संहिता, 2010

ए

बिल

प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बन जाए :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 5
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर संहिता, 2010 है।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
 - (3) इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह 1 अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त होगी।

संक्षिप्त शीर्षक,
विस्तार और
प्रारंभ।

भाग ए

आयकर

10

अध्याय 2

शुल्क का आधार

2. (1) इस संहिता के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति वित्तीय वर्ष की अपनी कुल आय के संबंध में आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आयकर का भुगतान
करने और उसे
वसूलने का दायित्व।

(2) इस संहिता के प्रावधानों के अधीन, आयकर, अतिरिक्त आयकर सहित, प्रत्येक व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रभारित किया जाएगा।

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट आयकर वित्तीय वर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, वहां ऐसी अवधि के लिए आयकर तदनुसार प्रभारित किया जाएगा।

5

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आयकर प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर उसमें उपबंधित रीति से प्रभारित किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन प्रभार्य आय के संबंध में, आयकर इस संहिता के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटा या संग्रहित किया जाएगा या अग्रिम रूप में भुगतान किया जाएगा।

10

(6) पूर्वगामी उपबंधों के अधीन किसी वित्तीय वर्ष की आय पर आयकर की प्रभार्यता इस संहिता के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जो उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को विद्यमान हों।

कुल आय का दायरा.

3. (1) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति की, जो निवासी है, किसी वित्तीय वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त समस्त आय सम्मिलित होगी, जो-

15

(क) वर्ष के दौरान भारत में उसे उपार्जित होता है या उपार्जित हुआ समझा जाता है; (ख) वर्ष के दौरान भारत के बाहर उसे उपार्जित होता है; (ग) वर्ष के दौरान भारत में उसके द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ समझा जाता है; या

(घ) वर्ष के दौरान भारत के बाहर उसके द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया गया हो।

20

(2) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति की, जो अनिवासी है, किसी वित्तीय वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त समस्त आय सम्मिलित होगी, जो-

(क) वर्ष के दौरान भारत में उसे उपार्जित होती है या उपार्जित हुई समझी जाती है; या (ख) वर्ष के दौरान भारत में उसके द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त होती है या प्राप्त हुई समझी जाती है।

25

(3) कोई आय जो वर्ष के दौरान भारत के बाहर किसी निवासी को उपार्जित होती है, या वर्ष के दौरान ऐसे निवासी द्वारा, या उसकी ओर से भारत के बाहर प्राप्त होती है, निवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, चाहे ऐसी आय पर भारत के बाहर कर लगाया गया हो या नहीं।

भारत में निवास.

4. (1) कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में भारत का निवासी होगा, यदि वह- (क) उस वर्ष में कुल एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में है; या

30

(ख) किसी अवधि या अवधियों के लिए, कुल मिलाकर—

(i) उस वर्ष में साठ दिन या उससे अधिक; और

(ii) उस वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती चार वर्षों के भीतर तीन सौ पैंसठ दिन या उससे अधिक।

35

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंध उस व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो—

(क) भारत का नागरिक हो और जो उस वर्ष किसी भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ता हो; या

40

(ख) वह भारत का नागरिक हो और जो उस वर्ष भारत से बाहर रोजगार के प्रयोजनार्थ भारत छोड़ता हो।

(3) कोई कंपनी किसी वित्तीय वर्ष में भारत में निवासी होगी, यदि-

(क) यह एक भारतीय कंपनी है; या

(ख) वर्ष में किसी भी समय इसका प्रभावी प्रबंधन स्थान भारत में है।

(4) प्रत्येक अन्य व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में भारत का निवासी होगा, यदि उसके कार्यों के नियंत्रण और प्रबंधन का स्थान वर्ष में किसी भी समय पूर्णतः या भागतः भारत में स्थित है।

- 5 5. (1) आय भारत में उपार्जित मानी जाएगी, यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निम्नलिखित के माध्यम से या उनसे उपार्जित होती है: भारत में उपार्जित मानी जाने वाली आय।
- (क) भारत में कोई भी व्यावसायिक संबंध;
- (ख) भारत में कोई संपत्ति;
- (ग) भारत में कोई परिसंपत्ति या आय का स्रोत; या
- 10 (घ) भारत में स्थित पूंजीगत परिसंपत्ति का हस्तांतरण।
- (2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित आय भारत में उपार्जित मानी जाएगी, अर्थात्:-
- (क) रोजगार से आय, यदि यह निम्नलिखित के लिए है-
- (i) भारत में दी गई सेवा;
- 15 (ii) भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर दी गई सेवा और आय सरकार से प्राप्य; या
- (iii) विश्राम अवधि या छुट्टी अवधि, जो भारत में की गई सेवा की अवधि से पहले या बाद में आती है और रोजगार की सेवा संविदा का भाग बनती है;
- 20 (ख) भारत के बाहर किसी घरेलू कंपनी द्वारा भुगतान किया गया कोई लाभांश;
- (सी) किसी भी बीमा प्रीमियम जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम भी शामिल है, जो किसी भी निवासी या अनिवासी द्वारा किसी भी जोखिम को कवर करने वाले बीमा के संबंध में अर्जित या देय है। भारत;
- (घ) किसी निवासी या सरकार द्वारा उपार्जित या देय ब्याज;
- 25 (ई) किसी अनिवासी द्वारा उपार्जित या देय ब्याज, यदि ब्याज किसी ऋण के संबंध में है जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपार्जित और उपयोग किया गया है-
- (i) भारत में अनिवासी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय; या
- (ii) भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करना;
- (च) किसी निवासी या सरकार द्वारा अर्जित या देय रॉयल्टी;
- 30 (छ) किसी अनिवासी से अर्जित या उसके द्वारा देय रॉयल्टी, यदि रॉयल्टी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है-
- (i) भारत में अनिवासी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय; या
- (ii) भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करना;
- (एच) किसी निवासी या उसके द्वारा उपार्जित या देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क
- 35 सरकार;
- (i) किसी अनिवासी द्वारा उपार्जित या देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई सेवाओं के संबंध में-
- (i) भारत में अनिवासी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय; या
- (ii) भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करना;
- 40 (जे) किसी निवासी या उसके द्वारा उपार्जित या देय परिवहन शुल्क सरकार;

(ट) किसी अनिवासी से उपार्जित या उसके द्वारा देय परिवहन शुल्क, यदि परिवहन प्रभार भारत में किसी स्थान से आने-जाने के परिवहन के संबंध में हैं।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारोबार की दशा में, जिसकी सभी संक्रियाएं भारत में नहीं की जाती हैं, कारोबार की भारत में उपार्जित मानी जाने वाली आय, आय का केवल उतना भाग होगी जो भारत में की गई संक्रियाओं के कारण उचित रूप से मानी जा सकती है।

5

(4) उपधारा (1) के अधीन भारत में उपार्जित मानी जाने वाली आय में, अनिवासी की दशा में, निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात्:-

(क) भारत से बाहर निर्यात के प्रयोजनों के लिए भारत में माल की खरीद तक सीमित परिचालनों के माध्यम से या उनसे प्राप्त कोई आय;

10

(ख) किसी निवासी द्वारा उपार्जित या देय ब्याज, किसी ऋण के संबंध में जो निम्न प्रयोजनों के लिए लिया गया हो और उपयोग किया गया हो-

(i) भारत के बाहर निवासी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय; या

(ii) भारत के बाहर किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करना;

(ग) किसी निवासी द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अर्जित या देय रॉयल्टी-

15

(i) भारत के बाहर निवासी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय; या (ii) भारत के बाहर किसी

भी स्रोत से कोई आय अर्जित करना; (घ) भारत सरकार द्वारा जारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर

निर्यात, सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण नीति, 1986 के अंतर्गत अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत कंप्यूटर या कंप्यूटर-आधारित उपकरण के साथ-साथ अनिवासी निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में किसी भी अधिकार (लाइसेंस देने सहित) के हस्तांतरण के लिए निवासी द्वारा किए गए एकमुश्त प्रतिफल या भुगतान से मिलकर बनी रॉयल्टी;

20

(ई) किसी निवासी द्वारा अर्जित या देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएँ—

25

(i) भारत के बाहर निवासी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय; या (ii) भारत के बाहर किसी

स्रोत से कोई आय अर्जित करना; (च) किसी निवासी से प्राप्त या देय वायुयान या

जहाज द्वारा परिवहन के लिए परिवहन शुल्क, यदि परिवहन शुल्क भारत के बाहर किसी स्थान से भारत के बाहर किसी अन्य स्थान तक परिवहन के संबंध में है, सिवाय इसके कि ऐसे परिवहन के प्रस्थान का हवाई अड्डा या बंदरगाह भारत में है;

30

(छ) किसी विदेशी कंपनी में किसी शेयर या हित के भारत के बाहर हस्तांतरण से आय, जब तक कि हस्तांतरण से पहले बारह महीनों में किसी भी समय, कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली भारत में परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य, कंपनी के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत न हो;

35

(ज) उपधारा (2) के खंड (ई) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट अनुसार अनिवासी द्वारा उपार्जित या देय ब्याज, यदि ऐसे ब्याज का दावा अनिवासी द्वारा भारत में प्रभार्य उसके कर आधार से कटौती के रूप में नहीं किया गया है।

(5) उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (ट) के उपबंध लागू होंगे, चाहे,—

40

(क) भुगतान भारत में किया गया है; (ख) सेवाएं

भारत में प्रदान की गई हैं; (ग) अनिवासी का भारत में

निवास, व्यवसाय का स्थान या कोई व्यावसायिक संबंध है; या

(घ) आय भारत में अर्जित हुई है।

45

(6) जहां किसी विदेशी कंपनी में किसी शेयर या हित के भारत के बाहर हस्तांतरण के संबंध में किसी अनिवासी की आय उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन भारत में उपार्जित मानी जाती है, वहां इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी—

5	<p>ए एक्स बी सी</p> <p>जहाँ A =</p>	<p>इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई स्थानांतरण से आय जैसे कि स्थानांतरण भारत में किया गया हो; भारत में कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली</p>
10	<p>बी</p> <p>सी</p>	<p>=</p> <p>=</p> <p>परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य; कंपनी के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य।</p>

6. निम्नलिखित आय वित्तीय वर्ष में प्राप्त मानी जाएगी, अर्थात्:—

वित्तीय वर्ष
में प्राप्त मानी गई आय।

(क) किसी नियोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष में पेंशन निधि के अंतर्गत किसी कर्मचारी के खाते में किया गया कोई अंशदान;

15 (ख) वित्तीय वर्ष में किसी नियोक्ता द्वारा निम्नलिखित के खाते में किया गया कोई अंशदान किसी अन्य निधि में कर्मचारी;

(ग) वित्तीय वर्ष में, खंड (ख) में निर्दिष्ट निधि में किसी कर्मचारी के जमा शेष में वार्षिक वृद्धि, उस सीमा तक, जो विहित की जाए, अधिक हो।

20 7. किसी करदाता की कुल आय में सम्मिलित करने के प्रयोजनार्थ-

लाभांश आय.

(क) धारा 314 के खंड (81) की मद (क) या मद (ख) या मद (ग) या मद (घ) या मद (ङ) के अर्थ में किसी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या भुगतान किया गया कोई लाभांश, उस वित्तीय वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें वह, यथास्थिति, घोषित, वितरित या भुगतान किया गया हो;

25 (ख) कोई अंतरिम लाभांश उस वित्तीय वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें ऐसे लाभांश की राशि कंपनी द्वारा उस सदस्य को, जो उसका हकदार है, बिना शर्त उपलब्ध कराई जाती है।

8. (1) किसी व्यक्ति की कुल आय में, जो अंतरक है, निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:—

कुल आय में किसी अन्य
व्यक्ति की आय भी
शामिल होगी।

30 (क) किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण के आधार पर प्राप्त होने वाली कोई आय, चाहे प्रतिसंहरणीय हो या न हो, उस परिसंपत्ति के हस्तांतरण के बिना जिससे आय अर्जित होती है; या

(ख) किसी परिसंपत्ति के प्रतिसंहरणीय हस्तांतरण के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाली कोई आय।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, जहां—

35 (क) किसी ट्रस्ट को हस्तांतरित परिसंपत्ति से अर्जित कोई आय, यदि हस्तांतरण ट्रस्ट के लाभार्थी के जीवनकाल के दौरान प्रतिसंहरणीय नहीं है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित परिसंपत्ति से कोई आय अर्जित होती है, जो ट्रस्ट, यदि हस्तांतरण ऐसे अन्य व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान रद्द करने योग्य नहीं है।

(3) इस धारा में,—

40 (क) स्थानांतरण प्रतिसंहरणीय माना जाएगा यदि-

(i) इसमें आय या परिसंपत्तियों के सम्पूर्ण भाग या उसके किसी भाग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरणकर्ता को पुनः हस्तान्तरित करने का कोई प्रावधान है; या

(ii) यह किसी भी तरह से हस्तान्तरणकर्ता को सीधे सत्ता पुनः ग्रहण करने का अधिकार देता है या अप्रत्यक्ष रूप से, आय या परिसंपत्तियों के पूरे या उसके किसी भाग पर;

45 (ख) हस्तांतरण में कोई भी समझौता, ट्रस्ट, अनुबंध, करार या व्यवस्था शामिल होगी।

व्यक्ति की आय में पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे और अन्य की आय शामिल होगी।

9. (1) किसी व्यक्ति की कुल आय में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) समस्त आय जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित होती है,—

(i) पति या पत्नी को वेतन, कमीशन, फीस या किसी अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में, चाहे नकद या वस्तु के रूप में, किसी ऐसी संस्था से जिसमें व्यक्ति का पर्याप्त हित हो;

5

(ii) व्यक्ति द्वारा अपने जीवनसाथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित परिसंपत्तियों से, पर्याप्त प्रतिफल के अलावा, या अलग रहने के समझौते के संबंध में;

(iii) व्यक्ति द्वारा पुत्र की पत्नी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित परिसंपत्तियों से, पर्याप्त प्रतिफल के अलावा; या

10

(iv) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पर्याप्त प्रतिफल के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित परिसंपत्तियों से, उस सीमा तक जहां तक ऐसी परिसंपत्तियों से प्राप्त आय पति या पत्नी या बेटे की पत्नी के तत्काल या आस्थगित लाभ के लिए है;

(ख) वह समस्त आय जो व्यक्ति के अवयस्क बच्चे (विकलांग या गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति के अवयस्क बच्चे को छोड़कर) को प्राप्त होती है, वह आय जो बच्चे को किसी कारण से प्राप्त होती है-

15

(i) बच्चे द्वारा किया गया शारीरिक कार्य; या

(ii) ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चे के कौशल, प्रतिभा या विशेष ज्ञान और अनुभव का अनुप्रयोग शामिल हो;

20

(ग) किसी भी परिवर्तित संपत्ति या उसके भाग से प्राप्त सभी आय;

(घ) किसी भी परिवर्तित संपत्ति से प्राप्त सभी आय जो हिंदू अविभाजित परिवार, जिसका वह सदस्य है, के विभाजन पर पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे को प्राप्त होती है।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के प्रावधान पति या पत्नी को प्राप्त होने वाली किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहां पति या पत्नी के पास तकनीकी या व्यावसायिक योग्यताएं हैं और आय केवल पति या पत्नी के तकनीकी या व्यावसायिक ज्ञान और अनुभव के अनुप्रयोग के कारण है।

25

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट आय, उसमें किसी बात के होते हुए भी, उस पति या पत्नी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, जिसकी कुल आय (उस उपखंड में निर्दिष्ट आय को छोड़कर) अधिक है।

30

(4) बोर्ड उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में निर्दिष्ट आय के निर्धारण के लिए विधि निर्धारित कर सकेगा।

(5) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय कुल आय में सम्मिलित की जाएगी—

35

(क) माता-पिता जो नाबालिग बच्चे का अभिभावक है; या

(ख) वह माता-पिता जिसकी कुल आय (उस खंड में निर्दिष्ट आय को छोड़कर) अधिक है, यदि माता-पिता दोनों ही बच्चे के अभिभावक हैं।

(6) जहां उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई आय एक बार मूल संस्था की कुल आय में सम्मिलित कर ली जाती है, वहां उत्तरवर्ती वर्ष में उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई आय अन्य मूल संस्था की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्धारण अधिकारी अन्य मूल संस्था को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा करना आवश्यक न समझे।

40

(7) इस धारा में, "संपत्ति" में संपत्ति में कोई हित शामिल है, चाहे वह चल हो या अचल, ऐसी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय, चाहे वह किसी भी रूप में हो और जहां संपत्ति किसी भी तरीके से संपत्ति के किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी अन्य संपत्ति।

45

10. इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष की कुल आय में छठी अनुसूची में उल्लिखित आय सम्मिलित नहीं होगी। कुल आय में शामिल नहीं की गई आय।
11. सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्ति, संस्था या निधियां किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इस संहिता के तहत आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी, बशर्ते कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाए। ऐसे व्यक्ति, संस्था या निधि जो आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

5

अध्याय 3

कुल आय की संरचना

I.— सामान्य

12. (1) किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। कुल आय की गणना.
- (2) जब तक इस संहिता में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, किसी प्रोद्भव, प्राप्ति, व्यय, निकासी, आस्ति या दायित्व के संदर्भ को उस वित्तीय वर्ष के संबंध में समझा जाएगा जिसके संबंध में और उस व्यक्ति के संबंध में जिसके संबंध में आय की गणना की जाती है।
13. किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, सभी स्रोतों से आय को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा: आय के स्रोतों का वर्गीकरण.
- क.— साधारण स्रोतों से आय।
- बी.— विशेष स्रोतों से आय।
14. विशेष स्रोत के अलावा किसी अन्य स्रोत से आय की गणना "सामान्य स्रोतों से आय" वर्ग के अंतर्गत की जाएगी और ऐसी आय को निम्नलिखित आय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात:- साधारण कर से आय की गणना
- क.— रोजगार से आय। स्रोत.
- बी.— गृह संपत्ति से आय।
- सी.— व्यवसाय से आय।
- डी.— पूंजीगत लाभ.
- ई.— अवशिष्ट स्रोतों से आय।
15. (1) प्रथम अनुसूची के भाग 3 की सारणी के स्तंभ (3) में सूचीबद्ध प्रत्येक आय उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति की विशेष स्रोत से आय होगी। विशेष आय से आय की गणना
- (2) किसी विशेष स्रोत से आय की गणना "आय" वर्ग के अंतर्गत की जाएगी स्रोत.
- नौवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, विशेष स्रोतों से प्राप्त धनराशि को "अधिभार" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इसमें निर्दिष्ट आय को विशेष स्रोत से आय नहीं माना जाएगा, यदि ऐसी आय भारत में किसी अनिवासी के स्थायी प्रतिष्ठान के कारण हो।
16. (1) पति और पत्नी की आय, जो कम्युनियो दोस बेन्स द्वारा शासित होगी, प्रत्येक आय शीर्ष के अंतर्गत साधारण स्रोतों से (शीर्ष "रोजगार से आय" के अलावा) और विशेष स्रोतों से पति-पत्नी के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। आय का बंटवारा
- (2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार विभाजित आय पति/पत्नी की कुल आय में पृथक रूप से शामिल की जाएगी। जीवन साथी पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित।
- (3) "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय को उस पति या पत्नी की कुल आय में शामिल किया जाएगा जिसने वास्तव में इसे अर्जित किया है।
- (4) इस धारा में, कम्युनियोओ दोस बेन्स का तात्पर्य पुर्तगाली सिविल संहिता, 1860 के अधीन संपत्ति के सामुदायिककरण की प्रणाली से है, जो गोवा राज्य तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है।

10

15

20

25

30

35

40

दोहरे करान से बचाव।

17. इस संहिता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, - (i) कोई आय जो

किसी व्यक्ति की किसी वित्तीय वर्ष की कुल आय में सम्मिलित है, उसी या किसी अन्य वित्तीय वर्ष की कुल आय में पुनः सम्मिलित नहीं की जाएगी। (ii) कोई आय जो किसी व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित की जा सकती है, उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

5

किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल,

सिवाय इसके कि जहां राजस्व के हितों की रक्षा के प्रयोजनार्थ ऐसा करना आवश्यक हो।

व्यय को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

18. (1) किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय, निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा: कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:—

(क) कोई व्यय, जो ऐसी आय से संबंधित है जो छठी अनुसूची के अंतर्गत कुल आय में सम्मिलित नहीं है, तथा जिसका निर्धारण ऐसी विधि के अनुसार किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए;

10

(ख) किसी विशेष स्रोत से प्राप्त आय से संबंधित कोई व्यय;

(ग) कोई व्यय जो किसी अन्य वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया हो।

वर्ष;

15

(घ) किसी ऐसी गतिविधि के लिए किया गया व्यय जो अपराध है या जो कानून द्वारा अनुमत नहीं है;

(ई) किसी देयता के लिए किया गया कोई प्रावधान, यदि वह वित्तीय वर्ष के अंत तक निश्चित नहीं हो पाती है; तथा

(च) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (क्यू) में निर्दिष्ट कोई अस्पष्टीकृत व्यय।

20

(2) इस संहिता के किसी उपबंध के अंतर्गत कटौती के रूप में दी गई कोई राशि इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत कटौती के रूप में नहीं दी जाएगी।

(3) इस धारा के उपबंध इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी लागू होंगे।

25

वित्तीय वर्ष में कटौती योग्य राशि कुल आय की गणना

19. (1) कोई भी राशि जिस पर अध्याय XIII के तहत स्रोत पर कर कटौती योग्य है

में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी यदि,— कर की कटौती नहीं की जाती है

स्रोत।

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान कर की कटौती नहीं की गई है; या

(ख) ऐसी कटौती के बाद कर का भुगतान नियत तिथि को या उससे पहले नहीं किया गया है धारा 144 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट।

30

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि के संबंध में किसी भी पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में कटौती की अनुमति दी जाएगी, यदि-

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान कर की कटौती की गई है, लेकिन बाद में उसका भुगतान किया गया है। धारा 144 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख से एक वर्ष पश्चात्; या

(ख) कर की कटौती कर ली गई है तथा उसका भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में कर दिया गया है।

35

II. आय के शीर्ष

ए. - रोजगार से आय

रोजगार से आय.

20. किसी व्यक्ति की रोजगार से आय की गणना "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी।

रोजगार से आय की गणना।

21. "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत संगणित आय सकल वेतन होगी, जिसमें से धारा 23 में निर्दिष्ट कटौतियों की कुल राशि घटाई जाएगी।

40

22. सकल वेतन, किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से देय, भुगतान किया गया या स्वीकृत वेतन, जो भी पहले हो, की राशि होगी। सकल वेतन का दायरा।
23. (1) आय की गणना के लिए सकल वेतन से कटौती सकल वेतन में सम्मिलित सीमा तक रोजगार निम्नलिखित होगा, अर्थात्:— सकल वेतन से कटौती।
- 5 (क) संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार पर कर के कारण कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई कोई राशि ;
- (ख) किसी कर्मचारी द्वारा अपने निवास और कार्यालय या किसी अन्य कार्यस्थल के बीच यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई भत्ता या लाभ, उस सीमा तक जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
- 10 (ग) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को दिया गया कोई भत्ता या लाभ-
- (i) किसी लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्यों के पालन में, जैसा कि विहित किया जाए, पूर्णतः, आवश्यक रूप से और अनन्य रूप से व्ययों को पूरा करना, उस सीमा तक, जहां तक ऐसे व्यय वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किए गए हों;
- (ii) नियुक्ति के स्थान या कर्तव्यों की प्रकृति या निवास स्थान पर विचार करते हुए, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए; (घ) किसी नियोक्ता द्वारा, वित्तीय वर्ष में, केंद्रीय सरकार
- 15 द्वारा अधिसूचित अनुमोदित पेंशन निधि के तहत किसी कर्मचारी के खाते में किए गए अंशदान की कोई राशि, इस सीमा तक कि यह कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- 20 (ई) वित्तीय वर्ष में किसी नियोक्ता द्वारा अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किसी कर्मचारी के खाते में किया गया अंशदान;
- (च) वित्तीय वर्ष में किसी नियोक्ता द्वारा किसी अनुमोदित भविष्य निधि में किसी कर्मचारी के खाते में अंशदान की कोई राशि, जो कर्मचारी के वेतन के बारह प्रतिशत से अधिक न हो;
- 25 (छ) किसी कर्मचारी के खाते में अनुमोदित निधि में जमा शेष पर वित्तीय वर्ष में जमा की गई ब्याज की कोई राशि, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर देय ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी;
- (ज) किसी कर्मचारी द्वारा अधिगृहित आवासीय आवास के संबंध में किराए के भुगतान पर वास्तव में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया कोई भत्ता, उस सीमा तक जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- 30 (2) उपधारा (1) के खंड (घ), (च) और (ज) के प्रयोजनों के लिए वेतन का अर्थ है मूल वेतन, वेतन और महंगाई भत्ता भी शामिल है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा प्रावधान है।
- बी.—घर की संपत्ति से आय
24. (1) किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली किसी भी गृह संपत्ति को किराये पर देने से होने वाली आय की गणना "गृह संपत्ति से घर से आय आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी। संपत्ति।
- (2) किसी गृह संपत्ति से आय की गणना इस शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी, भले ही संपत्ति का किराया, यदि कोई हो, व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति का हो।
- (3) निश्चित और सुनिश्चित शेयर वाले दो या अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व वाली किसी गृह संपत्ति से आय की गणना प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए उसके शेयर के संबंध में अलग-अलग की जाएगी।
- 40 (4) ऐसे मामले में जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट गृह संपत्ति के स्वामियों के शेयर निश्चित और सुनिश्चित नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों का ऐसी संपत्ति के संबंध में व्यक्तियों के संघ के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।
- 45 (5) इस धारा के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे,-
- (क) गृह संपत्ति या गृह संपत्ति के किसी भाग को, जो-

(i) व्यक्ति द्वारा अस्पताल, होटल, सम्मेलन केंद्र या कोल्ड स्टोरेज के रूप में उपयोग किया जाता है; और

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा बनता है,

जिससे होने वाली आय की गणना "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाती है;

(ख) ऐसी गृह संपत्ति जो वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग के लिए तैयार नहीं है।

5

धारा 27 में निर्दिष्ट कटौतियों की राशि से गृह संपत्ति से आय की गणना।

25. गृह संपत्ति से आय सकल किराये में से कुल आय घटाकर प्राप्त की जाएगी।

सकल का दायरा किराया।

26. किसी गृह संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग के संबंध में सकल किराया, उस वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्य किराए की राशि होगी, जिसके लिए ऐसी संपत्ति किराए पर दी गई है।

10

सकल किराये से कटौती.

27. (1) गृह संपत्ति से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए कटौती निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसी संपत्ति के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाए गए करों की राशि, वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) धारा 26 के अधीन निर्धारित सकल किराये के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, ऐसी संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव के लिए;

15

(ग) किसी ब्याज की राशि,—

(i) संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, मरम्मत या नवीकरण के प्रयोजनों के लिए लिए गए ऋण पर; या

(ii) उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट ऋण की अदायगी के प्रयोजनार्थ लिए गए ऋण पर ;

20

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट ब्याज, जो उस वित्तीय वर्ष से पूर्व की अवधि से संबंधित है जिसमें गृह संपत्ति अर्जित या निर्मित की गई है, ऐसे वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होकर पांच बराबर किस्तों में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन कटौती योग्य ब्याज में से उसका कोई भाग कम कर दिया जाएगा।
जिसे इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है।

25

अग्रिम किराये के लिए प्रावधान प्राप्त हुआ।

28. अग्रिम रूप से प्राप्त किराये की राशि उस वित्तीय वर्ष के सकल किराये में शामिल की जाएगी जिससे किराया संबंधित है।

प्राप्त किराये के बकाया के लिए प्रावधान।

29. (1) बकाया प्राप्त किराये की राशि उस वित्तीय वर्ष की गृह संपत्ति से आय मानी जाएगी जिसमें ऐसा किराया प्राप्त हुआ है।

30

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किराये की बकाया राशि को गृह संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति उस वर्ष संपत्ति का स्वामी हो या नहीं।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किराये के बकाया के बीस प्रतिशत के बराबर राशि।
संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

35

सी.—व्यापार से आय

व्यवसाय से आय.

30. (1) करदाता द्वारा किसी भी समय किए गए किसी भी व्यवसाय से आय वित्तीय वर्ष की आय की गणना "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी।

(2) धारा 31 में निर्दिष्ट सुस्पष्ट और पृथक कारबार की आय उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए पृथक् रूप से संगणित की जाएगी।

40

(3) किसी व्यवसाय के बंद होने के पश्चात उससे प्राप्त कोई आय, प्राप्ति के वर्ष में प्राप्तकर्ता की आय मानी जाएगी और तदनुसार, उसकी गणना "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी।

31. (1) यदि व्यवसायों के बीच कोई अंतर्संबंध या अंतर-निर्भरता नहीं है तो एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से अलग और पृथक होगा।

व्यवसाय को जब अलग और पृथक माना जाता है।

(2) कोई व्यवसाय किसी अन्य व्यवसाय से भिन्न और पृथक माना जाएगा, यदि- (क) व्यवसाय की इकाई उसी माल का प्रसंस्करण, उत्पादन, विनिर्माण या व्यापार कर रही है, जैसा कि अन्य व्यवसाय में है और ऐसी इकाई भौतिक रूप से अन्य इकाई से अलग स्थित है;

5

(ख) व्यवसाय की इकाई अन्य व्यवसाय की तरह समान वस्तुओं का प्रसंस्करण, उत्पादन या विनिर्माण कर रही है और कच्चे माल या विनिर्माण प्रक्रिया का उपयोग करती है, जो अन्य इकाई के कच्चे माल या विनिर्माण प्रक्रिया से भिन्न है; (ग) अलग-अलग लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं या रखी जा सकती हैं,

10

व्यवसाय; या

(घ) यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसके संबंध में लाभ उपधारा (1) के तहत निर्धारित किया जाता है।

धारा 32 की धारा (2) के अधीन।

(3) सट्टा कारोबार को अन्य सट्टा कारोबार सहित किसी अन्य कारोबार से अलग और पृथक माना जाएगा।

15

32. (1) "व्यवसाय से आय" शीर्ष के अंतर्गत संगणित आय, व्यवसाय से प्राप्त लाभ होगी।

व्यवसाय से आय की गणना।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के कारोबार से प्राप्त लाभों की गणना उक्त सारणी के स्तंभ (3) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

20

मेज़

क्रम. नहीं।	व्यवसाय की प्रकृति	अनुसूची
(1)	(2)	(3)
1.	बीमा का व्यवसाय	आठवीं अनुसूची
25	2. अर्हक जहाज चलाने का व्यवसाय 3. खनिज तेल या प्राकृतिक गैस का व्यवसाय 4. विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का व्यवसाय	दसवीं अनुसूची ग्यारहवीं अनुसूची बारहवीं अनुसूची
	बारहवीं अनुसूची के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट व्यवसाय	
30	5. तेरहवीं अनुसूची के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट व्यवसाय तेरहवीं अनुसूची 6 तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध व्यवसाय	चौदहवीं अनुसूची
	चौदहवीं अनुसूची जहां आय का निर्धारण प्रकल्पित आधार पर किया जाता है	

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट न किए गए किसी कारोबार से होने वाला लाभ कारोबार से प्राप्त सकल आय होगी, जिसमें से करदाता द्वारा किए गए कारोबार व्यय की राशि घटाई जाएगी।

35

33. (1) धारा 32 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सकल आय निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात्:-

सकल आय.

(i) व्यवसाय से या उसके संबंध में किसी उपार्जन या प्राप्ति की राशि;

(ii) व्यवसाय से या उसके संबंध में उपार्जित या प्राप्त किसी लाभ या अनुलाभ का मूल्य, चाहे वह धन में परिवर्तनीय हो या नहीं;

40

(iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यवसाय की इन्वेंट्री का मूल्य; तथा

(iv) किसी व्यवसाय को बंद करने के बाद उससे प्राप्त कोई राशि।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपार्जन या प्राप्तियां , प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्:-

- (i) किसी भी मुआवजे या अन्य भुगतान की राशि, जो उपार्जित या प्राप्त हुई हो, निम्नलिखित के लिए- (a) से संबंधित नियमों और शर्तों की समाप्ति या संशोधन व्यवसाय का प्रबंधन, कोई व्यवसायिक समझौता या कोई एजेंसी; या 5
- (ख) किसी संपत्ति या व्यवसाय का प्रबंधन किसी अन्य व्यक्ति या सरकार में निहित करना; (ii) किसी गैर-पूँजी समझौते के तहत अर्जित या प्राप्त कोई प्रतिफल; (iii) किसी व्यक्ति, चाहे वह व्यापारिक, व्यावसायिक या समान संघ हो, को उसके सदस्यों के लिए की गई विशिष्ट सेवाओं के संबंध में अर्जित या प्राप्त किसी लाभ की कोई राशि या मूल्य, चाहे वह धन में परिवर्तनीय हो या नहीं; 10
- (iv) किसी लाइसेंस की बिक्री पर कोई प्रतिफल, जो व्यावसायिक पूँजीगत परिसंपत्ति न हो, व्यवसाय के सिलसिले में प्राप्त;
- (v) सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानून के तहत स्थापित निगम द्वारा तैयार की गई किसी योजना के तहत अर्जित या प्राप्त किसी अधिकार या लाभ (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के हस्तांतरण पर कोई विचार; 15
- (vi) किसी व्यवसाय पूँजीगत परिसंपत्ति की लागत के किसी हिस्से को पूरा करने के अलावा, व्यवसाय के लिए या उसके संबंध में किसी व्यक्ति या सरकार से प्राप्त नकद सहायता, सब्सिडी या अनुदान (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) की राशि;
- (vii) किसी कर, शुल्क या उपकर की छूट, वापसी या वापसी की राशि (जो इस संहिता के अंतर्गत कर नहीं है), प्राप्त या प्राप्य; 20
- (viii) किसी अनिगमित निकाय के भागीदार को मिलने वाला पारिश्रमिक (वेतन, बोनस और कमीशन सहित) या उसके द्वारा उस निकाय से प्राप्त ब्याज की राशि;
- (ix) किसी कीमती बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि, जिसमें निम्नलिखित राशि शामिल है 25
ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित;
- (x) किसी व्यावसायिक पूँजी परिसंपत्ति (वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग की जाने वाली व्यावसायिक पूँजी परिसंपत्ति को छोड़कर) के हस्तांतरण, ध्वंसीकरण, विनाश या त्याग पर लाभ की राशि, जिसकी गणना धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी;
- (xi) कार्बन क्रेडिट के अंतरण पर उपार्जित या प्राप्त कोई प्रतिफल; (xii) किसी व्यक्ति या, जैसा भी मामला हो, 30
व्यवसाय में उत्तराधिकारी को उपार्जित या प्राप्त किसी लाभ की राशि, यदि-
- (क) यह किसी व्यापारिक दायित्व या वैधानिक दायित्व की छूट या समाप्ति के रूप में है या यह किसी हानि या व्यय के संबंध में है, जिसमें उसके खातों में ऐसे दायित्व को बट्टे खाते में डालने का एकपक्षीय कार्य भी शामिल है; और 35
- (ख) व्यापारिक दायित्व या वैधानिक दायित्व या हानि या व्यय को किसी वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है; (xiii) ऋण, जमा, अग्रिम या ऋण के माध्यम से किसी दायित्व की छूट या समाप्ति की राशि; (xiv) किसी व्यापार देनदार से किसी डूबत ऋण या ऋण के भाग के संबंध में वसूल की गई राशि जिसे धारा 35 की उपधारा (3) के 40
- खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है ;
- (xv) इस संहिता या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी उपबंध के अधीन सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष आरक्षित निधि से निकाली गई रकम, जो इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान थी, जिसके लिए कटौती की अनुमति दी गई है, यदि रकम का उपयोग उस प्रयोजन के लिए और उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है; 43 1961. 45

(xvi) वह राशि जो किसी व्यक्ति को उसके कर्मचारियों से उनके कल्याण के लिए किसी निधि में अंशदान के रूप में प्राप्त होती है;

(xvii) किसी व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री पर अर्जित या प्राप्त राशि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए;

5 (xviii) व्यवसाय के दौरान स्व-सृजित किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में उपार्जित या प्राप्त कोई प्रतिफल;
(xix) समाप्ति, समाप्ति या के कारण उपार्जित या प्राप्त कोई राशि

व्यवसाय के दौरान किए गए समझौते के संबंध में जब्ती;

10 (xx) दीर्घकालीन पट्टे या हस्तांतरण से अर्जित या प्राप्त कोई राशि, चाहे अग्रिम, सुरक्षा जमा या अन्यथा के रूप में -

(क) किसी व्यावसायिक परिसंपत्ति का संपूर्ण या आंशिक भाग; या (ख) किसी

व्यवसायिक परिसंपत्ति में कोई हित;

(xxi) किसी व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कोई राशि; (xxii) किसी व्यक्ति द्वारा वित्तीय संस्था होने के नाते प्रोद्भूत
या प्राप्त कोई ब्याज। (xxiii) किसी व्यक्ति को एक दिन में वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए व्यय के संबंध में या किसी पूर्ववर्ती
15 वित्तीय वर्ष में उपगत और कटौती के रूप में स्वीकृत दायित्व के संबंध में किया गया कोई भुगतान या भुगतानों का योग,—

(ए) जो अकाउंट पेयी चेक के अलावा किसी अन्य माध्यम से किया गया हो बैंक या खाताधारक बैंक ड्राफ्ट द्वारा आहरित;

20 (ख) जो इससे अधिक हो-

(i) तीस हजार रुपए की राशि, यदि भुगतान सड़क मार्ग से माल की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्टर को किया जाता है; या

(ii) किसी अन्य मामले में बीस हजार रुपए की राशि; और (ग) जो ऐसे मामलों और ऐसी
परिस्थितियों में नहीं बनाई गई है, जो विहित की जा सकें। (xxiv) धारा 82 में निर्दिष्ट निधि के खाते में जमा कोई
25 राशि,

अगर-

(क) ऐसी राशि पर संबंधित वित्तीय वर्ष से पहले किसी भी वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान नहीं किया गया है; और

30 (ख) राशि को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान, पूर्णतः या आंशिक रूप से, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज के साथ साझा किया जाता है।

(3) व्यवसाय से सकल आय में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्:—

(क) कोई लाभांश; (ख)

35 किसी व्यक्ति द्वारा वित्तीय संस्थान के रूप में अर्जित या प्राप्त ब्याज के अलावा कोई ब्याज;

(ग) गृह संपत्ति को किराये पर देने से प्राप्त कोई आय, जो गृह संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आती है;

(घ) किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त कोई आय।

34. (1) धारा 14 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यवसाय व्यय की राशि।

40 32 निम्नलिखित राशियों का योग होगा, अर्थात्:—

(क) धारा 35 में निर्दिष्ट परिचालन व्यय, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कारोबार के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति द्वारा किया गया हो;

(ख) धारा 36 में निर्दिष्ट वित्त प्रभार, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कारोबार के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति द्वारा उपगत किए गए हों;

45 (ग) किए गए कारोबार के संबंध में धारा 37 में निर्दिष्ट पूंजी भत्ते वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान।

व्यावसायिक व्यय का निर्धारण.

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूंजीगत भत्तों की कटौती के प्रावधान लागू होंगे, चाहे व्यक्ति ने कुल आय की गणना में कटौती का दावा किया हो या नहीं।

(3) मूल्यांकन अधिकारी इस धारा के तहत कटौती की राशि को उस राशि तक सीमित कर सकता है जिसे वह किसी व्यावसायिक परिसंपत्ति के उपयोग को ध्यान में रखते हुए उचित समझता है, यदि ऐसी परिसंपत्ति का उपयोग विशेष रूप से व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है।

5

परिचालन व्यय का निर्धारण.

35. (1) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट परिचालन व्यय की राशि धारा 34 का कुल योग होगा—

(क) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय की रकम, यदि—

(i) व्यय पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए निर्धारित या व्यय किया गया है; और

10

(ii) वह इसमें निर्दिष्ट अन्य शर्तों को, यदि कोई हो, पूरा करता है; और

(ख) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कटौतियों की राशि, पूर्ति के अधीन इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, यदि कोई हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यय की राशि निम्नलिखित होगी-
पर या उसके कारण व्यय की राशि,—

15

(i) कच्चे माल, भंडार, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों, या स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद;

(ii) किसी परिसर के लिए भुगतान किया गया किराया, यदि वह व्यक्ति द्वारा अधिभोगित और उपयोग किया जाता है;

(iii) भवन की वर्तमान मरम्मत, यदि वह व्यक्ति द्वारा अधिगृहीत और उपयोग में लाया जाता है;

(iv) कब्जे वाले परिसर के संबंध में भूमि राजस्व, स्थानीय दरें या नगरपालिका कर और व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया वास्तव में भुगतान किया गया है;

20

(v) व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की वर्तमान मरम्मत;

(vi) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का वर्तमान रखरखाव या मरम्मत;

(vii) कर्मचारियों का वेतन या मजदूरी;

(viii) किसी कार्यरत भागीदार को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, जो अनिगमित निकाय की सहमति के अनुसार है तथा ऐसी सहमति की तारीख के पश्चात आने वाली अवधि से संबंधित है, जो पूर्वनिर्धारित सीमा तक सीमित है;

25

(ix) निम्नलिखित के संबंध में बीमा कराने या उसे लागू रखने के लिए दिया गया कोई प्रीमियम,—

(क) उस व्यक्ति द्वारा अधिगृहीत और उपयोग किया जाने वाला कोई परिसर;

(ख) व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई कोई मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर;

30

(ग) उस व्यक्ति से संबंधित स्टॉक या भंडार;

(घ) उस व्यक्ति के किसी कर्मचारी का स्वास्थ्य; और

(ङ) व्यक्ति के स्वामित्व वाली और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई अन्य परिसंपत्ति;

(x) किसी व्यक्ति द्वारा, जो एक संघीय दुग्ध सहकारी समिति है, किसी सहकारी समिति के सदस्य के स्वामित्व वाले मवेशियों के जीवन पर बीमा करने या उसे लागू रखने के लिए भुगतान किया गया कोई प्रीमियम, जो एक प्राथमिक समिति है जो दूध की आपूर्ति में लगी हुई है, और जिसे उसके सदस्यों द्वारा ऐसी संघीय दुग्ध सहकारी समिति को पाला जाता है।

35

(xi) कामगारों और कर्मचारियों का कल्याण;

(xii) बिजली और ईंधन;

(xiii) मालभाड़ा, समाशोधन और अग्रेषण प्रभार;

40

- (xiv) कमीशन, ब्रोकरेज, छूट या वारंटी प्रभार के रूप में विक्रय व्यय;
- (xv) विज्ञापन और प्रचार सहित बिक्री संवर्धन; (xvi) कर्मचारियों का प्रशिक्षण; (xvii) सम्मेलन; (xviii) होटल या बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाओं का उपयोग; (xix) वाहन, दौरा या यात्रा; (xx) मोटर कार या विमान का संचालन या रखरखाव; (xxi) डाक और दूरसंचार; (xxii) लेखा परीक्षा और ऐसी अन्य व्यावसायिक फीस; (xxiii) कानूनी सेवाएं; (xxiv) मनोरंजन और आतिथ्य का प्रावधान; (xxv) अतिथि गृह का रखरखाव; (xxvi) किसी क्लब या व्यापार संघ का प्रवेश शुल्क
- 10 सहित सदस्यता या उनकी सुविधाओं का उपयोग;
- 15
- (xxvii) व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; (xxviii) व्यवसाय के प्रारंभ से ठीक पहले तीन वर्ष की अवधि के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में लगे कर्मचारी को वेतन, या वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में प्रयुक्त सामग्री की खरीद;
- 20 (xxix) नियोक्ता होने के नाते किसी व्यक्ति द्वारा अनुमोदित निधि में ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जा सकें, और उस सीमा तक अंशदान, जहां तक रकम वास्तव में संदत्त की गई है; (xxx) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (xvi) में निर्दिष्ट किसी निधि में, उस सीमा तक अंशदान,—
- 25 (क) यह राशि उसके कर्मचारियों से उनके अंशदान के रूप में प्राप्त हुई है निधि के लिए; और
- (ख) इसका भुगतान वास्तव में किया गया है;
- (xxxi) किसी अनिवासी द्वारा भारत में उसके कारोबार के कारण किया गया कोई प्रधान कार्यालय व्यय, जो भारत में कारोबार की कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के आधे प्रतिशत के बराबर राशि से अधिक नहीं होगा;
- 30 (xxxii) पूर्ववर्ती के मामले में परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत और उसमें किए गए किसी सुधार की लागत तथा पूर्ववर्ती द्वारा परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से उपगत व्यय, यदि -
- (क) व्यक्ति व्यवसाय पुनर्गठन में उत्तराधिकारी है; (ख) परिसंपत्ति व्यवसाय पुनर्गठन की योजना के तहत व्यक्ति की संपत्ति बन जाती है; और (ग) परिसंपत्ति को व्यक्ति द्वारा व्यवसायिक व्यापारिक परिसंपत्ति के रूप में बेचा जाता है;
- 35
- (xxxiii) हस्तांतरक या दाता के मामले में परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, और उसमें किए गए किसी भी सुधार की लागत तथा हस्तांतरक या दाता द्वारा परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से उपगत व्यय (उपहार कर का भुगतान, यदि कोई हो, सहित), यदि -
- 40
- (क) व्यक्ति हस्तान्तरितकर्ता या दान प्राप्तकर्ता है; (ख) परिसंपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर या उपहार या वसीयत या अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के तहत व्यक्ति की संपत्ति बन जाती है; तथा
- 45
- (ग) परिसंपत्ति को व्यक्ति द्वारा व्यवसायिक व्यापारिक परिसंपत्ति के रूप में बेचा जाता है;

(xxxiv) किसी व्यक्ति की सद्भावना की रक्षा या सुरक्षा करना, जिसे उसके व्यवसाय के प्रयोजन के लिए आवश्यक रूप से संरक्षित किया जाना है;

(xxxv) कर (जो इस संहिता के अधीन कर नहीं है), शुल्क, उपकर, रॉयल्टी या फीस, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन, यदि रकम वास्तव में संदत्त की गई है;

(xxxvi) कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन, यदि— 5

(क) यदि यह राशि बोनस या कमीशन के रूप में न दी गई होती तो यह कर्मचारियों को लाभ या लाभांश के रूप में नहीं दी जाती; तथा

(ख) राशि वास्तव में भुगतान की गई है;

(xxxvii) कर्मचारियों के खाते में जमा अवकाश का नकदीकरण, उस सीमा तक, जिस सीमा तक अवकाश की राशि जमा हो। वास्तव में भुगतान किया गया है; 10

(xxxviii) कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या उनके रोजगार की समाप्ति पर ग्रेज्युटी, उस सीमा तक जहां तक राशि वास्तव में भुगतान की गई हो;

(xxxix) किसी अधिनियम के तहत गठित या स्थापित निगमित निकाय के उद्देश्य केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, यदि—

(क) ऐसे प्रयोजन उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हैं; (ख) ऐसे निगमित निकाय को 15

इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(xl) किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट में अंशदान के रूप में दी गई राशि, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए सरकार; 20

(xli) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (iv) में निर्दिष्ट लाइसेंस की वास्तविक लागत, उस वर्ष में जिसमें बिक्री के कारण प्रतिफल सकल आय का भाग बनता है;

(xlii) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (v) में निर्दिष्ट अधिकार या लाभ की वास्तविक लागत, उस वर्ष में जिसमें प्रतिफल हस्तांतरण सकल आय का भाग बनता है; 25

(xliii) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (xx) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पट्टे के संबंध में किसी अग्रिम राशि या सुरक्षा जमा का उस वर्ष में प्रतिसंदाय जिसमें ऐसा प्रतिसंदाय किया जाता है;

(xliv) कोई अन्य परिचालन व्यय जो खंड (i) से खंड (xliii) के अंतर्गत शामिल नहीं है। 30

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कटौतियों की रकम निम्नलिखित होगी, अर्थात्:—

(ए) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में व्यवसाय की इन्वेंट्री का मूल्य वर्ष; 35

(ख) व्यापार के दौरान चोरी, डकैती, धोखाधड़ी या गबन के कारण इन्वेंट्री या धन की हानि, यदि इन्वेंट्री या धन को लेखा पुस्तकों में बट्टे खाते में डाल दिया गया हो;

(ग) डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में जमा की गई कोई राशि, जो निर्धारित तरीके से संगणित कुल औसत अग्रिमों के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यदि,— 40

(i) वह व्यक्ति कोई वित्तीय संस्था या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है;

(ii) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में राशि को प्रभारित किया जाता है; और (iii) व्यक्ति की पुस्तकों में अप्रतिदेय के रूप में लिखे गए व्यापार ऋण या उसके भाग की राशि को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों 45

के लिए प्रावधान खाते में नामे कर दिया जाता है;

(घ) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन खंड (ग) के अधीन डूबंत और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान खाते में डेबिट शेष, यदि कोई हो, यदि शेष वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है; (ङ) व्यापार ऋण या उसका भाग, यदि,—

5 (i) वह व्यक्ति खंड (ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है; और

(ii) राशि को व्यक्ति की पुस्तकों में अप्रतिसंहरणीय के रूप में लिखा गया है; (च) किसी विप्रेषित या समाप्त दायित्व के निर्वहन में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान, जिसे धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (xii) या खंड (xiii) के अधीन किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की सकल आय में सम्मिलित किया गया है।

10

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी परिचालन व्यय की राशि में वह व्यय राशि सम्मिलित नहीं होगी जो निम्नलिखित प्रकृति का हो या निम्नलिखित के कारण हो,—

(क) व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यय; (ख) पूंजीगत व्यय, जिसके
15 अंतर्गत वह व्यय भी है जिसके लिए धारा 37 के अधीन पूंजीगत भत्ता अनुमेय है;

(ग) वित्त प्रभार; (घ) व्यक्ति
की कोई अनिश्चित देयता; (ङ) कार्यरत प्रतिभागी के अलावा किसी
अन्य प्रतिभागी को देय पारिश्रमिक; (च) किसी व्यक्ति द्वारा किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, ब्रोशर,
20 ट्रेक्ट, पैम्फलेट या इसी तरह के विज्ञापन पर किया गया कोई व्यय;

(छ) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी के लिए अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान, यदि वह एक लाख रुपए से अधिक हो;

(ज) इस संहिता या आयकर अधिनियम, 1961 या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अधीन देय कोई कर, ब्याज या जुर्माना,
25 जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ से पहले थे;

1961 का 43. 1957
का 27.

(i) कोई भी भुगतान की गई राशि जो धारा 207 के तहत कर से राहत के लिए पात्र है; और (j) कोई भी घोषित या
वितरित या भुगतान किया गया लाभांश।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 36 या धारा 37 के अधीन निर्दिष्ट व्यय या कटौती की कोई रकम, यदि वह उसमें विनिर्दिष्ट
30 रकम से अधिक है या उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन है, तो उसे उपधारा (2) के खंड (xliv) के अधीन इस आधार पर कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि वह पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए निर्धारित या व्यय की गई है।

(6) उपधारा (2) के खंड (iv), (xxx) तथा खंड (xxv) से (xxviii) में निर्दिष्ट रकम के संबंध में कटौती, उपधारा (1) में किसी
35 बात के होते हुए भी, उस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी जिसमें देयता उत्पन्न हुई है, यदि उसका भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में या उस वित्तीय वर्ष के कर आधारों की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक कर दिया जाता है।

(7) यदि उपधारा (6) के उपबंधों के कारण कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाती है,
यह उस वित्तीय वर्ष में अनुमत किया जाएगा जिसमें राशि का वास्तविक भुगतान किया गया हो।

40 36. (1) धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट वित्त प्रभार की रकम निम्नलिखित होगी-

(क) उधार ली गई पूंजी या लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज की राशि; (ख) व्यापार ऋणदाताओं को दिए गए
ब्याज की राशि; (ग) किसी भागीदार को दिए गए ब्याज की राशि, जो
अनिगमित निकाय के गठन के समझौते के अनुसार है और ऐसे समझौते की तारीख के बाद आने वाली अवधि से संबंधित है,
45 जो निर्धारित सीमा तक सीमित है;

(घ) किसी भी आकस्मिक वित्तीय प्रभार की राशि;

दृढ़ निश्चय
वित्त का
शुल्क.

(ई) किसी बांड पर देय छूट या प्रीमियम की आनुपातिक राशि या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया डिबेंचर, निर्धारित तरीके से गणना की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्त प्रभागों की राशि में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे- (क) किसी पूंजीगत परिसंपत्ति (चाहे वह लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत हो या नहीं) के अधिग्रहण के लिए उधार ली गई पूंजी या उपगत ऋण के संबंध में किसी अवधि के लिए भुगतान की गई कोई राशि- (i) किसी नए व्यवसाय के मामले में, ऐसे व्यवसाय के प्रारंभ की तारीख से पहले; और

5

(ii) किसी अन्य मामले में, उस तारीख से पहले जिस दिन ऐसी परिसंपत्ति पहली बार रखी गई थी उपयोग;

(ख) परिवर्तनीय डिबेंचर या बांड या शेयर पूंजी जारी करने के लिए आकस्मिक वित्तीय प्रभागों की कोई राशि; और (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की

10

धारा 23 में निर्दिष्ट ब्याज की कोई राशि।

2006 का 27.

(3) किसी वित्तीय संस्था को देय किसी उधार ली गई पूंजी या उपगत ऋण पर ब्याज की रकम, उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस वित्तीय वर्ष में जिसमें रकम वास्तव में चुकाई गई हो या उस वित्तीय वर्ष में जिसमें दायित्व उपाजित हुआ हो, जो भी बाद में हो, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

15

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई ब्याज, जिसे ऋण या उधार में परिवर्तित कर दिया गया है, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वास्तव में भुगतान किया गया नहीं माना जाएगा।

20

(5) इस धारा में, "उधार ली गई पूंजी" में पारस्परिक लाभ वित्त कंपनी में शेरधारकों या अभिदाताओं से समय-समय पर प्राप्त आवर्ती अंशदान शामिल होगा, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

पूंजीगत भत्ते का निर्धारण.

37. (1) धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट पूंजी भत्ते की रकम निम्नलिखित के संबंध में रकम का योग होगी,—

25

(क) व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्तियों का मूल्यहास; (ख) व्यावसायिक

पूंजी परिसंपत्तियों का आरंभिक मूल्यहास; (ग) टर्मिनल भत्ता; (घ) वैज्ञानिक

अनुसंधान और विकास भत्ता; (ङ)

आस्थगित राजस्व व्यय भत्ता। (च) भारत में चाय या कॉफी या रबर उगाने और

विनिर्माण का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के संबंध में ऐसी जमा योजना

30

के अनुसार राशि की कटौती, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; (2) उप-अनुच्छेद 375 के तहत निर्दिष्ट मूल्यहास, आरंभिक मूल्यहास या टर्मिनल भत्ता।

धारा (1) के अधीन, किसी भी कारोबारी पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी यदि परिसंपत्ति,—

35

(क) पूर्णतः या आंशिक रूप से उस व्यक्ति के स्वामित्व में हो; और (ख) उस

व्यक्ति के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता हो।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्त किसी व्यवसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति के मामले में लागू नहीं होगी, जो किसी भवन पर पूंजीगत व्यय है, जिसे व्यक्ति द्वारा पट्टे या अन्य अधिभोग अधिकार के तहत धारण किया जाता है।

40

(4) किसी व्यवसायिक पूंजी परिसंपत्ति का स्वामित्व उस व्यक्ति के पास माना जाएगा, यदि वह वित्तीय पट्टे के अनुसार पट्टेदार है।

(5) उपधारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट आस्थगित राजस्व व्यय भत्ते की राशि बाईसवीं अनुसूची के अनुसार संगणित राशि होगी।

45

मूल्यहास का निर्धारण.

38. (1) धारा 37 में निर्दिष्ट व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्यहास की राशि निम्नलिखित का कुल योग होगी, अर्थात्: - (क) पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी परिसंपत्ति ब्लॉक के समायोजित मूल्य का

ऐसा प्रतिशत, उसमें निर्दिष्ट प्रासंगिक परिसंपत्ति ब्लॉक का हिस्सा बनाने वाली सभी व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में; और

50

(ख) "शून्य", किसी अन्य व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में जो पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है।

(2) धारा 37 में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों पर मूल्यहास भत्ता, इस तथ्य के बावजूद कि किसी परिसंपत्ति ब्लॉक में सभी व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्तियां ध्वस्त, नष्ट, त्याग दिए जाने या स्थानांतरित किए जाने के कारण अस्तित्व में नहीं रह गई हैं, उस परिसंपत्ति ब्लॉक के संबंध में व्यक्ति को दिया जाएगा, यदि परिसंपत्ति ब्लॉक का समायोजित मूल्य शून्य से अधिक है।

(3) किसी परिसंपत्ति के संबंध में इस धारा के अंतर्गत कटौती उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित होगी, यदि -

(क) परिसंपत्ति को व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित किया गया हो; और (ख) इसका उपयोग प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में एक सौ अस्सी दिन से कम अवधि के लिए कारोबार के प्रयोजनों के लिए किया गया हो।

(4) किसी भी व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यहास, किसी भी बात के होते हुए भी इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी प्रावधान को अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि -

(क) परिसंपत्ति पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है अनुसूची; या

(ख) परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए किए गए व्यय को इस संहिता के किसी प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है।

39. (1) किसी व्यक्ति को मूल्यहास के अतिरिक्त, व्यवसायिक पूंजीगत परिसंपत्तियों का प्रारंभिक मूल्यहास अनुज्ञात किया जाएगा, यदि,—

प्रारंभिक मूल्यहास का निर्धारण.

(क) व्यक्ति किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है;

(बी) परिसंपत्ति एक नई परिसंपत्ति है जो परिसंपत्तियों के वर्ग "मशीनरी और" का हिस्सा बनती है पंद्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट "संयंत्र";

(ग) उस व्यक्ति द्वारा परिसंपत्ति की स्थापना से पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर इसका उपयोग नहीं किया गया था;

(घ) परिसंपत्ति किसी कार्यालय परिसर या किसी आवासीय परिसर में स्थापित नहीं है आवास, जिसमें अतिथि गृह की प्रकृति का आवास भी शामिल है;

(ई) परिसंपत्ति किसी कार्यालय उपकरण की प्रकृति की नहीं है; और (एफ) परिसंपत्ति की वास्तविक

लागत का पूरा हिस्सा किसी भी वित्तीय वर्ष के "व्यवसाय से आय" शीर्षक के तहत आय की गणना करने में कटौती (चाहे मूल्यहास के माध्यम से या अन्यथा) के रूप में अनुमत नहीं है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारंभिक मूल्यहास,—

(क) परिसंपत्ति की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर राशि होगी; और

(ख) उस वित्तीय वर्ष में अनुमति दी जाएगी जिसमें परिसंपत्ति का उपयोग व्यक्ति के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पहली बार किया जाता है।

(3) ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में इस धारा के तहत कटौती उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित होगी, यदि परिसंपत्ति का उपयोग प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

40. (1) किसी व्यक्ति को परिसंपत्तियों के एक समूह के संबंध में टर्मिनल भत्ता दिया जाएगा, अगर,-

टर्मिनल भत्ते के लिए कटौती.

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान ध्वस्त, नष्ट, त्याग दिए जाने या स्थानांतरित कर दिए जाने के कारण परिसंपत्तियों का ब्लॉक अस्तित्व में नहीं रह गया है; और (ख) परिसंपत्तियों के ब्लॉक के संबंध में मूल्यहास की गणना के लिए पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिशत शून्य है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेवांत भत्ते की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी—

ए + बी - सी

कहाँ

A = वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्ति के ब्लॉक का लिखित मूल्य

5

वर्ष;

बी = वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली किसी भी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत; तथा

सी = वित्तीय वर्ष के दौरान ध्वस्त, नष्ट, त्याग दी गई या स्थानांतरित की गई परिसंपत्तियों के संबंध में उपाजित या प्राप्त राशि, साथ ही शव या स्क्रेप का मूल्य, यदि कोई हो।

10

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेवांत भत्ता "शून्य" माना जाएगा, यदि उसके अधीन संगणना का शुद्ध परिणाम नकारात्मक है।

वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास भत्ते के लिए कटौती।

41. (1) किसी कंपनी को उसके द्वारा किए गए व्यय (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं) के दो सौ प्रतिशत के बराबर कटौती की अनुमति दी जाएगी।

15

पर,-

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के लिए आंतरिक सुविधा का सृजन एवं रखरखाव करना; तथा

(ख) आंतरिक सुविधा में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करना।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि,—

20

(ए) कंपनी कार्य करने के लिए एक आंतरिक सुविधा का निर्माण और रखरखाव करती है

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास;

(ख) अनुसंधान सुविधा को निर्धारित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है; और

(ग) कंपनी अनुसंधान एवं विकास सुविधा में सहयोग के लिए तथा ऐसी सुविधा के लिए रखे गए खातों की लेखापरीक्षा के लिए विहित प्राधिकारी के साथ करार करती है।

25

(3) पूर्ववर्ती को दिया गया अनुमोदन उत्तराधिकारी को दिया गया माना जाएगा, यदि अनुमोदन व्यवसाय पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जाता है।

30

(4) किसी कंपनी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय के संबंध में इस धारा के अधीन कटौती नहीं दी जाएगी, यदि व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास की प्रकृति में उसके कारोबार के दौरान किया गया हो।

(5) बोर्ड इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कार्य की प्रकृति निर्धारित कर सकता है, अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों और तरीके का अनुपालन किया जाएगा।

35

व्यवसाय के हस्तांतरण पर लाभ की गणना

42. (1) लाभ की राशि, जहां एक व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्ति, जो पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के एक ब्लॉक का हिस्सा है, को हस्तांतरित, त्याग दिया, नष्ट या नष्ट कर दिया जाता है, सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी-

पूंजी परिसंपत्ति.

ए-(बी+सी)

जहाँ A =

ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में उपाजित या प्राप्त राशि, जो वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित, त्याग दी गई, नष्ट हो गई या नष्ट हो गई, साथ में स्क्रेप मूल्य की राशि, यदि कोई हो;

40

बी =

वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऐसी परिसंपत्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य की राशि;

45

सी = वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित परिसंपत्तियों के उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली किसी भी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभ 'शून्य' माना जाएगा, यदि उसके अधीन गणना का शुद्ध परिणाम नकारात्मक है।

5 (3) लाभ की राशि, जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्ति को हस्तांतरित, त्याग दिया, नष्ट कर दिया या नष्ट कर दिया जाता है, सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी-

अब

जहाँ A =

10

वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित, त्यागी, नष्ट या नष्ट की गई परिसंपत्ति के संबंध में अर्जित या प्राप्त राशि, साथ में स्क्रेप मूल्य की राशि, यदि कोई हो;

बी = परिसंपत्ति की वास्तविक लागत.

15 43. (1) धारा 37 में निर्दिष्ट किसी पूंजी भत्ते के लिए कटौती, उस स्थिति में जहां वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार पुनर्गठन हुआ है, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

व्यवसाय पुनर्गठन से संबंधित विशेष प्रावधान।

(2) पूर्ववर्ती को स्वीकार्य कटौती की राशि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी-

20

ए x बी—
सी

कहाँ

ए =

कटौती की वह राशि जो इस प्रकार स्वीकार्य होगी मानो व्यवसाय पुनर्गठन न हुआ हो; वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से ठीक

बी =

पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि में सम्मिलित दिनों की संख्या; वित्तीय वर्ष में दिनों की कुल संख्या जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है।

25

सी =

30

(3) उत्तराधिकारी के लिए कटौती की राशि निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित की जाएगी:
सूत्र के साथ —

ए x बी—
सी

कहाँ

35

ए =

कटौती की वह राशि जो स्वीकार्य होगी मानो व्यवसाय पुनर्गठन न हुआ हो; व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से प्रारंभ होकर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली

बी =

अवधि में सम्मिलित दिनों की संख्या; तथा उस वित्तीय वर्ष में दिनों की कुल संख्या जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है।

40

सी =

44. (1) किसी व्यक्ति के लिए व्यवसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति की वास्तविक लागत की गणना की जाएगी
सूत्र के अनुसार-

वास्तविक लागत का अर्थ.

45

ए-[बी+(सी x ए)] —
डी

कहाँ

ए =

किसी व्यक्ति के लिए व्यवसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति की लागत, जिसमें परिसंपत्ति अर्जित करने के लिए उधार ली गई पूंजी पर दिया गया ब्याज भी शामिल है, यदि ऐसा ब्याज परिसंपत्ति के उपयोग में लाए जाने से पहले की अवधि से संबंधित है;

50 le

बी = सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत लगाए जाने योग्य अतिरिक्त शुल्क की राशि या उत्पाद शुल्क की राशि, जिसके संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत क्रेडिट का दावा किया गया है और उसे अनुमति दी गई है;

सी = केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी निकाय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करदाता द्वारा प्राप्त सब्सिडी, अनुदान या प्रतिपूर्ति (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) की राशि।
सरकार, किसी भी समय लागू कानून के तहत स्थापित कोई प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक परिसंपत्ति सहित किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में या उसके संदर्भ में;

डी = उन सभी परिसंपत्तियों की लागत जिनके संबंध में या जिनके संदर्भ में राशि 'सी' प्राप्त हुई है।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, मूल्यांकन अधिकारी,
(1) संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से वास्तविक लागत निर्धारित करें, यदि -

(क) ये परिसंपत्तियां अधिग्रहण की तारीख से पहले किसी भी समय व्यावसायिक परिसंपत्तियां थीं।
व्यक्ति; और

(ख) मूल्यांकन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का मुख्य उद्देश्य आयकर के दायित्व को कम करना था (बढ़ी हुई लागत के संदर्भ में मूल्यहास का दावा करके)।

(3) व्यक्ति के लिए व्यवसाय पूंजी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत मानी गई लिखित मूल्य होगी, यदि -

(क) परिसंपत्ति व्यक्ति द्वारा उपहार या विरासत के रूप में अर्जित की गई हो; या

(ख) परिसंपत्ति को व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से व्यवसायिक पूंजी परिसंपत्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है।
वित्तीय वर्ष; या

(ग) वह व्यक्ति क्रमशः सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी द्वारा परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में हस्तांतरिती होल्डिंग कंपनी या हस्तांतरिती सहायक कंपनी है।

(4) किसी व्यक्ति के लिए व्यवसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति की वास्तविक लागत, बिक्री और परिसंपत्ति के पुनर्खरीद लेनदेन के लिए, निम्नलिखित में से जो कम हो, वह होगा, अर्थात्:—

(क) वह वास्तविक मूल्य जिस पर परिसंपत्ति को उसके द्वारा पुनः अर्जित किया गया है; या

(ख) माना गया लिखित मूल्य।

(5) जहां किसी व्यक्ति द्वारा कोई व्यवसाय पूंजी परिसंपत्ति अर्जित की जाती है और तत्पश्चात् उसे पट्टे, किराये या अन्यथा तरीके से हस्तांतरक को वापस हस्तांतरित कर दिया जाता है, वहां व्यक्ति के हाथ में परिसंपत्ति की वास्तविक लागत उस वित्तीय वर्ष के आरंभ में हस्तांतरक के हाथ में परिसंपत्ति का लिखित मूल्य होगी जिसमें व्यक्ति द्वारा परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया गया है।

(6) जहां व्यक्ति अनिवासी है और कोई कारोबारी पूंजीगत आस्ति, जो उसके द्वारा भारत के बाहर अर्जित की गई है, उसके द्वारा भारत में लाई जाती है, वहां उस व्यक्ति के लिए आस्ति की वास्तविक लागत उसके द्वारा आस्ति के अधिग्रहण की लागत होगी, जिसे उस मूल्यहास की राशि के बराबर राशि घटाकर प्राप्त किया जाएगा, जो उस दशा में अनुमेय होती, यदि आस्ति का उपयोग ऐसे अधिग्रहण की तारीख से व्यक्ति के कारोबार के प्रयोजन के लिए भारत में किया गया होता।

(7) किसी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत "शून्य" मानी जाएगी, यदि—

(क) परिसंपत्ति की लागत के संबंध में कटौती ग्यारहवीं अनुसूची या बारहवीं अनुसूची या के तहत व्यक्ति को अनुमति दी गई है या दी जा सकती है।
तेरहवीं अनुसूची; या

(ख) परिसंपत्ति की लागत के संबंध में कटौती किसी अन्य व्यक्ति को पूर्वोक्त अनुसूचियों के अंतर्गत अनुज्ञात की गई है या अनुज्ञात की जा सकती है और उस व्यक्ति ने परिसंपत्ति को "अर्जन के विशेष तरीकों" में से किसी के द्वारा अर्जित या प्राप्त किया है।

(8) बोर्ड, किसी कारोबारी पूंजीगत परिसंपत्ति की वास्तविक लागत निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है-

5

(क) कोई अन्य लागत जिसे वास्तविक लागत निर्धारित करने में शामिल किया जा सकता है; और

(ख) उन परिस्थितियों में वास्तविक लागत का निर्धारण करने की विधि, जिनका इस धारा में प्रावधान नहीं है।

(9) इस धारा में, किसी व्यवसायिक परिसंपत्ति का समझा गया लिखित मूल्य, उस व्यक्ति या पिछले मालिक के लिए वास्तविक लागत होगी, जैसा भी मामला हो, जब उसने पहली बार परिसंपत्ति अर्जित की थी, जिसे उस कुल मूल्यहास राशि से घटाया जाएगा जो उस व्यक्ति या पिछले मालिक को, जैसा भी मामला हो, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकार्य होती, जैसे कि परिसंपत्ति संबंधित परिसंपत्तियों के ब्लॉक में एकमात्र परिसंपत्ति थी।

10

45. (1) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में परिसंपत्तियों के किसी ब्लॉक का लिखित मूल्य, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य होगा।

15

परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य और समायोजित मूल्य का अर्थ।

(2) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आस्तियों के ब्लॉक के समायोजित मूल्य से घटाकर प्राप्त किया जाएगा,—

20

(क) उस वर्ष के दौरान धारा 37 के अधीन दी गई पूंजी भत्ते की राशि, यदि कोई हो; और

(ख) इस संहिता के किसी प्रावधान के तहत वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में अनुमत सीमा तक परिसंपत्ति अर्जित करने के लिए किया गया कोई व्यय।

(3) किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक का समायोजित मूल्य गणना में शामिल किया जाएगा।

25

सूत्र के अनुसार-

(ए+बी) - (सी+डी+ई)

कहाँ

A= वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य वर्ष;

30

बी = ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली किसी भी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत, जिसे वित्तीय वर्ष के दौरान अधिग्रहित किया गया हो वर्ष;

सी = ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में प्राप्य धनराशि, जो कि है वित्तीय वर्ष के दौरान बेचा या त्यागा या नष्ट या विनष्ट किया गया;

डी = स्क्रैप मूल्य की राशि, यदि कोई हो;

35

ई = धारा 44 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से हस्तांतरित परिसंपत्तियों के समझे गए लिखित मूल्य का कुल योग।

(4) उप-धारा (3) के अंतर्गत आस्तियों के किसी भी ब्लॉक का समायोजित मूल्य "शून्य" होगा यदि राशि (सी+डी+ई) राशि (ए+बी) से अधिक है।

(5) व्यवसाय पुनर्गठन में उत्तराधिकारी द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों के समूह का समायोजित मूल्य, उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है, वह राशि होगी जो परिसंपत्तियों के समूह के समायोजित मूल्य के रूप में ली जाती यदि व्यवसाय पुनर्गठन नहीं हुआ होता।

40

(6) व्यवसाय पुनर्गठन में उत्तराधिकारी द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य, उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित किया जाएगा-

ए - (बी + सी)

कहाँ

5

ए = उपधारा (5) के अंतर्गत निर्धारित समायोजित मूल्य;

बी = परिसंपत्तियों के ब्लॉक के संबंध में धारा 43 की उपधारा (2) के तहत पूर्ववर्ती को दी गई कटौती की राशि;

सी = उपधारा (3) के अंतर्गत उत्तराधिकारी को दी गई कटौती की राशि

परिसंपत्तियों के ब्लॉक के संबंध में धारा 43।

10

(7) जहां परिसंपत्तियों के समूह में किसी वित्तीय वर्ष में भारत से बाहर किसी देश से कारोबार के प्रयोजनों के लिए अर्जित कोई परिसंपत्ति शामिल है और ऐसे अधिग्रहण की तारीख के बाद परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में देयता में परिवर्तन होता है, तो परिसंपत्तियों के समूह का समायोजित मूल्य निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किया जाएगा—

ए+(बीसी)-डी

15

कहाँ

A = परिसंपत्तियों के ऐसे ब्लॉक का समायोजित मूल्य, जो इसके अनुसार निर्धारित किया जाता है उपधारा (3);

बी = व्यक्ति की देयता की राशि, उस समय भारतीय रूप में व्यक्त की गई वास्तविक भुगतान करने के लिए—

20

(क) परिसंपत्ति की पूरी लागत या उसका एक हिस्सा; या

(ख) किसी व्यक्ति से विशेष रूप से परिसंपत्ति अर्जित करने के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी मुद्रा में उधार ली गई पूरी धनराशि या उसके एक भाग का पुनर्भुगतान;

C = परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय विद्यमान ऐसी देयता की राशि;

25

डी = देयता का पूरा या उसका कोई भाग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है।

(8) उपधारा (7) में निर्दिष्ट भुगतान करते समय भारतीय रूप में अभिव्यक्त व्यक्ति की देयता की राशि, उस स्थिति में जहां व्यक्ति ने अग्रिम अनुबंध किया है, ऐसे अग्रिम अनुबंध में निर्दिष्ट विनिमय दर के संदर्भ में गणना की जाएगी।

30

(9) बोर्ड निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है:

(क) व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न व्यवसायों के बीच परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य या समायोजित लिखित मूल्य के आवंटन का निर्धारण करने की विधि; तथा

35

(ख) उन परिस्थितियों में आस्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य या समायोजित लिखित मूल्य का निर्धारण करने की विधि, जो इस खंड में प्रदान नहीं की गई हैं।

(10) इस धारा में, समझे गए लिखित मूल्य का वही अर्थ होगा जो धारा 44 की उपधारा (10) में है।

40

डी. - पूंजीगत लाभ

पूंजीगत लाभ।

46. (1) किसी भी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय की गणना "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत की जाएगी।

(2) "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय, सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूर्वगामी उपबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ड) में निर्दिष्ट हस्तांतरण से आय, यदि निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले, -

5

(i) मूल कंपनी या उसका नामित व्यक्ति सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूँजी पर अपना अधिकार नहीं रखता है; या

(ii) निवेश परिसंपत्ति को हस्तांतरिती द्वारा अपनी व्यापारिक परिसंपत्ति में परिवर्तित कर लिया जाता है या उसके द्वारा उसके रूप में माना जाता है; (ख)

10

धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट हस्तांतरण से आय, यदि धारा 314 के खंड (16) या खंड (74) में निर्धारित शर्तों में से किसी का, जैसा भी मामला हो, अनुपालन नहीं किया जाता है;

15

(ग) धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (जे) या खंड (एन) में निर्दिष्ट हस्तांतरण से आय, जैसा भी मामला हो, यदि उक्त खंडों में निर्धारित शर्तों में से किसी का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(घ) धारा 55 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट निकासी की राशि, उस सीमा तक जिस तक उपधारा (2) के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है, यदि उक्त उपधारा (4) में निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है;

20

(ई) धारा 55 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट जमा राशि उस सीमा तक जिस तक उपधारा (2) के तहत कटौती की अनुमति दी गई है, यदि उक्त उपधारा (5) में निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(च) धारा 55 की उपधारा (1) के अंतर्गत दी गई कटौती की राशि, यदि कोई हो उक्त धारा की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

25

47. (1) निम्नलिखित हस्तांतरणों से प्राप्त आय को "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात्: -

कुछ हस्तांतरणों से प्राप्त आय को पूँजीगत लाभ नहीं माना जाएगा।

(ए) किसी भी निवेश परिसंपत्ति का कुल या आंशिक विभाजन पर वितरण हिंदू अविभाजित परिवार;

(ख) स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा किसी भी निवेश परिसंपत्ति का दान, या अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के तहत हस्तांतरण;

30

(ग) वसीयत के तहत किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण;

(घ) किसी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण, यदि-

(i) मूल कंपनी या उसके नामित व्यक्ति सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूँजी रखते हैं,

(ii) सहायक कंपनी एक भारतीय कंपनी है; और

35

(iii) सहायक कंपनी परिसंपत्ति को निवेश परिसंपत्ति मानती है;

(ई) किसी सहायक कंपनी द्वारा होल्डिंग कंपनी को किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण, यदि—

(i) सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूँजी होल्डिंग कंपनी या उसके नामितियों के पास है,

40

(ii) होल्डिंग कंपनी एक भारतीय कंपनी है, और

(iii) होल्डिंग कंपनी परिसंपत्ति को निवेश परिसंपत्ति मानती है;

(च) किसी योजना में किसी पूर्ववर्ती द्वारा उत्तराधिकारी को किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण व्यवसाय पुनर्गठन के तहत यदि उत्तराधिकारी एक भारतीय कंपनी है;

(छ) किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण, जो किसी भारतीय कंपनी में रखे गए शेयर हैं, एक समामेलित विदेशी कंपनी को समामेलित विदेशी कंपनी में, यदि—

(i) स्थानांतरण एकीकरण योजना के अंतर्गत किया गया है;

(ii) विलय करने वाली विदेशी कंपनी के शेयरों का तीन-चौथाई से कम मूल्य रखने वाले शेयरधारक विलय करने वाली विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहेंगे; तथा

5

(iii) हस्तांतरण से देश में पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगता है, ऐसी समामेलक कंपनी कौन सी है;

(ज) किसी विनिधान आस्ति, जो किसी भारतीय कंपनी में धारित शेयर है, का विलीन विदेशी कंपनी द्वारा परिणामी विदेशी कंपनी को अंतरण, यदि-

(i) स्थानांतरण विभाजन योजना के अंतर्गत किया गया है;

(ii) विलीन विदेशी कंपनी के शेयरों के मूल्य के कम से कम तीन-चौथाई हिस्से को धारण करने वाले शेयरधारक परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहेंगे;

15

(iii) हस्तांतरण से उस देश में पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगता है, जिसमें ऐसी अलग की गई कंपनी निगमित है;

(i) किसी निवेश आस्ति का किसी बैंककारी कंपनी द्वारा किसी बैंककारी संस्था को अंतरण, यदि अंतरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रवृत्त समामेलन योजना के अंतर्गत किया जाता है;

20

1949 का 10.

(जे) किसी निजी कंपनी या गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी द्वारा किसी निवेश परिसंपत्ति का सीमित देयता भागीदारी में हस्तांतरण या कंपनी के धारा 56 या धारा 57 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सीमित देयता भागीदारी में रूपांतरण के परिणामस्वरूप शेयरधारक द्वारा कंपनी में रखे गए किसी शेयर का हस्तांतरण

25

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, यदि—

2009 का 6.

(i) रूपांतरण से ठीक पहले कंपनी की सभी परिसंपत्तियां और देयताएं सीमित देयता भागीदारी की परिसंपत्तियां और देयताएं बन जाती हैं;

(ii) रूपांतरण से ठीक पहले कंपनी के सभी शेयरधारक सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार बन जाते हैं और सीमित दायित्व भागीदारी में उनका पूंजी अंशदान और लाभ हिस्सेदारी अनुपात रूपांतरण की तारीख को कंपनी में उनकी शेयरधारिता के समान अनुपात में होता है;

30

(iii) कंपनी के शेयरधारकों को सीमित देयता भागीदारी में लाभ में हिस्सेदारी और पूंजी योगदान के अलावा, किसी भी रूप या तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विचार या लाभ प्राप्त नहीं होता है;

35

(iv) सीमित दायित्व भागीदारी में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा कुल पूंजी अंशदान, रूपांतरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय सीमित दायित्व भागीदारी की कुल पूंजी के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा;

40

(v) जिस वित्तीय वर्ष में रूपांतरण होता है, उससे पहले के तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के कारोबार में कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(vi) रूपांतरण की तिथि को कंपनी के संचित लाभ में से किसी भी भागीदार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है;

45

(ट) किसी शेयरधारक द्वारा किसी समामेलक कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण कारोबार पुनर्गठन की योजना, यदि- (i) हस्तांतरण

उत्तराधिकारी समामेलित कंपनी में शेयरधारक को आबंटन के प्रतिफल में किया जाता है; और

5 (ii) उत्तराधिकारी न तो अनिवासी है और न ही कोई विदेशी कंपनी है;

(ठ) कारोबार पुनर्गठन की योजना के तहत किसी शेयरधारक द्वारा पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के शेयरों का हस्तांतरण, यदि हस्तांतरण उत्तराधिकारी सहकारी बैंक में शेयरधारक को आबंटन के प्रतिफल में किया जाता है;

10 (एम) परिणामी कंपनी द्वारा विभाजन की योजना में, विभाजन की गई कंपनी के शेयरधारकों को शेयरों का हस्तांतरण, यदि हस्तांतरण उपक्रम के विभाजन के प्रतिफल में किया जाता है;

(एन) किसी एकल स्वामित्व वाली संस्था द्वारा किसी निवेश परिसंपत्ति का किसी कंपनी को हस्तांतरण, अगर -

15 (i) एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था का स्थान उसके द्वारा चलाए जा रहे कारोबार में कंपनी द्वारा ले लिया जाता है;

(ii) उत्तराधिकार से ठीक पहले व्यवसाय से संबंधित उक्त प्रतिष्ठान की सभी परिसंपत्तियां और देयताएं कंपनी की परिसंपत्तियां और देयताएं बन जाती हैं;

20 (iii) कंपनी में एकमात्र स्वामी की शेयरधारिता कंपनी की कुल मताधिकार के पचास प्रतिशत से कम नहीं है और उत्तराधिकार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक वही बनी रहती है;

(iv) एकमात्र स्वामी को कंपनी में शेयरों के आबंटन के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं होता है; (o) किसी अनिवासी द्वारा किसी अन्य अनिवासी को किसी बांड या वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद का हस्तांतरण, यदि हस्तांतरण भारत के बाहर किया जाता है;

25

(त) किसी कला-कार्य, पुरातत्व, वैज्ञानिक या कला-संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, रेखाचित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट का सरकार या विश्वविद्यालय या किसी सार्वजनिक संग्रहालय या राष्ट्रीय महत्व की या किसी राज्य या राज्यों में प्रसिद्ध संस्था को हस्तांतरण, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

30 (थ) किसी कंपनी के किसी भी बांड या डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या किसी भी रूप में जमा प्रमाणपत्र को उस कंपनी के शेयरों या डिबेंचर में परिवर्तित करके अंतरण करना;

(आर) किसी कंपनी के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड को उस कंपनी के शेयरों या डिबेंचर में परिवर्तित करके अंतरण करना;

35 (एस) किसी भी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, यदि-

(i) स्थानांतरण किसी प्रतिभूति को उधार देने की योजना के अंतर्गत किया गया हो; और

(ii) योजना को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय रिज़र्व बैंक;

40 (टी) किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण, यदि- (i)

हस्तांतरणकर्ता एक कंपनी है; और (ii) कंपनी की

परिसंपत्ति उसके परिसमापन पर उसके शेयरधारकों को वितरित की जाती है; (यू) बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष

45 प्रावधान) की धारा 18 के तहत मंजूर की गई योजना के तहत एक बीमार औद्योगिक कंपनी की भूमि के रूप में एक निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण।

(धारा 144 के उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन, जहां ऐसी कंपनी का प्रबंधन उसके श्रमिक सहकारी द्वारा किया जा रहा है; 1986 का 1.

(v) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी योजना के तहत रिवर्स मॉर्टगेज के लेनदेन में किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण;

(डब्ल्यू) किसी डिपॉजिटरी द्वारा किसी प्रतिभूति में किसी लाभकारी हित का हस्तांतरण। 5

(2) धारा 314 के खंड (74) में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 (दोनों सम्मिलित) के उपबंधों का संदर्भ उपधारा (1) के खंड (एच) में निर्दिष्ट विभाजन के मामले में लागू नहीं होगा। 1956 का 1.

(3) उपधारा (1) के खंड (यू) के प्रावधान उस मामले में लागू होंगे जहां स्थानांतरण उस वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली अवधि के दौरान किया जाता है जिसमें उक्त कंपनी बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 17 की उपधारा (1) के तहत एक बीमार औद्योगिक कंपनी बन गई है और उस वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त होती है जिसके दौरान ऐसी कंपनी का संपूर्ण निवल मूल्य संचित घाटे के बराबर या उससे अधिक हो जाता है। 10 1986 का 1.

(4) उपधारा (1) के खंड (i) में, "बैंककारी कंपनी" और "बैंककारी संस्था" पदों के वही अर्थ होंगे जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) और धारा 45 की उपधारा (15) में हैं; 15 2009 का 10.
1949 का 10.

(5) उपधारा (1) के खंड (जे) में, "निजी कंपनी" और "सार्वजनिक असूचीबद्ध कंपनी" पदों के वही अर्थ होंगे जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं। 20 2009 का 6.

(6) उपधारा (1) के खंड (डब्ल्यू) में, "डिपॉजिटरी" और "प्रतिभूति" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ई) और (एल) में दिए गए हैं। 1986 का 22.

करदेयता का वित्तीय वर्ष.

48. (1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निवेश आस्ति के अंतरण से प्राप्त आय, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष में अंतरणकर्ता की आय होगी: 25

मेज़

कर देयता का वित्तीय वर्ष

क्रम संख्या	स्थानांतरण की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	
(1)	(2)	(3)	

1. खंड में उल्लिखित स्थानांतरण

(घ) या धारा 47 की उपधारा (1) का खंड (ड)

(क) उस स्थिति में, जहां निवेश परिसंपत्ति को अंतरिती द्वारा व्यवसायिक व्यापारिक परिसंपत्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है या उसके द्वारा इस प्रकार व्यवहार किया जाता है, वह वित्तीय वर्ष, जिसमें निवेश परिसंपत्ति को व्यवसायिक व्यापारिक परिसंपत्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है या इस प्रकार व्यवहार किया जाता है; (ख) उस स्थिति में, जहां मूल कंपनी या उसके नामिती सहायक

कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी धारण करना बंद कर देते हैं, वह वित्तीय वर्ष, जिसमें मूल कंपनी या उसके नामिती सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी धारण करना बंद कर देते हैं। 40

(1)	(2)	(3)
5	2. खंड में उल्लिखित स्थानांतरण (च) धारा 47 की उपधारा (1) का	वह वित्तीय वर्ष जिसमें कोई भी खंड (16) में निर्दिष्ट शर्तें या धारा (74), जैसा भी मामला हो, के अधीन होगा। धारा 314 का अनुपालन नहीं किया गया है।
	3. खंड में उल्लिखित स्थानांतरण (जे) या धारा 47 की उपधारा (1) का खंड (एन)	वह वित्तीय वर्ष जिसमें कोई भी उक्त खण्डों में निर्दिष्ट शर्तें का अनुपालन नहीं किया जाता है।
	4. स्थानांतरण-	वह वित्तीय वर्ष जिसमें मुआवजा दिया गया-
10	(i) अनिवार्य रूप से किसी कानून के तहत अधिग्रहण, या ऐसे मुआवजे या विचार के लिए, जो उस समय लागू था, या	जैसा भी मामला हो, भुगतान या प्रतिफल
	(ii) वह प्रतिफल जिसके लिए केंद्र सरकार या द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया गया था	द्वारा बढ़ाया गया या आगे बढ़ाया गया किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त हुआ।
15	भारतीय रिजर्व बैंक	
	5. रूपांतरण के माध्यम से स्थानांतरण	वह वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी परिसंपत्ति,
	<small>एक निवेश परिसंपत्ति को व्यवसायिक व्यापारिक परिसंपत्ति के रूप में परिवर्तित करना, या उसका व्यापारिक व्यापारिक परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करना</small>	इस प्रकार रूपांतरित या उपचारित किया गया, बेचा गया या अन्यथा स्थानांतरित किया गया।
20	6. हस्तांतरण किस माध्यम से होगा - वह वित्तीय वर्ष जिसमें परिसंपत्ति हस्तांतरित की जाती है	
	(i) परिसंपत्ति का अंशदान, चाहे वह हस्तांतरित हो या वितरित। पूँजी के माध्यम से या अन्यथा, अनिगमित निकाय, जिसमें हस्तान्तरणकर्ता भागीदार है, या भागीदार बन जाता है; या	
25	(ii) परिसंपत्ति का वितरण किसी के विघटन के कारण असंबद्ध निकाय.	
	7. वितरण के माध्यम से स्थानांतरण	वह वित्तीय वर्ष जिसमें धन प्राप्त हुआ
30	किसी अनिगमित निकाय के भागीदार को धन या परिसंपत्ति का हस्तांतरण शरीर से उनकी सेवानिवृत्ति	या परिसंपत्ति वितरित की जाती है।
	8. भाग प्रदर्शन के माध्यम से स्थानांतरण	वह वित्तीय वर्ष जिसमें अचल संपत्ति पर कब्जा दिया जाता है
35	धारा 314 के खंड (267) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी अनुबंध का	लिया जाना या रखा जाना।
	9. किसी भी लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरण,	वह वित्तीय वर्ष जिसमें संपत्ति का उपभोग किया जा सके।
	जो किसी भी अचल संपत्ति के उपभोग को सक्षम बनाता है	
40	खंड (267) के उपखंड (जे) में धारा 314 के	
	10. मंदी बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण,	वह वित्तीय वर्ष जिसमें स्थानांतरण हुआ।
	धारा 314 के खंड (267) के उपखंड (एल) में संदर्भित	
45	11. क्रम संख्या 1 से 10 में निर्दिष्ट विधियों के अलावा किसी अन्य विधि द्वारा स्थानांतरण।	वह वित्तीय वर्ष जिसमें स्थानांतरण हुआ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) धारा 314 के खंड (267) के उप-खंड (एम) में निर्दिष्ट बीमित परिसंपत्ति की क्षति या विनाश के कारण बीमाकर्ता से बीमा के तहत प्राप्त कोई धन या परिसंपत्ति उस वित्तीय वर्ष के प्राप्तकर्ता की आय मानी जाएगी जिसमें धन या परिसंपत्ति प्राप्त हुई है; (ख) धारा 314 के खंड (267) के उप-खंड (ओ) में निर्दिष्ट किसी अनिगमित निकाय से उसकी सेवानिवृत्ति के कारण भागीदार द्वारा प्राप्त कोई धन या परिसंपत्ति उस वित्तीय वर्ष के प्राप्तकर्ता की आय

मानी जाएगी जिसमें धन या परिसंपत्ति प्राप्त हुई है;

(ग) धारा 314 के खंड (267) के उपखंड (एच) में निर्दिष्ट कंपनी के परिसमापन या विघटन के कारण शेयरधारक द्वारा प्राप्त कोई धन या परिसंपत्ति, धारा 314 के खंड (81) के उपखंड (ग) के अर्थ के भीतर लाभांश के रूप में निर्धारित राशि से कम होकर, उस वित्तीय वर्ष के प्राप्तकर्ता की आय मानी जाएगी जिसमें धन या परिसंपत्ति प्राप्त हुई है;

(घ) किसी प्रतिभूति में किसी लाभकारी हित के डिपॉजिटरी या भागीदार द्वारा किए गए हस्तांतरण से प्राप्त कोई प्रतिफल उस वित्तीय वर्ष के लाभकारी स्वामी की आय माना जाएगा जिसमें ऐसा हस्तांतरण हुआ था;

(ई) धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (डी) में निर्दिष्ट राशि होगी उस वित्तीय वर्ष की आय जिसमें ऐसी राशि निकाली जाती है;

(च) धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (ई) में निर्दिष्ट राशि उस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद वाले तीसरे वित्तीय वर्ष की आय होगी जिसमें मूल परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया गया है।

(छ) धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट रकम उस वित्तीय वर्ष की आय होगी जिसमें धारा 55 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(3) उपधारा (2) के खंड (घ) में, "लाभार्थी स्वामी" का वही अर्थ होगा जो निम्नलिखित में से किसी का है-
निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किया गया है।

1996 का 22.

किसी भी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय की गणना।

49. (1) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त आय हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उपार्जित या प्राप्त प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होगी, जिसमें से धारा 51 में निर्दिष्ट कटौतियों की कुल राशि घटा दी जाएगी।

30

(2) किसी निवेश आस्ति के अंतरण से आय की गणना के प्रयोजन के लिए, जो धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में कोई लाभकारी हित है, ऐसी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण की लागत और धारण की अवधि का निर्धारण पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर किया जाएगा।

प्रतिफल का पूर्ण मूल्य.

50. (1) प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, निवेश आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, यथास्थिति, अंतरक या धारा 48 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाली राशि होगी।

35

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, निम्नलिखित परिस्थितियों में,—

(क) प्रथम दृष्टया प्रदान की गई प्रतिकर की राशि या केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम दृष्टया निर्धारित या अनुमोदित प्रतिफल बैंक ऑफ इंडिया या वह राशि जिसके द्वारा ऐसा मुआवजा या विचार किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है, जैसा भी मामला हो, यदि निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण धारा 314 के खंड (267) के उप-खंड (सी) में निर्दिष्ट मोड द्वारा होता है ;

45

(बी) हस्तांतरण की तारीख को परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य, यदि हस्तांतरण धारा 314 के खंड (267) के उपखंड (घ) में निर्दिष्ट तरीके से होगा;

(ग) कंपनी या किसी अन्य कंपनी की खाता पुस्तकों में दर्ज राशि

अनिगमित निकाय को निवेश परिसंपत्ति के मूल्य के रूप में, यदि निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण धारा 314 के खंड (267) के उप-खंड (एफ) में निर्दिष्ट तरीके से होता है;

(घ) हस्तांतरण की तिथि को परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य, यदि ऐसा हस्तांतरण धारा 314 के खंड (267) के उपखंड (जी) में निर्दिष्ट तरीके से है;

(ई) किसी शेयरधारक द्वारा परिसमापन या विघटन के अधीन किसी कंपनी से प्राप्त धनराशि या ऐसी परिसंपत्ति के वितरण की तिथि को परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य, धारा 314 के खंड (81) के उप-खंड (सी) के अर्थ के भीतर लाभांश की राशि से कम किया गया, यदि हस्तांतरण धारा 314 के खंड (267) के उप-खंड (एच) में निर्दिष्ट तरीके से होता है ;

(च) भागीदार द्वारा प्राप्त धनराशि या परिसंपत्ति के वितरण की तिथि को परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य, यदि स्थानांतरण धारा 314 के खंड (267) के उपखंड (ओ) में निर्दिष्ट तरीके से होता है ;

(छ) बीमाकर्ता से बीमा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि या ऐसी परिसंपत्ति की प्राप्ति की तारीख को परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य, यदि अंतरण धारा 314 के खंड (267) के उपखंड (एम) में निर्दिष्ट तरीके से किया गया हो;

(ज) परिसंपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य, चाहे वह भूमि हो या भवन।

(3) जहां उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिकर या प्रतिफल की रकम किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बाद में कम कर दी जाती है, वहां इस प्रकार कम किया गया प्रतिकर या प्रतिफल प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

(4) जहां उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट बढ़ा हुआ प्रतिकर या प्रतिफल अंतरणकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां उक्त रकम ऐसे अन्य व्यक्ति की आय समझी जाएगी और धारा 46 से 55 (दोनों सम्मिलित) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

51. (1) किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए कटौती निम्नलिखित होगी, अर्थात: -

लागत अधिग्रहण आदि के लिए कटौती का

(i) परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, यदि कोई हो;

(ii) परिसंपत्ति के सुधार की लागत, यदि कोई हो, और

(iii) व्यय की राशि, यदि कोई हो, जो पूर्णतः और विशेष रूप से किया गया हो परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में।

(2) किसी निवेश आस्ति के अंतरण की स्थिति में, जो किसी कंपनी में इक्विटी शेयर या इक्विटी उन्मुख निधि की इकाई है और ऐसा अंतरण वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के अध्याय VII के अंतर्गत प्रतिभूति लेनदेन कर के लिए प्रभावी है,—

(क) जहां परिसंपत्ति एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रखी जाती है,

(i) यदि उपधारा (1) को प्रभावी करने के पश्चात संगणित आय सकारात्मक आय है, तो इस प्रकार प्राप्त आय का शत-प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) यदि उपधारा (1) को प्रभावी करने के पश्चात संगणित आय ऋणात्मक आय है, तो इस प्रकार प्राप्त आय का शत-प्रतिशत ऐसी आय में से घटा दिया जाएगा।

(ख) जहां परिसंपत्ति एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए रखी जाती है,

(i) यदि उपधारा (1) को प्रभावी करने के पश्चात संगणित आय सकारात्मक आय है, तो इस प्रकार प्राप्त आय के पचास प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाएगी;

(ii) यदि उपधारा (1) को प्रभावी करने के पश्चात संगणित आय ऋणात्मक आय है, तो इस प्रकार प्राप्त आय का पचास प्रतिशत ऐसी आय में से घटा दिया जाएगा।

(3) यदि धारा 53 की उपधारा (2) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट निवेश परिसंपत्ति के अलावा कोई अन्य निवेश परिसंपत्ति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के पश्चात किसी भी समय अंतरित की जाती है जिसमें परिसंपत्ति व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है, तो ऐसी परिसंपत्ति के अंतरण से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए कटीती निम्नलिखित होगी, अर्थात:—

(i) परिसंपत्ति के अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत, यदि कोई हो; (ii) परिसंपत्ति के सुधार की अनुक्रमित लागत, यदि कोई हो; (iii) परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से किए गए व्यय की राशि, यदि कोई हो; और

(iv) धारा 55 के तहत निर्धारित परिसंपत्ति के रोलओवर के लिए राहत की राशि।

अधिग्रहण या सुधार की अनुक्रमित लागत-
उल्लेख.

52. (1) धारा 51 की उपधारा (3) के खंड (i) में निर्दिष्ट निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित राशि होगी—

बी
ए एक्स —
सी

कहाँ

ए = परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत; बी = उस वित्तीय वर्ष के लिए

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जिसमें परिसंपत्ति स्थानांतरित की गई; सी = उस वित्तीय वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जिसमें व्यक्ति द्वारा परिसंपत्ति अर्जित की गई थी या 1 अप्रैल 2000 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो।

(2) धारा 51 की उपधारा (3) के खंड (ii) में निर्दिष्ट निवेश आस्ति के सुधार की अनुक्रमित लागत निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित राशि होगी—

बी
ए एक्स —
सी

कहाँ

A = परिसंपत्ति के सुधार की लागत;

बी = उस वित्तीय वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जिसमें परिसंपत्ति स्थानांतरित की जाती है;

C = उस वित्तीय वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जिसमें परिसंपत्ति में सुधार हुआ या 1 अप्रैल 2000 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो।

निवेश के अधिग्रहण की लागत
संपत्ति।

53. (1) जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए, किसी निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगी—

(क) परिसंपत्ति का क्रय मूल्य; या (ख) व्यक्ति के विकल्प पर, पहले

दिन परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य

अप्रैल, 2000 की तारीख से पूर्व यदि व्यक्ति द्वारा परिसंपत्ति अर्जित की गई हो।

(2) सत्रहवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी निवेश आस्ति के अधिग्रहण की लागत, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से अर्जित की गई हो, उसके स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट लागत होगी।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से अर्जित निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत अधिग्रहण के विशेष तरीकों के अनुसार, निम्नलिखित होगा - (क) वह

लागत जिस पर परिसंपत्ति पिछले मालिक द्वारा अर्जित की गई थी; या (ख) व्यक्ति के विकल्प पर, 1 अप्रैल, 2000 को परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य, यदि परिसंपत्ति पिछले मालिक या व्यक्ति द्वारा ऐसी तारीख से पहले अर्जित की गई थी।

5

(4) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (एच) या खंड (आई) या खंड (जे) में निर्दिष्ट निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, उचित बाजार मूल्य या स्टांप शुल्क मूल्य, जैसा भी मामला हो, होगी जिसे उक्त खंडों के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है।

10

(5) धारा 314 के खंड (267) के उपखंड (एल) में निर्दिष्ट मंदी बिक्री के माध्यम से स्थानांतरित किसी व्यवसाय के उपक्रम या प्रभाग होने वाली निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत ऐसे उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य होगा।

(6) किसी भागीदार द्वारा अर्जित निवेश परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा बनने वाली निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, किसी अनिगमित निकाय से उसकी सेवानिवृत्ति के कारण उसे परिसंपत्ति के वितरण पर, सूत्र के अनुसार निर्धारित राशि होगी—

15

ए - (बी + सी)

कहाँ,

20

A= खाता बही में दर्शाई गई प्रतिभागी को देय राशि वितरण की तिथि पर असंबद्ध निकाय का;

बी= वितरण की तिथि तक निवेश परिसंपत्ति के बंडल के मूल्य में परिवर्तन के कारण कोई राशि, यदि कोई हो; तथा सी= भागीदार द्वारा अर्जित बंडल का भाग बनने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, किसी भी अनिगमित

25

निकाय से उसकी सेवानिवृत्ति के कारण उसे परिसंपत्ति के वितरण पर, यदि अधिग्रहण की लागत को किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में धारा 51 के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है।

(7) किसी निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत निम्नलिखित के संबंध में "शून्य" होगी-

(क) कोई निवेश परिसंपत्ति जो स्वयं उत्पन्न हुई हो; (ख) वह परिसंपत्ति

30

जो अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से अर्जित की गई हो और ऐसे अधिग्रहण के लिए मुआवजा या प्रतिफल किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया हो या आगे बढ़ाया गया हो; या

(ग) वह परिसंपत्ति जहां व्यक्ति या पिछले मालिक के लिए अधिग्रहण की लागत, यदि कोई हो, किसी भी कारण से निर्धारित या सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

35

(8) उपधारा (3) में, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली किसी निवेश आस्ति के संबंध में "पूर्व स्वामी" से निवेश आस्ति का अंतिम पूर्व स्वामी अभिप्रेत है, जिसने उसे धारा 314 के खंड (237) में निर्दिष्ट अधिग्रहण के तरीके के अलावा किसी अन्य अधिग्रहण के तरीके से अर्जित किया है।

54. (1) किसी निवेश परिसंपत्ति के सुधार की लागत किसी भी प्रकार का व्यय होगी, परिसंपत्ति में कोई भी वृद्धि या परिवर्तन करने में उपगत पूंजी प्रकृति,—

40

(क) व्यक्ति द्वारा; या (ख) पूर्व

स्वामी द्वारा, यदि परिसंपत्ति अधिग्रहण के किसी विशेष तरीके से अर्जित की गई हो।

निवेश के अधिग्रहण की लागत संपत्ति।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां परिसंपत्ति 1 अप्रैल, 2000 से पूर्व व्यक्ति या पिछले स्वामी की संपत्ति बन गई थी, वहां निवेश परिसंपत्ति के सुधार की लागत, 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात ऐसी परिसंपत्ति में किसी वृद्धि या परिवर्तन के लिए किया गया पूंजीगत व्यय होगी।

45

(3) किसी निवेश परिसंपत्ति के सुधार की लागत, किसी भी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में, निम्नलिखित के संबंध में "शून्य" होगा-

(क) एक निवेश परिसंपत्ति जो स्वयं उत्पन्न होती है; (ख) एक निवेश

परिसंपत्ति जो एक उपक्रम या प्रभाग है जिसे किसी माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।

धारा 314 के खंड (267) के उपखंड (एल) में निर्दिष्ट मंदा बिक्री; या

(ग) कोई भी निवेश परिसंपत्ति, यदि किसी कारणवश सुधार की लागत निर्धारित या सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

(4) किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना में कटौती योग्य कोई व्यय सुधार की लागत की गणना करते समय आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

निवेश के रोलओवर के लिए राहत

55. (1) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को धारा 51 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी मूल निवेश परिसंपत्ति के रोलओवर के संबंध में, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ से कटौती की अनुमति दी जाएगी।

संपत्ति।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी—

(बी+सी+डी)
ए एक्स -----
इ

कहाँ

A = मूल निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ की राशि;

बी = मूल निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उप-धारा (6) में निर्दिष्ट नई परिसंपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए निवेश की गई राशि ;

सी = उपधारा (6) में निर्दिष्ट नई परिसंपत्ति के क्रय या निर्माण के लिए उस वित्तीय वर्ष के अंत तक निवेश की गई राशि जिसमें मूल निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है या हस्तांतरण की तारीख से छह महीने तक, जो भी बाद में हो;

डी = वित्तीय वर्ष के अंत तक किसी भी बैंक में खाते में जमा की गई राशि जिसमें मूल निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, हस्तांतरण की तारीख से छह महीने के लिए, जो भी पूंजीगत लाभ जमा के अनुसार बाद में हो।

इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना;

E = मूल के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त शुद्ध प्रतिफल निवेश परिसंपत्ति.

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत संगणित कटौती, निवेश परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ की राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) पूंजीगत लाभ जमा योजना के अंतर्गत खाते से निकाली गई किसी राशि का उपयोग उस माह के अंत से एक माह की अवधि के भीतर नई परिसंपत्ति के क्रय या निर्माण के लिए किया जाएगा, जिसमें राशि निकाली गई है।

(5) पूंजीगत लाभ जमा योजना के अंतर्गत खाते में जमा की गई राशि का उपयोग उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नई परिसंपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए किया जाएगा, जिसमें मूल परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया गया हो।

(6) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ के संबंध में इस धारा के तहत कटौती, उक्त तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट संबंधित नई निवेश परिसंपत्ति के संदर्भ में दी जाएगी, बशर्ते कि स्तंभ (4) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हों:

मेज़
रोलओवर रिलीफ

सीरियल मूल का विवरण नए का विवरण शर्तें संख्या निवेश परिसंपत्ति निवेश परिसंपत्ति

5	(1)	(2)	(3)	(4)
10	1.	कृषि भूमि	(1) मूल निवेश कृषि भूमि का एक या अधिक टुकड़ा। परिसंपत्ति थी—	(i) उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के दो वर्षों के दौरान कृषि भूमि, जिसमें परिसंपत्ति स्थानांतरित की गई है; तथा
15				(ii) उस वित्तीय वर्ष के आरंभ से कम से कम एक वर्ष पूर्व अर्जित की गई हो जिसमें परिसंपत्ति का हस्तांतरण हुआ था।
20	2.	कोई भी निवेश परिसंपत्ति	आवासीय घर	(2) नई परिसंपत्ति को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जिसमें नई परिसंपत्ति अर्जित की गई है।
25				(i) मूल निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण की तिथि पर करदाता के पास नई निवेश परिसंपत्ति के अलावा एक से अधिक आवासीय मकान नहीं है; तथा
30				(ii) मूल निवेश परिसंपत्ति उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक वर्ष पहले अर्जित की गई थी जिसमें परिसंपत्ति का हस्तांतरण हुआ था।
35				(iii) नई परिसंपत्ति को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जिसमें नई परिसंपत्ति अर्जित या निर्मित की गई हो।

45 (7) इस धारा में, "शुद्ध प्रतिफल" का अर्थ किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल का पूर्ण मूल्य है, जिसमें से ऐसे हस्तांतरण के संबंध में पूर्णतः या अनन्य रूप से किए गए किसी व्यय को घटाया गया है।

ई. — अवशिष्ट स्रोतों से आय

56. 'सामान्य स्रोतों से आय' वर्ग के अंतर्गत आने वाली हर प्रकार की आय की गणना "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी, यदि इसकी गणना करना आवश्यक हो।

अवशिष्ट से आय

संत.

धारा 14 की मदों ए से डी में विनिर्दिष्ट आय शीर्षों में से किसी के अंतर्गत सम्मिलित आय की गणना में सम्मिलित।

आय की गणना	57. "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत संगणित आय, धारा 59 में निर्दिष्ट कटौतियों की राशि से घटाकर सकल अवशिष्ट आय होगी।	
अवशिष्ट से स्रोत.		5
सकल अवशिष्ट आय.	58. (1) सकल अवशिष्ट आय में प्रकृति के सभी उपार्जन या प्राप्तियां शामिल होंगी आय का वह भाग, जो — का भाग नहीं है	
	(क) विशेष स्रोतों से आय; और	
	(ख) धारा 14 की मद ए से डी तक में विनिर्दिष्ट आय शीर्षों में से किसी के अंतर्गत आय।	10
	(2) सकल अवशिष्ट आय, विशेष रूप से और बिना किसी पूर्वाग्रह के, उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:-	
	(क) लाभांश, उन लाभांशों को छोड़कर जिनके संबंध में धारा 109 के अंतर्गत लाभांश वितरण कर का भुगतान किया गया है;	
	(ख) वित्तीय संस्थाओं को उपार्जित या उनके द्वारा प्राप्त ब्याज के अलावा अन्य ब्याज;	15
	(ग) मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज;	
	(घ) घुड़दौड़ के प्रयोजन के लिए घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से आय;	
	(ई) कर्मचारियों से उनके कल्याण के लिए स्थापित किसी निधि में अंशदान के रूप में प्राप्त कोई राशि, यदि आय को "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;	20
	(च) मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर से आय जो व्यक्ति के स्वामित्व में है और किराये पर दी गई है किराया, यदि आय "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं है;	
	(छ) किसी प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी शामिल है, यदि ऐसी आय को "रोजगार से आय" या "व्यवसाय से आय" शीर्षकों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;	25
	(ज) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल या बिना प्रतिफल के प्राप्त की गई किसी धनराशि और किसी निर्दिष्ट संपत्ति के मूल्य का योग, जो अचल संपत्ति नहीं है;	
	(i) किसी निर्दिष्ट संपत्ति का मूल्य, जो एक अचल संपत्ति है, जिसे किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा बिना किसी प्रतिफल के;	30
	(जे) किसी संपत्ति का मूल्य जो किसी निकट-स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों से प्राप्त होता है किसी फर्म या कंपनी द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल या बिना प्रतिफल के;	
	(ट) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या गैर-लाभकारी संगठन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त स्वेच्छिक योगदान की राशि;	35
	(एल) किसी अनुबंध के निपटान या उल्लंघन के कारण प्राप्त या रोकी गई कोई राशि, यदि वह "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं है;	
	(ड) किसी व्यक्ति को किसी दिन में किया गया कोई भुगतान या भुगतानों का योग, बैंक खाते में आहरित आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट के अलावा, यदि—	40
	(i) भुगतान या भुगतानों का योग धारा 59 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में है;	
	(ii) व्यय को उस पर किए गए दायित्व के आधार पर किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है;	

(iii) भुगतान या भुगतानों की कुल राशि बीस हजार रुपए से अधिक है; और

(iv) यह ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों में उपगत नहीं किया गया है, जैसा कि विहित किया जा सकता है;

5 (ढ) वित्तीय वर्ष के लिए रखी गई व्यक्ति की पुस्तकों में जमा पाई गई कोई राशि, यदि -

(i) व्यक्ति इसकी प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है;

(ii) व्यक्ति स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, किन्तु स्पष्टीकरण को प्रमाणित करने में असफल रहता है; या

10 (iii) उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, कर निर्धारण अधिकारी की राय में, अधिकारी, संतोषप्रद नहीं;

(ण) वित्तीय वर्ष में व्यक्ति द्वारा किए गए किसी निवेश का मूल्य, जिस सीमा तक—

15 (i) व्यक्ति निवेश की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है;

(ii) व्यक्ति स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, किन्तु स्पष्टीकरण को प्रमाणित करने में असफल रहता है; या

(iii) उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, कर निर्धारण अधिकारी की राय में, अधिकारी, संतोषप्रद नहीं;

20 (पी) किसी भी धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का मूल्य जो उसके स्वामित्व में हो वह व्यक्ति जिस सीमा तक —

(i) व्यक्ति बीमारी की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का अधिग्रहण;

25 (ii) व्यक्ति स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, किन्तु स्पष्टीकरण को प्रमाणित करने में असफल रहता है; या

(iii) उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, कर निर्धारण अधिकारी की राय में, अधिकारी, संतोषप्रद नहीं;

(थ) वित्तीय वर्ष में व्यक्ति द्वारा किए गए किसी व्यय की राशि, अगर -

30 (i) व्यक्ति ऐसे व्यय या उसके किसी भाग के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है;

(ii) व्यक्ति स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, किन्तु स्पष्टीकरण को प्रमाणित करने में असफल रहता है; या

35 (iii) उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, कर निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषप्रद नहीं है;

(द) धारा 78 की उपधारा (5) के अधीन आय समझी जाने वाली कोई राशि;

(एस) किसी व्यवसायिक परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में उपार्जित या प्राप्त कोई प्रतिफल, जो स्वयं सृजित है, यदि प्रतिफल को "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;

40

(टी) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी करार के संबंध में समाप्ति, परिमार्जन या जब्ती के कारण उपार्जित या प्राप्त कोई राशि, यदि वह राशि 'कारोबार से आय' शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं है;

(यू) बीसवीं अनुसूची के अनुसार किसी नियंत्रित विदेशी कंपनी की निवासी को देय आय की कोई राशि

(v) किसी निवेश परिसंपत्ति के संपूर्ण या आंशिक अथवा उसमें किसी हित के दीर्घकालिक पट्टे या हस्तांतरण से, अग्रिम, सुरक्षा जमा या अन्यथा के रूप में प्राप्त कोई राशि;

5

(ब) व्यक्ति को प्राप्त या उपार्जित किसी लाभ की राशि, यदि वह राशि "कारोबार से आय" शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है और यदि

(i) यह किसी दायित्व, जिसमें वैधानिक दायित्व भी शामिल है, की छूट या समाप्ति के रूप में या किसी हानि या व्यय के संबंध में है; और

10

(ii) ऐसी देयता या हानि या व्यय को किसी वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है;

(x) पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त कोई राशि;

(y) जीवन बीमा के तहत प्राप्त या प्राप्य कोई भी राशि, जिसमें बोनस भी शामिल है, यदि कोई हो परिपक्वता पर या अन्यथा बीमा पॉलिसी बीमाकर्ता से प्राप्त की जा सकती है।

15

(3) उपधारा (2) के खंड (एच) या खंड (आई) में निर्दिष्ट राशि इसमें प्राप्त कोई भी राशि शामिल है—

(क) किसी रिश्तेदार से;

(ख) व्यक्ति के विवाह के अवसर पर;

(ग) वसीयत के तहत या उत्तराधिकार के माध्यम से;

20

(घ) भुगतानकर्ता की मृत्यु की आशंका में;

(ई) किसी स्थानीय प्राधिकारी से; या

(च) किसी गैर-लाभकारी संगठन से।

(4) इस धारा में,—

(क) "रिश्तेदार" में धारा 314 के खंड (214) के उपखंड (जी) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा;

25

(ख) "विनिर्दिष्ट संपत्ति" से तात्पर्य है-

(i) अचल संपत्ति जो भूमि या भवन या दोनों हो;

(ii) शेयर और प्रतिभूतियाँ;

(iii) आभूषण;

30

(iv) बुलियन;

(v) पुरातात्विक संग्रह;

(vi) चित्र;

(सप्तम) चित्रकारी;

(viii) मूर्तियाँ; या

40

(ix) कोई कलाकृति;

(सी) उपधारा (1) के खंड (एच) या खंड (आई) या खंड (जे) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का मूल्य धारा (2), जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित होगी-

(i) अचल संपत्ति के मामले में स्टाम्प शुल्क मूल्य घटाया गया व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई प्रतिफल राशि, यदि कोई हो, तथा

(ii) किसी अन्य संपत्ति के मामले में उचित बाजार मूल्य, जिसमें से उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी।

5 (5) उपधारा (2) के खंड (जे) के प्रावधान किसी ऐसे लेनदेन के माध्यम से प्राप्त किसी संपत्ति पर लागू नहीं होंगे, जिसे धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (एफ) या खंड (जी) या खंड (एच) या खंड (एल) या खंड (एम) के तहत हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाता है।

59. (1) अवशिष्ट स्रोतों से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए कटौतियां निम्नलिखित का योग होंगी-

सकल अवशिष्ट
आय से कटौती.

10 (क) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय की रकम, यदि—

(i) व्यय (पूँजीगत व्यय की प्रकृति का न हो) पूर्णतः और अनन्य रूप से सकल अवशिष्ट आय बनाने या अर्जित करने के प्रयोजनार्थ निर्धारित या व्यय किया गया हो; तथा

(ii) वह इसमें निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को, यदि कोई हो, पूरा करता है; और

15 (ख) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कटौतियों की रकम, बशर्त कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तें, यदि कोई हों, पूरी की जाएं; और

(ग) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (यू) में निर्दिष्ट नियंत्रित विदेशी कंपनी से लाभांश के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कोई राशि, उस सीमा तक जहां तक ऐसी राशि उक्त खंड के प्रावधानों के अनुसार किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में करदाता की कुल आय में शामिल की गई है।

20

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यय की रकम निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(क) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की वसूली के प्रयोजन के लिए पारिश्रमिक या कमीशन के रूप में भुगतान की गई कोई उचित राशि ;

25

(ख) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के संबंध में धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (v) के उपबंधों के अनुसार, जहां तक हो सके, अवधारित रकम ;

(ग) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (ड) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के संबंध में धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (xxx) के उपबंधों के अनुसार, जहां तक हो सके, अवधारित रकम ;

30

(घ) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के संबंध में धारा 37 के उपबंधों के अनुसार और धारा 34 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां तक हो सके, अवधारित रकम।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कटौती की रकम निम्नलिखित होगी, अर्थात्:—

35

(क) कुटुंब पेंशन के संबंध में आय का 33 प्रतिशत या 1/3 प्रतिशत या 15 हजार रुपए, जो भी कम हो, के बराबर रकम;

(ख) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (ज) या खंड (झ) या खंड (ञ) में निर्दिष्ट कुल राशि, जहां तक कुल राशि पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है; तथा

40

(ग) दीर्घावधि पट्टे से प्राप्त अग्रिम राशि या सुरक्षा जमा की अदायगी वह वित्तीय वर्ष जिसमें अग्रिम या सुरक्षा जमा राशि का पुनर्भुगतान किया जाता है।

(घ) बीमा पॉलिसी के संबंध में धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (वाई) के तहत आय में शामिल राशि, जहां-

(i) अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए भुगतान किया गया या देय प्रीमियम पॉलिसी की राशि बीमित पूंजी राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; तथा

(ii) राशि बीमा अनुबंध की मूल अवधि पूरी होने पर ही प्राप्त होती है;

(ई) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (वाई) के तहत आय में शामिल राशि, यदि बीमा पॉलिसी के संबंध में वितरित आय पर कर धारा 110 के तहत बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किया गया है; 5

(च) इस उपधारा के खंड (घ) और खंड (ड) में निर्दिष्ट पॉलिसी से भिन्न किसी बीमा पॉलिसी के संबंध में धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (य) में निर्दिष्ट प्राप्ति या प्रोद्भवों की तारीख तक संदत्त प्रीमियम की राशि, जिसमें से किसी पिछले वित्तीय वर्ष में इस खंड के अंतर्गत कटौती के रूप में पहले ही दी जा चुकी प्रीमियम की राशि को घटाया जाएगा, उस सीमा तक जहां तक 10
ऐसी राशि को धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (य) के अंतर्गत प्राप्ति या प्रोद्भवों के रूप में शामिल किया गया है।

(4) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट आय के मामले में कटौती की रकम ऐसी आय के पचास प्रतिशत के बराबर होगी और इस धारा के किसी अन्य खंड के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की जाएगी। 15

(5) निम्नलिखित राशियों को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात:—

(क) व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यय से संबंधित कोई राशि;

(ख) इस संहिता या आयकर के तहत भुगतान किए गए कर, ब्याज या जुर्माने की कोई राशि
अधिनियम, 1961 या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अधीन लागू नहीं होगी, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ होने से पहले थे; या 20 1961 का 43.
1957 का 27.

(ग) किसी व्यक्ति को किसी दिन में किया गया कोई भुगतान या भुगतानों का योग, बैंक खाते में आहरित आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट के अलावा, यदि—

(i) भुगतान या भुगतानों का योग धारा 59 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में है; 25

(ii) भुगतान या भुगतानों की कुल राशि बीस हजार से अधिक है-
रेत रूप; और

(iii) यह ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों में उपगत नहीं किया गया है, जैसा कि विहित किया जा सकता है;

(6) इस अध्याय में जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में "बीमित पूंजी राशि" से पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमित 30
घटना घटित होने पर पॉलिसी के तहत बीमित न्यूनतम राशि का तात्पर्य है, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में नहीं रखा गया है-

(i) लौटाए जाने के लिए सहमत किसी प्रीमियम का मूल्य; या

(ii) बीमित राशि के अतिरिक्त बोनस या अन्य किसी प्रकार का कोई लाभ,
जो पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाना है या प्राप्त किया जा सकता है। 35
सकल अवशिष्ट आय से कटौती.

III. आय का एकत्रीकरण

आय के शीर्ष के
अंतर्गत आय का
एकत्रीकरण।

60. (1) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी वित्तीय वर्ष के लिए आय शीर्ष के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक स्रोत से आय को एकत्रित किया जाएगा और इस प्रकार एकत्रित आय उस वित्तीय वर्ष के लिए उस शीर्ष से आय होगी। 40

(2) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक निवेश परिसंपत्ति के अंतरण से आय, जैसा कि धारा 49 के अंतर्गत संगणित है, एकत्रित की जाएगी और ऐसे एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत लाभ से आय होगी।

(3) पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय को पूर्ववर्ती अनवशोषित आय के साथ जोड़ा जाएगा।

वार्षिक पूंजीगत हानि, यदि कोई हो, को शामिल किया जाएगा और ऐसे एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत चालू आय होगी।

(4) यदि उप-धारा (3) के अंतर्गत एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम नकारात्मक है तो शीर्ष "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय को "शून्य" माना जाएगा और शुद्ध परिणाम का निरपेक्ष मूल्य वित्तीय वर्ष के लिए "अनवशोषित चालू पूंजी हानि" की राशि होगी।

5

(5) धारा 31 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सट्टा कारोबार से भिन्न प्रत्येक कारोबार से आय को एकत्रित किया जाएगा और इस प्रकार एकत्रित आय गैर-सट्टा कारोबार से आय होगी।

10

(6) प्रत्येक सट्टा कारोबार से आय को एकत्रित किया जाएगा और इस प्रकार एकत्रित आय सट्टा कारोबार से सकल आय होगी।

(7) सट्टा कारोबार से सकल आय को पूर्ववर्ती वर्ष की अवशोषित न की गई सट्टा हानि, यदि कोई हो, के साथ संयोजित किया जाएगा और ऐसे संयोजितकरण का शुद्ध परिणाम सट्टा कारोबार से आय होगी।

15

(8) सट्टा कारोबार से प्राप्त कुल राशि को शून्य माना जाएगा, यदि उप-धारा (7) में एकत्रीकरण का "शून्य" परिणाम नकारात्मक है और एकत्रीकरण के शुद्ध परिणाम का निरपेक्ष मूल्य वित्तीय वर्ष के लिए अनवशोषित चालू सट्टा हानि की राशि होगी।

(9) सट्टा कारोबार से आय और गैर-सट्टा कारोबार से आय का कुल योग सट्टा कारोबार से आय "कारोबार से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय होगी।

20

(10) घुड़दौड़ के प्रयोजन के लिए घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से प्राप्त आय को पिछले वर्ष की घुड़दौड़ की अनवशोषित हानि के साथ जोड़ा जाएगा और ऐसे एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम घुड़दौड़ के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से प्राप्त आय होगी और इसे "शून्य" माना जाएगा, यदि ऐसे एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम नकारात्मक है और शुद्ध परिणाम का निरपेक्ष मूल्य वित्तीय वर्ष के लिए अनवशोषित वर्तमान घुड़दौड़ हानि की राशि होगी।

25

(11) घुड़दौड़ के प्रयोजन के लिए घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से आय के अलावा, धारा 58 में निर्दिष्ट हर प्रकार की आय को घुड़दौड़ के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से आय के साथ जोड़ा जाएगा और इस प्रकार एकत्रित आय "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय होगी।

30

61. (1) साधारण स्रोतों से चालू आय निम्नलिखित का योग होगी-

साधारण आय का
एकत्रीकरण

(क) "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय;

35

(ख) "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय;

स्रोत.

(ग) "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय;

(घ) 'पूंजीगत लाभ' शीर्षक के अंतर्गत आय, और;

(ई) 'अवशिष्ट स्रोतों से आय' शीर्षक के अंतर्गत आय।

40

(2) साधारण स्रोतों से वर्तमान आय को साधारण स्रोतों से पूर्ववर्ती वर्ष की अनवशोषित हानि, यदि कोई हो, के साथ संयोजित किया जाएगा; तथा संयोजित करने का शुद्ध परिणाम वित्तीय वर्ष के लिए साधारण स्रोतों से सकल कुल आय होगी।

(3) वित्तीय वर्ष के लिए साधारण स्रोतों से सकल कुल आय को "शून्य" माना जाएगा यदि उप-धारा (2) के अधीन एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम नकारात्मक है; और शुद्ध परिणाम का निरपेक्ष मूल्य वित्तीय वर्ष के लिए साधारण स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि की राशि होगी।

45

आय का एकत्रीकरण

विशेष से
स्रोत.

62. (1) प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट विशेष स्रोत से आय वित्तीय वर्ष के लिए विशेष स्रोत से वर्तमान आय होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशेष स्रोत से चालू आय को विशेष स्रोत से पूर्ववर्ती वर्ष की अनवशोषित हानि, यदि कोई हो, के साथ संयोजित किया जाएगा; और इस प्रकार संयोजित आय वित्तीय वर्ष के लिए विशेष स्रोत से सकल कुल आय होगी।

5

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष स्रोत से सकल कुल आय ऋणात्मक है, ऐसी आय को "शून्य" माना जाएगा और शुद्ध परिणाम का निरपेक्ष मूल्य वित्तीय वर्ष के लिए विशेष स्रोत से अनवशोषित चालू हानि की राशि होगी।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन संगणित प्रत्येक विशेष स्रोत के संबंध में विशेष स्रोत से सकल कुल आय को एकत्रित किया जाएगा और एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम वित्तीय वर्ष के लिए विशेष स्रोतों से कुल आय होगा।

10

विशेष स्रोतों से आय का एकत्रीकरण।

कुल आय का निर्धारण.

63. किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी—

15

(ए - बी) + सी

कहाँ

A = वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य स्रोतों से सकल कुल आय;

बी = उप-अध्याय IV के अंतर्गत अनुमत कटौतियों की कुल राशि; तथा

C = वित्तीय वर्ष के लिए विशेष स्रोतों से कुल आय।

20

व्यवसाय
से संबंधित
विशेष प्रावधान

64. (1) किसी व्यवसाय पुनर्गठन में, या किसी कंपनी को सीमित में परिवर्तित करने पर धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (जे) में निर्दिष्ट देयता भागीदारी—

किसी कंपनी का पुनर्गठन
या सीमित देयता भागीदारी
में रूपांतरण।

(क) उस वित्तीय वर्ष के संबंध में, जिसमें कारबार पुनर्गठन या ऐसा परिवर्तन हुआ है, पूर्ववर्ती की सामान्य स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि को, उस वित्तीय वर्ष के संबंध में उत्तराधिकारी की सामान्य स्रोतों से पूर्ववर्ती वर्ष की अनवशोषित हानि माना जाएगा और धारा 61 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे; तथा

25

(ख) उस वित्तीय वर्ष के संबंध में, जिसमें कारबार पुनर्गठन या ऐसा परिवर्तन हुआ है, पूर्ववर्ती के विशेष स्रोत से अनवशोषित चालू हानि को, उस वित्तीय वर्ष के संबंध में उत्तराधिकारी के उस विशेष स्रोत से पूर्ववर्ती वर्ष की अनवशोषित हानि माना जाएगा और धारा 62 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

30

(2) उपधारा (1) के उपबंध व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में लागू नहीं होंगे यदि व्यवसाय पुनर्गठन में उत्तराधिकारी व्यवसाय की निरंतरता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, और—

35

(क) जहां पूर्ववर्ती एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था या अनिगमित निकाय है, और

(ख) एकमात्र स्वामी या भागीदार की शेषधारिता, जैसा भी मामला हो, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय उत्तराधिकारी कंपनी के शेषों के कुल मूल्य के पचास प्रतिशत से कम नहीं रह जाती है, जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन होता है।

40

(3) परिवर्तन के मामले में उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि कोई हो। धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (जे) में निर्दिष्ट शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है।

(4) उस वित्तीय वर्ष की कुल आय जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन या

उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवर्तन हुआ है, और सभी पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों के परिवर्तन, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार सुधारे जाएंगे मानो इस धारा के उपबंध उन वित्तीय वर्षों में कभी प्रभावी नहीं हुए थे, यदि इस धारा की उपधारा (2) या धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (जे) में विनिर्दिष्ट शर्तें उस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद के पांच वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय पूरी नहीं होती हैं जिसमें पुनर्गठन या परिवर्तन हुआ था।

5

65. (1) किसी भागीदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए धारा 61 की उपधारा (3) के अधीन गणना की गई साधारण स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि की रकम में से सेवानिवृत्त या मृत भागीदार के हिस्से के अनुपात में रकम कम कर दी जाएगी।

10

अनिगमित-नेट
निकाय के गठन में
परिवर्तन के
मामले में हानियों
का एकत्रीकरण।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार कम की गई रकम, धारा 61 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए भागीदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख के तुरंत बाद की तारीख से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए साधारण स्रोतों से पूर्ववर्ती वर्ष की अनवशोषित हानि होगी।

(3) किसी भागीदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए धारा 62 की उपधारा (3) के अधीन गणना की गई विशेष स्रोत से अनवशोषित चालू हानि की रकम में से सेवानिवृत्त या मृत भागीदार के हिस्से के अनुपात में रकम कम कर दी जाएगी।

15

(4) उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार कम की गई रकम, धारा 62 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए भागीदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख के तुरंत बाद की तारीख से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए "विशेष स्रोत से अनवशोषित पूर्ववर्ती वर्ष की हानि" होगी।

20

(5) इस धारा के उपबंध इस संहिता के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी लागू होंगे।

(6) इस संहिता में, किसी असंबद्ध निकाय के संबंध में साधारण स्रोतों से अनवशोषित पूर्ववर्ती वर्ष की हानि और विशेष स्रोतों से अनवशोषित पूर्ववर्ती वर्ष की हानि के प्रति किसी संदर्भ को, जहां उसके भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण उसके गठन में कोई परिवर्तन हुआ है, क्रमशः उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार कम की गई रकम के प्रति संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

25

66. (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी निकटस्थ कंपनी को सामान्य स्रोतों से किसी अनवशोषित पूर्ववर्ती वर्ष की हानि या विशेष स्रोतों से किसी अनवशोषित पूर्ववर्ती वर्ष की हानि को वित्तीय वर्ष की आय के साथ संयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह स्वामित्व की निरंतरता के परीक्षण को पूरा नहीं करती है।

30

कुछ मामलों में हानियों
का एकत्रीकरण

कम्पनियां.

(2) निकट धारित कंपनी उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्वामित्व की निरंतरता के परीक्षण को संतुष्ट करेगी, यदि कंपनी के शेयर, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित हैं, जो सुसंगत वित्तीय वर्ष से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन कम से कम इक्यावन प्रतिशत मताधिकार रखते हों, सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित हैं।

35

(3) उपधारा (2) के अधीन मताधिकार के प्रतिशत की गणना के प्रयोजनों के लिए,—

40

(क) किसी शेयरधारक की मृत्यु के कारण या दाता शेयरधारक के किसी रिश्तेदार को उपहार के रूप में शेयरों के हस्तांतरण के कारण प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में मतदान शक्ति में किसी भी परिवर्तन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा;

(ख) किसी भारतीय कंपनी की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन, जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी है।

किसी विदेशी कंपनी के समामेलन या विभाजन के परिणामस्वरूप किसी विदेशी कंपनी में विलय होने पर, उस ...

नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने की स्थिति में हानि का एकत्रीकरण नहीं किया जाएगा।

67. इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की विवरणी नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं की जाती है और यदि उक्त वित्तीय वर्ष की साधारण स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि, अनवशोषित चालू पूंजी हानि, अनवशोषित चालू सट्टा हानि, अनवशोषित चालू घुड़दौड़ हानि और विशेष स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि की राशि तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समतुल्य राशि से अधिक है, तो उस वर्ष में ऐसी क्रमशः अधिकता को किसी भी पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए इस संहिता के किसी भी प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

5

10

IV - कर प्रोत्साहन

साधारण करों से सकल कुल आय में कटौती

68. (1) किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के लिए उसकी "साधारण स्रोतों से सकल कुल आय" में से इस उप-अध्याय में विनिर्दिष्ट कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी।

स्रोत.

(2) इस उप-अध्याय के अंतर्गत कटौतियों की कुल राशि वित्तीय वर्ष के लिए 'साधारण स्रोतों से सकल कुल आय' से अधिक नहीं होगी।

15

(3) कोई भी राशि, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में इस उप-अध्याय के तहत कटौती के लिए योग्य है वर्ष, कटौती के लिए योग्य नहीं होगा-

(क) इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत उसी या किसी अन्य वित्तीय वर्ष; या

20

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में।

(4) उपधारा (3) के प्रावधान लागू होंगे चाहे राशि की पूर्ण कटौती हो इसमें उल्लिखित किसी भी प्रस्ताव को अनुमति दी गई है या नहीं।

1925 का 19.

कटौती बचत.

69. (1) किसी व्यक्ति को, जो एक व्यष्टि है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के संबंध में बचत के लिए एक लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

25

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि वह राशि होगी जो व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में किसी अनुमोदित निधि में से अपने अंशदान के रूप में उस व्यक्ति, उसके पति या पत्नी या ऐसे व्यक्ति के किसी बच्चे के खाते में जमा की जाएगी।—

जीवन बीमा से कटौती.

70. (1) किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित कुटुंब है, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए भुगतान की गई या जमा की गई किसी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी।

30

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा ऐसा बीमा होगा, जिसमें पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम बीमित पूंजी राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

35

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति-

(क) व्यक्ति, पति या पत्नी या ऐसे व्यक्ति का कोई बच्चा; और

(ख) हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में, ऐसे परिवार का कोई सदस्य।

स्वास्थ्य बीमा के लिए कटौती

71. (1) किसी व्यक्ति को, जो एक वैयक्तिक या हिन्दू अविभाजित परिवार है, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी,

40

ऐस.

या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बीमा लागू रखना और इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति के मामले में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में किया गया कोई अंशदान।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति-

5 (ए) व्यक्ति, पति या पत्नी, या ऐसे किसी आश्रित बच्चे या माता-पिता व्यक्तिगत; और

(ख) हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में, ऐसे परिवार का कोई सदस्य।

(3) इस धारा के अंतर्गत बीमा का तात्पर्य स्वास्थ्य बीमा योजना से है, जो निम्नलिखित द्वारा बनाई गई है: कोई भी बीमाकर्ता जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो।

10 72. (1) किसी व्यक्ति को, जो एक वैयक्तिक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में कटौती, यदि राशि का भुगतान किया जाता है -

शिक्षा के लिए कटौती

(क) किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान को ट्यूशन फीस के रूप में- भारत में स्थित किसी भी राज्य का नागरिक; तथा

बच्चे।

(ख) ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के किन्हीं दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के प्रयोजनार्थ।

15

(2) इस धारा में-

(क) शिक्षण शुल्क में किसी भी विकास शुल्क के लिए कोई भुगतान शामिल नहीं होगा दान या इसी प्रकार का कोई भुगतान;

(ख) पूर्णकालिक शिक्षा में प्ले स्कूल या प्री-स्कूल में शिक्षा शामिल होगी।

20

73. धारा 70, 71 और 72 के अंतर्गत कटौतियों की कुल राशि पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

धारा 70 के अंतर्गत कटौती की सीमा,

71 और 72.

74. (1) किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है, किसी गृह संपत्ति के अर्जन, निर्माण, मरम्मत या नवीकरण के प्रयोजनार्थ लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई या देय किसी राशि के संबंध में उस वित्तीय वर्ष में जिसमें ऐसी संपत्ति अर्जित या निर्मित की गई हो या किसी पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में कटौती की अनुमति दी जाएगी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए।

मकान के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज में कटौती

25

संपत्ति।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि—

(क) गृह संपत्ति उस व्यक्ति के स्वामित्व में है और वित्तीय वर्ष के दौरान उसे किराये पर नहीं दिया गया है;

30

(ख) गृह संपत्ति का अधिग्रहण या निर्माण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाता है जिसमें ऋण लिया गया था; तथा

(ग) व्यक्ति उस वित्तीय संस्था से प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है, जिसे ऋण पर ब्याज दिया गया है या देय है।

35

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज, जो उस वित्तीय वर्ष से पूर्व की अवधि से संबंधित है जिसमें गृह संपत्ति अर्जित या निर्मित की गई है, ऐसे वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होकर पांच बराबर किस्तों में कटौती के रूप में दी जाएगी।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट ब्याज में से उसका कोई भाग घटा दिया जाएगा।

जिसे इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है।

40

(5) इस धारा के अंतर्गत कटौती की राशि एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। हजार रुपए.

उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज में कटौती।

75. (1) किसी व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति है, किसी वित्तीय संस्था से उसके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी, जिसका प्रयोजन इस प्रकार है-

(क) अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना; या (ख) अपने

रिश्तेदारों की उच्च शिक्षा प्राप्त करना।

5

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती आरंभिक वित्तीय वर्ष में तथा आरंभिक वित्तीय वर्ष के ठीक बाद के सात वित्तीय वर्षों में या जब तक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज का व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान नहीं कर दिया जाता है, जो भी पहले हो, अनुज्ञात की जाएगी।

(3) इस धारा में-

(क) "वित्तीय संस्था" से तात्पर्य बैंकिंग कंपनी या किसी अन्य वित्तीय संस्था से है।

10

वह शिक्षण, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "उच्चतर शिक्षा" से तात्पर्य किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपनाई जाने वाली कोई पाठ्यक्रम है, जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार या सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

15

(ग) "प्रारंभिक वित्तीय वर्ष" से वह वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति ऋण पर ब्याज का भुगतान करना प्रारंभ करता है;

(घ) "रिश्तेदार" से तात्पर्य है-

(i) व्यक्ति का जीवनसाथी;

(ii) व्यक्ति का बच्चा; या

20

(iii) ऐसा छात्र जिसके लिए वह व्यक्ति कानूनी अभिभावक है।

कटौती चिकित्सा उपचार, आदि.

76. (1) किसी व्यक्ति को, जो निवासी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार हो, किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की निर्धारित बीमारी या व्याधि के चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती की रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-

25

(क) साठ हजार रुपए, यदि यह राशि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक है, के संबंध में दी जाती है; तथा

(ख) किसी अन्य मामले में चालीस हजार रुपए।

(3) इस धारा के अंतर्गत कटौती में से, निर्दिष्ट व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के लिए बीमाकर्ता से बीमा के अंतर्गत प्राप्त राशि, यदि कोई हो, या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि घटा दी जाएगी।

30

(4) इस धारा के अंतर्गत कटौती तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि व्यक्ति किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत विशेषज्ञ से ऐसे प्ररूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(5) इस धारा में,—

35

(क) "निर्दिष्ट व्यक्ति" से तात्पर्य है-

(i) व्यक्ति;

(ii) व्यक्ति का जीवनसाथी;

(iii) व्यक्ति का कोई आश्रित बच्चा;

(iv) व्यक्ति के आश्रित माता-पिता; तथा

40

(v) हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य;

(ख) "सरकारी अस्पताल" में निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार के लिए सरकार के किसी विभाग द्वारा स्थापित और संचालित औषधालय;

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल; और

5 (iii) कोई अन्य अस्पताल जिसके साथ सरकार ने अपने कर्मचारियों के उपचार के लिए समझौता किया हो।

77. (1) किसी व्यक्ति को, निवासी व्यक्ति होने के नाते, एक राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी
उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए।

कटौती
एक विकलांग व्यक्ति.

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती की रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-

10 (क) एक लाख रुपए, यदि वह गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति है;

(ख) पचास हजार रुपए, यदि वह दिव्यांग व्यक्ति है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी दी जाएगी यदि व्यक्ति किसी चिकित्सा प्राधिकारी से ऐसे प्ररूप और तरीके से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जैसा कि विहित किया जाए और यह प्रमाण पत्र सुसंगत वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान वैध रहता है।

15 78. (1) किसी व्यक्ति को, जो निवासी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार हो, निम्नलिखित के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी-

चिकित्सा के लिए कटौती

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान चिकित्सा उपचार पर किया गया कोई व्यय,
विकलांग आश्रित व्यक्ति की देखभाल या प्रशिक्षण एवं पुनर्वास; या

विकलांग आश्रित
व्यक्ति का उपचार
और भरण-पोषण।

20 (ख) किसी आश्रित दिव्यांग व्यक्ति के भरण-पोषण के लिए किसी बीमाकर्ता द्वारा तैयार की गई तथा इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई या जमा की गई कोई राशि।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-

(क) एक लाख रुपए, यदि आश्रित गंभीर विकलांगता वाला व्यक्ति है; या

(ख) पचास हजार रुपए, यदि आश्रित विकलांग व्यक्ति है।

25 (3) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी, यदि इसमें निर्दिष्ट योजना में विकलांग व्यक्ति के आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान है, उस व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में जिसके नाम पर योजना में सदस्यता की गई है।

30 (4) इस धारा के अधीन कटौती की अनुमति तभी दी जाएगी, जब इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाला व्यक्ति, किसी चिकित्सा प्राधिकारी से ऐसे प्ररूप और तरीके से, जैसा कि विहित किया जाए, प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले और वह प्रमाण-पत्र सुसंगत वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान वैध रहे।

35 (5) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट योजना के अन्तर्गत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई रकम, उसके आश्रित दिव्यांग व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, उस वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्ति की आय मानी जाएगी, जिसमें रकम उसके द्वारा प्राप्त की गई है।

(6) इस धारा में, "आश्रित" से व्यक्ति का पति या पत्नी, कोई बच्चा या माता-पिता, या हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य अभिप्रेत है, यदि-

40 (i) वह अपने भरण-पोषण के लिए मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार पर आश्रित है, तथा

(ii) वित्तीय वर्ष में उसकी आय चौबीस हजार रुपए से कम है।

कुछ नियमों या गैर-लाभकारी संगठनों को दिए गए अंशदान या दान में कटौती।

79. (1) किसी व्यक्ति को निम्नलिखित की कटौती की अनुमति दी जाएगी-

(क) उसके द्वारा वित्तीय वर्ष में सोलहवीं अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अंशदान या दान के रूप में दी गई धनराशि का एक सौ पचहत्तर प्रतिशत;

(ख) उसके द्वारा वित्तीय वर्ष में सोलहवीं अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अंशदान या दान के रूप में दी गई धनराशि का एक सौ पच्चीस प्रतिशत; 5

(ग) वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा भुगतान की गई धनराशि का सौ प्रतिशत सोलहवीं अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को दान के रूप में प्रति वर्ष;

(घ) वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा सोलहवीं अनुसूची के भाग 4 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को दान के रूप में वास्तव में दी गई धनराशि की कुल राशि का पचास प्रतिशत। 10

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट धनराशि का योग साधारण स्रोतों से सकल कुल आय के दस प्रतिशत तक सीमित होगा, यदि योग साधारण स्रोतों से सकल कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक हो। 15

(3) इस धारा के अंतर्गत किसी भी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को भुगतान किया गया धन, यदि—

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि किसी धार्मिक गतिविधि के लिए निर्धारित या व्यय की जाती है; या

(ख) दान प्राप्तकर्ता की कोई गतिविधि किसी विशेष जाति के लिए अभिप्रेत है या वास्तव में उसे लाभ पहुंचाती है, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं है। 20

(4) सोलहवीं अनुसूची के भाग 4 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किया गया दान उपधारा (1) के अधीन कटौती के लिए पात्र होगा, यदि दानकर्ता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जा सके, विहित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लेता है। 25

(5) उपधारा (1) के अधीन कटौती से किसी दानकर्ता को केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि दान के पश्चात् आदाता, जो गैर-लाभकारी संगठन है, अब ऐसा नहीं रह गया है।

भुगतान किये गये किराये के लिए कटौती।

80. (1) किसी व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति है और किसी भी मकान किराया भत्ते की प्राप्ति नहीं कर रहा है, अपने स्वयं के निवास के लिए उसके द्वारा अधिगृहीत किसी सुसज्जित या असज्जित आवास के संबंध में किराए के भुगतान के लिए साधारण स्रोतों से उसकी सकल कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक के किसी भी व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी। 30

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती अधिकतम दो हजार रुपए प्रति माह तक अनुज्ञात की जाएगी और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगी, जो उस क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएं, जिसमें आवास स्थित है। 35

(3) इस धारा के उपबंध किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे यदि कोई निवास-स्थल उसके या उसके पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे के स्वामित्व में उस स्थान पर है जहां वह सामान्यतः निवास करता है या अपने पद या नियोजन के कर्तव्यों का पालन करता है या अपना कारोबार करता है।

कटौती राजनीतिक योगदान।

81. (1) किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी अंशदान के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी।
वित्तीय वर्ष में उसे किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दान कर दिया जा सकता है। 40

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी-

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 349 और धारा 350 के प्रावधानों के अनुसार तीन तत्काल वर्षों के दौरान निर्धारित शुद्ध लाभ का औसत

किसी कंपनी के मामले में, पिछले वित्तीय वर्षों में; तथा

(ख) किसी अन्य मामले में, "सामान्य स्रोतों से सकल कुल आय"।

(3) इस धारा में, शब्द "योगदान", इसके व्याकरणिक रूपान्तरण के साथ, इसका वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293ए के अंतर्गत दिया गया है।

1956 का 1

5 82. (1) किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी, यदि ऐसी राशि साधारण स्रोतों से सकल कुल आय में सम्मिलित है।

निवेशक संरक्षण निधि की आय में कटौती।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज तथा उसके सदस्यों से प्राप्त अंशदान होगी।

10 (3) उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि—

(क) वह व्यक्ति संयुक्त रूप से या अलग से स्थापित निवेशक संरक्षण निधि है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा; तथा

(ख) ऐसे निवेशक संरक्षण कोष को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

15 83. (1) किसी व्यक्ति को, निवासी व्यक्ति होने के नाते, उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी आय के संबंध में उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट रकम की कटौती की अनुमति दी जाएगी, यदि ऐसी आय साधारण स्रोतों से उसकी सकल कुल आय में सम्मिलित की जाती है।

लेखकों की रॉयल्टी आय में कटौती।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती उस व्यक्ति को दी जाएगी, यदि वह किसी ऐसी पुस्तक का लेखक है जो साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की कृति है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय लेखक द्वारा निम्नलिखित रूप में प्राप्त कोई आय होगी— 20

(क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट पुस्तक के कॉपीराइट में अपने किसी हित के समनुदेशन या अनुदान के लिए एकमुश्त प्रतिफल; या

(ख) उपधारा (2) में निर्दिष्ट पुस्तक के संबंध में रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस (चाहे एकमुश्त या अन्यथा प्राप्य हो)।

25 (4) उपधारा (1) के अंतर्गत कटौती की राशि आय की राशि होगी उपधारा (3) में निर्दिष्ट सीमा तक तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

(5) इस धारा में, "पुस्तकों" में ब्रोशर, टिप्पणियां, डायरियां, मार्गदर्शिकाएं, जर्नल, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तिकाएं, ट्रैक्ट और इसी प्रकार के अन्य प्रकाशन, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, शामिल नहीं होंगे।

30 84. (1) किसी व्यक्ति को, जो निवासी व्यक्ति और पेटेंटधारक है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आय के संबंध में उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रकम की कटौती की अनुमति दी जाएगी, यदि ऐसी आय उसकी 'साधारण स्रोतों से सकल कुल आय' में सम्मिलित है।

पेटेंट पर रॉयल्टी की कटौती।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय, पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधिनियम 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात पंजीकृत पेटेंट के संबंध में रॉयल्टी के रूप में व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई आय होगी। 35

1970 का 39.

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती की रकम उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय की रकम होगी, उस सीमा तक कि वह पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन नियंत्रक द्वारा तय लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों के अधीन स्वीकार्य रॉयल्टी की रकम से अधिक न हो, यदि उस अधिनियम के अधीन किसी पेटेंट के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस दिया जाता है, तो तीन लाख रुपए, जो भी कम हो।

1970 का 39.

40

(4) इस धारा में,-

- (क) "पेटेंट" से तात्पर्य ऐसे पेटेंट से है (जिसमें अतिरिक्त पेटेंट भी शामिल है) जो इसके अंतर्गत प्रदान किया गया हो।
पेटेंट अधिनियम, 1970; 1970 का 39.
- (ख) "पेटेंटधारी" का अर्थ है वह व्यक्ति, जो आविष्कार का सच्चा और पहला आविष्कारक है, जिसका नाम पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार पेटेंटधारी के रूप में पेटेंट रजिस्टर में दर्ज है, और इसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति शामिल है, जो आविष्कार का सच्चा और पहला आविष्कारक है, जहां उस अधिनियम के तहत एक से अधिक व्यक्ति पेटेंटधारी के रूप में पंजीकृत हैं। 5 1970 का 39.
- उस पेटेंट के संबंध में कार्य करना;
- (ग) "अतिरिक्त पेटेंट" का वही अर्थ होगा जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क्यू) में है; 1970 का 39.
- (घ) "पेटेंट प्राप्त वस्तु" और "पेटेंट प्रक्रिया" के वही अर्थ होंगे जो उन्हें पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ओ) में दिए गए हैं; 10 1970 का 39.
- (ई) पेटेंट के संबंध में "रॉयल्टी" का अर्थ है प्रतिफल (जिसमें कोई एकमुश्त प्रतिफल शामिल है, लेकिन ऐसा प्रतिफल शामिल नहीं है जो "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तकर्ता की आय होगी या पेटेंट प्रक्रिया के उपयोग से निर्मित उत्पाद या वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेटेंट वस्तु की बिक्री के लिए प्रतिफल होगा) - 15
- (i) किसी पेटेंट के संबंध में सभी या किसी अधिकार का हस्तांतरण (लाइसेंस प्रदान करना भी शामिल है); या
- (ii) किसी पेटेंट के संचालन या उपयोग से संबंधित कोई जानकारी प्रदान करना; या 20
- (iii) किसी पेटेंट का उपयोग;
- (च) "सच्चे और प्रथम आविष्कारक" का वही अर्थ होगा जो पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (वाई) में दिया गया है। पेटेंट पर रॉयल्टी की कटौती। 25 1970 का 39.
85. (1) किसी व्यक्ति को, जो प्राथमिक सहकारी समिति है, अपने सदस्यों को बैंकिंग या ऋण सुविधा प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त लाभ की सीमा तक कटौती की अनुमति दी जाएगी।
- (2) इस धारा में "प्राथमिक सहकारी समिति" से तात्पर्य है-
- (क) अधिनियम के भाग V के अर्थ में एक "प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी" 30 1949 का 10.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; या
- (ख) एक "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक", जिसका- (i) परिचालन क्षेत्र एक तालुका तक सीमित है; और (ii) जो मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने में लगा हुआ है। 35
86. (1) किसी व्यक्ति को, जो प्राथमिक सहकारी समिति है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल रकम के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम निम्नलिखित होगी-
- (क) कृषि या कृषि-संबंधी गतिविधियों से प्राप्त लाभ की राशि; और 40
- (ख) किसी अन्य गतिविधि से प्राप्त आय की राशि, जो एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
- (3) इस धारा में,—
- (क) "कृषि-संबंधी गतिविधियों" से निम्नलिखित गतिविधियां अभिप्रेत हैं, अर्थात्: - (i) कृषि उपकरण, बीज, पशुधन या अन्य वस्तुओं की खरीद 45

बैंकिंग गतिविधियों से सहकारी समिति की आय की कटौती।

प्राथमिक सहकारी समितियों की आय में कटौती।

अपने सदस्यों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से कृषि के लिए अभिप्रेत;

(ii) सामूहिक निपटान-

(ए) अपने सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज; या

(बी) अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित डेयरी या पोल्ट्री उत्पाद; और

5

(iii) मछली पकड़ना या उससे संबंधित गतिविधियां, अर्थात् मछली पकड़ना, उसका उपचार करना, प्रसंस्करण करना, परिरक्षण करना, भंडारण करना या विपणन करना या अपने सदस्यों को आपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ उससे संबंधित सामग्री और उपकरण खरीदना;

10

(ख) "प्राथमिक सहकारी समिति" से ऐसी सहकारी समिति अभिप्रेत है जिसके नियम और उपनियम कृषि या कृषि-संबंधी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों तक मताधिकार को प्रतिबंधित करते हैं।

V. खातों का रखरखाव और अन्य संबंधित मामले

15

87. (1) प्रत्येक व्यक्ति ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज रखेगा और उनका रखरखाव करेगा, जो मूल्यांकन अधिकारी को इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने में सक्षम बना सकें।

खातों का रखरखाव.

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन किया है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इसके संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज बनाए रखें, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित होगा, अर्थात्:—

20

(क) कोई भी व्यक्ति जो कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला संबंधी पेशा या लेखा, तकनीकी परामर्श, आंतरिक सज्जा का पेशा या बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पेशा करता हो;

(ख) कोई अन्य व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है, यदि—

(i) व्यवसाय से उसकी आय दो लाख रुपए से अधिक है; (ii) व्यवसाय में उसकी कुल

25

आवर्त या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष से तुरंत पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में दस लाख रुपए से अधिक है; या

30

(iii) व्यवसाय किसी वित्तीय वर्ष में नव स्थापित किया गया है, व्यवसाय से उसकी आय दो लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है या व्यवसाय में उसका कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान दस लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा बहियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:—

(क) रोकड़ बही; (ख)

जर्नल, यदि खातों का रखरखाव व्यापारिक लेखांकन प्रणाली के अनुसार किया जाता है;

35

(ग) खाता बही;

(घ) व्यापारिक परिसंपत्ति की दैनिक सूची का रजिस्टर; (ङ) व्यक्ति द्वारा जारी किए

गए क्रम संख्या वाले बिलों की प्रतियां, यदि बिल का मूल्य दो सौ रुपए से अधिक है;

40

(च) यदि बिल का मूल्य दो सौ रुपए से अधिक है, तो उस व्यक्ति द्वारा जारी की गई क्रम संख्या वाली रसीदों की प्रतियां या प्रतिपुर्ण;

(छ) निम्नलिखित में व्यय के संबंध में व्यक्ति को जारी किए गए मूल बिल या रसीदें- यदि व्यय की राशि दो सौ रुपये से अधिक है, तो उसके द्वारा किया गया व्यय;

(ज) व्यय के संबंध में व्यक्ति द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित भुगतान वाउचर-

यदि ऐसे व्यय के लिए कोई बिल या रसीद नहीं है तो अधिकतम दो सौ रूपए की राशि देय होगी।

(5) किसी व्यक्ति को जारी किए गए बिल या रसीद में उसका नाम, पता और अन्य विवरण दिए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए।

(6) बोर्ड, किसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित विहित कर सकेगा-

(क) रखी और रखी जाने वाली कोई अन्य लेखा पुस्तकें और दस्तावेज; (ख) लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां; और (ग) वह प्ररूप और तरीका तथा वह स्थान जहां लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज रखे और रखे जाएंगे।

(7) बोर्ड वह अवधि निर्धारित कर सकता है जिसके लिए लेखा पुस्तकें और अन्य इस धारा के अंतर्गत रखे जाने और अनुरक्षित किए जाने वाले दस्तावेजों को बरकरार रखा जाएगा। खाते का रखरखाव.

(8) उपधारा (2) में निर्दिष्ट "अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार" का वही अर्थ होगा जो धारा 124 के खंड (17) में है।

का
लेखापरीक्षा खाते और

88. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 87 के अधीन लेखा पुस्तकें रखने और उनका रखरखाव करने की आवश्यकता है, वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की लेखापरीक्षा कराएगा - अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की रिपोर्टिंग।

(क) जहां व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा है, उस व्यवसाय की सकल प्राप्तियां वित्तीय वर्ष में पच्चीस लाख रूपए से अधिक हैं;

(ख) जहां व्यक्ति कोई कारोबार कर रहा है, वहां कारोबार का कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां, जैसी भी स्थिति हो, वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रूपए से अधिक है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखाओं की लेखापरीक्षा एक लेखाकार द्वारा की जाएगी और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट नियत तारीख से पूर्व प्राप्त की जाएगी।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में ऐसे लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित की जाएगी तथा उसमें ऐसे विवरण दिए जाएंगे, जो निर्धारित किए जाएं।

(4) उपधारा (1) के प्रावधान उस कारोबार पर लागू नहीं होंगे, जहां-
वहां से आने वाली आय का निर्धारण चौदहवीं अनुसूची के पैराग्राफ 1 के तहत किया जाता है।

(5) किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन किया है, यदि वह व्यक्ति-

(क) किसी अन्य के अधीन या उसके द्वारा अपेक्षित रूप से अपने व्यवसाय के खातों का लेखा-परीक्षण करवाता है।
वर्तमान में लागू कानून को नियत तिथि से पहले निरस्त कर दिया जाएगा; तथा

(ख) अन्य कानून के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियत तिथि तक प्राप्त कर लेता है।
और उपधारा (3) के अधीन निर्धारित प्रपत्र में लेखाकार द्वारा एक और रिपोर्ट।

(6) धारा 87 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की रिपोर्ट धारा 314 के खंड (86) के उपखंड (ग) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट रिपोर्ट लेखाकार से ऐसे प्ररूप में, विधिवत् हस्ताक्षरित तथा ऐसी रीति से सत्यापित प्राप्त की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

लेखांकन की विधि.

89. (1) "व्यवसाय से आय" या "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रभाय आय की गणना, इस धारा में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से नियोजित नकद या व्यापारिक लेखांकन प्रणाली के अनुसार की जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर किसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा या किसी वर्ग की आय के संबंध में अनुपालन किए जाने वाले लेखांकन मानकों को अधिसूचित कर सकेगी।

(3) क्रय की गई वस्तुओं और मालसूची का मूल्यांकन, निर्धारण के प्रयोजनों के लिए "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय होगी—

(क) व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली लेखा पद्धति के अनुसार; तथा

5 (ख) इसमें किसी भी कर, शुल्क, उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) की राशि को शामिल करने के लिए समायोजित किया जाएगा, जो व्यक्ति द्वारा माल को उसके मूल्यांकन की तिथि पर उसके स्थान और स्थिति तक लाने के लिए वास्तव में भुगतान किया गया हो या वहन किया गया हो।

(4) "कारोबार से आय" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए माल की बिक्री का मूल्य निर्धारित किया जाएगा-

10 (क) व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली लेखा पद्धति के अनुसार; तथा

(ख) किसी भी कर, शुल्क, उपकर या फीस की राशि को शामिल करने के लिए आगे समायोजित किया गया (चाहे नाम कुछ भी हो) माल की बिक्री पर लगाया जाएगा।

15 (5) किसी वित्तीय संस्था के अशोध्य या संदिग्ध ऋणों पर ब्याज उस वित्तीय वर्ष की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा जिसमें ब्याज वित्तीय संस्था के लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है या वित्तीय संस्था द्वारा वास्तव में प्राप्त किया जाता है, जो भी पहले हो।

(6) किसी व्यक्ति द्वारा मुआवजे या बढ़ाए गए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज उस वित्तीय वर्ष की कुल आय में शामिल किया जाएगा जिसमें वह प्राप्त हुआ है।

(7) इस धारा में,—

20 (क) किसी भी कानून के तहत किसी भी कर, शुल्क, उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) में ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार के बावजूद ऐसा सभी भुगतान शामिल होगा;

(ख) "अशोध्य या संदिग्ध ऋण" ऐसे ऋण होंगे, जो ऐसे ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, विहित किए जा सकते हैं।

25

अध्याय 4

गैर-लाभकारी संस्थाओं की कुल आय की गणना से संबंधित विशेष प्रावधान

organizations-

30 90. (1) इस अध्याय के प्रावधान किसी गैर-लाभकारी संगठन पर लागू होंगे, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी सार्वजनिक महत्व के संगठन को छोड़कर।

इस अध्याय की प्रयोज्यता।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, किसी व्यक्ति को सातवीं अनुसूची के प्रयोजन के लिए लोक महत्व के गैर-लाभकारी संगठन के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

35 (3) धारा 95, धारा 97, धारा 98, धारा 99, धारा 101, धारा 102 और धारा 103 के अलावा इस अध्याय के प्रावधान किसी गैर-लाभकारी संगठन पर लागू नहीं होंगे, जो सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट या संस्था है।

91. किसी गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय की गणना इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

एक गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय.

40 92. (1) धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी गैर-लाभकारी संगठन की किसी धर्मार्थ गतिविधि के संबंध में कुल आय, वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखांकन की नकद प्रणाली के अनुसार संगणित, व्यय की राशि को घटाकर सकल प्राप्तियां होगी।

एक गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय की गणना।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी गैर-लाभकारी संस्था की कुल आय

किसी संगठन, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत किसी धर्मार्थ गतिविधि के संबंध में पंजीकृत कंपनी है, को वित्तीय वर्ष के दौरान सकल प्राप्तियों में से व्यय की राशि घटाकर प्राप्त की जाएगी, जिसकी गणना लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के अनुसार की जाएगी।

एक गैर-लाभकारी संगठन की सकल प्राप्तियां।

93. (1) किसी भी धर्मार्थ गतिविधि से सकल प्राप्तियां निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात्: - 5

(क) प्राप्त स्वैच्छिक योगदान की राशि; (ख) गैर-लाभकारी संगठन द्वारा धारित

संपत्ति के संबंध में प्राप्त कोई किराया

जिसमें उससे संबंधित कोई भवन या भूमि शामिल हो;

(ग) गैर-लाभकारी संस्था द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय से प्राप्त आय की राशि 10

संगठन, यदि व्यवसाय किसी धर्मार्थ गतिविधि से संबद्ध है;

(घ) धारा 46 से 54 (दोनों सम्मिलित) के प्रावधानों के अनुसार संगणित किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय, जहां परिसंपत्ति का उपयोग किसी धर्मार्थ गतिविधि या ऐसी धर्मार्थ गतिविधि से संबंधित किसी व्यवसाय के लिए नहीं किया जाता है; (ङ) खंड (घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्ति के अलावा किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ; 15

(च) अपने निधियों या परिसंपत्तियों के निवेश से प्राप्त आय की राशि; (छ) किसी भी स्रोत से प्राप्त किसी भी

आवक, वसूली, आय या सदस्यता की राशि; तथा 20

(ज) कोई राशि, जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में प्राप्त हुई थी और धारा 94 के खंड (ई) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट जमा खाते में जमा की गई थी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सकल प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे-

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान लिया गया कोई ऋण; और (ख) इस विशिष्ट 25

निर्देश के साथ प्राप्त स्वैच्छिक योगदान कि वे गैर-लाभकारी संगठन के कोष का हिस्सा बनेंगे।

एक गैर-लाभकारी संगठन के व्यय.

94. कुल आय की गणना के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की राशि निम्नलिखित का योग होगी-

(क) किसी व्यय के लिए भुगतान की गई राशि, जो पूंजीगत व्यय नहीं है, तथा जो पूर्णतः और अनन्य रूप से धारा 93 30 में निर्दिष्ट किसी प्राप्ति को अर्जित करने या प्राप्त करने के लिए उपगत की गई है;

(ख) किसी धर्मार्थ गतिविधि के प्रयोजनार्थ किए गए किसी व्यय के लिए भुगतान की गई राशि;

(ग) किसी व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजीगत व्यय के लिए भुगतान की गई राशि, यदि व्यवसाय गैर-लाभकारी संगठन द्वारा की जाने वाली किसी धर्मार्थ गतिविधि से संबद्ध है; 35

(घ) भारत के बाहर लागू की गई कोई राशि, यदि-

(i) राशि का उपयोग किसी ऐसे कार्यकलाप के लिए किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देता हो जिसमें भारत की रुचि हो; तथा

(ii) गैर-लाभकारी संगठन को इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है; 40

(ई) कोई राशि जो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान प्राप्त की गई है और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन या उससे पहले ऐसी जमा खाता योजना के तहत निर्दिष्ट जमा खाते में जमा की गई है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; और

(च) किसी धर्मार्थ कार्यकलाप को चलाने के लिए संचित या अलग रखी गई कोई राशि - (i) कुल आय के पंद्रह प्रतिशत तक (इस खंड के प्रावधानों को प्रभावी करने से पहले) या सकल प्राप्तियों के दस प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो; और

(ii) धारा 95 में विनिर्दिष्ट तरीकों से, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निवेशित या जमा किया गया हो।

95. (1) धारा (च) में निर्दिष्ट धन का निवेश या जमा करने के तरीके।
धारा 94 के प्रावधान निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

इन-
वस्त्राभूषण.

(i) डाकघर बचत बैंक के किसी खाते में जमा; (ii) अनुसूचित बैंक के किसी खाते में जमा; (iii) केन्द्र

सरकार या किसी अन्य सरकारी बैंक द्वारा जारी किसी प्रतिभूति में निवेश।

राज्य सरकार;

(iv) किसी कंपनी या निगम द्वारा जारी डिबेंचर में निवेश,
केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत;

(v) किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में निवेश या जमा; (vi) अचल संपत्ति में निवेश; या

(vii) निवेश या जमा का कोई अन्य तरीका, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) गैर-लाभकारी संगठन की निधियों या आस्तियों (1 जून, 1973 को उसके कोष का भाग बनने वाली किसी भी आस्तियों को छोड़कर) को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से निवेशित या धारण किया जा सकेगा।

20

96. (1) धारा 94 के खंड (एफ) में निर्दिष्ट कोई राशि गैर-लाभकारी संगठन की आय मानी जाएगी, यदि वह राशि-

एक गैर-लाभकारी
संगठन की मानी गई आय।

(क) उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता जिसके लिए इसे संचित या अलग रखा गया था
उसमें निर्दिष्ट अवधि के दौरान; या

(ख) धारा 95 में विनिर्दिष्ट किसी भी तरीके से निवेशित या जमा रहना बंद हो जाता है।

(2) इस धारा में, राशि वित्तीय वर्ष की आय मानी जाएगी-

(क) किसी मामले में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद
उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ; या

(ख) जिसमें राशि किसी मामले में निवेशित या जमा रहना बंद हो जाती है
उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले।

97. (1) गैर-लाभकारी संगठन की निधियों या परिसंपत्तियों का उपयोग या अनुप्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।

इच्छुक व्यक्तियों के लाभ
के लिए निधियों या
परिसंपत्तियों का उपयोग या
अनुप्रयोग

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, गैर-लाभकारी संगठन की निधियों या आस्तियों को किसी हितबद्ध व्यक्ति के लाभ के लिए उपयोग या प्रयुक्त किया गया माना जाएगा, यदि—

व्यक्ति।

(क) गैर-लाभकारी संगठन की निधियां या परिसंपत्तियां किसी भी इच्छुक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए, पर्याप्त सुरक्षा या पर्याप्त ब्याज या दोनों के बिना उधार दी जाती हैं, या दी जाती रहती हैं;

(ख) गैर-लाभकारी संगठन की भूमि, भवन या अन्य परिसंपत्ति, किसी भी इच्छुक व्यक्ति के उपयोग के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए, पर्याप्त किराया या अन्य मुआवजा लिए बिना, उपलब्ध कराई जाती है या उपलब्ध कराई जाती रहती है;

(ग) अवधि के दौरान वेतन, भत्ते या अन्य रूप में कोई राशि दी जाती है।

40

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी इच्छुक व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा ऐसे संगठन को प्रदान की गई सेवाओं के लिए गैर-लाभकारी संगठन के संसाधनों में से भुगतान किया जाता है और इस प्रकार भुगतान की गई राशि ऐसी सेवाओं के लिए उचित रूप से भुगतान की जा सकने वाली राशि से अधिक है;

(घ) गैर-लाभकारी संगठन की सेवाएं किसी भी इच्छुक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त पारिश्रमिक या अन्य प्रतिपूर्ति के बिना उपलब्ध कराई जाती हैं;

5

(ई) किसी गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से किसी भी इच्छुक व्यक्ति से वित्तीय वर्ष के दौरान, पर्याप्त से अधिक प्रतिफल पर कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति खरीदी जाती है;

(च) किसी गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान, अपर्याप्त से कम प्रतिफल पर कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति बेची जाती है;

10

(छ) गैर-लाभकारी संगठन की कोई निधि या आस्ति वित्तीय वर्ष के दौरान किसी हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित की जाती है, जहां यथास्थिति, निधि या आस्ति का मूल्य या इस प्रकार स्थानांतरित की गई निधियों और आस्ति का कुल मूल्य एक हजार रुपए से अधिक है; या

15

(ज) गैर-लाभकारी संगठन की कोई निधि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए (जो 1 जनवरी, 1971 से पूर्व की अवधि नहीं होगी) किसी ऐसे प्रतिष्ठान में निवेशित है या निवेशित रहती है, जिसमें किसी हितबद्ध व्यक्ति का पर्याप्त हित है और ऐसा निवेश उस प्रतिष्ठान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है।

गैर-लाभकारी संगठन
का पंजीकरण।

98. (1) कोई गैर-लाभकारी संगठन अपने पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आयुक्त को आवेदन करेगा।

20

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे गैर-लाभकारी संगठन पर लागू नहीं होंगे, जिसे इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अनुमोदन या पंजीकरण प्रदान किया गया है, यदि संगठन ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं।

1961 का 43.

(3) आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन किसी गैर-लाभकारी संगठन के पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसे दस्तावेज या सूचना मांगेगा, जो वह उसके उद्देश्यों और क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जैसी अपेक्षित हो।

25

(4) आयुक्त, उस माह के अंत से छह माह की अवधि के भीतर, जहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है, वहां लिखित आदेश पारित करें-

30

(क) यदि वह गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्यों से संतुष्ट है तो उसे पंजीकृत करना और उसकी गतिविधियों की वास्तविकता; या

(ख) यदि वह इससे संतुष्ट नहीं है तो गैर-लाभकारी संगठन को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है। संगठन को अपनी बात कहने का अवसर देना।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण वित्तीय वर्ष से वैध होगा। वह वर्ष जिसमें उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया था।

35

(6) जहां आयुक्त को विश्वास हो कि गैर-लाभकारी संस्था की गतिविधियां संगठन हैं—

(i) वास्तविक नहीं है; या

(ii) अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; या

40

(iii) किसी अन्य लागू कानून के अनुसार नहीं किया जा रहा है इसके अंतर्गत या जिसके अंतर्गत यह पंजीकृत या अनुमोदित है,

वह इस धारा या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दिए गए पंजीकरण को रद्द करने या अनुमोदन को वापस लेने के लिए लिखित रूप में आदेश पारित करेगा।

1961 का 43.

इस संहिता के लागू होने से पूर्व, संगठन को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात।

99. (1) गैर-लाभकारी संगठन ऐसी लेखा पुस्तकें रखेगा और उनका रखरखाव करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

खातों का रखरखाव और कर लेखा परीक्षा।

5 (2) गैर-लाभकारी संगठन निम्नलिखित के संबंध में अलग-अलग खाता बही बनाए रखेगा। धर्मार्थ गतिविधि से संबंधित व्यवसाय।

(3) यदि किसी वित्तीय वर्ष में धारा 93 में निर्दिष्ट सकल प्राप्तियां पांच लाख रुपए से अधिक हैं, तो गैर-लाभकारी संगठन कर आधारों की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख से पूर्व लेखाकार से निर्धारित प्रारूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

10 100. (1) जहां किसी गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय में कोई अनाम आय शामिल है दान पर देय आयकर निम्नलिखित का योग होगा-

गुमनाम दान.

(क) निम्नलिखित में से उच्चतर से अधिक प्राप्त गुमनाम दानों की कुल राशि पर तीस प्रतिशत की दर से गणना की गई आयकर की राशि, अर्थात्: -

15 (i) गैर-लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त कुल दान का पांच प्रतिशत; या

(ii) एक लाख रुपए; और

(ख) आयकर की वह राशि जो गैर-लाभकारी संगठन पर लागू होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) में निर्दिष्ट अनाम दान की राशि घटा दी जाती।

20

(2) उपधारा (1) के उपबंध इस बात पर भी लागू होंगे कि अनाम दान इस विशिष्ट निदेश के साथ किया गया है कि वह गैर-लाभकारी संगठन की निधि का भाग बनेगा।

(3) किसी भी गुमनाम प्राप्त दान के संबंध में कोई व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25

(4) इस धारा में, "अनाम दान" से कोई स्वैच्छिक योगदान अभिप्रेत है, जहां ऐसा योगदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसा योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम और पता तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपदर्शित करते हुए पहचान का अभिलेख नहीं रखता है।

30

101. (1) कोई गैर-लाभकारी संगठन अपनी निवल संपत्ति के संबंध में तीस प्रतिशत की दर से आयकर के लिए उत्तरदायी होगा, यदि-

एक गैर-लाभकारी संगठन के रूपांतरण के परिणाम.

(क) यह किसी ऐसे संगठन में परिवर्तित हो जाता है जो गैर-लाभकारी संगठन के रूप में योग्य नहीं है;

(ख) यह किसी ऐसे संगठन के साथ विलय करता है जो गैर-लाभ संगठन;

35

(ग) वह संगठन विघटन होने के महीने के अंत से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी समस्त परिसंपत्तियों को किसी अन्य गैर-लाभकारी संगठन को हस्तांतरित करने में विफल रहता है।

(2) इस धारा में-

(क) गैर-लाभकारी संगठन की निवल संपत्ति की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगी-

40

(i) परिवर्तन या विलय की तारीख, जैसा भी मामला हो, उस मामले में उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन; तथा

(ii) उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले मामले में विघटन की तारीख;

(ख) गैर-लाभकारी संगठन की "निवल संपत्ति" का अर्थ गैर-लाभकारी संगठन की कुल परिसंपत्तियों का समग्र मूल्य है, जिसे ऐसे संगठन की देनदारियों से घटाया जाता है, जिसकी गणना मूल्यांकन के ऐसे नियमों के अनुसार की जाती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

इस अध्याय के प्रावधान कुछ मामलों में लागू नहीं होंगे

मामले.

102. (1) इस अध्याय के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो—

5

(क) किसी विशिष्ट निर्देश के बावजूद, ट्रस्ट के तहत कोई व्यवसाय रखता है कि-

(i) व्यवसाय ऐसे व्यक्ति की निधि का भाग बनेगा; या (ii) व्यवसाय से प्राप्त आय का उपयोग

केवल धर्मार्थ कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा; (ख) धारा 97 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहेगा; (ग)

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर-लाभकारी संगठन नहीं रह जाएगा,

10

धारा 98 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिए गए पंजीकरण पर ध्यान दिए बिना;

(घ) कोई ऐसा व्यवसाय करना, जो धर्मार्थ कार्यक्रमों से संबंधित न हो।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह गैर-लाभकारी संगठन जो धारा 101 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवर्तन, विलयन या विघटन के कारण अस्तित्व में नहीं रहता है, उस धारा के अनुसार अपनी निवल संपत्ति के संबंध में आयकर का दायी होगा।

15

(3) उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) या खंड (घ) के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना इस संहिता के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

इस अध्याय में व्याख्याएँ।

103. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "धर्मार्थ कार्यक्रमों से संबद्ध व्यवसाय" से तात्पर्य किसी धर्मार्थ कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान किया जाने वाला व्यवसाय है;

20

(ख) "धर्मार्थ कार्यक्रमों" से भारत में की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियाँ अभिप्रेत हैं, अर्थात्:—

(i) गरीबों को राहत;

(ii) शिक्षा का उन्नयन; (iii) चिकित्सा राहत;

25

(iv) पर्यावरण का संरक्षण

(जलग्रहण क्षेत्रों, वनों और वन्य जीवन सहित);

(v) कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण; या

30

(vi) सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति, जिसमें व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति में कोई गतिविधि करना या उससे संबंधित कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल नहीं है, किसी उपकर, शुल्क या किसी अन्य विचार के लिए (उपयोग की प्रकृति, आवेदन या ऐसी गतिविधि से आय के प्रतिधारण पर ध्यान दिए बिना) और जहां वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि से सकल प्राप्तियाँ दस लाख रुपये से अधिक हैं; (ग) "सामान्य जनता" का अर्थ है बड़े पैमाने पर लोगों का समूह जो सार्वजनिक या अवैयक्तिक प्रकृति की कुछ सामान्य गुणवत्ता द्वारा पर्याप्त रूप से परिभाषित है;

35

(घ) किसी गैर-लाभकारी संगठन के संबंध में "हितबद्ध व्यक्ति" का अर्थ है-

(i) संगठन का संस्थापक या ट्रस्ट का संस्थापक; (ii) कोई व्यक्ति जिसका वित्तीय वर्ष के

40

दौरान संगठन में कुल अंशदान पचास हजार रुपये से अधिक है;

(iii) हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य यदि संस्थापक या संस्थापक या व्यक्ति एक हिंदू अविभाजित परिवार है;

(iv) संगठन का कोई प्रबंधक, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, या ट्रस्ट का ट्रस्टी;

(v) संस्थापक, संस्थापक, सदस्य, ट्रस्टी या प्रबंधक का कोई रिश्तेदार; या (vi) कोई संस्था जिसमें खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का पर्याप्त हित हो;

5

(ई) "ट्रस्ट" में कानूनी दायित्व शामिल है।

अध्याय 5

बही लाभ की गणना

104. (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए देय सामान्य आयकर बही लाभ पर कर से कम है, वहां बही लाभ को ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की कुल आय माना जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर द्वितीय अनुसूची के पैरा ए में निर्दिष्ट दर से आयकर के लिए उत्तरदायी होगी।

बही लाभ की गणना.

10

(2) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बही लाभ की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी—

15

ए+बी-(सी+डी)
कहाँ

A= शुद्ध लाभ, जैसा कि धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार तैयार वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है;

20

बी = निम्नलिखित राशियों का योग, यदि लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाए:

(क) इस संहिता के अधीन संदत्त या देय किसी कर की राशि तथा उसके लिए प्रावधान;

25

(ख) किसी भी आरक्षित निधि में रखी गई राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए; (ग) अनिश्चित देयताओं को पूरा करने के लिए प्रावधान के रूप में अलग रखी गई राशि; (घ) सहायक कंपनियों की हानि के लिए प्रावधान के रूप में राशि; (ङ) भुगतान की गई या प्रस्तावित लाभांश की राशि;

30

(च) मूल्यहास की राशि;
(छ) आस्थगित कर की राशि और उसके लिए प्रावधान; (ज) किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के रूप में अलग रखी गई राशि;

(i) उपधारा (क) में निर्दिष्ट किसी व्यय की राशि
धारा 18 की धारा (1)

C = निम्नलिखित राशियों का योग:

35

(ए) लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई मूल्यहास राशि
(परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यहास को छोड़कर);

(ख) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से निकाली गई और लाभ-हानि खाते में जमा की गई राशि, उस सीमा तक जो खंड (क) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यहास की राशि से अधिक नहीं है ;

40

(ग) किसी आरक्षित निधि या प्रावधान से निकाली गई राशि, यदि ऐसी कोई राशि लाभ और हानि खाते में जमा की जाती है और ऐसी राशि को किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के बही लाभ की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है;

45

(घ) किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लाभ की राशि, जो उस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होकर, जिसमें उक्त कंपनी रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रुग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई है, समाप्त होने वाली अवधि में सम्मिलित है।

वह वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसी कंपनी की संपूर्ण निवल संपत्ति संचित घाटे के बराबर या उससे अधिक हो जाती है;

(ई) छठी धारा के साथ पढ़ी गई धारा 10 में निर्दिष्ट किसी भी आय की राशि अनुसूची, यदि लाभ और हानि खाते में जमा की जाती है;

(च) स्थगित कर की राशि, यदि ऐसी कोई राशि लाभ में जमा की जाती है और हानि खाता;

D = आगे लायी गयी हानि की राशि.

(3) उपधारा (2) में, आगे लाई गई हानि होगी-

(i) शून्य, यदि ऐसी हानि अग्रिम लाई गई हो (मूल्यहास को छोड़कर) या अनवशोषित हो लेखा पुस्तकों के अनुसार मूल्यहास, जैसा भी मामला हो, शून्य है; या

(ii) आगे लाई गई हानि की राशि (मूल्यहास को छोड़कर) या अनवशोषित किसी भी अन्य मामले में, लेखा पुस्तकों के अनुसार मूल्यहास, जो भी कम हो।

(4) उपधारा (2) में, कर की रकम में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) इस संहिता के अंतर्गत लिया गया या लिया जाने वाला कोई ब्याज;

(ख) धारा 109 के अंतर्गत वितरित लाभ पर कोई कर;

(ग) धारा 110 के अंतर्गत वितरित आय पर कोई कर;

(घ) धारा 111 के अंतर्गत शाखा लाभ पर दिया गया कोई कर; तथा

(ई) धारा 112 के तहत संपत्ति पर कोई कर।

(5) प्रत्येक कंपनी, जिस पर यह धारा लागू होती है, एक लेखाकार से निर्धारित प्रारूप में एक रिपोर्ट प्राप्त करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि बही लाभ की गणना इस धारा के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

(6) इस अध्याय में-

(क) "सामान्य आयकर" से इस अध्याय के प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी द्वारा अपनी कुल आय पर एक वित्तीय वर्ष के लिए देय आयकर अभिप्रेत है;

(ख) "बही लाभ पर कर" से द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ ए में निर्दिष्ट दर पर बही लाभ पर संगणित कर की राशि अभिप्रेत है।

बही लाभ की गणना के लिए लाभ और हानि खाता तैयार करना।

105. (1) प्रत्येक कंपनी धारा 104 के प्रयोजनों के लिए, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II और III के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए अपना लाभ और हानि खाता तैयार करेगी।

(2) इस धारा में, लेखांकन नीतियां, लाभ और हानि खाते सहित ऐसे खातों को तैयार करने के लिए अपनाए गए लेखांकन मानक और मूल्यहास की गणना के लिए अपनाई गई विधि और दरें, किसी कंपनी के मामले में, वही होंगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 35 210 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में रखे गए लाभ और हानि खाते सहित ऐसे खातों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए अपनाई गई हैं।

(3) जहां कंपनी ने कंपनी नियम के तहत वित्तीय वर्ष को अपनाया है या अपनाने वाली है अधिनियम, 1956 के अधीन, जो इस संहिता के अधीन वित्तीय वर्ष से भिन्न है, -

(i) लेखांकन नीतियां;

(ii) लाभ और हानि खाते सहित ऐसे खाते तैयार करने के लिए अपनाए गए लेखांकन मानक;

(iii) मूल्यहास की गणना के लिए अपनाई गई विधि और दरें,

लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों और के अनुरूप होगा

5

10

15

20

25

30

1956 का 1.

1956 का 1.

1956 का 1.

40

मूल्यहास की गणना के लिए विधि और दरें, जो ऐसे वित्तीय वर्ष या प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आने वाले ऐसे वित्तीय वर्ष के भाग के लिए लाभ और हानि लेखा सहित ऐसे खाते तैयार करने के लिए अपनाई गई हैं।

- 5 106. (1) धारा 104 के अधीन किसी कंपनी द्वारा भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट उसे इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। पुस्तक लाभ पर भुगतान किये गये कर के लिए कर क्रेडिट।
- (2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत किया जाने वाला वित्तीय वर्ष का कर क्रेडिट, सामान्य आयकर पर बही लाभ पर कर की अधिकता होगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन अनुमत कर क्रेडिट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 10 (4) उपधारा (2) के अधीन अवधारित कर क्रेडिट की रकम उपधारा (5) और (6) के उपबंधों के अनुसार आगे ले जाई जाएगी और अनुज्ञात की जाएगी, किन्तु ऐसा आगे ले जाना उस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद के पंद्रहवें वित्तीय वर्ष से आगे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन कर क्रेडिट अनुज्ञेय हो जाता है।
- (5) कर क्रेडिट उस वित्तीय वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसमें सामान्य आयकर बही लाभ पर कर से अधिक है और क्रेडिट बही लाभ पर कर से सामान्य आयकर की अधिकता की सीमा तक दिया जाएगा, कर क्रेडिट का शेष, यदि कोई हो, आगे ले जाया जाएगा।
- 15 (6) यदि इस संहिता के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सामान्य आयकर या बही लाभ पर कर की राशि कम या बढ़ जाती है, तो इस धारा के अधीन अनुज्ञात कर प्रत्यय की राशि भी तदनुसार परिवर्तित की जाएगी।
- 20 (7) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत किसी निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में रूपांतरण के मामले में, इस धारा के प्रावधान उत्तराधिकारी सीमित दायित्व भागीदारी पर लागू नहीं होंगे।
- 2009 का 6.
- (8) इस धारा में, "निजी कंपनी" और "असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी" पदों के वही अर्थ होंगे जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं।
- 2009 का 6. 25
107. इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस संहिता के अन्य सभी उपबंध लागू होंगे। इस अध्याय में निर्दिष्ट कंपनी पर लागू होगा।
- इस संहिता के अन्य प्रावधानों का अनुप्रयोग।
- अध्याय 6
- उद्यम पूंजी कंपनी से प्राप्त आय पर कर से संबंधित प्रावधान और
- 30 वेंचर कैपिटल फंड
108. (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति द्वारा किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि में किए गए निवेशों से प्राप्त कोई आय उसी प्रकार आयकर से प्रभाय्य होगी, मानो वह उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय होती यदि उसने जोखिम पूंजी उपक्रम में प्रत्यक्षतः निवेश किया होता।
- 35 (2) जोखिम पूंजी कंपनी, जोखिम पूंजी निधि या ऐसी कंपनी या निधि की ओर से आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, निर्धारित समय के भीतर, ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को और निर्धारित आयकर प्राधिकरण को, निर्धारित प्ररूप और तरीके से एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई आय की प्रकृति का ब्यौरा और ऐसे अन्य प्रासंगिक विवरण दिए जाएंगे, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
- उद्यम पूंजी कंपनी और उद्यम पूंजी निधि.
- 40 (3) जोखिम पूंजी कंपनी और जोखिम पूंजी निधि द्वारा भुगतान की गई आय, ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हाथ में उसी प्रकृति की और उसी अनुपात में समझी जाएगी, जैसी वह वित्तीय वर्ष के दौरान, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा प्राप्त की गई थी या उसे प्रोद्भूत हुई थी।
- 45 (4) इस संहिता के भाग बी या भाग सी के प्रावधान भुगतान की गई आय पर लागू नहीं होंगे इस धारा के अंतर्गत किसी उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा।

भाग बी

लाभांश वितरण कर

अध्याय 7

घरेलू कंपनियों के वितरित मुनाफे पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान

वितरित
वस्तुओं पर कर
घरेलू कंपनियों का
मुनाफा।

109. (1) प्रत्येक घरेलू कंपनी अपने शेयरधारकों को घोषित, वितरित या भुगतान किए गए (चाहे अंतरिम या अन्यथा) लाभांश की किसी भी राशि पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, चाहे वह चालू या संचित लाभ से हो। 5

(2) लाभांश पर कर उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि पर द्वितीय अनुसूची के पैरा बी में निर्दिष्ट दर पर लगाया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि में से निम्नलिखित राशि घटा दी जाएगी: 10
वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश, यदि कोई हो, यदि -

(i) ऐसा लाभांश उसकी सहायक कंपनी से प्राप्त होता है; और

(ii) सहायक कंपनी ने ऐसे लाभांश पर इस धारा के अंतर्गत कर का भुगतान किया है।

(4) घरेलू कंपनी या ऐसी कंपनी का प्रधान अधिकारी, जो लाभांश का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो, जैसा भी मामला हो, ऐसे लाभांश की घोषणा, वितरण या भुगतान की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, केंद्रीय सरकार के खाते में लाभांश पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 15

(5) इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत घरेलू कंपनी या शेयरधारक को कर लगाए गए लाभांश या उस पर कर के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी। 20

(6) घरेलू कंपनी द्वारा इस प्रकार भुगतान किए गए लाभांश पर कर को घोषित, वितरित या भुगतान किए गए लाभांश के संबंध में कर का अंतिम भुगतान माना जाएगा और इस प्रकार भुगतान किए गए कर के संबंध में घरेलू कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आगे कोई क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा।

(7) यदि घरेलू कंपनी या, यथास्थिति, ऐसी कंपनी का प्रधान अधिकारी, जो लाभांश का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का भुगतान नहीं करता है, तो उसे उसके द्वारा देय कर के संबंध में चूककर्ता निर्धारित माना जाएगा और कर के संग्रहण तथा वसूली से संबंधित इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। 25

(8) यदि, यथास्थिति, घरेलू कंपनी या ऐसी कंपनी का प्रधान अधिकारी उपधारा (2) में निर्दिष्ट लाभांश पर कर का पूरा या उसका कोई भाग उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर संदत्त करने में असफल रहता है तो वह ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज संदाय करने के लिए दायी होगा, जो उस अंतिम तारीख के ठीक पश्चात की तारीख से प्रारंभ होकर उस तारीख को समाप्त होगी जिसको कर वास्तव में संदत्त किया गया था। 30

(9) इस बात के होते हुए भी कि किसी घरेलू कंपनी द्वारा इस संहिता के भाग क के उपबंधों के अनुसार संगणित अपनी कुल आय पर कोई आयकर देय नहीं है, उपधारा (1) के अधीन घोषित, वितरित या संदत्त लाभांश पर कर ऐसी कंपनी द्वारा देय होगा। 35

(10) इस धारा में, - 40

(क) कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी होगी यदि ऐसी अन्य कंपनी उस कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के अंकित मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक धारण करती है;

(ख) "लाभांश" में उप- धारा (ई) में निर्दिष्ट कोई भुगतान शामिल नहीं होगा।
धारा 314 के खंड (81) के खंड (I) द्वारा। 45

भाग सी

वितरित आय पर कर

अध्याय आठ

वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान

5 110. (1) प्रत्येक म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट धारकों को वितरित या भुगतान की गई आय की किसी भी राशि पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

म्यूचुअल फंड
या जीवन

(2) प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता, किसी अनुमोदित इक्विटी उन्मुख जीवन बीमा योजना के पॉलिसी धारकों को निर्धारित तरीके से गणना की गई, वितरित या भुगतान की गई आय की किसी भी राशि पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

बीमाकर्ता द्वारा वितरित आय
पर कर।

10 (3) वितरित आय पर कर पैराग्राफ में निर्दिष्ट दर पर लगाया जाएगा
द्वितीय अनुसूची की धारा सी की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट रकम पर।

(4) पारस्परिक निधि या जीवन बीमाकर्ता या उसकी ओर से वितरित आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, ऐसी आय के वितरण या भुगतान की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सरकार के खाते में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

15

(5) इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत पारस्परिक निधि या, जैसा भी मामला हो, जीवन बीमाकर्ता को कर लगाए गए वितरित आय या उस पर कर के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी।

20 (6) पारस्परिक निधि या, जैसा भी मामला हो, जीवन बीमाकर्ता द्वारा इस प्रकार संदत्त वितरित आय पर कर को वितरित या संदत्त आय के संबंध में कर का अंतिम भुगतान माना जाएगा और पारस्परिक निधि या जीवन बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में कोई और जमा का दावा नहीं किया जाएगा।

25 (7) यदि पारस्परिक निधि या जीवन बीमाकर्ता या उसकी ओर से वितरित आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का भुगतान नहीं करता है, तो उसे उसके द्वारा देय कर के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा और कर के संग्रहण तथा वसूली से संबंधित इस संहिता के उपबंध लागू होंगे।

30 (8) यदि पारस्परिक निधि या जीवन बीमाकर्ता या उसकी ओर से वितरित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट वितरित आय पर कर का पूरा या उसका कोई हिस्सा उप-धारा (4) के तहत अनुमत समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह अंतिम तारीख के तुरंत बाद की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए हर महीने एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिस पर ऐसा कर देय था और उस तारीख को समाप्त होता है, जिस पर कर वास्तव में भुगतान किया जाता है।

35 (9) इस धारा में,—

(क) "इक्विटी उन्मुख निधि" से ऐसा कोष अभिप्रेत है, जहां ऐसे कोष की कुल आय का 65 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों में इक्विटी शेयरों के माध्यम से निवेश किया जाता है;

(ख) "अनुमोदित इक्विटी उन्मुख जीवन बीमा योजना" से तात्पर्य है-

40 (i) कोई जीवन बीमा योजना, जहां ऐसी योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल प्रीमियम का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा घरेलू कंपनियों में इक्विटी शेयरों के माध्यम से निवेश किया जाता है; और

(ii) ऐसी योजना को बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है;

45 (ग) पारस्परिक निधि या जीवन बीमा योजना की इक्विटी शेयर होल्डिंग का प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, प्रारंभिक और समापन आंकड़ों के मासिक औसत के वार्षिक औसत के संदर्भ में गणना की जाएगी।

भाग डी

शाखा लाभ कर

अध्याय 9

शाखा लाभ कर का प्रभार

शाखा पर
कर
लाभ. 111. (1) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विदेशी कंपनी, देय आयकर के अतिरिक्त, किसी वित्तीय वर्ष के शाखा लाभ के संबंध में शाखा लाभ कर के लिए भी उत्तरदायी होगी। 5

(2) प्रत्येक विदेशी कंपनी के एक वित्तीय वर्ष के शाखा लाभ के संबंध में शाखा लाभ कर द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ डी में निर्दिष्ट दर पर लगाया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शाखा लाभ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान या अचल संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय होगी, जो विदेशी कंपनी की वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय में सम्मिलित होगी, जिसमें से ऐसी आय पर देय आयकर की राशि घटा दी जाएगी। 10

(4) शाखा लाभ कर की देयता का भुगतान इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार पूर्व-भुगतान किए गए करों के भुगतान द्वारा किया जाएगा, जैसे कि शाखा लाभ कर आयकर था। 15

(5) इस धारा के अंतर्गत लगाया गया शाखा लाभ कर, इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार पूर्व-भुगतान किए गए करों, यदि कोई हो, के लिए क्रेडिट।

भाग ई

संपत्ति-कर

अध्याय X

संपत्ति-कर का प्रभार

शुद्ध सम्पत्ति पर कर.

112. (1) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, गैर-लाभकारी संगठन से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति वित्तीय वर्ष की मूल्यांकन तिथि को शुद्ध संपत्ति पर संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुद्ध धन के संबंध में धन-कर, वित्तीय वर्ष की मूल्यांकन तारीख को, द्वितीय अनुसूची के पैरा ई में निर्दिष्ट दर पर, उसमें उपबंधित रीति से लगाया जाएगा। 25

(3) संपत्ति कर की देयता का भुगतान पूर्व-भुगतान किए गए करों के भुगतान से किया जाएगा। इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार।

(4) इस धारा के अंतर्गत लगाया गया संपत्ति कर, जमा की गई राशि के पश्चात वसूल किया जाएगा। इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार पूर्व-भुगतान किए गए करों, यदि कोई हो, के लिए। 30

शुद्ध संपत्ति की गणना.

113. (1) धारा 112 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की शुद्ध संपत्ति निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित राशि होगी—

अब

कहाँ 35

ए = इस धारा में निर्दिष्ट व्यक्ति से संबंधित सभी विनिर्दिष्ट आस्तियों, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, का मूल्यांकन तिथि पर कुल मूल्य, उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार संगणित;

बी = मूल्यांकन तिथि पर सभी ऋणों का कुल मूल्य व्यक्ति, जो निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के संबंध में व्यय किया गया है। 40

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:- (क) कोई भवन या उससे अनुलग्न भूमि (जिसे इसके पश्चात् "घर" कहा जाएगा), जिसका किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है;

(ख) किसी नगर पालिका या नगर निगम (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से पच्चीस किलोमीटर के भीतर स्थित कोई फार्म हाउस; 45

(ग) कोई शहरी भूमि;

(घ) मोटर कार, नौका, नाव, हेलीकॉप्टर और विमान, जो कि प्रशासन द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विमानों से भिन्न हों।
उन्हें किराये पर या स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में चलाने के व्यवसाय में करदाता;

(ई) आभूषण, बुलियन, फर्नीचर, बर्तन या कोई अन्य वस्तु जो पूरी तरह या आंशिक रूप से सोने, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य कीमती धातु या किसी मिश्र धातु से बनी हो जिसमें एक या एक से अधिक ऐसी कीमती धातुएं हों, उनको छोड़कर जो करदाता द्वारा व्यापार-स्टॉक के रूप में उपयोग की जाती हों;

(च) पुरातात्विक संग्रह, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां या कला का कोई अन्य कार्य;

(छ) पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य की घड़ी; (ज) व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित

परिवारों के पास दो लाख रुपये से अधिक की नकदी;

(i) व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के मामले में, भारत के बाहर स्थित किसी बैंक में जमा, और अन्य व्यक्तियों के मामले में ऐसी कोई जमा राशि जो खाता बहियों में दर्ज नहीं है;

(जे) किसी विदेशी ट्रस्ट या भारत से बाहर स्थित किसी अन्य निकाय में कोई हित (चाहे विदेशी कंपनी के अलावा) निगमित या नहीं; तथा

(ट) किसी नियंत्रित विदेशी कंपनी में किसी निवासी द्वारा धारित कोई इक्विटी या अधिमान्य शेयर, जैसा कि बीसवीं अनुसूची में निर्दिष्ट है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्:—

(क) किसी शासक के कब्जे में कोई एक भवन, जो संविधान (छब्बीसवां संशोधन) के लागू होने से ठीक पहले का भवन हो।

अधिनियम, 1971 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा विलयित राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1949 के पैरा 13, या भाग बी राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1950 के पैरा 15 के अधीन की गई घोषणा के आधार पर उनका आधिकारिक निवास था;

(ख) किसी शासक के कब्जे में का आभूषण, जो उसकी निजी संपत्ति न हो, जिसे उसकी विरासत के रूप में मान्यता दी गई हो—

(i) संपत्ति कर लागू होने से पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम, 1957 के अधीन, जैसा वह इस संहिता के प्रारम्भ से पूर्व विद्यमान था; या

(ii) बोर्ड द्वारा संपत्ति कर के तहत अपने पहले मूल्यांकन के समय संपत्ति-कर अधिनियम, 1957, जैसा कि इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व था;

(ग) यदि व्यक्ति अनिवासी है तो भारत के बाहर स्थित परिसंपत्तियों का मूल्य; और

(घ) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार का कोई एक मकान या मकान का भाग या पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का एक खाली भूखंड।

(4) उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट सदन में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्: -

(क) किसी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को विशेष रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित मकान;

(ख) आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कोई भी मकान जो स्टॉक-इन-ट्रेड का भाग है;

(ग) कोई मकान जिसे करदाता अपने द्वारा चलाए जा रहे कारोबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग में ला सकता है;

(घ) कोई मकान जो वित्तीय वर्ष में न्यूनतम तीन सौ दिन की अवधि के लिए किराये पर दिया गया हो;

(ई) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों या परिसरों की प्रकृति का कोई भी घर।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट नकदी के अलावा किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति का मूल्य, निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

(6) इस अध्याय में, "मूल्यांकन तिथि" से वित्तीय वर्ष में 31 मार्च का दिन अभिप्रेत है।

शुद्ध संपत्ति में कुछ परिसंपत्तियां शामिल होंगी।

114. (1) धारा 113 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट आस्तियां, उस व्यक्ति की मानी जाएंगी, जो व्यक्ति है, और उसकी शुद्ध संपत्ति की गणना में सम्मिलित होंगी, यदि ऐसी आस्तियां, मूल्यांकन की तारीख को, (चाहे उस रूप में जिसमें वे अंतरित की गई हों या अन्यथा) धारित हैं,—

(क) ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा, जिसे ऐसी परिसंपत्ति उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पर्याप्त प्रतिफल के लिए या अलग रहने के समझौते के संबंध में हस्तांतरित की गई हो;

(ख) ऐसे व्यक्ति के अवयस्क बच्चे द्वारा, जो दिव्यांग या गंभीर दिव्यांग व्यक्ति न हो;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसी परिसंपत्ति व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्ति या उसके पति या पत्नी के तत्काल या आस्थगित लाभ के लिए पर्याप्त प्रतिफल के अलावा, हस्तांतरित की गई हो;

(घ) किसी ट्रस्ट द्वारा जिसे ऐसी परिसंपत्ति व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित की गई है, यदि ट्रस्ट के लाभार्थी के जीवनकाल के दौरान हस्तांतरण प्रतिसंहरणीय है;

(ई) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ट्रस्ट नहीं है, जिसे ऐसी परिसंपत्ति हस्तांतरित की गई है व्यक्ति द्वारा, यदि हस्तांतरण उस व्यक्ति के जीवनकाल में प्रतिसंहरणीय है; और (च) किसी हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा

किसी रूपांतरित संपत्ति के माध्यम से।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो अवयस्क बालक द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अपनी आय में से अर्जित की गई है और जो मूल्यांकन की तारीख को उसके द्वारा धारित है।

(3) इस धारा में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसंपत्ति को निम्नलिखित की शुद्ध संपत्ति में शामिल किया जाएगा-

(i) माता-पिता जो नाबालिग बच्चे का अभिभावक है; या (ii) माता-पिता जिसकी

शुद्ध संपत्ति (उसमें निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर)

खंड (1) की उपधारा (1) के अधीन अधिक होगी, यदि माता-पिता दोनों ही बच्चे के संरक्षक हैं; (ख)

स्थानांतरण प्रतिसंहरणीय माना जाएगा, यदि-

(i) इसमें आय या परिसंपत्ति के संपूर्ण भाग या उसके किसी भाग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरणकर्ता को पुनः हस्तान्तरित करने का कोई प्रावधान है; या

(ii) यह किसी भी तरह से हस्तान्तरणकर्ता को सीधे सत्ता पुनः ग्रहण करने का अधिकार देता है या अप्रत्यक्ष रूप से, आय या परिसंपत्ति के पूरे या उसके किसी भाग पर; (ग) व्यक्ति, इस संहिता

या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भवन या उसके भाग का स्वामी समझा जाएगा, यदि वह किसी सहकारी समिति, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संघ का सदस्य है और भवन या उसका भाग उसे, यथास्थिति, समिति, कंपनी या संघ की गृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवंटित या पट्टे पर दिया गया है;

(घ) अविभाज्य संपदा का धारक उस संपदा में सम्मिलित सभी संपत्तियों का व्यक्तिगत स्वामी माना जाएगा; तथा

(ई) अपरिवर्तनीय हस्तांतरण के तहत हस्तांतरित किसी भी संपत्ति का मूल्य उस वर्ष में हस्तांतरणकर्ता की शुद्ध संपत्ति की गणना में शामिल किया जाएगा जिसमें प्रतिसंहरण की शक्ति उसके पास निहित होती है।

भाग एफ

संहिता के दुरुपयोग की रोकथाम

अध्याय 11

कर से बचने से संबंधित विशेष प्रावधान

- 5 115. (1) किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन व्यय के संबंध में, चाहे वह पूंजीगत हो या राजस्व प्रकृति का, कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे मूल्यांकन अधिकारी अत्यधिक या अनुचित मानता है, यदि-
- उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए व्यय की अस्वीकृति।
- (क) व्यय के संबंध में भुगतान किसी सहबद्ध व्यक्ति को किया जा चुका है या किया जाना है; और
- 10 (ख) व्यय अत्यधिक या अनुचित है, क्योंकि-
- (i) उन वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं का उचित बाजार मूल्य जिनके लिए भुगतान कर दिया है;
- (ii) व्यक्ति के व्यवसाय की वैध आवश्यकताएं; या
- (iii) उस व्यक्ति द्वारा उससे प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाला लाभ।
- 15 116. (1) किसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से उत्पन्न होने वाली किसी आय या व्यय की राशि इसका निर्धारण सन्निकट मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- हथियारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से आय का निर्धारण
- (2) किसी सहबद्ध उद्यम को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले किसी लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत किए जाने वाले किसी लागत या व्यय का आबंटन या प्रभाजन, या उसमें कोई अंशदान, ऐसे लाभ, सेवा या सुविधा की, यथास्थिति, सन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, यदि—
- 20 लंबाई कीमत.
- (क) दो या अधिक सहबद्ध उद्यमों ने ऐसी लागत या व्यय के आबंटन या विभाजन, या उसमें किसी अंशदान के लिए पारस्परिक समझौता या व्यवस्था की है; और
- (ख) किसी एक या अधिक सहबद्ध उद्यमों को प्रदान किया गया लाभ, सेवा या सुविधा में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन शामिल है।
- 25 (3) इस धारा के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निर्धारण का प्रभाव कर से प्रभाय आय को कम करने या उस वित्तीय वर्ष के संबंध में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार दर्ज किया गया था, लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर संगणित हानि को बढ़ाने का है।
- 30 117. (1) किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में सन्निकट मूल्य का निर्धारण किसी भी निर्धारित विधि के अनुसार किया जाएगा, जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी।
- हथियारों का निर्धारण लंबाई कीमत.
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति का निर्धारण, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन के वर्ग, सहयुक्त उद्यम के वर्ग या ऐसे उद्यमों द्वारा निष्पादित कार्यों या ऐसे अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।
- 35 (3) उपधारा (2) के अंतर्गत निर्धारित सर्वाधिक उपयुक्त विधि लागू की जाएगी।
ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, सन्निकट मूल्य का निर्धारण।
- (4) सन्निकट मूल्य होगा-
- 40 (क) सर्वाधिक उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित मूल्य, यदि विधि द्वारा केवल एक मूल्य निर्धारित किया जाता है; या
- (ख) सबसे उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित मूल्यों का अंकगणितीय माध्य, यदि विधि द्वारा एक से अधिक मूल्य निर्धारित किए गए हों।
- (5) जिस मूल्य पर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन किया गया है उसे समांतर मूल्य माना जाएगा यदि समांतर मूल्य और समांतर मूल्य के बीच अंतर हो।
- 45

उपधारा (4) के अधीन निर्धारित मूल्य होगा और जिस मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार वास्तव में किया गया है वह उत्तरार्द्ध मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(6) किसी सहबद्ध उद्यम की आय की पुनर्गणना निम्नलिखित कारणों से नहीं की जाएगी:
अन्य संबद्ध उद्यम के मामले में सान्निध्य मूल्य का निर्धारण।

(7) अध्याय III के उप-अध्याय-IV के अंतर्गत कोई कटौती उस आय की राशि के संबंध में नहीं दी जाएगी, जिससे इस धारा के अंतर्गत आय की गणना के पश्चात करदाता की कुल आय में वृद्धि हुई हो। 5

(8) अनुमानित कीमत का निर्धारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन होगा, जैसा कि इस संबंध में विहित किया जा सकता है।

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता. 118. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, किसी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण करार कर सकेगा, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट मूल्य निर्धारण का तरीका विनिर्दिष्ट किया जाएगा। 10

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सन्निकट मूल्य के निर्धारण की रीति कोई भी विधि हो सकती है, जिसके अंतर्गत धारा 117 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विहित विधियों में से कोई एक विधि भी हो सकती है, जिसमें ऐसे समायोजन या परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जो ऐसा करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों। 15

(3) किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का सन्निकट मूल्य, जिसके संबंध में अग्रिम मूल्य निर्धारण करार किया गया है, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 20

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार, करार में विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्षों के लिए वैध होगा, जो किसी भी स्थिति में लगातार पांच वित्तीय वर्षों से अधिक नहीं होगा।

(5) किया गया अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता बाध्यकारी होगा-

(क) केवल उस व्यक्ति पर जिसके मामले में करार किया गया है; (ख) केवल उस लेन-देन के संबंध में जिसके संबंध में करार किया गया है; तथा 25

(ग) आयुक्त तथा उसके अधीनस्थ आयकर प्राधिकारियों पर, केवल उक्त व्यक्ति तथा उक्त संव्यवहार के संबंध में।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार बाध्यकारी नहीं होगा, यदि संहिता में कोई संशोधन किया जाता है जिसका प्रभाव इस प्रकार किए गए करार पर पड़ता है। 30

(7) बोर्ड आदेश द्वारा किसी समझौते को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित कर सकता है, यदि वह पाता है कि यह समझौता व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया है।

(8) करार को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित करने पर, इस संहिता के उपबन्ध, ऐसे करार की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और उपधारा (7) के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित करने के पश्चात्, उस व्यक्ति पर इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा करार कभी हुआ ही नहीं था। 35

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड अधिसूचना द्वारा, एक योजना तैयार कर सकता है किसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के लिए।

आय को अन्य को हस्तांतरित करने वाले लेन-देन द्वारा आयकर से बचना 119. (1) किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी अनिवासी को मिलने वाली समस्त आय सम्मिलित होगी, यदि- 40

(क) आय, व्यक्ति द्वारा किसी परिसंपत्ति को अकेले या संबद्ध परिचालनों के साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनिवासी को हस्तांतरित करने के फलस्वरूप अर्जित होती है;

गैर-निवासी। (ख) व्यक्ति -

(i) कोई अधिकार अर्जित करता है जिसके आधार पर उसे ऐसी आय का तुरन्त या भविष्य में उपभोग करने की शक्ति प्राप्त होती है; या 45

(ii) कोई पूंजी राशि प्राप्त करने का हकदार है या प्राप्त कर चुका है, जिसका भुगतान किसी भी तरह से हस्तांतरण या किसी संबद्ध परिचालन से जुड़ा हुआ है; और

(ग) यदि स्थानांतरण न हुआ होता तो आय व्यक्ति की कुल आय में शामिल कर ली जाती।

5

(2) किसी व्यक्ति को किसी अनिवासी की आय का उपभोग करने की शक्ति रखने वाला माना जाएगा,

अगर-

(क) आय वास्तव में व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से व्यवहार की जाती है कि किसी समय उसकी गणना की जा सके और, चाहे वह आय के रूप में हो या नहीं, व्यक्ति के लाभ के लिए हो;

10

(ख) आय का उपार्जन या प्राप्ति किसी व्यक्ति के लिए उसके द्वारा धारित या उसके लाभार्थ किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि करने के लिए प्रचालित होती है;

(ग) वह व्यक्ति किसी भी समय उस आय में से या धन में से कोई लाभ प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है, जो उस आय और उस आय को दर्शाने वाली परिसंपत्तियों पर सहबद्ध परिचालनों के प्रभाव या क्रमिक प्रभावों के कारण उस प्रयोजन के लिए उपलब्ध है या उपलब्ध होगा;

15

(घ) ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति की किसी शक्ति या प्रतिस्तरण की शक्ति के प्रयोग द्वारा या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से या उसके बिना, आय का हितकारी उपभोग स्वयं के लिए प्राप्त करने की शक्ति है; या

20

(ई) व्यक्ति किसी भी तरीके से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, आय के उपयोग को नियंत्रित करने में सक्षम है।

(3) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति के पास आय का आनंद लेने की शक्ति है, निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा-

(क) स्थानांतरण और उससे संबंधित किसी भी परिचालन का सारवान परिणाम और प्रभाव; और

25

(ख) सभी लाभ जो किसी भी समय हस्तांतरण और किसी भी संबद्ध परिचालन के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, भले ही लाभों की प्रकृति या रूप कुछ भी हो।

(4) इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति कर निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह दर्शा दे कि अंतरण और सभी संबद्ध संक्रियाएं वास्तविक वाणिज्यिक लेन-देन थे और कराधान के दायित्व से बचने के प्रयोजन से नहीं बनाए गए थे।

30

120. किसी भी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी आय से अर्जित ब्याज शामिल होगा।
किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली सुरक्षा यदि-

35

(क) व्यक्ति प्रतिभूति की बिक्री और पुनर्खरीद से संबंधित लेनदेन करता है;

(ख) ऐसे लेन-देन के परिणामस्वरूप दूसरे व्यक्ति को ब्याज प्राप्त होता है; और (ग) यदि अंतरण नहीं हुआ होता तो आय उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित हो जाती।

40

121. (1) धारा 120 के अधीन प्रतिभूति के क्रय और विक्रय से संबंधित लेन-देन को, उसमें निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, नजरअंदाज कर दिया जाएगा और आय की गणना करते समय उस लेन-देन को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, यदि अन्य व्यक्ति को प्रोद्भूत ब्याज उस धारा के उपबंधों के आधार पर उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

45

(2) किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किसी प्रतिभूति में किए गए किसी क्रय और विक्रय के लेन-देन के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, उसकी कुल आय की गणना करने के प्रयोजनों के लिए नजरअंदाज कर दी जाएगी, यदि ऐसी प्रतिभूति पर व्यक्ति को प्राप्त होने वाली कोई अन्य आय उसकी कुल आय में शामिल नहीं की जाती है।

से बचना
प्रतिभूति की बिक्री
और पुनर्खरीद लेनदेन
द्वारा कर।

प्रतिभूति में खरीद और
बिक्री के लेन-देन
द्वारा कर से बचाव।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट हानि को उस सीमा तक नजरअंदाज किया जाएगा, जहां तक ऐसी हानि उसमें निर्दिष्ट किसी अन्य आय की राशि से अधिक न हो।

ऋण साधन से प्राप्त
खंडित
अवधि आय।

122. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित ऋण लिखत से प्राप्त आय, लिखत से टूटी अवधि की आय की राशि से कम नहीं होगी।

5

सामान्य प्रति-परिहार
नियम.

123. (1) किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी समझौता अनुचित परिहार समझौता घोषित किया जा सकेगा और इस संहिता के अधीन समझौते के परिणाम निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे-

(क) अनुचित परिहार व्यवस्था के किसी भी चरण, या उसके किसी भाग या सम्पूर्ण भाग की उपेक्षा करना, संयोजन करना या पुनःविशेषण करना; (ख) अनुचित परिहार व्यवस्था को इस प्रकार

10

समझना-

(i) मानो ऐसा कोई समझौता हुआ ही न हो या उसे कार्यान्वित ही न किया गया हो;

या (ii) ऐसे अन्य तरीके से, जैसा कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, आयुक्त प्रासंगिक कर लाभ को रोकने या कम करने के लिए उचित समझे;

15

(ग) किसी भी समझौता करने वाले पक्ष की उपेक्षा करना या किसी समझौता करने वाले पक्ष और किसी अन्य पक्ष को एक ही व्यक्ति मानना;

(घ) उन व्यक्तियों को, जो एक दूसरे के संबंध में जुड़े हुए हैं, एक ही व्यक्ति मानना;

(ई) व्यवस्था के पक्षकारों के बीच पुनः आबंटन करना-

20

(i) पूंजी या राजस्व प्रकृति का कोई उपार्जन या प्राप्ति; या (ii) कोई व्यय, कटौती, राहत या छूट; या

(च) पुनःचरित्रीकरण-

(i) किसी इक्विटी को ऋण में बदलना या इसके विपरीत;

(ii) पूंजी या राजस्व प्रकृति का कोई उपार्जन या प्राप्ति; या

25

(iii) कोई व्यय, कटौती, राहत या छूट।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों को, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कर देयता के निर्धारण के लिए किसी अन्य आधार के विकल्प के रूप में या इसके अतिरिक्त लागू किया जा सकेगा।

(3) इस धारा के उपबंध ऐसी शर्तों के अधीन तथा विहित तरीके से लागू होंगे।

30

इस अध्याय में व्याख्याएँ।

124. इस अध्याय में,-

(1) "समायोजित करने वाला पक्ष" से किसी व्यवस्था का ऐसा पक्ष अभिप्रेत है, जो अपनी भागीदारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में व्यवस्था के संबंध में कोई राशि प्राप्त करता है, जो-

35

(क) उसकी कुल आय में शामिल की जाएगी जो अन्यथा किसी अन्य पक्ष की कुल आय में शामिल की गई होती;

(ख) उसकी कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी जो अन्यथा किसी अन्य पक्ष की कुल आय में शामिल की गई होती;

(ग) पक्ष द्वारा कटौती योग्य व्यय या स्वीकार्य हानि के रूप में माना जाएगा, जो अन्यथा किसी अन्य पक्ष के हाथों में गैर-कटौती योग्य व्यय या गैर-स्वीकार्य हानि का गठन करेगा; या

40

(घ) किसी अन्य पक्ष द्वारा पूर्व भुगतान हो जाना;

(2) "सशस्त्र लंबाई मूल्य" से तात्पर्य उस मूल्य से है जो अनियंत्रित, असंबद्ध या स्वतंत्र स्थितियों में, सहबद्ध उद्यमों के अलावा, व्यक्तियों, उद्यमों या उपक्रमों के बीच लेनदेन में लागू किया जाता है, या लागू करने का प्रस्ताव है;

(3) "व्यवस्था" का तात्पर्य किसी लेनदेन, परिचालन, योजना, समझौते या समझ में कोई कदम, या उसका हिस्सा या संपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह लागू करने योग्य हो या नहीं, और इसमें संपत्ति के अलगाव से संबंधित उपर्युक्त में से कोई भी शामिल है;

(4) "परिसंपत्ति" में किसी भी प्रकार की संपत्ति या अधिकार शामिल है; (5)

किसी अन्य उद्यम के संबंध में "संबद्ध उद्यम" से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है-

(क) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या एक या अधिक अंतर-दूसरे उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में मध्यस्थ; या

(ख) जिसके संबंध में एक या एक से अधिक व्यक्ति, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, या एक या एक से अधिक मध्यस्थों के माध्यम से उसके प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं, वही व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, या एक या एक से अधिक मध्यस्थों के माध्यम से दूसरे उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं, और उपखंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, दो उद्यम, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय सहबद्ध उद्यम माने

जाएंगे, यदि वे एक दूसरे के साथ निम्नलिखित के आधार पर सहबद्ध हैं—

(i) एक उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीस शेर धारण करता है दूसरे उद्यम में छह प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार;

(ii) कोई व्यक्ति या उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रत्येक उद्यम में छब्बीस प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार वाले शेर रखता है; (iii) एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को दिया गया ऋण और वह ऋण दूसरे उद्यम की कुल आस्तियों के बही मूल्य का इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक है;

(iv) एक उद्यम दूसरे उद्यम के कुल उधारों के दस प्रतिशत या उससे अधिक की गारंटी देता है;

(v) एक उद्यम के निदेशक मंडल के आधे से अधिक सदस्य या शासी बोर्ड के सदस्य, या शासी बोर्ड के एक या अधिक कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी सदस्य, दूसरे उद्यम द्वारा नियुक्त किए गए हों;

(vi) दोनों उद्यमों में से प्रत्येक के शासी बोर्ड के आधे से अधिक निदेशक या सदस्य, अथवा शासी बोर्ड के एक या अधिक कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी सदस्य, एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं;

(vii) किसी माल या वस्तु का विनिर्माण या प्रसंस्करण, या किसी उद्यम द्वारा व्यवसाय चलाना जो पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, लाइसेंस, फ्रैंचाइजी या समान प्रकृति के किसी अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकारों, या किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया से संबंधित किसी डेटा, दस्तावेज, रेखाचित्र या विनिर्देश के उपयोग पर निर्भर है, जिसका मालिक दूसरा उद्यम है या जिसके संबंध में दूसरे उद्यम के पास अनन्य अधिकार हैं;

(viii) एक उद्यम द्वारा किए जाने वाले माल या वस्तुओं के विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक, दूसरे उद्यम द्वारा या दूसरे उद्यम द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा है और आपूर्ति से संबंधित कीमतें और अन्य शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित हैं; (ix) एक उद्यम द्वारा निर्मित या संसाधित माल या वस्तुएं, दूसरे उद्यम को या दूसरे उद्यम द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को बेची जा रही हैं और उससे संबंधित कीमतें और अन्य

शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित हैं;

(x) एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को या दूसरे उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई सेवाएं तथा देय राशि और उससे संबंधित अन्य शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित होती हैं; (xi) एक उद्यम किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और दूसरा उद्यम भी ऐसे व्यक्ति या उसके नातेदार द्वारा या ऐसे व्यक्ति और उसके नातेदार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होता

है; (xii) एक उद्यम किसी हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा नियंत्रित होता है और दूसरा उद्यम भी ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य द्वारा या ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य के नातेदार द्वारा या ऐसे सदस्य और उसके नातेदार द्वारा संयुक्त

रूप से नियंत्रित होता है;

(xiii) एक उद्यम जो किसी अन्य उद्यम में, जो कि एक अनिगमित निकाय है, दस प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी रखता है; (xiv) दोनों उद्यमों में से किसी का कोई

विशिष्ट या सुस्पष्ट स्थान, जैसा कि विहित किया जा सकता है; या

(xv) दोनों उद्यमों के बीच विद्यमान पारस्परिक हित का कोई अन्य संबंध, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; (6) किसी हस्तांतरण के संबंध में "संबद्ध

संचालन" से अंतरक द्वारा निम्नलिखित के संबंध में किया गया किसी भी प्रकार का संचालन अभिप्रेत है- (क) कोई हस्तांतरित परिसंपत्ति; (ख) कोई परिसंपत्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से इस प्रकार हस्तांतरित किसी

परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है; (ग) इस प्रकार हस्तांतरित किसी परिसंपत्ति से प्राप्त आय; या (घ) कोई

परिसंपत्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार हस्तांतरित किसी परिसंपत्ति से

प्राप्त आय के संचय का प्रतिनिधित्व करती है; (7) किसी व्यक्ति के संबंध में "संबद्ध व्यक्ति" से अभिप्रेत है-

(क) व्यक्ति का कोई रिश्तेदार, यदि वह व्यक्ति एक व्यक्ति है; (ख) कंपनी का कोई निदेशक

या ऐसे निदेशक का कोई रिश्तेदार, यदि वह व्यक्ति एक कंपनी है; (ग) किसी असंबद्ध निकाय का कोई भागीदार या ऐसे निदेशक का कोई रिश्तेदार

भागीदार, यदि व्यक्ति एक अनिगमित निकाय है;

(घ) हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य या ऐसे सदस्य का कोई संबंधी, यदि वह व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार है; (ङ) कोई व्यक्ति जिसका उस व्यक्ति के व्यवसाय में पर्याप्त हित है

या ऐसे व्यक्ति का कोई संबंधी; (च) कोई कंपनी, अनिगमित निकाय या हिंदू अविभाजित परिवार जिसका उस व्यक्ति के व्यवसाय में पर्याप्त हित है या कंपनी, निकाय या

परिवार का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई संबंधी;

(छ) कोई कंपनी, अनिगमित निकाय या हिंदू अविभाजित परिवार, जिसके निदेशक, भागीदार या सदस्य का उस व्यक्ति या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के परिवार या किसी रिश्तेदार के व्यवसाय में पर्याप्त हित हो;

(ज) कोई अन्य व्यक्ति जो कोई व्यवसाय करता है, यदि- (i) वह व्यक्ति कोई

व्यक्ति है, या ऐसे व्यक्ति का कोई रिश्तेदार है, उस अन्य व्यक्ति के व्यवसाय में पर्याप्त रुचि रखता है; या

(ii) वह व्यक्ति जो कोई कंपनी, अनिगमित निकाय या हिंदू अविभाजित परिवार है, या ऐसी कंपनी, निकाय या परिवार का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य है, या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई रिश्तेदार है, उस अन्य व्यक्ति के व्यवसाय में पर्याप्त हित रखता है; (8) "लाभ" में किसी भी प्रकार का भुगतान शामिल है; (9) "खंडित अवधि आय" की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसी

प्रतिभूतियों से आय दिन-प्रतिदिन अर्जित हुई हो और खंडित अवधि

के लिए तदनुसार विभाजित की गई हो;

(10) "सद्भावपूर्ण उद्देश्य" में ऐसा कोई उद्देश्य सम्मिलित नहीं होगा जो-

(क) ऐसे अधिकार या दायित्व सृजित किए हैं जो सामान्यतः दूरी बनाए रखने वाले व्यक्तियों के बीच सृजित नहीं किए जाते; या

(ख) जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संहिता के प्रावधानों का दुरुपयोग या दुरूपयोग होगा;

(11) "पूँजी राशि" का अर्थ है - (क)

ऋण या ऋण की चुकोती के रूप में भुगतान

की गई कोई राशि; या (ख) आय के अलावा किसी अन्य रूप में भुगतान की गई कोई अन्य राशि,

जो ऐसी राशि है जो पूर्ण प्रतिफल के लिए धन या धन के मूल्य के रूप में भुगतान नहीं की जाती है; (12) "संबद्ध व्यक्ति" में सहबद्ध व्यक्ति शामिल हैं; (13) किसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में

"उद्यम" में शामिल हैं -

(क) ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, वित्तीय, निर्माण, खनन, अनुसंधान, निवेश या किसी अन्य समान गतिविधि में लगा हुआ है या लगा हुआ है या लगा होने की संभावना है, चाहे ऐसी गतिविधि सीधे या इसकी एक या अधिक इकाइयों, प्रभागों या सहायक कंपनियों के माध्यम से की जाती हो, चाहे वे कहीं भी स्थित हों; और

(ख) उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी प्रतिष्ठान; (14) "निधि" में शामिल हैं - (क) कोई नकदी; (ख) नकदी समतुल्य; और (ग) नकदी या

नकदी समतुल्य

प्राप्त करने या भुगतान करने का कोई

अधिकार या दायित्व; (15) "अनुचित परिहार व्यवस्था" का अर्थ है एक कदम, या भाग या संपूर्ण

एक व्यवस्था, जिसका मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है और यह—

(क) ऐसे अधिकार या दायित्व निर्मित करती है, जो सामान्यतः दूरी बनाए रखने वाले व्यक्तियों के बीच निर्मित नहीं होते; (ख) इस संहिता के उपबंधों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

दुरुपयोग या दुरूपयोग होता है; (ग) पूर्णतः या आंशिक रूप से वाणिज्यिक सार का अभाव होता है; या (घ) ऐसे साधनों या तरीके से

किया जाता है या किया जाता है, जो सामान्यतः सद्भावपूर्ण उद्देश्यों के लिए नियोजित

नहीं होते; (16) "अमूर्त संपत्ति" में तकनीकी जानकारी, पेटेंट, सद्भावना, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कोई भी व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार, पट्टा-अधिकार हित,

अन्वेषण और दोहन अधिकार, सुखभोग अधिकार, हवाई अधिकार, जल अधिकार या कोई अन्य चीज शामिल है, जो अपने भौतिक गुणों के बजाय अपनी बौद्धिक सामग्री से अपना मूल्य प्राप्त करती है; (17) "अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" का अर्थ है -

(ए) दो या अधिक संबद्ध उद्यमों के बीच लेनदेन, या तो या सभी जो अनिवासी है, उसकी प्रकृति इस प्रकार की है—

(i) मूर्त या अमूर्त संपत्ति की खरीद, बिक्री या पट्टा; (ii) सेवा की आपूर्ति; (iii) धन उधार देना या उधार लेना; (iv) कोई अन्य लेन-

देन, जिसका आय, हानि या कर पर असर पड़ता है।

या किसी एक या अधिक उद्यमों की परिसंपत्ति; या

(v) दो या अधिक सहबद्ध उद्यमों के बीच किसी एक या अधिक उद्यमों को प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत किए जाने वाले किसी लागत या व्यय के आबंटन या विभाजन या उसमें किसी अंशदान के लिए पारस्परिक समझौता या व्यवस्था; (ख) दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, जो सहबद्ध उद्यम नहीं हैं, किया गया लेन-देन, यदि—

(i) लेन-देन उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति का है ; (ii) ऐसे अन्य व्यक्ति और सहबद्ध उद्यम के बीच प्रासंगिक लेन-देन के संबंध में पूर्व करार विद्यमान है या प्रासंगिक लेन-देन की शर्तें ऐसे अन्य व्यक्ति और सहबद्ध उद्यम के बीच मूलतः निर्धारित हैं; और

5

(iii) सहबद्ध उद्यमों में से कोई एक या दोनों ही अनिवासी हैं;

(18) "ब्याज" में लाभांश शामिल है; (19) "वाणिज्यिक

सार का अभाव" - किसी व्यवस्था में एक कदम, या उसका एक हिस्सा या पूरा हिस्सा वाणिज्यिक सार का अभाव माना जाएगा, यदि—

(क) इसका व्यवस्था के किसी भी पक्ष के व्यावसायिक जोखिम, या शुद्ध नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, सिवाय कर लाभ के कारण होने वाले किसी प्रभाव के, जो धारा 123 के प्रावधानों के बिना प्राप्त होता;

10

(ख) व्यवस्था का कानूनी सार या प्रभाव समग्र रूप से उसके अलग-अलग चरणों के कानूनी स्वरूप से असंगत है या उससे काफी भिन्न है; या (ग) इसमें निम्नलिखित शामिल हैं या इसमें शामिल हैं- (i) राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग, बिना इस पर ध्यान दिए कि,-

15

(ए) क्या राउंड ट्रिप की गई राशि को व्यवस्था के संबंध में किसी पक्ष को हस्तांतरित या प्राप्त की गई धनराशि से जोड़ा जा सकता है या नहीं;

(बी) वह समय या क्रम जिसमें राउंड ट्रिप की गई राशियां स्थानांतरित या प्राप्त की जाती हैं; या

20

(सी) वह साधन या तरीका जिसके द्वारा राउंड ट्रिप की गई राशि को स्थानांतरित या प्राप्त किया जाता है;

(ii) कोई समायोजन करने वाला या कर-उदासीन पक्ष; (iii) कोई भी तत्व

जिसका प्रभाव एक-दूसरे को संतुलित करने या रद्द करने का हो; या

25

(iv) ऐसा लेनदेन जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है और निधि की प्रकृति, स्थान, स्रोत, स्वामित्व या नियंत्रण को छुपाता है;

(20) "पक्ष" से व्यवस्था में शामिल पक्ष अभिप्रेत है; (21) "राउंड ट्रिप

वित्तपोषण" में वह वित्तपोषण सम्मिलित है जिसमें- (क) व्यवस्था में शामिल पक्षों के बीच

30

निधियों का अंतरण किया जाता है; और (ख) निधियों का अंतरण-

(i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर लाभ के रूप में परिणामित होता है, लेकिन प्रावधानों के लिए धारा 123 के अंतर्गत; या

(ii) व्यवस्था के किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी व्यावसायिक जोखिम को महत्वपूर्ण रूप से कम करना, ऑफसेट करना या समाप्त करना;

35

(22) "सुरक्षित बंदरगाह" से, सन्निकट मूल्य की गणना के संबंध में, ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं, जिनमें आयकर प्राधिकारी, निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य को स्वीकार करेंगे; (23) "समान प्रतिभूति" से ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो अपने धारक को पूंजी और ब्याज के संबंध में उसी व्यक्ति के

विरुद्ध समान अधिकार और उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए समान उपचार का हकदार बनाती है, चाहे इनमें कोई अंतर क्यों न हो-

40

(क) संबंधित प्रतिभूति की कुल नाममात्र राशि; (ख) वह रूप जिसमें इसे रखा गया है;

या (ग) वह तरीका जिससे इसे स्थानांतरित किया

जा सकता है;

45

(24) "कारोबार में पर्याप्त रुचि" होने पर व्यक्ति को ऐसा माना जाएगा

कारोबार में पर्याप्त हित है, यदि- (क) उस स्थिति में जहां कारोबार

किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, ऐसा व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बीस प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार वाले इक्विटी शेयरों का हिताधिकारी स्वामी है; या

50

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसे व्यवसाय के लाभ का बीस प्रतिशत या उससे अधिक का लाभार्थी रूप से हकदार है। (25) "कर लाभ" का अर्थ है - (क) इस संहिता के तहत देय कर या अन्य राशि में कटौती, परिहार या आस्थगन;

5

(ख) इस संहिता के अंतर्गत कर या अन्य राशि की वापसी में वृद्धि; (ग) कर या अन्य राशि में कमी, परिहार या आस्थगन जो कि इस संहिता के तहत देय लेकिन कर संधि के लिए;

10

(घ) कर संधि के परिणामस्वरूप इस संहिता के अंतर्गत कर या अन्य राशि की वापसी में वृद्धि; या (ङ) हानि में वृद्धि सहित कर आधार में कमी,

प्रासंगिक वित्तीय वर्ष या किसी अन्य वित्तीय वर्ष में।

(26) किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में "लेन-देन" में सम्मिलित व्यवस्था, समझ या कार्रवाई शामिल होगी - (क) चाहे ऐसी व्यवस्था, समझ या कार्रवाई औपचारिक हो या लिखित हो;

15

या (ख) चाहे ऐसी व्यवस्था, समझ या कार्रवाई का इरादा हो या नहीं

कानूनी कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय होना; (27) "प्रतिभूति

20

की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन" से तात्पर्य ऐसे लेनदेन से है,

जहां कोई व्यक्ति कोई प्रतिभूति खरीदता है, और उसी या समान प्रतिभूति को बेचता या हस्तांतरित करता है;

(28) "प्रतिभूति की बिक्री और वापस खरीद से संबंधित लेनदेन" से ऐसा लेनदेन अभिप्रेत है, जहां कोई व्यक्ति, किसी प्रतिभूति का स्वामी होते हुए, उस प्रतिभूति को बेचता या हस्तांतरित करता है, तथा उसी या समान प्रतिभूति को वापस खरीदता या पुनः अर्जित करता है; (29) किसी अधिकार के संबंध में "हस्तांतरण" में

अधिकार का सृजन भी शामिल है।

25

125. (1) किसी व्यवस्था को कर लाभ प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया माना जाएगा, जब तक कि कर लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह साबित नहीं कर देता कि कर लाभ प्राप्त करना व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं था।

उद्देश्य की धारणा.

30

(2) किसी व्यवस्था को कर लाभ प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया या कार्यान्वित किया गया माना जाएगा, यदि व्यवस्था के किसी चरण या उसके भाग का मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है, इस तथ्य के बावजूद कि संपूर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना नहीं है।

भाग जी

कर प्रबंधन

अध्याय बारह

35

कर प्रशासन और प्रक्रिया

ए. - कर प्रशासन

126. इस संहिता के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात: - (क) केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के

आयकर अधिकारी।

अंतर्गत गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,

1963 का 54.

40

(ख) मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक, (ग) आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक या आयकर आयुक्त (अपील), (घ) अपर आयकर आयुक्त या अपर आयकर निदेशक, (ङ) संयुक्त आयकर आयुक्त या संयुक्त आयकर निदेशक, (च) उप

आयकर आयुक्त या उप आयकर निदेशक, (छ) सहायक आयकर आयुक्त या सहायक आयकर निदेशक, (ज)

45

आयकर अधिकारी, (झ) कर वसूली अधिकारी, (ञ) आयकर निरीक्षक।

50

आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति और नियंत्रण।

127. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, आयकर प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और लोक सेवाओं और पदों पर आसीन व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार बोर्ड या महानिदेशक, मुख्य आयुक्त या निदेशक या आयुक्त को सहायक आयुक्त की पंक्ति से नीचे के आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

5

(3) सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए, बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत आयकर प्राधिकरण ऐसे कार्यकारी या अनुसचिवीय कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए आवश्यक हों।

10

(4) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई आयकर प्राधिकरण या प्राधिकरण ऐसे अन्य आयकर प्राधिकरण या प्राधिकरणों के अधीनस्थ होंगे, जिन्हें ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

उच्च अधिकारियों की शक्ति.

128. कर निर्धारण अधिकारी के पद से ऊपर के किसी भी आयकर प्राधिकारी के पास जांच करने के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो इस संहिता के तहत कर निर्धारण अधिकारी के पास होती हैं।

15

बोर्ड की अनुदेश जारी करने की शक्तियां.

129. (1) बोर्ड समय-समय पर अन्य आयकर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निर्देश या परिपत्र जारी कर सकेगा, जिन्हें वह इस संहिता के समुचित प्रशासन के लिए समीचीन या आवश्यक समझे।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेगा कि—

20

(ए) किसी आयकर प्राधिकरण को कोई विशेष मूल्यांकन करने या निपटान करने की आवश्यकता होती है किसी विशेष मामले का किसी विशेष तरीके से;

(ख) आयकर आयुक्त (अपील) को उसके समक्ष किसी मामले को किसी विशेष तरीके से निपटाने की आवश्यकता होगी।

(3) बोर्ड, उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि वह ऐसा करना समीचीन या आवश्यक समझता है, तो निम्नलिखित के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकेगा,-

25

(क) कर आधारों या मामलों के किसी वर्ग पर विचार करना, सिद्धांतों की व्याख्या करना, दिशा-निर्देश या प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करना, चाहे इस अधिनियम के किसी प्रावधान में छूट देकर।

संहिता या अन्यथा के प्रावधानों के अनुसार, जिसका अन्य आयकर प्राधिकारियों द्वारा राजस्व के आकलन या संग्रहण से संबंधित कार्य में पालन किया जाना, जिसमें ब्याज वसूलना या दंड लगाने की कार्यवाही शुरू करना शामिल है;

30

(ख) किसी मामले या मामलों के वर्ग को, वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए, किसी आयकर प्राधिकारी [आयकर आयुक्त (अपील) के अलावा] को इस अधिनियम के तहत किसी छूट, कटौती, धन वापसी या किसी अन्य राहत के लिए कोई आवेदन या दावा स्वीकार करने के लिए अधिकृत करना।

35

इस संहिता द्वारा या इसके अधीन आवेदन या दावा करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, धारा 14 के अधीन अपील प्रधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना तथा विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर उस पर कार्यवाही करना;

(ग) किसी मामले या मामलों के वर्ग में, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर निहित किसी आवश्यकता या शर्तों को शिथिल इस संहिता में किसी अनुतोष के अनुदान के संबंध में उपबंध है, अर्थात्, करना,

40

(i) ऐसी छूट वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए है;

(ii) आदेश में शक्ति के प्रयोग के कारण निर्दिष्ट किए गए हैं;

(iii) ऐसी आवश्यकता या शर्त का पालन करने में चूक के कारण करदाता के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के लिए;

(iv) करदाता ने पहले ऐसी आवश्यकता या शर्त का अनुपालन किया है

45

50

उस वित्तीय वर्ष का मूल्यांकन पूरा होना जिसके लिए राहत का दावा किया गया है; तथा

(v) इस खंड के अधीन जारी प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश, अनुदेश, निर्देश और परिपत्र सभी अन्य आयकर प्राधिकारियों और इस संहिता के निष्पादन में नियोजित अन्य व्यक्तियों पर बाध्यकारी होंगे।

130. (1) आयकर प्राधिकारी, इस संहिता द्वारा या इसके अधीन, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त या सौंपे गए सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा सभी या किन्हीं कार्यों का पालन ऐसे निदेशों के अनुसार करेंगे, जो बोर्ड उन सभी या किन्हीं प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के पालन के लिए जारी करे।

आयकर प्राधिकारियों
का क्षेत्राधिकार।

10

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के निदेश किसी अन्य आयकर प्राधिकारी को उसके अधीनस्थ सभी या किन्हीं अन्य आयकर प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्देश या आदेश जारी करते समय, बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य आयकर प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक या अधिक को ध्यान में रख सकेगा, अर्थात:-

15

(क) प्रादेशिक क्षेत्र;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग;

(ग) आय या आय के वर्ग; तथा

20

(घ) मामले या मामलों के वर्ग।

(4) कोई आयकर प्राधिकारी, जो उच्चतर रैंक का प्राधिकारी है, यदि बोर्ड द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए तो निम्नतर रैंक के आयकर प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगा और बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई निदेश उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया निदेश समझा जाएगा।

25

(5) बोर्ड आदेश द्वारा, , किसी महानिदेशक या निदेशक को किसी अन्य आयकर प्राधिकरण के ऐसे कार्य करने के लिए प्राधिकृत करना, जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(6) मुख्य आयुक्त, यदि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, तो दो या अधिक कर निर्धारण अधिकारियों (चाहे वे समान रैंक के हों या नहीं) को उनको प्रदत्त या सौंपे गए अधिकारों और कार्यों का एक साथ प्रयोग और निष्पादन करने का निर्देश दे सकेगा तथा निम्न रैंक का कर निर्धारण अधिकारी उच्च रैंक के कर निर्धारण अधिकारी के निर्देशों का पालन करेगा।

30

131. (1) निर्धारण अधिकारी, जिसे धारा 130 के अधीन जारी किसी निदेश या आदेश के आधार पर किसी क्षेत्र पर अधिकारिता प्रदान की गई है, ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, निम्नलिखित के संबंध में अधिकारिता होगी -

क्षेत्राधिकार
मूल्यांकन
अधिकारी।

(क) कोई व्यक्ति जो व्यवसाय करता है,—

35

(i) ऐसे मामले में जहां कारोबार एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है, उसके कारोबार का मुख्य स्थान उस क्षेत्र के भीतर स्थित है; या

(ii) किसी अन्य मामले में, वह स्थान जहां वह अपना व्यवसाय करता है, उस क्षेत्र के भीतर स्थित है; और

(ख) उस क्षेत्र में रहने वाला कोई अन्य व्यक्ति।

40

(2) मूल्यांकन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा: मुख्य आयुक्त जिसके अधीन कर निर्धारण अधिकारी कार्य कर रहा है।

(3) निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कोई विवाद, जहां वह विभिन्न मुख्य आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों से संबंधित हो, मुख्य आयुक्तों के बीच आम सहमति से तय किया जाएगा और यदि वे सहमत नहीं हैं, तो बोर्ड द्वारा या ऐसे मुख्य आयुक्त द्वारा, जिसे बोर्ड निर्देशित करे, तय किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठाने का हकदार नहीं होगा-

5

(क) उस तारीख से एक माह की समाप्ति के पश्चात, जिसको उसे धारा 150 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस दिया गया था, यदि व्यक्ति ने धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर दी है या मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात, जो भी पहले हो;

(ख) उपधारा (1) के अधीन नोटिस द्वारा दी गई समयावधि की समाप्ति के पश्चात् धारा 146 या धारा 159 की उपधारा (2) के तहत, यदि कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।

10

(5) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठाता है, वहां कर निर्धारण अधिकारी, यदि दावे की सत्यता से संतुष्ट नहीं है, तो कर निर्धारण किए जाने से पूर्व मामले को उपधारा (2) के अधीन निर्धारण के लिए निर्देशित करेगा।

15

(6) प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन कर निर्धारण अधिकारी को उस क्षेत्र के भीतर उत्पन्न या प्राप्त कर आधारों के संबंध में प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जिस पर उसे धारा 129 के अधीन अधिकारिता प्रदान की गई है, चाहे इस धारा में या धारा 129 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश या आदेश में कुछ भी हो।

हस्तांतरण की शक्ति मामले.

132. (1) यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या आयुक्त, आदेश द्वारा, किसी मामले को किसी कर निर्धारण अधिकारी से किसी अन्य कर निर्धारण अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ हो, अंतरित कर सकेगा।

20

(2) मुख्य आयुक्त, आदेश द्वारा, अपने अधीनस्थ किसी कर निर्धारण अधिकारी से किसी मामले को किसी अन्य मुख्य आयुक्त के अधीनस्थ किसी कर निर्धारण अधिकारी को अंतरित कर सकेगा, यदि दोनों मुख्य आयुक्त ऐसे अंतरण पर सहमत हों।

25

(3) बोर्ड, या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत मुख्य आयुक्त, आदेश द्वारा किसी मामले को मुख्य आयुक्त के अधीनस्थ किसी कर निर्धारण अधिकारी से किसी अन्य मुख्य आयुक्त के अधीनस्थ किसी कर निर्धारण अधिकारी को अंतरित कर सकेगा, यदि मुख्य आयुक्त ऐसे अंतरण से सहमत नहीं हैं।

(4) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश उस व्यक्ति को, जिसका मामला अन्तरित किया जा रहा है, यथासंभव मामले में सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसे अन्तरण के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् पारित किया जाएगा।

30

(5) यदि मामला स्थानांतरित किया जा रहा है तो उपधारा (4) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। एक कर निर्धारण अधिकारी से उसी शहर में स्थित दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को।

(6) इस धारा के अधीन किसी मामले का अंतरण कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किया जा सकेगा और अंतरणकर्ता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पहले से जारी किसी नोटिस को पुनः जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

35

(7) इस अध्याय में, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में "मामला" से, जिसका नाम प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश में निर्दिष्ट है, इस संहिता के तहत किसी भी वर्ष के संबंध में सभी कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं -

40

(i) ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख को लंबित हो सकता है;

(ii) उक्त तिथि को या उससे पहले पूरा हो चुका हो; या

(iii) उक्त तारीख के पश्चात् प्रारम्भ किया जा सकेगा।

पदधारी का परिवर्तन.

133. (1) आयकर प्राधिकारी, जो अधिकारिता में परिवर्तन के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से किसी अन्य प्राधिकारी का उत्तराधिकारी बनता है, कार्यवाही को उसी प्रक्रम से जारी रखेगा जिस प्रक्रम पर उसे उसके पूर्ववर्ती ने छोड़ा था।

45

(2) ऐसे मामले में करदाता को, उसके मामले में कोई आदेश पारित करने से पूर्व, सुनवाई का अवसर दिया जा सकेगा, यदि ऐसा अनुरोध किया जाए।

134. (1) विहित आयकर प्राधिकारियों और विवाद समाधान पैनल को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद की सुनवाई करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

साक्ष्य की
खोज और
प्रस्तुतीकरण से
संबंधित
शक्तियां।

1908 का 5.

5

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) बैंकिंग क्षेत्र के किसी अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति सुनिश्चित कराना कंपनी और शपथ पर उसकी जांच;

(ग) लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और

10

(घ) कमीशन जारी करना।

(2) कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए, विहित आयकर प्राधिकारी में उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियां निहित होंगी, चाहे उसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित हो या नहीं।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए विहित कोई आयकर प्राधिकारी, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, अपने समक्ष प्रस्तुत की गई किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज को जब्त कर सकेगा तथा उन्हें ऐसी अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा, जितनी वह ठीक समझे।

15

(4) संयुक्त आयुक्त से नीचे के पद का कोई आयकर प्राधिकारी,—

(क) ऐसा करने के कारणों को दर्ज किए बिना किसी भी खाता बही या अन्य दस्तावेजों को जब्त कर लेगा; या

20

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ऐसी किसी पुस्तक या दस्तावेज को तीस दिन से अधिक अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

30

135. (1) सक्षम जांच प्राधिकारी किसी प्राधिकृत अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, यदि उसके पास, उसके पास मौजूद सूचना के परिणामस्वरूप, यह मानने का कारण है कि —

खोज और जब्ती।

1961 का 43.

1957 का 27.

35

(क) कोई व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) या धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन या धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37 या धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व थे, या इस संहिता की धारा 134 की उपधारा (1) या धारा 146 या धारा 150 के अधीन समन या नोटिस जारी किया गया था, ऐसे समन या नोटिस द्वारा अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत करने में चूक गया है या असफल रहा है;

(ख) कोई व्यक्ति जिसके लिए पूर्वोक्त समन या नोटिस जारी किया गया है या किया जा सकता है, कोई ऐसी सामग्री प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत नहीं करवाएगा जो आयकर अधिनियम, 1961 या उसके अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी।

1961 का 43.

1957 का 27.

40

संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 के अधीन, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व या इस संहिता के अधीन थे; या

(ग) किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई सामग्री है जो पूर्णतः या अंशतः ऐसे कर आधारों या सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसका आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए, जैसा कि वह इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व था, खुलासा नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा।

1961 का 43.

45

या संपत्ति-कर अधिनियम, 1957, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ से पहले थे, या इस संहिता (इस खंड में इसके बाद अघोषित कर आधार या संपत्ति के रूप में संदर्भित)। 1957 का 27.

(2) प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्राधिकरण के अनुसरण में तलाशी और जब्ती करेगा और इस प्रयोजन के लिए उसे निम्नलिखित सभी शक्तियां प्राप्त होंगी-

5

(क) किसी भी इमारत, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान में प्रवेश करना और उसकी तलाशी लेना, जहां वह हो यह संदेह करने का कारण कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सामग्री रखी गई है;

(ख) खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ना, जहां उसकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं;

10

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेना जो भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान से बाहर निकल गया है या उसमें जाने वाला है या उसमें है, यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पास कोई सामग्री छिपा रखी है;

(घ) किसी भी व्यक्ति से, जिसके पास सूचना के अधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (टी) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखी गई किसी भी प्रकार की सामग्री, जैसे खाता बही या अन्य दस्तावेज, का कब्जा या नियंत्रण पाया जाता है, यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्ति, जो सूचना के अधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (टी) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखी गई किसी भी प्रकार की सामग्री, जैसे खाता बही या अन्य दस्तावेज, का कब्जा या नियंत्रण रखता है, अपेक्षा करना।

15

प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सामग्री का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करना;

2000 का 21.

(ई) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई किसी भी ऐसी सामग्री को, जो व्यापार-स्टॉक में नहीं है, जब्त कर सकेगा;

20

(च) किसी भी सामग्री पर पहचान के निशान लगाना, चाहे वह लेखा बही हो या अन्य दस्तावेज बनाना, या उनसे उद्धरण या प्रतियां बनाना या बनवाना;

(छ) स्टॉक-इन-ट्रेड सहित किसी भी ऐसी सामग्री का नोट या सूची तैयार करना।

(3) सक्षम अन्वेषण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, यदि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर अधिकारिता का प्रयोग करता है।

25

(4) सक्षम जांच प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग भी कर सकेगा, यदि—

(क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान उसके अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र में स्थित है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है; तथा

30

(ख) उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम जांच प्राधिकारी से प्राधिकरण प्राप्त करने में कोई विलम्ब राजस्व के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

(5) सक्षम अन्वेषण प्राधिकरण किसी प्राधिकृत अधिकारी को किसी भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान के संबंध में उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पारिणामिक प्राधिकरण जारी कर सकेगा, यदि उसके पास अपने कब्जे में मौजूद सूचना के परिणामस्वरूप यह संदेह करने का कारण है कि कोई सामग्री, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण उसी या किसी अन्य सक्षम अन्वेषण प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है, किसी ऐसे भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान में रखी गई है या रखी गई है।

35

(6) प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या दोनों की सेवाओं की अध्यक्षता कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यक्षता का अनुपालन करे।

40

(7) प्राधिकृत अधिकारी स्वामी या उस व्यक्ति को, जो किसी सामग्री के तत्काल कब्जे या नियंत्रण में है, यह आदेश दे सकता है कि वह उसकी पूर्व अनुमति के बिना उसे हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उससे व्यवहार नहीं करेगा, जहां प्राधिकृत अधिकारी की राय में ऐसा कोई आदेश हो, जो उस सामग्री के तत्काल कब्जे या नियंत्रण में हो।
अधिकारी—

5 (क) ऐसी सामग्री को, जो स्टॉक-इन-ट्रेड नहीं है, उसके आयतन, भार या अन्य भौतिक विशेषताओं (जिसमें उसकी खतरनाक प्रकृति भी शामिल है) के कारण भौतिक रूप से कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना संभव या व्यावहारिक नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी की ऐसी कार्रवाई अधिकारी द्वारा किया गया कोई भी कार्य उपधारा (2) के खंड (ई) के अधीन जब्ती माना जाएगा ; या

10 (ख) ऐसी सामग्री को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है [खंड (क) में उल्लिखित कारणों के अलावा] और प्राधिकृत अधिकारी की ऐसी कार्रवाई उपधारा (2) के खंड (ई) के तहत जब्ती नहीं समझी जाएगी ।

(8) उपधारा (7) के खंड (ख) के अधीन आदेश उस मास के अंत से दो मास से अधिक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जिसमें आदेश तामील किया गया था और प्राधिकृत अधिकारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठा सकेगा जो आवश्यक हों।

15

(9) प्राधिकृत अधिकारी, तलाशी या जब्ती के दौरान, किसी ऐसे व्यक्ति की शपथ पर जांच कर सकेगा, जिसके पास कोई सामग्री कब्जे या नियंत्रण में पाई जाती है और ऐसी जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई कथन, तत्पश्चात् आयकर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन, जैसी वे इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व थीं, या इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

1961 का 43.

27, 1957.

20

1974 का 2.

(10) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और उससे संबंधित प्रावधान जब्ती, जहां तक संभव हो, इस धारा के अधीन तलाशी और जब्ती पर लागू होंगी।

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए बोर्ड निम्नलिखित विहित कर सकेगा-

(क) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-

25

(i) किसी भी इमारत, स्थान, जहाज, वाहन या विमान में प्रवेश करने के लिए जहां मुक्त प्रवेश उपलब्ध नहीं है, वहां तलाशी ली जाए; तथा

(ii) जब की गई किसी सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए; और

(ख) इस धारा के अधीन तलाशी और जब्ती से संबंधित कोई अन्य मामला।

30 136. (1) सक्षम जांच प्राधिकारी किसी आयकर प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "अधिग्रहण अधिकारी" कहा जाएगा) को किसी अधिकारी या प्राधिकारी से ऐसी सामग्री को, जो ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य कानून के तहत हिरासत में ली गई है, अधिग्रहण अधिकारी को सौंपने की मांग करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

हिरासत में ली गई सामग्री को वापस लेने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिग्रहण हेतु प्राधिकरण निम्नलिखित द्वारा जारी किया जाएगा:

सक्षम जांच प्राधिकारी को, यदि उसके पास उपलब्ध सूचना के परिणामस्वरूप, यह विश्वास करने के कारण हों कि -

35

(क) कोई व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन या धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37 या धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व थे, या इस संहिता की धारा 134 की उपधारा (1) या धारा 146 या धारा 150 के अधीन समन या नोटिस जारी किया गया था, ऐसी सामग्री को पेश करने या पेश करवाने में लोप किया है या असफल रहा है; या

1961 का 43.

1957 का 27.

40

(ख) कोई व्यक्ति जिसे पूर्वोक्त समन या नोटिस जारी किया गया है या जारी किया जा सकता है, ऐसी सामग्री पेश नहीं करेगा या पेश नहीं करवाएगा, जो

आयकर अधिनियम, 1961 या इसके अंतर्गत किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगा। 1961 का 43.
संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 के अधीन, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व या इस संहिता के अधीन थे; या 1957 का 27.

(ग) ऐसी सामग्री पूर्णतः या अंशतः कर आधार या सम्पत्ति को दर्शाती है, जिसका खुलासा आयकर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम, 1957 के प्रयोजनों के लिए, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारम्भ से पूर्व थे, या इस संहिता के अधीन, नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा। 1961 का 43. 5
1957 का 27.

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी सामग्री को या तो तुरन्त या जब ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की यह राय हो कि उसे उसकी अभिरक्षा में रखना अब आवश्यक नहीं है, अधियाचना अधिकारी को सौंप देगा।

10

(4) धारा 135 की उपधारा (1) से (11) के उपबंध इस धारा पर लागू होंगे।

जब्त या जब्त की गईं खाता पुस्तकों या दस्तावेजों को रखना और जारी करना।

137. (1) प्राधिकृत अधिकारी धारा 135 के अधीन जब्त लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को, तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण के निष्पादन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा, यदि प्राधिकृत अधिकारी का उस व्यक्ति पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जिससे लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को जब्त किया गया था।

15

अपेक्षित.

(2) यदि अध्यक्ष अधिकारी का उस व्यक्ति पर कोई अधिकारिता नहीं है जिससे लेखा पुस्तकें या दस्तावेज किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अभिरक्षा में लिए गए थे, तो अध्यक्ष अधिकारी धारा 136 के अधीन परिदत्त लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को, लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा।

20

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, करदाता द्वारा किए गए आवेदन पर, उसे जब्त या अधिग्रहीत लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने की अनुमति देंगे।

(4) कर निर्धारण अधिकारी, धारा 163 में विनिर्दिष्ट कर निर्धारण पूरा करने की समय-सीमा की तारीख से तीस दिन की अवधि तक, अभिगृहीत या अधिगृहीत लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों को अपने पास रख सकेंगे। 25

(5) कर निर्धारण अधिकारी मुख्य आयुक्त या आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक अभिगृहीत लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को अपने पास रख सकेगा।

30

(6) मुख्य आयुक्त या आयुक्त, अभिगृहीत लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को, इस संहिता के अधीन कार्यवाही, जिसके लिए ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज सुसंगत हैं, पूरी होने की तारीख से तीस दिन की अवधि से अधिक समय तक अपने पास रखने की अनुमति नहीं देगा।

(7) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के अनुमोदन से, कर निर्धारण या किसी अन्य सुसंगत कार्यवाही के पूरा होने से पहले किसी लेखा बही या दस्तावेज को, ऐसी लेखा बही या दस्तावेज की एक प्रति या उद्धरण अपने पास रखने के पश्चात्, वापस कर सकेंगे, यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी लेखा बही या दस्तावेज को वापस करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 35

अन्य व्यक्तियों से संबंधित सामग्री का वितरण।

138. वह कर निर्धारण अधिकारी, जिसका उस व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र है जिसके मामले में धारा 135 के अधीन तलाशी और जब्त की गई थी, या धारा 136 के अधीन अधिग्रहण किया गया था, किसी सामग्री को किसी अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि जब्त की गई या अधिग्रहण की गई सामग्री उस अन्य व्यक्ति की है। 40

जब्त या अधिगृहीत परिसंपत्तियों का प्रतिधारण और उपयोग।

139. (1) मूल्यांकन अधिकारी धारा 139 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी देयता की राशि वसूल कर सकता है।
उपधारा (2),— 45

(क) लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों के अलावा अन्य सामग्री में से, (इसके बाद

धारा 135 के तहत जब या धारा 136 के तहत अधिगृहीत "परिसंपत्तियां" के रूप में संदर्भित; या

(ख) इस संहिता के अंतर्गत अधिकथित किसी अन्य तरीके से।

(2) किसी देयता की राशि निम्नलिखित का योग होगी -

(क) इस संहिता, आयकर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन विद्यमान किसी देयता की रकम, जैसी वे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व थीं।
संहिता, दान-कर अधिनियम, 1958, ब्याज-कर अधिनियम, 1974 और व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 135 के तहत तलाशी या धारा 136 के तहत अधिग्रहण की तारीख तक;

(ख) इस संहिता के अधीन या खंड (क) में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन किसी दायित्व की रकम, जो तलाशी या अधिग्रहण की तारीख के पश्चात् और तलाशी या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मूल्यांकन पूरा होने की तारीख तक निर्धारित की जाती है;

(ग) तलाशी या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मूल्यांकन पूरा होने पर निर्धारित किसी देयता की राशि; तथा

(घ) इस संहिता के अधीन या खंड (क) में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन किसी देयता की राशि, जो तलाशी या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात् और परिसंपत्तियों की रिहाई की तारीख तक निर्धारित की जाएगी।

15

(3) मूल्यांकन अधिकारी उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट विद्यमान दायित्व की वसूली कर सकेगा और परिसंपत्ति के शेष भाग को, यदि कोई हो, धारा 135 के अधीन तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण के निष्पादन की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से परिसंपत्तियां जब्त की गई थीं, मुक्त कर सकेगा, यदि -

20

(क) व्यक्ति द्वारा उस माह के अंत से तीस दिन की अवधि के भीतर आवेदन किया जाता है जिसमें परिसंपत्तियां जब्त की गई थीं;

(ख) व्यक्ति द्वारा संपत्ति की प्रकृति और स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है।
मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि; और

25

(ग) मुख्य आयुक्त या आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(4) धन से भिन्न आस्तियां उसी प्रकार कर-अधिग्रहण के अधीन मानी जाएंगी मानो ऐसी कर-अधिग्रहण, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी द्वारा की गई हो और ऐसी आस्तियों में से किसी दायित्व की वसूली पांचवीं अनुसूची में अधिकथित तरीके से की जाएगी।

30

(5) निर्धारण अधिकारी, निर्धारित समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से आस्तियां अधिगृहीत की गई थीं, कोई भी आस्तियां या उनकी आय, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट दायित्वों के उन्मोचित हो जाने के पश्चात् बची रहती है, छोड़ देगा।

35

(6) मूल्यांकन अधिकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से तलाशी या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मूल्यांकन करने से पहले किसी भी जब्त या अधिगृहीत परिसंपत्ति (नकदी के अलावा) को छोड़ सकता है, यदि संबंधित व्यक्ति मूल्यांकन अधिकारी के पास रिहाई की तारीख को ऐसी परिसंपत्ति के मूल्य के बराबर धनराशि जमा करता है और इस प्रकार जमा की गई राशि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जब्त या अधिगृहीत नकदी मानी जाएगी।

40

(7) यदि आस्तियां केवल धन से बनी हैं, या अंशतः धन से बनी हैं और अंशतः अन्य आस्तियां हैं, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे धन को उपधारा (2) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन में लगा सकेगा और निर्धारिती को इस प्रकार लगाए गए धन की सीमा तक ऐसे दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

45

140. (1) इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड किसी बात के होते हुए भी, वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत यह अपेक्षित है कि-

(क) किसी विहित व्यक्ति को ऐसी सूचना ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत करने का निर्देश देना, जैसा कि विहित किया जाए; तथा

सूचना मांगने की शक्ति.

(ख) किसी विहित आयकर प्राधिकारी से ऐसी सूचना ऐसे प्ररूप और तरीके से मांगना, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) कोई आयकर प्राधिकारी, जो आयकर अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से ऐसी कोई जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष लंबित किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

5

(3) इस धारा में, "व्यक्ति" के अंतर्गत बैंककारी कंपनी या उसका कोई अधिकारी शामिल होगा।

शक्ति का सर्वेक्षण.

141. (1) विहित आयकर प्राधिकारी किसी अन्य आय को दर्ज कर सकता है या अधिकृत कर सकता है-
कर प्राधिकारी को किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जहां किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय किया जाता है, यदि -

10

(क) उसके पास संदेह करने का कारण है कि व्यक्ति ने प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है इस संहिता के; और

(ख) वह स्थान है—

(i) उसे सौंपे गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर; या (ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिभोग किया गया हो जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है।

15

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी, इसमें निर्दिष्ट किसी कारबार स्थान में केवल सूच्योदय के पश्चात और सूच्योदय से पूर्व या ऐसे समय में प्रवेश करेगा जब ऐसा स्थान कारबार के संचालन के लिए खुला हो।

(3) उस स्थान में प्रवेश करते समय आयकर प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति से, जो किसी भी तरह से उस स्थान पर व्यवसाय में भाग लेना, -

20

(क) उसे उस स्थान पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करना;

(बी) उसे नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की जांच या सत्यापन करने का अवसर प्रदान करना वहां पाया गया; और

(ग) उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में इस संहिता के अधीन कार्यवाही के लिए सुसंगत या उपयोगी कोई जानकारी प्रस्तुत करना।

25

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे स्थान में, जहां कारोबार किया जाता है, निम्नलिखित स्थान सम्मिलित है-

(क) जो ऐसे कारोबार का मुख्य स्थान नहीं है; (ख) जहां कोई कारोबार या गतिविधि की

जा रही है और ऐसे कारोबार या गतिविधि से संबंधित कर आधार को इस संहिता के किसी प्रावधान के तहत कुल कर आधार में शामिल नहीं किया जाना है;

30

(ग) जहां खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के कारबार या कारबार या क्रियाकलाप से संबंधित कोई लेखा बही, दस्तावेज, नकदी, व्यापारिक स्टॉक या मूल्यवान वस्तुएं रखी जाती हैं; या (घ) जहां इस संहिता के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण से संबंधित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाली कोई लेखा

35

बही, दस्तावेज या अन्य अभिलेख रखे जाते हैं।

(5) स्थान में प्रवेश करते समय आयकर प्राधिकारी -

(क) खाता बहियों, दस्तावेजों या अभिलेखों पर पहचान के चिह्न लगाना उसके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और उसमें से उद्धरण या प्रतियां ली जाएंगी;

40

(ख) उसके द्वारा निरीक्षण की गई किसी भी लेखा-बही, दस्तावेज या अभिलेख को, ऐसा करने के कारणों को रिकार्ड करने के पश्चात, जप्त कर लेगा;

(ग) नकदी, स्टॉक या मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाना; या

(घ) किसी व्यक्ति से शपथ पर यह जांच करना कि क्या उसका कथन इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत होगा।

(6) विहित आयकर प्राधिकारी, किसी समारोह, समारोह या आयोजन के संबंध में व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय को सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे समारोह, समारोह या आयोजन के पश्चात्-

5

(क) उस व्यक्ति से, जिसने ऐसा व्यय किया है या किसी अन्य व्यक्ति से, जिसके पास ऐसे व्यय के संबंध में जानकारी होने की संभावना है, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकती है; तथा

10

(ख) इस संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के बयान दर्ज करना।

(7) उपधारा (5) के खंड (घ) और खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन

उपधारा (6) की धारा (ख) के खंड (क) के खंड (ग) के उपबंधों का इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

(8) इस धारा के अधीन कार्य करने वाला आयकर प्राधिकारी किसी भी हालत में उस स्थान से कोई नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज नहीं हटाएगा या हटवाएगा जहां उसने प्रविष्टि की है।

15

(9) आयकर प्राधिकारी, आयुक्त के अनुमोदन के बिना, इस धारा के अधीन अपने द्वारा जब्त की गई किसी भी लेखा-पुस्तक, दस्तावेज या अभिलेख को एक माह से अधिक समय तक अपने पास नहीं रखेगा।

(10) निरीक्षक के अलावा आयकर प्राधिकारी के पास अनुपालन लागू करने के लिए धारा 134 की उपधारा (1) के तहत सभी शक्तियां होंगी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने से इनकार करता है, या टालमटोल करता है- (क) आयकर प्राधिकारी को खाता पुस्तकों का निरीक्षण करने की

सुविधा प्रदान करना, या
अन्य दस्तावेज़;

(ख) ऐसे प्राधिकारी को किसी नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की जांच या सत्यापन करने की अनुमति देना;

25

(ग) कोई भी जानकारी प्रस्तुत करना; या (घ)

अपना बयान दर्ज कराना।

(11) इस धारा में, "कार्यवाही" से उस तारीख को, जिसको इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इस संहिता के अधीन किसी वर्ष के संबंध में समस्त कार्यवाहियां अभिप्रेत होंगी, जो -

30

(i) ऐसी तारीख को या उससे पहले पूरा हो चुका हो सकता है; (ii) ऐसी तारीख को

लंबित हो सकता है; या (iii) ऐसी तारीख के बाद शुरू किया जा

सकता है।

142. (1) उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अलावा किसी भी करदाता के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(2), किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाएगा,—

35

(क) बोर्ड; (ख) कोई

आयकर प्राधिकरण या अधिकारी या अनुसचिवीय कर्मचारी; या (ग) कोई व्यक्ति, एजेंसी या प्राधिकरण जो किसी

भी तरह से इस संहिता के प्रशासन में लगा हुआ है।

40

(2) बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी करदाता के संबंध में कोई जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा या दिलवा सकेगा जो निम्नलिखित के अधीन कोई कृत्य करता है-

(क) कोई कर, शुल्क या उपकर लगाने या विदेशी मुद्रा में लेन-देन से संबंधित कोई कानून; या

(ख) कोई अन्य कानून जो केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी राय में आवश्यक हो, बना सकती है।

निम्नलिखित के
संबंध में सूचना
प्रकट करने की शक्ति
करदाता।

ऐसा करने के लिए लोकहित में, इस संबंध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना केवल ऐसी सूचना होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(क) सूचना बोर्ड द्वारा, या उस उपधारा के अधीन आदेश द्वारा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा, इस संहिता के अधीन अपने कृत्यों के पालन में प्राप्त या अभिप्राप्त की जाती है; और

5

(ख) सूचना, सूचना देने वाले व्यक्ति की राय में, सूचना प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्ति को उस उपधारा में निर्दिष्ट विधियों के अधीन कार्य करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

(4) मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी करदाता से संबंधित कोई जानकारी दे सकेगा या दिलवा सकेगा, जो इस संहिता के अधीन किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा उसके कृत्यों के पालन में प्राप्त या अभिप्राप्त की गई हो, यदि—

10

(क) व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त को आवेदन करता है।
निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त को; तथा

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में है।

15

(5) उपधारा (4) के अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त का निर्णय किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, इस धारा में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे निर्धारित वर्ग से संबंधित या ऐसे प्राधिकारियों को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

20

आयकर अधिकारियों के समक्ष
#-
कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी।

143. (1) इस संहिता के अधीन आयकर प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

25 1860 का 45.

(2) प्रत्येक आयकर प्राधिकरण को धारा 195 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा, किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं।

1974 का 2.

बी. — मूल्यांकन प्रक्रिया

कर आधारों की स्व-
रिपोर्टिंग

144. (1) प्रत्येक व्यक्ति को कर आधारों का विवरण निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना होगा। कर निर्धारण अधिकारी या अन्य कोई प्राधिकरण या एजेंसी, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

30

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति--

(क) आय के संबंध में निम्नलिखित होगा, अर्थात्:—

(i) कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, यदि साधारण स्रोतों से सकल कुल आय सीमा से अधिक हो;

35

(ii) कोई कंपनी;

(iii) एक असंबद्ध निकाय;

(iv) कोई गैर-लाभकारी संगठन;

(v) सहकारी समिति;

(vi) सहकारी समिति से भिन्न कोई समिति;

(vii) स्थानीय प्राधिकरण;

(viii) कोई राजनीतिक दल;

5 (ix) कोई व्यक्ति जो इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार हानि या उसके किसी भाग को आगे ले जाने का इरादा रखता है;

(x) कोई व्यक्ति जो विशेष स्रोतों से कोई आय प्राप्त करता है और ऐसी आय कर योग्य है;

(xi) इस संहिता के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई अन्य व्यक्ति, और

(xii) व्यक्तियों का कोई वर्ग या वर्ग, जैसा कि विहित किया जा सके;

10 (ख) लाभांश या वितरित आय के संबंध में, निम्नलिखित होगा, अर्थात्:—

(i) भारत में स्थित कोई कंपनी जो लाभांश वितरित करती है;

(ii) एक म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिण्टेड फंड के यूनिट धारकों को आय वितरित करता है;

15 (iii) एक जीवन बीमाकर्ता जो अनुमोदित इक्विटी उन्मुख जीवन बीमा योजना के पॉलिसी धारकों को आय वितरित करता है;

(ग) शुद्ध संपत्ति के संबंध में, गैर-लाभकारी संगठन से भिन्न कोई भी व्यक्ति होगा, यदि शुद्ध संपत्ति उस अधिकतम राशि से अधिक है जो संपत्ति-कर के लिए प्रभार्य नहीं है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर आधारों की विवरणी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति के कर आधारों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के कर आधारों के संबंध में विवरणी होगी, जिसके संबंध में ऐसा व्यक्ति सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए कर निर्धारणीय है।

20

(4) कर आधारों की विवरणी ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत की जाएगी, ऐसे तरीके से सत्यापित की जाएगी और ऐसे अन्य विवरण, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, निर्धारित किए जाएंगे।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या धारा 146 के अधीन अपने द्वारा प्रस्तुत कर आधारों के विवरण में कोई चूक या कोई गलत कथन पाता है तो वह ऐसे विवरण को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व, जिसमें विवरणी देय थी, या निर्धारण पूरा होने के पूर्व, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित कर सकेगा।

25

(6) कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व या मूल्यांकन पूरा होने से पूर्व, जो भी पहले हो, किसी भी समय प्रस्तुत कर सकता है, यदि-

30

(क) ऐसे व्यक्ति ने नियत तिथि तक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है; और

(ख) धारा 146 की उपधारा (1) के अधीन कोई नोटिस उस पर तामील नहीं किया गया है।

(7) यदि निर्धारण अधिकारी पाता है कि किसी व्यक्ति ने विवरणी निर्धारित प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत नहीं की है या उसमें उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित विवरण नहीं हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को कमी की सूचना दे सकेगा और सूचना की तामील से तीस दिन की अवधि के भीतर उसे कमी को दूर करने का अवसर दे सकेगा।

35

(8) यदि उपधारा (7) में निर्दिष्ट कमी को निर्धारित समय के भीतर दूर नहीं किया जाता है, तो मूल्यांकन अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल रिटर्न को अवैध मानेगा और संहिता के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो व्यक्ति रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहा हो।

40

(9) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति के कर आधारों की विवरणी उक्त तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जाएगा :

मेज़

धारावाहिक	रिटर्न संख्या या कर आधार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	व्यक्ति को हस्ताक्षर करना आवश्यक है और कर आधारों की वापसी का सत्यापन करें	
(1)	(2)	(3)	
1.	व्यक्ति मानसिक रूप से अपने कामों में असमर्थ हो जाता है	(क) व्यक्ति का संरक्षक; या (ख) कोई अन्य व्यक्ति विधिवत् उसकी ओर से कार्य करने में सक्षम।	5
2.	कोई अन्य व्यक्ति	(क) व्यक्ति स्वयं; या (बी) किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा विधिवत् प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति इस मामले में व्यक्ति द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी यदि व्यक्ति भारत में नहीं है या किसी अन्य कारण से यह संभव नहीं है ताकि वह रिटर्न पर हस्ताक्षर कर सकें।	10
3.	हिंदू अविभाजित परिवार	(क) परिवार का कर्ता; या (ख) परिवार का कोई अन्य वयस्क सदस्य यदि कर्ता भारत में नहीं है या मानसिक रूप से बीमार है अपने कामकाज निपटाने में असमर्थ।	15
4.	कंपनी का भारत में निवासी न होना	कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैध शक्ति है ऐसा करने के लिए कंपनी की ओर से एक वकील की नियुक्ति की जाएगी।	
5.	(क) वह कंपनी जो खंड (जी) में निर्दिष्ट परिसमापक है न्यायालय द्वारा या अन्यथा समाप्त कर दिया गया हो; या धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन हो। (ख) कंपनी जहां किसी व्यक्ति के पास के रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया है कंपनी की कोई भी संपत्ति		20
6.	वह कंपनी जिसके प्रबंधन में कंपनी का प्रधान अधिकारी होता है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया सरकार या किसी भी राज्य किसी भी कानून के तहत सरकार		25
7.	कोई अन्य कंपनी	(क) कंपनी का प्रबंध निदेशक; या (बी) कंपनी का कोई निदेशक यदि हो तो कोई प्रबंध निदेशक या प्रबंध नहीं है निदेशक, किसी अपरिहार्य कारण से, रिटर्न पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं होना।	30
8.	अटल	(क) फर्म का प्रबंध साझेदार; या (ख) किसी भी भागीदार (नाबालिग न हो) यदि फर्म में कोई प्रबंध साझेदार या प्रबंधक नहीं है प्रबंध साझेदार, किसी भी अपरिहार्य स्थिति के लिए कारण, हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने में सक्षम नहीं है वापस करना।	35
9.	सीमित देयता भागीदारी	(ए) लिमिटेड का नामित भागीदार देयता भागीदारी; या (ख) किसी भी भागीदार (नाबालिग न हो) सीमित दायित्व भागीदारी यदि नहीं है	40

नामित साझेदार या नामित साझेदार किसी अपरिहार्य कारण से रिटर्न पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने में सक्षम नहीं है।

10.	स्थानीय प्राधिकारी	स्थानीय प्राधिकरण का प्रधान अधिकारी, पक्ष का मुख्य कार्यकारी
5	111 राजनीतिक दल	अधिकारी (चाहे ऐसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव या किसी अन्य पदनाम से जाना जाता हो)।
10	12.	व्यक्तियों का कोई अन्य संघ संघ का कोई सदस्य या प्रमुख अधिकारी।
	13.	कोई अन्य व्यक्ति (क) स्वयं व्यक्ति; या (ख) उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति।

15 (10) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन कर आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा अपेक्षा नहीं है, वह ऐसा विवरणी उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत कर सकेगा जिससे वह संबंधित है और इस संहिता के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत विवरणी है।

20 145. (1) बोर्ड, धारा 144 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम तैयार कर सकेगा, ताकि कर विवरणी तैयारकर्ता को स्कीम के अनुसार किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के कर आधारों की विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सके। कर वापस करना तैयारकर्ता.

(2) प्रत्येक कर विवरणी तैयार करने वाला व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई विवरणी पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(3) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजना में निम्नलिखित का प्रावधान हो सकेगा, अर्थात्:-

- 25 (क) कर रिटर्न तैयार करने वाले के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता मानदंड;
- (ख) कर रिटर्न तैयार करने वाले के लिए आचार संहिता;
- (ग) कर रिटर्न तैयार करने वाले के कर्तव्य और दायित्व;
- (घ) वह अवधि जिसके लिए कर रिटर्न तैयारकर्ता को अधिकृत किया जाएगा;
- (ई) वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कर रिटर्न तैयार करने वाले को दिया गया प्राधिकार वापस लिया जा सकता है; और
- 30 (च) कोई अन्य विषय जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए योजना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) इस धारा में-

(क) "कर रिटर्न तैयारकर्ता" से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे इस धारा के अंतर्गत बनाई गई योजना के अंतर्गत कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है;

35 (ख) "कर रिटर्न तैयारकर्ता योजना" का अर्थ है कर प्राधिकरण द्वारा तैयार और अधिसूचित योजना बोर्ड के माध्यम से कर आधारों की रिटर्न तैयार करने और प्रस्तुत करने की व्यवस्था करना। कर रिटर्न तैयारकर्ता; तथा

40 (ग) "व्यक्तियों का निर्दिष्ट वर्ग" से ऐसे व्यक्तियों का वर्ग अभिप्रेत है, जिन्हें इस संहिता के अधीन कर आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो किसी कंपनी या ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिनके लेखों का धारा 88 के अधीन लेखा परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

146. (1) निर्धारण अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को, जिसके मामले में धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय समाप्त हो गया है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से इक्कीस मास की अवधि के भीतर, जिसमें विवरणी देय थी, नोटिस दे सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

पुनः प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करना मोड़।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी नोटिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति नोटिस की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करेगा और विवरणी ऐसे प्ररूप में, उस तरीके से सत्यापित और ऐसे अन्य विवरण दिए जाएंगे, जो विहित किए जाएं।

आस-मूल्यांकन-
कर.

147. (1) करदाता को कर आधारों का रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित का भुगतान करना होगा, स्व-मूल्यांकन कर के रूप में निम्नलिखित राशियों का योग, अर्थात्:— 5

(क) प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न के आधार पर देय कर की राशि

इस संहिता के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित से कम की गई राशि

(i) इस संहिता के अंतर्गत पहले से भुगतान की गई कर की राशि, यदि कोई हो;

(ii) स्रोत पर काटा गया या संग्रहित कोई कर; 10

(iii) धारा 207 के अंतर्गत दावा किए गए कर की कोई राहत; और

(iv) धारा 106 के अंतर्गत कोई कर क्रेडिट; तथा

(ख) ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए इस संहिता के किसी प्रावधान के अंतर्गत देय ब्याज की राशि।

(2) किसी वित्तीय वर्ष के लिए स्व-मूल्यांकन कर के रूप में भुगतान की गई राशि को पहले इस संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत देय ब्याज के प्रति समायोजित किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, देय कर के प्रति समायोजित की जाएगी, यदि भुगतान किए गए स्व-मूल्यांकन कर की राशि उप-धारा (1) के तहत देय स्व-मूल्यांकन कर से कम हो जाती है। 15

(3) धारा 155 या धारा 156 के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाने के पश्चात्, कोई भी राशि उपधारा (1) के अधीन भुगतान की गई राशि ऐसे निर्धारण के लिए भुगतान की गई मानी जाएगी। 20

(4) यदि कोई करदाता उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार ऐसे कर या ब्याज या दोनों का संपूर्ण या आंशिक भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे, उसके द्वारा झेले जाने वाले किसी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, असंदत्त कर या ब्याज या दोनों के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा और इस संहिता के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

की स्वीकृति
वापस करना।

148. किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों के किसी भी रिटर्न की प्राप्ति पर, मूल्यांकन अधिकारी, या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, रिटर्न की प्राप्ति के लिए एक पावती जारी करेगा। 25

प्रसंस्करण
वापस करना।

149. (1) मूल्यांकन अधिकारी, या बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात प्रसंस्करण प्राधिकारी कहा जाएगा) धारा 144 या धारा 146 के अधीन प्राप्त विवरणी का प्रसंस्करण निम्नलिखित तरीके से करेगा, अर्थात्:— 30

(क) कर आधार की गणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात की जाएगी, अर्थात्:—

(i) रिटर्न में कोई अंकगणितीय त्रुटि; या

(ii) गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा रिटर्न में किसी सूचना के अस्तित्व से स्पष्ट होता है; 35

(ख) कर और ब्याज, यदि कोई हो, की गणना कर आधार के आधार पर की जाएगी
खंड (क) के अंतर्गत गणना की गई; तथा

(ग) करदाता द्वारा देय राशि या उसे देय प्रतिदाय की राशि का निर्धारण, स्रोत पर काटे गए किसी कर, स्रोत पर संगृहीत किसी कर, अग्रिम भुगतान किए गए किसी कर, धारा 207 के अंतर्गत स्वीकार्य किसी राहत, भुगतान किए गए किसी स्व-मूल्यांकन कर और कर या ब्याज के अलावा अन्यथा भुगतान की गई किसी अन्य राशि द्वारा खंड (ख) के अंतर्गत संगणित कर और ब्याज, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात किया जाएगा। 40

(2) प्रसंस्करण प्राधिकारी करदाता को एक सूचना भेजेगा जिसमें उसके द्वारा देय या प्रतिदेय निर्धारित राशि तथा अन्य ऐसे विवरण निर्दिष्ट किए जाएंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) प्रसंस्करण प्राधिकारी उस मामले में भी करदाता को सूचना भेजेगा जहां करदाता द्वारा रिटर्न में घोषित हानि समायोजित कर दी गई है, किन्तु उसके द्वारा कोई कर या ब्याज देय नहीं है या उसे वापसी योग्य नहीं है।

(4) यदि रिटर्न का प्रसंस्करण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बारह महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है जिसमें रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रसंस्करण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी समायोजन के कारण देय किसी राशि के संबंध में कोई सूचना नहीं भेजेगा।

10

(5) रिटर्न की अभिस्वीकृति उस मामले में सूचना समझी जाएगी जहां उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई राशि करदाता द्वारा देय या प्रतिदेय नहीं है, और जहां उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(6) बोर्ड, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित द्वारा देय कर या उसे देय प्रतिदाय के शीघ्र निर्धारण के लिए विवरणियों के केन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक योजना बना सकेगा।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अस्तित्व से स्पष्ट एक गलत दावा "विवरण में कोई सूचना" का अर्थ, विवरणी में किसी प्रविष्टि के आधार पर किया गया दावा होगा—

(i) किसी मद के बारे में, जो ऐसी विवरणी में उसी या किसी अन्य मद की अन्य प्रविष्टि से असंगत है;

20

(ii) जिसके संबंध में ऐसी प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए दी जाने वाली अपेक्षित सूचना इस प्रकार प्रस्तुत नहीं की गई है; या

(iii) किसी कटौती के संबंध में, जहां ऐसी कटौती निर्दिष्ट वैधानिक सीमा से अधिक है जिसे मौद्रिक राशि, प्रतिशत, अनुपात या अंश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

25

150. (1) निर्धारण अधिकारी धारा 144 या धारा 146 के अधीन विवरणी की प्राप्ति पर निर्धारण कर सकेगा, यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारित ने अपने कर आधार को कम नहीं बताया है या अत्यधिक हानि या भत्ते की गणना नहीं की है या किसी भी तरीके से कर का कम भुगतान नहीं किया है।

पूछताछ के लिए
नोटिस
आकलन।

(2) मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए, मूल्यांकन अधिकारी निम्नलिखित पर कार्य करेगा:

किसी भी करदाता को एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि उसमें निर्दिष्ट तारीख को-

(क) अपने कार्यालय में उपस्थित होने अथवा साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत करवाने के लिए, जिस पर करदाता रिटर्न के समर्थन में भरोसा कर सकता है;

(ख) ऐसे खाते या दस्तावेज प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करवाना (जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष से छह वर्ष से अधिक पूर्व की अवधि से संबंधित न हों)

35

मूल्यांकन अधिकारी को आवश्यकता हो सकती है; या

(ग) ऐसे प्रारूप में और ऐसे विषयों पर लिखित रूप में तथा निर्धारित तरीके से सत्यापित जानकारी प्रस्तुत करना (जिसमें करदाता की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण भी शामिल है, चाहे वे खातों में शामिल हों या नहीं) जैसा कि कर निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे।

(3) निर्धारण अधिकारी, संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखों में शामिल न की गई सभी परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए करदाता से अनुरोध करने से पहले संयुक्त आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(4) निर्धारण अधिकारी, सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति के कर आधार के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, ऐसी जांच कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

45

(5) उपधारा (2) के अधीन कोई नोटिस करदाता को उसकी नियत तिथि के पश्चात नहीं दिया जाएगा। जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है, उसके अंत से छह महीने की अवधि।

विशेष लेखापरीक्षा.

151. (1) निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को अपने लेखों की लेखापरीक्षा किसी लेखाकार से कराने का निर्देश दे सकेगा, यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर उसकी यह राय है कि निर्धारिती के लेखों की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है।

(2) निर्धारण अधिकारी उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई निर्देश जारी नहीं करेगा जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और मुख्य आयुक्त या आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना प्रभावी होंगे कि करदाता के लेखाओं की लेखापरीक्षा किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि के अधीन या अन्यथा की गई है।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए लेखाकार को, न्यायालय द्वारा नामित किया जाएगा। मुख्य आयुक्त या आयुक्त।

(5) लेखाकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी, प्रस्तुत करेगा तथा उसमें ऐसे विवरण दिए जाएंगे जो विहित किए जाएं तथा ऐसे अन्य विवरण दिए जाएंगे जिनकी कर निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे।

(6) लेखाकार उपधारा (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करेगा। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।

(7) कर निर्धारण अधिकारी उपधारा (6) के अधीन दी गई समयावधि को ऐसे तरीके से बढ़ा सकता है, जिससे कि वह लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके, अतिरिक्त अवधि या अवधियों की अनुमति देगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(8) उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञात अवधि और उपधारा (7) के अधीन अनुज्ञात अतिरिक्त अवधि या अवधियों का योग, उस तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगा, जिसको उपधारा (1) के अधीन निदेश निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(9) लेखाकार उपधारा (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी को तथा उसकी एक प्रति करदाता को देगा।

(10) उपधारा (1) के अधीन किसी लेखापरीक्षा के लेखाकार का पारिश्रमिक तथा अन्य व्यय मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार निर्धारित तथा संदत्त किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।

के मूल्य का निर्धारण
संपत्तियां।

152. (1) मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, मूल्यांकन अधिकारी से किसी आस्ति, संपत्ति, निवेश या व्यय के उचित बाजार मूल्य सहित मूल्य का अनुमान लगाने तथा उसकी रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए निर्देश पर, मूल्यांकन अधिकारी को आस्ति, संपत्ति, निवेश या व्यय के मूल्य का अनुमान लगाने के प्रयोजन के लिए और इस निमित्त नियमों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित की सभी शक्तियां होंगी-

(क) किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रवेश करना जो कि, या जिसके कब्जे में हो, वह व्यक्ति जिसके मूल्यांकन के संबंध में संदर्भ दिया गया है;

(ख) भूमि, भवन या अन्य स्थान के प्रभारी या अधिभोगी या कब्जे वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह उसे भूमि, भवन या अन्य स्थान का सर्वेक्षण या निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करे;

(ग) किसी ऐसी आस्ति या संपत्ति का निरीक्षण करना जिसके संबंध में संदर्भ दिया गया है;

(घ) किसी भी खाता बही, दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना जो उस परिसंपत्ति, संपत्ति, निवेश या व्यय के मूल्य का अनुमान लगाने के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हो सकता है, जिसके संबंध में संदर्भ दिया गया है;

(ई) परिसंपत्ति, उचित निवेश या से संबंधित कोई अन्य जानकारी एकत्र करें व्यय, जो मूल्य का अनुमान लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

(3) मूल्यांकन अधिकारी लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आस्ति, संपत्ति, निवेश या व्यय का मूल्य अनुमानित करेगा-

(क) ऐसा साक्ष्य जो करदाता प्रस्तुत करे; और

(ख) करदाता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसके कब्जे में उपलब्ध सामग्री को एकत्र किया जाएगा।

5

(4) यदि करदाता सहयोग नहीं करता है या उसके निर्देश का अनुपालन नहीं करता है तो मूल्यांकन अधिकारी अपनी सर्वोत्तम विवेकानुसार आस्ति, संपत्ति, निवेश या व्यय का मूल्य निर्धारित कर सकेगा।

(5) मूल्यांकन अधिकारी, उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन अपने प्राक्कलन की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, निर्धारण अधिकारी और करदाता को 10 उस मास के अंत से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा जिसमें उपधारा (1) के अधीन संदर्भ किया गया है।

(6) मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अनुमानित मूल्य को ध्यान में रखते हुए, करदाता के कर आधार की गणना करने के लिए आगे बढ़ सकेगा।

15

153. (1) निर्धारण अधिकारी, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, किसी वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा किए गए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 117 के अधीन सन्निकट मूल्य की गणना को अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को संदर्भित कर सकेगा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है।

हथियारों का निर्धारण

लंबाई कीमत.

20

(2) स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी उपधारा (1) के अधीन उसको संदर्भित किये जाने पर, (1) करदाता को एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को--

(क) अपने कार्यालय में उपस्थित हो या ऐसा साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करे या प्रस्तुत कराए, जिस पर करदाता अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उसके द्वारा की गई अनुमानित कीमत की गणना के समर्थन में भरोसा कर सके; या

25

(ख) ऐसे लेखे या दस्तावेज प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करवाना जिनकी आवश्यकता अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को हो।

(3) अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी धारा 117 के उपबंधों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए सन्निकट मूल्य निर्धारित करेगा-

(क) ऐसा साक्ष्य जो करदाता प्रस्तुत करे; और

30

(ख) करदाता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसके कब्जे में उपलब्ध सामग्री को एकत्र किया जाएगा।

(4) यदि करदाता सहयोग नहीं करता है या उसके निर्देश का अनुपालन नहीं करता है तो अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में अप्रासंगिक मूल्य निर्धारित कर सकता है।

35

(5) अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी, उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन अपने निर्धारण की रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा।

(6) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा, या उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित ऐसे निर्धारण की रिपोर्ट, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बयालीस मास की अवधि के पश्चात नहीं भेजी जाएगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है।

40

(7) अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी, सन्निकट मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, इस धारा के अधीन धारा 134 या 140 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करना।

अनुचित परिहार का निर्धारण

154. (1) आयुक्त, धारा 123 के प्रयोजनों के लिए, करदाता पर एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को कोई साक्ष्य या विशिष्टियां प्रस्तुत करे या प्रस्तुत कराए जिस पर करदाता अपने इस दावे के समर्थन में भरोसा कर सके कि धारा 123 के उपबंध उस पर लागू नहीं होते हैं।

समझौता और

इसके परिणाम.

(2) साक्ष्य सुनने के पश्चात् तथा करदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों पर विचार करने के पश्चात् आयुक्त आदेश पारित करेगा, जिसमें किसी व्यवस्था को धारा 123 के प्रयोजनों के लिए अनज्ञेय परिहार करार या अन्यथा घोषित किया जाएगा। 5

(3) किसी व्यवस्था को अनुचित परिहार समझौता घोषित करने पर, आयुक्त-

(क) कर निर्धारण अधिकारी को करदाता की कुल आय या कर देयता में ऐसा समायोजन करने के लिए निर्देश जारी करना; तथा 10

(ख) ऐसे आदेश की एक प्रति अग्रेषित करेगा या अग्रेषित करवाएगा-

(i) करदाता को; तथा

(ii) व्यवस्था के दूसरे पक्षकार के अधिकारिता आयुक्त को, जो ऐसे दूसरे पक्षकार के विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्यवाही करेगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे। 15

(4) उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश, उक्त तिथि से बारह माह की अवधि के पश्चात जारी नहीं किया जाएगा। उस मास के अंत में जिसमें उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया जाता है।

आकलन।

155. (1) मूल्यांकन अधिकारी धारा 150 की उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के फलस्वरूप लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकनकर्ता के कर आधार का मूल्यांकन करेगा- 20

(क) करदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य;

(ख) धारा 151 के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो;

(ग) मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो;

(घ) स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी का आदेश, यदि कोई हो; 25

(ई) धारा 154 के अधीन आयुक्त का निदेश, यदि कोई हो;

(च) धारा 157 के अधीन संयुक्त आयुक्त का निर्देश, यदि कोई हो; और

(छ) उसके कब्जे में ऐसी सामग्री, जिसके संबंध में कार्यवाही का अवसर हो।
सुनवाई की सूचना करदाता को उपलब्ध करा दी गई है।

(2) निर्धारण अधिकारी, निर्धारण के आधार पर, धारा 149 की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में करदाता द्वारा संदत्त की गई या करदाता को वापस की गई राशि को समायोजित करने के पश्चात करदाता द्वारा संदेय या करदाता को वापस की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा। 30

(3) जहां इस धारा के अधीन मूल्यांकन किया गया है, वहां—

(क) धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन करदाता द्वारा भुगतान किया गया कोई कर या ब्याज ऐसे कर निर्धारण के लिए भुगतान किया गया माना जाएगा; 35

(ख) यदि निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है या धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय योग्य राशि निर्धारण पर प्रतिदाय योग्य राशि से अधिक है, तो इस प्रकार वापस की गई संपूर्ण अतिरिक्त राशि करदाता द्वारा देय कर मानी जाएगी और इस संहिता के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(4) निर्धारण अधिकारी, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, प्रथमतः, प्रस्तावित निर्धारण आदेश का प्रारूप (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् प्रारूप आदेश कहा गया है) पात्र निर्धारिती को भेजेगा, यदि वह लौटाई गई आय या हानि में कोई ऐसा परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हितों के प्रतिकूल है। 40

(5) प्रारूप आदेश की प्राप्ति पर, पात्र करदाता, प्रारूप आदेश की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर,—

(क) परिवर्तनों की अपनी स्वीकृति की रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा; या

(ख) ऐसे परिवर्तनों के संबंध में अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, दर्ज कराएगा-

(i) विवाद समाधान पैनल; और

(ii) कर निर्धारण अधिकारी।

(6) निर्धारण अधिकारी मसौदा आदेश के आधार पर निर्धारण पूरा करेगा, यदि-

(ए) पात्र करदाता कर निर्धारण अधिकारी को स्वीकृति की सूचना देता है
विविधताएं; या

(ख) उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है।

(7) मूल्यांकन अधिकारी, धारा 163 में किसी बात के होते हुए भी, पारित करेगा।
कर निर्धारण आदेश उस माह के अंत से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें-

(क) स्वीकृति प्राप्त हो गई है; या

(ख) उपधारा (5) के अधीन आपत्तियां दाखिल करने की अवधि समाप्त हो जाती है।

(8) धारा 158 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए निर्देशों की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी निर्देशों के अनुरूप, धारा 163 में किसी बात के होते हुए भी, निदेश प्राप्त होने वाले माह के अंत से एक माह की अवधि के भीतर, मामले में आगे कोई सुनवाई किए बिना, निर्धारण पूरा करेगा।

(9) इस धारा में, "पात्र करदाता" से तात्पर्य है-

(क) कोई व्यक्ति जिसके मामले में परिवर्तन धारा 153 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन पारित अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है ;

(ख) कोई विदेशी कंपनी;

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसके मामले में परिवर्तन, उक्त अधिनियम के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।
धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त के निर्देशों के अनुसार; या

(घ) व्यक्तियों का कोई वर्ग या वर्ग, जैसा कि विहित किया जा सकता है।

156. (1) कर निर्धारण अधिकारी कर के आधार का निर्धारण सर्वोत्तम तरीके से करेगा।

उसके निर्णय के अनुसार, यदि—

(क) करदाता निम्नलिखित में असफल रहता है-

(i) धारा 144 की उपधारा (1) या धारा 146 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत की है या धारा 144 की उपधारा (6) के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं की है;

(ii) धारा 150 की उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस की सभी शर्तों का अनुपालन करना;

(iii) धारा 151 के अंतर्गत जारी निर्देश का अनुपालन करना; या

(iv) धारा 159 के अंतर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में रिटर्न प्रस्तुत करना; या

(ख) करदाता धारा 89 की उपधारा (1) में उपबंधित लेखा पद्धति या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों का नियमित रूप से पालन करने में असफल रहता है; या

(ग) वह करदाता के लेखों की शुद्धता या पूर्णता के बारे में संतुष्ट नहीं है।

(2) कर निर्धारण अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण करते समय,-
वह सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखेगा जो उसने एकत्र की है या रिकॉर्ड में उपलब्ध है।

सर्वोत्तम
निर्णय
आकलन।

(3) निर्धारण अधिकारी उपधारा (1) के अधीन निर्धारण करने से पूर्व निर्धारिती को नोटिस तामील करके सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, जिसमें निर्धारिती से कारण बताने के लिए कहा जाएगा, नोटिस में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख और समय पर, कि उसके सर्वोत्तम विवेक के अनुसार निर्धारण क्यों न पूरा कर लिया जाए।

(4) उस दशा में, जहां धारा 146 के अधीन नोटिस जारी किया गया है, इस धारा के अधीन मूल्यांकन करने से पूर्व उपधारा (3) के अधीन अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। 5

दिशा निर्देश
संयुक्त
आयुक्त
आकलन।

157. (1) संयुक्त आयुक्त, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसको निर्देश दिए जाने पर या किसी करदाता के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा, जिसमें कर निर्धारण लंबित है और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह कर निर्धारण अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे, ताकि कर निर्धारण पूरा करने में वह समर्थ हो सके। 10

(2) संयुक्त आयुक्त ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करेगा जो करदाता के लिए प्रतिकूल हो, जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।

(3) इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई भी निर्देश कर निर्धारण अधिकारी पर बाध्यकारी होगा। 15

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस बारे में कोई निर्देश कि मूल्यांकन से संबंधित जांच किस आधार पर की जानी चाहिए, करदाता के लिए प्रतिकूल निर्देश नहीं माना जाएगा।

निर्देशन
विवाद
संकल्प
पैनल के लिए
आकलन।

158. (1) विवाद समाधान पैनल, ऐसे मामले में जहां धारा 155 की उपधारा (5) के अधीन कोई आपत्ति प्राप्त होती है,— 20

(क) मसौदा आदेश से संबंधित किसी भी कार्यवाही का रिकार्ड मंगाना और उसकी जांच करना;

(ख) ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जैसी वह ठीक समझे; या

(ग) किसी आयकर प्राधिकारी से आगे कोई जांच करवाएगा तथा उसके परिणाम की रिपोर्ट उसे देगा।

(2) विवाद समाधान पैनल, उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामले में, कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए उसके मार्गदर्शन हेतु ऐसे निर्देश जारी करेगा, जैसा वह ठीक समझे। 25

(3) विवाद समाधान पैनल उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्देश निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात जारी करेगा-

(क) मसौदा आदेश; 30

(ख) पात्र करदाता द्वारा दायर आपत्तियां;

(ग) पात्र करदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य;

(घ) कर निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी या हस्तांतरण अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो मूल्य निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी;

(ई) मसौदा आदेश से संबंधित अभिलेख; 35

(च) उसके द्वारा एकत्रित किया गया या एकत्रित करवाया गया साक्ष्य; और

(छ) उसके द्वारा की गई या कराई गई किसी जांच का परिणाम।

(4) विवाद समाधान पैनल मसौदा आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों की पुष्टि, कमी या वृद्धि कर सकता है।

(5) विवाद समाधान पैनल मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले किसी प्रस्तावित परिवर्तन को रद्द नहीं करेगा या उपधारा (2) के तहत आगे की जांच के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करेगा। 40

(6) यदि विवाद समाधान पैनल के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद हो, तो इसका निर्णय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

(7) विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निर्देश मूल्यांकन अधिकारी पर बाध्यकारी होंगे।

(8) उपधारा (2) के अधीन कोई निदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक पात्र करदाता या कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे निदेशों पर सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है जो करदाता के हित या राजस्व, जैसा भी मामला हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। 5

(9) उपधारा (2) के अधीन कोई भी निर्देश नौ महीने की अवधि के पश्चात जारी नहीं किया जाएगा। उस माह के अंत से जिसमें मसौदा आदेश पात्र करदाता को भेजा जाता है।

(10) बोर्ड विवाद समाधान पैनल के कुशल कामकाज के लिए और करदाता द्वारा धारा 155 की उपधारा (5) के खंड (ख) के तहत दायर आपत्तियों के शीघ्र निपटान के लिए नियम बना सकता है। 10

(11) इस धारा में, "पात्र करदाता" का वही अर्थ होगा जो धारा 155 में है।

पुनः खोलना
आकलना

159. (1) निर्धारण अधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, पुनर्निर्धारण के लिए मामले को पुनः खोलेंगे, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर से प्रभार्य कोई कर आधार सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारण से बच गया है। 15 1961 का 43.

(2) निर्धारण अधिकारी, किसी मामले को पुनः खोलने के लिए, निर्धारिती को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की विवरणी, तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में, सत्यापित तरीके से तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत करे। 20

(3) निम्नलिखित मामलों में कर योग्य कर आधार को कर निर्धारण से छूटा हुआ माना जाएगा, अर्थात्:—

(क) जहां प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए कर आधार कर योग्य न होने वाली अधिकतम राशि से अधिक है, किन्तु-

(i) कर आधारों का रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है; (ii) धारा 146 के अंतर्गत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है; और (iii) ऐसा नोटिस जारी करने की समय-सीमा समाप्त हो गई है;

(ख) जहां कर आधारों का विवरणी करदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किन्तु-

(i) कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है; और (ii) करदाता ने कर आधार को कम दर्शाया है, या रिटर्न में अत्यधिक हानि, कटौती, भत्ता या राहत का दावा किया है;

(ग) जहां धारा 155 या धारा 156 के अधीन निर्धारण किया गया है, किन्तु- (i) कर के लिए उत्तरदायी कर आधारों का कम निर्धारण किया गया है; (ii) कर आधारों का निर्धारण बहुत कम दर पर किया गया है; (iii) कर आधारों को राहत का विषय बना दिया गया है, जिसके लिए निर्धारणकर्ता-

इस संहिता के तहत देखने का अधिकार नहीं है;

(iv) अत्यधिक हानि या पूंजी भत्ता या इसके अंतर्गत कोई अन्य भत्ता कोड की गणना की गई है;

(v) गणना या मूल्यांकन नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी कोई आदेश, निर्देश, अनुदेश या परिपत्र;

(vi) गणना या मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ता द्वारा नहीं किया गया है किसी भी अधिकारी द्वारा जारी आदेश, निर्देश, अनुदेश या परिपत्र के अनुसार,

40

35

25

20

मूल्यांकन करने से पहले, मूल्यांकनकर्ता प्राधिकारी द्वारा
अधिकारी अधीनस्थ है; या

(vii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा इस आशय की कोई आपत्ति उठाई गई है कि निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है, जैसा कि वे इस संहिता या इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व थे और ऐसी आपत्ति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी गई भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग है;

1961 का 43.
1957 का 27.

(घ) जहां धारा 135 के अधीन तलाशी और जब्ती की गई है, या व्यक्ति के मामले में धारा 136 के अधीन अधिग्रहण के अनुसरण में सामग्री प्राप्त की गई है;

(ई) जहां किसी सामग्री को जब्त किया गया है, या अधिग्रहण के अनुसरण में प्राप्त किया गया है, खंड (डी) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कर आधारों के निर्धारण पर असर पड़ता है।

(4) उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी किया जाएगा-

(क) उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के सात वित्तीय वर्षों के लिए जिसमें तलाशी और जब्ती की गई है या सामग्री प्राप्त की गई है; और

(ख) किसी अन्य मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (2) के अधीन नोटिस किसी भी समय जारी किया जा सकेगा, यदि— (क) पुनर्मूल्यांकन किसी पारित आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप

किया जाना है या उसे प्रभावी करने के लिए किया जाना है—

(i) इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के माध्यम से; या

(ii) किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा; तथा

(ख) ऐसी सूचना जारी करने के लिए उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि उस समय समाप्त नहीं हुई थी जब आदेश, जो अपील, निर्देश या पुनरीक्षण का विषय था, दिया गया था।

(6) उपधारा (2) के अधीन कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा-

(क) ऐसे मामले में जहां धारा 155 या धारा 156 के अधीन या इस धारा के अधीन संयुक्त आयुक्त से नीचे के पद के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया गया है,—

(i) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर, जब तक कि संयुक्त आयुक्त ऐसे द्वारा दर्ज किए गए कारणों से संतुष्ट न हो जाए।

कर निर्धारण अधिकारी को सूचित करना कि यह ऐसा नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है;

(ii) सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जब तक कि आयुक्त को इस बात का समाधान न हो जाए; (ख) किसी अन्य मामले में, सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति

के पश्चात् संयुक्त आयुक्त से नीचे के पद के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा, जब तक कि संयुक्त आयुक्त ऐसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि यह ऐसा नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है।

(7) आयुक्त या संयुक्त आयुक्त को, इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हो जाने पर, स्वयं ऐसा नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(8) उपधारा (4) में निर्दिष्ट सात वित्तीय वर्षों की अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित कोई मूल्यांकन कार्यवाही उपशमित हो जाएगी यदि वह, यथास्थिति, तलाशी प्रारंभ करने की तारीख को या सामग्री प्राप्त करने की तारीख को लंबित है।

5 (9) इस धारा के उपबंध उपधारा (3) के खंड (ड) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति की दशा में भी उसी प्रकार लागू होंगे, मानो उसके मामले में धारा 135 के अधीन तलाशी और जब्ती की गई हो, यदि कोई ऐसी सामग्री, जिसका ऐसे अन्य व्यक्ति के कर आधारों के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है, पाई गई है-

(क) उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में धारा 135 के अधीन तलाशी और जब्ती के दौरान जब्त किया गया हो; या

10 (ख) उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में धारा 136 के अधीन अध्यपेक्षा के अनुसरण में अभिप्राप्त की गई हो।

(10) उपधारा (2) के अधीन नोटिस के अनुसरण में विवरणी प्राप्त होने पर, या ऐसे नोटिस के अनुसरण में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय की समाप्ति के पश्चात्, निर्धारण अधिकारी लिखित आदेश द्वारा कुल आय का पुनः निर्धारण करेगा और धारा 150 से 158 तक के दोनों उपबंध, जिनमें ये दोनों सम्मिलित हैं, तदनुसार लागू होंगे।

15

(11) इस धारा के अधीन किए गए किसी पुनर्मूल्यांकन में, कर उस दर या दरों पर प्रभाय होगा जिस पर वह उस स्थिति में प्रभाय होता यदि कर आधार निर्धारण से बच नहीं गए होते।

(12) इस धारा के अधीन कार्यवाहियां, उपधारा (3) के खंड (घ) और (ड) में विनिर्दिष्ट शर्त के परिणामस्वरूप आरंभ की गई कार्यवाहियों को छोड़कर, समाप्त कर दी जाएंगी, यदि—

20

(क) करदाता ने धारा 178 और 192 के अंतर्गत प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए मूल कर निर्धारण आदेश के किसी भाग पर आपत्ति नहीं उठाई है;

(ख) वह यह सिद्ध करता है कि उस पर ऐसी राशि का कर-निर्धारण किया गया है जो उस राशि से कम नहीं है जिसके लिए वह उचित रूप से उत्तरदायी होता, भले ही कर-निर्धारण से बचने वाले कथित कर आधार को ध्यान में रखा गया हो; तथा

25

(ग) मूल मूल्यांकन आदेश को धारा 161 या धारा 191 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया गया है।

(13) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) तलाशी आरंभ करने की तारीख, या उपधारा (8) और (9) के अधीन सामग्री प्राप्त करने की तारीख को ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामग्री प्राप्त करने की तारीख के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा;

30

(ख) पुनर्मूल्यांकन में कर योग्य कर आधार का कोई अन्य भाग शामिल होगा जो मूल्यांकन से बच गया है और जो मूल्यांकनकर्ता के ध्यान में आता है।

35

अधिकारी द्वारा पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान बाद में, इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन पुनः खोलने के लिए अभिलिखित कारण कर आधारों के ऐसे भाग का उल्लेख नहीं करते हैं; तथा

(ग) पुनर्मूल्यांकन के लिए मामले को पुनः खोलने में निर्धारण के लिए मामला खोलना सम्मिलित होगा, जहां उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी करने से पूर्व कर आधार के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

40 160. किसी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन के बिना मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश उस मामले में पारित नहीं किया जाएगा, जहां-

खोज के लिए स्वीकृति

आकलन।

(क) उस व्यक्ति के मामले में, धारा 135 के अधीन तलाशी और जब्ती की गई है, या धारा 136 के अधीन अधिग्रहण के अनुसरण में सामग्री प्राप्त की गई है;

45

(ख) कोई सामग्री जो जब्त की गई है, या किसी अधिग्रहण के अनुसरण में प्राप्त की गई है, उसका खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कर आधार के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है।

गलती का सुधार.

161. (1) आयकर प्राधिकारी पारित किसी आदेश या जारी की गई सूचना को संशोधित कर सकता है इस संहिता के अधीन अभिलेख पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी गलती को सुधारने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

(2) इस धारा के अंतर्गत कोई भी संशोधन, अधिसूचना जारी होने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा। उस वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें संशोधन हेतु आदेश पारित किया गया था।

(3) आयकर प्राधिकारी कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगा, जिसका प्रभाव कर निर्धारण में वृद्धि करना हो या कर वापसी में कमी करना हो या अन्यथा करदाता के दायित्व में वृद्धि करनी हो, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी ने करदाता को सुनवाई का अवसर न दे दिया हो। 5

(4) संबंधित आयकर प्राधिकारी निम्नलिखित में संशोधन कर सकेगा-

(क) स्वप्रेरणा से; या (ख) यथास्थिति,

करदाता या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर। 10

(5) किसी आदेश में संशोधन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किसी आवेदन पर, उस माह के अंत से छह माह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा, जिसमें ऐसा आवेदन उसे प्राप्त हुआ है। 15

(6) ऐसे मामले में जहां आदेश अपील या पुनरीक्षण में विनिश्चित किया गया है, आदेश या सूचना को संशोधित करने की प्राधिकारी की शक्ति अपील या पुनरीक्षण में विनिश्चित किए गए विषयों से भिन्न विषयों तक सीमित होगी।

मांग की सूचना.

162. (1) इस संहिता के अधीन किए गए किसी आदेश या जारी की गई सूचना के परिणामस्वरूप देय किसी राशि की मांग आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप और तरीके से करदाता को मांग की सूचना तामील करके की जाएगी। 20

(2) धारा 149 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझी जाएगी।

समय सीमा

163. (1) कर निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा,—

(क) जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न देय था, उसके अंत से इक्कीस महीने की अवधि की समाप्ति के बाद धारा 155 या धारा 156 के तहत कोई मूल्यांकन आदेश; 25

(ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से इक्कीस मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात धारा 159 के अधीन पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश-

(i) जिसमें अंतिम प्राधिकार पत्र उस व्यक्ति के मामले में निष्पादित किया गया था जहां धारा 135 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण किया गया था या सामग्री धारा 136 के अधीन अभिग्रहण के अनुसरण में अभिप्राप्त की गई थी; 30

(ii) जिसमें धारा 138 में निर्दिष्ट व्यक्ति से संबंधित कोई सामग्री ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाती है- 35

बेटा;

(iii) जिसमें धारा 159 के अधीन नोटिस तामील किया गया है, किसी अन्य मामले में; (ग) धारा 185 या धारा 187 या धारा 190 या धारा 262 के अधीन आदेश के अनुसरण में कोई कर निर्धारण आदेश, जो आयुक्त द्वारा आदेश प्राप्त किए जाने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, कर निर्धारण को अपास्त या रद्द करता है; 40

(घ) धारा 191 या धारा 192 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई कर निर्धारण आदेश, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जिसमें उस धारा के अधीन आदेश पारित किया गया हो; 45

(ई) इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के पुनरुद्धार के अनुसरण में मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद जिसमें आयुक्त द्वारा कार्यवाही के पुनरुद्धार का आदेश प्राप्त किया जाता है।

(2) किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में धारा 153 के अधीन अंतरण मूल्य अधिकारी को कोई निर्देश किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी, ऐसे मामले में, जहां उस वित्तीय वर्ष के अंत से तैंतीस मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जिसमें विवरणी देय थी, या धारा 159 के अधीन नोटिस तामील किया गया था, जो भी बाद में हो, ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश नहीं करेगा।

5

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबंध किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप किए जाने वाले या उसे प्रभावी करने वाले निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना के संबंध में लागू नहीं होंगे—

(क) धारा 180, 185, 187, 190, 191, 192 या 262 के अधीन; या (ख) किसी न्यायालय

10

द्वारा अपील या संदर्भ के अलावा किसी अन्य तरीके से की गई कार्यवाही में इस संहिता के तहत।

(4) उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए परिसीमा अवधि की गणना करने में, निम्नलिखित अवधि या समय शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

15

(क) अग्रिम भुगतान के लिए आवेदन की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि मूल्य निर्धारण समझौता करदाता द्वारा दायर किया जाता है और समाप्त होता है—

(i) वह तारीख जिस दिन आवेदन को अस्वीकृत करने वाला आदेश प्राप्त होता है।
आयुक्त; या

(ii) वह तारीख जिसको धारा 118 के अधीन दर्ज अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की प्रति आयुक्त को प्राप्त होती है; (ख) कार्यवाही के सम्पूर्ण भाग या उसके किसी भाग को पुनः खोलने में या कार्यवाही के पूर्ण होने में

20

लगने वाला समय;
धारा 133 के अंतर्गत करदाता को पुनः सुनवाई का अवसर देना;

(ग) वह अवधि जिसके दौरान मूल्यांकन कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा रोक दी जाती है;

25

(घ) वह अवधि, जो उस तारीख से शुरू होगी, जिसको कर निर्धारण अधिकारी करदाता को धारा 151 के अधीन अपने लेखों की लेखापरीक्षा कराने का निर्देश देता है, तथा वह अंतिम तारीख समाप्त होगी, जिसको उस धारा के अधीन ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है;

(ई) वह अवधि जो उस माह के प्रथम दिन से प्रारंभ होगी जिसमें धारा 154 के अधीन नोटिस करदाता को तामील किया जाता है तथा उस माह के अंतिम दिन को समाप्त होगी जिसमें उस धारा के अधीन आदेश पारित किया जाता है;

30

(च) वह अवधि जो धारा 258 की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किए जाने की तारीख से प्रारंभ होकर उस तारीख को समाप्त होगी जिस तारीख को आवेदन को अस्वीकृत करने वाला आदेश या उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय, यथास्थिति, उस धारा की उपधारा (9) या उपधारा (13) के अधीन आयुक्त को प्राप्त होता है;

35

(छ) वह अवधि जो धारा 273 की उपधारा (1) के अधीन आयकर निपटान आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होकर धारा 275 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने वाला आदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख को समाप्त होगी।

40

(5) निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना का आदेश देने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध सीमा अवधि को साठ दिन तक बढ़ाया जाएगा, यदि उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समय या अवधि के अपवर्जन के तुरंत बाद की अवधि साठ दिन से कम है।

सी. — विशेष मामलों में मूल्यांकन की प्रक्रिया

45

164. (1) इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, किसी के संबंध में “प्रतिनिधि करदाता”
करदाता का अर्थ है -

प्रतिनिधि
करदाता।

(क) किसी अनिवासी का एजेंट, यदि करदाता अनिवासी है;

(ख) किसी नाबालिग, पागल या मूर्ख का अभिभावक या प्रबंधक, यदि करदाता नाबालिग, पागल या मूर्ख है;

(सी) कोर्ट ऑफ वार्ड्स, प्रशासक-जनरल, आधिकारिक ट्रस्टी, कोई रिसेवर या प्रबंधक (जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो, जो करदाता की ओर से संपत्ति का प्रबंधन करता है) जिसे न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके तहत नियुक्त किया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति करदाता की ओर से या उसके लाभ के लिए आय प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है।

5

करदाता;

(घ) मौखिक ट्रस्ट के तहत नियुक्त ट्रस्टी, या लिखित रूप में विधिवत निष्पादित उपकरण द्वारा घोषित ट्रस्ट, चाहे वसीयतनामा हो या अन्यथा, और जो किसी व्यक्ति की ओर से या उसके लाभ के लिए आय प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है, यदि करदाता एक ट्रस्ट है;

10

(ई) कानूनी प्रतिनिधि, या निष्पादक, यदि करदाता की मृत्यु हो जाती है;

(च) किसी अनिगमित निकाय के विघटन की स्थिति में भागीदार अथवा मृतक भागीदार का विधिक प्रतिनिधि; तथा

(छ) किसी कंपनी की दशा में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 या धारा 490 के अधीन नियुक्त परिसमापक।

15

(2) किसी अनिवासी के संबंध में "एजेंट" में निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) भारत में कोई भी व्यक्ति-

(i) जो अनिवासी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित है;

(ii) जिसका अनिवासी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध है;

(iii) जिससे या जिसके माध्यम से अनिवासी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आय प्राप्त होती है; या

20

(iv) जो अनिवासी का ट्रस्टी है; और

(ख) कोई अन्य व्यक्ति जिसने हस्तांतरण के माध्यम से, अनिवासी से भारत में पूंजीगत परिसंपत्ति अर्जित की है।

(3) भारत में कोई दलाल, जो किसी लेन-देन के संबंध में किसी अनिवासी प्रधान के साथ या उसकी ओर से सीधे लेन-देन नहीं करता है, बल्कि किसी अनिवासी दलाल के साथ या उसके माध्यम से लेन-देन करता है, ऐसे लेन-देन के संबंध में इस धारा के अधीन एजेंट नहीं माना जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात:-

25

(क) लेन-देन सामान्य व्यवसाय के माध्यम से किया जाता है

पहले उल्लेखित ब्रोकर; और

30

(ख) अनिवासी दलाल अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में ऐसे लेनदेन कर रहा है न कि प्रमुख के रूप में।

(4) किसी मृत व्यक्ति की संपदा के संबंध में "निष्पादक" का अर्थ है - (i) कोई व्यक्ति, यदि ऐसा व्यक्ति एकमात्र निष्पादक है;

या (ii) सभी निष्पादकों से मिलकर बना व्यक्तियों का संघ, यदि एक से अधिक निष्पादक हैं,

35

और इसमें प्रशासक या ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने वाला अन्य व्यक्ति भी शामिल है।

(5) किसी व्यक्ति को अनिवासी का एजेंट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे इस प्रकार समझे जाने के दायित्व के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर न मिल गया हो।

अधिकार एवं
दायित्व
ए
प्रतिनिधि
करदाता।

165. (1) प्रत्येक प्रतिनिधि करदाता, अपनी प्रतिनिधि हैसियत में, केवल उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए व्यक्ति (जिसे इस उप-अध्याय में इसके पश्चात् प्रधान कहा गया है) के कर आधारों के संबंध में ही कर निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा।

40

(2) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, प्रत्येक प्रतिनिधि करदाता उन्हीं कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों के अधीन होगा, मानो कर आधार उसे प्रोद्भूत, प्राप्त या उसके स्वामित्व में हों।

45

(3) प्रतिनिधि करदाता के कर आधार पर कर उस पर उसी प्रकार और उसी सीमा तक लगाया जाएगा और उससे वसूल किया जाएगा, जिस प्रकार वह प्रधान करदाता पर लगाया जाता और उससे वसूल किया जाता।

(4) कोई प्रतिनिधि करदाता या कोई व्यक्ति जो यह आशंका करता है कि उसका प्रतिनिधि करदाता के रूप में कर निर्धारण किया जा सकता है, इस उप-अध्याय के अधीन अपने अनुमानित दायित्व के बराबर राशि उस धन में से रख सकेगा जो उसके द्वारा उस प्रधान को देय होगा जिसकी ओर से वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(5) प्रतिनिधि करदाता या उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उसके और प्रधान के बीच इस प्रकार रोकी जाने वाली रकम के संबंध में असहमति की स्थिति में, दायित्व के अंतिम निपटान तक रोकी जाने वाली रकम का विवरण देते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारण अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली रकम बताते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा।

15

(7) उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रतिनिधि करदाता या व्यक्ति द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट रकम को प्रतिधारित करने का वारंट होगा।

(8) अंतिम निपटान के समय प्रतिनिधि करदाता या उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति से वसूली योग्य राशि ऐसे प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी, सिवाय उस सीमा तक जहां तक प्रतिनिधि करदाता या व्यक्ति के पास उस समय प्रधान की अतिरिक्त परिसंपत्तियां हों।

20

(9) प्रत्येक प्रतिनिधि करदाता, जो इस संहिता के अधीन कोई राशि अदा करता है, हकदार हो—

(क) इस प्रकार भुगतान की गई राशि को मूलधन से वसूल कर सकेगा; या

25

(ख) अपने पास उपलब्ध या प्रतिनिधि की हैसियत से उसके पास आने वाली किसी भी धनराशि में से इस प्रकार भुगतान की गई राशि के बराबर धनराशि अपने पास रख लेगा।

(10) धारा 164 की उपधारा (1) के खंड (ड), (च) या खंड (छ) में निर्दिष्ट प्रतिनिधि करदाता की दशा में—

(क) प्रधान के विरुद्ध उसकी मृत्यु या उसके विघटन या परिसमापक की नियुक्ति से पूर्व की गई कोई कार्यवाही प्रतिनिधि करदाता के विरुद्ध की गई समझी जाएगी और वह उसके विरुद्ध उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस प्रक्रम पर वह मृत्यु या विघटन या नियुक्ति की तारीख को थी; तथा

30

(ख) कोई कार्यवाही जो प्रधान के विरुद्ध की जा सकती थी यदि प्रधान जीवित होता या अस्तित्व में होता या परिसमापक नियुक्त नहीं किया गया होता, प्रतिनिधि करदाता के विरुद्ध की जा सकेगी।

35

166. इस उप-अध्याय की कोई बात निम्नलिखित को नहीं रोकेगी-

(क) मूलधन का प्रत्यक्ष मूल्यांकन; या

(ख) इस संहिता के अधीन देय किसी राशि की मूलधन से वसूली।

40

167. कर निर्धारण अधिकारी को किसी प्रतिनिधि करदाता में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन किसी भी प्रकार की समस्त संपत्ति के विरुद्ध वही उपचार प्राप्त होगा जो उसे प्रधान की संपत्ति के विरुद्ध प्राप्त होता, तथा वह भी पूर्ण और पर्याप्त रूप में, चाहे मांग प्रतिनिधि करदाता के विरुद्ध उठाई गई हो या सीधे प्रधान के विरुद्ध।

प्रत्यक्ष
मूल्यांकन या
वसूली पर रोक नहीं है।

प्रतिनिधि के
मामले में
संपत्ति के विरुद्ध
उपाय

करदाता।

व्यवसाय पुनर्गठन पर
मूल्यांकन.

168. (1) किसी व्यवसाय पुनर्गठन में पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी का मूल्यांकन, उस वित्तीय वर्ष के संबंध में जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन किया जाता है, इस धारा में उपबंधित तरीके से किया जाएगा।

(2) पूर्ववर्ती का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से ठीक पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय के संबंध में किया जाएगा।

(3) उत्तराधिकारी का मूल्यांकन व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से शुरू होने वाली और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय के संबंध में किया जाएगा।

(4) इस संहिता के अधीन पूर्ववर्ती के विरुद्ध की गई कोई कार्यवाही उत्तराधिकारी के विरुद्ध की गई समझी जाएगी और यदि पूर्ववर्ती अस्तित्व में नहीं है या उसे ढूंढा नहीं जा सकता है तो उसे उत्तराधिकारी के विरुद्ध उस प्रक्रम से जारी रखा जा सकेगा जिस प्रक्रम पर वह कारबार पुनर्गठन की तारीख को थी।

(5) इस संहिता के अधीन कोई कार्यवाही उत्तराधिकारी के विरुद्ध की जा सकेगी, जो पूर्ववर्ती के विरुद्ध की जा सकती थी, यदि वह विद्यमान होता या पाया जाता।

एक हिंदू अविभाजित
परिवार के विभाजन के बाद
मूल्यांकन।

169. (1) कोई हिंदू अविभाजित कुटुंब, जो अब तक अविभाजित माना गया है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए हिंदू अविभाजित कुटुंब बना रहेगा, सिवाय वहां जहां और जहां तक हिंदू अविभाजित कुटुंब के संबंध में इस धारा के अधीन विभाजन का निष्कर्ष दिया गया है।

(2) मूल्यांकन अधिकारी-

(क) किसी हिंदू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किए गए विभाजन के दावे की जांच करना, जिसका अब तक निर्धारण करते समय अविभाजित के रूप में कर निर्धारण किया गया था;

(ख) परिवार के सभी सदस्यों को जांच की सूचना देना; और

(ग) इस बारे में निष्कर्ष अभिलिखित करना कि क्या संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का पूर्ण या आंशिक विभाजन हुआ है और यदि ऐसा विभाजन हुआ है तो वह तारीख जिस दिन विभाजन हुआ है।

(3) हिंदू अविभाजित परिवार का कर आधार, जो अब तक अविभाजित के रूप में निर्धारित किया गया है, उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें विभाजन हुआ था, विभाजन की तारीख तक की अवधि के संबंध में कर आधार होगा, मानो कोई विभाजन हुआ ही न हो।

(4) हिंदू अविभाजित परिवार का प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह, जो अब तक अविभाजित के रूप में निर्धारित है, विभाजन की तारीख तक किसी भी वित्तीय वर्ष या अवधि के कर आधार पर संयुक्त रूप से और पृथक रूप से कर के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसा कर उससे या उनसे तदनुसार वसूल किया जाएगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी सदस्य या सदस्यों के समूह का व्यक्तिगत दायित्व, विभाजन के पश्चात् उसे या सदस्यों को आबंटित संयुक्त परिवार की संपत्ति के भाग के अनुसार गणना किया जाएगा।

(6) इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, किसी हिंदू अविभाजित कुटुंब के विभाजन की तारीख तक की किसी अवधि के संबंध में, चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक, किसी शास्ति, ब्याज, जुर्माना या अन्य राशि के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे किसी ऐसी अवधि के संबंध में कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

(7) इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, किसी हिंदू अविभाजित कुटुंब के आंशिक विभाजन के किसी दावे की जांच नहीं की जाएगी, या उसे मान्यता नहीं दी जाएगी।

(8) किसी हिंदू अविभाजित परिवार के आंशिक विभाजन की स्थिति में-

(क) हिंदू अविभाजित परिवार का इस संहिता के अंतर्गत मूल्यांकन जारी रहेगा यदि कोई आंशिक विभाजन नहीं हुआ हो; और

(ख) इस संहिता के अधीन उस हिन्दू अविभाजित परिवार या उसके सदस्यों का दायित्व, आंशिक विभाजन से पहले या बाद में, समान रहेगा।

5 (9) इस धारा में-

(क) "विभाजन" से तात्पर्य है-

(i) जहां संपत्ति का भौतिक विभाजन संभव है, वहां संपत्ति का ऐसा विभाजन, किन्तु आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति के भौतिक विभाजन के बिना आय का भौतिक विभाजन, विभाजन नहीं माना जाएगा; या

10 (ii) जहां संपत्ति में भौतिक विभाजन संभव नहीं है, वहां संपत्ति में ऐसा विभाजन, जिसकी अनुमति हो, किंतु स्थिति का मात्र विच्छेद, विभाजन नहीं माना जाएगा;

(ख) "आंशिक विभाजन" से ऐसा विभाजन अभिप्रेत है जो हिंदू अविभाजित परिवार के व्यक्तियों, या हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों, या दोनों के संबंध में आंशिक है।

15

170. (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनिवासी की जहाजों के संचालन के कारोबार से आय का आकलन (स्टॉट चार्टर, स्पेस चार्टर या संयुक्त चार्टर जैसी व्यवस्था सहित) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

सामयिक शिपिंग व्यवसाय के संबंध में अनिवासी का मूल्यांकन।

20 (2) किसी अनिवासी के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा किराये पर लिए गए जहाज का स्वामी, जहाज के प्रस्थान से पहले, उस बंदरगाह पर जहाज के अंतिम आगमन के बाद से मालिक या किराये पर लिए गए व्यक्ति द्वारा उपाजित या प्राप्त परिवहन व्यय की पूरी राशि का विवरण निर्धारण अधिकारी को देगा।

(3) विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा का अनुपालन किया गया माना जाएगा, यदि—

(क) मूल्यांकन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि—

25

(i) जहाज के मालिक के लिए बंदरगाह से जहाज के प्रस्थान से पहले रिटर्न प्रस्तुत करना संभव नहीं है; और

(ii) जहाज के मास्टर ने निम्नलिखित के लिए संतोषजनक व्यवस्था कर दी है-
कर का रिटर्न और भुगतान; और

(ख) रिटर्न प्रस्थान के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है
जहाज के मालिक द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा जहाज पर कब्जा।

30

(4) रिटर्न प्राप्त होने पर, मूल्यांकन अधिकारी-

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय का निर्धारण चौदहवीं अनुसूची के पैरा 1 के अधीन सारणी की क्रम संख्या 7 के अनुसार, ऐसे दस्तावेज मंगाने के पश्चात करेगा, जिन्हें वह ठीक समझे; और

35

(ख) विदेशी कंपनी की कुल आय पर लागू दरों पर उस पर कर के रूप में देय राशि का निर्धारण करना।

(5) उपधारा (4) के अधीन निर्धारित राशि स्वामी द्वारा देय होगी।
जहाज या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति।

40 (6) जहाज को बंदरगाह निकासी तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि सीमाशुल्क आयुक्त या निकासी प्रदान करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य अधिकारी यह समाधान न कर ले कि इस धारा के अधीन निर्धारणीय कर सम्यक् रूप से संदत्त कर दिया गया है या संदाय के लिए संतोषजनक व्यवस्था कर दी गई है।

(7) इस धारा की कोई बात उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय का, पोट के स्वामी या चार्टरकर्ता की सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए, उसके विकल्प पर, इस संहिता के अन्य उपबंधों के अनुसार निर्धारण करने से नहीं रोकेगी।

(8) इस धारा के अधीन किए गए कर के किसी भी भुगतान को अग्रिम कर माना जाएगा, यदि उपधारा (7) में परिकल्पित अनुसार निर्धारण किया जाता है।

भारत छोड़ने वाले
व्यक्तियों का
मूल्यांकन।

171. (1) किसी व्यक्ति के वित्तीय वर्ष के भाग के लिए कर आधार उस वित्तीय वर्ष में कर हेतु प्रभाय हो सकेंगे, यदि-

(क) मूल्यांकन अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति इस अवधि के दौरान भारत छोड़ सकता है।
वित्तीय वर्ष या उसकी समाप्ति के तुरंत बाद; तथा

(ख) भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष का भाग, वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाली तथा भारत से उसके प्रस्थान की संभावित तारीख को समाप्त होने वाली अवधि होगी।

(3) मूल्यांकन अधिकारी किसी व्यक्ति के कर आधार का आकलन उसके कर वर्ष के भाग के लिए कर सकता है।
वित्तीय वर्ष यदि इसे इस संहिता के अनुसार आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, कर निर्धारण अधिकारी व्यक्ति से कर आधारों की विवरणी उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो सात दिन से कम नहीं होगी।

(5) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, मूल्यांकन अधिकारी, व्यक्ति को कर आधारों की विवरणी, उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो सात दिनों से कम नहीं होगी-

(क) उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख समाप्त नहीं हुई है; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय वर्षों के लिए जिनके लिए कर आधारों का कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है
जिसे अन्यथा दाखिल किया जाना आवश्यक था।

(6) निर्धारण अधिकारी विवरणी प्राप्त होने पर या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय की समाप्ति के पश्चात् इस संहिता के उपबंधों के अनुसार, जहां तक वे लागू होते हैं, निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(7) इस धारा के अधीन संगणित कर आधारों पर देय कर, इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा।

किसी गैर-निगमित
निकाय
का मूल्यांकन

172. (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी वित्तीय वर्ष में किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए गठित अनिगमित निकाय का उस वित्तीय वर्ष में या उसके शीघ्र पश्चात् विघटित होने की संभावना है, वहां निर्धारण अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर उसके विघटन की संभावित तारीख तक की अवधि के लिए उस अनिगमित निकाय के कर आधारों पर उस वित्तीय वर्ष में कर लगा सकेगा।

विशिष्ट
घटना या
उद्देश्य।

(2) धारा 171 के उपबंध इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे भारत छोड़ने वाले किसी व्यक्ति के मामले में लागू होते हैं।

स्थानांतरित होने वाले
संभावित व्यक्तियों का
मूल्यांकन
कर से बचने के लिए
संपत्ति बेच दी।

173. (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन किसी दायित्व के संदाय से बचने के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अपनी किसी आस्तियों को भारित करने, बेचने, अंतरित करने, निपटाने या अन्यथा भाग देने की संभावना रखता है, वहां निर्धारण अधिकारी उस वित्तीय वर्ष में ऐसे व्यक्ति के कर आधारों पर, जो वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर उस तारीख तक की अवधि के लिए है, जब निर्धारण अधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करता है, कर लगा सकेगा।

(2) धारा 171 के उपबंध इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे भारत छोड़ने वाले किसी व्यक्ति के मामले में लागू होते हैं।

174. (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई कारोबार किसी वित्तीय वर्ष में बंद कर दिया जाता है, वहां मूल्यांकन अधिकारी अपने विवेकानुसार, ऐसे कारोबार के कर आधारों पर उस वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से कारोबार बंद करने की तारीख तक की अवधि के लिए कर लगा सकेगा।

कारोबार बंद कर दिया गया।

(2) कोई भी व्यक्ति अपना कारोबार बंद करने पर पंद्रह दिन की अवधि के भीतर कर निर्धारण अधिकारी को कारोबार बंद करने की सूचना देगा।

(3) कारोबार बंद करने के पश्चात् प्राप्त कोई राशि प्राप्तकर्ता की आय मानी जाएगी तथा उस पर प्राप्ति के वर्ष में तदनुसार कर लगाया जाएगा, यदि ऐसी राशि कारोबार बंद करने से पूर्व प्राप्त हुई होती तो उसे कारोबार चलाने वाले व्यक्ति के कर आधार में सम्मिलित किया जाता।

(4) कर निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति से, जिसका कारोबार बंद कर दिया गया है, कर आधारों की विवरणी उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो सात दिन की अवधि से कम नहीं होगी।

15

(5) रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए नोटिस मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित तरीके से दिया जाएगा: कारोबार बंद करने का मामला—

(क) व्यक्ति, उस पर;

(ख) अनिगमित निकाय पर, उस भागीदार पर जो समाप्ति के समय अनिगमित निकाय का सदस्य था; तथा

20

(ग) कंपनी, उसके प्रधान अधिकारी पर।

(6) निर्धारण अधिकारी विवरणी प्राप्त होने पर या उपधारा (4) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय की समाप्ति के पश्चात् इस संहिता के उपबंधों के अनुसार, जहां तक वे लागू होते हैं, निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(7) इस धारा के अधीन संगणित कर आधारों पर देय कर, इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा।

25

175. (1) ऐसे मामले में जहां किसी अनिगमित निकाय के गठन में परिवर्तन हुआ है, निर्धारण अधिकारी उस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में एकल निर्धारण करेगा जिसमें परिवर्तन हुआ है।

संविधान में परिवर्तन की स्थिति में असंबद्ध निकाय का मूल्यांकन।

(2) इस धारा में, किसी अनिगमित निकाय के गठन में परिवर्तन हुआ माना जाएगा, यदि—

30

(क) प्रतिभागियों में से एक या अधिक प्रतिभागी प्रतिभागी नहीं रह जाते हैं;

(ख) एक या एक से अधिक नये प्रतिभागियों को शामिल किया जाता है; या

(ग) सभी भागीदार अपने-अपने शेयरों में अथवा उनमें से कुछ के शेयरों में परिवर्तन जारी रखते हैं।

(3) यदि संविधान में परिवर्तन किया गया है तो इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। किसी एक प्रतिभागी की मृत्यु या सभी प्रतिभागियों की सेवानिवृत्ति के कारण।

35

आकलन
पर
प्रतिभागी की सेवानिवृत्ति
या मृत्यु।

176. (1) मूल्यांकन अधिकारी किन्हीं दो अनिगमित निकायों पर पृथक मूल्यांकन करेगा, यदि—

(क) एक अनिगमित निकाय दूसरे अनिगमित निकाय का उत्तराधिकारी बनता है; तथा

(ख) उत्तराधिकार अनिगमित निकाय के सभी प्रतिभागियों की सेवानिवृत्ति या किसी भी प्रतिभागी की मृत्यु के आधार पर होता है।

5

(2) पृथक मूल्यांकन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
धारा 168 के अनुसार-

(क) अनिगमित निकाय, अन्य अनिगमित निकाय का उत्तराधिकारी है; तथा

(ख) जिस असंबद्ध निकाय का स्थान लिया जा रहा है, वह पूर्ववर्ती निकाय है।

10

कटौतीकर्ता या
संग्रहकर्ता का मूल्यांकन।

177. (1) निर्धारण अधिकारी धारा 198, धारा 199 या धारा 202 के अधीन दाखिल प्रत्येक विवरणी का निर्धारण इस प्रकार करेगा मानो वह धारा 144 में निर्दिष्ट कर आधारों की विवरणी हो और इस संहिता के अन्य सभी उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

(2) ऐसे मामले में, जहां कोई व्यक्ति धारा 198 या धारा 199 या धारा 202 के अधीन विवरणी दाखिल करने में असफल रहा है, निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी और इस संहिता के अन्य सभी उपबंध, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे मानो वह धारा 144 में निर्दिष्ट कर आधारों का विवरणी हो।

15

डी.—अपील और संशोधन

आयुक्त (अपील)
को अपील।

178. (1) कोई करदाता आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां वह इक्कीसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुक्त के पद से नीचे के किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सूचना या पारित आदेश से व्यथित है।

20

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, करदाता निम्नलिखित के विरुद्ध अपील कर सकेगा-

(i) जहां धारा 161 के तहत उसके द्वारा दायर आवेदन का निपटारा मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आवेदन दाखिल करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया गया है; या

25

(ii) जहां उसे किसी समझौते या अन्य व्यवस्था के तहत किसी अनिवासी को देय आय पर धारा 195 के तहत कर कटौती के संबंध में देयता वहन करने की आवश्यकता होती है और -

(क) वह दावा करता है कि उसके द्वारा अनिवासी को देय ऐसी आय पर कोई कर कटौती योग्य नहीं था; तथा

30

(ख) उसने ऐसी आय पर कर का भुगतान केन्द्रीय सरकार के खाते में कर दिया है।

के प्रपत्र
अपील और सीमा.

179. (1) धारा 178 के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी तथा उसके साथ फीस दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(2) धारा 178 के अधीन किसी करदाता द्वारा अपील निम्नलिखित तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी-

(क) मांग की सूचना की तारीख, यदि अपील किसी आदेश से संबंधित है या सूचना जिसके अनुसरण में मांग की ऐसी सूचना जारी की जाती है;

5 (ख) वह तारीख जिसको आवेदन के निपटान के लिए छह महीने की अवधि समाप्त हो गई, यदि अपील धारा 161 के तहत सुधार के लिए आवेदन का निपटान न करने से संबंधित है;

(ग) यदि अपील दायर की जाती है तो केंद्र सरकार को कर के भुगतान की तारीख धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन ; तथा

10 (घ) वह तारीख जिसको वह आदेश तामील हुआ जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, यदि अपील किसी अन्य मामले से संबंधित है।

(3) आयुक्त (अपील) निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकेगा।
उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट, यदि—

15 (क) वह इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उस समय सीमा के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था; तथा

(ख) अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होता है।

(4) इस धारा के अधीन कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि-

(क) करदाता ने प्रस्तुत कर आधार विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान कर दिया है;

20 (ख) करदाता ने अग्रिम कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान कर दिया है, जो यदि करदाता द्वारा कोई कर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उसे कर का भुगतान करना होगा।

(5) आयुक्त (अपील) करदाता द्वारा किए गए आवेदन पर उसे उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंधों के प्रवर्तन से किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से, जो लिखित में अभिलिखित किया जाएगा, छूट दे सकेगा।

25 180. (1) आयुक्त (अपील) अपील की सुनवाई के लिए दिन और स्थान नियत करेगा तथा अपीलकर्ता और उस कर निर्धारण अधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी सूचना देगा।

अपील की प्रक्रिया.

(2) अपील की सुनवाई में निम्नलिखित को सुनवाई का अधिकार होगा, अर्थात्:—

(क) अपीलकर्ता, व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा;

30 (ख) कर निर्धारण अधिकारी को, व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि द्वारा।

(3) आयुक्त (अपील) जब भी चाहे अपील की सुनवाई स्थगित कर सकता है।
ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है।

(4) आयुक्त (अपील) किसी अपील का निपटारा करने से पूर्व ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जैसी वह ठीक समझे।

35 (5) आयुक्त (अपील) अपने समक्ष कार्यवाही के दौरान, कर निर्धारण अधिकारी को किसी नए तथ्य या विधि प्रश्न से उत्पन्न होने वाले बिंदुओं पर जांच करने तथा उसके परिणाम की रिपोर्ट उसे देने का निर्देश दे सकेगा।

(6) आयुक्त (अपील) किसी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी भी आधार पर विचार करने की अनुमति दे सकेगा, यदि आयुक्त (अपील) को यह विश्वास हो जाए कि चूक जानबूझकर या अनुचित नहीं थी।

40

(7) अपील का निपटारा करने वाला आयुक्त (अपील) का आदेश लिखित होगा और उसमें निर्धारण के लिए बिन्दु, उस पर निर्णय तथा उसके कारण बताए जाएंगे।

(8) धारा 178 के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक अपील की सुनवाई तथा निपटारा आयुक्त (अपील) द्वारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा तथा ऐसी अपील का निपटारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा जिसमें अपील प्रस्तुत की गई है।

(9) अपील के निपटारे पर आयुक्त (अपील) आदेश संसूचित करेगा।
उसके द्वारा करदाता और मुख्य आयुक्त या आयुक्त को पारित किया जाएगा।

आयुक्त (अपील) की शक्तियां।

181.(1) किसी अपील का निपटारा करने में आयुक्त (अपील) को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:-

(क) कर निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील में वह कर निर्धारण को पुष्ट, कम, बढ़ा या रद्द कर सकता है;

(ख) किसी शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील में, वह ऐसे आदेश की पुष्टि या उसे रद्द कर सकता है या उसमें फेरबदल कर सकता है, जिससे कि शास्ति बढ़ाई या घटाई जा सके; (ग) किसी अन्य मामले

में, वह अपील में उठने वाले मुद्दों का निर्धारण कर सकता है और उन पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे।

(2) आयुक्त (अपील) किसी ऐसे मामले पर विचार कर सकेगा तथा निर्णय दे सकेगा जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया हो।

(3) आयुक्त (अपील) किसी कर निर्धारण या शास्ति में वृद्धि नहीं करेगा या प्रतिदाय की राशि में कमी नहीं करेगा, जब तक कि अपीलकर्ता को ऐसी वृद्धि या कटौती के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न मिल गया हो।

(4) किसी अपील का निपटारा करते समय, आयुक्त (अपील) उन कार्यवाहियों से उत्पन्न किसी मामले पर विचार कर सकेगा तथा निर्णय दे सकेगा, जिसमें वह आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, भले ही ऐसा मामला अपीलकर्ता द्वारा उसके समक्ष नहीं उठाया गया हो।

अपीलीय न्यायाधिकरण।

182. (1) केन्द्रीय सरकार एक अपील अधिकरण का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और उतने न्यायिक तथा लेखापरीक्षक सदस्य होंगे, जितने वह ठीक समझे, जो इस संहिता द्वारा अपील अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(2) न्यायिक सदस्य वह व्यक्ति होगा-

(i) जिसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो;

(ii) जो भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो और किसी पद पर रहा हो
उस सेवा के ग्रेड-1 या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष तक कार्य करना; या

(iii) जो कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो।
उत्तराधिकार में ऐसी और भी अदालतें होंगी।

(3) लेखापाल सदस्य वह व्यक्ति होगा-

(क) जो कम से कम पंद्रह वर्षों से लेखाशास्त्र का अभ्यास कर रहा हो
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट; या

(ख) जो भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य रहा हो और कम से कम तीन वर्ष तक अपर आयकर आयुक्त या उसके समकक्ष या उच्चतर पद पर कार्य कर चुका हो।

(4) केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण के एक या अधिक न्यायिक या लेखापाल सदस्यों को, यथास्थिति, उसका उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण के उपाध्यक्षों में से एक को उसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकेगी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होना।

(7) वरिष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और

राष्ट्रपति के ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो राष्ट्रपति द्वारा लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(8) उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए,—

5 (क) उस अवधि की गणना करने में, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण किया है, कोई न्यायिक पद धारण करने के पश्चात् वह अवधि सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या किसी न्यायाधिकरण के सदस्य का पद या संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;

10 (ख) किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान उस व्यक्ति ने अधिवक्ता बनने के पश्चात् न्यायिक पद या किसी अधिकरण के सदस्य का पद या संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।

(9) इस उप-अध्याय में, "न्यायिक सदस्य" से उप-अध्याय में निर्दिष्ट न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है।

धारा (2) के अधीन है और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं।

15 183. (1) कोई करदाता अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकेगा, जहां वह निम्नलिखित द्वारा पारित आदेश से व्यथित है-

अपीलीय
न्यायाधिकरण में
अपील.

(क) धारा 180 के अधीन आयुक्त (अपील);

(ख) धारा 98 और धारा 191 के अधीन आयुक्त;

20 (ग) जुर्माना लगाने के संबंध में आयुक्त या आयुक्त (अपील)
दंड से संबंधित अध्याय XIV के अंतर्गत;

(घ) धारा 191 के अधीन आयुक्त के आदेश के परिणामस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी;

(ई) विवाद समाधान पैनल के निर्देशों के अनुसरण में एक मूल्यांकन अधिकारी; और

25 (च) उक्त खंडों में उल्लिखित आदेशों के संबंध में धारा 161 के अधीन, ऊपर खंड (क) से (ड) में निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी।

(2) यदि आयुक्त, आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निर्देश दे सकेगा।

30 (3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त (अपील) या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के आदेश के विरुद्ध अपील न्यायाधिकरण में कोई अपील नहीं होगी, किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि आदेश कंपनी या राजस्व के लिए प्रतिकूल है, वह धारा 257 में निर्दिष्ट प्राधिकरण के समक्ष होगी।

35 (4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर की जाएगी, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, यथास्थिति, निर्धारित या आयुक्त को संसूचित किया जाता है।

(5) निर्धारण अधिकारी या करदाता, यह नोटिस प्राप्त होने पर कि आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दूसरे पक्षकार द्वारा अपील की गई है, नोटिस प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध प्रति-आपत्ति ज्ञापन दाखिल कर सकेगा।

35

(6) प्रति-आपत्ति ज्ञापन का निपटारा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा-

(क) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर की गई अपील के समान होगी।

(7) अपील अधिकरण किसी अपील या प्रति-आपत्ति ज्ञापन को स्वीकार कर सकेगा, उपधारा (4) या उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, यदि—

(क) वह इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उक्त समयावधि में अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था; तथा

(ख) अपील दायर करने में विलंब एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं है।

5

(8) अपील अधिकरण के समक्ष अपील या प्रति-आपत्ति का ज्ञापन ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी रीति से सत्यापित किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

(9) करदाता द्वारा अपील के साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी, जो विहित की जाए।

अपीलीय
न्यायाधिकरण द्वारा
मांग पर स्थगन।

184. (1) कोई करदाता धारा 183 के अधीन उसके द्वारा की गई अपील से संबंधित मांग पर स्थगन के लिए अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।

10

(2) अपील अधिकरण, अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने तथा मामले के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात्, स्थगन आवेदन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(3) अपील अधिकरण उपधारा (2) के अधीन स्थगन आदेश पारित करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए स्थगन दे सकेगा और अपील अधिकरण उस आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

15

(4) अपील अधिकरण, स्थगन की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाले करदाता द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात स्थगन की अवधि बढ़ा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील के निपटान में विलम्ब करदाता के कारण नहीं हुआ है।

20

(5) उपधारा (2) के अधीन मूलतः अनुज्ञात अवधि और उपधारा (4) के अधीन विस्तारित अवधि या अवधियों का कुल योग, किसी भी दशा में, उपधारा (2) के अधीन स्थगन आदेश पारित करने की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगा।

(6) अपीलीय न्यायाधिकरण उपधारा (2) के अधीन दी गई स्थगन अवधि या उपधारा (4) के अधीन बढ़ाई गई अवधि या अवधियों के दौरान अपील का निपटारा करेगा और जहां वह ऐसा करने में असफल रहता है, वहां स्थगन आदेश निरस्त हो जाएगा, भले ही अपील के निपटारे में विलंब का कारण करदाता न हो।

25

अपीलीय
न्यायाधिकरण के
आदेश.

185. (1) अपील अधिकरण, अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

30

(2) अपील अधिकरण, स्वप्रेरणा से या आदेश की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय करदाता या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भूल को उसके संज्ञान में लाए जाने पर, अभिलेख पर स्पष्ट किसी भूल को सुधारने की दृष्टि से, उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा।

(3) अपील अधिकरण ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगा जिसका प्रभाव उपधारा (2) के अधीन करदाता को सुनवाई का अवसर दिए बिना कर निर्धारण में वृद्धि करना हो या कर वापसी में कमी करना हो या अन्यथा करदाता के दायित्व में वृद्धि करनी हो।

35

(4) धारा 183 के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक अपील की सुनवाई तथा निपटारा अपील अधिकरण द्वारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा तथा ऐसी अपील का निपटारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा जिसमें अपील प्रस्तुत की गई है।

40

(5) अपील न्यायाधिकरण इस धारा के अंतर्गत पारित किसी आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को भेजेगा: करदाता और आयुक्त को।

(6) धारा 187 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश-अंतिम निर्णय अंतिम होगा।

45

186. (1) अपील अधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित उसकी पीठों द्वारा किया जा सकेगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठों का गठन और प्रक्रिया।

5 (2) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखाकार सदस्य.

(3) अपील अधिकरण का उपाध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य अकेले बैठकर उस न्यायपीठ को आबंटित किसी मामले का निपटारा कर सकेगा जिसका वह सदस्य है और जो किसी ऐसे निर्धारित से संबंधित है, जो कोई कंपनी या अनिवासी नहीं है, जिसका कर आधार निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित रूप में पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है।

10

(4) राष्ट्रपति न्याय के हित में और किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या अधिक सदस्यों वाली एक विशेष न्यायपीठ का गठन कर सकेगा, जिनमें से एक आवश्यक रूप से न्यायिक सदस्य और एक लेखापाल सदस्य होगा।

15 (5) अध्यक्ष, किसी विशेष मामले के निपटारे के लिए बोर्ड से प्राप्त संदर्भ पर, पांच या अधिक सदस्यों वाली एक विशेष पीठ का गठन करेगा, जिनमें से दो अनिवार्यतः न्यायिक सदस्य और दो लेखाकार सदस्य होंगे।

(6) जहां किसी बिंदु पर न्यायपीठ के सदस्यों की राय भिन्न हो, वहां उसका निर्णय बहुमत की राय के अनुसार।

20 (7) यदि न्यायपीठ के सदस्य किसी प्रश्न या प्रश्नों पर समान रूप से विभाजित हैं, तो वे उस प्रश्न या प्रश्नों का उल्लेख करेंगे, जिन पर उनमें मतभेद है और अपील अधिकरण के अध्यक्ष को संदर्भ देंगे, जो या तो स्वयं सुनवाई करेगा या ऐसे प्रश्न या प्रश्नों पर अपील अधिकरण के अन्य सदस्यों में से एक या अधिक को सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का निर्णय अपील अधिकरण के उन सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने मामले की प्रथम सुनवाई की थी।

25 (8) इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील अधिकरण को अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के निर्वहन से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया और अपनी न्यायपीठों की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है जहां न्यायपीठ अपनी बैठकें करेगी।

30 (9) अपील अधिकरण अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, निम्नलिखित सभी कार्य करेगा: धारा 134 के अंतर्गत आयकर प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियां।

(10) अपील अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तरगत तथा धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

1860 का 45.

35 (11) अपील अधिकरण को निम्नलिखित सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय XXVI के तहत।

1974 का 2.

187. (1) अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।

उच्च न्यायालय में अपील करें।

40 (2) मुख्य आयुक्त या आयुक्त या कोई करदाता अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित होने पर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकेगा और ऐसी अपील-

(क) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त या करदाता द्वारा प्राप्त होने की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर दायर किया जाएगा;

(ख) अपील के ज्ञापन के रूप में, जिसमें सम्मिलित विधि के मूल प्रश्न का स्पष्ट उल्लेख हो।

5

(3) उच्च न्यायालय उपधारा (2) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो वह उस प्रश्न का निरूपण करेगा।

10

(5) अपील केवल इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर ही सुनी जाएगी और अपील की सुनवाई के समय प्रत्यर्थियों को यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है।

(6) उपधारा (4) और (5) में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय अपने द्वारा तैयार न किए गए किसी अन्य सारवान विधि प्रश्न पर अपील सुनने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामला ऐसे विधि प्रश्न से संबंधित है।

15

(7) उच्च न्यायालय इस प्रकार तैयार किए गए विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर ऐसा निर्णय देगा जिसमें वे आधार अंतर्विष्ट होंगे जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है और ऐसा खर्चा अधिनिर्णीत कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(8) उच्च न्यायालय किसी ऐसे विवादक का निर्धारण कर सकता है जो-

20

(क) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है; या

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विधि के प्रश्न पर निर्णय के कारण अपील अधिकरण द्वारा गलत अवधारित किया गया है।

(9) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित प्रावधान न्यायालय के निर्णय, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपीलों के मामले में लागू होंगे।

1908 का 5.

25

(10) जब उच्च न्यायालय उपधारा (7) के अधीन उसके समक्ष दायर अपील में निर्णय सुनाता है, तब निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश को प्रभावी किया जाएगा।

मामला पहले उच्च न्यायालय में कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की जाएगी।

188. (1) उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी और उसका निर्णय ऐसे न्यायाधीशों की राय या ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत, यदि कोई हो, के अनुसार किया जाएगा।

30

(2) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि का वह प्रश्न बताएं जिस पर उनमें मतभेद है और तब मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के अन्य एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा केवल उसी प्रश्न पर की जाएगी और ऐसे प्रश्न का निर्णय मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जिन्होंने मामले की प्रथम सुनवाई की थी।

35

सर्वोच्च न्यायालय में अपील.

189. धारा 187 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, जिसे उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त मामला प्रमाणित कर दिया हो।

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई।

190. (1) उच्चतम न्यायालय में अपीलों से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जहां तक हो सके, धारा 189 के अधीन अपीलों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उच्च न्यायालय की डिस्ट्री से अपीलों के मामले में लागू होते हैं।

1908 का 5.

40

(2) अपील की लागत सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगी।

(3) जहां अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन किया जाता है या उसे उलट दिया जाता है, वहां उच्चतम न्यायालय के आदेश को धारा 187 की उपधारा (10) में उपबंधित रीति से प्रभावी किया जाएगा।

5 191. (1) आयुक्त, अपने अधीनस्थ किसी आयकर प्राधिकारी के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में पारित किसी आदेश को पुनरीक्षित करने के प्रयोजनों के लिए, उससे संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों को मंगा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा।

प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों में संशोधन आय।

(2) आयुक्त, करदाता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, मामले की परिस्थितियों के अनुसार आदेश (जिसे इसमें आगे पुनरीक्षण आदेश कहा जाएगा) पारित कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि जिस आदेश का पुनरीक्षण किया जाना है वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल है।

(3) आयुक्त उपधारा (2) के अधीन आदेश पारित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी जांच कर सकेगा या करवा सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश का प्रभाव कर निर्धारण में वृद्धि या संशोधन करने का हो सकेगा, किन्तु वह कर निर्धारण को रद्द करने और नये कर निर्धारण का निर्देश देने वाला आदेश नहीं होगा।

(5) किसी आदेश को संशोधित करने के लिए उपधारा (2) के अधीन आयुक्त की शक्ति ऐसे आदेश तक विस्तारित नहीं होगी,—

(क) जिसके विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील लंबित है;

(ख) जैसा कि किसी अपील में विचार किया गया हो और निर्णय लिया गया हो; या

(ग) जैसा कि विवाद समाधान पैनल द्वारा विचार किया गया है तथा उसके निर्देशों के अनुसरण में पारित किया गया है।

(6) उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा, जिसमें संशोधित किया जाने वाला आदेश पारित किया गया था।

(7) उपधारा (6) के अधीन परिसीमा अवधि की गणना करने में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) धारा 133 के अधीन करदाता को पुनः सुनवाई का अवसर देने में लिया गया समय; या

(ख) कोई अवधि जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी जाती है।

(8) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयकर प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण माना जाएगा, जहां तक वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यदि-

(क) आदेश बिना पूछताछ या सत्यापन के पारित कर दिया जाता है, जो कि,

आयुक्त की राय ली जानी चाहिए थी;

(ख) दावे की जांच किए बिना कोई राहत देने का आदेश पारित कर दिया जाता है;

(ग) आदेश धारा 129 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश, निदेश या अनुदेश के अनुसार नहीं किया गया है;

(घ) आदेश किसी पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय के अनुसार पारित नहीं किया गया है

करदाता को, द्वारा प्रदान किया गया—

(i) करदाता या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में इस संहिता, आयकर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जैसा कि इस संहिता के प्रारंभ से पहले विद्यमान था; या 1961 का 43.
1957 का 27.

(ii) किसी अन्य कानून के तहत एक अदालत; या

(ई) यह आदेश किसी अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया है, किन्तु आदेश पारित होने के पश्चात् उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका मंजूर कर ली गई है। 5

(9) आयकर प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश गलत नहीं माना जाएगा-
जहां तक यह राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है, यदि -

(क) यह आदेश कानून में टिकने योग्य दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया गया है; और 10

(ख) आयुक्त अन्य दृष्टिकोण के अस्तित्व के कारण सहमत नहीं है
कानून में टिकाऊ.

(10) इस धारा में, "रिकॉर्ड" में किसी भी कार्यवाही से संबंधित सभी रिकॉर्ड शामिल होंगे
आयुक्त द्वारा जांच के समय इस संहिता के तहत उपलब्ध दस्तावेज।

अन्य आदेशों में
संशोधन।

192. (1) आयुक्त, स्वप्रेरणा से या करदाता द्वारा किए गए आवेदन पर, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को, उस आदेश से भिन्न जिस पर धारा 191 लागू होती है, संशोधित करने के प्रयोजनों के लिए, उससे संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों को मंगा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा। 15

(2) आयुक्त, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो करदाता के लिए प्रतिकूल न हो।

20

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश को संशोधित करने की आयुक्त की शक्ति ऐसे आदेश तक विस्तारित नहीं होगी-

(क) जिसके विरुद्ध अपील दायर नहीं की गई है, किन्तु आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने का समय समाप्त नहीं हुआ है;

(ख) जिसके विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील लंबित है; 25

(ग) जैसा कि किसी अपील में विचार किया गया हो और निर्णय लिया गया हो; या

(घ) जैसा कि विवाद समाधान पैनल द्वारा विचार किया गया है तथा उसके निर्देशों के अनुसरण में पारित किया गया है।

(4) निर्धारित उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा, जिसको पुनरीक्षण हेतु वांछित आदेश उसे संसूचित किया गया था, या उस तारीख से जिसको उसे अन्यथा उसके बारे में पता चला था, जो भी पहले हो। 30

(5) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए करदाता द्वारा किया गया प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित के साथ संलग्न किया जाएगा-
निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(6) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश निम्नलिखित की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा- 35

(क) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि, जिसमें उपधारा (4) के अधीन करदाता द्वारा आवेदन किया जाता है; या

(ख) संशोधित किये जाने वाले आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि, यदि
आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से आदेश संशोधित किया जाता है।

अध्याय XIII

कर संग्रहण और वसूली

ए.—स्रोत पर कर की कटौती

193. (1) किसी आय पर कर, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, स्रोत पर कटौती या संग्रहण द्वारा या अग्रिम 5 संदाय द्वारा देय होगा, भले ही ऐसी आय के संबंध में नियमित निर्धारण किसी पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में किया जाना हो।
- स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण और अग्रिम भुगतान।
- (2) इस धारा की कोई भी बात धारा 14 के अंतर्गत ऐसी आय पर कर के प्रभार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 2 की उपधारा (2) के उपबंध।
194. (1) आयकर का भुगतान सीधे करदाता द्वारा किया जाएगा यदि,—
- प्रत्यक्ष भुगतान।
- (क) इस अध्याय के अंतर्गत भुगतान के समय आयकर की कटौती या संग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है; या
- (ख) इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार आयकर की कटौती या संग्रहण नहीं किया गया है।
- (2) कोई व्यक्ति, जिसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कोई राशि काटने या संगृहीत करने की अपेक्षा की जाती है, इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित कर की कटौती या संगृहीत नहीं करता है या ऐसी कटौती या संगृहीत करने के पश्चात् कर का पूरा या उसका कोई भाग संदाय करने में असफल रहता है या संदाय नहीं करता है, और जहां निर्धारिती ऐसे कर का प्रत्यक्ष रूप से संदाय करने में भी असफल रहता है, वहां ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसे भुगतान पड़ सकता है, ऐसे कर के संबंध में धारा 218 के अर्थ में चूककर्ता निर्धारिती समझा जाएगा।
195. (1) निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति, भुगतान के समय भुगतान पर, उचित दर से आयकर काट लें।
- कर कटौती का दायित्व स्रोत।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट भुगतान, यदि कटौतीकर्ता निवासी है, तो तीसरी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान होगा और ऐसे विनिर्दिष्ट भुगतान के संबंध में समुचित दर उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर होगी।
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट भुगतान, यदि कटौतीकर्ता कोई अनिवासी है, तो चौथी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान होगा और ऐसे विनिर्दिष्ट भुगतान के संबंध में समुचित दर, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर होगी।
- (4) उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां ऐसे विनिर्दिष्ट भुगतान के संबंध में कोई दर धारा 291 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए या अपनाए गए सुसंगत करार में उपबंधित की गई है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट समुचित दर, चतुर्थ अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर या ऐसे करार में उपबंधित दर, जो भी कम हो, होगी।
- (5) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट समुचित दर, उस दशा में जहां कटौतीकर्ता, कटौतीकर्ता को अपना स्थायी खाता संख्यांक देने में असफल रहा है (सिवाय इसके कि जहां कटौतीकर्ता को धारा 292 के अधीन स्थायी खाता संख्यांक प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है), निम्नलिखित दरों में से उच्चतर होगी, अर्थात्:—
- (क) बीस प्रतिशत; और (ख) उपधारा (2), (3) या उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट दर, जैसा भी मामला हो।
- होना।
196. (1) धारा 195 के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट संदाय किया गया माना जाएगा, यदि संदाय किया गया है—
- आय का भुगतान और कर की कटौती।
- (क) नकद में;
- (ख) चेक या ड्राफ्ट जारी करके;

(सी) किसी भी खाते में जमा करके, चाहे उसे सस्पेंस खाता कहा जाए या किसी अन्य द्वारा नाम; या

(घ) किसी अन्य तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,

जो भी पहले हो।

(2) यदि भुगतान पूर्णतः या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में है, तो कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कर ऐसे भुगतान के संबंध में कटौती योग्य राशि का भुगतान भुगतान करने से पहले कर दिया गया है।

5

(3) कटौतीकर्ता, "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य भुगतान से या ब्याज के स्वरूप में भुगतान से कर की कोई कटौती करते समय, किसी कटौतीकर्ता के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान किसी पिछली कटौती या गैर-कटौती से उत्पन्न किसी कमी या अधिकता को समायोजित करने के प्रयोजनार्थ कटौतीकर्ता को किए जाने वाले किसी भुगतान से कटौती की जाने वाली राशि को बढ़ा या घटा सकता है।

10

(4) "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य भुगतान से कर की कोई कटौती करने के प्रयोजनों के लिए, कटौतीकर्ता, कटौतीकर्ता द्वारा ऐसे प्ररूप और तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, प्रस्तुत निम्नलिखित विवरणों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

15

(i) वर्ष के दौरान किसी अन्य नियोजित से कटौतीकर्ता द्वारा प्राप्त या देय "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य भुगतान का ब्यौरा और उसमें से काटा गया कोई कर;

(ii) धारा 206 के अंतर्गत बकाया या अग्रिम प्राप्तियों पर कर राहत।

(5) यदि किसी भुगतान पर देय कर किसी समझौते या व्यवस्था के अनुसरण में कटौतीकर्ता द्वारा वहन किया जाना है, तो कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, भुगतान ऐसी राशि तक सकलित किया जाएगा जो धारा 195 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दर पर कर की कटौती के बाद ऐसे समझौते या व्यवस्था के तहत देय शुद्ध राशि के बराबर होगी।

20

कर की कम कटौती या कोई कटौती नहीं होने का प्रमाण पत्र।

197. (1) कटौतीकर्ता, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसमें वह उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भुगतानों से, यथास्थिति, निम्नतर दर पर आयकर की कटौती या आयकर की कोई कटौती न किए जाने का प्रमाणपत्र मांगेगा।

25

(2) कटौतीकर्ता, ऐसे प्ररूप और तरीके में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, निर्धारण अधिकारी को एक आवेदन कर सकता है, जिसमें वह कम दर पर आयकर की कटौती के लिए प्रमाण पत्र की मांग कर सकता है या, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा किसी अनिवासी कटौतीकर्ता को किए जाने वाले भुगतानों से आयकर की कटौती नहीं करने के लिए प्रमाण पत्र मांग सकता है।

30

(3) जहां कर निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कटौतीकर्ता की कुल आय निम्न दर पर आयकर की कटौती या आयकर की कोई कटौती न करने को न्यायोचित ठहराती है, वहां वह, यथास्थिति, कटौतीकर्ता या कटौतीकर्ता को ऐसा प्रमाणपत्र देगा जो समुचित हो।

35

(4) कटौतीकर्ता उपधारा (3) के अधीन जारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट दरों पर आयकर की कटौती करेगा, जब तक कि-

(क) ऐसा प्रमाणपत्र कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है; या (ख) प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो गई है,

जो भी पहले हो।

40

(5) बोर्ड उन परिस्थितियों और मामलों को विहित कर सकेगा जिनमें प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा तथा वे शर्तों जिनके अधीन ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा तथा उससे संबंधित अन्य सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा।

कटौतीकर्ता का दायित्व.

198. (1) प्रत्येक कटौतीकर्ता, कटौती की गई राशि को केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करेगा। सरकार ऐसे समय और तरीके के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, सरकार को सूचित करेगी।

45

(2) प्रत्येक कटौतीकर्ता, कटौतीकर्ता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देगा कि कर का भुगतान कर दिया गया है।
ऐसी समयावधि के भीतर कटौती की जाएगी तथा उसमें ऐसे विवरण होंगे, जो निर्धारित किए जाएं।

(3) प्रत्येक कटौतीकर्ता धारा 199 की उपधारा (4) के अधीन उपबंधित रीति से कर कटौती का विवरणी वितरित करेगा या वितरित कराएगा।

5 199. (1) प्रत्येक कटौतीकर्ता कर की कटौती किए बिना निवासियों को ब्याज के भुगतान के संबंध में विवरणी वितरित करेगा या वितरित कराएगा।

कटौती के बिना भुगतान की रिपोर्टिंग

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौतीकर्ता निम्नलिखित होगा-

कर.

(क) कोई वित्तीय संस्था; या (ख) कोई सहकारी
समिति।

10 (3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी कटौतीकर्ता से कर की कटौती के बिना किसी संदाय के संबंध में विवरणी देने या दिलवाने की अपेक्षा कर सकेगी।

(4) बोर्ड धारा 198 के अंतर्गत कर कटौती रिटर्न और

इस धारा के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, अर्थात्:—

(क) वह अवधि जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत किया जाना है; (ख) रिटर्न का प्रारूप और उसमें दिए

15 गए विवरण; (ग) रिटर्न के सत्यापन का तरीका; (घ) वह समय और माध्यम

जिसके द्वारा रिटर्न प्रस्तुत किया जाना है; (ङ) आयकर प्राधिकारी

या रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति; और

20 (च) उससे संबंधित कोई अन्य मामला।

200. धारा 195 में किसी बात के होते हुए भी, स्रोत पर कोई कर नहीं काटा जाएगा,—

कुछ मामलों में कर की कोई कटौती नहीं होगी।

(ए) जहां आदाता निवासी है, वहां निम्नलिखित में से, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा वेतन के अलावा किया गया कोई भुगतान, यदि व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लिए धारा 88 के तहत खातों की लेखापरीक्षा कराने के लिए उत्तरदायी नहीं है जिसमें भुगतान किया जाता है;

25

(ख) किसी प्रतिभूति पर देय कोई ब्याज,—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूति; या (ii) किसी कंपनी द्वारा जारी

की गई प्रतिभूति, यदि ऐसी प्रतिभूति अभौतिक रूप में है और भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है; (ग) किसी व्यक्ति को देय डिबेंचर पर कोई ब्याज, यदि -

30

(i) डिबेंचर किसी व्यापक रूप से स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा जारी किए गए हों; (ii)

डिबेंचर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों
भारत; और

35

(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान देय कुल राशि
पांच हजार रुपए से अधिक नहीं; (घ) सावधि

जमाराशियों (आवर्ती जमाराशियों को छोड़कर, निश्चित अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जमाराशियां) पर देय कोई ब्याज, यदि-

40

(i) सावधि जमा किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक के पास किया जाता है।
ऑपरेटिव बैंक या आवास-वित्त सार्वजनिक कंपनी; और

(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानकर्ता द्वारा, जो बैंक या कंपनी की शाखा है, देय कुल राशि दस हजार रुपये से अधिक नहीं है; (ई) यदि भुगतान की कुल राशि दस हजार रुपये से अधिक नहीं है तो देय कोई अन्य ब्याज

वित्तीय वर्ष के दौरान पांच हजार रुपये से अधिक नहीं;	5
(च) देय कोई ब्याज,—	
(i) कोई बैंकिंग कंपनी; (ii) कोई सहकारी बैंक; (iii) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई वित्तीय निगम राज्य या प्रांतीय अधिनियम;	10
(iv) कोई बीमाकर्ता;	
(v) कोई पारस्परिक निधि; या	
(vi) कोई संस्था, संघ या निकाय, या संस्थाओं, संघों या निकायों का वर्ग, जिसे केन्द्रीय सरकार, कारणों को लेखबद्ध करके, इस निमित्त अधिसूचित करे; (छ) किसी फर्म द्वारा फर्म के किसी भागीदार को देय कोई ब्याज; (ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई और इस निमित्त उसके द्वारा अधिसूचित किसी योजना के अंतर्गत जमाराशियों के संबंध में देय कोई ब्याज;	15
(i) किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में जमा राशि (सावधि जमा के अलावा) के संबंध में देय कोई ब्याज;	20
(जे) इस संहिता या आयकर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम, 1957 के किसी प्रावधान के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा देय कोई ब्याज, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ से पहले थे;	1961 का 43. 1957 का 27.
(ट) न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि पर देय कोई ब्याज मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए या जमा किए गए ऐसे ब्याज की कुल राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं है; (ठ) किसी शून्य कूपन बांड की परिपक्वता या मोचन पर देय कोई राशि; (ड) सड़क परिवहन द्वारा माल की ढुलाई के लिए कोई भुगतान, यदि आदाता भुगतानकर्ता को अपना स्थायी खाता संख्या प्रदान करता है;	25
(ढ) किसी ठेकेदार को कार्य संविदा, सेवा संविदा, विज्ञापन, प्रसारण और दूरदर्शन, किसी कार्य या सेवा को करने के लिए श्रम की आपूर्ति, संविदा या रेलवे के अलावा परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा माल या यात्रियों की ढुलाई के संबंध में कोई भुगतान, यदि -	30
(i) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी भुगतान की राशि तीस हजार रुपये से अधिक हो; और	35
(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की कुल राशि पचहत्तर हजार रुपये से अधिक नहीं है; (o) कमीशन या ब्रोकरेज का कोई भुगतान, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की कुल राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है;	
(पी) किराये का कोई भी भुगतान, यदि भुगतान की कुल राशि वित्तीय वर्ष में एक लाख अस्सी हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए;	40
(थ) अचल संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर मुआवजे का कोई भुगतान, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की कुल राशि दो लाख रुपये से अधिक नहीं है;	

(आर) किसी म्यूचुअल फंड द्वारा आय के वितरण के माध्यम से देय कोई राशि किसी फंड के संबंध में, जो इक्विटी उन्मुख फंड नहीं है, किसी भी यूनिटधारक को, अगर,-

- (i) ऐसा यूनिटधारक कोई कंपनी नहीं है; और
- 5 (ii) यूनिटधारक को भुगतान की कुल राशि वित्तीय वर्ष में दस हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए;
- (ध) किसी जीवन बीमाकर्ता द्वारा किसी पॉलिसीधारक को देय कोई राशि, यदि,—
- (i) ऐसा पॉलिसीधारक कोई कंपनी नहीं है;
- 10 (ii) पॉलिसी खंड (घ) में निर्दिष्ट पॉलिसी से भिन्न है या धारा 59 की उपधारा (3) के खंड (ई) और
- (iii) पॉलिसीधारक को भुगतान की कुल राशि- वित्तीय वर्ष में आय दस हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (बी) जहां आदाता एक अनिवासी है, जो एक विदेशी संस्थागत निवेशक है, किसी मान्यता प्राप्त बैंक में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में किया गया कोई भुगतान शेयर बाजार.
- 15

201. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई सभी राशियां, कटौतीकर्ता की कुल आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, प्राप्त आय को ही कटौतीकर्ता की कुल आय माना जाएगा।

कर के लिए क्रेडिट कटौती की गई।

- (2) इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार की गई कोई कटौती और भुगतान किया गया केंद्र सरकार के खाते में जमा राशि को उसकी ओर से कर का भुगतान माना जाएगा।
- 20 वह व्यक्ति जिसके संबंध में कटौती की गई थी।

(3) काटे गए कर के संबंध में क्रेडिट देने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है-

- (क) कटौतीकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को क्रेडिट देने की प्रक्रिया;
- (ख) वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए ऐसा ऋण दिया जा सकेगा; और
- 25 (ग) उससे संबंधित कोई अन्य मामला।

बी.—स्रोत पर कर का संग्रहण

- 202.(1) कोई भी व्यक्ति, विक्रेता, पट्टादाता या लाइसेंसकर्ता, जो संग्रह करने के लिए जिम्मेदार है नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किसी भी लेनदेन के कारण कोई राशि, क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, से उक्त धारा के कॉलम (3) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर आयकर के रूप में राशि एकत्र करेगा।
- 30 तालिका, ऐसी राशि की:

कर संग्रहण स्रोत पर.

मेज़

क्रम संख्या	लेन-देन की प्रकृति	को PERCENTAGE
(1)	(2)	(3)
35	1. मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा की बिक्री	तीन प्रतिशत.
	2. तेंदू पत्तों की बिक्री	तीन प्रतिशत.
	3. वन पट्टे या अन्यथा के तहत प्राप्त लकड़ी की बिक्री	तीन प्रतिशत.
	4. लकड़ी या तेंदू पत्ता के अलावा किसी अन्य वन उपज की बिक्री तीन प्रतिशत।	
	5. स्क्रेप की बिक्री तीन प्रतिशत.	
40	6. पट्टा या लाइसेंस या अनुबंध का अनुदान या किसी अधिकार का हस्तांतरण या पार्किंग स्थल के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से हित, पट्टे या लाइसेंस या	तीन प्रतिशत.
	7. अनुबंध का अनुदान या किसी अधिकार का हस्तांतरण टोल प्लाजा के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से पट्टा या लाइसेंस या अनुबंध	तीन प्रतिशत.
45	8. का अनुदान या किसी अधिकार या अधिकार का हस्तांतरण खनन या उत्खनन के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से हित	तीन प्रतिशत.

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी रकम का संग्रहण किया गया समझा जाएगा, यदि वह रकम प्राप्त हो गई है—

(क) नकद में;

(ख) चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से; (ग) किसी भी खाते

में डेबिट द्वारा, चाहे उसे "सस्पेंस खाता" कहा जाए या किसी अन्य माध्यम से नाम; या

(घ) किसी अन्य तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,

जो भी पहले हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई रकम एकत्रित करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गई राशि को ऐसे समय और तरीके के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कराएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई रकम एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को निर्धारित समय के भीतर कर संग्रहण का प्रमाणपत्र देगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन कोई रकम एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (6) के अधीन उपबंधित रीति से कर संग्रहण विवरणी प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा।

(6) बोर्ड कर संग्रहण विवरणी के संबंध में निम्नलिखित विहित करेगा, अर्थात्:—

(क) वह अवधि जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत किया जाना है; (ख) रिटर्न का प्रारूप और उसमें दिए गए

विवरण; (ग) रिटर्न के सत्यापन का तरीका; (घ) वह समय और माध्यम जिसके द्वारा

रिटर्न प्रस्तुत किया जाना है; (ङ) आयकर प्राधिकारी या रिटर्न प्राप्त

करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति; और

(च) उससे संबंधित कोई अन्य मामला।

एकत्रित कर का क्रेडिट.

203. (1) इस उप-अध्याय के उपबंधों के अनुसार संगृहीत और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की गई सभी राशियां उस व्यक्ति की ओर से कर का भुगतान समझी जाएंगी, जिससे ऐसी राशि संगृहीत की गई है (जिसे इस धारा में संग्रहकर्ता कहा गया है)।

(2) संगृहीत कर के संबंध में क्रेडिट देने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है-

(क) वसूलीकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऋण देने की प्रक्रिया; (ख) वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए ऐसा ऋण दिया जा

सकेगा; और (ग) उससे संबंधित कोई अन्य विषय।

उप-अध्याय ए और बी के अंतर्गत व्याख्याएं।

204. (1) उपअध्याय क में—

(क) "प्रसारण और दूरदर्शन" में प्रसारण या दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमों का निर्माण शामिल है;

(ख) "अनुबंध" और "ठेकेदार" में क्रमशः "उप-अनुबंध" और "उप-ठेकेदार" शामिल हैं;

(ग) "पेशेवर या तकनीकी सेवाओं" का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला या लेखा पेशे, तकनीकी परामर्श, आंतरिक सजावट या बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य पेशे को चलाने के दौरान प्रदान की गई सेवाओं से है;

(घ) "सेवा अनुबंध" में छुट-पुट कार्य के लिए अनुबंध शामिल है; (ङ) "कार्य" में ग्राहक

की आवश्यकता या विनिर्देश के अनुसार किसी उत्पाद का विनिर्माण या आपूर्ति करना शामिल है, जिसमें सामग्री किसी अन्य व्यक्ति से नहीं बल्कि ऐसे ग्राहक से खरीदी गई हो।

5 (2) उप-अध्याय बी में—

(क) "क्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विक्रय में, नीलामी, निविदा या किसी अन्य ढंग से, धारा 202 की उपधारा (1) में दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकृति का माल प्राप्त करता है या ऐसा कोई माल प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं है,—

10 (i) कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, केन्द्र सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई दूतावास, कोई उच्चायोग, दूतावास, आयोग, किसी विदेशी राज्य का वाणिज्य दूतावास और व्यापार प्रतिनिधित्व, तथा कोई क्लब; या

(ii) ऐसे माल की खुदरा बिक्री में कोई क्रेता, जिसे उसने निजी उपभोग के लिए खरीदा हो; (ख) "पट्टेदार या लाइसेंसधारी" का

15 अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे पट्टा या लाइसेंस प्रदान किया गया हो या जिसे कोई अनुबंध प्रदान किया गया हो या जिसे पट्टाकर्ता या लाइसेंसकर्ता द्वारा कोई अधिकार या हित पूर्णतः या आंशिक रूप से हस्तांतरित किया गया हो;

(ग) "पट्टादाता या लाइसेंसदाता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो पट्टा या लाइसेंस प्रदान करता है या कोई अनुबंध करता है या अन्यथा किसी पट्टेदार या लाइसेंसधारी को कोई अधिकार या हित पूर्णतः या आंशिक रूप से हस्तांतरित करता है;

20 (घ) "स्क्रेप" से तात्पर्य सामग्री के निर्माण या यांत्रिक कार्य से उत्पन्न अपशिष्ट से है- रियाल जो टूट-फूट, घिसाव और अन्य कारणों से अनुपयोगी हो;

(ङ) "विक्रेता" से तात्पर्य है,—

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण; (ii) केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या प्राधिकरण; प्रांतीय अधिनियम;

25

(iii) कोई कंपनी, फर्म या सहकारी समिति; और (iv) कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार,

यदि उसके द्वारा किए गए व्यवसाय से कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या टर्नओवर वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 88 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाओं से अधिक है, जो कि उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले है जिसमें धारा 202 की उपधारा (1) में क्रम संख्या 1 से 5 के सामने दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के सामान बेचे जाते हैं।

30

सी.—अग्रिम कर

35 205. (1) प्रत्येक करदाता किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वित्तीय वर्ष की अपनी कुल आय के संबंध में अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि देय अग्रिम आयकर की राशि दस हजार रुपये से अधिक है।

अग्रिम भुगतान का दाखिल कर

(2) वित्तीय वर्ष में किसी करदाता द्वारा देय अग्रिम आयकर की राशि की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, अर्थात्: -

40

(क) करदाता सर्वप्रथम अपनी कुल आय का अनुमान लगाएगा तथा उस पर वित्तीय वर्ष में लागू दरों पर आयकर की गणना करेगा;

(ख) इस प्रकार गणना किए गए आयकर में से निम्नलिखित घटा दिया जाएगा-

(i) आयकर की वह राशि जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी आय से स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहणीय होगी, जिसे कुल आय का अनुमान लगाने में ध्यान में रखा जाता है;

(ii) धारा 207 के तहत ऋण की राशि, जिसे वर्ष 2014-15 में सेट-ऑफ करने की अनुमति है।
वित्तीय वर्ष; और

(ग) आयकर की शेष राशि अग्रिम देय आयकर होगी।

(3) कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में अग्रिम आयकर, वित्तीय वर्ष के दौरान तीन किस्तों में या उसमें निर्दिष्ट तिथियों से पहले देय होगा।
नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित राशि के बराबर होगी और उक्त सारणी के स्तंभ (3) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर होगी:

मेज़			
किस्त की क्रमवार तारीख		देय राशि	
वित्तीय वर्ष में संख्या			
(1)	(2)	(3)	
1.	15 सितम्बर को या उससे पहले।	तीस प्रतिशत से कम नहीं अग्रिम आयकर.	5
2.	15 दिसंबर को या उससे पहले।	साठ प्रतिशत से कम नहीं अग्रिम आयकर, यदि कोई राशि हो तो उससे कम कर दिया जाएगा, पहले किस्त में भुगतान किया गया।	15
3.	15 मार्च को या उससे पहले।	पूरी राशि अग्रिम आयकर में कटौती राशि या राशियों द्वारा, यदि कोई हो, पहले किस्त में भुगतान किया गया या किस्तों में।	20

(4) कंपनी के मामले में अग्रिम आयकर चार किस्तों में देय होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किस्तों का भुगतान कॉलम (2) में निर्दिष्ट तारीखों को या उससे पहले करना होगा। नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई राशि के बराबर होगी और यह राशि धारा 12 में दी गई संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर होगी। उक्त तालिका के स्तंभ (3) में:

मेज़			
किस्त की क्रमवार तारीख		देय राशि	
वित्तीय वर्ष में संख्या			
(1)	(2)	(3)	
1.	15 जून को या उससे पहले।	अग्रिम आयकर का पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं।	
2.	15 सितम्बर को या उससे पहले।	अग्रिम आयकर का कम से कम पैंतालीस प्रतिशत, जो कि कर से कम हो। पूर्व किस्त में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो।	35
3.	15 दिसंबर को या उससे पहले।	पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं अग्रिम आयकर में कटौती पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में भुगतान की गई राशि या राशियाँ, यदि कोई हो।	
4.	15 मार्च को या उससे पहले।	अग्रिम आयकर की पूरी राशि, राशि या राशियों से घटाकर, यदि किसी भी, पहले किस्त में भुगतान किया गया या किस्तों में।	40

(5) 15 मार्च के पश्चात् किन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अदा की गई अग्रिम आयकर की कोई राशि वित्तीय वर्ष के दौरान अदा की गई अग्रिम आयकर मानी जाएगी।

(6) प्रत्येक व्यक्ति जो अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अपनी इच्छा से, निर्धारित तिथि पर या उससे पहले अग्रिम आयकर का उचित प्रतिशत भुगतान करें।

5 (7) करदाता शेष किशतों के भुगतान को बढ़ा या घटा सकता है।
कुल आय के अपने आकलन के अनुसार अग्रिम आयकर का भुगतान करें।

(8) जहां कर निर्धारण अधिकारी की राय में कोई व्यक्ति अग्रिम भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, आयकर के संबंध में, वह लिखित आदेश द्वारा- (क) ऐसे व्यक्ति से

10 निर्धारित तरीके से गणना की गई अग्रिम आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता कर सकता है; और (ख) ऐसे व्यक्ति को धारा 162 के तहत मांग की सूचना

जारी करना जिसमें निर्दिष्ट किया गया हो
ऐसे कर का भुगतान किशतों में किया जाना है।

(9) वह व्यक्ति जिसे उपधारा (8) के अधीन आदेश तामील किया गया है,—

15 (क) निर्धारित प्रारूप में आकलन अधिकारी को आकलन दाखिल कर सकेगा।
अधिकारी, यदि उसके अनुमान में, उसके द्वारा देय अग्रिम आयकर उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट राशि से कम है; तथा

(ख) अपने अनुमान के अनुसार अग्रिम आयकर का भुगतान तिथि को या उससे पहले करेगा।
इस अनुभाग में निर्दिष्ट नियत तारीखों के अनुसार।

20 (10) उपधारा (8) के अधीन कोई भी आदेश, दिनांक 15 फरवरी, 2013 के अन्तिम दिन के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा।
वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अग्रिम कर देय है।

डी.—बकाया या अग्रिम प्राप्तियों के संबंध में कर राहत

206. (1) निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा उसको किए गए आवेदन पर ऐसी राहत प्रदान करेगा, जो विहित की जाए, यदि वह व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में किसी अन्य वित्तीय वर्ष से संबंधित वेतन या कुटुंब पेंशन का कोई बकाया या अग्रिम प्राप्त कर रहा है।

कर राहत
बकाया या
अग्रिम प्राप्तियां

25 (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राहत छंटनी, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के प्रति प्राप्त किसी प्रतिकर के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ई.—विदेशी कर क्रेडिट

30 207. (1) किसी वित्तीय वर्ष में भारत में निवासी होने वाले किसी करदाता को, इस धारा के उपबंधों के अनुसार, उस देश या क्षेत्र में प्रवृत्त विधि के अधीन किसी देश या अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कटौती द्वारा या अन्यथा संदत्त आयकर के संबंध में क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।

विदेशी कर क्रेडिट.

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी करदाता को,
वित्तीय वर्ष की उसकी आय के संबंध में उसके द्वारा देय भारतीय आयकर,—

35 (क) जिस पर किसी ऐसे देश या अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र में कर लगाया गया हो जिसके साथ
भारत का ऐसे देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ किए गए समझौते के अनुसार धारा 291 के अंतर्गत कोई समझौता है; या

40 (ख) जो भारत के बाहर अर्जित हुआ है (किन्तु भारत में प्राप्त नहीं माना जाएगा) और उस देश में कर लगाया गया है जिसके
साथ भारत का धारा 291 के अधीन कोई करार नहीं है, निम्नलिखित तरीके से निर्धारित राशि पर, अर्थात्:— (i) भारतीय कर की दर
पर या दूसरे देश की दर पर, जो भी कम हो;

(ii) भारतीय कर दर पर, यदि दोनों दरें समान हों।

45 (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, विदेशी कर की क्रेडिट की रकम
किसी भी मामले में उसमें उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होगी-

(क) उस आय के संबंध में देय भारतीय आयकर, जिस पर देश के बाहर कर लगाया जाता है।
भारत; और

(ख) करदाता की कुल आय पर देय भारतीय आयकर।

(4) केन्द्रीय सरकार दोहरे कराधान से राहत या बचाव के लिए, पूर्व-

लेखक—

(क) ऋण की राशि की गणना करने की विधि; (ख) ऋण का दावा करने का तरीका; और (ग) ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक समझे जाएं।

एफ.—संपत्ति-कर का भुगतान

5

संपत्ति-कर का भुगतान

208. धारा 112 में निर्दिष्ट संपत्ति-कर, कर आधारों की रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख तक देय होगा।

छ.-केन्द्रीय सरकार को देय ब्याज 209. (1) जहां कोई करदाता कर-आधारों की विवरणी

कर आधार की वापसी
प्रस्तुत करने में
चूक के लिए ब्याज।

प्रस्तुत करने में चूक करता है, वहां वह उपधारा (4) के अधीन संगणित रकम पर उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि के लिए उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में एक प्रतिशत प्रति मास की दर से साधारण ब्याज देने के लिए दायी होगा।

10

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां निम्नलिखित होंगी-

(क) जहां धारा 144 की उपधारा (1) या उपधारा (6) या धारा 146 की उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर-आधारों की विवरणी नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है या प्रस्तुत नहीं की जाती है;

15

(ख) जहां किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर-आधारों की विवरणी धारा 159 के अधीन नोटिस द्वारा अपेक्षित है और ऐसी सूचना जारी करने से पूर्व ऐसे वर्ष के लिए कोई कर-आधार विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है; या

(ग) जहां किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की विवरणी धारा 159 के अधीन नोटिस द्वारा अपेक्षित है और—

20

(i) ऐसा नोटिस धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन आय के निर्धारण के पश्चात या धारा 155 या धारा 156 या धारा 159 के अधीन मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात जारी किया गया है; और

(ii) ऐसा रिटर्न ऐसे नोटिस के तहत दी गई समयावधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया है या प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि - (क) उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट

मामले में, देय तारीख के तुरंत बाद की तारीख को शुरू होगी और - (i) रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख को समाप्त होगी; या (ii) धारा 156 या धारा 159 के तहत मूल्यांकन पूरा होने की तारीख को समाप्त होगी, जहां कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है; (ख)

उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले में, उक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट नोटिस के तहत

30

अनुमत समय की अंतिम तारीख के तुरंत बाद की तारीख को शुरू होगी, और - (i) रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख को समाप्त होगी जहां रिटर्न अनुमत समय की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है; या

35

(ii) जहां कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है, वहां धारा 159 के अंतर्गत मूल्यांकन पूरा होने की तिथि को समाप्त हो जाएगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम,—

40

(क) उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी -

ए - बी

कहाँ

A = धारा 149 की उपधारा (1) के अंतर्गत या धारा 155 की उपधारा (1) या धारा 156 की उपधारा (1) या धारा 159 के अंतर्गत किए गए मूल्यांकन पर निर्धारित कुल आय पर कर की राशि, जैसा भी मामला हो;

45

B = कुल योग —

(i) अग्रिम भुगतान किया गया कर, यदि कोई

हो; (ii) स्रोत पर काटा गया या संग्रहित किया गया कोई कर; (iii) भारत

से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के कारण धारा 291 के तहत दी गई कर की कोई राहत;

5

(iv) देय भारतीय आयकर से कोई कटौती, जिसके अंतर्गत अनुमति दी गई हो

धारा 207 के अधीन भारत से बाहर किसी देश में भुगतान किए गए कर के कारण; और (v) धारा 106 के अधीन सेट-ऑफ के

लिए उपलब्ध कोई कर क्रेडिट; (ख) उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले में, वह रकम होगी

जिससे पुनर्मूल्यांकन पर निर्धारित कर, धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन या पहले के मूल्यांकन के आधार पर, जैसा भी मामला हो, निर्धारित कुल आय पर कर से अधिक होगा।

10

(5) उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज में से ब्याज, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा, इस धारा के अंतर्गत प्रभावी ब्याज के लिए धारा 147 के तहत भुगतान किया गया।

15

(6) इस धारा के अधीन देय ब्याज, उस कर की रकम में परिवर्तन के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज देय था, जो इस संहिता के अधीन किसी सुधार, पुनरीक्षण या अपीलीय आदेश के कारण निर्धारित आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होगा।

20

(7) मूल्यांकन अधिकारी निर्धारित प्ररूप में, जैसा कि उपधारा (6) के अधीन निर्दिष्ट ब्याज में वृद्धि के कारण देय राशि को निर्दिष्ट करते हुए, करदाता को मांग का नोटिस तामील करेगा और ऐसा नोटिस धारा 162 के अधीन नोटिस समझा जाएगा और इस संहिता के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

25

(8) यदि कोई अतिरिक्त ब्याज दिया गया हो तो उसे उस स्थिति में वापस कर दिया जाएगा जहां उपधारा (6) के अधीन ब्याज कम कर दिया गया हो।

25

210. (1) जहां कोई करदाता अग्रिम आयकर के भुगतान में चूक करता है, वहां वह उपधारा (4) के अधीन संगणित रकम पर उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि के लिए उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में एक प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अग्रिम आयकर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज।

30

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

(क) जहां निर्धारिती धारा 205 के अधीन अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और वह ऐसे कर का भुगतान करने में असफल रहा है; या

(ख) जहां ऐसे निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम आयकर निर्धारित कर के नब्बे प्रतिशत से कम है।

35

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि उपधारा (3) में निर्दिष्ट मामले में लागू होगी।

(2) अगले वित्तीय वर्ष के बाद आने वाले 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा और—

(क) धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन कुल आय के निर्धारण की तारीख को समाप्त होगी; या

40

(ख) निर्धारण की तारीख को समाप्त होगी, जहां निर्धारण धारा 155 या धारा 156 के अधीन किया गया है या निर्धारण धारा 159 के अधीन पहली बार किया गया है।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम निम्नलिखित होगी,—

(क) निर्धारित कर में से अग्रिम कर घटाया गया; तथा

(ख) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती ने कुल आय के निर्धारण की तारीख से या उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मूल्यांकन की तारीख से पूर्व धारा 147 के अधीन स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान कर दिया है, जैसा भी मामला हो, -

(i) स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए निर्धारित कर में से अग्रिम कर घटाकर; और (ii) स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान किए जाने की तारीख के तुरंत बाद प्रारंभ होने वाली

अवधि के लिए निर्धारित कर में से अग्रिम कर और ऐसे स्व-मूल्यांकन कर को घटाकर।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारित कर की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी—

ए - बी

कहाँ

क = धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारित कुल आय पर कर की रकम, और जहां उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मूल्यांकन किया गया है, वहां ऐसे मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर की रकम;

बी = कुल योग - (i) स्रोत पर काटा गया या

संग्रहित कोई कर; (ii) धारा 207 के तहत दावा किए गए कर की कोई राहत;

और (iii) धारा 106 के तहत सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध कोई कर क्रेडिट।

(6) जहां धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन कुल आय के निर्धारण से पूर्व या उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण के पूरा होने से पूर्व धारा 147 के अधीन या अन्यथा कर का भुगतान किया जाता है, वहां ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी-

(i) उपधारा (1) से (5) के अनुसार, उस तारीख तक, जिसको कर का इस प्रकार भुगतान किया जाता है और उसमें से इस धारा के अधीन प्रभार्य ब्याज के लिए धारा 147 के अधीन भुगतान किया गया ब्याज, यदि कोई हो, घटा दिया जाता है; तथा

(ii) इसके पश्चात्, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर, उस रकम पर, जिससे इस प्रकार से चुकाया गया कर और चुकाया गया अग्रिम कर मिलकर निर्धारित कर से कम हो जाता है।

(7) ऐसे मामले में जहां धारा 159 के अधीन पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप (जो प्रथम बार किया गया मूल्यांकन नहीं है) उपधारा (5) में निर्दिष्ट कुल आय पर कर की राशि में वृद्धि हो जाती है, तो उपधारा (1) के अधीन ब्याज के अतिरिक्त, निर्धारिती उपधारा (9) के अधीन संगणित राशि पर उपधारा (8) में उल्लिखित अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) उपधारा (7) में निर्दिष्ट अवधि, उपधारा (3) में उल्लिखित, यथा लागू, अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद वाले दिन से प्रारंभ होगी और धारा 159 के अधीन पुनर्मूल्यांकन की तारीख को समाप्त होगी।

(9) उपधारा (7) में निर्दिष्ट रकम वह रकम होगी जिससे धारा 159 के अधीन पुनर्मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर, उपधारा (5) में निहित सूत्र में चर ए में निर्धारित प्रासंगिक रकम से अधिक है।

(10) इस धारा के अधीन देय ब्याज, इस संहिता के अधीन किसी सुधार, पुनरीक्षण या अपीलीय आदेश के कारण, उस रकम में परिवर्तन के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज देय था।

(11) निर्धारण अधिकारी निर्धारित प्ररूप में, जैसा कि उपधारा (10) में निर्दिष्ट ब्याज में वृद्धि के कारण देय राशि को निर्दिष्ट करते हुए, निर्धारिती को मांग की सूचना तामील करेगा और ऐसी सूचना धारा 162 के अधीन सूचना समझी जाएगी और इस संहिता के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(12) यदि कोई अतिरिक्त ब्याज दिया गया हो तो उसे वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ब्याज उपधारा (10) के अधीन कम किया जाएगा।

211. (1) जहां कंपनी के अलावा कोई व्यक्ति, जो धारा 205 के तहत अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, -

5

(क) ऐसे कर का भुगतान करने में असफल रहा हो; या

(ख) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट तारीखों को या उससे पहले कर का भुगतान किया है जो निर्दिष्ट देय अग्रिम आयकर के प्रतिशत से कम है उक्त तालिका के स्तंभ (3) में,

वह उक्त अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
उक्त सारणी के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट प्रतिशत से कमी की राशि कॉलम (5) में निर्दिष्ट अनुसार देय अग्रिम आयकर और ऐसे द्वारा देय ब्याज इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दी जाने वाली आय ऐसी सभी राशियों का योग होगी।

मेज़

सीरियल देय संख्या दिनांक	दायित्व निर्धारण के प्रयोजनों के लिए प्रतिशत (3)	अवधि	प्रतिशत के लिए के प्रयोजनों कम्प्यूटिंग इंटरसेट
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	15 सितम्बर.	तीस प्रतिशत.	तीन महीने. तीस प्रतिशत.
20 2.	15 दिसम्बर.	साठ प्रतिशत.	तीन महीने. साठ प्रतिशत.
3.	15 मार्च.	सौ प्रतिशत। एक महीना। सौ प्रतिशत।	

(2) जहां कोई कंपनी, जो धारा 205 के तहत अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है है,-

(क) ऐसे कर का भुगतान करने में असफल रहा हो; या

25

(ख) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट तारीखों को या उससे पहले कर का भुगतान किया है जो निर्दिष्ट देय अग्रिम आयकर के प्रतिशत से कम है उक्त तालिका के स्तंभ (3) में,

वह उक्त अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
उक्त सारणी के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट प्रतिशत से कमी की राशि कॉलम (5) में निर्दिष्ट अनुसार देय अग्रिम आयकर और ऐसे द्वारा देय ब्याज इस धारा के अंतर्गत कंपनी द्वारा अर्जित आय निम्नलिखित सभी राशियों का योग होगी:

मेज़

सीरियल देय संख्या दिनांक	दायित्व निर्धारण के प्रयोजनों के लिए प्रतिशत (3)	अवधि	प्रतिशत के लिए के प्रयोजनों कम्प्यूटिंग इंटरसेट
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	15 जून. 15	बारह प्रतिशत.	तीन महीने पंद्रह प्रतिशत.
2.	सितम्बर. 15 दिसम्बर.	छत्तीस प्रतिशत, तीन महीने पैंतालीस प्रतिशत।	
40 3.		पचहत्तर तीन महीने पचहत्तर प्रतिशत.	प्रतिशत.
4.	15 मार्च.	सौ फीसदी. एक महीना	सौ प्रतिशत.

ब्याज
मोहलत
अग्रिम राशि
आयकर.

(3) निर्धारित उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन, जैसा भी मामला हो, अग्रिम आयकर में किसी कमी पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जहां ऐसी कमी कम आकलन या अनुमान लगाने में विफलता के कारण हुई है, -

(क) पुंजीगत लाभ की राशि; या (ख) प्रथम अनुसूची के भाग

III की सारणी में क्रम संख्या 4 में सूचीबद्ध प्रकृति की आय ।

5

(4) उपधारा (3) के उपबंध उस स्थिति में लागू होंगे जहां निर्धारित ने उपधारा में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के संबंध में देय कर की संपूर्ण रकम अग्रिम कर की शेष किस्तों में या जहां ऐसी कोई किस्तें देय नहीं हैं, वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक चुका दी है।

10

अतिरिक्त धन वापसी पर ब्याज.

212. (1) कोई करदाता उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में उसे मंजूर किए गए प्रतिदाय की अतिरिक्त रकम पर उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि के लिए आधा प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां वे होंगी जहां धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन करदाता को कोई प्रतिदाय मंजूर किया जाता है, और

15

(क) धारा 155 या धारा 156 या धारा 159 के अंतर्गत किए गए मूल्यांकन पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है; या

(ख) धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन वापस की गई रकम, धारा 155 या धारा 156 या धारा 159 के अधीन किए गए कर निर्धारण पर वापस की जाने वाली रकम से अधिक है।

20

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि अनुदान की तारीख से प्रारंभ होगी।
वापसी और नियमित मूल्यांकन की तिथि पर समाप्त।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्रभाय ब्याज, यदि कोई हो, इस संहिता के अधीन किसी सुधार, पुनरीक्षण या अपील आदेश के अनुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

दिलचस्पी
मांग उठाए जाने पर देय होगा।

213. (1) धारा 162 के अधीन मांग की सूचना में देय के रूप में निर्दिष्ट अग्रिम कर के अलावा किसी अन्य रूप में दी जाने वाली कोई रकम, सूचना की तारीख के तीस दिन की अवधि के भीतर चुकाई जाएगी।

25

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि को संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से कम किया जा सकेगा, यदि कर निर्धारण अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण हो कि तीस दिन की अवधि प्रदान करना राजस्व के लिए हानिकारक होगा।

30

(3) यदि धारा 162 के अधीन किसी मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो करदाता ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तत्काल बाद के दिन से प्रारंभ होकर और रकम संदत्त किए जाने के दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति मास की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

35

(4) इस धारा के अधीन देय ब्याज, इस संहिता के अधीन किसी सुधार, पुनरीक्षण या अपील आदेश के कारण, उस रकम में परिवर्तन के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज देय था।

कर काटने, एकत्र करने या भुगतान करने में विफलता के लिए ब्याज।

214. (1) जहां कोई व्यक्ति, जिससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कोई कर काटने या संगृहीत करने की अपेक्षा की जाती है, संपूर्ण कर या उसका कोई भाग नहीं काटता या संगृहीत नहीं करता है, या कटौती के पश्चात् कर का संदाय करने में असफल रहता है, वहां वह साधारण ब्याज या संग्रह का संदाय करने के लिए दायी होगा- (क) ऐसे कर की रकम पर, यथास्थिति, उस तारीख से, जिसको ऐसा कर कटौती योग्य या संग्रहणीय था, उस तारीख तक

40

की अवधि के लिए, जिसको ऐसा कर काटा या संगृहीत किया जाता है, प्रति माह एक प्रतिशत की दर से; और

(ख) ऐसे कर की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से, उस तारीख से जिसको ऐसा कर काटा गया था या संग्रहित किया गया था, जैसी भी स्थिति हो, उस तारीख तक की अवधि के लिए, जिसको ऐसा कर संदत्त किया गया है।

45

एच.—वापसी 215.

(1) कोई करदाता, किसी वित्तीय वर्ष के लिए उसके द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई या उसके द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई समझी गई किसी भी राशि के अतिरिक्त की वापसी का हकदार होगा, जो उस राशि से अधिक है जिसके लिए वह इस संहिता के अधीन उत्तरदायी है। धन वापसी.

5 (2) धन वापसी के लिए प्रत्येक दावा ऐसे समय, ऐसे प्ररूप और तरीके के भीतर किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(3) कोई करदाता, ऐसे मामले में जहां कर निर्धारण अपास्त या रद्द कर दिया जाता है या किसी अपील में या इस संहिता के अधीन किसी अन्य कार्यवाही में नए कर निर्धारण का आदेश दिए जाने का निर्देश दिया जाता है, केवल नए कर निर्धारण किए जाने पर ही धन वापसी का हकदार होगा।

10 (4) इस उप-अध्याय के अधीन निर्धारित प्रतिदाय की राशि में से, यदि कोई हो, उस करदाता द्वारा, जिसे प्रतिदाय देय है, इस संहिता के अधीन देय शेष राशि घटा दी जाएगी और प्रतिदाय की शेष राशि, यदि कोई हो, करदाता को इस आशय की सूचना के साथ जारी कर दी जाएगी।

15 (5) इस उप-अध्याय के अधीन किसी दावे में, करदाता को किसी ऐसे कर निर्धारण या अन्य मामले की सत्यता पर प्रश्न उठाने या उसकी समीक्षा करने की अनुमति नहीं होगी, जो अंतिम और निर्णायक हो गया है, और तदनुसार करदाता ऐसे दावे पर अतिरिक्त भुगतान किए गए कर की वापसी के सिवाय किसी राहत का हकदार नहीं होगा।

216. (1) कोई करदाता उपधारा (2) में उल्लिखित अवधि के लिए किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में धारा 215 के अधीन उसे वापसी योग्य किसी रकम पर प्रति माह आधा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा। धन वापसी पर ब्याज.

20

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि, -

(क) ऐसे मामले में जहां प्रतिदाय अग्रिम कर के रूप में भुगतान किए गए किसी कर में से है या धारा 201 के तहत भुगतान किया गया माना जाता है या धारा 203 के तहत स्रोत पर एकत्र किया जाता है, वित्तीय वर्ष के बाद आने वाले अप्रैल के पहले दिन से शुरू होगा और उस तारीख को समाप्त होगा जिस दिन प्रतिदाय प्रदान किया जाता है; और

25

(ख) किसी अन्य मामले में, उस तारीख से शुरू होगा जिस दिन ऐसी राशि का भुगतान किया गया था और उस तारीख को समाप्त होगा जिस दिन धन वापसी प्रदान की गई थी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले में जहां विवरणी नियत तारीख के पश्चात प्रस्तुत की जाती है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी और धन वापसी मंजूर करने की तारीख को समाप्त होगी।

30

(4) यदि प्रतिदाय की राशि धारा 149 की उपधारा (1) के अधीन या नियमित निर्धारण पर अवधारित कर के दस प्रतिशत से कम है तो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन कोई ब्याज देय नहीं होगा।

35 (5) यदि वापसी के परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाही में करदाता के कारण, चाहे पूर्णतः या भागतः, विलम्ब होता है, तो उसके कारण इस प्रकार विलम्ब की अवधि को उस अवधि से बाहर रखा जाएगा जिसके लिए ब्याज देय है, और जहां बाहर रखी जाने वाली अवधि के बारे में कोई प्रश्न उठता है, वहां उसका निर्णय मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन ब्याज, उस रकम में परिवर्तन के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा जिस पर इस संहिता के अधीन किसी सुधार, पुनरीक्षण या अपील आदेश के परिणामस्वरूप ब्याज देय था।

40

(7) निर्धारण अधिकारी, निर्धारित प्ररूप में, जहां उपधारा (6) के अधीन ब्याज कम किया गया है, उसे दिए गए अतिरिक्त ब्याज की रकम को निर्दिष्ट करते हुए, निर्धारिती को मांग का नोटिस तामील करेगा और ऐसा नोटिस धारा 162 के अधीन नोटिस समझा जाएगा और इस संहिता के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

45 (8) कोई करदाता इस धारा के अधीन उस द्वारा प्राप्य ब्याज की रकम पर उस अवधि के लिए प्रति माह आधा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसमें वह देय होगा।

यदि उसे रिफंड के साथ ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो रिफंड प्रदान करने की तारीख से लेकर ब्याज के वास्तविक भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

कुछ मामलों में धन वापसी का दावा करने का हकदार व्यक्ति विशेष स्थितियां।	217. (1) यदि किसी व्यक्ति की आय इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित की जाती है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसी आय के संबंध में प्रतिदाय पाने का हकदार होगा।	5
	(2) किसी व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि या ट्रस्टी या संरक्षक या रिसेवर, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति या उसकी संपदा के लाभ के लिए धन वापसी का दावा करने या प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति मृत्यु, असमर्थता, दिवालियापन, परिसमापन या किसी अन्य समरूप कारण से उसे देय किसी धन वापसी का दावा करने या प्राप्त करने में असमर्थ है।	
	जे.—रिकवरी	10
कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली।	218. (1) मांग की सूचना में अग्रिम कर के अलावा देय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई रकम, सूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसी रीति से जमा कर दी जाएगी, जो विहित की जाए।	
	(2) जहां निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि अनुज्ञात की जाती है तो यह राजस्व के हितों के लिए हानिकारक होगी, वहां वह संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसी अवधि को, जैसा वह ठीक समझे, कम कर सकेगा।	15
	(3) निर्धारण अधिकारी, तीस दिन की अवधि या उपधारा (2) के अधीन कम की गई अवधि की समाप्ति के पूर्व या आयुक्त (अपील) के पास अपील के लंबित रहने के दौरान, करदाता द्वारा किए गए आवेदन पर, भुगतान के लिए समय बढ़ा सकेगा या किस्तों में भुगतान की अनुमति दे सकेगा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में लगाना ठीक समझे।	20
	(4) यदि कर बकाया का भुगतान उपधारा (1) के अंतर्गत अनुज्ञात समय या उपधारा (2) के अंतर्गत घटाई गई अवधि या उपधारा (3) के अंतर्गत बढ़ाई गई अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर नहीं किया जाता है तो निर्धारित को चूककर्ता निर्धारित माना जाएगा।	25
	(5) जहां कोई करदाता उपधारा (3) के अधीन नियत समय के भीतर किसी किस्त का भुगतान करने में चूक करता है, वहां उसे उस समय बकाया सम्पूर्ण रकम के संबंध में चूककर्ता करदाता समझा जाएगा।	
	(6) ऐसे मामले में जहां कर वसूली अधिकारी द्वारा धारा 219 के अधीन कोई प्रमाणपत्र तैयार नहीं किया गया है, निर्धारण अधिकारी उस रकम की वसूली कर सकेगा जिसके संबंध में निर्धारित चूककर्ता है या चूककर्ता समझा जाता है, धारा 220 में उपबंधित किसी एक या अधिक तरीके से।	30
	(7) कर वसूली अधिकारी को धारा 219 के अधीन कर बकाया का विवरण तैयार करके कर बकाया वसूलने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।	
कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूली।	219. (1) कर वसूली अधिकारी, धारा 218 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी निर्धारित के कर बकाया का विवरण अपने हस्ताक्षर से, विहित प्ररूप में तैयार कर सकेगा (ऐसा विवरण इस अध्याय में और पांचवीं अनुसूची में इसके पश्चात् "प्रमाणपत्र" कहा गया है)।	35
	(2) उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप समय-समय पर संशोधित माना जाएगा और कर वसूली अधिकारी इस प्रकार संशोधित रकम वसूल करेगा।	40
	(3) कर वसूली अधिकारी अभिलेख में दिखाई देने वाली किसी गलती को सुधार सकेगा।	
	(4) कर वसूली अधिकारी को भुगतान के लिए समय बढ़ाने या किस्तों में भुगतान की अनुमति देने की शक्ति होगी, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों में लगाना ठीक समझे।	45
	(5) कर वसूली अधिकारी, धारा 220 या पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट एक या अधिक तरीकों से करदाता से प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।	

(6) करदाता को कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी प्रमाण-पत्र की सत्यता पर किसी भी आधार पर विवाद करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु कर वसूली अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह प्रमाण-पत्र को रद्द कर दे, यदि वह किसी कारणवश ऐसा करना आवश्यक समझे।

5 220. (1) कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी करदाता के नियोक्ता से करदाता को किए गए किसी भुगतान में से ऐसी राशि काटने की अपेक्षा कर सकेगा जो करदाता के कर बकाया को चुकाने के लिए पर्याप्त हो। के मोड वसूली।

10 (2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्षता किए जाने पर, नियोजक अध्यक्षता का अनुपालन करेगा और इस प्रकार कटौती की गई राशि को विहित रीति से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कराएगा।

1908 का 5. (3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त वेतन का कोई भाग उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अध्यक्षता से छूट प्राप्त होगा।

15 (4) कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी लिखित सूचना द्वारा करदाता के किसी देनदार से ऐसी राशि का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो ऋण की राशि से अधिक न हो, जो करदाता के कर बकाया को चुकाने के लिए पर्याप्त हो।

20 (5) उपधारा (4) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर, देनदार अध्यक्षता का अनुपालन करेगा और नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर (निर्धारित) को ऋण देय होने से पूर्व नहीं) केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसी रीति से राशि का भुगतान करेगा, जैसा विहित किया जा सकता है।

25 (6) उपधारा (4) के अधीन जारी किए गए नोटिस की एक प्रति करदाता को उसके अंतिम पते पर, जो कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जाएगी और संयुक्त खाते की दशा में सभी संयुक्त धारकों को उनके अंतिम पते पर, जो कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जाएगी।

30 (7) यदि उपधारा (4) के अधीन नोटिस किसी डाकघर, बैंकिंग कंपनी, बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किया जाता है, तो इसके विपरीत किसी नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी, भुगतान किए जाने से पहले किसी प्रविष्टि, पृष्ठानकन या इसी प्रकार की अन्य किसी बात के प्रयोजन के लिए कोई पास बुक, जमा रसीद, पॉलिसी या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

35 (8) किसी संपत्ति के संबंध में, जिसके संबंध में उपधारा (4) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की तारीख के पश्चात उत्पन्न होने वाला कोई दावा, नोटिस में अंतर्विष्ट किसी मांग के विरुद्ध शून्य होगा।

40 (9) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (4) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, उसमें विनिर्दिष्ट कर बकाया की रकम या उसके भाग का भुगतान करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा, यदि वह शपथ पर यह कथन करके आक्षेप करता है कि मांगी गई रकम या उसका कोई भाग करदाता को देय नहीं है या वह करदाता के लिए या उसके खाते में कोई धन नहीं रखता है।

45 (10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के प्रति नोटिस की तारीख को करदाता के प्रति अपने दायित्व की सीमा तक या इस संहिता के अधीन देय किसी राशि के लिए करदाता के दायित्व की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, यदि यह पता चलता है कि उसके द्वारा किया गया कथन किसी भी संबंध में मिथ्या था।

(11) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उपधारा (4) के अधीन जारी किसी नोटिस को संशोधित या रद्द कर सकता है या ऐसे नोटिस के अनुसरण में कोई भुगतान करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

(12) कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उपधारा (4) के अधीन जारी नोटिस के अनुपालन में संदत्त किसी रकम के लिए रसीद देगा और इस प्रकार संदत्त रकम की सीमा तक संदत्त व्यक्ति को करदाता के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाएगा।

(13) उपधारा (4) के अधीन नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् करदाता के प्रति किसी दायित्व का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति, करदाता के प्रति अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक या इस संहिता के अधीन देय किसी राशि के लिए करदाता के दायित्व की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(14) वह ऋणी, जिसे उपधारा (4) के अधीन नोटिस भेजा गया है, यदि वह ऐसा संदाय करने में असफल रहता है तो उसे व्यतिक्रमी करदाता समझा जाएगा और इस धारा तथा पांचवीं अनुसूची में उपबंधित रीति से रकम की वसूली के लिए उसके विरुद्ध आगे की कार्यवाही आरंभ की जा सकेगी। 5

(15) कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उस न्यायालय को, जिसकी अभिरक्षा में करदाता का धन है, ऐसी सम्पूर्ण धनराशि का या यदि वह देय कर से अधिक है, तो कर दायित्व के निर्वहन के लिए पर्याप्त धनराशि का भुगतान करने के लिए आवेदन कर सकेगा। 10

(16) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी किसी कर बकाया की वसूली उसी प्रकार करेगा जैसे पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी चल संपत्ति की कुर्की, जब्ती और बिक्री की जाती है, यदि उसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया हो। 15

(17) इस धारा में,-

(क) किसी करदाता के संबंध में 'ऋणी' से तात्पर्य है,—

(i) कोई भी व्यक्ति जिससे धन प्राप्त होना है, या प्राप्त हो सकता है, करदाता; या 20

(ii) कोई व्यक्ति जो करदाता के लिए या उसके खाते में धन रखता है या बाद में रख सकता है; या

(iii) कोई व्यक्ति जो करदाता के लिए या उसके खाते में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई धन रखता है या बाद में रख सकता है; (ख) खाते में संयुक्त धारकों के शेर, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, बराबर माने जाएंगे। 25

कर वसूली अधिकारी जिसके द्वारा वसूली की जानी है।

221. (1) धारा 219 के अधीन कार्रवाई करने के लिए सक्षम कर वसूली अधिकारी वह कर वसूली अधिकारी होगा, -

(क) जिसके अधिकार क्षेत्र में - (i) करदाता

अपना कारोबार करता है; (ii) करदाता के कारोबार का 30

मुख्य स्थान स्थित है; (iii) करदाता निवास करता है; या (iv) करदाता की कोई चल या

अचल संपत्ति स्थित है; या (ख) जिसे धारा

130 के तहत अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर वसूली अधिकारी, किसी अन्य कर अधिकारी को, ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, वसूल किए जाने वाले कर बकाया को निर्दिष्ट करते हुए, प्रमाणपत्र भेज सकेगा। 35
वसूली अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में करदाता निवास करता है या उसके पास संपत्ति है, यदि प्रथम उल्लिखित कर वसूली अधिकारी -

(क) चल संपत्ति या अचल संपत्ति की बिक्री से पूरी राशि वसूल करने में सक्षम नहीं है।

उसके अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति; या 40

(ख) उसकी यह राय है कि इस अध्याय के अधीन सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली शीघ्र करने या सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

(3) द्वितीय वर्णित कर वसूली अधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उसमें विनिर्दिष्ट कर बकाया की रकम की वसूली के लिए अधिकारिता ग्रहण करेगा और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा। 45

222. किसी अनिवासी से देय कर बकाया की राशि निम्नलिखित से वसूल की जा सकेगी- (क) अनिवासी की किसी भी परिसंपत्ति से, चाहे वह कहीं भी स्थित हो; या (ख) किसी व्यक्ति द्वारा अनिवासी को देय किसी भी राशि से।

अनिवासी के संबंध में उसके पति से कर बकाया की वसूली

संपत्तियां।

परिसमापन में कंपनी के मामले में वसूली।

223. (1) परिसमापक, अपने परिसमापक बनने के तीस दिन की अवधि के भीतर, अपनी नियुक्ति की सूचना निर्धारण अधिकारी को देगा, जिसके पास कंपनी की आय का निर्धारण करने का अधिकार है।

1961 का 43.

10

(2) मूल्यांकन अधिकारी सूचना प्राप्त करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर परिसमापक को वह रकम सूचित करेगा जो उसकी राय में किसी कर बकाया या किसी ऐसी रकम के लिए प्रावधान करने के लिए पर्याप्त होगी जो कंपनी द्वारा इस संहिता के अधीन या आयकर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन, जो इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व थी, उसके पश्चात देय होने की संभावना है।

1957 का 27.

(3) परिसमापक-

(क) कंपनी की किसी भी परिसंपत्ति या अपनी अभिरक्षा में मौजूद संपत्तियों को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उपधारा (2) के अधीन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे सूचित नहीं कर दिया जाता है; और

15

(ख) ऐसी सूचना दिए जाने पर, सूचना दी गई राशि के बराबर राशि अलग रख लेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार सूचित की गई रकम, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित बकाया राशियों के भुगतान के पश्चात शेष बची कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रथम भार होगी, अर्थात्:—

20

(क) कर्मचारियों के बकाया; और (ख)

सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण, जहां तक ऐसे ऋण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (iii) के अंतर्गत आते हैं, ऐसे बकाया के साथ समरूप।

1956 का 1.

25

(5) परिसमापक कंपनी द्वारा देय राशि के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, यदि वह-

(क) उपधारा (1) के अनुसार सूचना देने में असफल रहता है; या (ख) उपधारा (3)

द्वारा अपेक्षित राशि अलग रखने में असफल रहता है।

30

(6) इस धारा के अधीन परिसमापक से जुड़ी बाध्यताएं और दायित्व सभी परिसमापकों पर संयुक्त रूप से तथा उस दशा में, जहां एक से अधिक परिसमापक हों, पृथक-पृथक रूप से जुड़ी होंगी।

(7) इस धारा के प्रावधान इसके विपरीत किसी भी बात पर लागू होंगे।
वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में।

35

(8) इस धारा में,—

(क) किसी कंपनी के संबंध में "परिसमापक" में कंपनी की परिसंपत्तियों का रिसीवर शामिल होगा;

(ख) "कर्मचारियों" तथा "कर्मचारियों के बकाया" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 में दिया गया है।

1956 का 1.

40

224. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रबंधक है, वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के संबंध में इस संहिता के अधीन देय किसी रकम के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से उत्तरदायी होगा, यदि वह रकम कंपनी से वसूल नहीं की जा सकती है।

किसी कंपनी के प्रबंधक का दायित्व.

(2) उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि प्रबंधक यह साबित कर देता है कि वसूली न होने का कारण कंपनी के मामलों के संबंध में उसकी ओर से की गई कोई उपेक्षा, दुराचरण या कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है।

45

(3) इस धारा के उपबंध कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित किसी भी प्रतिकूल बात पर अभिभावी होंगे।

(4) इस धारा में, "प्रबंधक" में प्रबंध निदेशक शामिल होगा और दोनों का अर्थ क्रमशः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (24) और खंड (26) में दिया गया है।

1956 का 1

5

प्रतिभागियों की संयुक्त एवं पृथक देयता।

225. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी अनिगमित निकाय में भागीदार हो, या मृतक भागीदार का प्रतिनिधि करदाता हो, इस संहिता के अधीन अनिगमित निकाय द्वारा देय किसी रकम के भुगतान के लिए अनिगमित निकाय के साथ संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होगा और इस संहिता के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

10

(2) सीमित दायित्व भागीदारी के मामले में, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि भागीदार यह साबित कर देता है कि वसूली न होने का कारण भागीदारी के मामलों के संबंध में उसकी ओर से की गई कोई उपेक्षा, दुराचरण या कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है।

(3) इस धारा के प्रावधान इसके विपरीत किसी भी बात पर लागू होंगे।
सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में।

15

2009 का 6.

राज्य सरकार के माध्यम से वसूली।

किसी यदि किसी क्षेत्र में कर की वसूली संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) के अधीन राज्य सरकार को सौंपी गई है तो राज्य सरकार उस क्षेत्र या उसके भाग के संबंध में यह निदेश दे सकेगी कि उसमें कर की वसूली किसी नगरपालिका कर या स्थानीय दर के साथ और उसके अतिरिक्त उसी व्यक्ति द्वारा और उसी रीति से की जाएगी जिस रीति से नगरपालिका कर या स्थानीय दर की वसूली की जाती है।

20

विदेशी देशों के साथ निर्दिष्ट क्षेत्र में किए गए समझौतों के अनुसरण में कर की वसूली।

227. (1) बोर्ड भारत में संपत्ति रखने वाले किसी व्यक्ति से भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन किसी रकम की वसूली के लिए किसी कर वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र भेज सकेगा, यदि ऐसे देश या क्षेत्र या उस क्षेत्र या देश की सरकार के अधीन किसी प्राधिकरण ने, यथास्थिति, धारा 291 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धारा 291 की उपधारा (1) और (2) या उपधारा (4) के अधीन भारत के साथ कोई करार किया है।

25

(2) बोर्ड से उपधारा (1) के अधीन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, कर वसूली अधिकारी -

(क) प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को उसी प्रकार वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा जिस प्रकार वह धारा 219 के अधीन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा; तथा

30

(ख) वसूली कार्यवाही के संबंध में अपने व्ययों को काटने के पश्चात्, उसके द्वारा वसूली गई राशि को बोर्ड को प्रेषित कर देगा।

(3) कर वसूली अधिकारी, ऐसे मामले में जहां किसी करदाता के पास भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में संपत्ति है, करदाता से कर बकाया की वसूली के लिए बोर्ड को एक प्रमाणपत्र अर्पण कर सकेगा, यदि केन्द्रीय सरकार या भारत में किसी विनिर्दिष्ट संघ ने धारा 291 की उपधारा (1), (2) या उपधारा (4) के अधीन, जैसा भी मामला हो, उस देश या क्षेत्र के साथ धारा 291 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कोई करार किया हो।

35

(4) कर वसूली अधिकारी से उपधारा (3) के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह ऐसे देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के साथ करार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

40

कुछ मामलों में कर निकासी प्रमाणपत्र।

228. (1) कोई भी व्यक्ति भारत का राज्यक्षेत्र तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी को, जिसे अधिसूचित किया जाए, इस आशय का वचनपत्र नहीं दे देता कि उसने भारत में कर योग्य किसी आय या धन के संबंध में अपने कर दायित्व, यदि कोई हो, का निर्वहन करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था कर ली है।

45

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति वह व्यक्ति होगा-

(क) जो भारत का निवासी नहीं है;

(ख) जो किसी व्यवसाय या रोजगार के सिलसिले में भारत आया हो; और (ग) जिसकी आय भारत में किसी भी स्रोत से प्राप्त होती हो।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत से प्रस्थान के समय भारत में अधिवासित है,-

5 (क) अधिसूचित प्राधिकारी को ऐसी विशिष्टियां उपलब्ध कराएगा, जो विहित की जाएं; और (ख) अधिसूचित प्राधिकारी से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि उसका कोई दायित्व नहीं है, यदि कर निर्धारण अधिकारी की राय में ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

10 (4) केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी जिन पर उपधारा (1) या उपधारा (3) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(5) अधिसूचित प्राधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट वचन या विशिष्टियां प्राप्त होने पर व्यक्ति को भारत छोड़ने के लिए तुरन्त अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा।

15 (6) किसी पोट या वायुयान का स्वामी या चार्टरकर्ता, पूर्वगामी उपधाराओं के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अधीन देय पूरी रकम या उसके किसी भाग का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा, यदि वह व्यक्ति, प्रमाणपत्र के कब्जे के बिना, स्वामी या चार्टरकर्ता के पोट या वायुयान में भारत छोड़ता है।

20 (7) किसी पोट या वायुयान का स्वामी या चार्टरकर्ता उपधारा (6) के अधीन सृजित दायित्व के संबंध में चूककर्ता करदाता समझा जाएगा और ऐसी रकम उससे इस अध्याय में उपबंधित रीति से वसूल की जाएगी मानो वह कर बकाया हो।

(8) बोर्ड, राजस्व के हितों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है:—

(क) परिस्थितियां; (ख) वह स्वरूप

और तरीका जिसमें वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी है; और (ग) उससे संबंधित कोई अन्य विषय।

25

(9) इस धारा में, "स्वामी" और "चार्टरकर्ता" में स्वामी या चार्टरकर्ता द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि, एजेंट या कर्मचारी शामिल है, जो व्यक्तियों को जहाज या विमान से यात्रा करने की अनुमति देता है।

30

229. (1) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट वसूली के विभिन्न तरीके किसी भी प्रकार से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेंगे-

वाद द्वारा या अन्य कानून के तहत वसूली प्रभावित नहीं होगी।

(क) सरकार को देय ऋणों की वसूली से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य कानून; या

(ख) करदाता से बकाया कर की वसूली के लिए वाद लाने का सरकार का अधिकार।

35

(2) कर निर्धारण अधिकारी या सरकार के लिए किसी ऐसे कानून या वाद का सहारा लेना वैध होगा, भले ही कर बकाया इस उप-अध्याय में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से करदाता से वसूल किया जा रहा हो।

अध्याय - XIV

दंड

40

230. (1) यदि किसी व्यक्ति ने कर आधारों की कम रिपोर्ट दी है तो वह दंड का पात्र होगा।
किसी भी वित्तीय वर्ष में।

कर आधारों की कम रिपोर्टिंग के लिए जुर्माना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति वह राशि होगी जो वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए कर आधारों की राशि के संबंध में देय कर की राशि से कम नहीं होगी, किन्तु दो गुनी से अधिक नहीं होगी।

(3) किसी व्यक्ति को कर आधार कम रिपोर्ट करने वाला माना जाएगा, यदि-

(क) जहां कर आधारों का कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, वहां पहली बार निर्धारित या पुनः निर्धारित कर आधार, कर के लिए प्रभार्य न होने वाली अधिकतम राशि, यदि कोई हो, से अधिक है;

(ख) निर्धारित कर आधार, कर आधार रिटर्न में बताए गए कर आधार से अधिक है; या

5

(ग) पुनर्मूल्यांकन किए गए कर आधार पुनर्मूल्यांकन से तुरंत पहले निर्धारित कर आधारों से अधिक हैं।

(4) रिपोर्ट किए गए कर आधारों की राशि, यथास्थिति, कर निर्धारण अधिकारी, आयुक्त या आयुक्त (अपील) द्वारा की गई वृद्धि या अस्वीकृति की कुल राशि होगी।

10

(5) मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई वृद्धि या अस्वीकृति की कुल राशि कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन अधिकारी, किसी मामले में-

(क) जहां इस संहिता के किसी प्रावधान के अनुसार कर आधारों की कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई है, वहां कर के लिए प्रभार्य न होने वाली अधिकतम राशि, यदि कोई हो, को घटाकर निर्धारित कर आधार होगा;

15

(ख) जहां कर आधारों की विवरणी धारा 144 या धारा 146 द्वारा अपेक्षित रूप से दाखिल की गई है, वहां निर्धारित कर आधारों की राशि में से दाखिल विवरणी में प्रकट किए गए कर आधारों को घटाया जाएगा;

(ग) जहां धारा 144 के अधीन या धारा 146 के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में कर आधारों की कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई है और चाहे धारा 159 के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में कर आधारों की विवरणी दाखिल की गई है या नहीं, वहां कर आधारों का पुनर्मूल्यांकन कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम राशि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाएगा; और

20

(घ) जहां कर आधारों की विवरणी धारा 144 के अनुसार या धारा 146 के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में दाखिल की गई है और चाहे कर आधारों की विवरणी धारा 159 के अनुसार दाखिल की गई है या नहीं, वहां पुनर्मूल्यांकन से ठीक पहले निर्धारित कर आधारों से घटाकर पुनर्मूल्यांकन किए गए कर आधारों की राशि होगी।

25

(6) आयुक्त द्वारा संशोधन में की गई वृद्धि या अस्वीकृति की कुल राशि, संशोधन के परिणामस्वरूप निर्धारित कर आधार होगी, जो संशोधित आदेश में निर्धारित कर आधार से कम होगी।

30

(7) अपील में आयुक्त (अपील) द्वारा की गई वृद्धि या अस्वीकृति की कुल राशि, अपील के अधीन आदेश में आयुक्त (अपील) द्वारा की गई सभी वृद्धियों का कुल योग होगी।

(8) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (5) से (7) में निर्दिष्ट वृद्धि या अस्वीकृति की कुल राशि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

35

(क) धारा 135 के अधीन तलाशी के दौरान करदाता के कब्जे में या उसके नियंत्रण में पाई गई किसी धनराशि या सोने-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (जिसे इसके पश्चात् "परिसंपत्ति" कहा जाएगा) की कीमत, यदि करदाता दावा करता है कि ऐसी परिसंपत्तियां उसने तलाशी की तारीख से पहले समाप्त हुए किसी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय (पूर्णतः या आंशिक रूप से) का उपयोग करके अर्जित की हैं, और—

40

(i) वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख हो गई है समाप्त हो गया है, किन्तु करदाता ने ऐसी देय तिथि से पूर्व ऐसा रिटर्न दाखिल नहीं किया है; या

(ii) ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों का रिटर्न प्रस्तुत किया गया है तलाशी की तारीख से पहले की आय, लेकिन ऐसी आय घोषित नहीं की गई है;

45

(ख) करदाता की परिसंपत्तियों की राशि या मूल्य, जो धारा 136 की उपधारा (3) के अधीन अधिप्राप्ति अधिकारी को सौंपी गई है या करदाता को सौंपी गई है।

धारा 138 के तहत कर निर्धारण अधिकारी, यदि करदाता दावा करता है कि ऐसी परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय का (पूर्णतः या आंशिक रूप से) उपयोग करके उसके द्वारा अर्जित की गई हो, जो अधिग्रहण की तारीख या तलाशी की तारीख, जैसा भी मामला हो, से पहले समाप्त हो गया हो, जिसके दौरान आस्तियां जब्त की गई थीं, और -

5 (i) वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख हो गई है समाप्त हो गया है, किन्तु करदाता ने ऐसा रिटर्न दाखिल नहीं किया है; या

(ii) ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की विवरणी, यथास्थिति, अधिग्रहण की तारीख या तलाशी की तारीख से पूर्व प्रस्तुत कर दी गई है, किन्तु ऐसी आय उसमें घोषित नहीं की गई है;

10 (ग) किसी खाता बही या अन्य दस्तावेज या लेन-देन में किसी प्रविष्टि के आधार पर कोई कर आधार, यदि करदाता दावा करता है कि खाता बही या अन्य दस्तावेज या लेन-देन में ऐसी प्रविष्टि किसी वित्तीय वर्ष के लिए, जो तलाशी की तारीख से पहले समाप्त हो गया है, जिसके दौरान परिसंपत्तियां जब्त की गई थीं, उसके लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से उसके कर आधार का प्रतिनिधित्व करती है, और—

15 (i) वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख हो गई है समाप्त हो गया है, किन्तु करदाता ने ऐसा रिटर्न दाखिल नहीं किया है; या

(ii) ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों का रिटर्न प्रस्तुत किया गया है तलाशी की तारीख से पहले, लेकिन ऐसे कर आधारों की घोषणा नहीं की गई है;

20 (घ) ऐसे मामले में जहां किसी वित्तीय वर्ष में किसी प्राप्ति, जमा या निवेश का स्रोत, उस वित्तीय वर्ष से पूर्व के किसी वर्ष में, जिसमें ऐसी प्राप्ति, जमा या निवेश प्रकट होता है (जिसे इसके पश्चात् "पूर्ववर्ती वर्ष" कहा जाएगा) जोड़ा या घटाया गया है, जैसा भी मामला हो, जोड़ा या घटाया गया है और ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, तो ऐसी राशि जो ऐसी प्राप्ति, जमा या निवेश को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

25 (9) उपधारा (8) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, उक्त खंड में निर्दिष्ट रकम निम्नलिखित क्रम में पूर्ववर्ती वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए कर आधारों की रकम समझी जाएगी—

(क) उस वर्ष से ठीक पहले का पिछला वर्ष जिसमें रसीद, जमा या निवेश प्रकट होता है, जो कि पिछले वर्ष का पहला वर्ष है, और

30 (ख) जहां पहले पूर्ववर्ती वर्ष में जोड़ी गई या काटी गई राशि, प्राप्ति, जमा या निवेश को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां पहले पूर्ववर्ती वर्ष से ठीक पहले का वर्ष और इसी प्रकार आगे भी।

(10) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वृद्धि या अस्वीकृति की कुल राशि
(5) से (7) में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात्:—

35 (क) वह राशि जिसके संबंध में अतिरिक्त या अस्वीकृति की गई है करदाता स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है और कर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है कि—

(i) स्पष्टीकरण सद्भावपूर्ण है; (ii) करदाता ने

वृद्धि या अस्वीकृति से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा कर दिया है; और

40 (iii) करदाता ने स्पष्टीकरण से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा कर दिया है। (ख) कर निर्धारण अधिकारी

द्वारा अनुमान के आधार पर निर्धारित की गई वृद्धि या अस्वीकृति से संबंधित राशि, यदि खाते कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार सही और पूर्ण हैं, लेकिन नियोजित पद्धति ऐसी है कि कर निर्धारण अधिकारी की राय में, आय को उचित रूप से उसमें से नहीं घटाया जा सकता है;

45 (ग) किसी मुद्दे से संबंधित वृद्धि या अस्वीकृति से संबंधित राशि, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, यदि करदाता-

(i) उसने स्वयं उसी मुद्दे पर कम वृद्धि या अस्वीकृति का अनुमान लगाया है;

(ii) उसने अपने कर आधार की गणना में ऐसी राशि को शामिल कर लिया है; और (iii) उसने वृद्धि या अस्वीकृति से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा कर दिया है;

और

(घ) धारा 231 में निर्दिष्ट अघोषित कर आधार की राशि।

(11) वृद्धि या अस्वीकृति की कुल राशि के संबंध में देय कर, कर निर्धारण अधिकारी, आयुक्त या आयुक्त (अपील) द्वारा, जैसा भी मामला हो, वृद्धि या अस्वीकृति की कुल राशि पर गणना की गई कर की राशि होगी, - 5

(ए) उस मामले में लागू दर पर, जिसके लिए भाग ए का पैराग्राफ ए या पैराग्राफ बी प्रथम अनुसूची की धारा 1 लागू होती है; और 10

(ख) अन्य सभी मामलों में, यथास्थिति, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दर पर।

(12) किसी राशि में कोई वृद्धि या अस्वीकृति जुर्माना लगाने का आधार नहीं बनेगी, यदि- (क) ऐसी वृद्धि या अस्वीकृति जुर्माना लगाने का आधार बनी है 15

व्यक्ति के मामले में उसी या किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए; या

(ख) राशि धारा 149 के अंतर्गत समायोजन के अनुसरण में की गई किसी वृद्धि या अस्वीकृति से संबंधित है।

(13) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति लिखित आदेश द्वारा, निम्नलिखित द्वारा अधिरोपित की जाएगी- 20

(क) कर निर्धारण अधिकारी, यदि रिपोर्ट की गई कर आधार राशि निर्धारित है- मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन में खनन किया गया;

(ख) आयुक्त, यदि रिपोर्ट के अंतर्गत कर आधारों की राशि आयुक्त द्वारा कर आधारों के संशोधन में निर्धारित की जाती है; या

(ग) आयुक्त (अपील), यदि रिपोर्ट की गई कर आधार की राशि कम है 25
मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध अपील में निर्धारित किया गया।

जहां तलाशी शुरू की गई है वहां जुर्माना।

231. (1) यदि किसी व्यक्ति के मामले में धारा 135 के अधीन तलाशी और जब्ती की गई है तो वह विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए अघोषित कर आधारों के संबंध में शास्ति का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित शास्ति का दायी होगा- 30

(क) विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए अघोषित कर आधारों के दस प्रतिशत की दर से, यदि ऐसा व्यक्ति-

(i) तलाशी के दौरान धारा 135 की उपधारा (9) के अधीन दिए गए विवरण में अघोषित कर आधारों को स्वीकार करता है;

(ii) यह प्रमाणित करता है कि अघोषित कर आधार किस प्रकार प्राप्त किया गया; और 35

(iii) अप्राप्ति के संबंध में कर, ब्याज सहित, यदि कोई हो, का भुगतान करता है।
कर आधार बंद कर दिया गया।

(ख) विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए अघोषित कर आधारों के बीस प्रतिशत की दर से, यदि तलाशी के दौरान धारा 135 की उपधारा (9) के अधीन विवरण में ऐसा व्यक्ति अघोषित कर आधारों को स्वीकार नहीं करता है, किन्तु ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की विवरणी में ऐसे कर आधारों की घोषणा करता है और ऐसे कर आधारों के संबंध में कर, ब्याज सहित, यदि कोई हो, का भुगतान करता है; या 40

(ग) धारा 230 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशि का, यदि तलाशी के दौरान धारा 135 की उपधारा (9) के अधीन दिए गए कथन में ऐसा व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता है कि 45

अघोषित कर आधारों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है और ऐसे वित्तीय वर्ष के कर आधारों के रिटर्न में ऐसे कर आधारों की घोषणा करने में भी विफल रहा है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्त्रि, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

5 (4) इस धारा में-

(क) "अघोषित कर आधार" से तात्पर्य है-

(i) निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष का कोई कर आधार, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या खाता पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में किसी प्रविष्टि या धारा 134 के तहत तलाशी के दौरान मिले किसी लेन-देन द्वारा दर्शाया गया हो, जिसमें—

10

(ए) निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष से संबंधित सामान्य क्रम में रखी गई खाता पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में तलाशी की तारीख को या उससे पहले दर्ज नहीं किया गया है; या

15

(बी) अन्यथा मुख्य आयुक्त या को प्रकट नहीं किया गया है तलाशी की तारीख से पहले आयुक्त को सूचित करना; या

(ii) निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के किसी भी कर आधार को, पूर्णतः या आंशिक रूप से, निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष से संबंधित सामान्य क्रम में बनाए गए खाता पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में दर्ज व्यय के संबंध में किसी भी प्रविष्टि द्वारा दर्शाया गया है जो गलत पाया जाता है और ऐसा नहीं पाया जाता, यदि तलाशी नहीं की गई होती;

20

(ख) "विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष" से वह वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है—

(i) जो तलाशी की तारीख से पहले समाप्त हो गई है, किन्तु ऐसे वर्ष के लिए कर आधारों की विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तलाशी की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुई है और करदाता ने उक्त तारीख से पहले वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या

25

(ii) जिसमें तलाशी ली गई थी।

232. (1) कोई व्यक्ति दंड का भागी होगा यदि वह बिना उचित कारण के, को-

अन्य चूकों के लिए
जुर्माना.

30

(क) किसी वित्तीय वर्ष के लिए धारा 87 द्वारा अपेक्षित लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखना और बनाए रखना या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखना;

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में अपने लेखों की लेखापरीक्षा कराएगा या धारा 88 द्वारा अपेक्षित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और प्रस्तुत करेगा;

35

(ग) अध्याय XIII के उप-अध्याय ए के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुसार पूरे कर या उसके किसी भाग की कटौती करना;

(घ) अध्याय XIII के उप-अध्याय बी के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुसार संपूर्ण कर या उसका कोई भाग एकत्रित करना;

(ई) धारा 198 या धारा 198 के तहत अपेक्षित कर का पूरा या उसका कोई हिस्सा चुकाना।

40

202;

(च) धारा 162 के अधीन नोटिस द्वारा अपेक्षित किसी राशि का भुगतान करना; (छ) धारा

144 के अधीन कर आधारों की विवरणी उस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रस्तुत करना जिसमें ऐसी विवरणी देय है;

(ज) धारा 294 के प्रावधानों का अनुपालन करना; (झ) धारा 140 के तहत

45

अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करना;

(जे) इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर प्राधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देना;

(ट) इस अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के दौरान अपने द्वारा दिए गए किसी भी कथन पर हस्ताक्षर करना। वह कोड जिस पर आयकर प्राधिकारी कानूनी तौर पर उससे हस्ताक्षर करने की मांग कर सकता है;

(ठ) यदि उससे धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए समन के प्रत्युत्तर में किसी निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित होने, साक्ष्य देने या लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, तो वह उस स्थान या समय पर उपस्थित होगा या लेखा पुस्तकें या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ; 5

(ड) धारा 198 के तहत अपेक्षित कर कटौती का रिटर्न समय पर प्रस्तुत करना; (ढ) धारा 202 के तहत अपेक्षित कर संग्रह का रिटर्न समय पर प्रस्तुत करना; (ण) धारा 198 के तहत अपेक्षित कटौतीकर्ता को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना; (त) धारा 198 के तहत अपेक्षित क्रेता, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना। 10

202;

(क्यू) धारा 220 की उपधारा (2) के अनुसार कर की कटौती करना और उसका भुगतान करना; (आर) ब्याज के भुगतान के संबंध में रिटर्न देना या दिलवाना; धारा 199 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित; 15

(ध) धारा 199 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित भुगतान के संबंध में विवरणी वितरित करना या वितरित करवाना;

(टी) धारा 292 के प्रावधानों का अनुपालन करना; (यू) धारा 293 के प्रावधानों का अनुपालन करना; (वी) धारा 146 या धारा 150 के तहत जारी नोटिस या धारा 151 के तहत निर्देशों का अनुपालन करना; या 20

(ब) धारा 295 के अनुसार वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति कोई भी राशि होगी-

(क) जो उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट मामलों में पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ; 25

(ख) जो पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, किन्तु जो उपधारा (1) के खंड (ग) से (च) में निर्दिष्ट मामलों में, यथास्थिति, कटौती योग्य या संग्रहणीय या देय कर की रकम से अधिक नहीं होगा ; 30

(ग) उपधारा (1) के खंड (छ) में निर्दिष्ट मामले में, पांच हजार रुपए के बराबर ;

(घ) लिए गए या स्वीकार किए गए या चुकाए गए ऋण या जमा की राशि के बराबर, उपधारा (1) के खंड (एच) में निर्दिष्ट मामले में, जो भी हो ;

(ड) जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपए से कम नहीं होगी किन्तु एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। 35

प्रक्रिया।

233. (1) आयकर प्राधिकारी, इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए, किसी भी करदाता को नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उस पर शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी निम्नलिखित होगा- 40

(क) धारा 230 की उपधारा (13) में निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी, यदि शास्ति उक्त धारा के अधीन अधिरोपित करने योग्य है;

(ख) कर निर्धारण अधिकारी, यदि शास्ति धारा 231 के अधीन अधिरोपित की जा सकती है; और

(ग) आयकर प्राधिकारी जिसके समक्ष चूक की गई है, यदि धारा 232 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस जारी किया जाएगा-

(क) इस संहिता के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, धारा 230 या धारा 232 में निर्दिष्ट दंड के संबंध में, वित्तीय वर्ष के दौरान;

(ख) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष की अवधि के भीतर जिसमें धारा 232 में निर्दिष्ट दंड के संबंध में चूक की गई है।

(4) इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(5) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का आदेश संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन से किया जाएगा, यदि—

(क) जुर्माना एक लाख रुपए से अधिक है और जुर्माना लगाने वाला आयकर प्राधिकारी आयकर अधिकारी के पद का है; या

(ख) जुर्माना पांच लाख रुपये से अधिक है और आयकर प्राधिकरण जुर्माना लगा रहा है।
दंड अधिकारी सहायक आयुक्त या उप आयुक्त के पद पर है।

(6) इस अध्याय के अधीन जारी किए गए प्रत्येक शास्ति आदेश के साथ अधिरोपित शास्ति की रकम के संबंध में मांग की सूचना संलग्न होगी और ऐसी मांग की सूचना धारा 162 के अधीन सूचना समझी जाएगी।

234. (1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात पारित नहीं किया जाएगा जिसमें धारा 233 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए नोटिस जारी किया गया हो।

जुर्माना
लगाने की समय-सीमा

(2) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही छोड़ने वाले आदेश को, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश या धारा 191 या धारा 192 के अधीन पुनरीक्षण आदेश को प्रभावी करने के पश्चात् संशोधित कर आधारों के निर्धारण के आधार पर, यथास्थिति, संशोधित या पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति को संशोधित करने वाला आदेश, उस मास के अंत से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण, अग्रिम निर्णय और विवाद समाधान प्राधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या धारा 191 या धारा 192 के अधीन संशोधन आदेश पारित किया जाता है।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा अवधि की गणना करने में निम्नलिखित समय या अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा

(क) धारा 133 के अधीन करदाता को पुनः सुनवाई का अवसर देने में लिया गया समय;

(ख) कोई अवधि जिसके दौरान धारा 283 के अधीन दी गई उन्मुक्ति लागू रही; और

(ग) कोई अवधि जिसके दौरान इस अध्याय के तहत किसी कर के उद्ग्रहण के लिए कार्यवाही की जाती है।
किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा दंड पर रोक लगाई जाती है।

अध्याय XV

अभियोग पक्ष

235. इस अध्याय के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, जो उसके अधीन अपराधों के लिए अभियोजन से संबंधित है।

यह अध्याय किसी अन्य
कानून का उल्लंघन नहीं
करता

किसी भी प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन	236. जो कोई धारा 139 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, वह कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, तथा जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	
धारा 135 की उपधारा (2) के खंड (घ) के प्रावधानों का अनुपालन न करना।	237. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 135 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अपेक्षित लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रहता है, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	5
कर से बचने के लिए संपत्ति को हटाना, छिपाना, स्थानांतरित करना या सौंपना	238. जो कोई कपटपूर्वक किसी सम्पत्ति या उसमें के किसी हित को हटाएगा, छिपाएगा, अन्तर्गत करेगा या किसी व्यक्ति को देगा, जिसका आशय यह है कि वह सम्पत्ति या उसमें के हित को पांचवर्षी अनुसूची के उपबंधों के अधीन प्रमाणपत्र के निष्पादन में लिए जाने से निवारित करे, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।	10
वसूली।		
धारा 223 की उपधारा (1) और (3) के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता।	239. (1) यदि कोई व्यक्ति - (क) धारा 223 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है; (ख) उस धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित राशि अलग रखने में असफल रहता है; या (ग) उक्त उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करके कंपनी की किसी आस्ति या अपनी अभिरक्षा में की संपत्तियों को छोड़ देगा, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।	15 20
	(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विफलता के लिए दण्डनीय नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसी विफलता के लिए उचित कारण था।	25
काटें गए या एकत्र किए गए कर का भुगतान न करना	240. (1) यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के खाते में धनराशि जमा करने में असफल रहता है, - (क) अध्याय 12 के उप-अध्याय ए या उप-अध्याय बी के प्रावधानों के तहत या उसके द्वारा अपेक्षित रूप से स्रोत पर काटा गया या संग्रहीत कर; (ख) धारा 109 के तहत लाभांश वितरण कर; या (ग) धारा 110 के तहत वितरित आय पर कर,	
स्रोत या लाभांश या आय वितरण का भुगतान करने के लिए		
कर.		30
	वह दण्डनीय होगा-	
	(i) कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी; तथा	
	(ii) प्रत्येक माह के लिए कर के तीन प्रतिशत की दर से निर्धारित जुर्माने से, जिसकी अवधि उस तारीख से प्रारम्भ होगी, जिसको केन्द्रीय सरकार के खाते में रकम का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, तथा जो भी पहले हो, भुगतान की तारीख या दोषसिद्धि की तारीख को समाप्त होगी।	35
	(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विफलता के लिए दंडनीय नहीं होगा। धारा (1) के अधीन, यदि वह यह साबित कर दे कि ऐसी असफलता के लिए उचित कारण था।	
खुदराय कर चोरी का प्रयास.	241. (1) यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन प्रभार्य या अधिरोपित किसी कर, शास्ति या ब्याज से बचने का किसी भी प्रकार से जानबूझकर प्रयत्न करेगा, तो वह, इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपित किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित के द्वारा दण्डनीय होगा,—	40
	(i) ऐसे मामले में जहां चोरी की जाने वाली राशि एक लाख रुपये से अधिक है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, किन्तु	45

जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुमाना पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, परंतु पांच लाख रुपये तक हो सकेगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन मास के कठोर कारावास से, किन्तु तीन वर्ष तक का हो सकेगा तथा कम से कम पच्चीस हजार रुपये से, किन्तु तीन लाख रुपये तक का जुमाना लगाया जा सकेगा।

5

(2) यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय से बचने का किसी भी प्रकार से जानबूझकर प्रयत्न करेगा, तो वह इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपित किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और न्यायालय के विवेकानुसार जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

10

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस संहिता के अधीन प्रभार्य या अधिरोपित किसी कर, शास्ति या ब्याज या उसके भुगतान से बचने के जानबूझकर किए गए प्रयास में ऐसा मामला सम्मिलित होगा, जिसमें कोई व्यक्ति-

15

(क) उसके कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज हों, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित कोई मिथ्या प्रविष्टि या कथन अंतर्विष्ट है;

(ख) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में कोई मिथ्या प्रविष्टि या विवरण करेगा या कराएगा;

20

(ग) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में किसी प्रासंगिक प्रविष्टि या कथन को जानबूझकर छोड़ देता है या छोड़वा देता है; या

(घ) कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न करेगा, जिससे ऐसा व्यक्ति इस संहिता के अधीन प्रभार्य या अधिरोपित किसी कर, शास्ति या ब्याज, या उसके भुगतान से बच सकेगा।

242 (1) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कर आधारों की विवरणी नियत समय पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो-

25

(क) धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन, या धारा 146 के अधीन दी गई सूचना के प्रत्युत्तर में; या

(ख) धारा 159 के अधीन दी गई सूचना के प्रत्युत्तर में, वह दण्डनीय होगा-

30

(i) ऐसे मामले में जहां कर की वह रकम, जो चूक का पता न लगने की स्थिति में, एक लाख रुपए से अधिक होती है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुमाने से, जो एक सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान चूक जारी रहती है;

35

(ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुमाने से, जो पचास रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है।

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जाएगी यदि वह निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत करने में असफल रहता है: कर आधारों की वापसी का नियत समय—

40

(क) धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन, या धारा 146 के अधीन दी गई सूचना के प्रत्युत्तर में, यदि विवरणी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत की जाती है जिसमें विवरणी देय है;

(ख) धारा 159 के अधीन दिए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में, यदि रिटर्न उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व दाखिल किया जाता है; या

45

(ग) अग्रिम कर, या स्रोत पर संग्रहित या कटौती किए गए कर को घटाकर निर्धारण या पुनर्निर्धारण पर निर्धारित कर आधारों पर व्यक्ति द्वारा देय कर पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है।

कर आधारों का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता।

प्रस्तुत करने में
विफलता
बयान, रिपोर्ट आदि

243. यदि कोई व्यक्ति धारा 150 की उपधारा (2) के अधीन उस पर तामील की गई किसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व ऐसे लेखाओं और दस्तावेजों को, जो उस सूचना में निर्दिष्ट हैं, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने में जानबूझकर असफल रहेगा, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान चूक जारी रहती है, पचास रुपए से कम या सौ रुपए से अधिक नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

5

इस संहिता के
अंतर्गत निर्देशों का
पालन करने में
विफलता।

244. यदि कोई व्यक्ति धारा 151 की उपधारा (1) के अधीन उसे जारी किए गए निदेश का पालन करने में जानबूझकर असफल रहता है, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान चूक जारी रहती है, पचास रुपए से कम या सौ रुपए से अधिक नहीं होगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

10

सत्यापन
में झूठा बयान.

245. (1) यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई कथन करता है, या कोई लेखा या कथन देता है जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह या तो जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह,— (i) ऐसे मामले में जहां कर की वह रकम जो यदि कथन या लेखा को सत्य मान लिया

15

जाता तो चोरी हो जाती, एक लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन मास के कठोर कारावास से, किन्तु तीन वर्ष तक का हो सकेगा तथा कम से कम पच्चीस हजार रूपये से, किन्तु तीन लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

20

पुस्तकों का मिथ्याकरण

खाता या
दस्तावेज़.

246. (1) यदि कोई व्यक्ति (जिसे इसमें प्रथम व्यक्ति कहा गया है) जानबूझकर और किसी अन्य व्यक्ति (जिसे इसमें द्वितीय व्यक्ति कहा गया है) को इस संहिता के अधीन प्रभार्य और अधिरोपित किसी कर या ब्याज या शास्ति से बचने में सक्षम बनाने के आशय से, इस संहिता के अधीन प्रथम व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही से सुसंगत या उपयोगी किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेज में कोई प्रविष्टि या कथन करेगा या कराएगा जो मिथ्या है और जिसके बारे में प्रथम व्यक्ति या तो जानता है कि वह मिथ्या है या उसे विश्वास नहीं है कि वह सत्य है, तो प्रथम व्यक्ति कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

25

30

(2) इस धारा के अधीन आरोप स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं होगा कि दूसरे व्यक्ति ने वास्तव में इस संहिता के अधीन प्रभार्य या अधिरोपित किसी कर, शास्ति या ब्याज की चोरी की है।

35

झूठे रिटर्न के लिए
उकसाना।

247. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कर योग्य किसी कर आधार से संबंधित ऐसा लेखा या कथन या घोषणा करने और देने के लिए दुरूपेणित या उत्प्रेरित करता है, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो जानता है कि वह मिथ्या है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, या वह धारा 241 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध करता है, तो वह निम्नलिखित के लिए दण्डनीय होगा,—

(i) ऐसे मामले में जहां कर, जुर्माना या ब्याज की राशि जो कि घोषणा, लेखा या कथन को सत्य मान लेने पर अपवंचित हो जाती, या जिसे जानबूझ कर अपवंचित करने का प्रयास किया जाता है, एक लाख रुपए से अधिक है, वहां कठोर कारावास की सजा, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने की सजा, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी, किंतु जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी;

40

45

(ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन मास के कठोर कारावास से, किन्तु तीन वर्ष तक का हो सकेगा तथा कम से कम पच्चीस हजार रूपये से, किन्तु तीन लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

248. (1) जहां इस संहिता के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कंपनी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

कम्पनियों द्वारा
अपराध,
वगैरह।

5 (2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

10 (3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस संहिता के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

15 (4) जहां इस संहिता के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी है, किया गया है और ऐसे अपराध के लिए दंड कारावास और जुर्माना है, वहां उपधारा (1) या उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कंपनी जुर्माने से दंडित की जाएगी और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

20 (5) इस धारा में-

(क) "कंपनी" से तात्पर्य निगमित निकाय से है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) एक अनिगमित निकाय; (ii) एक हिंदू

अविभाजित परिवार;

(ख) "निदेशक", निम्नलिखित के संबंध में-

25 (i) असंबद्ध निकाय से तात्पर्य उस निकाय में भागीदार से है; (ii) हिंदू अविभाजित परिवार से तात्पर्य परिवार का वयस्क सदस्य से है; और (iii) कंपनी से तात्पर्य पूर्णकालिक निदेशक से है, या जहां ऐसा कोई निदेशक नहीं है, वहां कोई अन्य निदेशक या प्रबंधक या अधिकारी से है, जो कंपनी के कार्यों का प्रभारी है।

30 249. (1) आयकर प्राधिकारी की अभिरक्षा में अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों की प्रविष्टियां इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन के लिए किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएंगी।

अभिलेखों या
दस्तावेजों में
प्रविष्टियों का
प्रमाण।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रविष्टियाँ निम्नलिखित प्रस्तुत करके साबित की जा सकेंगी-

35 (क) आयकर प्राधिकारी की अभिरक्षा में अभिलेख या अन्य दस्तावेज (जिसमें ऐसी प्रविष्टियां हों); या

(ख) उस प्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रविष्टियों की प्रतिलिपि, जो उसकी अभिरक्षा में रखे गए अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में निहित मूल प्रविष्टियों की सत्य प्रतिलिपि हो।

40 250. (1) जहां धारा 135 के अधीन की गई किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में कोई सामग्री पाई गई है और ऐसी सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या धारा 247 में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति और व्यक्ति के विरुद्ध इस संहिता के अधीन किसी अपराध के लिए साक्ष्य में प्रस्तुत की जाती है, वहां धारा 311 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी सामग्री के संबंध में लागू होंगे।

कुछ मामलों में
परिसंपत्तियों और लेखा
पुस्तकों के संबंध में
उपधारण।

(2) जहां किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण से हिरासत में ली गई कोई सामग्री धारा 136 के अधीन अधिग्रहण अधिकारी को दी जाती है और ऐसी सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में प्रस्तुत की जाती है और

	धारा 247 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किए जाने पर, धारा 311 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी सामग्री के संबंध में लागू होंगे।		
दोषपूर्ण मानसिक स्थिति के बारे में अनुमान	251. (1) इस संहिता के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की ओर से दोषपूर्ण मानसिक स्थिति अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी।	5	
	(2) इस धारा में-		
	(क) "दोषपूर्ण मानसिक स्थिति" में किसी तथ्य का इरादा, मकसद या ज्ञान या किसी तथ्य पर विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है;		
	(ख) कोई तथ्य तभी सिद्ध हुआ कहा जाता है जब न्यायालय को विश्वास हो कि वह उचित संदेह से परे विद्यमान है, न कि केवल तब जब उसका अस्तित्व संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित हो जाता है।	10	
अभियोजन मुख्य आयुक्त या आयुक्त के निर्देश पर किया जाएगा।	252. (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 236 से 247 (दोनों धाराएं सम्मिलित) के अधीन अपराध के लिए, यथास्थिति, आयुक्त या आयुक्त (अपील) की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यवाही नहीं की जाएगी।	15	
	(2) मुख्य आयुक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयुक्त प्राधिकारियों को ऐसे अनुदेश या निर्देश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह इस धारा के अधीन कार्यवाही संस्थित करने के लिए ठीक समझे।		
	(3) मुख्य आयुक्त, कार्यवाही संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात (न्यायालय की अनुमति से) इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का शमन, उन परिस्थितियों के अधीन और उतनी रकम के लिए कर सकेगा, जो विहित की जाए।	20	
	(4) इस संहिता के अधीन आदेश, अनुदेश या निदेश जारी करने की बोर्ड की शक्ति में इस धारा के अधीन अपराधों के उचित शमन के लिए (जिसमें एक या अधिक आयुक्त निरीक्षकों द्वारा शिकायत दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने का प्राधिकार भी शामिल है) अन्य आयुक्त प्राधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निदेश (जिसके अंतर्गत इसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुदेश या निदेश भी शामिल हैं) जारी करने की शक्ति भी शामिल होगी।	25	
	(5) जिस अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दंड दिया जा चुका है, उसका शमन नहीं किया जाएगा।		
	(6) जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही की गई है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा निरीक्षक से भिन्न किसी आयुक्त प्राधिकारी के समक्ष दिया गया कोई कथन या लेखा या अन्य दस्तावेज, ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में केवल इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगा कि ऐसा कथन या ऐसा लेखा या अन्य दस्तावेज इस विश्वास के साथ दिया गया था कि जिस अपराध के संबंध में ऐसी कार्यवाही की गई थी, उसका शमन किया जा सकेगा।	30	
दूसरी और तीसरी बार के लिए सजा बाद के अपराध.	253. यदि कोई व्यक्ति धारा 240, 241, 242, 243, 245, 246 और 247 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, और उसे पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।	35	
अपराधों का असंज्ञेय होना	254. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस संहिता के अर्थ में असंज्ञेय समझा जाएगा।	40	1974 का 2.
जानकारी के प्रकटीकरण जनता द्वारा नौकर.	255. (1) यदि कोई लोक सेवक धारा 142 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई सूचना देगा या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।	45	
	(2) इस धारा के अधीन कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात ही दी जा सकेगी।		

अध्याय XIV

अग्रिम निर्णय और विवाद समाधान

256. नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आवेदक या अपीलकर्ता उक्त सारणी के स्तंभ (3) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विषयों पर, जैसा भी मामला हो, विनिर्णय या विवाद का समाधान चाह सकता है:

निर्णय और
विवाद समाधान
का दायरा।

5

मेज़

क्रम संख्या	आवेदक/अपीलार्थी	निर्णय और विवाद समाधान का दायरा
(1)	(2)	(3)
10	1. अनिवासी.	आवेदक द्वारा किए गए या किए जाने का प्रस्ताव वाले किसी लेन-देन के संबंध में निर्धारण, और ऐसे निर्धारण में आवेदन में विनिर्दिष्ट विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण सम्मिलित होगा।
15	2. निवासी.	किसी अनिवासी के कर दायित्व के संबंध में निर्धारण, जो किसी ऐसे लेन-देन से उत्पन्न होता है, जो आवेदक द्वारा ऐसे अनिवासी के साथ किया गया है, या किया जाना प्रस्तावित है, और ऐसे निर्धारण में आवेदन में विनिर्दिष्ट किसी विधि या तथ्य के प्रश्न का निर्धारण शामिल होगा।
20	3. केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित निवासियों का कोई भी वर्ग।	कर आधारों की गणना से संबंधित किसी मुद्दे के संबंध में निर्धारण, जो किसी आयकर प्राधिकरण या अपील न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, और ऐसे निर्धारण में आवेदन में विनिर्दिष्ट कर आधारों की ऐसी गणना से संबंधित विधि या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण शामिल होगा।
25	4. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या आयुक्त	कंपनी के कर आधार की गणना से संबंधित किसी भी विवाद का समाधान या इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य मुद्दे का समाधान -
30		(i) आयुक्त (अपील) का अपील, जुर्माना या सुधार आदेश;
35		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में आयुक्त का संशोधन, जुर्माना या सुधार आदेश।
40	5. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी।	कर आधार की गणना से संबंधित किसी विवाद का समाधान या विवाद निपटान प्राधिकरण के निर्देश के अनुसरण में पारित मूल्यांकन अधिकारी के आदेश से उत्पन्न होने वाला कोई अन्य मुद्दा।
		समाधान पैनल, या ऐसे आदेश के संबंध में कोई सुधार आदेश।

45

257. (1) केन्द्रीय सरकार अग्रिम विनिर्णय तथा विवाद समाधान प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा जाएगा) का गठन अग्रिम विनिर्णय तथा विवादों के समाधान के प्रयोजनार्थ करेगी।

अग्रिम निर्णय एवं
विवाद समाधान
प्राधिकरण।

- (2) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में उपाध्यक्ष होंगे, विधिक सदस्य और राजस्व सदस्य, जिन्हें केन्द्र सरकार नियुक्त करेगी।
- (3) कोई व्यक्ति निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा-
- (क) अध्यक्ष, जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो; (ख) उपाध्यक्ष, जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो; (ग) राजस्व सदस्य, जब तक कि वह भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी न हो और मुख्य आयुक्त न हो;
- (घ) विधिक सदस्य, जब तक कि वह भारतीय विधिक सेवा का अधिकारी न हो और भारत सरकार का अपर सचिव न हो।
- (4) सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें और निबंधन वे होंगे, जो विहित किए जाएं।
- (5) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो इस संहिता के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों के दक्षतापूर्ण प्रयोग के लिए आवश्यक हों।
- (6) प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों का निर्वहन उसकी पीठों द्वारा किया जा सकेगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित किया जाएगा।
- (7) न्यायपीठ में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा एक विधिक सदस्य और एक राजस्व सदस्य शामिल होंगे।
- (8) प्राधिकरण की प्रधान पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित होगी और प्राधिकरण की अन्य पीठें ऐसे स्थानों पर स्थित होंगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे।
- (9) प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही या विवाद के समाधान के लिए अपील पर अग्रिम विनिर्णय या आदेश या निर्देश की घोषणा, केवल इस आधार पर प्रश्रगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है।
- अग्रिम निर्णय की प्रक्रिया. 258. (1) कोई आवेदक इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय चाहने के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसमें वह प्रश्न बताया जाएगा जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है।
- (2) आवेदन ऐसे प्ररूप और तरीके से किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।
- (3) आवेदक आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आवेदन वापस ले सकता है।
- (4) आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकरण उसकी एक प्रति अग्रेषित कराएगा। आयुक्त को सूचित करना तथा यदि आवश्यक हो तो उनसे प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहना।
- (5) प्राधिकरण आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।
- (6) उपधारा (5) के अधीन कोई आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसी अस्वीकृति के कारण आदेश में दिए जाएंगे।
- (7) प्राधिकरण उस स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं करेगा, जब आवेदन में उठाया गया प्रश्न-
- (क) मामला पहले से ही किसी आयकर प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है;
- (ख) किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण शामिल है; (ग) किसी ऐसे लेन-देन या मुद्दे से संबंधित है जो प्रथम दृष्टया आयकर से बचने के लिए बनाया गया है।

(8) उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 256 के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग में आने वाले किसी व्यक्ति की दशा में, प्राधिकरण आवेदन को स्वीकृत कर सकेगा, भले ही उसमें उठाया गया प्रश्न किसी आयकर प्राधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष लंबित हो।

5 (9) उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक और आयुक्त को भेजी जाएगी।

(10) प्राधिकरण, ऐसे मामले में जहां आवेदन उपधारा (5) के अधीन स्वीकृत किया गया है, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अपना अग्रिम विनिर्णय, ऐसी अतिरिक्त सामग्री की जांच करने के पश्चात् सुनाएगा, जो आवेदक या आयुक्त द्वारा उसके समक्ष रखी जाए या प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जाए।

10

(11) प्राधिकरण अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने से पूर्व आवेदक या आयुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(12) प्राधिकरण छह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाएगा।
आवेदन प्राप्ति के 12 महीने बाद।

15

(13) प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की एक प्रति, सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा ऐसी रीति से प्रमाणित, जैसी कि विहित की जाए, ऐसे विनिर्णय के पश्चात यथाशीघ्र आवेदक तथा आयुक्त को भेजी जाएगी।

259. कोई भी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा जिसके संबंध में धारा 256 के तहत अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग में आने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया है।

20

आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कुछ मामलों में कार्यवाही न करना।

260. (1) धारा 258 के अधीन प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकारी होगा-

अग्रिम न्यायिक निर्णय की प्रयोज्यता।

(क) उस आवेदक पर जिसके मामले में अग्रिम निर्णय सुनाया गया है;

(ख) उस लेन-देन के संबंध में जिसके संबंध में अग्रिम निर्णय दिया गया है।
उच्चारित; और

25

(ग) आवेदक और उक्त लेन-देन के संबंध में आयुक्त तथा उसके अधीनस्थ आयकर प्राधिकारियों पर।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय बाध्यकारी नहीं होगा, यदि कानून या तथ्य में परिवर्तन, जिसके आधार पर अग्रिम निर्णय सुनाया गया है।

30

261. (1) प्राधिकरण, आदेश द्वारा, किसी अग्रिम निर्णय को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित कर सकता है यदि वह पाता है कि निर्णय आवेदक द्वारा धोखाधड़ी या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण द्वारा प्राप्त किया गया है।

कुछ परिस्थितियों में अग्रिम निर्णय शून्य हो जाएगा।

(2) निर्णय को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित करने पर, इस संहिता के सभी उपबंध (एसे अग्रिम निर्णय की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और इस उपधारा के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को छोड़कर) आवेदक पर इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा अग्रिम निर्णय कभी किया ही नहीं गया था।

35

रुख.

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी और आयुक्त.

262. (1) अपीलकर्ता क्रम संख्या 262 में निर्दिष्ट आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

40

किसी विवाद का समाधान चाहने के लिए धारा 256 में दी गई तालिका की संख्या 4 और 5 का प्रयोग किया जा सकता है।

विवाद समाधान की प्रक्रिया.

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर की जाएगी, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, अपीलकर्ता को संसूचित किया गया हो।

45

(3) प्रतिवादी को यह सूचना मिलने पर कि आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, आयुक्त (अपील) को दूसरे पक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया है,

नोटिस प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भी भाग के विरुद्ध प्रति आपत्तियों का ज्ञापन दाखिल करना।

(4) प्रति आपत्तियों के ज्ञापन का निपटारा प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई अपील हो।

(5) प्राधिकरण अपील या प्रति आपत्तियों के ज्ञापन को स्वीकार कर सकता है, इसके पश्चात् 5
उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, यदि—

(क) वह इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उक्त समयावधि में अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था; तथा

(ख) अपील दायर करने में विलंब एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं है।

(6) अपील या प्रति आपत्तियों का ज्ञापन ऐसे प्ररूप में होगा और 10
निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा।

(7) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा अपील के साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी, जो विहित की जाए।

(8) प्राधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

15

(9) प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति दोनों पक्षों को भेजी जाएगी।

(10) इस धारा के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक अपील की प्राधिकरण द्वारा यथासंभव शीघ्र सुनवाई की जाएगी तथा उसका निपटारा किया जाएगा तथा
ऐसी अपील का निपटारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा जिसमें अपील प्रस्तुत की गई है।

20

(11) किसी अपील के मामले में प्राधिकरण का आदेश या निर्देश अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

का
प्राधिकरण द्वारा स्थगन
की मांग।

263. (1) कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी धारा 256 के अधीन उसके द्वारा की गई अपील से संबंधित मांग पर स्थगन के लिए प्राधिकरण को
आवेदन कर सकेगी और ऐसे आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।

25

(2) प्राधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने तथा मामले के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् स्थगन आवेदन पर ऐसे
आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(3) प्राधिकरण उपधारा (2) के अधीन स्थगन आदेश पारित करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए स्थगन आदेश
पारित कर सकेगा और प्राधिकरण उस आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

30

(4) प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा रोक की अवधि बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात रोक की
अवधि बढ़ा सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के निपटान में विलंब कंपनी के कारण नहीं हुआ है।

35

(5) उपधारा (2) के अधीन मूलतः स्वीकृत अवधि और उपधारा (4) के अधीन विस्तारित अवधि या अवधियों का कुल योग, किसी भी दशा में,
उपधारा (2) के अधीन स्थगन आदेश पारित करने की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगा।

(6) प्राधिकरण उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात स्थगन अवधि या उपधारा (4) के अधीन बढ़ाई गई अवधि या अवधियों के दौरान अपील का
निपटारा करेगा, भले ही अपील के निपटारे में विलम्ब कम्पनी के कारण न हुआ हो और जहां प्राधिकरण ऐसा करने में असफल रहता है, वहां स्थगन आदेश 40
निरस्त हो जाएगा।

गलती सुधारने की
शक्ति.

264. (1) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या पब्लिक सेक्टर कंपनी या आयुक्त या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में गलती लाए जाने पर, अभिलेख पर
स्पष्ट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, धारा 258 या धारा 262 के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा।

45

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश, उस तारीख से, जिसको संशोधित किया जाना अपेक्षित आदेश दिया गया था, चार वर्ष की अवधि के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगा जिसका प्रभाव मूल्यांकन बढ़ाने या प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की देयता को बढ़ाने का हो, उक्त कंपनी को सुनवाई का अवसर दिए बिना।

5

1908 का 5.
1974 का 2.

265. (1) प्राधिकरण को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जैसा कि इस संहिता की धारा 134 में निर्दिष्ट हैं। प्राधिकरण की शक्तियां।

10 (2) प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा, किन्तु उक्त संहिता के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं।

1860 का 45.

(3) प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत तथा उक्त संहिता की धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

15 266. प्राधिकरण को, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संहिता के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। प्राधिकरण की प्रक्रिया।

267. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

इस
अध्याय में व्याख्याएँ।

20 (क) "अग्रिम निर्णय" से तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा उठाए गए प्रश्न पर दिए गए निर्णय से है।
धारा 256 के अंतर्गत निर्दिष्ट दायरे में धारा 258 के अंतर्गत आवेदक;

(ख) "अपीलकर्ता" से तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या आयुक्त से है जो धारा 262 की उपधारा (1) के अधीन अपील करता है;

(ग) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 258 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है;

25 (घ) "आवेदन" से धारा 258 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ई) "प्राधिकरण" से धारा 257 के तहत गठित अग्रिम विनिर्णय और विवाद समाधान प्राधिकरण अभिप्रेत है;

30 (च) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है; (छ) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य
अभिप्रेत है तथा इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हैं;

(ज) "उपाध्यक्ष" से प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय 16

मामलों का निपटारा

35 268. (1) केन्द्रीय सरकार एक आयोग का गठन करेगी जिसे आय-आयोग कहा जाएगा-
इस अध्याय के अंतर्गत मामलों के निपटारे के लिए कर निपटान आयोग का गठन किया जाएगा। आयकर निपटान
आयोग।

(2) निपटान आयोग में एक अध्यक्ष और उतने उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार उचित समझे और यह आयोग केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा।

40 (3) समझौता आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय राजस्व सेवा के उन अधिकारियों में से की जाएगी, जिन्होंने आयुक्त या उससे ऊपर के पद पर कम से कम पांच वर्ष सहित कम से कम अट्ठाईस वर्ष तक सेवा की हो।

45 269. (1) समझौता आयोग के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसके न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा।

निपटान आयोग का
क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां।

(2) न्यायपीठ की अध्यक्षता, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा इसमें दो अन्य सदस्य शामिल होंगे।

(3) कोई न्यायपीठ केवल दो सदस्यों के साथ कार्य कर सकेगी, यदि-

(क) तीसरा सदस्य अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में या न्यायपीठ के किसी सदस्य के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट न्यायपीठ की अध्यक्षता दो सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाएगी, यदि ऐसे सदस्यों में से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट न्यायपीठ का पीठासीन अधिकारी किसी मामले या मामले को ऐसी न्यायपीठ को अंतरित करने के लिए अध्यक्ष को संदर्भित कर सकेगा, जिसे अध्यक्ष ठीक समझे, यदि ऐसे किसी मामले या मामले की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर पीठासीन अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि मामला या मामला ऐसी प्रकृति का है कि इसकी सुनवाई तीन सदस्यों वाली न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए।

(6) वह न्यायपीठ, जिसका अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी है, प्रधान न्यायपीठ होगी तथा अन्य न्यायपीठों को अतिरिक्त न्यायपीठ कहा जाएगा।

(7) अध्यक्ष, एक न्यायपीठ में नियुक्त उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को, यथास्थिति, किसी अन्य न्यायपीठ के उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा।

(8) अध्यक्ष किसी विशेष मामले के निपटान के लिए तीन से अधिक सदस्यों वाली एक विशेष पीठ का गठन कर सकेगा।

(9) प्रधान न्यायपीठ और अतिरिक्त न्यायपीठें सामान्यतः ऐसे स्थानों पर बैठेंगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(10) विशेष न्यायपीठ अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान पर बैठेगी।

उपाध्यक्ष,
अध्यक्ष के रूप में कार्य
करेंगे।

270. उपाध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, उपाध्यक्षों में से ऐसा एक व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा -

(क) उस तारीख तक, जिसको इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है, यदि अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाती है; या

(ख) उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष अपना कार्यभार संभालता है, यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो।
कारण।

मामलों को एक
पीठ से दूसरी पीठ को
स्थानांतरित करने की
अध्यक्ष की शक्ति।

271. (1) अध्यक्ष, करदाता या मुख्य आयुक्त या आयुक्त के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटान के लिए दूसरी न्यायपीठ को स्थानांतरित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन मामला अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् स्थानांतरित किया जाएगा।

निर्णय बहुमत से होगा।

272. (1) यदि किसी न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद हो तो उस मुद्दे का निर्णय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, यदि बहुमत हो।

(2) यदि किसी न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद हो और वे बराबर बंटे हुए हों, तो वे उस मुद्दे को बताएंगे जिस पर उनमें मतभेद है और अध्यक्ष को संदर्भ देंगे।

(3) अध्यक्ष, उपधारा (2) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर,-

(क) या तो स्वयं मुद्दे पर सुनवाई करेगा, या (ख) मामले को अन्य

एक या अधिक सदस्यों के समक्ष सुनवाई के लिए भेजेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुद्दे का निर्णय मामले की सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिनमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने मामले की प्रथम सुनवाई की थी।

273. (1) कोई करदाता, उससे संबंधित किसी मामले के किसी भी चरण में, मामले का निपटारा करने के लिए निपटान आयोग को ऐसे प्ररूप और तरीके से आवेदन कर सकेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

निपटान के लिए आवेदन
मामले.

5

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी करदाता द्वारा किया गया आवेदन निम्नलिखित होगा-

(क) अपनी आय या संपत्ति का पूर्ण और सच्चा खुलासा, जिसे मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है;

(ख) वह तरीका जिससे ऐसी आय या संपत्ति अर्जित की गई है; (ग) ऐसी आय या संपत्ति पर देय आयकर या

10

संपत्ति कर की अतिरिक्त राशि का ब्यौरा तथा ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण; और

(घ) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायें।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि-

(क) करदाता ने उन कर आधारों का रिटर्न प्रस्तुत कर दिया है जिनकी उसे आवश्यकता है या थी।

15

इस संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत प्रस्तुत करना; और

(ख) आवेदन में प्रकटित आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि निम्नलिखित से अधिक है,—

(i) पचास लाख रुपए उस मामले में जहां धारा 135 या धारा 136 के तहत कार्रवाई के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही शुरू की गई है, जैसा भी मामला हो;

20

(ii) किसी अन्य मामले में दस लाख रुपए; और

(ग) ब्याज सहित देय आयकर या संपत्ति कर की अतिरिक्त राशि आवेदन करने की तारीख को या उससे पहले चुका दी गई है और ऐसे भुगतान का सबूत आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

25

(4) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।

(5) करदाता को उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा किया गया आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

30

(6) करदाता, जिस तारीख को वह उपधारा (1) के अधीन निपटान आयोग को आवेदन करेगा, वह कर निर्धारण अधिकारी को भी ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाए, यह सूचित करेगा कि उसने निपटान आयोग को ऐसा आवेदन किया है।

274. धारा 273 की उपधारा (2) के खंड (सी) में निर्दिष्ट आवेदन में प्रकट की गई आय या धन के संबंध में देय कर की अतिरिक्त राशि की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, अर्थात: -

आयकर की
अतिरिक्त राशि.

35

(क) उस स्थिति में जहां आवेदन में प्रकट की गई आय या संपत्ति केवल एक वित्तीय वर्ष से संबंधित हो और -

(i) आवेदक ने उस वर्ष के कर आधारों का विवरण प्रस्तुत किया है—

(ए) लौटाई गई कुल आय और आवेदन में बताई गई आय की राशियों को एकत्रित किया जाएगा;

40

(बी) कर की गणना इस प्रकार प्राप्त समग्र आय पर की जाएगी मानो वह समग्र आय ही कुल आय हो;

(सी) इस प्रकार गणना की गई कर की राशि में से कर की राशि घटा दी जाएगी उस वित्तीय वर्ष के लिए लौटाई गई कुल आय पर गणना किए गए कर का;

(डी) इस प्रकार निर्धारित कर की शेष राशि अतिरिक्त होगी

आवेदन में प्रकट की गई आय के संबंध में देय कर की राशि; (ii) यदि आवेदक ने उस वित्तीय वर्ष की कुल आय के संबंध में रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, तो कर की गणना आवेदन में प्रकट की गई आय पर की जाएगी; (ख) उस स्थिति में जहां आवेदन में प्रकट की गई आय एक से अधिक वित्तीय वर्षों से संबंधित है, — (i) प्रत्येक वित्तीय

वर्ष के लिए प्रकट की गई आय के संबंध में देय आयकर की अतिरिक्त राशि की गणना पहले खंड (क) के तहत प्रदान की गई तरीके से की जाएगी ;

(ii) प्रत्येक के लिए गणना की गई आयकर की अतिरिक्त राशि

वित्तीय वर्षों के सभी विवरण एकत्रित किए जाएंगे;

(iii) इस प्रकार संगणित अतिरिक्त आयकर की कुल राशि आवेदन में प्रकटित आय के संबंध में देय कर की अतिरिक्त राशि होगी; (ग) ऐसे मामले में जहां आवेदन में प्रकटित धन निम्नलिखित से संबंधित है, -

(i) एक वित्तीय वर्ष में देय कर की अतिरिक्त राशि की गणना खंड (क) में दिए गए तरीके से की जाएगी; और (ii) एक से अधिक वित्तीय वर्षों में देय कर की अतिरिक्त राशि की गणना खंड (ख) में दिए गए तरीके से की जाएगी ।

आवेदन की स्वीकृति.

275. (1) समझौता आयोग धारा 273 के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर आवेदक को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाएगी कि उसके द्वारा किए गए आवेदन पर आगे बढ़ने की अनुमति क्यों दी जाए।

(2) निपटान आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से बीस दिनों की अवधि के भीतर आवेदक की सुनवाई के बाद लिखित आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर देगा या आगे बढ़ने की अनुमति देगा।

(3) धारा 273 के अधीन प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही की अनुमति दे दी गई मानी जाएगी, यदि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(4) समझौता आयोग किसी आवेदन के संबंध में, जिसे उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है, आवेदन किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा।

(5) आयुक्त, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपधारा (4) के अन्तर्गत निपटान आयोग से संसूचना की प्राप्ति।

(6) समझौता आयोग, आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर, तथा रिपोर्ट की प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा, प्रश्रुत आवेदन को अवैध घोषित कर सकेगा।

(7) समझौता आयोग, उपधारा (6) के अधीन आदेश पारित करने से पहले, - (क) आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार करेगा, यदि वह उपधारा (5) में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की जाती है; (ख) मामले की प्रकृति और परिस्थितियों या जटिलता को ध्यान में रखेगा

उसमें शामिल जांच की जानकारी; और

(ग) आवेदक और आयुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(8) निपटान आयोग उप-धारा (2) के तहत आदेश की एक प्रति भेजेगा और (6) आवेदक और आयुक्त को।

मामले में आगे की जांच की जाएगी।

276. (1) यदि आवेदन को अवैध घोषित नहीं किया गया है तो निपटान आयोग, धारा 275 की उपधारा (6) के अधीन अवैध पाए जाने पर आयुक्त से अभिलेख मंगाए जाएंगे।

(2) यदि आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच करने पर या उसके द्वारा किए गए आवेदन पर समझौता आयोग की राय है कि आगे कोई जांच या

मामले में जांच आवश्यक है, तो वह आयुक्त को निर्देश दे सकता है कि -

(क) ऐसी अतिरिक्त जांच या अन्वेषण करेगा या कराएगा; और (ख) आवेदन में शामिल विषयों और मामले से संबंधित किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5 (3) आयुक्त उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट समझौता आयोग से संसूचना प्राप्त होने की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि आयुक्त उपधारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो निपटान आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

10 277. (1) समझौता आयोग, धारा 275 की उपधारा (6) के अधीन आवेदन को अवैध घोषित नहीं किए जाने के पश्चात, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर आदेश के और मामले से संबंधित किन्हीं अन्य मामलों पर, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं आते हैं, किन्तु धारा 275 की उपधारा (5) या धारा 276 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त की रिपोर्ट में संदर्भित हैं, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार लिखित में ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह ठीक समझे। समझौता

15

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश में निम्नलिखित प्रावधान होगा-

(क) कर, जुर्माना या ब्याज के रूप में किसी भी मांग सहित निपटान की शर्तों के लिए, जिस तरीके से निपटान के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान किया जाएगा और निपटान को प्रभावी बनाने के लिए अन्य सभी मामले; और (ख) कि समझौता शून्य हो जाएगा यदि निपटान द्वारा बाद में यह पाया जाता है

20

आयोग को बताया गया कि यह धोखाधड़ी या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया है।

(3) निपटान आयोग, उपधारा (1) के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित करने से पहले, -

25

(क) आयुक्त से मांगे गए अभिलेखों की जांच करना; (ख) आयुक्त की रिपोर्ट से उत्पन्न सभी मुद्दों की जांच करना;

धारा 275 की उपधारा (5) या धारा 276 की उपधारा (3) के अधीन;

(ग) आवेदक और आयुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करना, या तो व्यक्तिगत रूप से या इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से; तथा

30

(घ) ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की जांच करना जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए या उसके द्वारा प्राप्त किया जाए।

(4) निपटान आयोग उपधारा (1) के अधीन आदेश उस माह के अंत से अठारह माह की अवधि के भीतर पारित करेगा जिसमें आवेदन किया गया था।

35

(2) निपटान आयोग, करदाता के आवेदन पर, आयकर या संपत्ति कर की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है या किस्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है, यदि करदाता ऐसे भुगतान के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करता है।

40

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो करदाता उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से उस तारीख तक, जिसको राशि का भुगतान किया जाता है, बकाया राशि पर पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही निपटान आयोग ने ऐसे कर के भुगतान के लिए समय बढ़ा दिया हो या किस्तों में भुगतान की अनुमति दी हो।

(4) मूल्यांकन अधिकारी, अध्याय XI के प्रावधानों के अनुसार,-

45

(क) उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि की वसूली कर सकेगा।

धारा 277, उपधारा (3) के अधीन उस पर देय ब्याज सहित; तथा

(ख) ऐसी राशि का भुगतान करने में चूक के लिए कोई जुर्माना लगा सकेगा और वसूल सकेगा।

279 (1) समझौता आयोग, अपने समक्ष किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, आदेश द्वारा, आवेदक की किसी संपत्ति को पांचवीं अनुसूची में उपबंधित तरीके से अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा यदि उसकी राय में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

50

(2) निपटान आयोग द्वारा की गई प्रत्येक अनंतिम कुर्की

आदेश के समझौता

निपटान पर कर का भुगतान.

किसकी सत्ता समझौता आयोग अनंतिम कुर्की का आदेश देगा

रक्षा करना आय

उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश प्रभावी नहीं रहेंगे।

(3) समझौता आयोग, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उप-धारा (2) के तहत निर्दिष्ट अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकता है, जैसा वह ठीक समझे, बशर्ते कि विस्तार की कुल अवधि किसी भी मामले में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5

(4) यदि धारा 297 के अधीन की गई अनंतिम कुर्की धारा 273 के अधीन आवेदन किए जाने के ठीक पूर्व लंबित है, तो ऐसा आदेश इस धारा के अधीन उस अवधि तक प्रभावी रहेगा, जिस अवधि तक धारा 297 के अधीन किया गया आदेश जारी रहता, यदि ऐसा आवेदन नहीं किया गया होता।

कर निर्धारण
अधिकारी के समक्ष
कार्यवाही
का पुनः प्रवर्तन।

280. (1) धारा 277 की उपधारा (1) के अधीन समझौता आयोग द्वारा पारित आदेश शून्य हो जाएगा यदि बाद में समझौता आयोग को यह पता चलता है कि यह आदेश धोखाधड़ी या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया है।

10

(2) यदि आदेश शून्य हो जाता है, तो - (क) निपटान

द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही उस चरण से पुनर्जीवित मानी जाएगी जिस पर आवेदन को निपटान आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था; और

15

(ख) मूल्यांकन अधिकारी ऐसी कार्यवाही उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से इक्कीस माह की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय पूरी कर सकेगा जिसमें आदेश शून्य हो जाता है।

प्रवेश के बाद
निपटान आयोग
की शक्तियां।

281. (1) निपटान आयोग के पास वे सभी शक्तियां होंगी जो इस संहिता के अधीन आयकर प्राधिकरण में निहित हैं।

20

(2) निपटान आयोग, धारा 273 के तहत आवेदन किए जाने के बाद-

(क) और जब तक आयुक्त द्वारा धारा 276 की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट नहीं दी जाती है या उक्त धारा के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय समाप्त नहीं हो जाता है, जो भी बाद में हो, तब तक कर निर्धारण अधिकारी के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार होगा; और

25

(ख) उसके बाद जब तक धारा 277 की उपधारा (1) के अधीन निपटान आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक मामले के संबंध में इस संहिता के अधीन किसी आयकर प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कृत्यों का पालन करने का अनन्य अधिकारिता होगी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी और निपटान आयोग द्वारा इसके विपरीत किसी स्पष्ट निर्देश के अभाव में, इस धारा में निहित कोई बात इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जिसमें आवेदक को निपटान आयोग के समक्ष मामलों के संबंध में स्व-मूल्यांकन के आधार पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

30

(4) निपटान आयोग द्वारा इसके विपरीत किसी स्पष्ट निर्देश के अभाव में, इस अध्याय की कोई भी बात इस संहिता के प्रावधानों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वे निपटान आयोग के समक्ष मामलों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित हैं।

35

(5) समझौता आयोग को, इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कार्यों के निर्वहन से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया और अपनी पीठों की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी, जिनमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां पीठें अपनी बैठकें आयोजित करेंगी।

40

निरीक्षण एवं रिपोर्ट
प्रस्तुत करना।

282. (1) कोई भी व्यक्ति किसी आयकर प्राधिकरण द्वारा निपटान आयोग को दी गई किसी रिपोर्ट का निरीक्षण करने या उसकी प्रतियां प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा; किन्तु निपटान आयोग अपने विवेकानुसार, इस संबंध में उसे आवेदन करने पर तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसकी प्रतियां प्रदान कर सकता है।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका मामला विचाराधीन है, किसी ऐसी रिपोर्ट में उसके विरुद्ध अभिलेख पर लाए गए किसी साक्ष्य का खंडन करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन के लिए, समझौता आयोग, इस संबंध में किए गए आवेदन पर, तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, ऐसे व्यक्ति को, इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक किसी ऐसी रिपोर्ट या उसके भाग की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करेगा।

45

किसकी सत्ता
समझौता
आयोग
प्रतिरक्षा प्रदान
करना।

283. (1) समझौता आयोग, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह लगाना ठीक समझे, धारा 273 के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति को, समझौते के अंतर्गत आने वाले मामले के संबंध में, निम्नलिखित से उन्मुक्त प्रदान कर सकेगा-

50

1961 का 43.
1957 का 27.

(क) इस संहिता के अधीन या आयकर अधिनियम, 1961 या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करना, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान थे; या

1961 का 43. 1957 5
का 27.

(ख) इस संहिता के अधीन या आयकर अधिनियम, 1961 या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन, जैसा कि वे इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पहले थे, समझौता आयोग द्वारा धारा 273 के अधीन आवेदन प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् संस्थित किया गया।

(2) निपटान आयोग उपधारा (1) के अंतर्गत उन्मुक्ति तभी प्रदान करेगा जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि व्यक्ति ने-

10

(क) निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही में उसके साथ सहयोग किया;
और

(ख) निपटान के लिए आवेदन में अपनी आय का पूर्ण और सही विवरण दिया है, तथा यह भी बताया है कि ऐसी आय किस प्रकार अर्जित की गई है।

15

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति-

(क) निपटान आयोग द्वारा अनुमत समय के भीतर धारा 277 की उपधारा (1) के तहत पारित आदेश में निर्दिष्ट किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ख) किसी अन्य शर्त का पालन करने में विफल रहता है जिसके अधीन प्रतिरक्षा प्रदान की गई थी; या

20

(ग) निपटान कार्यवाही के दौरान, निपटान से संबंधित कोई विशेष सामग्री छिपाई हो या झूठी गवाही दी हो।

(4) वह व्यक्ति, जिसके मामले में उपधारा (4) के अधीन उन्मुक्ति वापस ले ली जाती है,—

(क) पर मुकदमा चलाया जा सकता है-

25

(i) उस अपराध के लिए जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी; (ii) किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए वह समझौते के संबंध में दोषी प्रतीत होता है;

(ख) इस संहिता के अधीन किसी भी दंड के अधिरोपण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके लिए वह उत्तरदायी होता, यदि उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई होती।

30

284. (1) निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही उस तारीख को समाप्त हो जाएगी, जिस दिन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट, यदि—

निपटान आयोग के समक्ष
कार्यवाही का
उपशमन।

(क) धारा 273 के अधीन किया गया आवेदन,—

(i) धारा 275 की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी गई है या उसे अस्वीकृत कर दिया गया है; या

35

(ii) धारा 275 की उपधारा (6) के अधीन अवैध घोषित कर दिया गया है; या (ख) धारा 277 की उपधारा (1) के अधीन आदेश धारा 277 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पारित नहीं किया गया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख होगी-

(क) उक्त उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के संबंध में, वह दिन जिस दिन आवेदन अस्वीकृत किया गया था;

40

(ख) उक्त उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के संबंध में, अंतिम दिन वह माह जिसमें आवेदन को अवैध घोषित किया गया था; तथा

(ग) खंड (ख) के संबंध में, उस तारीख को, जिसको धारा 277 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समयावधि समाप्त होती है।

(3) यदि निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो जाती है, तो मूल्यांकन अधिकारी, या, जैसा भी मामला हो, कोई अन्य आयकर प्राधिकारी जिसके समक्ष आवेदन करने के समय कार्यवाही लंबित थी, इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार मामले का निपटान करेगा, जैसे कि धारा 273 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था।

(4) उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए, मूल्यांकन अधिकारी या, जैसा भी मामला हो, अन्य आयकर प्राधिकरण, निपटान आयोग के समक्ष मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी सामग्री और अन्य जानकारी या निपटान आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही के दौरान आयोजित जांच के परिणामों या दर्ज किए गए साक्ष्य का उपयोग करने का हकदार होगा, जैसे कि ऐसी सामग्री, जानकारी, जांच और साक्ष्य मूल्यांकन अधिकारी या अन्य आयकर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे या उसके समक्ष कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा आयोजित या दर्ज किए गए थे।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 273 के अधीन निपटान आयोग को आवेदन की तारीख से प्रारंभ होकर उपधारा (2) में निर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को सुधार या आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए धारा 161 और 163 में तथा ब्याज के भुगतान के प्रयोजनों के लिए धारा 216 के अधीन निर्दिष्ट समय-सीमाओं से बाहर रखा जाएगा।

कर में छूट के मामले में भुगतान किए गए कर का क्रेडिट कार्यवाही।

285. ऐसे मामले में जहां निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही धारा 284 की उपधारा (1) के तहत समाप्त हो जाती है, मूल्यांकन अधिकारी भुगतान किए गए कर और ब्याज के लिए क्रेडिट की अनुमति देगा, -

(क) धारा 273 के अंतर्गत आवेदन करने की तारीख को या उससे पहले; या (ख) निपटान आयोग के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान।

निपटान आदेश के अंतर्गत देय राशि की वसूली।

286. धारा 277 की उपधारा (1) के अधीन पारित निपटान आदेश में विनिर्दिष्ट कोई राशि, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, वसूल की जा सकेगी और ऐसी राशि का भुगतान करने में चूक के लिए कोई जुर्माना, धारा 273 के अधीन निपटान के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अध्याय XIII के उपबंधों के अनुसार लगाया और वसूल किया जा सकेगा।

निपटान का आदेश निर्णायक होगा।

287. धारा 277 की उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक निपटान आदेश उसमें कथित विषयों के संबंध में निर्णायक होगा और ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाला कोई भी विषय इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही में पुनः नहीं खोला जाएगा।

आगामी आवेदन पर रोक।

288. (1) कोई व्यक्ति किसी अन्य मामले के संबंध में धारा 273 के तहत आवेदन करने का हकदार नहीं होगा यदि- (क) धारा 277 की उपधारा (1) के तहत पारित आदेश धारा 230 के तहत उस व्यक्ति पर जुर्माना

लगाने का प्रावधान करता है; या (ख) ऐसे व्यक्ति को उस संबंध में इस संहिता के तहत किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है

मामला।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति निम्नलिखित कार्य करने का हकदार होगा- धारा 273 के अधीन आवेदन केवल एक बार निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) जहां धारा 135 के अधीन तलाशी और जब्ती की गई है, या व्यक्ति के मामले में धारा 136 के अधीन अधिग्रहण के अनुसरण में सामग्री प्राप्त की गई है; या

(ख) जहां किसी अन्य व्यक्ति के मामले में अधिग्रहण के अनुसरण में जब्त या प्राप्त की गई किसी सामग्री का धारा 273 के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति के कर आधारों के निर्धारण पर असर पड़ता है।

कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी।

289. निपटान आयोग के समक्ष इस अध्याय के तहत कोई कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर और भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही होगी।

290. (1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

इस अध्याय में व्याख्याएँ।

(क) "पीठ" का अर्थ है निपटान आयोग की पीठ; (ख) "मामला" का अर्थ है किसी वित्तीय

वर्ष या वर्षों के संबंध में किसी व्यक्ति के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए इस संहिता के तहत कोई कार्यवाही जो मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष उस तारीख को लंबित हो सकती है जिस दिन धारा 273 की उपधारा (1) के तहत आवेदन किया जाता है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है, -

(i) धारा 191 या धारा 192 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में नया कर निर्धारण करने की कार्यवाही;

(ii) मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही जिसके दौरान अध्याय-XV के तहत अभियोजन कार्यवाही शुरू की गई है; (ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है निपटान आयोग का अध्यक्ष; (घ) "सदस्य"

का अर्थ है निपटान आयोग का सदस्य, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

(ई) "निपटान आयोग" से तात्पर्य धारा 268 के तहत गठित आयकर निपटान आयोग से है;

(च) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य निपटान आयोग के उपाध्यक्ष से है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, -

(क) अभियोजन उस तारीख से आरंभ माना जाएगा जिस तारीख को किसी व्यक्ति को अभियोजन संस्थित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

(ख) धारा 192 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में नया कर निर्धारण करना उस तारीख से प्रारंभ माना जाएगा, जिसको धारा 192 के अधीन कर निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाला आदेश पारित किया गया था।

भाग जी

सामान्य

अध्याय XVIII

291. (1) केन्द्रीय सरकार किसी अन्य देश की सरकार के साथ समझौता कर सकेगी-

विदेशी देशों या निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ समझौता।

(क) निम्नलिखित के संबंध में राहत प्रदान करने के लिए-

(i) ऐसी आय या संपत्ति जिस पर आयकर या संपत्ति कर, जैसा भी मामला हो, इस संहिता के तहत और उस देश में लागू तत्स्थानी कानून के तहत दोनों का भुगतान किया गया है; या

(ii) इस संहिता के तहत और उस देश में पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लागू तत्संबंधी कानून के तहत प्रभार्य आयकर या संपत्ति कर;

(ख) इस संहिता के तहत और उस देश में लागू तत्संबंधी कानून के तहत आय या संपत्ति के दोहरे कराधान से बचने के लिए;

(ग) इस संहिता के अधीन या उस देश में लागू समतुल्य कानून के अधीन प्रभार्य आयकर या संपत्ति कर की चोरी या परिहार की रोकथाम के लिए सूचना का आदान-प्रदान करना, या ऐसी चोरी या परिहार के मामलों की जांच करना;

(घ) इस संहिता के अधीन तथा उस देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आयकर या धन-कर की वसूली के लिए; या

(ई) इस संहिता के किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत नहीं आता है उपरोक्त खंड (ए) से (डी) या उस देश में लागू संगत कानून।

- (2) केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य की सरकार के साथ समझौता कर सकेगी,
उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो
उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट करारों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।
- (4) भारत में कोई विनिर्दिष्ट संघ उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संघ के साथ करार कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो ऐसे करार को अपनाने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों। 5
- (5) कोई व्यक्ति तब तक समझौते के प्रावधानों के तहत राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह दूसरे देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में निवासी होने का प्रमाण पत्र उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के कर प्राधिकरण से ऐसे प्रारूप में प्राप्त नहीं कर लेता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। 10
- (6) इस संहिता के उपबंधों को विदेशी कंपनी के विरुद्ध केवल इस आधार पर भेदभावपूर्ण नहीं माना जाएगा कि विदेशी कंपनी के कर भुगतान के दायित्व की गणना घरेलू कंपनी के दायित्व की गणना की दर से उच्चतर दर पर की जाती है। 15
- (7) इस संहिता में या उपधारा (1), (2) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किया गया कोई शब्द, जब तक कि संदर्भ से अन्वया अपेक्षित न हो और इस संहिता या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ रखेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दिया गया है। 20
- (8) जहां केन्द्रीय सरकार ने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई करार किया है या विनिर्दिष्ट संघ द्वारा उपधारा (4) के अधीन किया गया कोई करार स्वीकार किया है, वहां इस संहिता के उपबंध उस निर्धारित के संबंध में, जिस पर ऐसा करार लागू होता है, उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक वे उसके लिए अधिक लाभकारी हों। 25
- (9) उपधारा (8) में किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के निम्नलिखित से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे-
को-
- (क) धारा 123 के अंतर्गत सामान्य कर-परिहार नियम; (ख) धारा 111 के अंतर्गत शाखा लाभ कर का अधिरोपण; या (ग) बीसवीं अनुसूची में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी नियंत्रण नियम, 30
- उपधारा (8) में निर्दिष्ट करदाता पर लागू होंगे, चाहे ऐसे उपबंध उसके लिए लाभकारी हों या नहीं।
- स्थायी खाता संख्या. 292. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी शर्तों और अपेक्षाओं को पूरा करता है, जो विहित की जाएं, स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करेगा और ऐसे व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या आबंटित की जाएगी। 35
- (2) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन कर सकेगा और उसे स्थायी खाता संख्या आबंटित की जाएगी।
- (3) स्थायी खाता संख्या, निर्धारित किए गए लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित की जा सकती है, चाहे उसके द्वारा आवेदन किया गया हो या नहीं। 40
- (4) कोई व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या आबंटित की गई है, वह ऐसे लेन-देनों या दस्तावेजों में संख्या का उल्लेख करेगा, जैसा कि विहित किया जा सकता है।
- (5) स्थायी खाता संख्या के संबंध में, बोर्ड निर्धारित करेगा-
- (क) वह प्रारूप और तरीका जिसमें स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन किया जा सकेगा तथा वे विवरण जो आवेदन में दिए जाएंगे; 45

(ख) आयकर प्राधिकारी, या कोई अन्य व्यक्ति जो आवेदन प्राप्त करने या स्थायी खाता संख्या आबंटित करने के लिए प्राधिकृत होगा;

(ग) लेन-देन की वे श्रेणियाँ जिनके संबंध में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उन लेन-देनों से संबंधित दस्तावेजों में स्थायी खाता संख्या उद्धृत की जाएगी;

5

(घ) दस्तावेजों की श्रेणियाँ जिनमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्थायी खाता संख्या उद्धृत की जाएगी;

(ई) व्यक्तियों का वह वर्ग या वर्ग जिन पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे;

10

(च) वह प्रारूप और तरीका जिससे वह व्यक्ति, जिसे स्थायी खाता संख्या आबंटित नहीं की गई है, लेन-देनों और दस्तावेजों की श्रेणियों के संबंध में अपनी घोषणा करेगा;

(छ) वह तरीका जिससे स्थायी खाता संख्या को पुनः उद्धृत किया जाएगा-
खंड (ग) में निर्दिष्ट लेनदेन की श्रेणियों के संबंध में; तथा

15

(ज) उससे संबंधित कोई अन्य मामला।

293. (1) स्रोत पर कर काटने या स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति कर खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करेगा और ऐसे व्यक्ति को कर खाता संख्या आबंटित की जाएगी।

कर खाता संख्या.

20

(2) कोई व्यक्ति जिसे कर खाता संख्या आबंटित की गई है, वह उस संख्या को ऐसे लेन-देनों या दस्तावेजों में उद्धृत करेगा, जैसा कि विहित किया जा सकता है।

294. (1) कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई ऋण या जमा राशि, खाता आदाता चेक या बैंक ड्राफ्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं करेगा या उसे वापस नहीं करेगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे ऋण या जमा की कुल राशि पचास हजार रुपए से अधिक है।

का तरीका
कुछ ऋणों या जमाओं की
स्वीकृति या पुनर्भुगतान।

25

(2) इस धारा के प्रावधान निम्नलिखित से लिए गए या स्वीकार किए गए किसी ऋण या जमा पर लागू नहीं होंगे -

(क) सरकार; (ख) कोई बैंकिंग

कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक; (ग) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम; (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कंपनी;

1956 का 1.

30

(ङ) ऐसी अन्य संस्था, संगम या निकाय, अथवा संस्थाओं, संगमों या निकायों का वर्ग, जिसे केन्द्रीय सरकार, कारणों को लेखबद्ध करके, अधिसूचित करे;

(च) कोई भी व्यक्ति जिसकी केवल कृषि आय हो।

35

(3) इस धारा में,—

(क) "ऋण या जमा" से धन का ऋण या जमा अभिप्रेत है; (ख) पुनर्भुगतान के संबंध में "ऋण या जमा" से अभिप्रेत है-

(i) किसी अवधि या नोटिस के बाद चुकाए जाने वाले किसी ऋण या जमा राशि; और (ii) कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, किसी भी प्रकार का ऋण या जमा शामिल है;

40

(ग) पुनर्भुगतान के मामले में, "ऋण या जमा की कुल राशि" से तात्पर्य किसी भी एक वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाया गया ब्याज सहित ऋण या जमा।

वार्षिक जानकारी प्रस्तुत करने का दायित्व

वापस करना।

295. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार का अभिलेख रखने वाली लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को पंजीकृत करने या बनाए रखने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार के संबंध में वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति-

5

(क) करदाता; (ख) सरकारी

कार्यालय की स्थिति में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति; (ग) स्थानीय प्राधिकरण या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ; (घ) पंजीयन

अधिनियम, 1955 की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार।

अधिनियम, 1908;

10

1908 का 1.

(ई) अध्याय के तहत मोटर वाहनों को पंजीकृत करने के लिए सशक्त पंजीकरण प्राधिकारी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा IV;

1988 का 59.

(च) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के खंड (जे) में निर्दिष्ट पोस्ट मास्टर जनरल। डाकघर अधिनियम, 1898;

1898 का 6.

(छ) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1955 की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलेक्टर

15

1894 का 1.

अधिनियम, 1894;

(एच) अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956;

1956 का 42.

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी, जो भारतीय संविधान की धारा 3 के तहत गठित है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; या

20

1934 का 2.

(जे) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट डिपोजिटरी।

1996 का 22.

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरणी ऐसे आयकर प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी को ऐसे प्ररूप और तरीके से (जिसके अंतर्गत फ्लॉपी, डिस्कट, चुंबकीय कार्ट्रिज टेप, सीडी-रोम या कोई कंप्यूटर पठनीय मीडिया भी है) और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

25

(4) इस धारा में, "विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन" से तात्पर्य है-

(क) माल या संपत्ति या संपत्ति में अधिकार या हित की खरीद, बिक्री या विनिमय का लेनदेन;

(ख) किए गए निवेश या किए गए व्यय के माध्यम से किया गया लेन-देन; (ग) कोई ऋण या जमा लेने या स्वीकार करने के लिए

30

किया गया लेन-देन; या (घ) कोई अन्य लेन-देन, जैसा कि विहित किया जा सकता है।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (4) में निर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रत्येक संव्यवहार का कुल मूल्य विहित रकम से अधिक है।

35

(6) उपधारा (3) में निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी, यदि वह समझता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत वार्षिक सूचना विवरणी त्रुटिपूर्ण है, तो वह उस व्यक्ति को त्रुटि की सूचना दे सकेगा जिसने ऐसी विवरणी प्रस्तुत की है और उसे ऐसी सूचना की तामील से एक मास की अवधि के भीतर त्रुटि को सुधारने का अवसर दे सकेगा।

(7) उपधारा (3) में निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी वार्षिक सूचना विवरणी को अवैध मानेंगे यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट त्रुटि को अनुज्ञात समय के भीतर दूर नहीं किया जाता है, और इस संहिता के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा हो।

40

(8) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और उसने उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है, तो आयकर प्राधिकारी,

45

उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति पर नोटिस तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नोटिस तामील की तारीख से साठ दिन से अधिक की अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करे और ऐसा व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा।

5 296. (1) यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या उसके पूरा होने के पश्चात् अपनी किसी आस्तियों पर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भार सृजित करता है या अन्तरित करता है, तो उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में किसी आस्तियों पर ऐसा भार सृजित करना या अन्तरित करना, इस संहिता के अधीन उसके द्वारा देय किसी राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा।

कुछ स्थानान्तरण निरस्त किये जायेंगे।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट भार या अंतरण शून्य नहीं होगा, यदि वह-

10

(क) पर्याप्त प्रतिफल के लिए तथा ऐसी कार्यवाही के लंबित होने या व्यक्ति द्वारा देय किसी राशि की जानकारी के बिना;

(ख) कर निर्धारण अधिकारी की पूर्व अनुमति से।

(3) यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहां इस संहिता के अधीन देय कर या अन्य राशि, या देय होने की संभावना, पांच हजार रुपए से अधिक है और भारत या हस्तांतरित आस्तियों का मूल्य दस हजार रुपए से अधिक है।

15

(4) इस धारा में, "परिसंपत्ति" में कोई व्यावसायिक व्यापारिक परिसंपत्ति शामिल नहीं होगी।

297. (1) जहां किसी कर आधार के निर्धारण के लिए किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि राजस्व के हितों की रक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, पांचवीं अनुसूची में उपबंधित रीति से निर्धारित की किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।

20

कुछ मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए अनंतिम कुर्की।

(2) प्रत्येक ऐसा आदेश उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा।

(3) मुख्य आयुक्त या आयुक्त, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझे, परंतु विस्तार की कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

25

298. (1) इस संहिता के अधीन किसी सूचना, समन, अध्यक्षता, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् संसूचना कहा गया है) उसकी एक प्रति उसमें नामित व्यक्ति को परिदत्त या प्रेषित करके की जा सकेगी,—

30

सामान्यतः नोटिस की तामील.

(क) डाक द्वारा या बोर्ड द्वारा अनुमोदित कूरियर सेवा द्वारा; (ख) सिविल संहिता में समन की तामील के लिए उपबंधित

रीति से;

1908 का 5.

प्रक्रिया, 1908;

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अध्याय IV में दिए गए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में; या

35

21 का 2000.

(घ) दस्तावेजों के प्रेषण के किसी अन्य माध्यम द्वारा, जिसमें फैक्स संदेश या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भी शामिल है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) बोर्ड ऐसे पतों के लिए नियम बना सकेगा जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश का पता भी है जिस पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट संसूचना उसमें नामित व्यक्ति को दी जा सकेगी या पारेषित की जा सकेगी।

40

(3) इस धारा में, "इलेक्ट्रॉनिक मेल" और "इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश" पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

2000 में से 21. 40

299. (1) इस संहिता के प्रयोजनों के लिए किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना, तामील किया जाना या दिया जाना अपेक्षित कोई नोटिस या अन्य दस्तावेज उस प्राधिकारी द्वारा हस्तलिखित रूप में अधिप्रमाणित किया जाएगा।

45

नोटिस और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण।

(2) किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जारी, तामील या दिया जाने वाला प्रत्येक नोटिस या अन्य दस्तावेज, अधिप्रमाणित समझा जाएगा, यदि उस पर अभिहित आयकर प्राधिकारी का नाम और कार्यालय मुद्रित, स्टाम्पित या अन्यथा लिखा हो।

(3) इस धारा में, नामित आयकर प्राधिकरण से तात्पर्य किसी आयकर प्राधिकरण से होगा जिसे बोर्ड द्वारा उपधारा (2) में दिए गए तरीके से प्रमाणीकरण के बाद ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने के लिए अधिकृत किया गया हो।

नोटिस कुछ परिस्थितियों में वैध माना जाएगा।

300. (1) कोई नोटिस, जो इस संहिता के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना अपेक्षित है, उस पर इस संहिता के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से तामील किया गया समझा जाएगा, यदि वह व्यक्ति कर निर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में उपस्थित हुआ है या किसी जांच में सहयोग किया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से रोका जाएगा। इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि नोटिस-

(क) उस पर तामील नहीं की गई;

(ख) उस पर समय पर तामील नहीं की गई; या (ग)

उस पर अनुचित तरीके से तामील की गई।

(3) यदि व्यक्ति ने आपत्ति उठाई है तो इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मूल्यांकन पूरा होने से पहले।

जब परिवार विघटित हो जाए या असंगठित निकाय विघटित हो जाए तो नोटिस की तामील।

301. (1) किसी हिंदू अविभाजित कुटुंब के कर आधारों के संबंध में इस संहिता के अधीन कोई नोटिस, उस दशा में, जहां किसी हिंदू अविभाजित कुटुंब के संबंध में धारा 169 के अधीन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण विभाजन का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है, उस व्यक्ति पर तामील किया जाएगा जो ऐसे कुटुंब का अंतिम प्रबंधक था।

(2) यदि हिन्दू अविभाजित परिवार के अंतिम प्रबंधक की मृत्यु हो गई हो तो नोटिस दिया जाएगा। यह नियम उन सभी वयस्कों पर लागू होगा जो विभाजन से ठीक पहले ऐसे परिवार के सदस्य थे।

(3) इस संहिता के अधीन, किसी अनिगमित निकाय के कर आधारों के संबंध में, जहां अनिगमित निकाय विघटित हो जाता है, नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकेगा जो विघटन से ठीक पहले भागीदार था (नाबालिग न हो)।

कुछ मामलों में करदाता के संबंध में सूचना का प्रकाशन।

302. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक या समीचीन है तो वह इस संहिता के अधीन निम्नलिखित के संबंध में किसी कार्यवाही या अभियोजन से संबंधित नाम और कोई अन्य विशिष्टियां किसी भी रीति से प्रकाशित करा सकेगी,—

(क) कोई भी करदाता;

(ख) किसी अनिगमित निकाय का कोई भागीदार; या (ग) किसी भी

निदेशक, प्रबंध एजेंट, सचिव, कोषाध्यक्ष या प्रबंधक कंपनी।

(2) इस धारा के अधीन इस संहिता के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील करने का समय समाप्त न हो जाए, बिना अपील किए या यदि अपील की गई हो तो उसका निपटारा किए बिना।

कुछ मामलों में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा उपस्थिति

303. (1) कोई भी करदाता, जो किसी भी परिसंपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है या अपेक्षित है, पंजीकृत मूल्यांकक के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

मायने रखता है।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां करदाता धारा 134 के अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अपेक्षित है।

अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति।

304. (1) कोई भी करदाता, जो इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आयकर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है या उससे यह अपेक्षित है, किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां करदाता धारा 134 के अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अपेक्षित है।

(3) इस धारा में, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे करदाता द्वारा उसकी ओर से उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है, जो -

5 (क) करदाता से किसी भी प्रकार से संबंधित व्यक्ति या करदाता द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति; (ख) अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी

जिसके साथ करदाता का चालू खाता है।
खाता या अन्य नियमित लेन-देन है;

10 (ग) कोई विधि व्यवसायी जो भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है; (घ) कोई लेखाकार; (ङ) कोई व्यक्ति

जिसने बोर्ड द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त कोई लेखाशास्त्र परीक्षा उत्तीर्ण की है; या

(च) कोई व्यक्ति जिसने ऐसी शैक्षिक योग्यताएं अर्जित कर ली हों, जो विहित की जाएं।

15 (4) निम्नलिखित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किसी करदाता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हित नहीं होंगे:—

(क) ऐसा व्यक्ति जिसे सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया हो; (ख) ऐसा विधि व्यवसायी या लेखाकार

जिसे उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा उसकी व्यावसायिक क्षमता में कदाचार का दोषी पाया गया हो;

20

(ग) कोई व्यक्ति, जो विधि व्यवसायी या लेखाकार न हो, जिसे किसी आयकर कार्यवाही के संबंध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जैसा कि विहित किया जाए, कदाचार का दोषी पाया जाता है।

25 (5) मुख्य आयुक्त लिखित आदेश द्वारा वह अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिस तक उपधारा (4) के अधीन निरर्हता, कदाचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जारी रहेगी और ऐसी निरर्हता छह वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(6) किसी व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसने कोई धोखाधड़ी की है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई है और उस व्यक्ति को मुख्य आयुक्त के आदेश द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

30 305. (1) इस संहिता के अनुसार संगणित कर आधारों की रकम सौ रूपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित की जाएगी।

कर आधार और कर का पूर्णांकन।

(2) इस संहिता के अंतर्गत करदाता द्वारा देय या प्राप्य कोई भी राशि पूर्णांकित की जाएगी।
दस रुपये के निकटतम गुणक में।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पूर्णांकन की विधि वह होगी, जो विहित की जाए।

35

306. प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में इस संहिता के अनुसरण में कोई कर काटता है, रखता है या भुगतान करता है, उसे उस कटौती, प्रतिधारण या भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति दी जाती है।

क्षतिपूर्ति।

307. (1) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को निम्नलिखित से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगी-

अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति।

(क) इस संहिता, भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन; तथा

(ख) इस संहिता के अंतर्गत कोई जुर्माना लगाया जाना।

(2) उपधारा (1) के अधीन उन्मुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, यदि— (क) व्यक्ति समस्त परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य खुलासा करता है

40 आय को छिपाने या आय पर कर के भुगतान से बचने से संबंधित;

(ख) उसकी राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है; और

(ग) राय के कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं।

(3) संबंधित व्यक्ति को दी गई और उसके द्वारा स्वीकार की गई उन्मुक्ति, उस सीमा तक जहां तक उन्मुक्ति विस्तारित होती है, उसे निम्नलिखित से उन्मुक्ति प्रदान करेगी-

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन जिसके संबंध में निविदा दी गई थी; या

5

(ख) इस संहिता के अंतर्गत कोई जुर्माना लगाया जाना।

(4) इस धारा के अधीन दी गई उन्मुक्ति वापस ली गई समझी जाएगी, यदि केन्द्रीय सरकार इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करती है कि जिस व्यक्ति को उन्मुक्ति दी गई है, उसने-

(क) जानबूझकर कोई विशेष जानकारी छिपाई है, जिसका प्रभाव उपधारा (2) के अधीन बनाई गई राय में परिवर्तन करने का हो;

10

(ख) कोई झूठी गवाही दी हो; या

(ग) जिन शर्तों पर निविदा दी गई थी, उनमें से किसी का भी अनुपालन नहीं किया गया।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी उन्मुक्ति उपधारा (4) के अधीन वापस ले ली गई है, उस अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति दी गई थी, या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए वह उसी मामले के संबंध में दोषी प्रतीत होता है और वह इस संहिता के अधीन किसी ऐसे दंड के अधिरोपण के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए वह अन्यथा उत्तरदायी होता।

15

अपराधों का संज्ञान।

308. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय नहीं

इस संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध का विचारण किसी भी वर्ग द्वारा नहीं किया जाएगा।

20

दंड प्रक्रिया संहिता,
1973 की धारा 360
और अपराधी परिवीक्षा
अधिनियम, 1958
लागू नहीं होंगे।

309. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में निहित कोई भी बात इस संहिता के तहत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जब तक कि वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम उम्र का न हो।

1974 का 2.
1958 का 20.

कर आधारों की विवरणी
कुछ आधारों पर अवैध
नहीं होगी।

310. इस संहिता के किसी उपबंध के अनुसरण में प्रस्तुत या बनाई गई या जारी की गई या ली गई या प्रस्तुत या बनाई गई या जारी की गई या ली गई मानी गई कर-आधार, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही की कोई विवरणी केवल इस कारण अमान्य नहीं होगी या अमान्य नहीं समझी जाएगी कि कर-आधार, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही की ऐसी विवरणी में कोई भूल, दोष या चूक है, यदि कर-आधार, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही की ऐसी विवरणी सार और प्रभाव में इस संहिता के आशय और उद्देश्य के अनुरूप या उसके अनुसार है।

25

30

पाई गई सामग्री के संबंध
में अनुमान।

311. (1) जहां धारा 135 के अधीन तलाशी या धारा 141 के अधीन सर्वेक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में कोई सामग्री पाई जाती है, वहां इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जा सकेगी कि—

(क) सामग्री उस व्यक्ति की है;

(ख) सामग्री की विषय-वस्तु, जो लेखा-बहियां और अन्य दस्तावेज हैं, सत्य हैं;

35

(ग) खाता-बही और अन्य दस्तावेजों के हस्ताक्षर और प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होने का दावा करते हैं, या जिनके बारे में युक्तिसंगत रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उस व्यक्ति के हस्तलेख में हैं; तथा

40

(घ) कोई दस्तावेज जो स्टांप्पित, निष्पादित या अनुप्रमाणित है, उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांप्पित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया है जिसके द्वारा उसे इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपधारणा उस मामले में भी लागू होगी, जहां कोई सामग्री धारा 136 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहणकर्ता अधिकारी को इस प्रकार परिदत्त की गई है मानो वह धारा 136 में निर्दिष्ट व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई हो।

5 312. (1) इस संहिता के अधीन की गई किसी कार्यवाही या दिए गए आदेश को अपास्त करने या उपान्तरित करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। सिविल न्यायालयों में मुकदमों पर रोक।

(2) इस संहिता के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

10 313. जहां केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या आयकर प्राधिकारी, जिसे इस संहिता के किसी उपबंध के अधीन किसी करदाता के संबंध में कोई अधिसूचना या आदेश जारी करने, या कोई अनुमोदन या पंजीकरण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहां उसके पास, कारणों को लेखबद्ध करके, ऐसी अधिसूचना, आदेश, अनुमोदन या पंजीकरण को रद्द करने की सभी शक्तियां होंगी, बशर्ते कि करदाता को प्रस्तावित रद्दीकरण के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दे दिया गया हो। निरस्त करने की शक्ति.

15

भाग एच

व्याख्याएं और विविध प्रावधान

अध्याय 19

व्याख्याएं और निर्माण

20 314. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

इस संहिता में व्याख्याएँ।

(1) "निरपेक्ष मूल्य" से उसके चिह्न की परवाह किए बिना संख्यात्मक मूल्य अभिप्रेत है;

1949 का 38.
1956 का 1.

(2) "लेखाकार" का तात्पर्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट से है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (2) के अंतर्गत कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार है ;

25 (3) आय, व्यय या देयता के संबंध में "प्रोद्भव", इसके व्याकरणिक सहित परिवर्तनों में आय, व्यय या देयता शामिल होगी जो उत्पन्न हुई है;

(4) लाभांश के संबंध में "संचित लाभ" से तात्पर्य है-

(क) कंपनी के तीन लगातार वित्तीय वर्षों के सभी लाभ, उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले जिसमें उसका उपक्रम अनिवार्य रूप से अर्जित किया गया है, उस स्थिति में जब कंपनी ऐसे अनिवार्य अधिग्रहण के परिणामस्वरूप परिसमापन में है -

30

(i) सरकार; या

(ii) सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई निगम वर्तमान में लागू कानून; और

35

(ख) किसी अन्य मामले में, लाभांश के वितरण या भुगतान की तारीख तक या परिसमापन की तारीख तक कंपनी के सभी लाभ;

(5) किसी कारोबारी पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में "वास्तविक लागत" धारा 44 के तहत गणना की गई लागत होगी;

(6) "अग्रिम कर" से धारा 205 के उपबंधों के अनुसार देय अग्रिम कर अभिप्रेत है;

40

(7) "अग्रिम विनिर्णय" का वही अर्थ होगा जो धारा 267 में दिया गया है;

(8) "समझौते" में किसी भी व्यवस्था या समझ या कार्रवाई शामिल है- प्रमाणित करें कि ऐसी व्यवस्था, समझौता या कार्रवाई है या नहीं,—

(क) लिखित रूप में;

45

(ख) औपचारिक; या

(ग) कानूनी कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय होने का इरादा है;

(9) "संयोजन करार" से तात्पर्य है-

(क) किसी फर्म के संबंध में साझेदारी विलेख; या (ख) किसी अन्य

अनिगमित निकाय के प्रतिभागियों के बीच मौखिक या लिखित करार; (10) "गैर-प्रतिस्पर्धा के लिए करार" से अभिप्राय निम्नलिखित के लिए

5

करार है-

(क) किसी व्यवसाय के संबंध में कोई गतिविधि नहीं करना; या (ख) किसी भी तरह की साझेदारी नहीं करना-

(i) तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज़ी या समान प्रकृति का कोई अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार; या

10

(ii) सूचना या तकनीक जो वस्तुओं के व्यापार, विनिर्माण या प्रसंस्करण या सेवाओं के प्रावधान में सहायक हो सकती है;

(11) "कृषि आय" से निम्नलिखित आय अभिप्रेत है, अर्थात्:—

(क) कृषि भूमि की खेती से प्राप्त कोई लाभ या मुनाफा; (ख) किसी कृषि भूमि से प्राप्त कोई किराया; (ग)

किसी फार्म हाउस से प्राप्त कोई किराया; और (घ) किसी नर्सरी में उगाए

15

गए पौधों या पौध से प्राप्त कोई आय; (12) "कृषि भूमि" से भारत में

स्थित कोई भूमि अभिप्रेत है जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है और-

(क) भारत में भूमि राजस्व पर मूल्यांकित है; या (ख) अधिकारियों

20

द्वारा मूल्यांकित और संग्रहित स्थानीय दर के अधीन है।

सरकार जैसे;

(13) "एकीकृत कंपनी" से तात्पर्य है-

(क) वह कंपनी जिसके साथ सामेलक कंपनी या कंपनियां विलय करती हैं;

या

25

(ख) दो या अधिक सामेलित कंपनियों के विलय के परिणामस्वरूप गठित कंपनी; (14) "सामेलित कंपनी" से तात्पर्य है-

(क) कोई कंपनी जो किसी अन्य कंपनी के साथ विलय कर लेती है; या (ख) कोई कंपनी जो किसी

अन्य कंपनी के साथ विलय कर लेती है तथा एक नई कंपनी बना लेती है;

30

(15) "सामेलित सहकारी समिति" से तात्पर्य है-

(क) कोई सहकारी समिति जो किसी अन्य सहकारी समिति में विलीन हो जाती है; या (ख) प्रत्येक

सहकारी समिति जो विलीन होकर एक नई सहकारी समिति बनाती है;

(16) "सामेलन" निम्नलिखित के संबंध में-

35

(क) कंपनी का अर्थ है एक सामेलित कंपनी या कंपनियों का एक सामेलित कंपनी के साथ विलय, यदि -

(i) विलय से ठीक पहले एकीकृत कंपनी की सभी परिसंपत्तियां और देयताएं (समापन पर बिक्री या वितरण द्वारा एकीकृत कंपनी को हस्तांतरित परिसंपत्तियों के अलावा) एकीकृत कंपनी की परिसंपत्तियां और देयताएं बन जाती हैं;

40

(ii) समामेलित कंपनी में शेयरों के मूल्य के अनुसार पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक (विलय से ठीक पहले समामेलित कंपनी या उसके नामिती या उसकी सहायक कंपनी द्वारा पहले से ही धारित शेयरों को छोड़कर), समामेलित कंपनी के शेयरधारक बन जाते हैं; तथा

5

(iii) विलय की योजना प्रावधानों के अनुरूप है

1956 का 1.

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 133 के अधीन; और

(ख) सहकारी से तात्पर्य समामेलित सहकारी का समामेलित सहकारी में विलय से है, यदि-

10

(i) विलय से ठीक पहले एकीकृत सहकारी समिति की सभी परिसंपत्तियां और देयताएं (समापन पर बिक्री या वितरण द्वारा एकीकृत सहकारी समिति को हस्तांतरित परिसंपत्तियों को छोड़कर) एकीकृत सहकारी समिति की परिसंपत्तियां और देयताएं बन जाती हैं;

15

(ii) समामेलित सहकारी समिति में पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार रखने वाले सदस्य समामेलित सहकारी समिति के सदस्य बन जाते हैं; तथा

20

(iii) समामेलित सहकारी समिति में पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य के शेयर रखने वाले शेयरधारक (विलय से ठीक पहले समामेलित सहकारी समिति या उसके नामिती या उसकी सहायक कंपनी द्वारा धारित शेयरों को छोड़कर) समामेलित सहकारी समिति के शेयरधारक बन जाते हैं; या

(ग) किसी अनिगमित निकाय या स्वामित्व वाली संस्था से किसी समामेलित अनिगमित निकाय या स्वामित्व वाली संस्था का किसी समामेलित कंपनी के साथ उत्तराधिकार अभिप्रेत है, यदि—

25

(i) उत्तराधिकार से ठीक पहले व्यवसाय से संबंधित ऐसे निकाय या प्रतिष्ठान की सभी परिसंपत्तियां और देयताएं एकीकृत कंपनी की परिसंपत्तियां और देयताएं बन जाती हैं;

30

(ii) निकाय के प्रतिभागियों या संस्था के स्वामी को एकीकृत कंपनी में शेयरों के आवंटन के अलावा, किसी भी रूप या तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं होता है;

35

(iii) निकाय के प्रतिभागियों या प्रतिष्ठान के स्वामी की सम्मिलित कंपनी में कुल शेयरधारिता, उत्तराधिकार पर, कंपनी में शेयरों के कुल मूल्य के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी; तथा

40

(17) "अपील न्यायाधिकरण" से धारा 182 के अधीन गठित अपील न्यायाधिकरण अभिप्रेत है;

(18) "अनुमोदित निधि" से तात्पर्य है-

(क) उन्नीसवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या ग्रेच्युटी निधि;

45

(ख) पेंशन निधि, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार एवं निर्धारित योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

(ग) कोई अन्य निधि, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार एवं निर्धारित योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(19) "संदर्भ मूल्य" का वही अर्थ होगा जो धारा 124 में दिया गया है;

(20) "करदाता" से प्रत्येक व्यक्ति अभिप्रेत है-

(क) जिसे अपने कर आधारों या किसी अन्य व्यक्ति के कर आधारों का रिटर्न दाखिल करना अपेक्षित है, जिसके संबंध में ऐसा व्यक्ति प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए कर निर्धारण योग्य है;

5

(ख) जो अपने कर आधारों का रिटर्न दाखिल करता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे अन्यथा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है;

(ग) जिसे इस अधिनियम के तहत कोई सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है कोड;

(घ) जिसके संबंध में इस संहिता के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है;

10

(ई) जिसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कर या कोई अन्य धनराशि देय है कोड;

(च) जिसे, या किसी अन्य व्यक्ति को जिसके संबंध में ऐसा व्यक्ति कर निर्धारणीय, इस संहिता के तहत वापसी की कोई भी राशि देय है;

15

(छ) जो इस संहिता के किसी उपबंध के अधीन करदाता समझा जाता है; या

(ज) जो इस अधिनियम की किसी धारा के अंतर्गत चूककर्ता करदाता माना जाता है। कोड;

(21) "चूककर्ता करदाता" से तात्पर्य है -

(क) ऐसा करदाता जो इस संहिता के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है और परिणामस्वरूप करदाता को उससे देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। केन्द्र सरकार; या

20

(ख) ऐसा करदाता जो किसी उपबंध के अधीन चूककर्ता करदाता समझा जाता है। इस संहिता का अधिनियम;

(22) "कर निर्धारण अधिकारी" से तात्पर्य आयकर अधिकारी, सहायक आयुक्त, सहायक निदेशक, उपायुक्त, उप निदेशक, संयुक्त आयुक्त से है। संयुक्त निदेशक, अपर आयुक्त या अपर निदेशक, जो धारा 130 या इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत जारी निर्देश या आदेश के आधार पर प्रासंगिक क्षेत्राधिकार से संपन्न है;

25

(23) "मूल्यांकन" में निम्नलिखित शामिल हैं-

30

(क) पुनर्मूल्यांकन;

(ख) किसी अपीलीय प्राधिकारी के निर्देशों को प्रभावी करने वाला कोई आदेश;

(ग) धारा 191 या धारा 192 के अधीन कोई आदेश; और

(घ) धारा 161 के अधीन उप-खण्ड (क) या उप-खण्ड (ख) या उप-खण्ड (ग) के संदर्भ में अभिलेख पर स्पष्ट किसी गलती को सुधारने वाला कोई आदेश ;

35

(24) "परिसंपत्ति" से तात्पर्य है-

(क) कोई व्यावसायिक परिसंपत्ति; या

(बी) एक निवेश परिसंपत्ति;

(25) "सहायक आयुक्त" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया हो। धारा 127 के अंतर्गत आयकर आयुक्त;

40

(26) "सहायक निदेशक" से तात्पर्य धारा 127 के अधीन आयकर का सहायक निदेशक नियुक्त किए गए व्यक्ति से है;

(27) "संबद्ध उद्यम" का वही अर्थ होगा जो धारा 124 में "संबद्ध उद्यम" को दिया गया है;

5 (28) "संबद्ध उद्यम" का वही अर्थ होगा जो धारा 124 में है; (29) "संबद्ध संक्रिया" का वही अर्थ होगा जो धारा 124 में है; (30) "संबद्ध व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 124 में है; (31) "पिछड़े वर्ग" का तात्पर्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे वर्गों से है, जिन्हें समय-समय पर भारत के संविधान द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

10 केन्द्र सरकार या कोई राज्य सरकार;

(32) "बैंकिंग कंपनी" से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जिस पर बैंकिंग विनियमन लागू होता है।

1949 का 10.

अधिनियम, 1949 लागू होता है;

(33) "परिसंपत्तियों का समूह" से तात्पर्य व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्तियों के एक वर्ग के अंतर्गत आने वाली व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्तियों के समूह से है, जिसके लिए मूल्यहास का समान प्रतिशत निर्दिष्ट है;

15

(34) "बोर्ड" से तात्पर्य अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से है।

1963 का 54.

केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा विनियमित और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित;

(35) "पुस्तकें" या "खाता बही" में खाता बही, दैनिक बही, नकद बही शामिल हैं।

20

लेखा-बही, स्टॉक रजिस्टर और अन्य पुस्तकें, रखी गई-

(क) लिखित रूप में; (ख) डिस्क,

फ्लॉपी, टेप या किसी अन्य प्रकार के विद्युत-चुंबकीय डेटा भंडारण उपकरण में संग्रहीत डेटा के रूप में; या

(ग) उप-खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी प्ररूप में संग्रहीत आंकड़ों के प्रिंट आउट के रूप में ; (36) "खंडित अवधि आय" का अर्थ उस

25

तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए आय है, जिस तिथि को व्यक्ति द्वारा ऋण लिखत अर्जित किया जाता है या वित्तीय वर्ष की शुरुआत, जो भी बाद में हो, और उस तिथि को समाप्त होती है, जिस तिथि को प्रतिभूति बेची जाती है, और ऐसी रीति से गणना की जाती है, जैसी निर्धारित की जा सकती है;

30

(37) "व्यवसाय" में शामिल हैं -

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण; या उस प्रकृति का कोई साहसिक कार्य या व्यवसाय;

(ख) कोई पेशा या व्यवसाय;

(38) "कारोबारी परिसंपत्ति" से तात्पर्य है-

35

(क) व्यावसायिक व्यापारिक परिसंपत्ति; या (ख)

व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्ति; (39) "व्यावसायिक

पूंजी परिसंपत्ति" से तात्पर्य है-

(क) कारोबार के दौरान स्वयं उत्पन्न कोई पूंजीगत परिसंपत्ति; (ख) निम्न प्रकृति की कोई अमूर्त पूंजीगत

परिसंपत्ति-

40

(i) किसी व्यवसाय की सद्भावना, (ii)

व्यवसाय से संबद्ध ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम, (iii) किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन का

अधिकार, (iv) कोई व्यवसाय चलाने का अधिकार,

(v) करदाता द्वारा अधिगृहीत तथा उसके द्वारा अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर के संबंध में किरायेदारी का अधिकार, या

(vi) किसी व्यवसाय के संबंध में या उसके दौरान अर्जित लाइसेंस, अधिकार या परमिट (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो); (ग) भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के रूप में कोई मूर्त पूंजीगत परिसंपत्ति;

या

5

(घ) कोई अन्य पूंजीगत परिसंपत्ति जो भूमि न हो, जो करदाता के किसी व्यवसाय से जुड़ी हो या उसके प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती हो; (40) किसी अनिवासी के संबंध में "व्यावसायिक

संबंध" में स्थायी प्रतिष्ठान शामिल होगा;

10

(41) "कारोबार पुनर्गठन" से तात्पर्य दो या अधिक निवासियों के व्यवसाय के पुनर्गठन से है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) एकीकरण; (ख) सरकार द्वारा

स्वीकृत और लागू की गई योजना के अंतर्गत विलयन।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत केंद्र सरकार; या

1949 का 10. 15

(ग) विभाजन;

(42) "व्यावसायिक व्यापारिक परिसंपत्ति" से तात्पर्य व्यापार के प्रयोजनों के लिए रखे गए स्टॉक, उपभोग्य भंडार या कच्चे माल से है;

(43) "पूंजीगत परिसंपत्ति" से तात्पर्य व्यापारिक परिसंपत्ति के अलावा करदाता द्वारा धारित किसी भी प्रकार की संपत्ति से है;

20

(44) वास्तविक लागत के संबंध में "व्यवसाय में नियोजित पूंजी" का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी, डिबेंचर और दीर्घकालिक उधार का कुल योग—

(क) ऐसे मामले में जहां बाईसर्वी अनुसूची की सारणी के क्रम संख्या 7 में निर्दिष्ट विहित व्यय कारोबार के प्रारंभ होने से पूर्व उपगत किया गया हो, वहां उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को, जिसमें कंपनी का कारोबार प्रारंभ होता है;

25

(ख) किसी अन्य मामले में, उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को जिसमें कारोबार का विस्तार पूरा हो जाता है या नया कारोबार उत्पादन या संचालन शुरू करता है, जहां तक कि कारोबार के विस्तार या कंपनी के नए कारोबार की स्थापना के संबंध में ऐसी पूंजी, डिबेंचर और दीर्घकालिक उधार जारी या प्राप्त किए गए हैं; (45) "पूंजीगत लाभ" का अर्थ धारा 46 के तहत संगणित आय है; (46) इसकी एक इकाई के संबंध में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए "कार्बन क्रेडिट" का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या इसके समकक्ष गैसों के उत्सर्जन में एक टन की कमी होगी, जिसका कारोबार बाजार में उसके प्रचलित बाजार मूल्य पर किया

30

जा सकता है, जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क द्वारा मान्य किया गया है।

35

(47) "ताश का खेल और किसी भी प्रकार का अन्य खेल" में कोई भी गेम शो, टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मोड पर कोई मनोरंजन कार्यक्रम शामिल है, जिसमें लोग पुरस्कार जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं या कोई अन्य समान खेल;

(48) "मुख्य आयुक्त" से मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है। धारा 127 के अंतर्गत आयकर अधिकारी या आयकर महानिदेशक;

40

(49) किसी व्यक्ति के संबंध में "बच्चे" में उस व्यक्ति का सौतेला बच्चा और दत्तक बच्चा भी शामिल है;

(50) "निकट-धारित कंपनी" से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो व्यापक रूप से धारित कंपनी नहीं है। कंपनी;

45

(51) "शीत श्रृंखला सुविधा" से कृषि और वन उपज, मांस और मांस उत्पादों, मुर्गीपालन, समुद्री और डेयरी उत्पादों, बागवानी, पुष्पकृषि और मधुमक्खीपालन के उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के भंडारण या परिवहन के लिए वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित स्थितियों के तहत सुविधाओं की श्रृंखला अभिप्रेत है, जिसमें प्रशीतन और ऐसी उपज के संरक्षण के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं;

5

(52) "आयुक्त (अपील)" से धारा 127 के अधीन आयकर आयुक्त (अपील) नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(53) "आयुक्त" से भारत का आयुक्त नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है।
धारा 127 के अंतर्गत आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक;

10

(54) "कंपनी" से तात्पर्य है-

(क) कोई भारतीय कंपनी, (ख) किसी

देश के कानूनों द्वारा या उसके तहत निगमित कोई निगमित निकाय
भारत से बाहर, या

(ग) कोई भी व्यक्ति जो कर निर्धारण योग्य है या था या जिसका कंपनी के रूप में कर निर्धारण किया गया था
भारतीय आयकर अधिनियम, 1922, या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत;

1922 का 11. 1961
का 43. 15

(55) "सक्षम जांच प्राधिकारी" से तात्पर्य किसी भी आयकर प्राधिकारी से है जो
संयुक्त आयुक्त के निर्धारित पद से नीचे;

(56) "भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक" से तात्पर्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है।
संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त भारत के महालेखा परीक्षक;

20

(57) "कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर" से तात्पर्य है-

(क) किसी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया पर रिकॉर्ड किया गया कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम
या अन्य सूचना भंडारण उपकरण; या

(बी) कोई भी अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक डेटा या इसी तरह का कोई उत्पाद या सेवा
प्रकृति, जैसा कि बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

25

(58) "बीमा नियंत्रक" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (5बी) में दिया गया है;

1938 का 4.

(59) "परिवर्तित संपत्ति" से तात्पर्य है-

(क) किसी संपत्ति को, जो किसी व्यक्ति की पृथक संपत्ति थी, उस व्यक्ति द्वारा ऐसी पृथक संपत्ति को परिवार की
संपत्ति का स्वरूप प्रदान करने या उसे परिवार के सामान्य स्टॉक में डालने के कार्य के माध्यम से हिंदू अविभाजित परिवार
की संपत्ति में परिवर्तित कर दिया गया है; या

30

(ख) कोई संपत्ति जो व्यक्ति द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई हो।

(60) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में दिया गया

35

है ;

1949 का 10.

(61) "सहकारी क्षेत्र की कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर
पूंजी पूरे वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक सहकारी समितियों द्वारा लाभकारी रूप से धारण की जाती है;

40

(62) "सहकारी समिति" का तात्पर्य सहकारी समिति से है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

1912 का 2.

सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए सहकारी समिति अधिनियम, 1912 या किसी राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत तत्सम
प्रवृत्त;

(63) किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार
अधिसूचना द्वारा, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए गैर-नगरीय मैन्युअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत
वृद्धि के पचहत्तर प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे;

45

(64) वास्तविक लागत के संबंध में "परियोजना की लागत" से अचल परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत अभिप्रेत है, जो भूमि, भवन (भूमि और भवनों के विकास पर व्यय सहित), पट्टाधृतियां, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स और रेलवे साइडिंग हैं, जो करदाता की पुस्तकों में दर्शाई गई हैं -

(क) ऐसे मामले में जहां बाईसर्वी अनुसूची की सारणी के क्रम संख्या 7 में निर्दिष्ट विहित व्यय कारोबार के प्रारंभ होने से पूर्व उपगत किया गया है, वहां उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को, जिसमें निर्धारित का कारोबार प्रारंभ होता है; 5

(ख) किसी अन्य मामले में, उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को जिसमें कारोबार का विस्तार पूरा हो जाता है, या नया कारोबार उत्पादन या संचालन शुरू करता है, जहां तक ऐसी अचल परिसंपत्तियां कारोबार के विस्तार या करदाता के नए कारोबार की स्थापना के संबंध में अर्जित या विकसित की गई हैं; 10

(65) "खेती" में कोई ऐसी प्रक्रिया सम्मिलित है जो सामान्यतः किसी कृषक या वस्तु के रूप में किराया प्राप्तकर्ता द्वारा उसके द्वारा उगाई गई या प्राप्त की गई उपज को बाजार में ले जाने योग्य बनाने के लिए अपनाई जाती है; 15

(66) "साधारण स्रोतों से चालू आय" से धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम अभिप्रेत है ;

(67) "विशेष स्रोत से चालू आय" से धारा 62 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय अभिप्रेत है; 20

(68) "कारोबार की स्थापना की तारीख" से तात्पर्य है - (क) माल के

विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण के कारोबार के मामले में, वह तारीख जिस दिन संयंत्र के सफल परीक्षण के बाद माल का विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण शुरू होता है; या

(ख) किसी अन्य मामले में, वह तारीख जब वह अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है; (69) "ऋण" में ऋण या उधार शामिल 25

है; (70) "ऋण लिखत" का अर्थ है एक कागजी या इलेक्ट्रॉनिक

दायित्व जो उधारकर्ता को अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऋणदाता या निवेशक को चुकाने का वादा करके धन जुटाने में सक्षम बनाता है और इसमें नोट, बांड, प्रमाणपत्र, बंधक, पट्टा, ऋण, उधार या उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच अन्य समझौता शामिल है; 30

(71) "स्रोत पर कर की कटौती" या "स्रोत पर कर का संग्रहण" उनके सभी सहित व्याकरणिक भिन्नताओं का अर्थ अध्याय XIII के तहत कर की कटौती या संग्रह है;

(72) "कटौतीकर्ता" का अर्थ है किसी भी भुगतान के संबंध में जिम्मेदार व्यक्ति जिसके लिए वह अध्याय-XIII के उप-अध्याय ए के तहत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है; 35

(73) "विलीन कंपनी" से तात्पर्य है-

(क) वह कंपनी जिसका उपक्रम विभाजन के परिणामस्वरूप परिणामी कंपनी को स्थानांतरित किया गया है; या

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम के तहत गठित या स्थापित प्राधिकरण या निकाय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा, जिसका विभाजन या पुनर्गठन किया जाता है, परिणामी कंपनी बनाने के लिए; (74) "विविलय" का अर्थ है - 40

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के अधीन व्यवस्था की योजना के अनुसरण में, किसी विलीन कंपनी द्वारा अपने एक या अधिक उपक्रमों का किसी परिणामी कंपनी को अंतरण, यदि-

1956 का 1.

45

(i) उपक्रम या उपक्रमों की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां

हस्तांतरण से तुरंत पहले परिणामी कंपनी की परिसंपत्तियां और देनदारियां बन जाती हैं;

(ii) परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन मूल्यों पर स्थानांतरित किया जाता है (परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उनके मूल्य में परिवर्तन को छोड़कर) जो स्थानांतरण से तुरंत पहले उसकी लेखा पुस्तकों में दिखाई देते हैं;

5 (iii) परिणामी कंपनी, हस्तांतरण के प्रतिफल स्वरूप, आनुपातिक आधार पर अलग की गई कंपनी के शेयरधारकों को अपने इक्विटी शेयर जारी करती है;

10 (iv) विभाजित कंपनी में शेयरों के मूल्य के हिसाब से पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक (परिणामी कंपनी या उसके नामिती या उसकी सहायक कंपनी द्वारा हस्तांतरण से ठीक पहले पहले से ही धारित शेयरों को छोड़कर), विभाजित कंपनी या कंपनियों के शेयरधारक बन जाते हैं, सिवाय इसके कि वे विभाजित कंपनी या उसके किसी उपक्रम की परिसंपत्तियों का परिणामी कंपनी द्वारा अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसा करते हैं;

15 (v) उपक्रम का हस्तांतरण चालू व्यवसाय के आधार पर है; और

(vi) स्थानांतरण ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया जा सकता है कि स्थानांतरण वास्तविक व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए है; या

20 (ख) किसी प्राधिकरण या केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का विभाजन या पुनर्गठन, परिणामी कंपनी बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार;

(75) "उपायुक्त" से तात्पर्य उप आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है।
धारा 127 के अंतर्गत आयकर आयुक्त;

25 (76) "उप निदेशक" का अर्थ है उप निदेशक नियुक्त किया गया व्यक्ति।
धारा 127 के अंतर्गत आयकर;

(77) "निदेशक" से तात्पर्य धारा 127 के अधीन आयकर निदेशक नियुक्त किये गये व्यक्ति से है;

30 (78) "महानिदेशक" का अर्थ है महानिदेशक नियुक्त किया गया व्यक्ति।
धारा 127 के अंतर्गत आयकर;

1956 का 1.

(79) किसी कंपनी के संबंध में "निदेशक", "प्रबंधक" और "प्रबंध एजेंट",
कंपनी अधिनियम, 1956 में क्रमशः उन्हें दिए गए अर्थ होंगे;

(80) "विवाद समाधान पैनल" से तात्पर्य तीन कमिशनरों से मिलकर बने कॉलेजियम से है-
इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा गठित आयकर मिशनरी;

35 (81) किसी कंपनी द्वारा वितरित या भुगतान किया गया "लाभांश"

(I) में शामिल हैं-

(क) किसी कंपनी द्वारा संचित लाभ का वितरण, चाहे पूंजीकृत हो या न हो, यदि ऐसे वितरण में कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को कंपनी की सभी या उसके किसी भाग की आस्तियां जारी करना शामिल हो;

40 (ख) किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी रूप में डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या जमा प्रमाणपत्रों का वितरण, चाहे ब्याज सहित हो या रहित, और बोनस के रूप में अपने अधिमान शेयरों का शेयरधारकों को वितरण, उस सीमा तक जिस तक कंपनी के पास संचित लाभ है, चाहे पूंजीकृत हो या नहीं;

45 (सी) किसी कंपनी के परिसमापन पर उसके शेयरधारकों (परिसमापन की स्थिति में अधिशेष परिसंपत्तियों में भाग लेने के लिए हकदार नहीं शेयरधारकों के अलावा) को किया गया कोई वितरण, उस सीमा तक जिस तक वितरण जिम्मेदार है

कंपनी के परिसमापन से ठीक पहले के संचित मुनाफे पर, चाहे वह पूंजीकृत हो या नहीं;

(घ) किसी कंपनी द्वारा अपनी पूंजी में कटौती करने पर अपने शेयरधारकों को (परिसमापन की स्थिति में अधिशेष परिसंपत्तियों में भाग लेने के लिए हकदार नहीं शेयरधारकों को छोड़कर) कोई वितरण, उस सीमा तक जिस तक कंपनी के पास संचित लाभ है, चाहे ऐसे संचित लाभ को पूंजीकृत किया गया हो या नहीं; तथा

5

(ई) किसी निकटस्थ कंपनी द्वारा उसके संचित लाभ की सीमा तक किया गया कोई भुगतान, यदि ऐसा भुगतान-

(i) किसी शेयरधारक को अग्रिम या ऋण के रूप में, जो इक्विटी शेयरों का लाभकारी स्वामी है और जिसके पास मताधिकार का कम से कम दस प्रतिशत हिस्सा है; या

10

(ii) किसी हिंदू अविभाजित परिवार, या किसी फर्म, या व्यक्तियों के संघ, या व्यक्तियों के निकाय, या किसी कंपनी (इस खंड में उक्त उद्यम के रूप में संदर्भित) को अग्रिम या ऋण के रूप में, जिसमें ऐसा शेयरधारक एक सदस्य या भागीदार या शेयरधारक है, और जिसमें उसका पर्याप्त हित है; या

15

(iii) ऐसे शेयरधारक की ओर से या व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी व्यक्ति को;

(11) किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:—

20

(क) किसी कंपनी द्वारा अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किसी शेयरधारक या उक्त प्रतिष्ठान को दिया गया कोई अग्रिम या ऋण, जहां धन उधार देना कंपनी के कारोबार का पर्याप्त हिस्सा है;

(ख) किसी कंपनी द्वारा भुगतान किया गया कोई लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा उसके द्वारा पहले भुगतान की गई किसी राशि के पूर्ण या उसके किसी भाग के विरुद्ध सेट ऑफ किया जाता है और उप-खंड (ई) के अर्थ के भीतर लाभांश के रूप में माना जाता है, उस सीमा तक जिस तक इसे सेट ऑफ किया जाता है;

25

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77ए के प्रावधानों के अनुसार किसी शेयरधारक से अपने स्वयं के शेयरों की खरीद पर कंपनी द्वारा किया गया कोई भुगतान; तथा

30 1956 का 1.

(घ) परिणामी कंपनी द्वारा विभाजन के अनुसरण में विभाजित कंपनी के शेयरधारकों को शेयरों का कोई वितरण (चाहे विभाजित कंपनी में पूंजी में कमी हो या न हो); (82) "लाभांश वितरण कर" से धारा 109 के अंतर्गत प्रभार्य कर अभिप्रेत है; (83) "दस्तावेज" में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (टी) में

परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल है ;

35

2000 का 21.

(84) "घरेलू कंपनी" से भारत में स्थित कंपनी अभिप्रेत है; (85) "आपदा" का वही अर्थ होगा जो आपदा

प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) के अधीन दिया गया है;

2005 का 53.

(86) "देय तिथि" से तात्पर्य है -

40

(क) कर आधारों की विवरणी के संबंध में—

(i) वित्तीय वर्ष के बाद की 30 जून यदि व्यक्ति कंपनी है और व्यवसाय से कोई आय प्राप्त नहीं करती है; या

(ii) अन्य सभी मामलों में, वित्तीय वर्ष के बाद की 31 अगस्त; या

45

(ख) किसी अन्य रिटर्न के संबंध में, ऐसी तारीख जो निर्धारित की जाए;

(ग) धारा 88 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के संबंध में, वित्तीय वर्ष के बाद 31 अगस्त को।

(87) "निर्वाचन न्यास" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित न्यास अभिप्रेत है।

5 (88) "नियोक्ता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यक्ति को रोजगार के किसी व्यक्ति या निहित अनुबंध के तहत नियंत्रित करता है और वेतन के माध्यम से उसे प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है;

(89) किसी योजना के संबंध में "इक्विटी उन्मुख" से तात्पर्य ऐसी योजना से है-

1992 का 15. (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अंतर्गत पंजीकृत म्यूचुअल फंड; और

10 (ख) जो अपनी निवेश योग्य निधियों का 65 प्रतिशत या उससे अधिक घरेलू कंपनियों में इक्विटी शेयरों के रूप में निवेश करता है, जिसकी गणना आरंभिक और अंतिम आंकड़ों के मासिक औसत के वार्षिक औसत के संदर्भ में की जाती है;

(90) "इक्विटी शेयर" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 85 में दिया गया है;

1956 का 1.

15 (91) "तलाशी या अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण का निष्पादन" से तात्पर्य है -

(क) तलाशी की दशा में, उस व्यक्ति के संबंध में तैयार किए गए अंतिम पंचनामा में अभिलिखित तलाशी की समाप्ति पर, जिसके मामले में प्राधिकार जारी किया गया है; या

20 (ख) धारा 136 के अधीन अधिग्रहण की दशा में, उस तारीख को, जिसको सभी लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज या परिसंपत्तियां अधिग्रहण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती हैं;

(92) "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य है -

25 (क) ऐसा व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में (असम राइफल्स को छोड़कर) लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक पर सेवा की हो।

रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना, जम्मू और कश्मीर मिलिशिया और प्रादेशिक सेना) में सत्यापन के पश्चात कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि के लिए सेवारत रहा हो और कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा अन्य किसी माध्यम से सेवामुक्त किया गया हो; और

30 (ख) मृत या अक्षम भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में, इसमें पति/पत्नी, बच्चे, पिता, माता, अवयस्क भाई, विधवा पुत्री और विधवा बहन सम्मिलित हैं, जो ऐसे भूतपूर्व सैनिक पर उसकी मृत्यु या अक्षमता से ठीक पहले पूर्णतः आश्रित थे;

(93) किसी परिसंपत्ति के संबंध में, "उचित बाजार मूल्य" से तात्पर्य ऐसी विधि से निर्धारित मूल्य से है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

35 (94) किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ है -

(क) व्यक्ति के पति/पत्नी और बच्चे; और

(ख) व्यक्ति के माता-पिता, भाई या बहन, यदि मुख्य रूप से आश्रित हों व्यक्ति पर;

40 (95) "पारिवारिक पेंशन" से तात्पर्य कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के परिवार से संबंधित व्यक्ति को देय नियमित मासिक राशि से है;

(96) "फार्म हाउस" से तात्पर्य किसी ऐसे भवन से है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(क) यह कृषि भूमि पर या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है;

(ख) भवन का उपयोग विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए किया जाता है-

(i) कृषि-सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए आवास गृह, भण्डार गृह या अन्य बाह्य भवन के रूप में; या

(ii) स्वामी द्वारा उगाई गई या पुनः प्राप्त की गई उपज को बाजार में ले जाने योग्य बनाने के लिए कोई प्रक्रिया करना; तथा

5

(ग) भवन है—

(i) जो कृषक या वस्तु-रूपी लगान प्राप्तकर्ता के कब्जे में हो; या (ii) जो लगान प्राप्तकर्ता के स्वामित्व में हो और उसके कब्जे में हो;

(97) "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" —

(ए) का अर्थ है भुगतान किया गया कोई भी प्रतिफल (किसी एकमुश्त प्रतिफल सहित) या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देय, के लिए—

10

(i) कोई प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शी सेवाएं प्रदान करना; (ii) तकनीकी या अन्य कार्मिकों की सेवाओं का प्रावधान; या (iii) किसी डिजाइन, ड्राइंग, योजना या सॉफ्टवेयर का विकास और

हस्तांतरण-

वेयर, या ऐसी अन्य सेवाएं; और

15

(ख) इसमें प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए किसी निर्माण, संयोजन, खनन या इसी तरह की परियोजना के लिए प्रतिफल या वह प्रतिफल शामिल नहीं है जो प्राप्तकर्ता की आय होगी और जो "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत प्रभाष्य होगी; (98) "वित्तीय प्रभार" का अर्थ है-

(क) कोई ब्याज; या (ख)

20

कोई आकस्मिक वित्तीय प्रभार;

(99) "वित्तीय संस्था" से तात्पर्य है-

(क) कोई बैंकिंग कंपनी या अनुसूचित बैंक; (ख) कोई गैर-बैंकिंग

वित्तीय कंपनी; (ग) कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्था; (घ)

राज्य वित्तीय निगम; (ङ) राज्य औद्योगिक निवेश

25

निगम; या (च) कोई आवास वित्त सार्वजनिक

कंपनी;

(100) "वित्तीय मध्यस्थ" का अर्थ है स्टॉक ब्रोकर या सब-ब्रोकर या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की धारा 12 के तहत पंजीकृत ऐसा अन्य मध्यस्थ।

30 1992 का 15. 1996 का 22.

भारत अधिनियम, 1992 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन; (101)

"वित्तीय पट्टा" से उसके व्याकरणिक रूपान्तरणों सहित, ऐसा पट्टा लेन-देन अभिप्रेत है, जहां-

(क) किसी विशिष्ट परिसंपत्ति को पट्टे पर देने के लिए दो पक्षों के बीच पट्टा अनुबंध किया जाता है;

35

(ख) ऐसा अनुबंध पट्टेदार द्वारा परिसंपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए है; (ग) पट्टा भुगतान की गणना इस प्रकार की जाती है कि परिसंपत्ति की पूरी लागत को कवर किया जा सके।

ब्याज शुल्क सहित; और

(घ) पट्टेदार पट्टा भुगतान करने के बाद पट्टा अवधि के अंत में परिसंपत्ति का स्वामित्व रखने का हकदार है, या उसके पास स्वामित्व रखने का विकल्प है;

40

(102) "वित्तीय वर्ष" या "वर्ष" से तात्पर्य है-

(क) किसी व्यवसाय की स्थापना की तारीख से प्रारंभ होने वाली और ऐसे व्यवसाय की स्थापना की तारीख के बाद आने वाली 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि;

5 (ख) वह अवधि जो उस तारीख से शुरू होगी जिसको आय का स्रोत नए सिरे से अस्तित्व में आता है और उस तारीख के बाद आने वाली 31 मार्च को समाप्त होगी जिसको ऐसा नया स्रोत अस्तित्व में आता है;

(ग) वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर व्यवसाय बंद करने या अनिगमित निकाय के विघटन या कंपनी के परिसमापन की तारीख तक समाप्त होने वाली अवधि, जैसा भी मामला हो;

10

(घ) वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर असंबद्ध निकाय के किसी प्रतिभागी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक समाप्त होने वाली अवधि;

15

(ई) असंबद्ध निकाय के किसी भागीदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख के तुरंत बाद की अवधि और किसी अन्य भागीदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि या, जैसा भी मामला हो, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख के बाद की 31 मार्च की तारीख; या

(च) 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह महीने की अवधि किसी अन्य मामले में प्रासंगिक वर्ष; (103) "फर्म" का

अर्थ भारतीय भागीदारी में उसे दिया गया अर्थ होगा

1932 का 9.
2009 का 6.

20

अधिनियम, 1932 के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी शामिल होगी और इसमें सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 1932 में परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी शामिल होगी।
देयता भागीदारी अधिनियम, 2008;

(104) "विदेशी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो घरेलू कंपनी नहीं है; (105) "विदेशी मुद्रा" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 में दिया गया है;

1999 का 42.

25

(106) "वार्षिक संविदा" का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 में परिभाषित किसी प्राधिकृत व्यक्ति के साथ किया गया संविदा है, जिसके अंतर्गत संविदा में निर्दिष्ट विनिमय दर पर किसी निर्धारित भावी तिथि को या उसके पश्चात विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट राशि प्रदान की जाती है; (107) "सामान्य जनता" का वही अर्थ होगा जो धारा 103 के खंड (ग) में दिया गया है;

30

(108) "ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स" से तात्पर्य किसी भी उपकरण (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) से है-

35

(क) किसी घरेलू कंपनी के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड या साधारण शेयरों के निर्गमन के विरुद्ध भारत के बाहर ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक द्वारा सृजित; तथा

(ख) गैर-निवासियों को जारी किया गया;

(109) किसी वित्तीय वर्ष के लिए "सकल कुल आय" से उस वित्तीय वर्ष के लिए साधारण स्रोतों से सकल कुल आय और विशेष स्रोतों से सकल कुल आय का योग अभिप्रेत है;

40

(110) किसी वित्तीय वर्ष की "साधारण स्रोतों से सकल कुल आय" से उस वित्तीय वर्ष के लिए धारा 61 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम अभिप्रेत है;

45

(111) किसी वित्तीय वर्ष की "विशेष स्रोत से सकल कुल आय" से उस वित्तीय वर्ष के लिए उस विशेष स्रोत के लिए धारा 62 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम अभिप्रेत है;

(112) "मुख्यालय व्यय" से अभिप्राय कार्यकारी और सामान्य प्रशासन है

भारत के बाहर करदाता द्वारा किया गया व्यय, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में किया गया व्यय शामिल है-

(ए) भारत के बाहर किसी भी परिसर का किराया, दरें, कर, मरम्मत या बीमा व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है;

(ख) वेतन, मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, फीस, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, भत्ते या वेतन के बदले या इसके अतिरिक्त लाभ, चाहे भारत के बाहर किसी कार्यालय में कार्यरत या उसके कामकाज का प्रबंध करने वाले किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को भुगतान किया गया हो या उसे अनुमति दी गई हो;

(ग) किसी कार्यालय में कार्यरत या उसके कामकाज का प्रबंध करने वाले किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर यात्रा करना; तथा

(घ) प्रशासन से संबंधित ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं; (113) "भारी माल वाहन" का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में दिया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2; 1988 का 59.

(114) "घोड़ा दौड़" से तात्पर्य ऐसी घुड़दौड़ से है जिस पर दांव लगाना या शर्त लगाना विधिपूर्वक किया गया हो; 15

(115) "अस्पताल" में डिस्पेंसरी या क्लिनिक या नर्सिंग होम शामिल है; (116) "गृह संपत्ति" से तात्पर्य है-

(क) उससे संबंधित कोई भवन या भूमि; सुविधाओं और सेवाओं सहित, चाहे वे अंतर्निर्मित हों या अलग से उपलब्ध कराई गई हों; या

(ख) कोई भी भवन, किसी भी मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर या किसी भी अन्य सुविधा या सेवाओं के साथ, चाहे वह इनबिल्ट हो या अलग से प्रदान की गई हो; (117) "आवास विकास कंपनी" का अर्थ

किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो किसी भी राज्य में घरों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने में लगी हुई है।

आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत;

(118) "आवास-वित्त सार्वजनिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है— 25

(क) जो एक सार्वजनिक कंपनी है; (ख)

जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का व्यवसाय करना है; और

(ग) जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30 और धारा 31 के अंतर्गत दिए गए आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 1989 के अनुसार पंजीकृत है; (119) "आकस्मिक वित्तीय प्रभार" का अर्थ है कोई शुल्क, कमीशन, ब्रोकरेज, देय कर या कोई अन्य समान 1987 का 53.

व्यय जो उधार लेने या कोई ऋण लेने या किसी क्रेडिट सुविधा के संबंध में किया गया है जिसका उपयोग नहीं किया गया है; 35

(120) "आय" में निम्नलिखित शामिल हैं,—

(क) धारा 22 में निर्दिष्ट सकल वेतन; (ख) धारा 26 में निर्दिष्ट सकल किराया; (ग) धारा 32 की उपधारा (2) में सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट व्यवसायों से किसी प्रोद्भव या प्राप्ति की रकम ;

(घ) धारा 32 में निर्दिष्ट व्यवसाय से सकल आय; (ङ) धारा 50 में निर्दिष्ट किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल का पूर्ण मूल्य;

(च) धारा 58 में निर्दिष्ट सकल अवशिष्ट आय;

(छ) धारा 93 में निर्दिष्ट सकल प्राप्तियां; (ज) किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान;

5 (i) भुगतान प्राप्त होने पर स्रोत पर कटौती की गई कोई राशि, अध्याय XIII के प्रावधान; और

(जे) भारतीय रिजर्व बैंक के भाग III की तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय प्रथम अनुसूची;

(121) "व्यवसाय से आय" का अर्थ है व्यवसाय का संगणित लाभ धारा 32 के तहत;

10 (122) "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय" से धारा 60 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत संगणित उस शीर्ष के संबंध में आय अभिप्रेत है;

(123) "'कारोबार से आय' शीर्ष के अंतर्गत आय" से धारा 60 की उपधारा (9) के अंतर्गत संगणित उस शीर्ष के संबंध में आय अभिप्रेत है;

15 (124) "रोजगार से आय" से धारा 21 के अंतर्गत संगणित आय अभिप्रेत है;

(125) "रोजगार से आय" शीर्ष के अंतर्गत आय" से धारा 60 की उपधारा (1) के अंतर्गत संगणित उस शीर्ष के संबंध में आय अभिप्रेत है;

20 (126) "गृह संपत्ति से आय" से धारा 25 के अंतर्गत संगणित आय अभिप्रेत है;

(127) "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अंतर्गत आय" से धारा 60 की उपधारा (1) के अंतर्गत संगणित उस शीर्ष के संबंध में आय अभिप्रेत है;

(128) "अवशिष्ट स्रोतों से आय" से धारा 55 के अंतर्गत संगणित आय अभिप्रेत है;

25 (129) "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्ष के अंतर्गत आय" से धारा 60 की उपधारा (11) के अंतर्गत संगणित शीर्ष के संबंध में आय अभिप्रेत है;

(130) "आयकर अधिकारी" का अर्थ आयकर अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति है धारा 127 के अंतर्गत अधिकारी;

(131) "भारत" से तात्पर्य है-

30 (क) संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र;

(ख) इसका प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 में परिभाषित कोई अन्य समुद्री क्षेत्र;

1976 का 80.

(ग) समुद्र तल और प्रादेशिक जल के नीचे की अवभूमि; और

35 (घ) अपने क्षेत्र और प्रादेशिक जल के ऊपर का हवाई क्षेत्र;

(132) "भारतीय कंपनी" से तात्पर्य ऐसे निगमित निकाय से है जो-

(क) निम्नलिखित के द्वारा या उसके अधीन पंजीकृत या स्थापित या गठित है-

1956 का 1.

(i) कंपनी अधिनियम, 1956;

(ii) कोई केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम;

40 (iii) कम्पनियों से संबंधित कोई कानून जो देश के किसी भी भाग में पूर्व में लागू हो। जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा भारत;

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य में वर्तमान में लागू कोई कानून। कश्मीर; और

(ख) जिसका, यथास्थिति, पंजीकृत या प्रधान कार्यालय भारत में है;

- (133) "भारतीय मुद्रा" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 में दिया गया है; 1999 का 42.
- (134) "भारतीय आयकर" से इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया आयकर अभिप्रेत है;
- (135) "कर की भारतीय दर" का अर्थ है कर की राशि को विभाजित करके निर्धारित की गई दर इस संहिता के उपबंधों के अधीन देय किसी राहत की कटौती के पश्चात् किन्तु धारा 207 के अधीन देय किसी राहत की कटौती से पूर्व, कुल आय द्वारा भारतीय आयकर; 5
- (136) "भारतीय जहाज" का वही अर्थ होगा जो व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (18) में दिया गया है; 1958 का 44.
- (137) "अवसंरचना सुविधा" से निम्नलिखित सुविधाएं अभिप्रेत हैं, अर्थात्:— 10
- (क) टोल रोड, पुल या रेल प्रणाली सहित सड़क;
- (ख) राजमार्ग परियोजना जिसमें आवास या अन्य गतिविधियां शामिल हैं जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग हैं;
- (सी) जल आपूर्ति परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, सैनिटरी-सीवरेज प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली; तथा 15
- (घ) बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग या अंतर्देशीय बंदरगाह;
- (138) "आयकर निरीक्षक" से तात्पर्य धारा 127 के अधीन आयकर निरीक्षक नियुक्त किये गये व्यक्ति से है;
- (139) "बीमाकर्ता" का तात्पर्य बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (7ए) के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी और खंड (9) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से है, जिसे उस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है; 20 1938 का 4.
- (140) "ब्याज" का अर्थ किसी भी व्यक्ति (किसी भी भागीदार सहित) को किसी भी तरीके से, किसी भी उधार या लिए गए ऋण या किसी अन्य समान अधिकार या दायित्व के संबंध में देय कोई राशि है और इसमें उधार लिए गए धन या लिए गए ऋण या किसी भी ऋण सुविधा के संबंध में कोई सेवा शुल्क या अन्य प्रभार शामिल हैं, जिसका उपयोग नहीं किया गया है; 25
- (141) "निवेश परिसंपत्ति" से तात्पर्य है,—
- (क) कोई पूंजीगत परिसंपत्ति जो व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं है;
- (ख) किसी विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा रखी गई कोई प्रतिभूति;
- (ग) किसी व्यवसाय का कोई उपक्रम या प्रभाग; 30
- (142) पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में "आभूषण" में शामिल हैं-
- (क) सोने, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु या किसी मिश्र धातु से बने आभूषण जिसमें एक या अधिक ऐसी बहुमूल्य धातुएं हों, चाहे उसमें कोई बहुमूल्य या अर्ध-कीमती पत्थर हो या न हो, और चाहे उसे किसी पहनने वाले परिधान में काम में लिया गया हो या नहीं; 35
- (ख) बहुमूल्य या अर्ध-कीमती पत्थर, चाहे वे किसी फर्नीचर में जड़े हों या नहीं, बर्तन या अन्य वस्तु, जो किसी पहनने वाले परिधान में काम की गई हो या सिल दी गई हो;
- (143) "संयुक्त आयुक्त" से तात्पर्य धारा 127 के अधीन संयुक्त आयकर आयुक्त या अपर आयकर आयुक्त नियुक्त किये गये व्यक्ति से है;
- (144) "संयुक्त निदेशक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। आयकर या धारा 127 के अंतर्गत आयकर का अतिरिक्त निदेशक; 40
- (145) "कीमती बीमा पॉलिसी" से तात्पर्य ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी से है जो निम्नलिखित द्वारा ली गई हो-
- (क) किसी कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी के जीवन पर नियोक्ता द्वारा; या
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन पर जो किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है या था प्रथम उल्लिखित व्यक्ति के व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का संबंध; 45

- 1956 का 61. (146) "खादी" और "ग्रामोद्योग" के क्रमशः अर्थ होंगे
खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में उन्हें सौंपे गए प्रावधान;
- 1908 का 5. (147) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खंड (11) में है;
- 5 (148) विभाजन के संबंध में "देयताओं" में निम्नलिखित शामिल होंगे-
- (क) उपक्रम की गतिविधियों या संचालन से उत्पन्न देयताएं;
- (बी) उठाए गए, खर्च किए गए और (डिबेंचर सहित) ऋण या उधार केवल उपक्रम की गतिविधियों या संचालन के लिए उपयोग किया जाता है; और
- 10 (ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न मामलों में, करदाताओं के सामान्य या बहुउद्देशीय उधारों की उतनी रकम, यदि कोई हो, जितनी वे उसी अनुपात में हों, जो विभाजन में हस्तांतरित परिसंपत्तियों का मूल्य विभाजन से ठीक पहले ऐसे करदाता की परिसंपत्तियों के कुल मूल्य से है;
- 15 (149) "जीवन बीमाकर्ता" से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो पूर्णतः मानव जीवन पर बीमा प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है;
- (150) "हल्का माल वाहन या अन्य वाहन" से ऐसा वाहन अभिप्रेत है जो भारी माल वाहन नहीं है;
- (151) "स्थानीय प्राधिकारी" से तात्पर्य है-
- 20 (क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में निर्दिष्ट पंचायत-
tion;
- (ख) संविधान के अनुच्छेद 243पी के खंड (ड) में निर्दिष्ट कोई नगरपालिका ;
- (ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला बोर्ड, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से हकदार हो या सरकार द्वारा उसे सौंपा गया हो; या
- 25 (घ) छावनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित छावनी बोर्ड
- 2006 का 41. अधिनियम, 2006:
- (152) "दीर्घकालिक उधार" से तात्पर्य है-
- 30 (क) सरकार, किसी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्था से उधार लिया गया धन, जहां उधार की शर्तों में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के दौरान पुनर्भुगतान का प्रावधान है; या
- (ख) भारत के बाहर संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए किसी विदेशी देश में उधार ली गई धनराशि या लिया गया ऋण, जहां उधार की शर्तों में कम से कम सात वर्ष की अवधि के दौरान पुनर्भुगतान का प्रावधान है;
- 35 (153) "दीर्घकालिक वित्त" से ऐसा कोई ऋण या अग्रिम राशि अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत धन उधार दिया जाता है या अग्रिम राशि दी जाती है, तथा इसमें पांच वर्ष से अन्यून अवधि के दौरान उस पर ब्याज सहित पुनर्भुगतान का प्रावधान होता है;
- (154) "दीर्घकालिक पट्टे" से तात्पर्य है -
- 40 (क) कम से कम बारह वर्ष की अवधि के लिए पट्टा; या
- (ख) ऐसा पट्टा, जिसमें उसकी अवधि को एक और अवधि या अवधियों द्वारा बढ़ाने का प्रावधान है, और जिस अवधि के लिए ऐसा पट्टा दिया गया है या बढ़ाया जाना है, उसका कुल योग बारह वर्ष से कम नहीं है;
- (155) "लॉटरी" में किसी भी व्यक्ति को लॉटरी द्वारा या संयोग से या किसी भी अन्य तरीके से, किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाए, दिए गए पुरस्कारों से जीत शामिल है;
- 45

(156) "निर्माण" से इसके व्याकरणिक रूपांतरों सहित, गैर-जीवित भौतिक वस्तु या लेख या चीज़—

(क) जिसके परिणामस्वरूप वस्तु या सामान या चीज एक नई और विशिष्ट वस्तु या सामान या चीज में परिवर्तित हो जाती है जिसका नाम, चरित्र और उपयोग भिन्न हो;
या

5

(ख) भिन्न रासायनिक संरचना या अभिन्न संरचना वाली नई और विशिष्ट वस्तु या लेख या चीज को अस्तित्व में लाना;
(157) "सामग्री" में कोई भी खाता बही, दस्तावेज, धन, बुलियन शामिल हैं।

आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़;

(158) "अधिकतम सीमांत दर" से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या कृत्रिम विधिक व्यक्ति के मामले में आय के उच्चतम स्लैब के संबंध में लागू आयकर की दर अभिप्रेत है;

10

(159) "चिकित्सा प्राधिकारी" से तात्पर्य है,—

(i) दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (पी) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी

15

अधिनियम, 1995; या

1996 का 1.

(ii) ऐसा अन्य चिकित्सा प्राधिकरण जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए। (160) "खनिज" में अठारहवीं अनुसूची के भाग 1 या

भाग 2 में विनिर्दिष्ट सहबद्ध खनिजों का समूह शामिल है;

20

(161) "खनिज तेल" का वही अर्थ होगा जो ग्यारहवीं अनुसूची में है; (162) "पारस्परिक लाभ वित्त कंपनी" का अर्थ है ऐसी कंपनी-

(क) जो अपने सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने का व्यवसाय अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में करता है; और

(ख) जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620ए के अर्थ में निधि या पारस्परिक लाभ सोसायटी है; (163) "पारस्परिक निधि" का अर्थ प्रतिभूति अधिनियम, 1956 के तहत

25

1956 का 1.

पंजीकृत पारस्परिक निधि है;

और भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992;

1992 का 15.

(164) "नाबार्ड" का तात्पर्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक से है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की धारा 3 के तहत स्थापित विकास ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981;

30

61, 1981.

(165) "राष्ट्रीय आवास बैंक" से तात्पर्य राष्ट्रीय आवास बैंक से है, जो भारत सरकार के अधीन स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 के तहत;

1987 का 53.

(166) "निवल संपत्ति" से तात्पर्य निम्नलिखित से है,—

(क) एक विभाजित कंपनी से आशय है, विभाजित कंपनी के खाता बहियों में विभाजन से ठीक पहले दिखाई गई चुकता शेयर पूंजी और सामान्य आरक्षित निधियों का योग; और

35

(ख) "मंदा बिक्री" के तहत हस्तांतरित उपक्रम या प्रभाग का अर्थ है, निर्धारित तरीके से निर्धारित मूल्य; (167) "नई निवेश परिसंपत्ति" का अर्थ है धारा 55 के अर्थ के भीतर नई निवेश परिसंपत्ति;

40

(168) "नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट" का तात्पर्य भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत 27 फरवरी, 2008 को स्थापित नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से है।

ट्रस्ट अधिनियम, 1882;

1882 का 2.

(169) "गैर-लाभकारी संगठन" से कोई संगठन अभिप्रेत है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसके अंतर्गत ट्रस्ट भी है, यदि-

(i) यह किसी विशेष जाति या धार्मिक समुदाय के लाभ के लिए स्थापित नहीं है;

5 (ii) यह किसी विशेष जाति या धार्मिक समुदाय के सदस्यों के लिए कोई लाभ प्रदान नहीं करता है;

(iii) यह आम जनता के लाभ के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं या बच्चों के लाभ के लिए स्थापित किया गया है;

10 (iv) इसकी स्थापना धर्मार्थ कार्यकलापों को चलाने के लिए की गई है;

(v) यह अपने किसी सदस्य के लाभ के लिए स्थापित नहीं है;

(vi) यह वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में धर्मार्थ गतिविधियां चलाता है;

(vii) इसकी गतिविधियों के वास्तविक लाभार्थी आम जनता हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, या महिलाएं या बच्चे; और

15 (viii) वह धारा 98 के अधीन पंजीकृत है;

(170) "अनिवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निवासी नहीं है;

(171) "अनिवासी कटौतीकर्ता" का अर्थ है वह व्यक्ति जो भारत में अनिवासी है और कोई राशि प्राप्त करता है जो अध्याय XIII के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है;

20 (172) "नोटिस" से वह विधिक साधन अभिप्रेत है जिसके द्वारा सूचना प्रदान की जाती है;

25 (173) "अधिसूचना" से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "सूचित करना" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(174) स्वेट इक्विटी शेयरों के संबंध में "विकल्प" का अर्थ है अधिकार, न कि दायित्व, जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित मूल्य पर स्वेट इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए दिया जाता है;

30 (175) "मूल निवेश परिसंपत्ति" से तात्पर्य ऐसी निवेश परिसंपत्ति से है जिसके संबंध में धारा 55 के अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है;

(176) "ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक" से अभिप्राय जारीकर्ता कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड या जारीकर्ता कंपनी के साधारण शेयरों के विरुद्ध ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदें जारी करने के लिए अधिकृत बैंक से है;

35 (177) गृह संपत्ति के संबंध में "स्वामी" में निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) कोई व्यक्ति जो किसी गृह संपत्ति को पर्याप्त प्रतिफल के अलावा किसी अन्य कीमत पर अपने पति या पत्नी को हस्तांतरित करता है, जो कि अलग रहने के समझौते के संबंध में हस्तांतरण नहीं है, या किसी नाबालिग बच्चे को हस्तांतरित करता है;

40 (ख) अविभाज्य संपदा का धारक;

(ग) किसी सहकारी समिति, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संघ का सदस्य, जिसे समिति, कंपनी या संघ की गृह निर्माण योजना के अंतर्गत कोई भवन या उसका कोई भाग आबंटित या पट्टे पर दिया गया हो; और

(घ) कोई व्यक्ति जिसे संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53ए में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी अनुबंध के आंशिक निष्पादन में किसी भवन या उसके किसी भाग को कब्जे में लेने या बनाए रखने की अनुमति दी गई है। (178) "भुगतान किया गया"

1882 का 4.

-

(क) "व्यवसाय से आय" या "अवशिष्ट स्रोतों से आय" के संबंध में, इसका तात्पर्य उस लेखांकन पद्धति के अनुसार उपगत या वास्तव में भुगतान की गई आय से है, जिसके आधार पर उन शीर्षों के अंतर्गत आय की गणना की जाती है; तथा

5

(ख) अन्य सभी मामलों में, इसका अभिप्राय वास्तव में भुगतान किया गया है;

(179) "प्रतिभागी" से तात्पर्य है-

(क) किसी फर्म के संबंध में भागीदार; या (ख) किसी

10

व्यक्ति संघ या व्यक्ति निकाय के संबंध में सदस्य;

(180) "भागीदार" का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान में दिया गया है।

भागीदारी अधिनियम, 1932 और इसमें शामिल होंगे-

1932 का 9.

(ए) सीमित देयता भागीदारी का भागीदार, जैसा कि सीमित अनुबंध में परिभाषित है।

देयता भागीदारी अधिनियम, 2008; और

15

2009 का 6.

(ख) कोई भी व्यक्ति जो नाबालिग होने के कारण साझेदारी के लाभों में शामिल किया गया है; (181) "साझेदारी" का वही अर्थ होगा जो

भारतीय संविधान में दिया गया है।

भागीदारी अधिनियम, 1932 के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी शामिल होगी और इसमें धारा 12 में परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी भी शामिल होगी।

1932 का 9.

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008;

20

2009 का 6.

(182) "स्थायी खाता संख्या" से धारा 292 के अधीन किसी व्यक्ति को आवंटित स्थायी खाता संख्या अभिप्रेत है;

(183) "स्थायी प्रतिष्ठान" से कारोबार का कोई निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके माध्यम से किसी अनिवासी करदाता का कारोबार पूर्णतः या आंशिक रूप से चलाया जाता है और—

(क) इसमें शामिल हैं-

25

(i) प्रबंधन का स्थान; (ii) शाखा; (iii)

कार्यालय; (iv)

कारखाना; (v)

कार्यशाला; (vi)

विक्रय केंद्र; (vii) दूसरों

30

के लिए भंडारण सुविधाएं

प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में गोदाम;

(viii) कोई फार्म, बागान या अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागान या संबंधित गतिविधियां की जाती हों;

35

(ix) कोई खदान, तेल या गैस का कुआं, खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;

(x) भवन स्थल या निर्माण, स्थापना या संयोजन परियोजना

या उससे संबंधित पर्यवेक्षी गतिविधियां;

(xi) करदाता द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त कर्मचारियों या अन्य कार्मिकों के माध्यम से परामर्शी सेवाओं सहित सेवाएं प्रदान करना; तथा

40

(xii) कोई स्थापना या संरचना या संयंत्र या उपकरण, जिसका उपयोग

प्राकृतिक संसाधनों की खोज या दोहन के लिए; और (ख) इसमें सम्मिलित माना जाएगा-

(i) कोई व्यक्ति, स्वतंत्र एजेंट के

अलावा जो दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या स्वतंत्र स्थिति का कोई अन्य एजेंट है जो अपने व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में, किसी करदाता की ओर से भारत में कार्य करता है, यदि ऐसा व्यक्ति-

5

(ए) भारत में करदाता की ओर से अनुबंध करने के लिए प्राधिकार रखता है और वह इसका प्रयोग आदतन करता है, जब तक कि उसकी गतिविधियां करदाता के लिए माल या माल की खरीद तक सीमित न हों;

10

(बी) भारत में आदतन माल या माल का स्टॉक रखता है, जिससे वह करदाता की ओर से नियमित रूप से माल या माल वितरित करता है; या

15

(सी) भारत में मुख्यतः या पूर्णतः अनिवासी के लिए या उस अनिवासी और अन्य अनिवासी जो उस अनिवासी को नियंत्रित करते हैं, उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसी सामान्य नियंत्रण के अधीन हैं, के लिए आदतन आदेश प्राप्त करता है;

(ii) बीमा के कारोबार में लगे किसी करदाता की ओर से भारत में कार्य करने वाला व्यक्ति, जिसके माध्यम से करदाता भारत के क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है या वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है;

20

(iii) भारत में कोई महत्वपूर्ण उपकरण जिसका उपयोग करदाता द्वारा, उसके लिए या उसके साथ किसी अनुबंध के अंतर्गत किया जा रहा हो;

(184) "व्यक्ति" में सम्मिलित हैं-

(क) कोई व्यक्ति, (ख)

कोई हिंदू अविभाजित परिवार, (ग) कोई

25

कंपनी, (घ) कोई

सहकारी समिति या कोई अन्य समिति, (ङ) कोई फर्म,

(च) कोई गैर-लाभकारी संगठन,

(छ) व्यक्तियों का संघ, (ज) व्यक्तियों का

30

निकाय, (झ) स्थानीय प्राधिकरण, (ञ)

प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति,

जो पूर्ववर्ती उप-खण्डों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है;

35

चाहे सोसायटी, फर्म या संगठन, संघ, निकाय, स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का गठन या स्थापना या निगमन आय प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो या नहीं;

(185) "किसी प्रतिष्ठान में पर्याप्त हित रखने वाले व्यक्ति" से, इसके व्याकरणिक रूपांतरों सहित, अभिप्रेत है -

40

(क) ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, किसी कम्पनी में, जो एक कम्पनी है, बीस प्रतिशत से अत्यधिक अधिकार वाले इक्विटी शेयरों का हितकारी स्वामी है (जिसमें उसके एक या अधिक रिश्तेदारों द्वारा धारित हितकारी स्वामित्व सम्मिलित है, यदि वह व्यक्ति एक व्यक्ति है); और (ख) ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, बीस प्रतिशत से अत्यधिक अधिकार वाले इक्विटी शेयरों का हितकारी रूप से हकदार है (जिसमें वह

आय सम्मिलित है, जो उसके एक या अधिक रिश्तेदारों को हितकारी रूप से हकदार है, यदि वह व्यक्ति एक व्यक्ति है);

45

किसी अन्य संस्था जो हिंदू अविभाजित परिवार, या फर्म या अनिगमित निकाय है, की आय; (186) "भारतीय मूल का व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है

जो या जिसके दोनों में से कोई

माता-पिता या जिनके दादा-दादी में से कोई भी-

(i) भारत में पैदा हुआ था, या (ii)

5

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में पैदा हुआ था, यदि व्यक्ति या माता-पिता या दादा-दादी का जन्म 15 अगस्त, 1947 से पहले हुआ था; (187) "विनिर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति" का अर्थ है -

(क) नियोक्ता जो वेतन की प्रकृति का भुगतान करता है; (ख) कोई व्यक्ति जो अनुसूची या चौथी अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान करता है; (188) "विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है, विकलांग व्यक्तियों (समान) अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (टी) में निर्दिष्ट

व्यक्ति, - (i)

अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995; या

15

1996 का 1.

(ii) ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (जे) में।

1999 का 44.

(189) "गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति" से तात्पर्य है -

(i) दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट एक या अधिक दिव्यांगताओं में से अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति; या (ii) ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ओ) में निर्दिष्ट गंभीर दिव्यांगता वाला व्यक्ति; (190) पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में "व्यक्तिगत प्रभाव" का अर्थ है कोई चल संपत्ति, जिसमें करदाता या उस पर आश्रित उसके परिवार के

1996 का 1.

किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखे गए परिधान और फर्नीचर शामिल हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं हैं, -

25

1999 का 44.

(क) आभूषण; (ख)

पुरातात्विक संग्रह; (ग) चित्र; (घ) पेंटिंग; (ङ)

30

मूर्तियां; और (च)

कला का कोई भी

कार्य;

(191) "अनुलाभ" से तात्पर्य है, -

35

(क) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतिपूर्ति के रूप में या अन्यथा प्रदान की गई सुविधा, विशेषाधिकार या सेवा, चाहे वह धन में परिवर्तनीय हो या नहीं, जो कि - (i) किसी भी आवास का मूल्य, जो निर्धारित तरीके से गणना की जा सकती है;

40

(ii) जीवन बीमा कराने या वार्षिकी हेतु संविदा कराने के लिए देय कोई राशि; (iii) आबंटित या हस्तांतरित किसी स्वेट इक्विटी शेयर

का मूल्य,

उस तारीख को जिस दिन कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है; या

(iv) किसी दायित्व का मूल्य, जो नियोक्ता द्वारा भुगतान न किए जाने पर, कर्मचारी द्वारा देय होता, जिसकी गणना ऐसी रीति से की जाएगी, जैसी विहित की जा सकती है;

45

(ख) उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट सुख-सुविधा, सुविधा, विशेषाधिकार या सेवा के अलावा किसी सुख-सुविधा, सुविधा, विशेषाधिकार या सेवा का मूल्य, जिसकी गणना ऐसी शीति से की जाएगी, जैसी विहित की जाए, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं हैं,—

- 5 (i) किसी कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी चिकित्सा उपचार का मूल्य या नियोक्ता द्वारा संचालित किसी अस्पताल में उसके परिवार का कोई सदस्य;
- (ii) किसी कर्मचारी द्वारा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल में स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि;
- 10 (iii) किसी कर्मचारी द्वारा स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के विशिष्ट रोगों के संबंध में चिकित्सा उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि, मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, के अनुसार;
- 15 (iv) केन्द्रीय सरकार या बीमा विनियामक द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य पर बीमा लागू करने या उसे लागू रखने के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया या प्रतिपूर्ति किया गया कोई प्रीमियम, और विकास प्राधिकरण; (v) किसी
- 20 कर्मचारी द्वारा स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि [मद (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट उपचार पर व्यय के अलावा] इस सीमा तक कि यह एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है; (vi) किसी कर्मचारी द्वारा भारत के बाहर स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की
- 25 गई कोई राशि (विदेश यात्रा और प्रवास पर किए गए व्यय सहित), यदि, -
- (ए) व्यय अनुमत राशि से अधिक नहीं है भारतीय रिज़र्व बैंक; तथा
- 30 (ख) ऐसे कर्मचारी की इस उप-धारा में निर्दिष्ट व्यय की राशि को छोड़कर रोजगार से आय वित्तीय वर्ष में पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं है; (192) "प्रभावी प्रबंधन का स्थान" का अर्थ है - (i) वह स्थान जहाँ कंपनी का निदेशक मंडल या उसके कार्यकारी
- 35 निदेशक, जैसा भी मामला हो, अपने निर्णय लेते हैं; या
- (ii) ऐसे मामले में जहाँ निदेशक मंडल कंपनी के कार्यकारी निदेशकों या अधिकारियों द्वारा लिए गए वाणिज्यिक और रणनीतिक निर्णयों को नियमित रूप से अनुमोदित करता है, वह स्थान जहाँ कंपनी के ऐसे कार्यकारी निदेशक या अधिकारी अपने कार्य निष्पादित करते हैं:
- 40 (193) "संयंत्र" में जहाज, विमान, वाहन, पुस्तकें, वैज्ञानिक उपकरण और शल्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, लेकिन इसमें चाय की झाड़ियाँ, पशुधन, भवन या फर्नीचर और फिटिंग शामिल नहीं हैं; (194) "राजनीतिक दल" का अर्थ है एक राजनीतिक दल
- जो के तहत पंजीकृत और मान्यता प्राप्त है
- 1951 का 43. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951;
- 45 (195) किसी व्यवसाय पुनर्गठन के संबंध में "पूर्ववर्ती" का अर्थ है -
- (क) समामेलन की स्थिति में समामेलक कंपनी; (ख) खंड (41) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट व्यवसाय पुनर्गठन की स्थिति में विलयन करने वाली कंपनी;
- (ग) विभाजन की स्थिति में, विभाजन की गई कंपनी; या

(घ) अनिगमित निकाय या मालिकाना उद्यम, के मामले में
खंड (41) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय पुनर्गठन;

(196) "अधिमान शेयर" का अर्थ धारा 12 के अर्थ में अधिमान शेयर है।
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 85;

1956 का 1.

(197) "पूर्व-भुगतान कर" से तात्पर्य निम्नलिखित के माध्यम से भुगतान किए गए कर से है, -

5

(क) प्राप्त भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती;

(ख) किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर संग्रहण;

(ग) अग्रिम कर;

(घ) स्व-मूल्यांकन कर; या

(ई) विदेशी कर क्रेडिट;

10

(च) बही लाभ पर भुगतान किये गये कर का क्रेडिट;

(198) "निर्धारित" का तात्पर्य इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

(199) "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका कार्य क्षेत्र एक तालुका तक सीमित है और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है;

15

(200) किसी व्यक्ति के संबंध में "प्रधान अधिकारी", जो स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य हो।
अन्य सार्वजनिक निकाय या कंपनी या अनिगमित निकाय का अर्थ है -

(क) उस व्यक्ति का सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या एजेंट, या

(ख) उस व्यक्ति के प्रबंधन या प्रशासन से संबंधित कोई व्यक्ति, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अपना
प्रधान अधिकारी मानने के अपने आशय की सूचना तामील की है;

20

(201) "निजी विवेकाधीन ट्रस्ट" से तात्पर्य किसी भी इकाई से है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो निम्नलिखित शर्तों को
पूरा करती है, अर्थात्: -

(क) इसके लाभार्थियों के शेयर अनिश्चित या अज्ञात हैं;

(ख) यह एक गैर-लाभकारी संगठन नहीं है; और

25

(ग) यह केंद्र, राज्य या प्रांतीय सरकार के किसी कानून के तहत पंजीकृत नहीं है
धार्मिक दान के विनियमन के लिए सरकार;

(202) "किसी वेतन के बदले या उसके अतिरिक्त लाभ" में सम्मिलित हैं-

(क) किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उसके रोजगार की
समाप्ति या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन के संबंध में देय या प्राप्त किसी भी मुआवजे की राशि;

30

(ख) किसी प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि, जिसके अंतर्गत ऐसी पॉलिसी पर बोनस के
रूप में आबंटित राशि भी शामिल है, यदि पॉलिसी में अंशदान का कोई भाग उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा किया
गया हो; तथा

35

(ग) किसी करदाता द्वारा किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देय या प्राप्त की गई कोई राशि—

(i) उस व्यक्ति के साथ कोई रोजगार ग्रहण करने से पूर्व; या

(ii) उस व्यक्ति के साथ उसकी नौकरी समाप्त होने के पश्चात्;

(203) "सार्वजनिक कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में दिया गया है;

40

1956 का 1.

(204) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" का वही अर्थ होगा जो उसे दिया गया है
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए में;

1956 का 1.

(205) "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" से तात्पर्य है-

(ए) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय सरकार द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम अभिनेता

(बी) कंपनी अधिनियम, 1961 की धारा 617 में परिभाषित एक सरकारी कंपनी

1956 का 1.

5

अधिनियम, 1956;

(206) "लोक सेवक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में है;

1860 का 45.

(207) "विनियम दर" से भारतीय रूप को विदेशी मुद्रा में अथवा इसके विपरीत परिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अथवा मान्यता प्राप्त विनियम दर अभिप्रेत है ;

10

(208) "दूसरे देश के कर की दर" से आयकर या संपत्ति कर, या जैसा भी मामला हो, और उस पर अधिभार या उपकर, यदि कोई हो, का वास्तव में दूसरे देश में उक्त देश में लागू समतुल्य कानूनों के अनुसार भुगतान किया जाता है, जो देय सभी राहत की कटौती के बाद, लेकिन दोहरे कराधान के संबंध में उक्त देश में देय किसी भी राहत की कटौती से पहले, उक्त देश में निर्धारित आय की पूरी राशि से विभाजित होता है;

15

(209) "प्रचलित दर" , किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में, प्रासंगिक प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट आयकर या संपत्ति कर की दर, जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत है—

(क) इस संहिता में; या (ख)

20

धारा 291 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए सुसंगत करार में;

(210) "पुनर्मूल्यांकन" से धारा 159 के अधीन जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में कर आधारों का कोई भी निर्धारण अभिप्रेत है, चाहे—

25

(क) कर आधारों की विवरणी उक्त नोटिस जारी होने से पहले या बाद में दाखिल की गई है; या

(ख) उक्त नोटिस जारी करने से पहले कर आधार का आकलन किया गया है;

(211) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एफ) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित ऐसी शर्तों को पूरा करता है।

1956 का 42.

30

इस प्रयोजन के लिए सरकार;

(212) "मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज" से तात्पर्य पंजीकृत एसोसिएशन से है वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (जेजे) में परिभाषित ;

1952 का 74.

35

(213) "पंजीकृत मूल्यांकक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिए बोर्ड द्वारा पंजीकृत किया गया है;

(214) किसी व्यक्ति के संबंध में, "रिशतेदार" से तात्पर्य है - (क) व्यक्ति का पति या

पत्नी; (ख) व्यक्ति का भाई या बहन; (ग)

व्यक्ति के पति या पत्नी का भाई या बहन; (घ) व्यक्ति के माता-

40

पिता में से किसी का भाई या बहन; (ङ) व्यक्ति का कोई भी पूर्वज या वंशज; (च)

व्यक्ति के पति या पत्नी का कोई पूर्वज या वंशज; (छ) उप-खंड (ख) से (च) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का

पति या पत्नी ; या

(एच) व्यक्ति के भाई या बहन या व्यक्ति के पति या पत्नी का कोई सीधा वंशज; (215) "किसी दायित्व की छूट या समाप्ति" में निम्नलिखित शामिल हैं:

किसी भी दायित्व का-

(क) करदाता द्वारा ऐसी देयता को बट्टे खाते में डालने के एकतरफा कृत्य द्वारा अपने खाते में या रिजर्व (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) बनाकर; या 5

(ख) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की अवधि के दौरान ऋणदाता के साथ कोई लेन-देन न होने के कारण, जिसमें अंतिम लेन-देन हुआ था;

(216) "भारतीय रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित बैंक अभिप्रेत है; 10 1934 का 2.

(217) "निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 4 के अर्थ में भारत में निवासी है;

(218) "निवासी कटौतीकर्ता" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निवासी है और अध्याय XIII के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी कोई राशि प्राप्त करता है; 15

(219) "परिणामी कंपनी" से तात्पर्य है -

(क) एक या एक से अधिक कंपनियों (जिनमें उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी शामिल है) जिनमें विलय के तहत विलय की गई कंपनी का उपक्रम स्थानांतरित किया जाता है और परिणामी कंपनी उपक्रम के ऐसे हस्तांतरण के प्रतिफल में विलय की गई कंपनी के शेयरधारकों को शेयर जारी करती है; या 20

(ख) विलयन के परिणामस्वरूप स्थापित, गठित या निर्मित कोई प्राधिकरण, निकाय, स्थानीय प्राधिकरण या कंपनी; (220) "रॉयल्टी" से तात्पर्य प्रतिफल से है (जिसमें कोई एकमुश्त प्रतिफल

सम्मिलित है, किन्तु ऐसा प्रतिफल शामिल नहीं है जो "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्राप्तकर्ता की आय होगी) - 25

(क) पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, ट्रेडमार्क, गुप्त फार्मूला, प्रक्रिया या समान संपत्ति के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (लाइसेंस देने सहित);

(ख) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला, प्रक्रिया, ट्रेडमार्क या समान संपत्ति के कामकाज या उपयोग से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रदान करना; 30

(ग) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला, प्रक्रिया, ट्रेडमार्क या समान संपत्ति का उपयोग;

(घ) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना; 35

(ई) किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग या उपयोग का अधिकार, जिसके अंतर्गत जहाज या वायुयान भी है, किंतु चौदहवीं अनुसूची की सारणी की मद संख्या 17 और 18 में निर्दिष्ट राशि को छोड़कर, जो उस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार कर के अधीन है;

(च) उपग्रह, केबल, ऑप्टिक फाइबर या समान प्रौद्योगिकी द्वारा संचरण का उपयोग या उपयोग का अधिकार; 40

(छ) निम्नलिखित के संबंध में सभी या किसी अधिकार का हस्तांतरण (लाइसेंस प्रदान करना भी शामिल है) -

(i) साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य का कोई कॉपीराइट; (ii) सिनेमैटोग्राफिक

फिल्में या फिल्मों पर काम, टेप या प्रजनन का कोई अन्य साधन; या 45

(iii) किसी भी घटना का लाइव कवरेज;

(ज) उप-खंड (क) से (छ) में निर्दिष्ट गतिविधियों के संबंध में किसी भी सेवा का प्रदान करना ; (221) "ग्रामीण क्षेत्र" का अर्थ है कोई भी क्षेत्र जो शहरी

क्षेत्र नहीं है; (222) धारा 117 के तहत सन्निकट मूल्य की गणना के संबंध में "सुरक्षित

5 बंदरगाह" का अर्थ है ऐसी परिस्थितियां, जिनमें आयकर प्राधिकारी करदाता द्वारा घोषित हस्तांतरण मूल्य को स्वीकार करेंगे;

(223) "वेतन" में निम्नलिखित शामिल हैं,—

(क) मजदूरी;

10 (ख) पारिश्रमिक; (ग)

अनुलाभ; (घ) किसी

वेतन के बदले या उसके अतिरिक्त लाभ; (ङ) वेतन का कोई अग्रिम या

बकाया; (च) किसी कर्मचारी को दिया गया कोई भत्ता

या लाभ-

15 (i) अपने व्यक्तिगत व्ययों को उस स्थान पर पूरा करने के लिए जहां उसके द्वारा सामान्यतः उसके पद या लाभ के नियोजन के कर्तव्यों का पालन किया जाता है या जहां वह सामान्यतः निवास करता है;

(ii) जीवन-यापन की बढ़ी हुई लागत की प्रतिपूर्ति करना; (iii) पूर्णतः, आवश्यक

रूप से और विशेष रूप से उसके खर्चों को पूरा करना।

20 किसी लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्यों का पालन;

(iv) किसी कर्मचारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसे पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति देना

(v) जो उसके लाभ के पद या रोजगार से संबंधित विशेष प्रकृति का हो; या (v) जो मकान

किराया भत्ते की प्रकृति का हो;

25 (छ) उप-खण्ड (च) में निर्दिष्ट भत्तों के अलावा कोई भत्ता , रियायत या सहायता;

(ज) किसी कर्मचारी द्वारा उसके द्वारा न ली गई छुट्टी की अवधि के संबंध में प्राप्त कोई भुगतान;

(i) किसी नियोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष में पेंशन निधि के अंतर्गत किसी कर्मचारी के खाते में किया गया कोई अंशदान;

30 (जे) वित्तीय वर्ष में किसी नियोक्ता द्वारा किसी अन्य निधि में किसी कर्मचारी के खाते में किया गया कोई अंशदान;

(ट) वित्तीय वर्ष में, खंड (ज) में निर्दिष्ट निधि में किसी कर्मचारी के खाते में जमा शेष पर जमा की गई ब्याज की कोई राशि ;

(ठ) कोई वार्षिकी, पेंशन या उसका कोई संराशिकरण; (ड) कोई ग्रेच्युटी; (ढ)

35 कोई फीस या कमीशन;

(224) "अनुसूची" से इस संहिता की अनुसूची अभिप्रेत है; (225)

"अनुसूचित बैंक" से इस संहिता की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कोई बैंक अभिप्रेत है।

1934 का 2.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;

40 (226) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में है;

(227) "वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास" से प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान (कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन सहित) के क्षेत्र में व्यवस्थित जांच और अनुसंधान अभिप्रेत है, यदि-

(क) यह करदाता द्वारा प्रयोग या विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है; (ख) यह इस प्रकार का है-

5

(i) आधारभूत अनुसंधान, अर्थात् उन्नति के लिए किया गया कार्य विशेष व्यावहारिक अनुप्रयोग के बिना वैज्ञानिक ज्ञान;

(ii) अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अर्थात् उन्नति के लिए किया गया कार्य विशेष व्यावहारिक अनुप्रयोग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक ज्ञान का; या

(iii) प्रायोगिक विकास, अर्थात्, नई सामग्री, उपकरण, उत्पाद या प्रक्रियाओं के निर्माण या उनमें वृद्धिशील सुधार सहित मौजूदा सामग्रियों, उपकरणों, उत्पादों या प्रक्रियाओं में सुधार के उद्देश्य से प्रौद्योगिकीय उन्नति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य; और (ग) यह निम्नलिखित प्रकृति का नहीं है-

10

(i) बाजार अनुसंधान या बिक्री संवर्धन; (ii) सामग्री, उपकरणों, उत्पादों या

15

प्रक्रियाओं का गुणवत्ता नियंत्रण या नियमित परीक्षण;

(iii) सामाजिक विज्ञान या मानविकी में अनुसंधान; (iv) खनिजों, पेट्रोलियम

या प्राकृतिक गैस की खोज, अन्वेषण या ड्रिलिंग, या उत्पादन; (v) किसी नई या बेहतर सामग्री, उपकरण का व्यावसायिक उत्पादन

20

या उत्पाद या किसी नई या बेहतर प्रक्रिया का व्यावसायिक उपयोग;

(vi) शैली परिवर्तन; या (vii)

नियमित डेटा संग्रहण;

(228) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एच) में दिया गया है;

25

1956 का 42.

(229) "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" से तात्पर्य उस बोर्ड से है जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत;

1992 का 15.

(230) "स्व-मूल्यांकन कर" से वित्तीय वर्ष के बाद लेकिन कर आधारों की रिटर्न दाखिल करने से पहले भुगतान किया गया कर अभिप्रेत है;

30

(231) "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर लेता है;

(232) गैर-प्रतिस्पर्धा समझौते के प्रयोजनों के लिए "सेवा" का अर्थ किसी भी प्रकार की सेवा है जो संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसमें किसी भी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रकृति के व्यवसाय से संबंधित सेवाओं का प्रावधान शामिल है जैसे लेखांकन, बैंकिंग, मर्चेट बैंकिंग, संचार, समाचार या सूचना का संप्रेषण, विज्ञापन, मनोरंजन, शिक्षा, वित्तपोषण, बीमा, चिट फंड, अचल संपत्ति, निर्माण, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, बोर्डिंग और लॉजिंग;

35

(233) "सिक्किमी" से तात्पर्य है,—

40

(क) कोई व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषय नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम विषय विनियमन, 1961 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में (इस खंड में "सिक्किम विषयों का रजिस्टर" कहा गया है) 26 अप्रैल, 1975 के ठीक पहले दर्ज है;

(ख) कोई व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश संख्या 26030/36/90-आईसीआई, दिनांक 7 अगस्त, 1990 और समसंख्यक आदेश, दिनांक 8 अप्रैल, 1991 के आधार पर सिक्किम विषय के रजिस्टर में शामिल है; या

5 (ग) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम आयकर रजिस्टर में नहीं है।
सिक्किम विषय, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या दादा या उसी पिता से भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है; (234) "मंदी बिक्री" का अर्थ है किसी व्यवसाय के किसी उपक्रम या विभाजन की एकमुश्त प्रतिफल के लिए बिक्री, बिना किसी व्यक्तिगत संपत्ति

10 और देनदारियों को मूल्य निर्दिष्ट किए, ऐसी बिक्री में, स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क या अन्य समान करों या शुल्क के भुगतान के एकमात्र उद्देश्य के लिए परिसंपत्तियों या देनदारियों को मूल्यों के असाइनमेंट के अलावा;

1860 का 21.

(235) "सोसायटी" से तात्पर्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी से है, 1860 के अधीन या भारत के किसी भी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम के समतुल्य किसी कानून के अधीन;

15 (236) "बेचा गया" में विनिमय के माध्यम से हस्तांतरण या किसी भी समय लागू कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण शामिल है, लेकिन इसमें पूर्ववर्ती द्वारा उत्तराधिकारी को किसी भी परिसंपत्ति का व्यवसाय पुनर्गठन की योजना में हस्तांतरण शामिल नहीं है;

(237) "अर्जन के विशेष तरीके" से तात्पर्य है -

20 (क) किसी हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा परिवर्तित संपत्ति का अधिग्रहण; या (ख) किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से अधिग्रहण, -

(i) किसी परिसंपत्ति के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर वितरण पर हिंदू अविभाजित परिवार; (ii) उपहार

के रूप में; (iii) वसीयत के तहत; (iv) उत्तराधिकार,

25 विरासत या विकेन्द्रीकरण के माध्यम से; (v) किसी असंबद्ध निकाय के विघटन पर किसी संपत्ति के वितरण पर;

(vi) किसी कंपनी के परिसमापन पर किसी परिसंपत्ति के वितरण पर; (vii) किसी ट्रस्ट को प्रतिसंहरणीय या अपरिवर्तनीय निपटान पर; या

30 (viii) धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (ज) में निर्दिष्ट किसी लेन-देन के अधीन ;

(238) "विशेष स्रोत" का व्याकरणिक रूपान्तरण वही होगा जो धारा 15 में दिया गया है।

35 (239) "विनिर्दिष्ट संघ" का अर्थ है कोई संस्था, संघ या निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो भारत में वर्तमान में लागू किसी कानून या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के कानूनों के तहत कार्य कर रहा है और केंद्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित है।
सरकार;

(240) "निर्दिष्ट व्युत्पन्न लेनदेन" से व्युत्पन्न में कोई लेनदेन अभिप्रेत है, अगर-

40 (क) यह किसी मान्यता प्राप्त संस्था की स्क्रीन-आधारित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।
शेयर बाजार;

(ख) यह किसी बैंक या म्यूचुअल फंड या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वित्तीय मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता है; और

45 (ग) यह वित्तीय मध्यस्थ द्वारा प्रत्येक ग्राहक को जारी किए गए समय-मुद्रित अनुबंध नोट द्वारा समर्थित है, जिसमें अनुबंध नोट में यह दर्शाया गया है कि-

(i) किसी भी समय लागू कानून के तहत आवंटित विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या; और

(ii) इस संहिता के अंतर्गत आवंटित स्थायी खाता संख्या;

(241) "विनिर्दिष्ट ज्ञान-आधारित उद्योग या सेवा" से तात्पर्य है-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर; (ख) सूचना प्रौद्योगिकी सेवा; (ग) मनोरंजन सेवा; (घ) दवा उद्योग; (ङ) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग; और (च) कोई अन्य उद्योग या सेवा, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

5

10

(242) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" से भारत के बाहर का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(243) "सट्टा कारोबार" से कारोबार की प्रकृति में किए जाने वाले सट्टा लेनदेन अभिप्रेत हैं;

15

(244) "सट्टा लेनदेन" का अर्थ है ऐसा लेनदेन जिसमें स्टॉक और शेयरों सहित किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री के लिए एक अनुबंध, निम्नलिखित लेनदेन के अलावा वस्तु या स्क्रिप्स के वास्तविक वितरण या हस्तांतरण के अलावा आवधिक या अंततः निपटारा जाता है; अर्थात्, -

(क) निर्दिष्ट व्युत्पन्न लेनदेन; (ख) कच्चे माल या माल के संबंध

20

में एक अनुबंध जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने विनिर्माण या व्यापारिक कारोबार के दौरान उसके द्वारा निर्मित माल या बेचे गए माल की वास्तविक डिलीवरी के लिए उसके अनुबंधों के संबंध में भविष्य में मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि से बचाव के लिए किया जाता है;

(ग) स्टॉक और शेयरों के संबंध में एक अनुबंध जो किसी डीलर या निवेशक द्वारा मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण स्टॉक और शेयरों की अपनी होल्डिंग में होने वाली हानि से बचाव के लिए किया जाता है; और

25

(घ) किसी वायदा बाजार या स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा जॉबिंग या आर्बिट्रिज की प्रकृति के किसी लेनदेन के दौरान गई संविदा, ताकि ऐसे सदस्य के रूप में उसके कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होने वाली हानि से बचाव हो सके;

30

(245) "स्पीड बोट" से अभिप्राय एक मोटर बोट से है जो उच्च गति वाले आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित होती है, जो स्थिर जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से बोट को चलाने में सक्षम है और इस प्रकार डिजाइन की गई है कि ऐसी गति से चलने पर इसका अग्रभाग ऊपर उठ जाएगा;

(246) "स्टाम्प शुल्क मूल्य" से तात्पर्य है-

35

(क) किसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया या निर्धारित मूल्य; या

(ख) वह मूल्य जो स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के पास होगा, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जिसे अपनाया गया हो या जिसका मूल्यांकन किया गया हो, यदि उसे स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया हो;

40

(247) "भारतीय स्टेट बैंक" से तात्पर्य भारतीय स्टेट बैंक से है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत गठित है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955;

1955 का 23.

- (248) "राज्य वित्तीय निगम" का अर्थ है धारा 3 या धारा 3ए के तहत स्थापित वित्तीय निगम या राज्य अधिनियम की धारा 46 के तहत अधिसूचित संस्था।
- 1951 का 63. वित्तीय निगम अधिनियम, 1951;
- (249) "राज्य औद्योगिक निवेश निगम" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी अभिप्रेत है, जो औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है;
- 1956 का 1. 5
- (250) "राज्य संयोजित वित्त इकाई" से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संयोजित वित्त विकास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित की गई है।
केंद्र सरकार;
- 10
- (251) "सहायक कंपनी" का वही अर्थ होगा जो धारा 4 में दिया गया है।
कंपनी अधिनियम, 1956 और इसमें भारत के बाहर निगमित सहायक कंपनियां शामिल हैं;
- 1956 का 1. 10
- (252) "कारोबार पुनर्गठन" में "उत्तराधिकारी" से तात्पर्य है-
- (क) समामेलन की स्थिति में, समामेलित कंपनी या समामेलित सहकारी संस्था;
- 15
- (ख) खंड (41) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में विलयित कंपनी;
- (ग) विभाजन की स्थिति में परिणामी कंपनी;
- (253) "कारोबार में उत्तराधिकारी" से तात्पर्य है -
- (क) "व्यावसायिक पुनर्गठन" में उत्तराधिकारी;
- 20
- (ख) कोई फर्म जो किसी अन्य फर्म का उत्तराधिकारी होकर व्यवसाय चला रही है; तथा
- (ग) कोई व्यक्ति जो किसी व्यवसाय में किसी अन्य व्यक्ति का उत्तराधिकारी बनता है;
- (254) "स्वेट इक्विटी शेयर" से तात्पर्य है-
- (ए) के तहत दिए गए किसी भी कर्मचारी स्टॉक विकल्प के अंतर्गत कोई सुरक्षा
नियोजित की कोई योजना या स्कीम; या
- 25
- (ख) किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी या निदेशक को छूट पर या नकदी के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए जारी की गई कोई प्रतिभूति;
- (255) "कर" से इस संहिता के प्रावधानों के तहत प्रभाय कोई भी कर अभिप्रेत है और इसमें अधिभार या उपकर, यदि कोई हो, शामिल है;
- (256) "कर खाता संख्या" का अर्थ इस संहिता के तहत किसी व्यक्ति को आवंटित संख्या है जो उप-अध्याय ए के तहत
स्रोत पर कर काटने या स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है।
अध्याय XIII का उप-अध्याय बी;
- 30
- (257) "कर बकाया" से तात्पर्य इस संहिता के अंतर्गत किसी करदाता से देय कर, ब्याज, जुर्माना, दंड या किसी अन्य राशि से है;
- (258) "कर आधार" से तात्पर्य है -
- 35
- (क) आयकर के संबंध में आय या कुल आय, जैसा भी मामला हो;
- (ख) संपत्ति-कर के संबंध में शुद्ध संपत्ति;
- (ग) लाभांश वितरण कर के संबंध में वितरित लाभांश या वितरित आय पर कर के संबंध में वितरित आय;
- (घ) शाखा लाभ कर के संबंध में शाखा लाभ;
- 40
- (ई) किसी अन्य व्यक्ति की उप-खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट आय या कुल आय, शुद्ध संपत्ति, या लाभांश या वितरित आय जिसके संबंध में करदाता इस संहिता के तहत कर योग्य है;

(259) "कर वसूली अधिकारी" से कोई आयकर अधिकारी अभिप्रेत है जिसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाए-

(क) कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करना; और

(ख) ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग या निष्पादन करना, जो किसी कर निर्धारण अधिकारी को सौंपा जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

5

(260) "कारबार की निरंतरता का परीक्षण" उत्तराधिकारी के मामले में संतुष्ट हो जाता है, यदि वह-

(क) व्यवसाय पुनर्गठन के माध्यम से अर्जित पूर्ववर्ती की अचल परिसंपत्तियों के बही मूल्य का कम से कम तीन-चौथाई हिस्सा, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद के पांच वित्तीय वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए लगातार धारण करता है जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन होता है;

10

(ख) पूर्ववर्ती के कारोबार को उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद के न्यूनतम पांच वित्तीय वर्षों की अवधि तक जारी रखेगा जिसमें कारोबार पुनर्गठन होता है; और

15

(ग) पूर्ववर्ती के व्यवसाय के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए या यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय पुनर्गठन वास्तविक व्यवसायिक उद्देश्य के लिए है, ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो निर्धारित की जा सकती हैं;

(261) "प्रारंभिक सीमा" से वह अधिकतम राशि अभिप्रेत है जो आय योग्य नहीं है-

कर;

20

(262) "टन भार आय योजना" से दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अधीन अर्हक पोलों के प्रचालन के कारबार के लाभों की गणना के लिए योजना अभिप्रेत है;

(263) किसी वित्तीय वर्ष की "कुल आय" से उस वित्तीय वर्ष के लिए धारा 63 के अधीन संगणित कुल आय अभिप्रेत है;

(264) किसी वित्तीय वर्ष की "विशेष स्रोतों से कुल आय" से उस वित्तीय वर्ष के लिए धारा 62 की उपधारा (4) के अधीन एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम अभिप्रेत है;

25

(265) किसी व्यवसाय के संबंध में "कुल कारोबार" से करदाता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके विश्वव्यापी माल की बिक्री या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्य सकल राशि अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो, जिसमें बिक्री या आपूर्ति के संबंध में एकत्रित या संग्रहणीय कोई कर, शुल्क, उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) शामिल है;

30

(266) "व्यापार ऋण" से तात्पर्य ऐसे ऋण से है-

(क) जिसे किसी वित्तीय वर्ष में करदाता की आय की गणना करते समय ध्यान में रखा गया हो; या

(ख) जो बैंकिंग या धन उधार देने के सामान्य क्रम में उधार दिया गया धन है- जो करदाता द्वारा किया जाता है;

35

(267) पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में "हस्तांतरण" में निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) परिसंपत्ति की बिक्री, विनिमय या त्याग;

(ख) इसमें किसी भी अधिकार का उन्मूलन;

(ग) किसी भी समय लागू कानून के तहत इसका अनिवार्य अधिग्रहण;

40

(घ) इसका किसी व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड में रूपांतरण, या उसके साथ ऐसा व्यवहार;

(ई) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77ए के स्पष्टीकरण के खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी भी शेष या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की ऐसे शेषों या प्रतिभूतियों के जारीकर्ता द्वारा वापस खरीद ;

1956 का 1.

(च) किसी कंपनी या अनिगमित निकाय को, चाहे पुंजी के रूप में या अन्यथा, परिसंपत्ति का कोई अंशदान, जिसमें हस्तांतरणकर्ता, जैसा भी मामला हो, शेरधारक या भागीदार है या बन जाता है;

5

(छ) किसी असंबद्ध निकाय के विघटन के कारण परिसंपत्ति का वितरण;

(ज) किसी कंपनी के परिसमापन या विघटन के कारण परिसंपत्ति का वितरण;

1882 का 4.

10

(i) कोई लेनदेन जो किसी अचल संपत्ति के कब्जे को संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53ए में निर्दिष्ट प्रकृति के अनुबंध के आंशिक निष्पादन में लेने या बनाए रखने की अनुमति देता है;

(जे) कोई लेनदेन जो किसी अचल संपत्ति के रूप में परिसंपत्ति का आनंद लेने में सक्षम बनाता है, चाहे वह किसी अनिगमित-रेटेड निकाय में भागीदार बनने या किसी कंपनी में शेर प्राप्त करने या किसी समझौते, व्यवस्था या किसी अन्य तरीके से हो;

15

(ट) शून्य कूपन बांड की परिपक्वता या मोचन; (ठ) मंदी बिक्री; (ड) बीमाकृत परिसंपत्ति को

कोई क्षति या उसका

विनाश जिसके परिणामस्वरूप-

(i) बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप या कोई अन्य घटना प्रकृति की व्यग्रता;

20

(ii) दंगा या नागरिक अशांति; (iii) आकस्मिक

आग या विस्फोट; या (iv) किसी शत्रु द्वारा की गई कार्रवाई

या शत्रु से लड़ने में की गई कार्रवाई (युद्ध की घोषणा के साथ या उसके बिना); (n) किसी डिपॉजिटरी द्वारा पंजीकृत स्वामी के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों में लाभकारी हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूतियों का हस्तांतरण;

25

(o) किसी अनिगमित कंपनी में भागीदार को धन या परिसंपत्ति का वितरण शरीर से सेवानिवृत्त होने के कारण शरीर; तथा

(पी) कोई भी निपटान, निपटान, ट्रस्ट, वाचा, समझौता या व्यवस्था।

30

(268) "स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी" का अर्थ है कोई अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त या सहायक आयुक्त, जिसे बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में सन्निकट मूल्य निर्धारित करने और उससे संबंधित कोई जुर्माना लगाने के लिए सभी या कोई कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

35

(269) "परिवहन प्रभार" में सम्मिलित हैं-

(क) भारत में या भारत से बाहर किसी स्थान या किसी बंदरगाह से यात्रियों, पशुधन, मेल (कूरियर सहित) या माल के परिवहन के लिए करदाता को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भुगतान की गई कोई राशि;

40

(ख) भारत के बाहर किसी स्थान या किसी बंदरगाह से यात्रियों, पशुधन, मेल (कूरियर सहित) या माल के परिवहन के कारण करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई कोई राशि;

(ग) करदाता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को विलंब शुल्क या हैंडलिंग शुल्क या ऐसे अन्य शुल्कों के रूप में भारत में भुगतान की गई या प्राप्त की गई या प्राप्त समझी गई कोई राशि; या

45

(घ) चार्टर के लिए करदाता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भुगतान की गई या उसके द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त समझी गई कोई राशि, चाहे चालक दल के साथ हो या नहीं,

उप-खंड (ए) और (बी) के संबंध में जहाजों, विमानों या परिवहन के किसी अन्य साधन के स्लॉट चार्टर, स्पेस चार्टर, संयुक्त चार्टर या किसी समान व्यवस्था सहित ;

(270) "ट्रस्ट" का वही अर्थ होगा जो धारा 103 के खंड (ई) में है;

(271) "अनवशोषित चालू पूंजी हानि" से धारा 60 की उपधारा (4) के अंतर्गत निर्धारित राशि अभिप्रेत है।

5

(272) "अनवशोषित चालू घुड़दौड़ हानि" से धारा 60 की उपधारा (10) के अंतर्गत निर्धारित राशि अभिप्रेत है;

(273) "साधारण स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि" से धारा 61 की उपधारा (3) के अधीन अवधारित राशि अभिप्रेत है ;

10

(274) "विशेष स्रोत से अनवशोषित चालू हानि" से तात्पर्य उस राशि से है, धारा 62 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारित;

(275) "अनवशोषित चालू सट्टा हानि" से धारा 60 की उपधारा (8) के अंतर्गत निर्धारित राशि अभिप्रेत है;

(276) "अनवशोषित पूर्ववर्ती वर्ष पूंजी हानि" से संबंधित वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अनवशोषित चालू पूंजी हानि अभिप्रेत है;

15

(277) "अनवशोषित पूर्ववर्ती वर्ष की घुड़दौड़ हानि" से संबंधित वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अनवशोषित चालू घुड़दौड़ हानि अभिप्रेत है;

20

(278) "साधारण स्रोतों से अनवशोषित पूर्ववर्ती वर्ष की हानि" से संबंधित वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लिए साधारण स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि अभिप्रेत है;

(279) "विशेष स्रोत से पूर्ववर्ती वर्ष की अनवशोषित हानि" से संबंधित वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की विशेष स्रोत से अनवशोषित चालू हानि अभिप्रेत है;

25

(280) "अनवशोषित पूर्ववर्ती वर्ष सट्टा हानि" से संबंधित वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लिए अनवशोषित चालू सट्टा हानि अभिप्रेत है;

(281) विभाजन के संबंध में "उपक्रम" में निम्नलिखित शामिल हैं-

30

(क) किसी उपक्रम का कोई भाग;

(ख) किसी उपक्रम की इकाई या प्रभाग;

(ग) समय रूप से ली गई कोई व्यावसायिक गतिविधि; या

(घ) व्यक्तिगत परिसंपत्तियां या देयताएं या उनका कोई संयोजन जो व्यावसायिक गतिविधि का गठन करता है;

35

(282) "असंगठित निकाय" से तात्पर्य है -

(क) एक फर्म;

(ख) व्यक्तियों का संघ; या

(ग) व्यक्तियों का एक निकाय;

(283) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई संस्था भी शामिल है;

40

1956 का 3.

(284) "नगरीय क्षेत्र" से तात्पर्य है -

(क) किसी नगर पालिका (चाहे उसे नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता हो) के अधिकार क्षेत्र के भीतर का क्षेत्र

45

नगर समिति, नगर समिति या किसी अन्य नाम से) या छावनी बोर्ड और जिसकी जनसंख्या पिछली जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक है, जिसके सुसंगत आंकड़े वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से पूर्व प्रकाशित हो गए हैं; या

5 (ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर का क्षेत्र, जिसे केंद्रीय सरकार उस क्षेत्र के शहरीकरण की सीमा और उसके दायरे तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; (285) "नगरीय विकास प्राधिकरण" से भारत में किसी कानून द्वारा या उसके अधीन गठित कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए

अधिनियमित किया गया है-

10

(क) आवास सुविधा की आवश्यकता से निपटना और उसे पूरा करना; या (ख) शहरों, कस्बों और गांवों की योजना बनाना, विकास करना या सुधार करना;

(286) धन-कर के संबंध में "मूल्यांकन तिथि" से संबंधित वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की तिथि अभिप्रेत है;

15

(287) "मूल्यांकन अधिकारी" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। केन्द्रीय सरकार और इसमें एक क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी, एक जिला मूल्यांकन अधिकारी और एक सहायक मूल्यांकन अधिकारी शामिल हैं;

(288) "कारोबार की इन्वेंट्री का मूल्य" जैसा कि—

20

(क) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तैयार माल, प्रगतिरत कार्य, कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त सामान या स्टॉक में शेष किसी अन्य वस्तु सूची का मूल्य अभिप्रेत है, जैसा कि उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर है और मूल्य की गणना करदाता द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली लेखा पद्धति के अनुसार की जाती है; और

(ख) वित्तीय वर्ष का प्रारम्भ होगा-

25

(i) शून्य, यदि कारोबार वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू हुआ है; और (ii) किसी अन्य मामले में, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कारोबार की इन्वेंट्री का मूल्य; (289) "स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य" उस तारीख को स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य होगा, जिसको करदाता द्वारा

विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जो निर्धारित विधि के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें से ऐसे शेयरों के संबंध में करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि को घटाया जाएगा;

30

(290) "जोखिम पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है-

1992 का 15.

(क) जिसे उद्यम पूंजी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कंपनी; और

35

(ख) जो इस संबंध में निर्धारित सभी अन्य शर्तों को पूरा करता है;

(291) "उद्यम पूंजी निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है-

1992 का 15.

(क) जिसे उद्यम पूंजी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत निधि; और

(ख) जो इस संबंध में निर्धारित सभी अन्य शर्तों को पूरा करता है;

40

(292) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसी घरेलू कंपनी अभिप्रेत है जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो निम्नलिखित के कारोबार में लगी हुई है-

(क) नैनो प्रौद्योगिकी; (ख)

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी;

45

(ग) बीज अनुसंधान एवं विकास; (घ) जैव प्रौद्योगिकी;

(ङ) औषधीय क्षेत्र में नई

रासायनिक इकाइयों का अनुसंधान एवं विकास;

(च) जैव ईंधन का उत्पादन; (छ) डेयरी

5

और मुर्गीपालन; (ज) तीन हजार

से अधिक बैठने की क्षमता वाले समग्र होटल सह सम्मेलन केंद्र का निर्माण और संचालन;

(i) अवसंरचना सुविधा का विकास; या (j) कोई अन्य व्यवसाय जैसा

कि निर्धारित किया जा सकता है;

10

(293) "व्यापक रूप से धारित कंपनी" से तात्पर्य है-

(क) सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली कंपनी; (ख) ऐसी कंपनी जिसमें चुकता शेयर पूंजी का

कम से कम चालीस प्रतिशत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या उस बैंक के स्वामित्व वाले निगम द्वारा (चाहे अकेले या दोनों मिलकर) धारित हो;

15

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी; (घ) पारस्परिक लाभ वित्त कंपनी; (ङ)

1956 का 1.

सहकारी क्षेत्र की कंपनी; (च) सार्वजनिक कंपनी; (छ)

केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय सरकार द्वारा या उसके अधीन

स्थापित निगम

20

कार्य;

(ज) कोई कंपनी जिसमें पचास प्रतिशत से अन्यून चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पूरे प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान उन कंपनियों द्वारा (चाहे अकेले या सामूहिक रूप से) धारण की जाती है जिन पर यह खंड लागू होता है; या

(i) कोई कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित निजी कंपनी नहीं है और ऐसी कंपनी में पचास प्रतिशत से अन्यून मताधिकार वाले शेयर आवंटित किए गए हैं और पूरे प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित रूप में धारित किए गए हैं-

25

1956 का 1.

(I) खंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट कंपनियों द्वारा (चाहे अकेले या एक साथ); या

30

(II) खंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट किसी कंपनी की सहायक कंपनी द्वारा, यदि ऐसी सहायक कंपनी की संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान मूल कंपनी या उसके नामितियों द्वारा धारण की गई है;

(294) "कार्यरत भागीदार" का अर्थ है एक व्यक्ति जो उस अनिगमित निकाय के व्यवसाय या पेशे के कार्यों के संचालन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है जिसका वह भागीदार है; (295) "लिखित मूल्य" का अर्थ धारा 45 में निर्दिष्ट है; (296) ऋण के संबंध में "बट्टे खाते में डाला गया" का अर्थ है

35

देनदार के खाते में एक उपयुक्त प्रविष्टि दर्ज करना ताकि बिना किसी वसूली के ऋण की राशि कम हो सके;

40

(297) "शून्य कूपन बांड" से ऐसा बांड अभिप्रेत है-

(ए) किसी कंपनी, फंड या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित योजना;

(ख) जिसके संबंध में कंपनी, निधि या अनुसूचित बैंक से परिपक्वता या मोचन से पहले कोई भुगतान और लाभ प्राप्त या प्राप्य नहीं है; तथा

(ग) जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

5 315. इस संहिता में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो,-

निर्माण।

(क) किसी आय या किसी संगणना के परिणाम के संदर्भ को, यथास्थिति, आय या परिणाम के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;

10 (ख) दो या अधिक मदों के एकत्रीकरण के लिए किसी निर्देश को, जो राशियों के रूप में व्यक्त किया गया है, उनके सभी संयोजनों में नकारात्मक और सकारात्मक राशियों के एकत्रीकरण के लिए निर्देश को भी शामिल करने के लिए समझा जाएगा;

(ग) किसी सूत्र में किसी चर का मान शून्य माना जाएगा, यदि ऐसे चर का मान अनिर्णायक या अप्रमाण्य है।

अध्याय 20

15

मिश्रित

316. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नियम बना सकेगा।

नियम बनाने की शक्ति.

20 (2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) किसी भी वर्ग की आय का पता लगाना और निर्धारण करना;

(ख) वह तरीका और प्रक्रिया जिसके द्वारा आय निर्धारित की जाएगी, निम्नलिखित के मामले में—

(i) कृषि आय;

25 (ii) भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति;

(iii) ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आय में धारा 9 में निर्दिष्ट आय सम्मिलित है;

(ग) इस संहिता के अधीन अनुमेय व्यय की रकम का ऐसी रीति, सीमा तथा ऐसे आधार और शर्तों पर निर्धारण, जो बोर्ड को उचित तथा युक्तिसंगत प्रतीत हो;

30 (घ) वे पद्धतियाँ जिनके द्वारा किसी कर योग्य आय या कटौती योग्य व्यय का अनुमान लगाया जा सकेगा, यदि ऐसी आय या व्यय निश्चित रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या केवल निर्धारिती को इतनी परेशानी और व्यय उठाकर सुनिश्चित किया जा सकता है जो बोर्ड की राय में अनुचित है;

35 (ई) वह प्ररूप और तरीका जिसमें कोई दस्तावेज, आवेदन, दावा, विवरणी या सूचना तैयार की जा सकेगी या प्रस्तुत की जा सकेगी तथा वह शुल्क जो किसी दस्तावेज, आवेदन या दावे के संबंध में लगाया जा सकेगा;

(च) व्यक्तियों का वह वर्ग या वर्ग, जिनसे कोई दस्तावेज, आवेदन, दावा, विवरणी या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी;

40 (छ) वह प्ररूप और ढंग जिससे कोई दस्तावेज, आवेदन, दावा, विवरणी या सूचना प्रस्तुत की जाएगी। जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जा सकती है;

(ज) दस्तावेज, विवरण, रसीद, प्रमाणपत्र या रिपोर्ट जो इस संहिता में निहित किसी भी विपरीत बात पर ध्यान दिए बिना, रिटर्न के साथ प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी, किन्तु मांगे जाने पर मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी;

(i) कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिस पर कोई दस्तावेज लागू होता है-
दावा, विवरण या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित की जा सकती है;

(जे) वह तरीका जिससे इस संहिता के अधीन दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज, आवेदन, दावे,
विवरण या सूचना का सत्यापन किया जा सकेगा;

(ट) वह प्राधिकरण, एजेंसी या संगठन जो कोई आवेदन प्राप्त कर सकता है,
बोर्ड या विभाग की ओर से दावा, विवरण या सूचना;

(ठ) इस संहिता के किसी उपबंध के अधीन करदाताओं द्वारा देय ब्याज या सरकार द्वारा करदाताओं को देय ब्याज की
गणना करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें उस अवधि को पूर्णांकित करना शामिल है जिसके लिए ऐसे ब्याज की गणना
उन मामलों में की जानी है जहां ऐसी अवधि में किसी माह का अंश सम्मिलित है, और उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करना जिनमें
और किस सीमा तक करदाताओं द्वारा देय ब्याज की छोटी राशियों की उपेक्षा की जा सकती है;

(ड) वह प्ररूप और रीति, जिसमें इस संहिता के अधीन कोई अपील या प्रतिआक्षेप फाइल किया जा सकेगा और वह
रीति, जिसमें धारा 184 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी आदेश की सूचना तामील की जा सकेगी;

(ढ) वे परिस्थितियां, शर्तें और तरीका, जिसके अंतर्गत आयुक्त (अपील) किसी अपीलकर्ता को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने
की अनुमति दे सकेगा, जिसे उसने प्रस्तुत नहीं किया है या जिसे उसे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति
नहीं दी गई थी;

(ओ) किसी अपील, आवेदन, संदर्भ या निर्णय के संबंध में देय शुल्क;

(त) आयकर प्राधिकारियों के समक्ष व्यवसाय करने वाले विधि व्यवसायियों या लेखाकारों से भिन्न, धारा 304 में निर्दिष्ट
व्यक्तियों का रजिस्टर रखना तथा उस धारा की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी का गठन करना तथा उसके द्वारा अपनाई जाने
वाली प्रक्रिया;

(थ) करदाता द्वारा कर के भुगतान की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र जारी करना;

(द) इस संहिता के किसी प्रयोजन के लिए विहित किया जाने वाला प्राधिकारी;

(ध) दोहरे कराधान के संबंध में राहत प्रदान करने या दोहरे कराधान से बचने के लिए किसी करार की शर्तों को प्रभावी
करने की प्रक्रिया, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन की जा सकेगी; और

(न) कोई अन्य विषय जो इस संहिता द्वारा विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया कोई आदेश, आरंभ की गई या संचालित कार्यवाही, या किया गया दायित्व या दायित्व का
निर्वहन इस संहिता के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से किया गया, आरंभ की गई, संचालित या निर्वहन किया गया समझा जाएगा।

(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में, इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर तारीख से, नियमों या उनमें से
किसी को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी और जब तक इसके विपरीत अनुज्ञात न हो, किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव नहीं
दिया जाएगा, जिससे करदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

नियम, योजनाएं
और नियम बनाना
पहले की सूचनाएं
संसद।

317. इस संहिता के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और योजना तथा जारी की गई अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने
के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक
सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के
अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, योजना या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे
परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, योजना या अधिसूचना नहीं बनाई
जानी चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी। तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभावन से उस
नियम, योजना या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1961 का 43. 1957
का 27. 1961 का
43.
1957 का 27.

318. (1) आयकर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

निरसन एवं बचत।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात क्रमशः निरस्त आयकर अधिनियम या निरस्त धन-कर अधिनियम कहा जाएगा) के निरसन के बावजूद,— (क) जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए इस संहिता के प्रारंभ से पहले आय या

5 धन का रिटर्न दाखिल किया गया है, उस वर्ष के लिए उस व्यक्ति के कर निर्धारण के लिए कार्यवाही की जा सकेगी और जारी रखी जा सकेगी मानो यह संहिता अधिनियमित नहीं हुई हो;

(ख) जहां आयकर रिटर्न इस संहिता के प्रारंभ के बाद दाखिल किया जाता है, निरस्त आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के अनुसरण में नहीं, अधिनियम के अनुसार, 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पूर्वतर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य, उस वर्ष के लिए उस व्यक्ति का मूल्यांकन इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

(ग) जहां किसी व्यक्ति द्वारा 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पूर्वतर वर्ष के लिए धन-कर विवरणी इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात, निरसित धन-कर अधिनियम की धारा 17 के अधीन नोटिस के अनुसरण में दाखिल करने के अलावा, दाखिल की जाती है, वहां उस वर्ष के लिए उस व्यक्ति का मूल्यांकन इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

(घ) इस संहिता के प्रारंभ पर किसी आयकर प्राधिकरण, संपत्ति कर प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण, कर प्राधिकरण के समक्ष लंबित कोई कार्यवाही अग्रिम निर्णय और विवाद समाधान, निपटान आयोग या किसी न्यायालय द्वारा अपील, संदर्भ, आवेदन या पुनरीक्षण के माध्यम से किया गया कोई भी मामला, निरस्त आयकर अधिनियम या, जैसा भी मामला हो, निरस्त संपत्ति कर अधिनियम के तहत जारी रहेगा और निपटारा जाएगा, मानो यह संहिता अधिनियमित ही नहीं हुई हो;

(ई) जहां 31 तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के पश्चात किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में मार्च, 2001—

(i) निरसित आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन या निरसित धन-कर अधिनियम की धारा 17 के अधीन कोई नोटिस इस संहिता के प्रारंभ से पहले जारी कर दिया गया है, वहां नोटिस के अनुसरण में कार्यवाही जारी रखी जा सकेगी और उसका निपटारा इस प्रकार किया जा सकेगा मानो यह संहिता अधिनियमित ही नहीं हुई हो;

(ii) कर योग्य कोई आय या धन धारा 159 में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर मूल्यांकन से बच गया है और निरस्त आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत या निरस्त धन-कर की धारा 17 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

(च) किसी ऐसी आय या संपत्ति के संबंध में कोई कार्रवाई, जैसा भी मामला हो, इस संहिता के प्रारंभ में लंबित है, उस वित्तीय वर्ष के संबंध में धारा 159 के तहत एक नोटिस जारी किया जा सकता है और इस संहिता के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे; (च) अप्रैल, 2012 के पहले पूरे किए गए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में जुर्माना लगाने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की जा सकती है

और ऐसा कोई भी जुर्माना, जैसा भी मामला हो, निरस्त आयकर अधिनियम के तहत लगाया जा सकता है।

संपत्ति-कर अधिनियम को इस प्रकार लागू करना मानो यह संहिता अधिनियमित ही न हुई हो;

(छ) 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पूर्ववर्ती वर्ष, जो 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात पूरा होता है, के लिए किसी निर्धारण के संबंध में जुर्माना लगाने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की जा सकेगी और ऐसा कोई जुर्माना इस संहिता के अधीन लगाया जा सकेगा;

(ज) किसी करदाता द्वारा, यथास्थिति, निरस्त आयकर अधिनियम या निरस्त कर अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किया गया कोई चुनाव या घोषणा, या प्रयोग किया गया कोई विकल्प। संपत्ति-कर अधिनियम के अधीन और इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पहले लागू किसी भी कर अधिनियम को इस संहिता के तत्संबंधी उपबंध के अधीन किया गया चुनाव या किया गया घोषणा या प्रयोग किया गया विकल्प माना जाएगा;

50

(i) जहां इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व पूर्ण किए गए किसी निर्धारण के संबंध में, कोई प्रतिदाय ऐसे प्रारंभ के पश्चात देय होता है या ऐसे पूर्ण किए गए निर्धारण के अधीन देय किसी राशि के भुगतान में ऐसे प्रारंभ के पश्चात चूक होती है, वहां प्रतिदाय पर केंद्रीय सरकार द्वारा देय ब्याज और चूक के लिए करदाता द्वारा देय ब्याज से संबंधित इस संहिता के उपबंध लागू होंगे;

5

(जे) निरस्त आयकर अधिनियम या, जैसा भी मामला हो, निरस्त धन-कर अधिनियम के तहत देय कोई राशि इस संहिता के तहत वसूल की जा सकेगी, किन्तु ऐसे निरस्त अधिनियमों के तहत ऐसी राशि की वसूली के लिए पहले से की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना;

(ट) निरस्त अधिनियम की धारा 90 या धारा 90ए के अंतर्गत किया गया कोई समझौता आयकर अधिनियम या निरस्त धन-कर अधिनियम की धारा 44 ए के तहत कोई भी कार्यवाही, जहां तक वह इस संहिता की धारा 291 के साथ असंगत नहीं है, इस संहिता की धारा 291 के तहत की गई समझी जाएगी और तदनुसार लागू रहेगी;

10

(ठ) निरस्त आयकर अधिनियम या, जैसा भी मामला हो, निरस्त धन कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई कोई नियुक्ति इस संहिता के समतुल्य प्रावधानों के तहत की गई मानी जाएगी और तदनुसार लागू रहेगी;

15

(ड) निरस्त आयकर अधिनियम या, जैसा भी मामला हो, निरस्त धन-कर अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत किया गया कोई आदेश, जहां तक वह इस संहिता के समतुल्य प्रावधानों से असंगत नहीं है, पूर्वोक्त समतुल्य प्रावधानों के तहत किया गया माना जाएगा और तदनुसार लागू रहेगा;

20

(ढ) जहां निरस्त आयकर अधिनियम या, जैसा भी मामला हो, निरस्त संपत्ति कर के तहत किसी भी आवेदन, अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि इस संहिता के प्रारंभ होने पर या उसके पूर्व अधिनियम की अवधि समाप्त हो गई थी, वहां इस संहिता की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस संहिता के अधीन कोई ऐसा आवेदन, अपील, निर्देश या पुनरीक्षण करने के लिए केवल इस तथ्य के आधार पर समर्थ बनाती है कि उसके लिए अधिक लंबी अवधि विहित की गई है या समुचित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त मामलों में समय बढ़ाने का उपबंध किया गया है;

25

(ण) निरस्त आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, धारा 80-आइबी (उपधारा (9)), धारा 80-आइसी, धारा 80-आइडी, धारा 80-आइई या धारा 80जेजेए या धारा 80जेजेए को छोड़कर) के अंतर्गत कटौती इस संहिता के अंतर्गत दी जाती रहेगी, यदि करदाता 1 अप्रैल, 2012 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी कटौती के लिए पात्र है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें हों—

30

(i) कि उपरोक्त धाराओं के प्रावधानों के तहत कटौती के लिए पात्र लाभ की राशि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाती है।
संहिता के पैराग्राफ (5) के खंड (डी) और (ई) के प्रावधानों के अलावा
पूँजीगत व्यय से संबंधित तेरहवीं अनुसूची, यदि लागू हो;

35

(ii) वह अवधि जिसके लिए पूर्वोक्त धाराओं के उपबंधों के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, में वह अवधि सम्मिलित नहीं होगी जिसके लिए निरस्त आयकर अधिनियम के अधीन कटौती अन्यथा अनुज्ञेय नहीं थी;

(iii) कि पूँजीगत व्यय से संबंधित राशि, यदि उपर्युक्त (i) में शामिल नहीं है, तो सकल कुल आय की गणना करते समय इस संहिता के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

40

(iv) कि करदाता अन्यथा वित्तीय वर्ष में संबंधित धाराओं में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना जारी रखता है; (पी) निरस्त आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएबी के तहत कटौती इस संहिता के तहत

दी जानी जारी रहेगी, यदि करदाता, एक डेवलपर है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत 31 मार्च, 2012 को या उससे पहले अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने, संचालित करने और बनाए रखने के व्यवसाय में लगा हुआ है, शर्तों के अधीन-

45

(i) कि उपरोक्त धारा के प्रावधानों के तहत कटौती के लिए पात्र लाभ की राशि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाती है।

संहिता के पैराग्राफ (4) के खंड (डी) और (ई) के प्रावधानों के अलावा पूंजीगत व्यय से संबंधित बारहवीं अनुसूची; (ii) वह अवधि जिसके लिए

5 पूर्वोक्त धारा के उपबंधों के अधीन कटौती की अनुमति दी गई है, में वह अवधि सम्मिलित नहीं होगी जिसके लिए निरस्त आयकर अधिनियम के अधीन कटौती अन्यथा अनुमेय नहीं थी;

(iii) कि पूंजीगत व्यय से संबंधित राशि, यदि उपर्युक्त (i) में शामिल नहीं है, तो सकल कुल आय की गणना करते समय इस संहिता के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

10

(iv) कि करदाता अन्यथा वित्तीय वर्ष में संबंधित धारा में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना जारी रखता है; (q) निरस्त आयकर अधिनियम की धारा 80LA के तहत कटौती इस संहिता के तहत दी जाती रहेगी, यदि करदाता वर्ष में अपना व्यवसाय संचालन शुरू करता है।

15 अपतटीय बैंकिंग इकाई, या विशेष में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई आर्थिक क्षेत्र में 31 मार्च, 2014 को या उससे पहले निम्नलिखित शर्तों के अधीन-

(i) कि उपरोक्त धारा के प्रावधानों के तहत कटौती के लिए पात्र लाभ की राशि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाती है।

संहिता के पैराग्राफ (4) के खंड (डी) और (ई) के प्रावधानों के अलावा पूंजीगत व्यय से संबंधित तेरहवीं अनुसूची;

20

(ii) वह अवधि जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के उपबंधों के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, में वह अवधि सम्मिलित नहीं होगी जिसके लिए निरस्त आयकर अधिनियम के अधीन कटौती अन्यथा अनुज्ञेय नहीं थी;

(iii) कि पूंजीगत व्यय से संबंधित राशि, यदि उपर्युक्त (i) में शामिल नहीं है, तो सकल कुल आय की गणना करते समय इस संहिता के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

25

(iv) कि करदाता अन्यथा वित्तीय वर्ष में संबंधित धारा में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना जारी रखता है; (आर) निरस्त आयकर अधिनियम की धारा 10एए के तहत कटौती इस संहिता के तहत दी जाती

30 रहेगी, यदि करदाता, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (जे) में निर्दिष्ट उद्यमी होने के नाते, विशेष इकाई में वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना शुरू करता है या कोई सेवा प्रदान करता है।

2005 का 28.

आर्थिक क्षेत्र में 31 मार्च, 2014 को या उससे पहले, निम्नलिखित शर्तों के अधीन - (i) कि पूर्वोक्त धारा के प्रावधानों के तहत कटौती के लिए पात्र लाभ की राशि इस नियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाती है।

35

संहिता के पैराग्राफ (4) के खंड (डी) और (ई) के प्रावधानों के अलावा पूंजीगत व्यय से संबंधित बारहवीं अनुसूची; (ii) वह अवधि जिसके लिए

पूर्वोक्त धारा के उपबंधों के अधीन कटौती की अनुमति दी गई है, में वह अवधि सम्मिलित नहीं होगी जिसके लिए निरस्त आयकर अधिनियम के अधीन कटौती अन्यथा अनुमेय नहीं थी;

40

(iii) पूंजीगत व्यय से संबंधित राशि, यदि ऊपर (i) में छोड़ी गई हो, तो उसे सकल कुल आय की गणना करने में इस संहिता के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी; और (iv) कि करदाता अन्यथा वित्तीय वर्ष में संबंधित अनुभाग में निर्दिष्ट शर्तों को

पूरा करना जारी रखता है; (s) निरस्त आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबी की उप-धारा (9) के तहत कटौती इस संहिता के तहत दी जाती रहेगी, यदि उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट उपक्रम निम्नलिखित

45

में से किसी को भी पूरा करता है, अर्थात: - (ए) यह एकल अनुबंध के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी ब्लॉक में खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है, जिसे भारत सरकार द्वारा संकल्प संख्या ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.डीएल, दिनांक 10 फरवरी, 1999 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) द्वारा घोषित नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के

तहत प्रदान किया गया है।

50

एनईएलपी) या इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व किसी तत्समय प्रवृत्त कानून के अनुसरण में प्रदान किया गया हो या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य तरीके से प्रदान किया गया हो;

(बी) यह खनिज तेल के शोधन में लगा हुआ है और ऐसा शोधन 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके बाद, किन्तु 31 मार्च, 2012 के बाद शुरू नहीं होता है;

(सी) यह एनईएलपी के तहत अन्वेषण अनुबंधों के पुरस्कार के लिए बोली के आठवें दौर के तहत लाइसेंस प्राप्त ब्लॉकों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है और 1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करता है;

(डी) यह अन्वेषण अनुबंधों के पुरस्कार के लिए बोली के चतुर्थ दौर के तहत लाइसेंस प्राप्त ब्लॉकों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है।

कोल बेड मीथेन ब्लॉक और प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद शुरू होता है, इन शर्तों के अधीन - (i) कि पूर्वोक्त खंड के प्रावधानों

के तहत कटौती के लिए पात्र लाभ की

राशि पूंजीगत व्यय से संबंधित ग्यारहवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 के खंड (डी) और (एफ) के प्रावधानों के अलावा इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाती है;

(ii) वह अवधि जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के उपबंधों के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, में वह अवधि सम्मिलित नहीं होगी जिसके लिए निरस्त आयकर अधिनियम के अधीन कटौती अन्यथा अनुज्ञेय नहीं थी;

(iii) कि पूंजीगत व्यय से संबंधित राशि, यदि उपर्युक्त (i) में शामिल नहीं है, तो उसे सकल कुल आय की गणना करते समय इस संहिता के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

(iv) कि करदाता वित्तीय वर्ष में संबंधित धारा में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना जारी रखेगा।

(3) इस धारा में, "कर निर्धारण वर्ष" का वही अर्थ होगा जो निरसित आयकर अधिनियम, 1961 या निरसित धन-कर अधिनियम, 1957 में दिया गया था, जैसा कि उनके निरसन से पूर्व था।

को शक्ति
निकालना
कठिनाइयाँ.

319. (1) यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो-

(i) करदाता के हितों की रक्षा करने में; (ii) राजस्व की हानि को रोकने

में; (iii) आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अधीन

जारी नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबंधों को इस संहिता के लागू होने से पूर्व की स्थिति के अनुसार लागू करने में; (iv) नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के वास्तविक आशय को स्पष्ट करने या घोषित करने में।

इस संहिता के अंतर्गत उनके आवेदन में; या

(v) आयकर अधिनियम, 1956 को निरस्त करते हुए इस संहिता के प्रावधानों को प्रभावी करने में

अधिनियम, 1961 के

प्रावधानों को सामान्यतः प्रभावी बनाने के लिए, या (vi) इस संहिता के प्रावधानों को सामान्यतः प्रभावी बनाने के लिए,

तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई आदेश उन अनुकूलनों और उपांतरणों का उपबंध कर सकेगा, जिनके अधीन निरसित आयकर अधिनियम, 1961 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पूर्वतर वर्ष के लिए निर्धारणों के संबंध में लागू होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तीन दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा। इस संहिता के लागू होने से 15 वर्ष तक।

(4) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन में रखा जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष।

पहली अनुसूची

[धारा 2(4), 15(1), 62(1), 211(3), 230(11), 314(120)(के) और (158) देखें]

आयकर की दरें

भाग I

5 किसी भी व्यक्ति की, किसी वित्तीय वर्ष की कुल आय के संबंध में आयकर की देयता वर्ष, जिसमें किसी विशेष स्रोत से आय शामिल नहीं है, निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्दिष्ट दर पर और प्रदान की गई विधि से गणना की गई आयकर की राशि होगी
पैराग्राफ A से F तक:

पैराग्राफ ए

10 (I) प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, धारा (II) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा।
यह अनुच्छेद हिंदू अविभाजित परिवार या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के संबंध में मामला नहीं है।
जो इस भाग का कोई अन्य अनुच्छेद लागू होता है,—

आयकर की दरें

- | | |
|---|--|
| 15 (1) जहां कुल आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं है | शून्य; |
| (2) जहां कुल आय 2,00,000 रुपये से अधिक हो, परंतु 5,00,000 रुपये से अधिक न हो | उस राशि का 10 प्रतिशत जिसके द्वारा कुल आय 2,00,000 रुपये से अधिक है; |
| 20 (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है | 30,000 रुपये और कुल राशि का 20 प्रतिशत वह राशि जिससे कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो | 1,30,000 रुपये और कुल राशि का 30 प्रतिशत वह राशि जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक; |

25 (II) भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, जो 15 वर्ष या अधिक आयु का है।
वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु हो-

आयकर की दरें

- | | |
|--|--|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है | शून्य; |
| 30 (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक है, किन्तु 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है; | उस राशि का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक है |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है | 25,000 रुपये प्लस राशि का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय अधिक हो जाती है
रु. 5,00,000; |
| 35 (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक हो | रु. 1,25,000 प्लस 30 प्रतिशत वह राशि जिससे कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक; |

पैराग्राफ बी

40 (I) प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में-

आयकर की दरें

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) जहां कुल आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं है | कुल आय का 10 प्रतिशत; |
|--|-----------------------|

(2) जहां कुल आय 10,000 रुपये से अधिक हो, परंतु 20,000 रुपये से अधिक न हो	1,000 रुपये और उस राशि का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रुपये से अधिक हो;	
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपये से अधिक हो	3,000 रुपये और कुल आय 20,000 रुपये से अधिक होने पर 30 प्रतिशत राशि।	5

(II) प्रत्येक अन्य सोसायटी के मामले में-

	आयकर की दर	
कुल आय पर	30 प्रतिशत.	

	पैराग्राफ सी	10
--	--------------	----

प्रत्येक गैर-लाभकारी संगठन के मामले में,—

	आयकर की दर	
(i) जब कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक न हो	शून्य;	
(ii) जहां कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक हो	कुल आय 1,00,000 रुपये से अधिक राशि का 15 प्रतिशत	15

पैराग्राफ डी

प्रत्येक अनिगमित निकाय के मामले में,—

	आयकर की दर	
कुल आय पर	30 प्रतिशत.	20

पैराग्राफ ई

किसी कंपनी के मामले में,—

	आयकर की दर	
कुल आय पर	30 प्रतिशत.	

भाग II 25

उन मामलों में, जिनमें भाग 1 का पैरा 'क' लागू होता है, जहां किसी व्यक्ति की वित्तीय वर्ष में साधारण स्रोतों से कुल आय के अतिरिक्त कोई शुद्ध कृषि आय पांच हजार रुपए से अधिक है और कुल आय सीमा से अधिक है, तो, -

(क) शुद्ध कृषि आय को, खंड (ख) में उपबंधित रीति से, हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि आय, सीमा रेखा के पश्चात् कुल आय में सम्मिलित हो, किन्तु कर के लिए दायी नहीं होगी], केवल कुल आय के संबंध में आयकर लगाने के प्रयोजन के लिए; तथा 30

(ख) देय आयकर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(i) कुल आय तथा शुद्ध कृषि आय को एकत्रित किया जाएगा तथा कुल आय के संबंध में आयकर की राशि उक्त पैरा ए में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित की जाएगी, मानो ऐसी कुल आय ही कुल आय हो; 35

(ii) शुद्ध कृषि आय में प्रारंभिक सीमा की राशि की वृद्धि की जाएगी, और आयकर की राशि उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर इस प्रकार बढ़ी हुई शुद्ध कृषि आय के संबंध में निर्धारित की जाएगी। 40

पैराग्राफ ए, मानो इस प्रकार बढ़ी हुई शुद्ध कृषि आय कुल आय थी;

- (iii) उप-खंड के अनुसार निर्धारित आयकर की राशि
 (i) के अनुसार निर्धारित आयकर की राशि से कम किया जाएगा
 उप-खंड (ii) और इस प्रकार प्राप्त राशि निम्नलिखित के संबंध में आयकर होगी
 कुल आय.

भाग III

5

जहां, यदि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की कुल आय इसमें कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट किसी विशेष स्रोत से आय शामिल है उक्त तालिका के अनुसार, व्यक्ति की आयकर देयता निम्नलिखित का योग होगी—

(ए) संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर पर गणना की गई राशि
 10 उक्त सारणी के स्तंभ (4) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय पर स्तंभ (3); तथा

(ख) के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि
 उसकी कुल आय के शेष के संबंध में भाग I और भाग II, अर्थात्, “कुल आय सामान्य स्रोतों से”:

15

मेज़

धारावाहिक संख्या	व्यक्ति	आय की प्रकृति	कर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
20	(1) अनिवासी	(क) निवेश आय पर - (i) ब्याज (ii) लाभांश जिस पर वितरण कर धारा 109 के अंतर्गत भुगतान नहीं किया गया है। (iii) किसी फंड द्वारा वितरित लाभ वितरित आय पर कौन सा कर लगाया गया है	इसे स्वीकार करो।
25		धारा 110 के तहत भुगतान नहीं किया गया (बी) तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में आय पर (ग) पुनर्बीमा सहित बीमा के माध्यम से आय पर।	इसे स्वीकार करो। इसे स्वीकार करो।
30	(2) अनिवासी खिलाड़ी, जो भारत का नागरिक नहीं है	आय के माध्यम से— (i) भारत में किसी भी खेल में भाग लेना [ऐसे खेल को छोड़कर जो जीत से प्राप्त राशि कर योग्य है मद (ii) या मद (iii) के अंतर्गत सीरियल नंबर 4] या खेल; (ii) विज्ञापन; या (iii) समाचार पत्रों में किसी खेल या खेलकूद से संबंधित लेखों का प्रकाशन, भारत में पत्रिकाएँ या जर्नल।	10 प्रतिशत.
35			10 प्रतिशत.
40	(3) अनिवासी खेल संघ या संस्था	किसी भी खेल या अन्य खेल से संबंधित गारंटी राशि के रूप में प्राप्त आय पर भारत में खेले जाने वाले खेल.	10 प्रतिशत.
45	(4) कोई भी करदाता चाहे निवासी हो या अनिवासी	(i) किसी लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली से जीत के माध्यम से आय ; (ii) दौड़, जिसमें घुड़दौड़ भी शामिल है (शामिल नहीं) गतिविधि से होने वाली आय जाति के स्वामित्व और रखरखाव का घोड़े); या (iii) ताश का खेल या कोई अन्य खेल या जुआ या सट्टा	30 प्रतिशत.
50			

दूसरी अनुसूची

[धारा 104(1), (6), 109(2), 110(3), 111(2), 112(2), 230(11) और 314(225) देखें]

अन्य करों की दरें

ए.—पुस्तक लाभ पर कर

1. धारा 103 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयकर की गणना नीचे निर्दिष्ट दर पर:— 5

कर की दर

पुस्तक लाभ की राशि पर

इसे स्वीकार करो।

बी.—घरेलू कंपनी के वितरित मुनाफे पर कर

2. धारा 109 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर की गणना नीचे निर्दिष्ट दर पर की जाएगी: - 10

कर की दर

किसी घरेलू कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या भुगतान किए गए लाभांश की राशि पर

15 प्रतिशत.

सी.—वितरित आय पर कर

15

3. धारा 110 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कर की गणना नीचे निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी: -

कर की दरें

द्वारा वितरित आय की राशि पर

(i) इक्विटी उन्मुख फंड के यूनिट धारकों को म्यूचुअल फंड; या

05 प्रतिशत।

20

(ii) जीवन बीमाकर्ता द्वारा अनुमोदित इक्विटी उन्मुख जीवन बीमा योजना के पॉलिसी धारकों को

05 प्रतिशत।

डी.—शाखा लाभ पर कर

4. धारा 111 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर की गणना नीचे निर्दिष्ट दर पर की जाएगी: - 25

कर की दर

शाखा लाभ पर

15 प्रतिशत.

ई.—शुद्ध संपत्ति पर कर

5. धारा 112 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर की गणना नीचे निर्दिष्ट दरों और तरीके से की जाएगी: - 30

कर की दरें

(1) जहां मूल्यांकन तिथि को शुद्ध संपत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है (2) जहां मूल्यांकन तिथि को शुद्ध संपत्ति एक करोड़

शून्य

रुपये से अधिक है

शुद्ध संपत्ति की राशि का 1 प्रतिशत

35

एक करोड़ रुपये

तीसरी अनुसूची
[धारा 195(2) और 314(187)(बी) देखें]
स्रोत पर कर कटौती की दरें
(निवासी करदाता के मामले में स्रोत पर कर कटौती की दरें)

5 क्रम संख्या	भुगतान की प्रकृति (निर्दिष्ट भुगतान)	दर
(1)	(2)	(3)
1.	रोजगार से आय	आयकर की औसत दर अनुमानित आय पर
10		इस दौरान रोजगार वित्तीय वर्ष, पर गणना की गई में निर्दिष्ट दरों के आधार पर प्रथम अनुसूची का भाग 1
15	2. (क) निर्माण अनुबंध के संबंध में भुगतान ; (ख) सेवा अनुबंध; (ग) प्रसारण और दूरदर्शन; (घ) परिवहन के लिए श्रम की आपूर्ति किसी भी कार्य या सेवा अनुबंध से बाहर;	2 प्रतिशत.
20	(ई) विज्ञापन; या (च) माल और यात्रियों का परिवहन परिवहन के किसी अन्य साधन के अलावा रेलवे द्वारा।	
3.	दिलचस्पी।	10 प्रतिशत.
25	4. ऐसे लाभांश को छोड़कर जिसके संबंध में लाभांश वितरण कर का भुगतान किया जाता है	10 प्रतिशत.
5.	म्यूचुअल फंड द्वारा वितरित आय जिस पर 10 प्रतिशत। आय वितरण कर का भुगतान नहीं किया जाता है,-	
30	(i) जहां कटौतीकर्ता एक व्यक्ति है, 20 प्रतिशत। या हिंदू अविभाजित परिवार; (ii) कोई अन्य कटौतीकर्ता	
6.	जीवन बीमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित के संबंध में किया गया भुगतान पॉलिसी के अलावा कोई अन्य जीवन बीमा पॉलिसी धारा 59 की उपधारा (3) के खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट—	
35	(i) जहां कटौतीकर्ता एक व्यक्ति है, 10 प्रतिशत। या हिंदू अविभाजित परिवार; (ii) किसी अन्य कटौती के लिए	इसे स्वीकार करो।
7.	कमीशन, ब्रोकरेज, पारिश्रमिक, या पुरस्कार (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) कोई भी सेवा प्रदान करना	10 प्रतिशत.
40	8. पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क	10 प्रतिशत.
9.	रॉयल्टी या गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क का भुगतान अचल संपत्ति के	10 प्रतिशत.
10.	अनिवार्य अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान	10 प्रतिशत.
45		
	कृषि भूमि की तुलना में अधिक है।	
111	किराया-	
	(i) मशीनरी या संयंत्र के उपयोग के लिए या 2 प्रतिशत। उपकरण; 10 प्रतिशत.	

(1)	(2)	(3)
	(ii) किसी भूमि या भवन (कारखाना भवन सहित) या भूमि के उपयोग के लिए किसी भवन (कारखाने सहित) से संबद्ध भवन) या फर्निचर या फिटिंग	10 प्रतिशत.
12.	किसी भी लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली या कार्ड गेम या किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत	30 प्रतिशत.
13.	किसी भी घुड़दौड़ से जीत।	30 प्रतिशत.

चौथी अनुसूची

[धारा 195(3) और (4), 314(187)(बी) देखें]

(अनिवासी कटौतीकर्ता के मामले में स्रोत पर कर कटौती की दरें)

क्रम संख्या	भुगतान की प्रकृति (निर्दिष्ट भुगतान)	दर
(1)	(2)	(3)
5	1. रोजगार से आय	आयकर की औसत दर अनुमानित आय पर इस दौरान रोजगार वित्तीय वर्ष, पर गणना की गई में निर्दिष्ट दरों के आधार पर प्रथम अनुसूची का भाग 1
10	2. भुगतान - (i) ब्याज के माध्यम से ; या (ii) लाभांश जिस पर लाभांश वितरण कर का भुगतान नहीं किया गया है धारा 109 के अंतर्गत; या (iii) किसी फंड द्वारा वितरित लाभ वितरित आय पर कौन सा कर धारा 110 के अंतर्गत भुगतान नहीं किया गया है।	इसे स्वीकार करो।
15	3. तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में भुगतान।	इसे स्वीकार करो।
20	4. लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली से जीत, 30 प्रतिशत। ताश का खेल या कोई अन्य खेल या जुआ या सट्टेबाजी।	
25	5. घुड़दौड़ से प्राप्त जीत (स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से संबंधित नहीं) रेस के घोड़े।	30 प्रतिशत.
30	6. किसी अनिवासी खिलाड़ी (भारत का नागरिक न हो) को निम्नलिखित माध्यम से भुगतान- (i) भारत में किसी खेल में भाग लेना या खेल (नीचे उल्लिखित जीत के अलावा) क्रम संख्या 4 और 5); (ii) विज्ञापन; या (iii) से संबंधित लेखों का योगदान समाचार पत्रों में कोई खेल या स्पोर्ट, भारत में पत्रिकाएँ या जर्नल	10 प्रतिशत.
35	7. किसी अनिवासी खेल संघ या संस्था को गारंटी राशि के रूप में भुगतान भारत में खेले जाने वाले किसी भी खेल या खेलों के संबंध में	10 प्रतिशत.
40	8. कर योग्य कोई अन्य राशि।	30 प्रतिशत.

पांचवीं अनुसूची

[धारा 139(4), 219(1), (5), 220(14), 16, 238, 279(1) और 297(1) देखें]

कर वसूली की प्रक्रिया

भाग I

सामान्य प्रावधान

5

नोटिस जारी करना।

1. (1) कर वसूली अधिकारी, धारा 219 के अधीन अधिकारिता ग्रहण करने पर, चूककर्ता को नोटिस तामील कराएगा, जिसमें चूककर्ता से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नोटिस तामील की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम का भुगतान करे।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन नोटिस में चूककर्ता को उन कदमों की भी जानकारी दी जाएगी जो इस अनुसूची के अधीन रकम वसूल करने के लिए उठाए जाएंगे, यदि वह इसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसे कर वसूली अधिकारी अपने विवेकानुसार प्रदान करे, भुगतान करने में चूक करता है।

जब प्रमाण पत्र

निष्पादित किया जा सकता है।

2. (1) किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में कोई भी कदम पंद्रह दिनों की अवधि तक नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद के तहत अपेक्षित नोटिस की तामील की तारीख से बीत चुका है।

(2) कर वसूली अधिकारी चूककर्ता की संपूर्ण चल संपत्ति या उसके किसी भाग को, जैसा कि सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की के लिए उत्तरदायी होगा, उक्त पंद्रह दिन की अवधि के भीतर कुर्क कर सकता है, यदि-

(क) वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि चूककर्ता द्वारा संपूर्ण चल संपत्ति या उसके किसी भाग को छिपाने, हटाने या निपटाने की संभावना है; तथा

(ख) परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र की राशि की वसूली में देरी होगी या बाधा उत्पन्न होगी।

(3) वह चूककर्ता जिसकी सम्पत्ति इस प्रकार कुर्क की गई है, कर वसूली अधिकारी के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकेगा और कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रतिभूति के ऐसे स्वीकार किए जाने पर, कुर्की उस तारीख से रद्द कर दी जाएगी, जिसको प्रतिभूति स्वीकार की गई हो।

का तरीका वसूली।

3. (1) यदि नोटिस में उल्लिखित राशि उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर या कर वसूली अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो कर वसूली अधिकारी निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से राशि वसूल करने के लिए आगे बढ़ेगा, अर्थात: -

(क) चूककर्ता की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा; (ख) चूककर्ता की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा; (ग) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार चूककर्ता की गिरफ्तारी और उसे जेल में निरुद्ध करके; (घ) चूककर्ता की चल और अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए रिसीवर नियुक्त करके।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट चूककर्ता की चल या अचल संपत्ति में चूककर्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिफल के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित कोई भी संपत्ति शामिल होगी-

(क) उसका पति या पत्नी; या (ख)

नाबालिग बच्चा।

(3) अवयस्क बच्चे द्वारा वयस्कता प्राप्त करने की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए चूककर्ता से देय किसी बकाया के संबंध में, संपत्ति, तारीख के बाद भी चूककर्ता की चल या अचल संपत्ति में सम्मिलित बनी रहेगी।

ब्याज, लागत और शुल्क वसूली योग्य।

4. प्रत्येक प्रमाणपत्र के निष्पादन की कार्यवाही में निम्नलिखित राशि वसूली योग्य होगी-

(क) कर या जुर्माने या अन्य राशि पर ऐसा ब्याज, जिस पर प्रमाणपत्र धारा 213 के अनुसार देय है, और

(ख) निम्नलिखित के संबंध में उपगत सभी प्रभार-

(i) बकाया राशि का भुगतान करने के लिए चूककर्ता को नोटिस की तामील, और वारंट और अन्य प्रक्रियाएं, और (ii) बकाया राशि वसूलने के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियां।

5 5. (1) जहां संपत्ति किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में बेची जाती है, वहां क्रेता में केवल बिक्री के समय चूककर्ता के अधिकार, शीर्षक और हित निहित होंगे, भले ही संपत्ति स्वयं निर्दिष्ट हो। क्रेता का शीर्षक.

(2) जहां अचल संपत्ति किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में बेची जाती है, और ऐसी बिक्री आत्यंतिक हो जाती है, वहां क्रेता का अधिकार, हक और हित उस समय से उसमें निहित समझा जाएगा जब संपत्ति बेची गई थी, न कि उस समय से जब बिक्री आत्यंतिक हो गई थी।

10

6. (1) इस अनुसूची में अधिकथित तरीके से कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणित खरीद के तहत स्वामित्व का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि खरीद वादी की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से की गई थी जिसके माध्यम से वादी दावा करता है।

15

वादी की ओर से खरीद किए जाने के आधार पर क्रेता के विरुद्ध वाद स्वीकार्य नहीं है।

(2) पैरा (1) की कोई बात इस घोषणा को प्राप्त करने के लिए वाद लाने पर रोक नहीं लगाएगी कि उसके अधीन प्रमाणित किसी क्रेता का नाम प्रमाणपत्र में कपटपूर्वक या वास्तविक क्रेता की सहमति के बिना डाला गया था, या उस संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यद्यपि वह प्रमाणित क्रेता को प्रत्यक्षतः बेची गई है, इस आधार पर कि वह वास्तविक स्वामी के विरुद्ध ऐसे तीसरे व्यक्ति के दावे को संतुष्ट करने के लिए दायी है।

20

7. (1) जब कभी आस्तियां बिक्री द्वारा या अन्यथा प्रमाणपत्र के निष्पादन में प्राप्त की जाती हैं, तो आय का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थातः—

(क) उन्हें सबसे पहले उस प्रमाणपत्र के अंतर्गत देय राशि में समायोजित किया जाएगा जिसके निष्पादन में आस्तियां वसूल की गई थीं और ऐसे निष्पादन के दौरान हुई लागतों में समायोजित किया जाएगा;

25

निष्पादन की आय का निपटान।

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट समायोजन के पश्चात् कोई शेष बचता है, तो उसका उपयोग इस संहिता के अधीन करदाता से वसूली योग्य किसी अन्य राशि की पूर्ति के लिए किया जाएगा, जो उस तारीख को देय हो सकती है, जिस तारीख को आस्तियां वसूल की गई थीं; तथा

30

(ग) खंड (क) और (ख) के अंतर्गत समायोजन के पश्चात् शेष राशि, यदि कोई हो, चूककर्ता को भुगतान की जाएगी।

(2) यदि चूककर्ता उप-पैरा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी समायोजन पर विवाद करता है, तो कर वसूली अधिकारी विवाद का निर्धारण करेगा।

8. (1) इस संहिता में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, कर वसूली अधिकारी और चूककर्ता या उनके प्रतिनिधियों के बीच किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन, उन्मोचन या संतुष्टि से संबंधित अथवा ऐसे प्रमाणपत्र के निष्पादन में की गई बिक्री की इस संहिता के अधीन किसी आदेश द्वारा पुष्टि या अपास्त करने से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का निर्धारण उस कर वसूली अधिकारी के आदेश द्वारा किया जाएगा जिसके समक्ष ऐसा प्रश्न उठता है, न कि न्यायालयों में वाद द्वारा।

35

सामान्य वार सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां घोषणापत्रों का आरोप लगाया गया हो।

(2) उप-पैरा (1) के होते हुए भी, सिविल न्यायालय में कोई वाद लाया जा सकेगा-
घोषणापत्रों के आधार पर उस उप-पैरा में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न के संबंध में।

40

1908 का 5.

9. (1) कोई संपत्ति, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय से छूट दी गई है, इस अनुसूची के अधीन कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी।

संपत्ति कुर्की से मुक्त है।

(2) कर वसूली अधिकारी का यह निर्णय कि कौन सी सम्पत्ति कर छूट की हकदार है।
उप-अनुच्छेद (1) के अंतर्गत छूट प्राप्त संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति निर्णायक होगी।

45

10. (1) जहां किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में किसी संपत्ति की कुर्की या बिक्री के संबंध में कोई दावा या कोई आपत्ति इस आधार पर की जाती है कि ऐसी संपत्ति ऐसी कुर्की या बिक्री के योग्य नहीं है, वहां कर वसूली अधिकारी दावे या आपत्ति की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा।

कर वसूली अधिकारी द्वारा जांच।

50

(2) उप-अनुच्छेद (1) के अंतर्गत कोई जांच नहीं की जाएगी, जहां कर वसूली अधिकारी का मानना है कि दावे या आपत्ति में जानबूझकर या अनावश्यक रूप से देरी की गई थी।

(3) जहां वह सम्पत्ति, जिस पर दावा या आपत्ति लागू होती है, विक्रय के लिए विज्ञापित की गई है, वहां विक्रय का आदेश देने वाला कर वसूली अधिकारी दावे या आपत्ति की जांच लंबित रहने तक उसे सुरक्षा या अन्यथा ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(4) दावेदार या आपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा-

(क) किसी स्थावर संपत्ति के मामले में, बकाया राशि का भुगतान करने के लिए इस अनुसूची के अधीन जारी किए गए नोटिस की तारीख को, या

(ख) चल संपत्ति के मामले में, कुर्की की तारीख पर यह दर्शाना कि प्रश्नगत संपत्ति में उसका कोई हित था या वह उस पर काबिज थी—

(5) कर वसूली अधिकारी संपत्ति को पूरी तरह या उस सीमा तक, जैसा वह ठीक समझे, कुर्की या बिक्री से मुक्त करने का आदेश देगा, यदि वह जांच से संतुष्ट हो जाता है कि दावे या आपत्ति में कथित कारण से ऐसी संपत्ति-

(क) उक्त तिथि को चूककर्ता या उसके किसी न्यासधारी व्यक्ति के कब्जे में नहीं था;

(ख) वह किसी किरायेदार या अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं था जो चूककर्ता को किराया दे रहा था; या

(ग) उक्त तारीख को चूककर्ता के कब्जे में होने के कारण, वह उसके अपने खाते में या उसकी अपनी संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में या उसके लिए न्यास में, या अंशतः उसके अपने खाते में और अंशतः किसी अन्य व्यक्ति के खाते में उसके कब्जे में थी।

(6) कर वसूली अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से दावे को अस्वीकार कर देगा, यदि वह संतुष्ट है कि संपत्ति-

(क) उक्त तिथि को, चूककर्ता के कब्जे में उसकी अपनी संपत्ति के रूप में और किसी अन्य व्यक्ति के कारण नहीं;

(ख) चूककर्ता के लिए किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है; या

(ग) किसी किरायेदार या अन्य व्यक्ति के कब्जे में, जो चूककर्ता को किराया दे रहा हो।

(7) जहां कोई दावा या आक्षेप प्रस्तुत किया जाता है, वहां वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, विवादित संपत्ति पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकेगा; किन्तु ऐसे वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए कर वसूली अधिकारी का आदेश निर्णायक होगा।

संतुष्ट होने पर अटैचमेंट हटाया जाना, या प्रमाण पत्र रद्द किया जाना।

11. जहां—

(ए) देय राशि, किसी संपत्ति की कुर्की से उत्पन्न होने वाली लागत और सभी शुल्कों और खर्चों के साथ या बिक्री के लिए किए गए खर्चों का भुगतान कर अधिकारी को किया जाता है

वसूली अधिकारी, या

(ख) प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है,

कुर्की वापस ली गई समझी जाएगी और स्थावर संपत्ति की दशा में, यदि चूककर्ता ऐसी इच्छा करे तो वापसी की घोषणा उसके व्यय पर की जाएगी और घोषणा की एक प्रति इस अनुसूची में उपबंधित रीति से लगाई जाएगी।

अधिकारी को कुर्की और बिक्री का अधिकार है।

12. चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री निम्नलिखित द्वारा की जा सकेगी।
ऐसे व्यक्ति जिन्हें कर वसूली अधिकारी समय-समय पर निर्देश दे।

पुनर्विक्रय पर हानि के लिए चूककर्ता क्रेता उत्तरदायी होगा।

13. (1) क्रेता के चूक के कारण पुनर्विक्रय पर होने वाली कीमत की कोई कमी तथा ऐसे पुनर्विक्रय में होने वाले सभी व्यय, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा कर वसूली अधिकारी को प्रमाणित किए जाएंगे तथा कर वसूली अधिकारी या चूककर्ता के कहने पर, इस अनुसूची में उपबंधित प्रक्रिया के अधीन चूककर्ता क्रेता से वसूल किए जा सकेंगे।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि वह पुनर्विक्रय की तारीख से पंद्रहवें दिन की समाप्ति के पश्चात दाखिल किया जाता है।

14. (1) कर वसूली अधिकारी अपने विवेकानुसार इसके अधीन किसी विक्रय को विनिर्दिष्ट दिन और समय तक स्थगित कर सकेगा; और ऐसा विक्रय करने वाला अधिकारी अपने विवेकानुसार ऐसे स्थगन के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् विक्रय को स्थगित कर सकेगा।

विक्रय का स्थगन या रोक।

(2) यदि बिक्री कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में या उसके परिसर के भीतर की जाती है, तो ऐसा कोई स्थगन कर वसूली अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

(3) जहां उप-पैरा (1) के अधीन स्थावर संपत्ति की बिक्री एक कैलेंडर माह से अधिक अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है, वहां इस अनुसूची के अधीन बिक्री की नई घोषणा की जाएगी, जब तक कि चूककर्ता उसे माफ करने के लिए सहमति न दे दे।

10

(4) प्रत्येक विक्रय रोक दिया जाएगा यदि, लाट गिराए जाने से पूर्व, बकाया राशि और लागतें (बिक्री की लागतों सहित) विक्रय करने वाले अधिकारी को दे दी जाती हैं या उसके समाधानप्रद रूप में यह प्रमाण दे दिया जाता है कि ऐसे बकाया और लागतों की राशि उस कर वसूली अधिकारी को दे दी गई है जिसने विक्रय का आदेश दिया था।

15. (1) जहां पैरा 1 के अधीन चूककर्ता को नोटिस दिया गया है, वहां चूककर्ता या उसका हितधारक प्रतिनिधि कर वसूली अधिकारी की अनुमति के बिना अपनी किसी संपत्ति को बंधक रखने, भारसाधक बनाने, पट्टे पर देने या अन्यथा उससे संबंधित कोई सौदा करने के लिए सक्षम नहीं होगा और न ही कोई सिविल न्यायालय धन के भुगतान के लिए डिक्री के निष्पादन में ऐसी संपत्ति के विरुद्ध कोई आदेशिका जारी करेगा।

निजी अलगाव

कुछ मामलों में अमान्य हो जाएगा।

(2) जहां इस अनुसूची के अधीन कुर्की की गई है, वहां कुर्क की गई संपत्ति या उसमें किसी हित का कोई निजी अंतरण परिदान तथा ऐसी कुर्की के प्रतिकूल किसी ऋण, लाभांश या अन्य धनराशि का चूककर्ता को किया गया कोई भुगतान, कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के विरुद्ध शून्य होगा।

20

16. इस अनुसूची के अधीन किसी विक्रय के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने वाला कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, बेची गई संपत्ति में कोई हित के लिए बोली नहीं लगाएगा, उसे अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।

अधिकारी द्वारा बोली लगाने या खरीद पर प्रतिबन्ध।

17. इस अनुसूची के अंतर्गत कोई बिक्री निम्नलिखित तिथियों पर नहीं होगी-

(क) रविवार; (ख)

राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सामान्य अवकाश; या (ग) कोई ऐसा दिन जिसे राज्य

सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए स्थानीय अवकाश के रूप में अधिसूचित किया गया हो जिसमें बिक्री होनी है।

छुट्टियों के दिनों में बिक्री पर प्रतिबन्ध।

18. कोई अधिकारी जो किसी संपत्ति को कुर्क करने या बेचने के लिए या चूककर्ता को गिरफ्तार करने के लिए या इस अनुसूची के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कर्तव्य का आरोप झेलने के लिए प्राधिकृत है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आवश्यक सहायता के लिए निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और जिस प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया है वह ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति करेगा।

पुलिस द्वारा सहायता.

19. कर वसूली अधिकारी, संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, कर वसूली अधिकारी के रूप में अपने किसी कार्य को अपने से निम्न पद के किसी अन्य अधिकारी को (आयकर निरीक्षक से निम्न पद का नहीं) सौंप सकेगा और ऐसा अधिकारी, उसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में, कर वसूली अधिकारी समझा जाएगा।

कर वसूली अधिकारी द्वारा कुछ कार्य सौंपना।

40

भाग II

चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री

लगाव

20. इस अनुसूची में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जब कोई चल संपत्ति कुर्क की जानी हो, तो कर वसूली अधिकारी (या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी) द्वारा अधिकारी को उसके नाम से लिखित और हस्ताक्षरित वारंट दिया जाएगा, जिसमें चूककर्ता का नाम और वसूल की जाने वाली रकम का उल्लेख होगा।

वारंट.

45

- वारंट की प्रति की तामील। 21. अधिकारी वारंट की एक प्रति चूककर्ता को तामील कराएगा।
- लगाव। 22. यदि वारंट की प्रति की तामील के बाद राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है, तो अधिकारी चूककर्ता की चल संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही करेगा।
- डिफॉल्टर की संपत्ति कब्ज़ा। 23. (1) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति चूककर्ता के कब्जे में चल संपत्ति (कृषि उपज के अलावा) है, वहां कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी, और अधिकारी संपत्ति को अपनी स्वयं की अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थों में से किसी की अभिरक्षा में रखेगा और उसकी सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। 5
- (2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी जब्त की गई संपत्ति को तुरंत बेच सकेगा, यदि-
- (क) जब्त की गई संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाली है; या (ख) जब्त की गई संपत्ति को अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना है। 10
- कृषि उपज. 24. (1) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति कृषि उपज है, वहां कुर्की इस प्रकार की जाएगी:
- कुर्की वारंट की एक प्रति संलग्न करके किया जाएगा-
- (क) जहां ऐसी उपज फसल उगा रही है, उस भूमि पर जिस पर ऐसी फसल उगाई गई है बड़ा हुआ; या 15
- (ख) जहां ऐसी उपज काटी या एकत्र की गई हो, वहां खलिहान या अनाज या उसी प्रकार की वस्तु को कुचलने के स्थान या चारे के ढेर पर या जिसमें वह जमा की गई हो, ऐसी रीति से, जैसा आवश्यक समझा जाए।
- (2) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति कृषि उपज है, वहां कुर्की वारंट की एक प्रति उस घर के बाहरी दरवाजे पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर भी लगाई जाएगी जिसमें चूककर्ता सामान्यतः निवास करता है, या कर वसूली अधिकारी की अनुमति से उस घर के बाहरी दरवाजे पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी जिसमें वह- (क) लाभ के लिए कारोबार करता है या व्यक्तिगत रूप से काम करता है; या (ख) जिसके बारे में ज्ञात है कि उसने अंतिम बार लाभ के लिए निवास किया था या कारोबार किया था या व्यक्तिगत रूप से काम किया था। 20
- (3) उप-पैरा (1) और (2) के तहत वारंट की प्रति चिपकाने पर , उत्पाद कर वसूली अधिकारी के कब्जे में चला गया समझा जाएगा। 25
- कुर्की के अधीन कृषि उपज के संबंध में उपबंध. 25. (1) जहां कृषि उपज कुर्क की गई है, वहां कर वसूली अधिकारी उसकी अभिरक्षा, निगरानी, देखभाल, कटाई और संग्रहण के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी वह पर्याप्त समझे; और उसे ऐसी व्यवस्थाओं की लागत वहन करने की शक्ति होगी। 30
- (2) चूककर्ता, उपज की देखभाल कर सकेगा, उसे काट सकेगा, एकत्र कर सकेगा और भंडारण कर सकेगा तथा उसे परिपक्व करने या परिष्कृत करने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कर वसूली अधिकारी द्वारा, कुर्की आदेश में या किसी पश्चातवर्ती आदेश में, इस संबंध में अधिरोपित किया जा सकेगा। 35
- (3) यदि चूककर्ता उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट सभी या कोई कार्य करने में असफल रहता है , तो कर वसूली अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति, समान शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी या कोई कार्य कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत लागतें चूककर्ता से उसी प्रकार वसूल की जाएंगी मानो वे प्रमाणपत्र में सम्मिलित थीं। 40
- (4) किसी कृषि उपज को, जो उगती हुई फसल के रूप में कुर्क किया गया है, केवल इसलिए कुर्की के अधीन नहीं समझा जाएगा या उसे पुनः कुर्क करने की आवश्यकता नहीं समझी जाएगी क्योंकि उसे भूमि से अलग कर दिया गया है। 40
- (5) जहां किसी उगती हुई फसल की कुर्की का आदेश, उस फसल के काटने या इकट्ठा करने के योग्य होने से काफी समय पहले किया गया हो, वहां कर वसूली अधिकारी आदेश के निष्पादन को ऐसे समय के लिए निलंबित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे, और अपने विवेकानुसार, कुर्की के आदेश के निष्पादन तक फसल को हटाने पर प्रतिबंध करने वाला अतिरिक्त आदेश भी कर सकेगा। 45
- (6) कोई उगती हुई फसल, जो अपनी प्रकृति के कारण भण्डारित किए जाने योग्य नहीं है, इस पैरा के अधीन उस समय से बीस दिन से कम समय पूर्व कुर्क नहीं की जाएगी, जिस समय वह काटे जाने या एकत्र किए जाने के योग्य होने की सम्भावना है। 5045

26. (1) किसी ऐसे ऋण के मामले में जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुरक्षित नहीं है, किसी निगम में शेयर या अन्य चल संपत्ति जो चूककर्ता के कब्जे में नहीं है, सिवाय किसी न्यायालय में जमा या उसकी अभिरक्षा में संपत्ति के, कुर्की एक लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित को प्रतिबंधित किया जाएगा,

- 5 (क) ऋण के मामले में ऋणदाता को ऋण वसूलने से तथा देनदार को कर वसूली अधिकारी के अगले आदेश तक उसका भुगतान करने पर रोक लगा दी गई है;
- (ख) शेयर के मामले में, वह व्यक्ति जिसके नाम पर शेयर है, उसे शेयर हस्तांतरित करने या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से वंचित करेगा;
- (ग) अन्य चल संपत्ति के मामले में (पूर्वोक्त को छोड़कर) उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसे चूककर्ता को देने से रोका जाएगा।
- 10 (2) ऐसे आदेश की एक प्रति कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाई जाएगी और दूसरी प्रति, ऋण की स्थिति में, ऋणी को, शेयर की स्थिति में, निगम के समुचित अधिकारी को और अन्य चल संपत्ति की स्थिति में (पूर्वोक्त को छोड़कर) उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी।
- 15 (3) उप-पैरा (1) के खंड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई ऋणी अपने ऋण की रकम कर वसूली अधिकारी को दे सकेगा और ऐसा भुगतान उसे उसी प्रकार प्रभावी रूप से उन्मोचित कर देगा जैसे उसे प्राप्त करने के हकदार पक्षकार को किया गया भुगतान।

27. (1) धन के भुगतान के लिए या बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय के लिए सिविल न्यायालय की डिक्री की कुर्की, सिविल न्यायालय को एक नोटिस जारी करके की जाएगी जिसमें सिविल न्यायालय से डिक्री के निष्पादन को रोकने का अनुरोध किया जाएगा, जब तक कि-

- (क) कर वसूली अधिकारी नोटिस रद्द कर देता है; या
- (ख) कर वसूली अधिकारी, या चूककर्ता, डिक्री को निष्पादित करने के लिए ऐसी सूचना प्राप्त करने वाले न्यायालय में आवेदन करता है।
- (2) जहां सिविल न्यायालय को उपपैरा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होता है, वहां वह कर वसूली अधिकारी या चूककर्ता के आवेदन पर और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संलग्न डिक्री को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ेगा और प्रमाणपत्र की संतुष्टि में शुद्ध आय को लागू करेगा।

(3) कर वसूली अधिकारी कुर्क डिक्री के धारक का प्रतिनिधि समझा जाएगा और वह ऐसी कुर्क डिक्री को उसके धारक के लिए विधिपूर्ण किसी भी तरीके से निष्पादित करने का हकदार होगा।

28. जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति में चूककर्ता का चल संपत्ति में हिस्सा या हित शामिल है, जो उसके और किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामी के रूप में है, वहां कुर्की चूककर्ता को नोटिस देकर की जाएगी, जिसमें उसे हिस्सा या हित हस्तांतरित करने या किसी भी तरह से उस पर शुल्क लगाने से रोका जाएगा।

29. सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन या भत्ते की कुर्की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 48 के अधीन उपबंधित रीति से की जा सकेगी और उक्त नियम के उपबंध इस पैरा के प्रयोजनों के लिए ऐसे संशोधनों के अधीन लागू होंगे, जो आवश्यक हों।

1908 का 5.

30. जहां संपत्ति कोई परक्राम्य लिखत है जो न्यायालय में या किसी लोक अधिकारी की अभिरक्षा में जमा नहीं है, वहां कुर्की वास्तविक जब्ती द्वारा की जाएगी, तथा लिखत को कर वसूली अधिकारी के समक्ष लाया जाएगा तथा उसके आदेश के अधीन रखा जाएगा।

31. (1) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी को नोटिस देकर की जाएगी, जिसमें अनुरोध किया जाएगा कि ऐसी संपत्ति और उस पर देय कोई ब्याज या लाभांश उस कर वसूली अधिकारी के आगे के आदेशों के अधीन रखा जा सके, जिसके द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

(2) जहां संपत्ति न्यायालय की अभिरक्षा में है, वहां कर वसूली अधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, जो चूककर्ता नहीं है, तथा किसी समनुदेशन, कुर्की या अन्यथा के आधार पर ऐसी संपत्ति में हितबद्ध होने का दावा करता है, उत्पन्न होने वाले हक या पूर्विक्ता के किसी प्रश्न का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

50

साझेदारी संपत्ति की कुर्की।	32. (1) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति में चूककर्ता का, जो भागीदारी संपत्ति में भागीदार है, हित शामिल है, वहां कर वसूली अधिकारी प्रमाणपत्र के अधीन देय रकम के भुगतान के साथ भागीदारी संपत्ति और लाभ में ऐसे भागीदार का हिस्सा वसूलने का आदेश दे सकेगा।	
	(2) कर वसूली अधिकारी उपपैरा (1) में निर्दिष्ट आदेश या किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा, ऐसे साझेदार के लाभ में, चाहे वह पहले से घोषित हो या प्रोद्भूत हो रहा हो, तथा किसी अन्य धनराशि का, जो साझेदारी के संबंध में उसे देय हो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा तथा लेखा और जांच का निर्देश दे सकेगा तथा ऐसे हित की बिक्री के लिए आदेश दे सकेगा या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा, जैसा मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो।	5
	(3) अन्य व्यक्ति किसी भी समय लिए गए ब्याज को चुकाने के लिए स्वतंत्र होंगे, अथवा, बिक्री के मामले में, उसे खरीदने का निर्देश दिया जा रहा है।	10
भंडार।	33. वास्तविक जब्ती द्वारा चल संपत्ति की कुर्की के मामले में, अधिकारी संपत्ति की कुर्की के बाद, कुर्क की गई सभी संपत्तियों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें वह स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा जहां वह जमा या रखी गई है, और उसे कर वसूली अधिकारी को भेजेगा और सूची की एक प्रति अधिकारी द्वारा चूककर्ता को दी जाएगी।	15
लगाव न होना अत्यधिक।	34. जब्ती द्वारा कुर्की अत्यधिक नहीं होगी, अर्थात्, कुर्क की गई संपत्ति वारंट में निर्दिष्ट राशि के यथासंभव आनुपातिक होगी।	
सूच्य और सूच्य के बीच दौरा सूच्य।	35. जब्ती या कुर्की सूच्य के बाद और सूच्य से पहले की जाएगी, अन्यथा नहीं।	
दरवाजे तोड़ने की शक्ति।	36. अधिकारी किसी भी इमारत के किसी भी आंतरिक या बाहरी दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है और किसी भी चल संपत्ति को जब्त करने के लिए किसी भी इमारत में प्रवेश कर सकता है, यदि अधिकारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि ऐसी इमारत में चल संपत्ति है जो वारंट के तहत जब्त करने योग्य है और अधिकारी ने प्रवेश नहीं दिए जाने पर तोड़ने के अपने अधिकार और डरादे को अधिसूचित किया है, बशर्त कि तोड़ने से पहले, वह महिलाओं को बाहर निकलने का पूरा उचित अवसर देगा।	20
		25
शुद्धि।	37. कर वसूली अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि इस अनुसूची के अधीन कुर्क की गई कोई चल संपत्ति या उसका कोई भाग, जो प्रमाणपत्र की तुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत हो, बेचा जाएगा।	
उद्घोषणा जारी करना।	38. जब कर वसूली अधिकारी द्वारा चल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी, जिले में प्रयुक्त भाषा में, आशयित बिक्री की घोषणा जारी करेगा, जिसमें बिक्री का समय और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा तथा यह भी बताया जाएगा कि बिक्री पुष्टि के अधीन है या नहीं।	30
घोषणा कैसे की गई?	39. (1) ऐसी घोषणा ढोल बजाकर या अन्य रूढ़िगत ढंग से की जाएगी- (क) वास्तविक जब्ती द्वारा कुर्क की गई संपत्ति की दशा में - (i) उस गांव में जहां संपत्ति जब्त की गई थी, या यदि संपत्ति जब्त की गई थी किसी कस्बे या शहर में जब्त किया गया हो, तो उस इलाके में जहां से उसे जब्त किया गया था; तथा (ii) ऐसे अन्य स्थानों पर जहां कर वसूली अधिकारी निर्देश दे; (ख) वास्तविक अभिग्रहण के अलावा किसी अन्य तरीके से कुर्क की गई संपत्ति की दशा में, ऐसे स्थान पर, यदि कोई हो, जैसा कि कर वसूली अधिकारी निर्देश दे।	35
	(2) उद्घोषणा की एक प्रति कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग में भी लगाई जाएगी।	40
पंद्रह दिन बाद बिक्री होगी।	40. उस स्थिति को छोड़कर, जहां संपत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से क्षय होने वाली हो, या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, इस अनुसूची के अधीन चल संपत्ति की बिक्री, चूककर्ता की लिखित सहमति के बिना, कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में बिक्री उद्घोषणा की प्रति चिपकाए जाने की तारीख से गणना की गई कम से कम पंद्रह दिन की समाप्ति के पश्चात् तक नहीं की जाएगी।	45

41. (1) जहां बेची जाने वाली संपत्ति कृषि उपज है, वहां बिक्री निम्नलिखित के लिए की जाएगी-
- (क) यदि ऐसी उपज कोई उगती हुई फसल है, तो उस भूमि पर या उसके निकट जिस पर ऐसी फसल उगी है, या
- (ख) यदि ऐसी उपज खलिहान या अनाज या इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को कुचलने के स्थान या चारे के ढेर पर या उसके निकट काटी या एकत्र की गई हो, तो उस पर या जिसमें वह जमा की गई हो।
- (2) कर वसूली अधिकारी, बिक्री को निकटतम सार्वजनिक स्थल पर करने का निर्देश दे सकेगा, यदि उसकी राय में उपज का अधिक मूल्य पर बिकना सम्भव है।
- (3) विक्रय स्थगित कर दिया जाएगा, जहां उपज विक्रय के लिए रखी गई हो-
- (क) विक्रय करने वाले व्यक्ति के अनुमान के अनुसार उचित मूल्य की पेशकश नहीं की जाती है, तथा
- (ख) उपज का स्वामी या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, विक्रय को अगले दिन तक या यदि विक्रय के स्थान पर बाजार लगता है तो अगले बाजार दिन तक स्थगित करने के लिए आवेदन करता है।
- (4) जब उप-पैरा (3) के अधीन बिक्री स्थगित कर दी गई हो, तब यह माना जाएगा कि उपज के लिए दी गई किसी भी कीमत पर ध्यान दिए बिना स्थगित तिथि पर ही काम पूरा कर लिया जाएगा।
42. (1) जहां विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति उगती हुई फसल है और फसल अपनी प्रकृति के कारण भण्डारित की जा सकने योग्य है किन्तु अभी तक भण्डारित नहीं की गई है, वहां विक्रय का दिन इस प्रकार नियत किया जाएगा कि फसल ऐसे दिन के आने से पूर्व भण्डारित के लिए तैयार हो जाए और जब तक फसल काट ली गई हो या इकट्टी कर ली गई हो और भण्डारित के लिए तैयार न हो जाए, तब तक विक्रय नहीं किया जाएगा।
- (2) जहां फसल अपनी प्रकृति के कारण भण्डारित करने योग्य नहीं है या कच्ची अवस्था में अधिक मूल्य पर बेची जा सकती है, वहां उसे काटने और इकट्टा करने से पूर्व बेचा जा सकेगा और क्रेता भूमि पर प्रवेश करने तथा फसल की देखभाल करने, उसे काटने या इकट्टा करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी कार्य करने का हकदार होगा।
43. संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा एक या अधिक लाटों में बेचा जाएगा, जैसा कि अधिकारी उचित समझे, और यदि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के किसी भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है, तो शेष लाटों के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी।
44. (1) जहां चल संपत्ति सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाती है, वहां प्रत्येक लाट का मूल्य बिक्री के समय या उसके तुरंत बाद, जैसा कि बिक्री करने वाला अधिकारी निर्देश दे, चुकाया जाएगा और भुगतान न किए जाने पर संपत्ति को तुरंत पुनः बेचा जाएगा।
- (2) क्रय-राशि का भुगतान किए जाने पर, विक्रय करने वाला अधिकारी, खरीदी गई संपत्ति, भुगतान की गई कीमत और क्रेता का नाम निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और विक्रय पूर्ण हो जाएगा।
- (3) जहां बेची जाने वाली चल संपत्ति, चूककर्ता और सह-स्वामी की वस्तुओं में हिस्सा है, और दो या अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक ऐसा सह-स्वामी है, ऐसी संपत्ति के लिए या किसी लाट के लिए समान धनराशि की बोली लगाते हैं, वहां बोली को सह-स्वामी की बोली समझा जाएगा।
45. चल संपत्ति के विक्रय के प्रकाशन या संचालन में कोई अनियमितता, विक्रय को दोषपूर्ण नहीं बनाएगी, किन्तु यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसी अनियमितता के कारण किसी व्यक्ति को पर्याप्त क्षति होती है, तो वह उसके विरुद्ध प्रतिकर के लिए, या (यदि ऐसा अन्य व्यक्ति क्रेता है) विशिष्ट संपत्ति की वसूली के लिए तथा ऐसी वसूली में चूक होने पर प्रतिकर के लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकेगा।
46. कर वसूली अधिकारी, इस अनुसूची में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी संपत्ति की, जो परक्राम्य लिखत या निगम में शेष है, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करने का निर्देश देने के बजाय दलाल के माध्यम से बिक्री को प्राधिकृत कर सकेगा।

कृषि उपज
की बिक्री।

फसल उगाने
से संबंधित विशेष
प्रावधान।

बिक्री नीलामी द्वारा
होगी।

सार्वजनिक नीलामी द्वारा
बिक्री.

अनियमितता को दूषित
न किया जाए
बिक्री, लेकिन कोई भी
पीड़ित व्यक्ति मुकदमा कर
सकता है।

किसी निगम में
परक्राम्य लिखत और
शेषर।

सिक्के या मुद्रा के
भुगतान का आदेश
करेंसी नोटों को

47. जहां कुर्क की गई संपत्ति चालू सिक्के या करेंसी नोट हैं, वहां कर वसूली अधिकारी कुर्की के जारी रहने के दौरान किसी भी समय निर्देश दे सकेगा कि ऐसे सिक्के या नोट केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दिए जाएं और इस प्रकार जमा की गई राशि का निपटान पैरा 7 में विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

मूल्यांकन
अधिकारी।

भाग III

5

अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री

लगाव

लगाव।

48. चूककर्ता की अचल संपत्ति की कुर्की एक आदेश द्वारा की जाएगी, जिसमें चूककर्ता को संपत्ति को किसी भी तरह से हस्तांतरित करने या उस पर भार डालने से प्रतिबंधित किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या भार के तहत कोई लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

10

नोटिस की
तामील
लगाव।

49. कुर्की आदेश की एक प्रति चूककर्ता को दी जाएगी।

घोषणा

लगाव का.

50. कुर्की का आदेश कुर्क की गई संपत्ति पर या उसके निकट किसी स्थान पर ढोल बजाकर या अन्य रूढ़िगत तरीके से घोषित किया जाएगा और आदेश की एक प्रति संपत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर तथा कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी।

15

तामील की तारीख
से संबंधित संलग्नक

51. जहां कोई अचल संपत्ति इस अनुसूची के अधीन कुर्क की जाती है, वहां कुर्की उस तारीख से संबंधित होगी और प्रभावी होगी, जिस तारीख को इस अनुसूची के अधीन बकाया भुगतान करने के लिए जारी किया गया नोटिस चूककर्ता को तामील किया गया था।

सूचना।

बिक्री

बिक्री और
बिक्री की घोषणा.

52. (1) कर वसूली अधिकारी निर्देश दे सकेगा कि कोई अचल सम्पत्ति, जो कुर्क की गई है, या उसका कोई भाग जो प्रमाणपत्र की तुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत हो, बेचा जाएगा।

20

(2) जहां किसी अचल संपत्ति को बेचे जाने का आदेश दिया जाता है, वहां कर वसूली अधिकारी उस जिले में प्रयुक्त भाषा में आशयित बिक्री की उद्घोषणा कराएगा।

25

उद्घोषणा की विषय-
वस्तु.

53. अचल संपत्ति की बिक्री की घोषणा चूककर्ता को नोटिस देने के बाद तैयार की जाएगी, और इसमें बिक्री का समय और स्थान बताया जाएगा, और यथासंभव निष्पक्ष और सटीक रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा-

(क) बेची जाने वाली संपत्ति; (ख) संपत्ति

या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व, यदि कोई हो; (ग) वह रकम जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया है;

30

(घ) आरक्षित मूल्य, यदि कोई हो, जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकेगी; और

(ई) कोई अन्य बात जिसे कर वसूली अधिकारी कर वसूली के लिए महत्वपूर्ण मानता है क्रेता को संपत्ति की प्रकृति और मूल्य का पता लगाना आवश्यक है।

उद्घोषणा करने
का तरीका.

54. (1) स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए प्रत्येक उद्घोषणा ऐसी संपत्ति पर या उसके निकट किसी स्थान पर ढोल बजाकर या अन्य रूढ़िगत ढंग से की जाएगी और उद्घोषणा की एक प्रति संपत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर तथा कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर भी चिपकाई जाएगी।

35

(2) जहां कर वसूली अधिकारी ऐसा निर्देश दे, वहां ऐसी उद्घोषणा राजपत्र में या किसी स्थानीय समाचारपत्र में या दोनों में प्रकाशित की जाएगी; और ऐसे प्रकाशन की लागत विक्रय की लागत समझी जाएगी।

40

(3) जहां सम्पत्ति को अलग-अलग विक्रय के प्रयोजन के लिए भागों में विभाजित किया जाता है, वहां प्रत्येक भाग के लिए पृथक उद्घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि कर वसूली अधिकारी की राय में विक्रय की समुचित सूचना अन्यथा नहीं दी जा सकती हो।

55. इस अनुसूची के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री, चूककर्ता की लिखित सहमति के बिना, उस तारीख से गणना की गई कम से कम तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् तक नहीं की जाएगी, जिसको बिक्री की घोषणा की एक प्रति संपत्ति पर या कर वसूली अधिकारी के कार्यालय में चिपका दी गई है, जो भी बाद में हो।
56. (1) बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले को की जाएगी और कर वसूली अधिकारी द्वारा पुष्टि की जानी है।
- (2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई बिक्री नहीं की जाएगी, यदि उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा बोली गई राशि अनुच्छेद 53 के खंड (घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट आरक्षित मूल्य, यदि कोई हो, से कम है।
57. (1) स्थावर सम्पत्ति के प्रत्येक विक्रय पर, क्रेता घोषित किया गया व्यक्ति, ऐसी घोषणा के तुरन्त पश्चात, विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी को अपने क्रय धन की रकम का पच्चीस प्रतिशत जमा देगा और ऐसी जमा राशि न देने पर सम्पत्ति तुरन्त पुनः बेच दी जाएगी।
- (2) देय क्रय राशि की पूरी राशि क्रेता द्वारा संपत्ति की बिक्री की तारीख से पंद्रहवें दिन या उससे पहले कर वसूली अधिकारी को भुगतान की जाएगी।
58. अनुच्छेद 57 में उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, यदि कर वसूली अधिकारी उचित समझे तो जमा राशि, बिक्री के व्ययों का भुगतान करने के पश्चात, सरकार को जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा तथा चूककर्ता क्रेता संपत्ति पर या उस राशि के किसी भाग पर, जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है, सभी दावों को जब्त कर लेगा।
59. (1) जहां किसी संपत्ति की बिक्री, जिसके लिए पैरा 53 के खंड (घ) के अधीन आरक्षित मूल्य विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसी आरक्षित कीमत से अन्यून राशि की बोली के अभाव में स्थगित कर दी गई है, वहां निर्धारण अधिकारी के लिए, यदि वह मुख्य आयुक्त या इस आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, किसी पश्चातवर्ती बिक्री में केंद्रीय सरकार की ओर से संपत्ति के लिए बोली लगाना वैध होगा।
- (2) बिक्री पर बोली लगाने वाले सभी व्यक्तियों को यह घोषित करना होगा कि वे अपनी ओर से बोली लगा रहे हैं या अपने सिद्धांतों की ओर से।
- (3) यदि अपने प्रधान की ओर से बोली लगाने वाला व्यक्ति प्राधिकार राशि जमा कराने में असफल रहता है तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- (4) जहां उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट कर निर्धारण अधिकारी को किसी पश्चातवर्ती विक्रय में संपत्ति का क्रेता घोषित किया जाता है, वहां पैराग्राफ 57 में अंतर्विष्ट कोई बात उस मामले पर लागू नहीं होगी और क्रय मूल्य की राशि प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि में समायोजित कर दी जाएगी।
60. (1) जहां अचल संपत्ति किसी प्रमाणपत्र के निष्पादन में बेची गई है, चूककर्ता, या कोई व्यक्ति जिसके हित बिक्री से प्रभावित होते हैं, बिक्री की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी समय कर वसूली अधिकारी को बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह निम्नलिखित जमा कर दे-
- (क) विक्रय की घोषणा में विनिर्दिष्ट वह रकम, जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदेश दिया गया था, तथा उस पर विक्रय की घोषणा की तारीख से जमा किए जाने की तारीख तक प्रत्येक मास के लिए एक चौथाई प्रतिशत की दर से ब्याज सहित; तथा
- (ख) क्रेता को शास्ति के रूप में क्रय राशि के पांच प्रतिशत के बराबर, किन्तु एक रुपये से कम नहीं, राशि का भुगतान किया जाएगा।
- (2) जहां कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति की बिक्री को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत आवेदन करता है, वह, जब तक वह उस आवेदन को वापस नहीं ले लेता, इस अनुच्छेद के तहत आवेदन करने या मुकदमा चलाने का हकदार नहीं होगा।
61. (1) जहां अचल संपत्ति ऐसे आयकर अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के निष्पादन में बेची गई है, जिसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया जा सकता है, चूककर्ता या कोई व्यक्ति जिसके हित बिक्री से प्रभावित होते हैं, बिक्री की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी समय, कर वसूली अधिकारी को इस आधार पर अचल संपत्ति की बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है-

बिक्री का समय.

बिक्री नीलामी द्वारा होगी।

क्रेता द्वारा जमा राशि तथा चूक होने पर पुनर्विक्रय।

प्रक्रिया डिफॉल्ट का भुगतान।

बोली लगाने का प्राधिकार।

अचल संपत्ति की बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन जमा पर संपत्ति.

नोटिस की गैर-तारीख या अनियमितता के आधार पर अचल संपत्ति की बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन।

(क) बकाया राशि का भुगतान करने के लिए चूककर्ता को नोटिस नहीं दिया गया था, जैसा कि अपेक्षित था इस अनुसूची; या

(ख) बिक्री के प्रकाशन या संचालन में भौतिक अनियमितता।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर कोई बिक्री तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि कर वसूली अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि आवेदक को सेवा न देने या अनियमितता के कारण पर्याप्त क्षति हुई है।

5

(3) इस अनुच्छेद के अधीन चूककर्ता द्वारा किया गया आवेदन तब तक अस्वीकृत कर दिया जाएगा जब तक कि आवेदक प्रमाणपत्र के निष्पादन में उससे वसूली योग्य राशि जमा नहीं कर देता।

जहां चूककर्ता का कोई बिक्री योग्य हित नहीं है, वहां बिक्री को अलग रखना।

62. बिक्री के तीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी समय, क्रेता कर वसूली अधिकारी को इस आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है कि चूककर्ता का बेची गई संपत्ति में कोई बिक्री योग्य हित नहीं था।

10

बिक्री की पुष्टि.

63. (1) जहां पैराग्राफ 60 और 61 के तहत बिक्री को रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है या जहां ऐसा आवेदन किया जाता है और कर वसूली अधिकारी द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, कर वसूली अधिकारी (यदि क्रय राशि की पूरी राशि का भुगतान किया गया है) बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश देगा और उसके बाद, बिक्री पूर्ण हो जाएगी।

15

(2) जहां आवेदन किया जाता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है, और जहां रकम तथा शास्ति और प्रभार जमा करने पर विक्रय को अपास्त करने के लिए किए गए आवेदन की दशा में, विक्रय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जमा कर दिया जाता है, वहां कर वसूली अधिकारी विक्रय को अपास्त करने का आदेश देगा।

20

(3) उप-पैरा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना उससे प्रभावित व्यक्तियों को नहीं दे दी गई हो।

कुछ मामलों में क्रय राशि की वापसी।

64. जहां अचल संपत्ति की बिक्री को अलग रखा जाता है, वहां खरीद के कारण क्रेता द्वारा भुगतान किया गया या जमा किया गया कोई भी धन, क्रेता को भुगतान के लिए जमा किए गए दंड, यदि कोई हो, और कर वसूली अधिकारी द्वारा अनुमत ब्याज के साथ, क्रेता को भुगतान किया जाएगा।

25

बिक्री प्रमाण पत्र.

65. जहां अचल संपत्ति की बिक्री पूर्ण हो गई है, वहां कर वसूली अधिकारी बेची गई संपत्ति को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, तथा उस व्यक्ति का नाम भी देगा जिसे बिक्री के समय क्रेता घोषित किया गया है और ऐसे प्रमाणपत्र में वह तारीख बताई जाएगी जिस तारीख को बिक्री पूर्ण हो गई।

30

डिफॉल्ट को सक्षम करने के लिए बिक्री को स्थगित करना राशि बढ़ाएँ प्रमाण पत्र के तहत देय।

66. (1) जहां स्थावर संपत्ति के विक्रय के लिए आदेश दिया गया है, वहां यदि चूककर्ता कर वसूली अधिकारी को यह समाधान दे सके कि यह मानने का कारण है कि प्रमाणपत्र की रकम ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग या चूककर्ता की किसी अन्य स्थावर संपत्ति के बंधक या पट्टे या निजी विक्रय द्वारा जुटाई जा सकती है, तो कर वसूली अधिकारी उसके आवेदन पर विक्रय के आदेश में समाविष्ट संपत्ति के विक्रय को ऐसे निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे, ताकि वह रकम जुटाने में समर्थ हो सके।

35

(2) ऐसे मामले में, कर वसूली अधिकारी चूककर्ता को एक प्रमाणपत्र देगा, जिसमें उसे, उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर, और इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रस्तावित बंधक, पट्टा या बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

40

(3) उप-अनुच्छेद (2) में निर्दिष्ट बंधक, पट्टा या बिक्री के अंतर्गत देय सभी धनराशियां कर वसूली अधिकारी को दी जाएंगी, न कि चूककर्ता को।

(4) इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई बंधक, पट्टा या बिक्री तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि कर वसूली अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

पुनः बिक्री से पहले नई घोषणा।

67. अचल संपत्ति का प्रत्येक पुनर्विक्रय, क्रय राशि का भुगतान करने के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, विक्रय के लिए इसमें पूर्व में उपबंधित तरीके से तथा अवधि के लिए नई उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किया जाएगा।

45

68. जहां बेची गई संपत्ति अविभाजित अचल संपत्ति का हिस्सा है, और दो या अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक सह-हिस्सेदार है, ऐसी संपत्ति के लिए या किसी लाट के लिए समान धनराशि की बोली लगाते हैं, वहां बोली सह-हिस्सेदार की बोली समझी जाएगी। सह-हिस्सेदार की वरीयता पाने की बोली।

5 69. (1) इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई कर निर्धारण अधिकारी, चूककर्ता से देय पूरी रकम या उसके किसी भाग की संतुष्टि के लिए वह संपत्ति स्वीकार कर सकेगा, जिसकी बिक्री पैरा 59 के उपपैरा (1) में उल्लिखित कारण से स्थगित कर दी गई है, ऐसे मूल्य पर, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी और चूककर्ता के बीच सहमति हो। की संतुष्टि में संपत्ति की स्वीकृति चूककर्ता से देय राशि।

10 (2) जहां कोई संपत्ति उप-पैरा (1) के तहत स्वीकार की जाती है, चूककर्ता ऐसी संपत्ति का कब्जा मूल्यांकन अधिकारी को सौंप देगा और जिस तारीख को संपत्ति का कब्जा मूल्यांकन अधिकारी को दिया जाता है, संपत्ति केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी और केंद्रीय सरकार, जहां आवश्यक हो, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत नियुक्त संबंधित रजिस्ट्री अधिकारी को तदनुसार सूचित करेगी।

1908 का 16.

15 (3) जहां उप-पैरा (1) के अधीन सहमत संपत्ति की कीमत चूककर्ता से देय राशि से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर चूककर्ता को किया जाएगा।

20 (4) जहां कर निर्धारण अधिकारी उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट अतिरिक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, वहां केंद्रीय सरकार ऐसी अवधि की समाप्ति पर शुरू होने वाली और असंदत्त शेष राशि के भुगतान की तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए, ऐसी राशि पर चूककर्ता को हर महीने या महीने के हिस्से के लिए आधा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।

25 70. (1) इस भाग के अधीन अचल संपत्ति की कोई बिक्री उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं की जाएगी जिसमें किसी कर, ब्याज, जुर्माना, दंड या किसी अन्य राशि की मांग को जन्म देने वाला आदेश, जिसकी वसूली के लिए अचल संपत्ति कुर्क की गई है, अध्याय XII के उप-अध्याय डी के प्रावधान के अनुसार अंतिम हो गया है। कुर्क अचल संपत्ति की बिक्री के लिए समय सीमा संपत्ति।

30 (2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट सीमा अवधि एक वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी, यदि अचल संपत्ति को पुनः बेचा जाना आवश्यक हो-

(क) उच्चतम बोली की राशि आरक्षित मूल्य से कम होने के कारण;

(ख) अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 58 में उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत; या

(ग) अनुच्छेद 61 के अंतर्गत बिक्री को रद्द कर दिए जाने के कारण।

35 (3) उप-पैरा (1) के अधीन परिसीमा अवधि की गणना करते समय, निम्नलिखित अवधि को बाहर रखा जाएगा—

(क) वह अवधि जिसके दौरान पूर्वोक्त कर, ब्याज, जुर्माना, दंड या किसी अन्य राशि का उद्ग्रहण किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा स्थगित किया जाता है;

(ख) वह अवधि जिसके दौरान कुर्की या बिक्री की कार्यवाही की जाएगी किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा अचल संपत्ति पर रोक लगा दी गई हो; या

40 (ग) इस अनुसूची के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किसी अपील के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होने वाली और अपील पर निर्णय होने के दिन समाप्त होने वाली अवधि।

45 (4) जहां उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट अवधि के बहिष्कार के तुरंत बाद, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सीमा की अवधि 180 दिनों से कम है, ऐसी शेष अवधि 180 दिनों तक बढ़ा दी जाएगी और सीमा की पूर्वोक्त अवधि तदनुसार बढ़ाई गई समझी जाएगी।

(5) जहां अचल संपत्ति की बिक्री उप-पैरा (1) के प्रावधानों के अनुसार नहीं की जाती है, उक्त संपत्ति के संबंध में कुर्की आदेश इस पैराग्राफ के तहत निर्दिष्ट सीमा के समय की समाप्ति पर खाली हो गया माना जाएगा।

भाग IV

जब्ती की प्रक्रिया

जब्ती की प्रक्रिया. 71. जहां चल संपत्ति का कोई जब्ती और विक्रय, उस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी द्वारा किया जाना है, वहां ऐसा जब्ती और विक्रय, जहां तक हो सके, उसी रीति से किया जाएगा, जैसे वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाने योग्य किसी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय किया जाता है, और कुर्की और विक्रय से संबंधित इस अनुसूची के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे जब्ती और विक्रय के संबंध में लागू होंगे। 5

भाग V

रिसीवर की नियुक्ति

व्यवसाय के लिए रिसीवर की नियुक्ति। 72. (1) जहां किसी चूककर्ता की संपत्ति में कोई कारोबार शामिल है, वहां कर वसूली अधिकारी कारोबार को कुर्क कर सकेगा और कारोबार का प्रबंधन करने के लिए किसी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर सकेगा। 10

(2) इस पैरा के अधीन किसी व्यवसाय की कुर्की, आदेश द्वारा की जाएगी, जिसमें चूककर्ता को व्यवसाय को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित या भारसाधित करने से प्रतिषिद्ध किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या भारसाधित के अधीन कोई लाभ लेने से प्रतिषिद्ध किया जाएगा, तथा यह प्रज्ञापित किया जाएगा कि व्यवसाय को इस पैरा के अधीन कुर्क कर लिया गया है। 15

(3) कुर्की आदेश की एक प्रति चूककर्ता को तामील की जाएगी तथा दूसरी प्रति उस परिसर के, जिसमें कारोबार किया जाता है, किसी सहजदृश्य भाग पर तथा कर वसूली अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी।

अचल संपत्ति के लिए रिसीवर की नियुक्ति 73. जहां अचल संपत्ति कुर्क की गई है, वहां कर वसूली अधिकारी, संपत्ति की बिक्री का निर्देश देते हुए, ऐसी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए किसी व्यक्ति को रिसीवर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। 20

संपत्ति।

प्राप्तकर्ता की शक्तियाँ।

74. (1) जहां कोई कारोबार या अन्य संपत्ति अनुच्छेद 70 और 73 के अधीन कुर्क की जाती है और प्रबंधन के अधीन ली जाती है, वहां रिसीवर को, कर वसूली अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो संपत्ति के उचित प्रबंधन और उसके लाभों या किराए और लाभों की वसूली के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसे व्यवसाय या अन्य संपत्ति के लाभ या किराये और मुनाफे को, प्रबंधन के खर्चों को चुकाने के बाद, बकाया के भुगतान के लिए समायोजित किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, चूककर्ता को भुगतान की जाएगी। 25

वापसी प्रबंधन।

75. इस भाग के अधीन कुर्की और प्रबंधन किसी भी समय कर वसूली अधिकारी के विवेक पर वापस लिया जा सकेगा, या यदि बकाया राशि ऐसे लाभ और किराए की प्राप्ति से चुका दी जाती है या अन्यथा भुगतान कर दिया जाता है। 30

भाग VI

चूककर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत

कारण बताओ नोटिस. 76. (1) किसी चूककर्ता की गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरुद्धि का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कर वसूली अधिकारी ने चूककर्ता को नोटिस जारी करके उस पर तामील नहीं कर दी है, जिसमें उससे कहा गया है कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को उसके समक्ष उपस्थित हो और कारण बताए कि उसे सिविल कारागार में क्यों न भेज दिया जाए। 35

(2) उप-पैरा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि कर वसूली अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज कारणों से, संतुष्ट है कि -

(क) कि चूककर्ता ने कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के बाद प्रमाण पत्र के निष्पादन में बाधा डालने के उद्देश्य या प्रभाव से अपनी संपत्ति का कोई भाग बेईमानी से स्थानांतरित किया है, छिपाया है या हटाया है; या 40

(ख) कि चूककर्ता के पास, या कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के समय से, बकाया राशि या उसके कुछ पर्याप्त भाग का भुगतान करने का साधन है और वह भुगतान करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है

या कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के समय से ही उसके पास बकाया राशि या उसके कुछ पर्याप्त भाग का भुगतान करने का साधन था और वह भुगतान करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता रहा है या कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के समय से ही उसके पास बकाया राशि या उसके कुछ पर्याप्त भाग का भुगतान करने का साधन है और वह भुगतान करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता रहा है।

(3) उप-पैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कर वसूली अधिकारी द्वारा चूककर्ता की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकेगा, यदि उसे शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह विश्वास हो जाता है कि चूककर्ता के फरार होने या अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ने की संभावना है। 45

कर वसूली अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी पत्र, जिसका उद्देश्य या प्रभाव प्रमाणपत्र के निष्पादन में विलम्ब करना हो।

(4) कर वसूली अधिकारी चूककर्ता की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा, यदि उप-पैरा (1) के अधीन जारी और तामील किए गए नोटिस के अनुपालन में कोई उपस्थित नहीं होता है।

5

(5) उप-पैरा (3) या उप-पैरा (4) के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट किसी अन्य कर वसूली अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में चूककर्ता उस समय पाया जाता है।

(6) इस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट के अनुसरण में गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में उसकी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर) वारंट जारी करने वाले कर वसूली अधिकारी के समक्ष लाया जाएगा।

(7) कर वसूली अधिकारी चूककर्ता को तुरन्त रिहा कर देगा यदि वह गिरफ्तारी वारंट में दर्ज रकम तथा गिरफ्तारी का खर्च उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को दे देता है।

(8) इस पैरा में, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता चूककर्ता माना जाएगा यदि चूककर्ता हिंदू अविभाजित परिवार है।

77. कर वसूली अधिकारी चूककर्ता को कारण बताने का अवसर देगा कि उसे सिविल कारागार में क्यों न भेजा जाए, जब चूककर्ता पैरा 76 के अधीन नोटिस के अनुसरण में कर वसूली अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है या उक्त पैरा 76 के अधीन कर वसूली अधिकारी के समक्ष लाया जाता है।

20

सुनवाई.

78. जांच पूरी होने तक, कर वसूली अधिकारी अपने विवेकानुसार, चूककर्ता को ऐसे अधिकारी की हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है, जिसे कर वसूली अधिकारी ठीक समझे, या जब आवश्यक हो, उसे उपस्थित होने के लिए कर वसूली अधिकारी की संतुष्टि के लिए सुरक्षा प्रदान करने पर उसे छोड़ सकता है।

सुनवाई लंबित
रखने तक हिरासत
में रखा जाएगा।

79. (1) जांच के समापन पर, कर वसूली अधिकारी चूककर्ता को सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा और उस स्थिति में उसे गिरफ्तार भी करवा सकेगा, यदि वह पहले से ही गिरफ्तार न हो।

25

नजरबंदी का
आदेश.

(2) बकाया राशि का भुगतान करने का चूककर्ता को अवसर देने के लिए, कर अधिकारी वसूली अधिकारी, निरोध का आदेश देने से पूर्व-

(क) चूककर्ता को उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में 15 दिन से अनधिक की निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ देगा; या

30

(ख) यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे कर वसूली अधिकारी की संतुष्टि के लिए निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर उसकी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जाएगा।

(3) कर वसूली अधिकारी उस चूककर्ता को रिहा करने का निर्देश देगा, जो कर के दायरे में है। यदि वह उप-अनुच्छेद (1) के अधीन निरुद्ध का आदेश नहीं देता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

35

80. (1) प्रमाणपत्र के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार निरुद्ध किया जा सकेगा-

जेल में नजरबंद रहना
और जेल से रिहा
होना।

(क) जहां प्रमाणपत्र दो सौ रुपये से अधिक की राशि की मांग के लिए है तथा पचास रुपए, छह माह की अवधि के लिए; तथा

40

(ख) किसी अन्य मामले में, छह सप्ताह की अवधि के लिए।

(2) इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध से मुक्त किया जाएगा-

(क) उसकी हिरासत के लिए वारंट में उल्लिखित राशि का भुगतान किया जाना सिविल जेल का प्रभारी अधिकारी, या

45

(ख) कर वसूली अधिकारी के अनुरोध पर, पैराग्राफ 81 और 82 में उल्लिखित आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर।

(3) इस अनुच्छेद के अधीन नजरबंदी से रिहा किया गया चूककर्ता, केवल रिहाई के कारण बकाया के लिए अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, बल्कि जुर्माना या अन्य दंड का भागी होने का भी उत्तरदायी नहीं होगा।

उस प्रमाण पत्र के तहत पुनः गिरफ्तार किया गया जिसके निष्पादन में उसे सिविल जेल में हिरासत में रखा गया था।

मुक्त करना।

81. (1) कर वसूली अधिकारी किसी चूककर्ता को, जिसे प्रमाणपत्र के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया है, रिहा करने का आदेश दे सकेगा, बशर्ते कि वह संतुष्ट हो जाए कि—

(क) उसने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का खुलासा कर दिया है तथा उसे कर वसूली अधिकारी के अधीन कर दिया है; तथा

5

(ख) उसने कोई भी दुर्भावनापूर्वक कार्य नहीं किया है।

(2) कर वसूली अधिकारी प्रमाणपत्र के निष्पादन में चूककर्ता को पुनः गिरफ्तार करने का आदेश दे सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का आधार है कि उप-पैरा (1) के अधीन चूककर्ता द्वारा किया गया प्रकटीकरण असत्य है।

(3) सिविल कारागार में चूककर्ता की निरूद्धि की अवधि, कुल मिलाकर अनुच्छेद 80 के तहत अधिकृत अवधि से अधिक है।

10

रिलीज दिनांक
बीमारी का आधार।

82. (1) कर वसूली अधिकारी, किसी चूककर्ता की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होने के पश्चात, किसी भी समय चूककर्ता की गंभीर बीमारी के आधार पर वारंट को रद्द कर सकेगा।

(2) कर वसूली अधिकारी, ऐसे मामले में जहां चूककर्ता को गिरफ्तार किया गया है, उसे रिहा कर सकता है, यदि कर वसूली अधिकारी की राय में वह सिविल कारागार में निरूद्धि किए जाने के लिए स्वास्थ्य की उपयुक्त स्थिति में नहीं है।

15

(3) किसी चूककर्ता को, जिसे सिविल कारागार में भेज दिया गया है, कर वसूली अधिकारी द्वारा किसी संक्रामक या संचारी रोग के अस्तित्व के आधार पर या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के आधार पर वहां से रिहा किया जा सकता है।

(4) इस अनुच्छेद के अधीन रिहा किए गए चूककर्ता को पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है, किन्तु सिविल कारागार में उसकी हिरासत की अवधि कुल मिलाकर अनुच्छेद 80 के अधीन प्राधिकृत अवधि से अधिक नहीं होगी।

20

आवासीय घर में
प्रवेश।

83. इस अनुसूची के अधीन गिरफ्तारी करने के प्रयोजन के लिए-

(क) सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय से पूर्व किसी भी आवास गृह में प्रवेश नहीं किया जाएगा; (ख) किसी

आवास गृह का कोई बाहरी द्वार तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि ऐसा आवास गृह या उसका कोई भाग चूककर्ता के कब्जे में न हो और वह या घर का कोई अन्य अधिभोगी वहां तक पहुंचने से इंकार कर दे या किसी भी तरह से रोके; किन्तु, जब ऐसे किसी वारंट को निष्पादित करने वाला व्यक्ति किसी आवास गृह में सम्यक रूप से प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तब वह किसी भी कमरे या अपार्टमेंट का द्वार तोड़ सकता है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि चूककर्ता वहां पाया जा सकता है;

25

30

(ग) किसी ऐसे कमरे में, जो वास्तव में किसी महिला के कब्जे में है, जो देश की प्रथाओं के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होती है, तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक कि गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ने उसे नोटिस न दे दिया हो कि वह हटने के लिए स्वतंत्र है और उसे हटने के लिए उचित समय और सुविधा न दे दी हो।

महिलाओं या
नाबालिगों आदि की
गिरफ्तारी पर प्रतिषेध।

84. कर वसूली अधिकारी निम्नलिखित की गिरफ्तारी और सिविल जेल में नजरबंदी का आदेश नहीं देगा-

35

(क) कोई महिला; या

(ख) कोई व्यक्ति जो उसकी राय में नाबालिग है या विकृत चित्त का है।

भाग VII

मिश्रित

40

अधिकारियों को
न्यायसंगत तरीके से कार्य
करते हुए
पाया गया।

85. प्रत्येक मुख्य आयुक्त, आयुक्त, कर वसूली अधिकारी या अन्य अधिकारी इस अनुसूची के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 के अर्थान्तर्गत न्यायिक रूप से कार्य करता हुआ समझा जाएगा।

1850 का 18.

	86. इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक मुख्य आयुक्त, आयुक्त, कर वसूली अधिकारी या अन्य अधिकारी को वाद का विचारण करते समय साक्ष्य प्राप्त करने, शपथ दिलाने, साक्षियों को उपस्थित कराने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी।	साक्ष्य लेने की शक्ति.
5	87. कोई भी प्रमाणपत्र चूककर्ता की मृत्यु के कारण प्रभावी नहीं रहेगा।	प्रमाण पत्र जारी रखना।
	88. यदि कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के पश्चात किसी भी समय चूककर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो इस अनुसूची के अधीन कार्यवाही, गिरफ्तारी और नजरबंदी को छोड़कर, चूककर्ता के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी और इस अनुसूची के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो विधिक प्रतिनिधि चूककर्ता हो।	चूककर्ता की मृत्यु पर प्रक्रिया.
10	89. (1) इस अनुसूची के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा पारित किसी मूल आदेश के विरुद्ध, जो अंतिम आदेश न हो, अपील मुख्य आयुक्त या आयुक्त को होगी।	अपील.
	(2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक अपील तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी। जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी तारीख से।	
15	(3) किसी अपील का निर्णय लंबित रहने तक, यदि अपीलीय प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे तो प्रमाणपत्र का निष्पादन रोका जा सकेगा, अन्यथा नहीं।	
	(4) जहां कोई मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी क्षेत्र के संबंध में उस रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है, वहां उपपैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस क्षेत्र या उस क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के संबंध में उस रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किसी कर वसूली अधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकरण की तारीख से पूर्व पारित आदेशों के विरुद्ध सभी अपीलें ऐसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त को होंगी।	
20		
	90. इस अनुसूची के अधीन पारित किसी आदेश की, सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देने के पश्चात्, मुख्य आयुक्त, आयुक्त, कर वसूली अधिकारी या अन्य अधिकारी, जिसने आदेश दिया था, या उसके उत्तराधिकारी द्वारा अभिलेख में प्रकट किसी गलती के कारण समीक्षा की जा सकेगी।	समीक्षा।
25		
	91. किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अनुसूची के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी, यदि वह जमानतदार बन गया है किसी चूककर्ता द्वारा देय राशि के लिए, मानो वह व्यक्ति चूककर्ता हो।	जमानतदार से वसूली।
	92. (1) किसी चूककर्ता को, जिसे गिरफ्तार किया गया है या सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तारी के समय से लेकर उसके रिहा होने तक के जीवन-यापन के लिए देय राशि कर वसूली अधिकारी द्वारा वहन की जाएगी।	निर्वाह भत्ता.
30		
	(2) राशि की गणना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने पर की जाएगी। सिविल न्यायालय के आदेश के निष्पादन में गिरफ्तार किए गए निर्णय-ऋणियों का निर्वाह।	
	(3) इस पैरा के अधीन देय राशियां कार्यवाही में खर्च समझी जाएंगी, किन्तु चूककर्ता को देय किसी राशि के कारण सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।	
35		
	93. बोर्ड किसी आदेश, नोटिस, वारंट या अन्य किसी कार्रवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र को निर्धारित कर सकता है। इस अनुसूची के अंतर्गत जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र।	प्रपत्र.
	94. (1) बोर्ड, इस संहिता के उपबंधों के अनुरूप, मुख्य आयुक्तों, आयुक्तों, कर वसूली अधिकारियों और इस अनुसूची के अधीन कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।	नियम बनाने की शक्ति.
40		
	(2) विशिष्टता, तथा उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:- (क) वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत मुख्य आयुक्त, आयुक्त या कर वसूली अधिकारी कार्य करते हैं;	
	अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं; (ख)	
45		
	वह तरीका जिससे इस अनुसूची के अंतर्गत बेची गई कोई संपत्ति वितरित की जा सकती है; (ग) कर वसूली अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी दस्तावेज का निष्पादन या परक्राम्य लिखत या निगम में किसी शेयर का समर्थन, जहां ऐसा	

ऐसे परक्राम्य लिखत या शेयर को ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए निष्पादन या समर्थन की आवश्यकता होती है, जिसने उसे इस अनुसूची के अंतर्गत बिक्री के तहत खरीदा है;

(घ) इस अनुसूची के अधीन बेची गई किसी स्थावर संपत्ति के क्रेता को उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध या बाधा से निपटने की प्रक्रिया;

5

(ई) इस अनुसूची के तहत जारी किसी भी आदेश के लिए ली जाने वाली फीस;

(च) इस अनुसूची के अधीन की गई किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में वसूल किए जाने वाले प्रभारों का मान;

(छ) पाउंडेज शुल्क की वसूली;

(ज) पशुधन या अन्य जंगम संपत्ति की कुर्की के दौरान भरण-पोषण और अभिरक्षा, ऐसे भरण-पोषण और अभिरक्षा के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस, ऐसे पशुधन या संपत्ति की बिक्री और ऐसी बिक्री से प्राप्त आय का निपटान;

10

(i) कारोबार की कुर्की का तरीका।

प्रभार के
संबंध में बचत.

है।

95. इस अनुसूची की कोई बात इस संहिता के किसी ऐसे प्रावधान पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके अंतर्गत कर किसी परिसंपत्ति पर प्रथम प्रभार

15

इस अनुसूची में व्याख्याएँ।

96. इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) किसी भी करदाता के संबंध में, पैराग्राफ 6, 44, 65 और पैराग्राफ 66 के उप-पैराग्राफ (2) को छोड़कर, "प्रमाणपत्र" से धारा 219 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ख) "डिफॉल्टर" से तात्पर्य प्रमाणपत्र में उल्लिखित करदाता से है;

20

(ग) किसी प्रमाणपत्र के संबंध में "निष्पादन" का अर्थ है, उसके अनुसरण में बकाया राशि की वसूली प्रमाण पत्र का;

(घ) "जंगम संपत्ति" में उगती हुई फसलें सम्मिलित हैं; (ङ) "अधिकारी" से इस अनुसूची के अधीन कुर्की या बिक्री करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

25

(च) "पैराग्राफ" से इस अनुसूची में निहित पैराग्राफ अभिप्रेत है; और

(छ) "निगम में शेयर" में स्टॉक, डिबेंचर-स्टॉक, डिबेंचर या बांड शामिल हैं।

35

40

छठी अनुसूची

(देखें धारा 10 और 18 (1) (ए))

कुल आय में शामिल न की गई आय

1. कृषि आय.

5 2. धारा 9 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में प्राप्त कोई राशि, यदि- (क) राशि परिवार की आय में से दी गई हो; या (ख) किसी अविभाजित

संपदा की दशा में, राशि परिवार की आय में से दी गई हो;

परिवार से संबंधित अविभाज्य संपत्ति का।

10 3. किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी अनिगमित निकाय में भागीदार है, संघ के समझौते के अनुसार, उस निकाय की कुल आय में से अपने हिस्से के रूप में प्राप्त की गई कोई राशि, जिसका पृथक रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

15 4. संघ के सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के सदस्य की विधवा या बच्चों या नामित उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन की राशि, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु परिचालन कर्तव्यों के दौरान हुई है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

20 5. किसी विदेशी कंपनी को होने वाली कोई आय, जैसा कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, भारत की सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में भारत में या भारत के बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसरण में प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में।

25 6. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (25 मार्च, 1957 की रोम की संधि द्वारा स्थापित) की कोई आय, जो भारत में ब्याज, लाभांश या पूंजीगत लाभ के रूप में उसके कोष से ऐसी योजना के अंतर्गत किए गए निवेशों से प्राप्त होती है, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

25 7. देय ब्याज की कोई भी राशि-

(ए) सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन के निर्गम विभाग द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों पर सीलोन मौद्रिक कानून अधिनियम, 1949 के तहत गठित;

(ख) भारत से बाहर किसी देश में निगमित तथा उस देश में केंद्रीय बैंकिंग कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से किसी अनुसूचित बैंक में उसके द्वारा जमा की गई राशि पर;

30 (ग) नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक को, जो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की सरकारों द्वारा गठित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है, केंद्र सरकार द्वारा उस देश के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना के लिए दिए गए ऋण पर।

35 25 नवम्बर, 1986 को बैंक द्वारा अधिसूचित;

(घ) यूरोपीय निवेश बैंक को, उस बैंक के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 नवम्बर, 1993 को वित्तीय सहयोग के लिए किए गए रूपरेखा-करार के अनुसरण में दिए गए ऋण पर।

8. किसी व्यक्ति को अर्जित आय, यदि -

40 (क) वह व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में परिभाषित अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ; और

(ख) व्यक्ति निवास करता है—

(i) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, (ii)

45 पैराग्राफ से संलग्न तालिका के भाग I या भाग II में निर्दिष्ट कोई भी क्षेत्र संविधान की छठी अनुसूची की धारा 20 के अनुसार,

(iii) असम के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना संख्या टीएडी/आर/ 35/50/109, दिनांक 23 फरवरी, 1951 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 के उप-पैरा (3) के अनुसार, जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ होने से ठीक पहले विद्यमान था, या 1971 का 81.

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र और ऐसे व्यक्ति की आय लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज की प्रकृति की है या खंड (ख) में निर्दिष्ट राज्यों या क्षेत्रों में किसी स्रोत से है। 5

9. सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से या किसी सिक्किमी महिला को लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय, जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जो सिक्किमी नहीं है।

10. किसी निकाय या प्राधिकरण को मिलने वाली कोई भी आय, प्रकृति और सीमा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाता है, यदि ऐसा निकाय या प्राधिकरण- 10

(क) निम्नलिखित के तहत स्थापित या गठित या नियुक्त किया गया है-

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा दो या अधिक देशों के साथ की गई संधि या करार; या

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्ताक्षरित अभिसमय; और

(ख) लाभ के प्रयोजनों के लिए स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है; और 15

11. किसी अनुमोदित भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में संचित शेष राशि तथा उसमें कोई वृद्धि, उन्नीसवीं अनुसूची के भाग 1 के पैरा 8 में उपबंधित सीमा तक। 1925 का 19.

12. किसी भविष्य निधि से, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है, या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और इस निमित्त उसके द्वारा अधिसूचित किसी अन्य भविष्य निधि से कोई भुगतान। 20

13. अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड से किया गया कोई भी भुगतान-

(क) किसी वर्ष या उसके पश्चात् अपनी सेवानिवृत्ति पर वार्षिकी के बदले में या उसके संराशीकरण में निर्दिष्ट आय पर या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व अक्षम हो जाने पर; या

(ख) लाभार्थी की मृत्यु पर। 25

14. किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक की राशि, जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात:—

(क) ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी दूतावास, उच्चायोग, दूतावास, आयोग, वाणिज्य दूतावास या व्यापार प्रतिनिधित्व का अधिकारी है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।

राज्य, या इनमें से किसी भी अधिकारी के स्टाफ के सदस्य के रूप में, ऐसी क्षमता में सेवा के लिए; 30

(ख) संबंधित देश में समान प्रयोजनों के लिए निवास करने वाले सरकार के समतुल्य अधिकारियों या, जैसा भी मामला हो, कर्मचारियों के सदस्यों, यदि कोई हो, के पारिश्रमिक के संबंध में उस देश में समान छूट प्राप्त है; तथा

(ग) स्टाफ के सदस्य प्रतिनिधित्व वाले देश के नागरिक हैं और ऐसे स्टाफ के सदस्य के रूप में कार्य करने के अलावा भारत में किसी अन्य व्यवसाय, पेशे या रोजगार में संलग्न नहीं हैं। 35

15. किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में अपने प्रवास के दौरान उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी विदेशी उद्यम के कर्मचारी के रूप में पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त की गई राशि, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात:—

(क) विदेशी उद्यम भारत में किसी व्यापार या कारोबार में संलग्न नहीं है; 40

(ख) ऐसे वित्तीय वर्ष में उसका भारत में प्रवास कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक नहीं होता है; और

(ग) ऐसा पारिश्रमिक, नियोक्ता की आय से काटा जाने योग्य नहीं है। नियोक्ता द्वारा इस संहिता के अंतर्गत प्रभार्य।

16. किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त या देय राशि जो अनिवासी है, जो भारत का नागरिक नहीं है। 45

भारत का नागरिक, पारिश्रमिक के रूप में, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात: -

(क) ऐसा पारिश्रमिक किसी विदेशी जहाज पर रोजगार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए है; और

(ख) वित्तीय वर्ष में भारत में उसका कुल प्रवास कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक नहीं होता है।

5

17. किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक की राशि, जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात:—

(क) वह अपने प्रवास के दौरान किसी विदेशी राज्य की सरकार का कर्मचारी है
भारत; और

10

(ख) उसका भारत में प्रवास किसी प्रतिष्ठान या कार्यालय में या किसी उपक्रम में उसके प्रशिक्षण के संबंध में है, जो कि,

—

(i) सरकार;

(ii) कोई भी कंपनी जिसमें संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी कंपनी के पास हो।

केन्द्रीय सरकार, या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा;

15

(iii) कोई कंपनी जो मद संख्या 1 में निर्दिष्ट कंपनी की सहायक कंपनी है।

(ii)

(iv) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय सरकार द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम
अभिनेता

1860 का 14.

20

(v) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत या किसी अन्य तत्संबंधी कानून के तहत पंजीकृत कोई सोसायटी, जो पूर्णतः केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित हो।

25

1985 का 21.

18. भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत किसी करदाता द्वारा प्राप्त की गई कोई राशि, जो किसी वित्तीय वर्ष में ऐसी आपदा से उसे हुई हानि या क्षति के कारण कटौती के रूप में दी गई राशि (यदि कोई हो) से अधिक हो।

19. किसी कंपनी या अनिवासी को घोषित, वितरित या भुगतान किया गया कोई लाभांश, जिसके संबंध में धारा 109 के अंतर्गत लाभांश वितरण कर का भुगतान किया गया है।

30

20. किसी इन्विटी उन्मुखी फंड से प्राप्त कोई आय जिसके संबंध में आय के वितरण पर धारा 110 के अंतर्गत कर का भुगतान किया गया हो।

21. गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज की कोई भी राशि ...
जमा योजना, 1999 को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया।

35

22. किसी राजनीतिक दल की कोई आय जिसकी गणना "गृह संपत्ति से आय" या "पूंजीगत लाभ" या "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है या किसी व्यक्ति से स्वैच्छिक अंशदान के रूप में प्राप्त कोई आय, यदि—

(क) राजनीतिक दल ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज रखता और बनाए रखता है, जिससे मूल्यांकन अधिकारी को उनसे उचित रूप से आय की कटौती करने में सहायता मिलेगी;

40

(ख) राजनीतिक दल बीस हजार रुपये से अधिक के ऐसे अंशदानों का अभिलेख रखता है और बनाए रखता है, साथ ही अंशदाताओं का नाम और पता भी रखता है;

(ग) ऐसे राजनीतिक दल के खातों की लेखापरीक्षा एक लेखाकार द्वारा की जाती है; और

(घ) ऐसे राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष या उस राजनीतिक दल द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति वित्तीय वर्ष के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29सी की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

45

1951 का 43.

23. भारत में किसी भी बैंक में अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा राशि पर किसी व्यक्ति को मिलने वाला ब्याज, यदि वह-
- (क) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (डब्ल्यू) के अनुसार भारत से बाहर है।
प्रबंधन अधिनियम, 1999; या 1999 का 42.
- (ख) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपर्युक्त खाता बनाए रखने की अनुमति दी गई है। 5
24. सहकारी बैंक के अलावा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा किसी अनिवासी को विदेशी मुद्रा में जमा राशियों पर देय ब्याज की कोई राशि, जहां बैंक द्वारा ऐसी जमा राशियों को स्वीकार करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है।
25. किसी भी प्रकार से प्राप्त राशि - 10
- (क) किसी व्यक्ति द्वारा संसद या किसी राज्य विधानमंडल या उसकी किसी समिति की सदस्यता के कारण प्राप्त दैनिक भत्ता;
- (ख) संसद की सदस्यता के कारण किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला भत्ता
संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के अंतर्गत;
- (ग) किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी पार्टी की सदस्यता के कारण निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 15
संबंधित राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियम या नियमों के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाएगा।
26. प्राप्त कोई भी राशि, चाहे नकद या वस्तु के रूप में-
- (क) केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य द्वारा स्थापित किसी पंचाट के अनुसरण में
राज्य सरकार द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित
इस संबंध में सरकार; या 20
- (ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से ऐसे पुरस्कार के रूप में
इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोजनों के लिए कार्य किया जाएगा।
27. किसी भी प्रकार से प्राप्त राशि -
- (क) किसी व्यक्ति द्वारा पेंशन, जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में रहा हो
सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और "परमवीर चक्र" या "महा" से सम्मानित 25
वीर चक्र" या "वीर चक्र" या ऐसा अन्य वीरता पुरस्कार जिसे केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे;
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन ।
28. भारत सरकार द्वारा किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के गैर- 30
उपयोग पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बहुपक्षीय कोष से मुआवजे के रूप में प्राप्त कोई राशि।
29. किसी व्यक्ति को भारत के बाहर, किसी वित्तीय वर्ष में भारत में नियंत्रित व्यवसाय या भारत में स्थापित पेशे के अलावा किसी अन्य स्रोत से 35
प्राप्त होने वाली कोई आय, यदि व्यक्ति-
- (क) उस वित्तीय वर्ष से पहले के दस वित्तीय वर्षों में से नौ वर्षों में भारत में अनिवासी रहा हो; या
- (ख) उस वित्तीय वर्ष से पहले के सात वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में सात सौ तीस दिन से कम समय तक रहा हो।
30. किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा किसी आपदा के कारण मुआवजे के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय 40
प्राधिकरण से प्राप्त कोई राशि, उस राशि से अधिक, यदि कोई हो, जो किसी वित्तीय वर्ष में उसे या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को ऐसी आपदा से हुई
किसी हानि या क्षति के कारण कटौती के रूप में दी गई हो।
31. बांड पर ब्याज की कोई भी राशि-
- (क) किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य पूलित वित्त इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा जारी किया गया हो; और 45
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट।

32. निम्नलिखित के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न पूंजीगत लाभ की कोई राशि-

(क) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि;

(ख) कोई व्यक्तिगत प्रभाव; या (ग)

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा योजना, 1999 के अंतर्गत जारी स्वर्ण जमा बांड।

5

33. किसी शासक के कब्जे में किसी एक महल के संबंध में सकल किराया, यदि महल का वार्षिक मूल्य संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले, विलयित राज्य (कर रियायत) आदेश, 1949, या भाग बी राज्य (कर रियायत) आदेश, 1950, या, जैसा भी मामला हो, जम्मू और कश्मीर (कर रियायत) आदेश, 1958 के प्रावधानों के आधार पर आयकर से मुक्त था।

10

34. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई आय और उसकी राशि भारत में आयोजित किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन से किसी व्यक्ति को, यदि ऐसा आयोजन-

(क) ऐसे आयोजन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित है;

और

(ख) जिसमें दो से अधिक देश भाग ले रहे हों; और (ग) जिसे केन्द्र सरकार

15

द्वारा अधिसूचित किया गया हो,

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए।

35. किसी उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि की निवेश से कोई आय एक उद्यम पूंजी उपक्रम में।

20

36. किसी संघ या ऐसे संघों के संघ की कोई आय, जिसकी गणना निम्नलिखित के अंतर्गत की जाती है शीर्ष "गृह संपत्ति से आय" या "अवशिष्ट स्रोतों से आय" यदि—

1926 का 16.

(क) ऐसा संघ ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत है; और

(ख) इसका गठन मुख्यतः कामगारों और नियोक्ता के बीच अथवा कामगारों के बीच संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से किया गया है।

25

37. धारा 45 की उपधारा (1) के खंड (v) में निर्दिष्ट रिवर्स मॉर्टगेज के लेन-देन में किसी व्यक्ति द्वारा ऋण के रूप में एकमुश्त या किस्त में प्राप्त कोई आय।

38. सरकार द्वारा भारत के बाहर किसी व्यक्ति को दिया गया या दिया गया कोई भत्ता या अनुलाभ भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिक।

39. न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट से किसी ऐसे कर्मचारी को कोई भुगतान जिसका खाता हो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के अंतर्गत ट्रस्ट के साथ साझेदारी।

30

40. किसी भी योजना के तहत प्राप्त पेंशन के संराशीकरण में कोई भी भुगतान नियोक्ता, इस सीमा तक कि यह अधिक न हो -

(क) ऐसे मामले में जहां कर्मचारी कोई उपदान प्राप्त करता है, पेंशन का एक-तिहाई का संराशित मूल्य, जिसे वह सामान्यतः प्राप्त करने का हकदार है; तथा

35

(ख) किसी अन्य मामले में ऐसी पेंशन का आधा भाग संराशित मूल्य।

41. कर्मचारी द्वारा एक या एक से अधिक नियोक्ताओं से उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के नकद समतुल्य के रूप में प्राप्त किया गया कोई भुगतान, इस सीमा तक कि ऐसी राशि का कुल योग निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

40

42. किसी कर्मचारी द्वारा एक या एक से अधिक नियोक्ताओं से प्राप्त कोई भी भुगतान ग्रेच्युटी का प्रकार - (i)

उसकी सेवानिवृत्ति पर; या (ii)

ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके अशक्त हो जाने पर; या (iii) उसकी नौकरी समाप्त हो जाने

पर; या (iv) कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार द्वारा प्राप्त

45

कोई ग्रेच्युटी,

इस सीमा तक कि ऐसी राशि का कुल योग निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

43. किसी कर्मचारी द्वारा, एक या एक से अधिक नियोक्ताओं से, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार की गई किसी योजना के अंतर्गत उसकी सेवा समाप्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या पृथक्करण के संबंध में प्राप्त की गई कोई राशि, इस सीमा तक कि ऐसी राशि का कुल योग निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो।

44. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून या किसी पंचायत या सेवा अनुबंध के अधीन किसी कर्मकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 25एफ के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार उसकी छंटनी के समय प्राप्त मुआवजे की कोई राशि या पांच लाख रुपए, जो भी कम हो। 5
1947 का 14.

45. शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए किसी छात्र द्वारा छात्रवृत्ति की समीक्षा की गई कोई भी राशि।

46. किसी व्यक्ति द्वारा जीवन बीमा के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त कोई राशि 10
बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर पॉलिसी रद्द कर दी जाती है।

47. सहकारी समिति की ऐसी गतिविधियों से और उस सीमा तक आय, जो विहित की जा सकती है।

सातवीं अनुसूची

(अनुभाग 11 और 90 देखें)

आयकर के लिए उत्तरदायी न होने वाले व्यक्ति, संस्था या निधियों

- 1942 का 7. 1. कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 के अंतर्गत कॉफी बोर्ड का गठन किया गया।
- 1947 का 24. 5 2. रबर अधिनियम, 1955 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित रबर बोर्ड बोर्ड अधिनियम, 1947।
- 1953 का 29. 3. चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अंतर्गत चाय बोर्ड की स्थापना की गई।
- 1975 का 4. 4. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अंतर्गत तम्बाकू बोर्ड का गठन किया गया।
- 1972 का 13. 5. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। 10
- 1986 का 2. 6. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई।
- 1986 का 10. 15 7. मसाला अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित मसाला बोर्ड बोर्ड अधिनियम, 1986।
- 1953 का 45. 8. कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 4 के तहत कयर बोर्ड की स्थापना की गई।
9. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष।
10. प्रधानमंत्री कोष (लोक कला को बढ़ावा)।
11. प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष।
- 20 12. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन।
13. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण।
14. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम के तहत पंजीकृत म्यूचुअल फंड, 1992.
- 1992 का 15. 1992.
- 1925 का 19. 15. कोई भी भविष्य निधि जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है।
- 25 16. नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट।
17. कोई अनुमोदित भविष्य निधि।
18. कोई अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि।
19. कोई स्वीकृत ग्रेजुएट फंड।
20. जमा-लिक्विड बीमा निधि की स्थापना - (क) कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 का 46. 30 1948 के तहत की गई; (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत की गई; 21. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निधि।
- 1952 का 19. 20. जमा-लिक्विड बीमा निधि की स्थापना - (क) कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के तहत की गई; (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत की गई; 21. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निधि।
- 1948 का 34. 22. केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा इस प्रकार अनुमोदित कोई चुनावी ट्रस्ट, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी स्वेच्छिक अंशदानों के योग का 95 प्रतिशत तथा किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से प्राप्त अधिशेष, यदि कोई हो, राजनीतिक दलों को वितरित कर दिया जाता है।
23. किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम या कोई अन्य निकाय, संस्था या संघ (जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित निकाय, संस्था या संघ हो) जहां ऐसा निगम या अन्य निकाय या संस्था या संघ अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों या उनमें से किन्हीं दो या सभी 40 के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित या निर्मित किया गया हो।
24. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई निगम। 45

25. किसी व्यक्ति के कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए स्थापित कोई वैधानिक निगम।
पूर्व सैनिक भारत के नागरिक हैं।
26. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या दोनों के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए गठित कोई सहकारी समिति, यदि -
- (क) सहकारी समिति की सदस्यता में केवल समान प्रयोजनों के लिए गठित अन्य सहकारी समितियां शामिल हैं; तथा 5
- (ख) समिति का वित्त सरकार तथा अन्य समितियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
27. संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में निर्दिष्ट पंचायत।
28. संविधान के अनुच्छेद 243पी के खंड (ई) में निर्दिष्ट नगरपालिका। 10
29. नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड, कानूनी रूप से हकदार या द्वारा सौंपे गए नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन वाली सरकार।
30. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में परिभाषित छावनी बोर्ड। 2006 का 41.
31. संघ के सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे बलों के पूर्व और वर्तमान सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित कोई रोजिमेंटल निधि या गैर-सार्वजनिक निधि। 15
32. किसी बीमाकर्ता द्वारा पेंशन योजना के अंतर्गत 1 अगस्त, 1996 को या उसके पश्चात स्थापित कोई निधि,—
- (क) जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी निधि से पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अंशदान किया जाता है; और
- (ख) जिसे बीमा नियंत्रक या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो। 20
33. किसी राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी राज्य में खादी या ग्रामोद्योग के विकास के लिए स्थापित कोई प्राधिकरण या बोर्ड, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो।
34. किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित, गठित या नियुक्त कोई निकाय या प्राधिकरण (चाहे वह निगमित निकाय हो या न हो) जो निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के प्रशासन का प्रावधान करता है, अर्थात:— 25
- (क) सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ ट्रस्ट; या
- (ख) दान (जिसमें मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, वक्फ, चर्च, सभास्थल, अग्निगृह या अन्य सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल); या
- (ग) धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए पंजीकृत समाज 30
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, या वर्तमान में लागू कोई अन्य कानून। 1860 का 21.
35. केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी संघ, प्राधिकरण, निकाय, संस्था या ट्रस्ट, सार्वजनिक धार्मिक दान के विनियमन के लिए राज्य या प्रांतीय अधिनियम।
36. दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के चार्टर के अंतर्गत 21 दिसंबर, 1991 को जारी कोलंबो घोषणा द्वारा क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) कोष की स्थापना की गई। 35
37. उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 के अंतर्गत। 2003 का 36.
38. कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत गठित कोई कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड। 40
39. कोई गैर-लाभकारी संगठन, जो सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट या संस्था है, यदि-
- (क) वह इस संहिता की धारा 98 के अधीन पंजीकृत है; (ख) वह किसी राज्य अधिनियम, यदि कोई हो, के अधीन पंजीकृत है; (ग) वह अपनी आय का पूर्णतः सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है; 45

(घ) यह आम जनता के लाभ के लिए स्थापित किया गया है;

(ई) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसकी सकल प्राप्तियां पांच लाख रुपए से अधिक हैं तो वह लेखा पुस्तकों का रखरखाव करता है और लेखाकार से लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करता है;

5 (च) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय इसकी निधियों या परिसंपत्तियों का निवेश किया जाता है या उन्हें रखा जाता है धारा 95 में निर्दिष्ट तरीकों से; तथा

(छ) इसके धन या परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं किया गया है या उन्हें उपयोग में नहीं लाया गया है या उपयोग में लाया गया माना गया है या किसी भी इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया गया।

40. धारा 90 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक महत्व का कोई गैर-लाभकारी संगठन।

आठवीं अनुसूची

[धारा 32(2) देखें]

बीमा व्यवसाय के लाभ की गणना

1. जीवन बीमा व्यवसाय का लाभ बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार शेषरधारकों के खाते (गैर-तकनीकी खाते) में निर्धारित लाभ होगा।
5
2003 का 36.
2. पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट लाभ - (क) धारा 33 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियों के योग
से बढ़ाए जाएंगे, जहां तक ऐसी राशियां उस पैराग्राफ में निर्दिष्ट लाभ में शामिल नहीं हैं और धारा 35 की उपधारा (4) और धारा 36 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियों से बढ़ाए जाएंगे, जहां तक ऐसी राशियों को उक्त लाभ की गणना करते समय कटौती के रूप में दावा किया गया है; और
10
(ख) धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (xxx) के अंतर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य राशि और धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य वित्त प्रभारों से उस सीमा तक घटाया जाएगा, जिस सीमा तक ऐसी राशि खंड (क) के अंतर्गत शामिल की गई है।
15
3. जीवन बीमा के अलावा बीमा व्यवसाय का लाभ वार्षिक लेखों में प्रकटित लाभ होगा, जिसकी प्रतियां बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत बीमा नियंत्रक को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
1938 का 4.
4. पैराग्राफ 3 में उल्लिखित लाभ-
20
(क) निम्नलिखित की कुल राशि से वृद्धि होगी,—
(i) धारा 33 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकमों, जहां तक ऐसी रकमों उस पैरा में निर्दिष्ट लाभों में सम्मिलित नहीं हैं; और (ii) धारा 35 की उपधारा (4) और धारा 36 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकमों, जहां तक ऐसी रकमों का उस पैरा में निर्दिष्ट लाभों की संगणना करने में कटौती के रूप में दावा किया गया है; (ख) निम्नलिखित से घटाई गई-
25
(i) धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (xxx) के अधीन कटौती के रूप में स्वीकार्य राशि, उस सीमा तक जहां तक ऐसी राशि खंड (क) के उपधारा (i) के अधीन सम्मिलित की गई है;
30
(ii) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन कटौती के रूप में स्वीकार्य वित्त प्रभार की राशि, उस सीमा तक जहां तक ऐसी राशि खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन सम्मिलित की गई है; तथा
(iii) असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि में रखी गई ऐसी राशि, जैसा कि विहित किया जा सकता है।
35
5. भारत में निवासी न होने वाले तथा बीमा का कोई कारोबार करने वाले किसी व्यक्ति की भारत में शाखाओं का लाभ, अधिक विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में, ऐसे व्यक्ति की विश्व आय का वह अनुपात माना जाएगा जो भारत से प्राप्त उसकी प्रीमियम आय तथा उसकी कुल प्रीमियम आय के अनुपात के अनुरूप है।
6. पैराग्राफ 1 से 5 के अंतर्गत निर्धारित बीमा व्यवसाय के लाभों को समेकित किया जाएगा तथा इस प्रकार समेकित लाभ बीमा व्यवसाय से प्राप्त लाभ होगा।
40
7. बीमा व्यवसाय से प्राप्त लाभ को बीमा व्यवसाय से पिछले वर्ष की अनवशोषित हानि, यदि कोई हो, के साथ संयोजित किया जाएगा तथा ऐसे संयोजितकरण का शुद्ध परिणाम वित्तीय वर्ष के लिए बीमा व्यवसाय से वर्तमान लाभ होगा।
45
8. यदि अनुच्छेद 7 में एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम नकारात्मक है तो बीमा व्यवसाय से वर्तमान लाभ शून्य माना जाएगा और एकत्रीकरण के शुद्ध परिणाम का निरपेक्ष मूल्य वित्तीय वर्ष के लिए बीमा व्यवसाय की अनवशोषित वर्तमान हानि की राशि होगी।

9. पैराग्राफ 1 से 5 के अंतर्गत गणना किए गए लाभ की गणना इस प्रकार की गई मानी जाएगी—

(क) धारा 35 की उपधारा (1) से (3), धारा 36 की उपधारा (1) तथा धारा 37 से 40 (दोनों सम्मिलित) में निर्दिष्ट प्रत्येक हानि, भत्ता या कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के पश्चात्;

5

(ख) बीमा कारोबार के लाभ के संबंध में अध्याय III के उप-अध्याय IV के अंतर्गत स्वीकार्य किसी कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के पश्चात्।

10. बीमा व्यवसाय में प्रयुक्त किसी व्यवसायिक परिसंपत्ति के लिखित मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो करदाता ने दावा किया हो और उसे धारा 38 के अंतर्गत मूल्यहास, धारा 39 के अंतर्गत आरंभिक मूल्यहास तथा धारा 40 के अंतर्गत टर्मिनल 10 भत्ते के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई हो।

11. व्यवसाय के लिए सामान्य लागतों (मूल्यहास सहित) की राशि बीमा की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

12. बीमा व्यवसाय के व्यवसाय पुनर्गठन में उत्तराधिकारी को बीमा व्यवसाय की अनवशोभित चालू हानि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी 15 जो पूर्ववर्ती के मामले में निर्धारित की जाएगी - (क) उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है यदि पुनर्गठन वित्तीय वर्ष के पहले दिन हुआ है; और

20

(ख) वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से ठीक पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि, किसी अन्य रूप में मामला।

13. इस अनुसूची में-

1938 का 4.

25

(क) "जीवन बीमा व्यवसाय" से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (11) में परिभाषित जीवन बीमा व्यवसाय अभिप्रेत है ;

(ख) "बीमा व्यवसाय" से तात्पर्य है-

(i) जीवन बीमा का व्यवसाय; और (ii) किसी भी बीमा का व्यवसाय, जो जीवन बीमा न हो;

(ग) "सामान्य लागत" से तात्पर्य बीमा व्यवसाय और किसी अन्य व्यवसाय को चलाने के दौरान होने वाली लागत या व्यय से है; और

30

(घ) भारत में निवासी न होने वाले किसी व्यक्ति के बीमा कारोबार से संबंधित विश्व आय की गणना भारत में किए जाने वाले बीमा कारोबार के लाभों की गणना के लिए इस संहिता में अधिकथित तरीके से की जाएगी।

विशेष स्रोतों से आय की गणना

1. किसी विशेष स्रोत से आय की गणना इस अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। 5
2. किसी विशेष स्रोत से आय निम्नलिखित का योग होगी-
 - (क) उपार्जन या प्राप्ति के रूप में कोई राशि, जैसा भी मामला हो; (ख) व्यक्ति द्वारा किए गए किसी व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में उपार्जित या प्राप्त कोई राशि; तथा
 - (ग) उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाने वाला कोई कर जिसके द्वारा आय देय है। 10
3. गणना में किसी हानि की कोई कटौती, भत्ता या सेट-ऑफ की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशेष स्रोतों से आय.
4. पैराग्राफ 2 के अंतर्गत गणना की गई आय की गणना इस प्रकार की गई मानी जाएगी: इस संहिता के अंतर्गत प्रत्येक हानि, भत्ते या कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के पश्चात।
5. किसी विशेष स्रोत से आय अर्जित करने के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली किसी व्यावसायिक परिसंपत्ति के लिखित मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो व्यक्ति ने दावा किया हो और उसे धारा 38 के अंतर्गत मूल्यहास, धारा 39 के अंतर्गत आरंभिक मूल्यहास और धारा 40 के अंतर्गत अंतिम भत्ते के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई हो। 15
6. विशेष स्रोत से संबंधित सामान्य लागतों (मूल्यहास सहित) की राशि, जिसे पैराग्राफ 4 के अंतर्गत स्वीकृत माना गया है, का निर्धारण ऐसे तरीके से किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। 20

योग्य जहाज़ के संचालन के व्यवसाय के लाभ की गणना

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए अर्हक जहाज के परिचालन के कारोबार का लाभ,—

5 (क) इस अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी,
करदाता का विकल्प; तथा

(ख) विकल्प के प्रयोग पर, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित किया जाएगा-

ए + बी - सी

10 कहाँ

A = वित्तीय वर्ष की कुल टन भार आय;

बी = धारा 12 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियों का योग
33; और

15 सी = प्रासंगिक वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लिए, अर्हक जहाज के प्रचालन के व्यवसाय के संबंध में इस
अनुसूची के अंतर्गत संगणित ऋणात्मक लाभ की राशि।

2. प्रत्येक अर्हक जहाज के संबंध में वित्तीय वर्ष की टन भार आय होगी
जहाज की दैनिक टन भार आय को उन दिनों की संख्या से गुणा किया जाता है, जिनके दौरान जहाज
कंपनी द्वारा इसे एक योग्य जहाज के रूप में संचालित किया जाता है।

20 3. कॉलम में उल्लिखित टन भार वाले अर्हक जहाज की दैनिक टन भार आय
नीचे दी गई तालिका की (1) में निर्दिष्ट राशि, धारा 12 की संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि होगी।
उक्त तालिका के स्तंभ (2) में:

मेज़

धारावाहिक संख्या	शुद्ध टन भार वाला अर्हक जहाज	दैनिक टन भार आय की राशि
(1)	(2)	(3)
25	1. 1,000 टन तक	प्रत्येक 100 टन के लिए 46 रुपये
	2. 1,000 टन से अधिक परंतु 460 रुपये से अधिक नहीं तथा 100 टन से अधिक प्रत्येक के लिए 35 रुपये	
	10,000 टन	1,000 टन
30	3. 10,000 टन से अधिक परंतु 25,000 टन से अधिक नहीं	प्रत्येक 100 टन के लिए 3,610 रुपये और 28 रुपये
		10,000 टन से अधिक
	4. 25,000 टन से अधिक	7,810 रुपये और 100 टन से अधिक प्रत्येक के लिए 19 रुपये
		25,000 टन.

4. अर्हक जहाज के परिचालन के व्यवसाय से होने वाले लाभ को 'शून्य' माना जाएगा।
यदि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत निर्धारित लाभ ऋणात्मक है तो वित्तीय वर्ष में लाभ ऋणात्मक होगा।

35 5. इस अनुसूची के अंतर्गत गणना किए गए लाभ की गणना इस प्रकार की गई मानी जाएगी-

(क) उपर्युक्त प्रत्येक हानि, भत्ते या कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के पश्चात्
धारा 35 से 40 (दोनों सम्मिलित);

40 (बी) उप-अध्याय IV के तहत स्वीकार्य किसी भी कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के बाद
अध्याय III, अर्हक जहाज के संचालन के व्यवसाय के लाभ के संबंध में।

6. किसी व्यवसाय के संचालन में उपयोग की जाने वाली किसी भी व्यावसायिक परिसंपत्ति का लिखित मूल्य
अर्हक जहाज की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो करदाता ने दावा किया है और वास्तव में किया गया है
धारा 38 के तहत मूल्यहास के संबंध में कटौती की अनुमति दी, प्रारंभिक मूल्यहास
धारा 39 के तहत सेवा निवृत्ति भत्ता और धारा 40 के तहत सेवा निवृत्ति भत्ता।

7. किसी अर्हक जहाज के संचालन तथा किसी अन्य व्यवसाय के लिए उत्तरदायी सामान्य लागत (मूल्यहास सहित) की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

8. अर्हकारी जहाज के परिचालन के व्यवसाय के पुनर्गठन में उत्तराधिकारी को पूर्ववर्ती के मामले में निर्धारित नकारात्मक लाभ के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी -

5

(क) उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले का वित्तीय वर्ष जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है, यदि पुनर्गठन वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन हुआ है, और

(ख) वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर उसी दिन समाप्त होने वाली अवधि किसी भी अन्य मामले में, व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से ठीक पहले का दिन।

10

9. किसी कंपनी को जहाज के परिचालन की अस्थायी समाप्ति की स्थिति में भी अर्हक जहाज का संचालक माना जाएगा।

10. किसी कंपनी को उस जहाज के संबंध में ऑपरेटर नहीं माना जाएगा यदि जहाज को कंपनी ने बेयरबोट चार्टर-सह-मृत्यु शर्तों पर किराए पर लिया हो।

11. यदि कोई जहाज अस्थायी रूप से अर्हकारी जहाज नहीं रह जाता है तो उसे अर्हकारी जहाज नहीं माना जाएगा।

15

12. किसी अर्हक शिपिंग कंपनी की मुख्य शिपिंग गतिविधियों से प्राप्त बही लाभ या हानि को धारा 104 के प्रयोजनों के लिए कंपनी के बही लाभ से बाहर रखा जाएगा।

13. इस अनुसूची के प्रावधान किसी अर्हक शिपिंग कंपनी पर लागू नहीं होंगे यदि वह किसी ऐसे लेन-देन या व्यवस्था में पक्षकार है जो इस अनुसूची में दिए गए अनुसार टनभार आय योजना का दुरुपयोग है।

20

14. बोर्ड राजस्व से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकता है।
निम्नलिखित के संबंध में अर्हक जहाज चलाने का व्यवसाय, अर्थात्:—

(क) टनभार आय योजना में शामिल होने की विधि और समय तथा अवधि वे परिस्थितियाँ और कारण जिनके अंतर्गत विकल्प लागू रहेगा;

25

(ख) वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत किसी कंपनी को टन भार से बाहर रखा जा सकता है आय योजना;

(ग) नये जहाज खरीदने तथा चालक दल के प्रशिक्षण के लिए आंतरिक उपाजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए टनभार आय योजना की प्रयोज्यता के लिए अन्य शर्तें;

30

(घ) टन भार के चार्टर के लिए सीमाएं; (ङ) टन भार

आय योजना के दुरुपयोग की रोकथाम, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि कोई लेनदेन या व्यवस्था नहीं होती है, या इसके तहत निर्धारित नियमों के बिना, कर लाभ प्राप्त नहीं होता है -

35

(i) अर्हक शिपिंग कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति; या (ii) अर्हक शिपिंग कंपनी, अपनी

गतिविधियों से भिन्न,

अर्हक जहाज प्रचालन का व्यवसाय; (च) माल या सेवाओं का

मूल्यांकन, जहां इन्हें अर्हक जहाज प्रचालन के व्यवसाय और अर्हक शिपिंग कंपनी द्वारा किए जाने वाले किसी अन्य व्यवसाय के बीच स्थानांतरित किया जाता है;

40

(छ) व्यापारिक लेन-देन के सन्निकट मूल्य का निर्धारण, यदि ar-
लेन-देन की सीमा के परिणामस्वरूप टनभार आय योजना का दुरुपयोग होता है।

15. इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बेयरबोट चार्टर" का अर्थ है एक जहाज को एक निर्धारित अवधि के लिए उन शर्तों पर किराए पर लेना जो चार्टरकर्ता को जहाज का कब्जा और नियंत्रण प्रदान करती हैं, जिसमें मास्टर और चालक दल को नियुक्त करने का अधिकार भी शामिल है;

5 (ख) "बेयरबोट चार्टर-सह-मृत्यु" से ऐसा बेयरबोट चार्टर अभिप्रेत है, जहां जहाज का स्वामित्व निर्दिष्ट अवधि के बाद उस कंपनी को हस्तांतरित किया जाना है, जिसे वह चार्टर किया गया है;

(ग) "योग्य जहाजों के परिचालन का व्यवसाय" से तात्पर्य मुख्य नौवहन गतिविधियों और अनुमत आकस्मिक नौवहन गतिविधियों से है;

10 (घ) "मुख्य शिपिंग गतिविधियों" से तात्पर्य है-

(i) अर्हक जहाज के संचालन से संबंधित गतिविधियां; (ii) सेवा अनुबंध के निष्पादन के

संबंध में या उसके लिए गतिविधियां, जिसके अंतर्गत अर्हक शिपिंग कंपनी निर्दिष्ट उत्पादों की निर्दिष्ट मात्रा को निर्दिष्ट दर पर, निर्दिष्ट लोडिंग और डिस्चार्जिंग बंदरगाहों के बीच एक निर्दिष्ट अवधि में अर्हक जहाज द्वारा परिवहन करने के लिए सहमत होती है;

15

(iii) अर्हक जहाज पर या तटवर्ती गतिविधियां, जिनमें जहाज पर लिया गया किराया और भोजन तथा पेय शामिल हैं; तथा

(iv) स्लॉट चार्टर, स्पेस चार्टर, संयुक्त चार्टर, फीडर सेवाएं, या कं-अर्हक जहाज के लिए टेनर बॉक्स लीजिंग; (ई) "अनुमत

20

प्रासंगिक शिपिंग गतिविधि" का अर्थ है, किसी अर्हक जहाज को बेयरबोट चार्टर शर्तों पर किराए पर लेना, समुद्री परामर्श, माल की लोडिंग या अनलोडिंग, जहाज प्रबंधन या समुद्री शिक्षा या भर्ती से संबंधित कोई भी गतिविधि, यदि ऐसी सभी गतिविधियों से कुल प्रोद्भव या प्राप्तियां मुख्य शिपिंग गतिविधियों से टर्नओवर के एक-चौथाई प्रतिशत से अधिक नहीं हैं;

25

(च) "अर्हक शिपिंग कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात्:— (i) यह एक भारतीय कंपनी है; (ii) कंपनी के प्रभावी

प्रबंधन का स्थान भारत में है; (iii) इसके

पास कम से कम एक अर्हक जहाज है; और (iv) कंपनी का मुख्य उद्देश्य जहाजों के संचालन का

व्यवसाय करना है; (छ) "अर्हक जहाज" से ऐसा जहाज अभिप्रेत है,

30

जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(i) यह पंद्रह शुद्ध टन या उससे अधिक का समुद्री जहाज या जलयान है; (ii) यह इस अधिनियम

35

के तहत या इसके प्रयोजनों के लिए पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त जहाज है;

1958 का 44.

मर्चेट शिपिंग अधिनियम, 1958;

1958 का 44.

(iii) जहाज के शुद्ध टन भार को दर्शाने वाला प्रमाणपत्र मर्चेट शिपिंग अधिनियम, 1958 के तहत या उसके प्रयोजनों के लिए जारी किया गया है और लागू है; (iv) यह पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्लॉट चार्टर, स्पेस चार्टर या संयुक्त चार्टर जैसी व्यवस्था में अर्हक शिपिंग

कंपनी के स्वामित्व में है या किराए पर लिया गया है; और

40

(v) जहाज-

(ए) एक समुद्री जहाज या जलयान यदि इसका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का प्रावधान है जो सामान्यतः भूमि पर उपलब्ध कराई जाती हैं;

45

(बी) धारा 3 के खंड (12) में परिभाषित मछली पकड़ने वाला जहाज

1958 का 44.

मर्चेट शिपिंग अधिनियम, 1958;

(सी) मछली पकड़ने की उपज के प्रसंस्करण के संबंध में प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान करने वाले पोत सहित एक कारखाना जहाज;

(घ) एक आनंद यान, जो मुख्य रूप से खेल या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाने वाला जहाज है;

(ई) बंदरगाह और नदी घाट;

5

(एफ) अपतटीय प्रतिष्ठान; और

(जी) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए मछली पकड़ने वाले जहाज के रूप में उपयोग किया गया हो;

(ज) "समुद्री जहाज" से किसी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित जहाज अभिप्रेत है;

10

(i) "टन भार" का अर्थ होगा-

(i) व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 के तहत या उसके प्रयोजनों के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्र पर निर्दिष्ट टन भार; और

1958 का 44.

(ii) उस मामले में माना गया टन भार, जहां अर्हक कंपनी द्वारा स्लॉट खरीदने, स्लॉट चार्टर करने या अर्हक जहाज को साझा करने के लिए व्यवस्था की गई है, जिसकी गणना निर्धारित तरीके से की जा सकती है; (जे) "टन भार आय योजना" का अर्थ है कंपनी के मुनाफे की गणना के लिए एक योजना।

15

इस अनुसूची के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत अर्हक जहाजों के परिचालन का व्यवसाय;

(ट) "कुल टनभार आय" का तात्पर्य सभी अर्हक जहाजों के परिचालन से प्राप्त टनभार आय के योग से होगा।

20

ग्यारहवीं अनुसूची

[धारा 32(2) 44(8), 314(161) और 318(2)(एस)(आई) देखें]

व्यवसाय के लाभ की गणना

खनिज तेल या प्राकृतिक गैस

5 1. खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के व्यवसाय का लाभ वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय करदाता द्वारा किए गए व्यवसाय से प्राप्त सकल आय होगी, जिसमें से वर्ष के दौरान व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए करदाता द्वारा पूर्णतः और अनन्य रूप से किए गए व्यवसाय व्यय की राशि घटाई जाएगी।

2. पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट सकल आय निम्नलिखित का योग होगी,—

10 (क) करदाता द्वारा निम्नलिखित से प्राप्त उपार्जन या प्राप्तियां,—

(i) खनिज तेल या प्राकृतिक गैस का कारोबार; (ii) किसी भी चीज

का संपूर्ण या आंशिक या उसमें किसी हित का पट्टे पर देना या हस्तांतरण करना—

(ए) खनिज तेल या प्राकृतिक गैस अधिकार; और

(बी) खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के व्यवसाय में प्रयुक्त परिसंपत्ति; और (iii) किसी व्यवसायिक

15 पूंजी परिसंपत्ति (भूमि, सद्भावना या वित्तीय साधन के अलावा) का विध्वंस, विनाश, त्याग या हस्तांतरण, जिसके संबंध में किसी वित्तीय वर्ष में पैराग्राफ 3 के तहत कटौती की अनुमति दी गई है, या स्वीकार्य है; और

(ख) धारा 33 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकमें।

20 3. पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट व्यवसाय व्यय की राशि निम्नलिखित राशि का योग होगी,—

(क) धारा 35 में निर्दिष्ट परिचालन व्यय, जो करदाता द्वारा वहन किया गया हो;

(ख) धारा 36 में निर्दिष्ट वित्त प्रभार, जो करदाता द्वारा वहन किया गया हो;

25 (ग) किसी लाइसेंस शुल्क, किराया शुल्क या अन्य शुल्क पर व्यय, यदि वास्तव में भुगतान किया गया हो;

(घ) करदाता द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय; (ङ) किसी क्षेत्र के निष्फल या असफल

अन्वेषण पर किया गया व्यय; (च) कारोबार के प्रारंभ होने से पहले किया गया खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट व्यय।

30 (छ) योजनाओं के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक में रखे गए स्थल पुनरूद्धार खाते में भुगतान निर्धारित किया जा सकता है।

4. पैराग्राफ 1 के अंतर्गत गणना किए गए लाभ की गणना इस प्रकार की गई मानी जाएगी,—

35 (क) उपर्युक्त प्रत्येक हानि, भत्ते या कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के पश्चात् उप-धारा 35 से 40 (दोनों सम्मिलित);

(बी) उप-अध्याय-IV के तहत स्वीकार्य किसी भी कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के बाद खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के व्यवसाय के लाभ के संबंध में अध्याय III।

40 5. खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के व्यवसाय में प्रयुक्त किसी व्यवसायिक परिसंपत्ति के लिखित मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो करदाता ने दावा किया हो और उसे धारा 38 के अंतर्गत मूल्यहास, धारा 39 के अंतर्गत आरंभिक मूल्यहास और धारा 40 के अंतर्गत अंतिम भत्ते के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई हो।

6. खनिज तेल या प्राकृतिक गैस तथा किसी अन्य व्यवसाय के व्यवसाय से संबंधित मूल्यहास सहित सामान्य लागत की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

7. इस अनुसूची के प्रावधान पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट व्यवसाय पर लागू होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात: -

(क) यह पहले से मौजूद किसी व्यवसाय को विभाजित करके या उसका पुनर्निर्माण करके स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) यह किसी भी उद्देश्य के लिए पहले से उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के व्यवसाय को हस्तांतरण द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। 5

8. इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "खनिज तेल या प्राकृतिक गैस का व्यवसाय" से तात्पर्य किसी भी व्यवसाय से है, जिसमें शामिल है खनिज तेल या प्राकृतिक गैस की खोज या निष्कर्षण या उत्पादन;

(ख) "खनिज तेल" से कच्चा तेल अभिप्रेत है, जो परिष्कृत या अन्यथा उपचारित किए जाने से पहले अपनी प्राकृतिक अवस्था में पेट्रोलियम है, किन्तु जिसमें से जल और बाह्य पदार्थ निकाले गए हैं; 10

(ग) "प्राकृतिक गैस" का अर्थ है कोई भी भूमिगत दहनशील गैसीय जीवाश्म ईंधन; (घ) "तेल और गैस अधिकार"

का अर्थ है तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के तहत सौंपा गया कोई भी सर्वेक्षण परमिट, तकनीकी सहयोग परमिट, अन्वेषण अधिकार या उत्पादन अधिकार, या उसमें कोई अधिकार या हित; 15

1948 का 53.

(ई) कोई मशीनरी या संयंत्र जो करदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया था, उसे किसी भी उद्देश्य के लिए पहले से उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा, यदि-

(i) मशीनरी या संयंत्र का उपयोग, करदाता द्वारा स्थापना की तारीख से पहले किसी भी समय भारत में नहीं किया गया था; 20

(ii) मशीनरी या संयंत्र किसी बाहरी देश से भारत में आयात किया जाता है।
भारत; और

(iii) इस संहिता या आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मशीनरी या संयंत्र के संबंध में मूल्यहास के कारण कोई कटौती की अनुमति नहीं दी गई है या इस संहिता के प्रारंभ से पहले की स्थिति में, किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में, करदाता द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से पहले की अवधि के लिए; (च) पैराग्राफ 7 के खंड (बी) में निर्दिष्ट शर्त का अनुपालन किया गया माना जाएगा यदि मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भी भाग का कुल मूल्य, जो पहले किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था और पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट व्यवसाय 25

1961 का 43.

को स्थानांतरित किया गया था, व्यवसाय में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है; 30

(छ) पैराग्राफ 3 के खंड (घ) में निर्दिष्ट पूंजीगत व्यय में दीर्घकालिक पट्टे, सद्भावना या वित्तीय साधन सहित किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर किया गया कोई व्यय शामिल नहीं होगा। 35

बारहवीं अनुसूची

[धारा 32(2) 44(8) एवं 318(2)(पी) (i) देखें]

विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के व्यवसाय के लाभ की गणना

5

किसी वस्तु या चीज का निर्माण या उत्पादन या कोई सेवा प्रदान करना

एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई द्वारा

1. इस अनुसूची के प्रावधान नीचे निर्दिष्ट व्यवसाय पर लागू होंगे-

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का कार्य; और

10

(ख) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित एक इकाई जो निम्नलिखित व्यवसाय में लगी हुई है किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन या कोई सेवा प्रदान करना।

2. पैराग्राफ 1 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय का लाभ वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय करदाता द्वारा किए गए ऐसे व्यवसाय से सकल आय होगी, जिसमें से वर्ष के दौरान व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए करदाता द्वारा पूर्णतः और अनन्य रूप से किए गए व्यवसाय व्यय की राशि घटाई जाएगी।

15

3. पैराग्राफ 2 में उल्लिखित सकल आय निम्नलिखित का योग होगी-

(क) निर्धारित द्वारा निर्दिष्ट व्यवसाय से प्राप्त उपार्जन या प्राप्तियां;

(ख) किसी भी व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति (भूमि, सद्भावना या वित्तीय साधन के अलावा) के विध्वंस, विनाश, त्याग या हस्तांतरण से करदाता द्वारा प्राप्त उपार्जन या प्राप्तियां, जिसके संबंध में किसी भी वित्तीय वर्ष में पैराग्राफ 4 के तहत कटौती की अनुमति दी गई है, या स्वीकार्य है; और

20

(ग) धारा 33 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकमें।

4. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट व्यवसाय व्यय की राशि निम्नलिखित राशियों का योग होगी-

25

(क) धारा 35 में निर्दिष्ट परिचालन व्यय, जो करदाता द्वारा वहन किया गया हो;

(ख) धारा 36 में निर्दिष्ट वित्त प्रभार, जो करदाता द्वारा वहन किया गया हो;

(ग) किसी लाइसेंस शुल्क, किराया शुल्क या अन्य शुल्क पर व्यय, यदि वास्तव में भुगतान किया गया हो;

(घ) करदाता द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय;

30

(ई) खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट व्यय निर्दिष्ट व्यवसाय के प्रारंभ से पहले किया गया।

5. पैराग्राफ 2 के अंतर्गत गणना किए गए लाभ की गणना इस प्रकार की गई मानी जाएगी—

35

(क) धारा 35 की उपधारा (1) से (3) , धारा 36 की उपधारा (1) तथा धारा 37 से 40 (दोनों सम्मिलित) में निर्दिष्ट प्रत्येक हानि, भत्ता या कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के पश्चात्;

(ख) निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के संबंध में अध्याय III के उप-अध्याय-IV के तहत स्वीकार्य किसी भी कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के बाद।

40

6. निर्दिष्ट व्यवसाय में प्रयुक्त किसी व्यवसायिक परिसंपत्ति के लिखित मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो करदाता ने दावा किया है और उसे धारा 38 के अंतर्गत मूल्यहास, धारा 39 के अंतर्गत आरंभिक मूल्यहास और धारा 40 के अंतर्गत अंतिम भत्ते के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है।

7. निर्दिष्ट के लिए जिम्मेदार सामान्य लागतों (मूल्यहास सहित) की राशि व्यवसाय का निर्धारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

8. इस अनुसूची के प्रावधान किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय पर लागू होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(क) यह पहले से मौजूद किसी व्यवसाय को विभाजित करके या उसका पुनर्निर्माण करके स्थापित नहीं किया गया है; और

(ख) यह किसी भी उद्देश्य के लिए पहले से उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के निर्दिष्ट व्यवसाय को हस्तांतरण द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। 5

9. इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) कोई मशीनरी या संयंत्र जो करदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया था, उसे किसी भी उद्देश्य के लिए पहले से उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा, यदि-

(i) मशीनरी या संयंत्र का उपयोग, करदाता द्वारा स्थापना की तारीख से पहले किसी भी समय भारत में नहीं किया गया था;

(ii) मशीनरी या संयंत्र किसी बाहरी देश से भारत में आयात किया जाता है।
भारत; और

(iii) इस संहिता या आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मशीनरी या संयंत्र के संबंध में मूल्यहास के कारण कोई कटौती की अनुमति नहीं दी गई है या इस संहिता के प्रारंभ से पहले की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में अनुमति दी जा सकती है, जो कि करदाता द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से पहले थी; (ख) पैराग्राफ 8 के खंड (ख) में निर्दिष्ट शर्त का अनुपालन किया गया माना जाएगा यदि मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भी हिस्से का कुल मूल्य, जो पहले किसी भी उद्देश्य के लिए 1961 का 43.

उपयोग किया गया था और निर्दिष्ट व्यवसाय में स्थानांतरित किया गया था, उक्त व्यवसाय में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है; 20

(ग) पैराग्राफ 4 के खंड (घ) में निर्दिष्ट पूंजीगत व्यय में दीर्घकालिक पट्टे, सद्भावना या वित्तीय साधन सहित किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर किया गया कोई व्यय शामिल नहीं होगा। 25

तेरहवीं अनुसूची

[धारा 32(2) 44(8) और 318(o)(i), (q)(i), (r)(i) देखें]

किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ की गणना

1. इस अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित निर्दिष्ट व्यवसायों पर लागू होंगे
5 जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं:—

(क) विद्युत उत्पादन, पारेषण या वितरण का व्यवसाय; (ख) किसी अवसंरचना सुविधा का
विकास, संचालन और रखरखाव का व्यवसाय;

10 (ग) अपवर्जित क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में अस्पताल चलाने और रखरखाव का व्यवसाय;

(घ) फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग का व्यवसाय; (ङ) वितरण के लिए देश भर में
प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने और संचालित करने का व्यवसाय,
जिसमें नेटवर्क का अभिन्न अंग होने के नाते भंडारण सुविधाएं भी शामिल हैं;

15 (च) कोल्ड चैन सुविधा स्थापित करने और उसका संचालन करने का व्यवसाय; (छ)

कृषि उपज के भंडारण के लिए गोदाम सुविधा स्थापित करने और उसका संचालन करने का व्यवसाय;

(ज) भारत में कहीं भी, दो सितारा या उससे ऊपर की श्रेणी का नया होटल बनाने और चलाने का व्यवसाय, जैसा
कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्गीकृत किया गया हो और जिसका संचालन 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होता
20 हो;

(i) भारत में कहीं भी, रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले एक नए अस्पताल का निर्माण और
संचालन करने का व्यवसाय, जिसका संचालन 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होता है;

25 (जे) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, तैयार की गई गंदी बस्ती पुनर्विकास या पुनर्वास
के लिए किसी योजना के अंतर्गत आवास परियोजना को विकसित करने और निर्माण करने का व्यवसाय, तथा बोर्ड द्वारा
इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचित, तथा 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रचालन प्रारंभ
करना।

30 2. प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ की गणना इस अनुसूची के अंतर्गत अलग से की जाएगी।

3. किसी निर्दिष्ट व्यवसाय का लाभ वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय करदाता द्वारा किए गए व्यवसाय से सकल आय
होगी, जो वर्ष के दौरान व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए करदाता द्वारा पूर्णतः और विशेष रूप से किए गए व्यवसाय व्यय की राशि को
घटाकर प्राप्त होगी।

35 4. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सकल आय निम्नलिखित का योग होगी-

(क) निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट व्यवसाय से प्राप्त उपार्जन या प्राप्तियां; (ख) निर्धारिती द्वारा किसी व्यवसायिक

पूंजीगत परिसंपत्ति (भूमि, सद्भावना या वित्तीय साधन के अलावा) के हस्तांतरण, त्याग, विनाश या विनाश से
प्राप्त उपार्जन या प्राप्तियां, जिसके संबंध में किसी वित्तीय वर्ष में पैराग्राफ 5 के तहत कटौती की अनुमति दी गई है, या
स्वीकार्य है; तथा

40

(ग) धारा 33 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकमें।

5. पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट व्यवसाय व्यय की राशि निम्नलिखित राशियों का योग होगी-

(क) धारा 35 में निर्दिष्ट परिचालन व्यय, जो करदाता द्वारा वहन किया गया हो; (ख) धारा 36 में निर्दिष्ट वित्त

45 प्रभार, जो करदाता द्वारा वहन किया गया हो;

(ग) किसी लाइसेंस शुल्क, किराया शुल्क या अन्य शुल्क पर व्यय, यदि वास्तव में भुगतान किया गया हो;

(घ) करदाता द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय; (ङ) कारोबार शुरू होने से पहले किया गया

खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट व्यय।

5

6. अनुच्छेद 1 के अंतर्गत गणना किए गए लाभ की गणना इस प्रकार की गई मानी जाएगी-

(क) धारा 35 से 40 (दोनों सम्मिलित) में निर्दिष्ट प्रत्येक हानि, भत्ता या कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के पश्चात्;

(ख) निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के संबंध में अध्याय III के उप-अध्याय-IV के तहत स्वीकार्य किसी भी कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के बाद।

10

7. निर्दिष्ट व्यवसाय में प्रयुक्त किसी व्यवसायिक परिसंपत्ति के लिखित मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो करदाता ने दावा किया है और उसे धारा 38 के अंतर्गत मूल्यहास, धारा 39 के अंतर्गत आरंभिक मूल्यहास और धारा 40 के अंतर्गत अंतिम भत्ते के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है।

15

8. निर्दिष्ट व्यवसाय और किसी अन्य व्यवसाय के लिए मूल्यहास सहित सामान्य लागतों की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

9. इस अनुसूची के प्रावधान नीचे उल्लिखित व्यवसाय पर लागू होंगे।

पैराग्राफ 1, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(क) यह पहले से मौजूद किसी व्यवसाय को विभाजित करके या उसका पुनर्निर्माण करके स्थापित नहीं किया गया है;

20

(ख) यह मशीनरी या संयंत्र के निर्दिष्ट व्यवसाय में स्थानांतरण द्वारा स्थापित नहीं किया गया है

पहले किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया हो; और

(ग) ऐसे मामले में जहां कारोबार पैराग्राफ 1 के खंड (ई) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, कारोबार-

25

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में गठित और पंजीकृत कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ या किसी केंद्रीय या राज्य के तहत स्थापित या गठित प्राधिकरण या बोर्ड या निगम द्वारा स्वामित्व में है

1956 का 1.

कार्य;

(ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है

30

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित बोर्ड;

2006 का 19.

(iii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमन अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता के ऐसे अनुपात से कम नहीं है,

35

प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित या संबद्ध व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहक आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध है; तथा

2006 का 19.

(iv) कोई अन्य शर्त पूरी करता हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

10. इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (क) करदाता के संबंध में

40

"संबद्ध व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है -

(i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या एक या अधिक मध्यस्थों के माध्यम से भाग लेता है- करदाता के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में डायरियाँ;

(ii) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम बीस शेयर रखता है

करदाता की पूंजी में छह प्रतिशत मतदान शक्ति;

45

(iii) जो करदाता के निदेशक मंडल के आधे से अधिक सदस्यों या शासी बोर्ड के सदस्यों, या एक या अधिक कार्यकारी निदेशकों या शासी बोर्ड के कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति करता है; या

(iv) जो करदाता की कुल उधारी के दस प्रतिशत से अन्यून की गारंटी देता है;

5

(ख) कोई मशीनरी या संयंत्र जो करदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया था, उसे किसी प्रयोजन के लिए पहले उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा, यदि-

10

(i) मशीनरी या संयंत्र का उपयोग, करदाता द्वारा स्थापना की तारीख से पहले किसी भी समय भारत में नहीं किया गया था;

(ii) मशीनरी या संयंत्र किसी बाहरी देश से भारत में आयात किया जाता है।
भारत; और

1961 का 43.

15

(iii) इस संहिता या आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मशीनरी या संयंत्र के संबंध में मूल्यहास के कारण कोई कटौती की अनुमति नहीं दी गई है या इस संहिता के प्रारंभ से पहले की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में अनुमति दी जा सकती है, जो कि करदाता द्वारा मशीनरी या संयंत्र की स्थापना की तारीख से पहले थी; (ग) पैराग्राफ 9 के खंड (ख) में निर्दिष्ट शर्त का अनुपालन किया गया माना जाएगा यदि मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भी हिस्से का कुल मूल्य, जो पहले किसी भी उद्देश्य के लिए

उपयोग किया गया था और निर्दिष्ट व्यवसाय में स्थानांतरित किया गया था, व्यवसाय में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है;

20

(घ) पैराग्राफ 5 के खंड (घ) में निर्दिष्ट पूंजीगत व्यय में दीर्घकालिक पट्टे, सद्भावना या वित्तीय साधन सहित किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर किया गया कोई व्यय शामिल नहीं होगा।

25

(ई) 'बहिष्कृत क्षेत्र' से तात्पर्य निम्नलिखित क्षेत्रों से है-

(i) ग्रेटर मुंबई शहरी समूह; (ii) दिल्ली शहरी समूह; (iii)

कोलकाता शहरी समूह; (iv) चेन्नई शहरी

समूह; (v) हैदराबाद शहरी समूह; (vi) बेंगलूर

30

शहरी समूह; (vii) अहमदाबाद शहरी समूह; (viii)

फरीदाबाद जिला; (ix) गुडगांव जिला; (x) गौतमबुद्ध

नगर जिला; (xi) गाजियाबाद जिला; (xii) गांधीनगर

जिला; और (xiii) सिकंदराबाद शहर;

35

40

(च) "नगरीय समूह" से 2001 की जनगणना के आधार पर प्रासंगिक नगरीय समूह में सम्मिलित क्षेत्र अभिप्रेत है।

चौदहवीं अनुसूची

[धारा 32 (2), 86(4), 170(4), (ए), 314(220) (ई) देखें]

अनुमानित आधार पर आय का निर्धारण

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय करदाता द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट कारोबार से आय, स्तंभ (4) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, स्तंभ 3 में निर्दिष्ट राशि होगी: 5

मेज़			
धारावाहिक संख्या	व्यवसाय की प्रकृति	आय की राशि	स्थितियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)

1. भारी माल चलाने, भाड़े पर लेने या पट्टे पर देने का व्यवसाय। वित्तीय वर्ष में करदाता के स्वामित्व वाले सभी भारी माल और हल्के माल वाहनों से आय की कुल राशि दस या उससे कम होनी चाहिए। 10

(i) प्रत्येक भारी माल वाहन से प्रत्येक माह या माह के उस भाग के लिए पांच हजार रुपए, जिसके दौरान वाहन वित्तीय वर्ष में करदाता के स्वामित्व में रहता है; या 15

(ii) प्रत्येक हल्के माल वाहन से प्रत्येक मास या मास के उस भाग के लिए चार हजार पांच सौ रुपए, जिसके दौरान वाहन वित्तीय वर्ष में करदाता के स्वामित्व में रहता है। 20

2. कोई भी व्यवसाय (वित्तीय वर्ष में करदाता की कुल आय का आठ प्रतिशत से भिन्न)। (i) करदाता एक आवासीय व्यवसाय है और (ii) करदाता एक क्रमांकित व्यवसाय है। 1)। 25

(iii) वित्तीय वर्ष में करदाता का कारोबार से कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपए या उससे कम है। 30

	(1)	(2)	(3)	(4)
5				
	3. सिविल संबन्धित व्यवसाय	इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित टर्नकी विद्युत परियोजना के संबंध में निर्माण।	यह राशि, सिविल निर्माण के कारण करदाता को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान की गई या देय राशि (चाहे भारत में या भारत से बाहर) के दस प्रतिशत के बराबर होगी।	करदाता एक विदेशी कंपनी है।
10				
	4. किसी विदेशी संयंत्र या मशीनरी के निर्माण, परीक्षण या चालू करने के कारोबार के संबंध में (चाहे भारत में या बाहर), प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, करदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार को इस निमित्त अनुमोदित परियोजना के लिए भुगतान की गई या देय राशि।			
15				
20				
	5. खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में कुल चौदह प्रतिशत के बराबर राशि। यह राशि सेवाओं या सुविधाओं को प्रदान करने के कारोबार के लिए होगी।			करदाता अनिवासी है।
25				
			भारत में खनिज तेलों की संभावना, निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधानों के संबंध में करदाता को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; तथा	
30				
			(ii) भारत के बाहर खनिज तेलों के पूर्वेक्षण, निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधानों के कारण करदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई राशि।	
40				
45				
	6. (i) खनिज तेलों या भारत के भीतर या बाहर, या प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण में, या (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, करदाता को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संयंत्र और मशीनरी को का व्यवसाय।		यह रकम निम्नलिखित कुल राशि का चौदह प्रतिशत होगी। करदाता कुल निवासी का चौदह प्रतिशत निवासी है। किराए पर देने, उपयोग करने या उपयोग किए जाने	
50				
55				

(1)	(2)	(3)	(4)
		और मशीनरी किराये पर, उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाना है, भारत में खनिज तेलों की खोज, या निष्कर्षण या उत्पादन; तथा	5
		(ii) प्राप्त राशि या में प्राप्त माना जाता है भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, करदाता द्वारा या उसकी ओर से	10
		किराए पर, उपयोग में लाए जाने वाले या उपयोग में लाए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति पूर्वक्षण में उपयोग किया जाता है, या निष्कर्षण या उत्पादन खनिज तेलों के बाहर भारत।	15
7.	व्यवसाय का संचालन परिवहन प्रभार भी शामिल हैं) स्लॉट जैसे रेंजमेंट चार्टर, अंतरिक्ष चार्टर या संयुक्त चार्टर)।	परिवहन का दस प्रतिशत-करदाता गैर-जहाज है (जिसमें परिवहन के कारण होने वाले निवासी। यात्रियों का परिवहन, पशुधन, डाक या माल।	20
8.	व्यवसाय का संचालन जैसे व्यवस्था पर परिवहन शुल्क सहित) गिनती संयुक्त चार्टर)।	ट्रॉस-एयरक्राफ्ट का सात प्रतिशत (स्लॉट करदाता अनिवासी है। पास-चार्टर, स्पेस चार्टर या की ढुलाई की यात्री, पशुधन, डाक या चीजों।	25

2. पैराग्राफ 1 के तहत निर्धारित आय की राशि में आगे वृद्धि की जाएगी
करदाता द्वारा वास्तव में अर्जित आय की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो,
उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट राशि से अधिक का व्यवसाय।

3. पैराग्राफ 1 के अंतर्गत गणना की गई आय को इस प्रकार माना जाएगा कि
इस संहिता के अंतर्गत प्रत्येक हानि, भत्ते या कटौती को पूर्ण प्रभाव देने के पश्चात् यह प्रावधान किया गया है।

4. कमाई के उद्देश्य से इस्तेमाल की गई किसी भी व्यावसायिक संपत्ति का लिखित मूल्य
पैराग्राफ 1 में तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट व्यवसाय से आय होगी
गणना इस प्रकार की जाती है मानो व्यक्ति ने दावा किया है और उसे वास्तव में कटौती की अनुमति दी गई है
धारा 38 के तहत मूल्यहास, धारा 39 के तहत प्रारंभिक मूल्यहास और टर्मिनल के संबंध में
धारा 40 के तहत भत्ता।

5. व्यवसाय के लिए जिम्मेदार सामान्य लागतों (मूल्यहास सहित) की राशि
पैराग्राफ 1 में तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट है और माना जाता है कि उसे अनुमति दी गई है
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

6. इस अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-

(क) कोई आय जो किसी विशेष स्रोत से प्राप्त होती है;

(ख) उपर्युक्त व्यवसाय के संबंध में साधारण स्रोतों से प्राप्त कोई आय
पैराग्राफ 1 में तालिका के कॉलम (2) में, करदाता के विकल्प पर, यदि—

(i) करदाता सभी खाता बहियों और अन्य का रखरखाव करता है
व्यवसाय के संबंध में धारा 87 में निर्दिष्ट दस्तावेज, चाहे जो भी हो
उस अनुभाग में कुछ भी;

(ii) करदाता अपने खातों की लेखापरीक्षा कराता है और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करता है
व्यवसाय के संबंध में धारा 88 के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षा, चाहे उस धारा में कुछ भी हो;

(iii) खाते सही और पूर्ण हैं, जिससे कि कंपनी संतुष्ट हो।
मूल्यांकन अधिकारी;

(iv) आय को खातों से उचित रूप से घटाया जा सकता है; और (v) करदाता लेखा पुस्तकें
और अन्य दस्तावेज, जब भी मांगे जाएं, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

पंद्रहवीं अनुसूची

[धारा 38 (1), (4), (ए), 39(1) (बी), 40 (1) (बी), 42 (1) देखें]

मूल्यहास

1. किसी भी ब्लॉक के मूल्यहास के संबंध में धारा 37 के तहत भत्ता नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी उक्त सारणी के स्तंभ (4) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रतिशत, 5
ऐसी परिसंपत्तियों के समूह का समायोजित मूल्य या लिखित मूल्य, जैसा भी मामला हो जैसा कि करदाता के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किसी भी समय उपयोग किया जाता है वित्तीय वर्ष.

मेज़

वे दरें जिन पर मूल्यहास स्वीकार्य है

10

क्रम संख्या	परिसंपत्तियों का वर्ग	परिसंपत्तियों का ब्लॉक	मूल्यहास भत्ता के रूप में का प्रतिशत समायोजित मूल्य या लिखित का मूल्य घटा परिसंपत्तियों का ब्लॉक.	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	इमारत	(1) भवन जो मुख्य रूप से उपयोग किये जाते हैं आवासीय प्रयोजनों के लिए। (2) भवन जो पूर्णतः अस्थायी हों लकड़ी के ढांचे जैसे निर्माण। <small>(3) भवन जिनका उपयोग निम्नलिखित के रूप में या इनके लिए किया जाता है—</small> (i) होटल या बोर्डिंग हाउस, (ii) रेलवे स्टेशन, (iii) हवाई अड्डा, (iv) समुद्री बंदरगाह, (v) बस टर्मिनल (vi) अस्पताल, या (vii) कन्वेंशन सेंटर (4) कोई अन्य भवन।	5 100 15	20
				25
				30
2.	फर्नीचर और फिटिंग	फर्नीचर और फिटिंग्स जिसमें बिजली भी शामिल है फिटिंग.	10	
3.	वाहनों	(1) मोटर बसें, मोटर लॉरी और मोटर कारें, चलाने के व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं उन्हें किराये पर ले लो। (2) कोई अन्य मोटर बस, मोटर लॉरी या मोटर।	30 15	35
4.	हवाई जहाज	एयरोइंजन सहित हवाई जहाज।	40	40
5.	रेल	(1) इंजन, कोच और वैगन। (2) रोलिंग स्टॉक.	40 15	
6.	जहाज़	(1) समुद्र में जाने वाले जहाज. (2) सामान्यतः चलने वाली स्पीड बोट अंतर्देशीय जल. (3) कोई अन्य जहाज जो सामान्यतः संचालित होता है अंतर्देशीय जल पर.	20 20 20	45

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	पुस्तकें	(1) किसी व्यवसाय को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक प्रकाशन।	100
		(2) कोई अन्य पुस्तक जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए उपयोग की जाती है।	60
5		(3) 100 चल रहे उधार पुस्तकालयों के व्यवसाय को चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली पुस्तक।	
		(4) कोई अन्य पुस्तक।	25
8.	मशीनरी और पौधा	(1) रबर और प्लास्टिक के सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले सांचे।	30
10		(2) वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।	100
		(3) जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।	100
		(4) ठोस अपशिष्ट नियंत्रण उपकरण।	100
		(5) जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण।	40
15		(6) कांच या प्लास्टिक से बने कंटेनर, जिनका उपयोग रिफिल के रूप में किया जाता है।	50
		(7) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर।	60
		(8) ऊर्जा बचत उपकरण।	80
		(9) नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण।	80
20		(10) सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रयुक्त मशीनरी एवं संयंत्र।	30
		(11) कृत्रिम रेशम निर्माण मशीनरी में प्रयुक्त लकड़ी के भाग।	100
		(12) सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टूडियो लाइट के बल्ब।	100
25		(13) माचिस कारखानों में प्रयुक्त लकड़ी के फ्रेम।	100
		(14) खानों और खदानों में उपयोग किए जाने वाले टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, रेत भरने वाले पाइप और सुरक्षा लैंप।	100
30		(15) नमक के बर्तन, भण्डार और संचयित्र, जो मिट्टी, रेत या चिकनी सामग्री या किसी अन्य सामान सामग्री से बने हों, जिनका उपयोग नमक निर्माण कार्य में किया जाता है।	100
		(16) आटा चक्की या चीनी मिल में उपयोग होने वाले रोलर।	80
35		(17) लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त रोलिंग मिल रोल।	80
		(18) गैस सिलेंडर जिसके अंतर्गत वाल्व और रेगुलेटर भी हैं।	60
		(19) ग्लास विनिर्माण प्रत्यक्ष अग्नि ग्लास पिघलने वाली भट्टियों से संबंधित है।	60
40		(20) पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस कम्पनियों द्वारा क्षेत्रीय परिचालन (भूमि के ऊपर) वितरण में प्रयुक्त वापसी योग्य पैकेज।	60
		(21) पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस द्वारा क्षेत्र संचालन (जमीन के नीचे) में उपयोग किया जाने वाला संयंत्र सन्ध।	60
45		(22) जल आपूर्ति परियोजना या जल उपचार प्रणाली में अर्जित और स्थापित मशीनरी और संयंत्र, जिसका उपयोग आधारभूत संरचना सुविधा प्रदान करने के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए किया जाता है।	100
50		(23) कोई अन्य मशीनरी या संयंत्र।	15

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	वैज्ञानिक पुनः अनुसंधान परिसंपत्तियाँ	भूमि के अलावा सभी परिसंपत्तियाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग की गईं।	100
10.	परिवार नियोजन परिसंपत्ति	परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी परिसंपत्तियाँ।	25
111.	पशु	पशु.	0
12.	अमूर्त संपत्ति (1) लाइसेंस या फ्रैंचाइज़ के माध्यम से कोई भी अधिकार, किसी व्यवसाय को संचालित करने या किसी तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या समान प्रकृति के किसी अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार का उपयोग करने का अधिकार।		25
	(2) करदाता द्वारा निर्मित, परिचालित या स्थापित परिसंपत्ति या परियोजना, यदि,—		20
	(क) करदाता को दस वर्ष से अनधिक की निश्चित अवधि में लाभ या फायदा प्राप्त होता है; और (ख) परिसंपत्ति करदाता के स्वामित्व में नहीं है।		15
	(3) करदाता द्वारा निर्मित, परिचालित या स्थापित परिसंपत्ति या परियोजना, यदि,—		15
	(क) करदाता को दस वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि में लाभ या फायदा प्राप्त होता है; और (ख) परिसंपत्ति करदाता के स्वामित्व में नहीं है।		20
	2. किसी भी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में कोई मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि वास्तविक इसकी लागत में एक या अधिक वर्षों में कटौती की अनुमति है।		25
	3. मूल्यहास तालिका के क्रम संख्या 12 में परिसंपत्तियों की श्रेणी में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के ब्लॉक के समायोजित लिखित मूल्य का एक सौ प्रतिशत होगा, यदि परिसंपत्तियों के ब्लॉक का समायोजित मूल्य या लिखित मूल्य एक लाख रुपये या उससे कम है।		
	4. किसी व्यक्ति के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भवन में या उसके संबंध में नवीकरण या सुधार के माध्यम से किसी संरचना या कार्य के संबंध में, लागू किया जाने वाला प्रतिशत उक्त सारणी के क्रम संख्या 1 में परिसंपत्तियों के ब्लॉक के किसी उप-मद में निर्दिष्ट प्रतिशत होगा, जो उस भवन के वर्ग के लिए उपयुक्त हो सकता है जिसमें या जिसके संबंध में नवीकरण या सुधार किया जा रहा है।		30
	5. किसी व्यक्ति के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भवन के विस्तार के रूप में निर्मित किसी संरचना या किए गए कार्य के संबंध में, लागू किया जाने वाला प्रतिशत उक्त सारणी के क्रम संख्या 1 में परिसंपत्तियों के ब्लॉक के किसी उप-मद में निर्दिष्ट प्रतिशत होगा, जो उचित होगा, जैसे कि संरचना या कार्य एक अलग भवन का गठन करता है।		35
	6. इस अनुसूची में-		
	(क) "भवन" में सड़कें, पुल, पुलिया, कुएं और नलकूप शामिल हैं;		40
	(ख) "मुख्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भवन" से ऐसा भवन अभिप्रेत है, जिसका निर्मित फर्श क्षेत्र, जिसका उपयोग आवासीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, उसके कुल निर्मित फर्श क्षेत्र के छियासठ और दो-तिहाई प्रतिशत से कम नहीं है और इसमें कारखाना परिसर में स्थित कोई भी ऐसा भवन शामिल होगा;		
	(ग) "जल उपचार प्रणाली" में जल के विलवणीकरण, विखनिजीकरण और शुद्धिकरण के लिए जल उपचार प्रणाली के साथ-साथ कच्चे जल की आपूर्ति के स्रोत से संयंत्र तक और संयंत्र से भंडारण सुविधा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक पाइप शामिल हैं;		45

(घ) "विद्युत फिटिंग" में विद्युत वायरिंग, स्विच, सॉकेट और अन्य फिटिंग और पंखे शामिल हैं;

(ई) "कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर" से तात्पर्य किसी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना भंडारण डिवाइस पर रिकॉर्ड किया गया कोई भी कम्प्यूटर प्रोग्राम है;

5 (च) "स्पीड बोट" से अभिप्राय उच्च गति वाले आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित मोटर बोट से है जो स्थिर जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से बोट को चलाने में सक्षम है और इस प्रकार डिजाइन की गई है कि गति से चलने पर इसका अग्रभाग जल से ऊपर उठ जाएगा;

10 (छ) "महासागरीय जहाजों" में ड्रेजर, टग, बजरे, सर्वेक्षण लांच, मुख्य रूप से ड्रेजिंग प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य समान जहाज और लकड़ी के पतवार वाले मछली पकड़ने वाले जहाज शामिल हैं;

(ज) "वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण" से तात्पर्य है-

(i) इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण प्रणालियाँ; (ii) फेल्ड-फिल्टर प्रणालियाँ; (iii) धूल संग्राहक प्रणालियाँ; (iv) स्क्रबर-काउंटर करंट, वेंचर, पैकड बेड, साइक्लोनिक स्क्रबर; और (v) राख प्रबंधन प्रणाली और निकासी प्रणाली;

(i) "जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण" से तात्पर्य है-

(i) यांत्रिक स्क्रीन प्रणालियाँ;

(ii) वातित अवशिष्ट कक्ष (वायु संपीड़क सहित);

20 (iii) यांत्रिक रूप से स्किम्ड तेल और ग्रीस हटाने की प्रणालियाँ;

(iv) रासायनिक फीड सिस्टम और फ्लैश मिक्सिंग उपकरण; (v) मैकेनिकल फ्लोक्यूलेटर और मैकेनिकल रिएक्टर;

(vi) विसरित वायु, यांत्रिक रूप से वातित सक्रिय आपंक प्रणालियाँ;

(vii) वातित लैगून प्रणालियाँ;

25 (viii) बायोफिल्टर;

(ix) मीथेन-रिकवरी एनारोबिक डाइजेस्टर प्रणालियाँ; (x) वायु प्लवन प्रणालियाँ; (xi) वायु, भाप स्ट्रिपिंग प्रणालियाँ;

(xii) यूरिया हाइड्रोलिसिस प्रणालियाँ;

30 (xiii) समुद्री निकास प्रणालियाँ;

(xiv) आपंक को जल-विहीन करने के लिए अपकेन्द्रण;

(xv) घूर्णनशील जैविक ठेकेदार या जैव-डिस्क; (xvi) आयन एक्सचेंज रेजिन स्तंभ; और (xvii) सक्रिय कार्बन स्तंभ;

35 (जे) "ठोस अपशिष्ट नियंत्रण उपकरण" से तात्पर्य है-

(i) कास्टिक, चूना, क्रोम, खनिज, क्रायोलाइट पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ; और (ii) ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ;

(ट) "जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण" से तात्पर्य है-

(i) डी.सी.1015205303540254550. आंतरिक उपयोग के लिए डिफिब्रिलेटर और पेस मेकर;

40

(ii) हेमोडायलिसिसर्स;

(iii) हृदय-फेफड़े की मशीन; (iv) कोबाल्ट थेरेपी यूनिट; (v) कलर डॉप्लर; (vi) एसपीईसीटी गामा कैमरा; (vii) डिजिटल सबस्ट्रक्शन एंजियोग्राफी सहित वैस्कुलर एंजियोग्राफी प्रणाली;	5
(viii) एनेस्थीसिया उपकरण के साथ उपयोग किया जाने वाला वेंटिलेटर; (ix) चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग प्रणाली; (x) सर्जिकल लेजर; (xi) एनेस्थीसिया के साथ उपयोग किए जाने वाले वेंटिलेटर के अलावा अन्य वेंटिलेटर; (xii) गामा चाकू; (xiii) कीमोथेरेपी के लिए सिलास्टिक लंबे समय तक चलने वाले अंतःशिरा कैथेटर सहित अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण उपकरण;	10
(xiv) फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप जिसमें बाल चिकित्सा रिसेक्टोस्कोप/ऑडिट री-सेक्टोस्कोप, पेरिटोनियोस्कोप, आर्थोस्कोप, माइक्रोलेरिंजोस्कोप, फाइबरऑप्टिक फ्लेक्सिबल नेजल फैरिंजो ब्रॉकोस्कोप, फाइबरऑप्टिक फ्लेक्सिबल लेरिंजो ब्रॉकोस्कोप, वीडियो लेरिंजो ब्रॉकोस्कोप और वीडियो ओसोफेगो गैस्ट्रोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप, फाइबरऑप्टिक फ्लेक्सिबल ओसोफेगो गैस्ट्रोस्कोप शामिल हैं; या	15
(xv) लेप्रोस्कोप (एकल चीरा);	
(ठ) "ऊर्जा बचत उपकरण" से तात्पर्य है-	20
(i) विशेषीकृत बॉयलर और भट्टियां, जो-	
(ए) इग्निफ्लूइड/फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर; (बी) ज्वालारहित भट्टियां और निरंतर पुशर प्रकार की भट्टियां; (सी) फ्लूइडाइज्ड बेड प्रकार की ऊष्मा उपचार भट्टियां; या (डी) उच्च दक्षता वाले बॉयलर (कोयले से चलने वाले बॉयलर के मामले में 75 प्रतिशत से अधिक और तेल/गैस से चलने वाले बॉयलर के मामले में 80 प्रतिशत से अधिक तापीय दक्षता); (ii) ऊर्जा प्रवाह की निगरानी के लिए उपकरण और निगरानी प्रणाली, जो कि -	25
(ए) स्वचालित विद्युत भार निगरानी प्रणाली;	
(बी) डिजिटल ताप हानि मीटर;	30
(सी) माइक्रो-प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली;	
(डी) इन्फ्रा-रेड थर्मोग्राफी;	
(ई) ताप हानि, भट्टी तेल प्रवाह, भाप प्रवाह, विद्युत ऊर्जा और पावर फैक्टर मीटर मापने के लिए मीटर;	
(एफ) बिजली मीटर पर अधिकतम मांग सूचक और क्लैप;	35
(जी) निकास गैस विश्लेषक; या	
(एच) ईंधन तेल पंप परीक्षण बेंच;	
(iii) अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति उपकरण, जो-	
(ए) इकोनॉमाइजर और फीड वॉटर हीटर;	
(बी) रिक्यूपरेटर्स और एयर प्री-हीटर्स;	40

(सी) ताप पंप; या

(डी) उच्च और निम्न तापमान अपशिष्ट ऊष्मा के लिए थर्मल ऊर्जा पहिया वसूली;

(iv) सह-उत्पादन प्रणालियाँ, जो कि-

5 (ए) बैक प्रेशर पास आउट, नियंत्रित निष्कर्षण, दबाव बॉयलरों के साथ सह-उत्पादन के लिए निष्कर्षण-सह-संघनन टर्बाइन;

(बी) वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणालियाँ;

(सी) कार्बनिक रैंकिन चक्र विद्युत प्रणालियाँ; या

(डी) कम इनलेट दबाव वाले छोटे भाप टर्बाइन;

10 (v) विद्युत उपकरण, जो-

(ए) शंट कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेनसर सिस्टम;

(बी) व्यक्तिगत मोटरों पर लगे स्वचालित बिजली कटौती उपकरण (रिले);

(सी) स्वचालित वोल्टेज नियंत्रक;

15 (डी) एसी मोटर्स के लिए पावर फैक्टर नियंत्रक;

(ई) मोटर गति को नियंत्रित करने के लिए ठोस अवस्था उपकरण;

(एफ) ऊष्मीय ऊर्जा-कुशल स्टैंटर (जिसमें एक किलोग्राम पानी को वाष्पित करने के लिए 800 या उससे कम किलोकैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है);

(जी) श्रृंखला क्षतिपूर्ति उपकरण;

20 (एच) लचीला एसी ट्रांसमिशन (एफएसीटी) उपकरण - थाइरिस्टर नियंत्रित श्रृंखला क्षतिपूर्ति उपकरण;

(I) दिन का समय (टीओडी) ऊर्जा मीटर;

(जे) राष्ट्रीय विद्युत के लिए ट्रांसमिशन राजमार्ग स्थापित करने हेतु उपकरण एक क्षेत्र की अतिरिक्त बिजली को कमी वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए ग्रिड;

25

(के) रिमोट टर्मिनल यूनिट/बुद्धिमान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, राउटर/ब्रिज, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण प्रणालियों के लिए अन्य आवश्यक उपकरण और संबद्ध संचार प्रणालियाँ, ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियाँ और विद्युत संचरण प्रणालियों के लिए वितरण प्रबंधन प्रणालियाँ; या

30

(एल) उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के लिए विशेष ऊर्जा मीटर;

(vi) बर्नर, जो -

(ए) 0 से 10 प्रतिशत अतिरिक्त वायु बर्नर; (बी) इमल्शन बर्नर;

या (सी) उच्च प्री-हीट तापमान (300

35

डिग्री सेल्सियस से ऊपर) वाली वायु का उपयोग करने वाले बर्नर; और

(vii) अन्य ऊर्जा बचत उपकरण, जो -

(ए) रसायनों और गर्मी की वसूली के लिए गीली हवा ऑक्सीकरण उपकरण;

(बी) यांत्रिक वाष्प पुनर्संपीड़क;

40

(सी) पतली फिल्म बाष्पित्र;

(डी) स्वचालित माइक्रो-प्रोसेसर आधारित लोड मांग नियंत्रक;

- (ई) कोयला आधारित उत्पादक गैस संयंत्र;
- (एफ) द्रव ड्राइव और द्रव युग्मन;
- (जी) टर्बो चार्ज/सुपर-चार्ज; या
- (एच) विकिरण प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सीलबंद विकिरण स्रोत;
- (एम) "नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण" से तात्पर्य है- 5
- (i) फ्लैट प्लेट सौर संग्राहक; (ii) सांद्रण और पाइप प्रकार के सौर संग्राहक; (iii) सौर कुकर; (iv) सौर जल हीटर और प्रणालियाँ; (v) वायु/गैस/द्रव हीटिंग प्रणालियाँ; (vi) सौर फसल ड्रायर और प्रणालियाँ;
- (vii) सौर प्रशीतन, शीत भंडारण और वातानुकूलन प्रणालियाँ; (viii) सौर स्टील और विलवणीकरण प्रणालियाँ; (ix) सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणालियाँ; (x) सौर-तापीय और सौर-फोटोवोल्टेडिक रूपांतरण पर आधारित सौर पंप; 10
- (xi) जल पम्पिंग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए सौर-फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और पैनल; 15
- (xii) पवन चक्कियाँ और कोई विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण जो पवन चक्कियों पर चलते हैं; 20
- (xiii) पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनरेटर और पंप सहित कोई विशेष उपकरण; (xiv) बायोगैस संयंत्र और बायोगैस इंजन; (xv) बैटरी चालित या ईंधन सेल चालित वाहनों सहित विद्युत चालित वाहन; (xvi) ऊर्जा उत्पन्न करने वाले कृषि और नगरपालिका अपशिष्ट रूपांतरण उपकरण; 25
- (xvii) समुद्री अपशिष्ट और तापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उपकरण; या (xviii) किसी भी प्रकार के विनिर्माण में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र उपरोक्त उप-मर्दें; 30
- (ढ) "अर्धचालक उद्योग में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र" से अभिप्राय अर्धचालक उद्योग में प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र से है, जो सभी एकीकृत परिपथों (आई.सी.) (हाइब्रिड एकीकृत परिपथों को छोड़कर) को कवर करता है, जिसमें लघु पैमाने एकीकरण (एस.एस.आई.) से लेकर बड़े पैमाने एकीकरण/बहुत बड़े पैमाने एकीकरण (एल.एस.आई./वी.एल.एस.आई.) तक शामिल हैं, साथ ही पृथक अर्धचालक उपकरण जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, थाइरिस्टर, ट्रायक्स आदि, जो ऊपर उल्लिखित खंड (एच), (आई), (जे), (एल) और (एम) को छोड़कर हैं। 35

सोलहवीं अनुसूची

[धारा 79(1) और (4) देखें]

भाग I

एक सौ पचहत्तर प्रतिशत के लिए पात्र योगदान या दान।

5

कटौती

कोई भी अनुसंधान संघ या राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था यदि-

(क) वह वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में लगा हुआ है; और (ख) ऐसा संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय

या अन्य संस्था इस निमित्त शर्तों के अधीन तथा ऐसे दिशानिर्देशों और रीति के अनुसार अनुमोदित है, जैसा कि विहित किया जा सकता है।

भाग II

एक सौ पच्चीस प्रतिशत कटौती के लिए पात्र योगदान या दान

15

कोई भी शोध संघ या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान यदि—

(क) वह सांख्यिकीय अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करने में लगा हुआ है; और

(ख) ऐसे संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को इस संबंध में शर्तों के अधीन तथा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

20

भाग III

सौ प्रतिशत कटौती के लिए पात्र दान

1. केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष।
 2. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष।
 3. प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष।
 - 25 4. अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान-भारत) कोष।
 5. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन।
 6. राष्ट्रीय स्तर का कोई भी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान जिसे अनुमोदित किया जा सकता है इस संबंध में विहित प्राधिकारी द्वारा।
 - 30 7. किसी जिले में उस जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला साक्षरता समिति, ऐसे जिले के गांवों और कस्बों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने तथा साक्षरता और साक्षरता-पश्चात गतिविधियों के लिए।
 8. राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद या कोई राज्य रक्त आधान परिषद जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में रक्त बैंकों के संचालन और आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है।
 - 35 9. गरीबों को चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई कोष।
 10. सेना केन्द्रीय कल्याण निधि या भारतीय नौसेना कल्याण निधि या वायु सेना केन्द्रीय कल्याण निधि, जो संघ के सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे बलों के भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित की गई है।
 11. राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष।
 - 40 12. मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष
- किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जैसा भी मामला हो, जहां ऐसी निधि-

(क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित अपनी तरह की एकमात्र निधि, जैसा भी मामला हो;

(ख) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के समग्र नियंत्रण के अधीन, जैसा भी मामला हो होना;

(ग) ऐसी रीति से प्रशासित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार या उपराज्यपाल, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

5

13. केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल कोष।

14. केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष।

15. केन्द्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए कोष की स्थापना।

10

16. ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किया गया।

1999 का 44.

17. सरकार या कोई ऐसा स्थानीय प्राधिकरण, संस्था या संघ, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किया जाए, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना।

15

18. भारतीय ओलंपिक संघ या भारत में स्थापित किसी अन्य संघ या संस्था को, जैसा कि केन्द्रीय सरकार, विहित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे, निम्नलिखित के लिए-

20

(क) खेलकूद और क्रीड़ा के लिए अवसंरचना का विकास; या (ख) भारत में खेलकूद और क्रीड़ा का प्रायोजन, और जहां राशि का भुगतान किसी करदाता द्वारा किया जाता है, जो एक कंपनी है।

19. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित ग्रामीण विकास निधि।

20. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष की स्थापना एवं अधिसूचना।

25

भाग IV

पचास प्रतिशत कटौती के लिए पात्र दान

1. ट्रस्ट की घोषणा विलेख में उल्लिखित जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि राष्ट्रीय समिति द्वारा 17 अगस्त, 1964 को आयोजित बैठक में अपनाया गया।

30

2. प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष।

3. राष्ट्रीय बाल कोष।

4. इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट, जिसके संबंध में घोषणा विलेख 21 फरवरी, 1985 को नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था।

5. राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसके संबंध में घोषणा विलेख 21 जून, 1991 को नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था।

35

6. कोई अन्य निधि या कोई संस्था या कोई संगठन जो धारा 98 के अंतर्गत अनुमोदित है;

7. सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य धर्मार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

40

8. भारत में किसी कानून द्वारा या उसके अधीन गठित कोई प्राधिकरण, जो आवास सुविधा की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के लिए या दोनों के लिए गठित किया गया हो।

9. अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई निगम।

10. कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई अन्य स्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व का या किसी राज्य या राज्यों में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के जीर्णोद्धार या मरम्मत के लिए उपयोग किया जाएगा।

टिप्पणी:— (क) भाग III की मद 7 के प्रयोजनों के लिए, "नगर" से ऐसा नगर अभिप्रेत है जिसकी जनसंख्या अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक नहीं है, जिसके सुसंगत आंकड़े वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से पूर्व प्रकाशित कर दिए गए हों;

10 (ख) भाग III की मद 8 के प्रयोजनों के लिए, -

1860 का 21.

(i) "राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद" का अर्थ है सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पंजीकृत सोसायटी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय;

15

(ii) "राज्य रक्त आधान परिषद" का तात्पर्य राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद के परामर्श से, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी से है।

1860 का 21.

सत्रहवीं अनुसूची

[धारा 53(2) देखें]

कुछ मामलों में अधिग्रहण की लागत का निर्धारण

सीरियल नंबर निवेश परिसंपत्ति	प्रकृति	अधिग्रहण का तरीका	निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	एक एकीकृत कंपनी में शेयर, एक भारतीय कंपनी या एक उत्तराधिकारी सह-ऑपरेटिव बैंक.	धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (ट) या खंड (ठ) में निर्दिष्ट स्थानांतरण के माध्यम से, जैसा भी मामला हो।	समामेलित कंपनी या पूर्ववर्ती सहकारी बैंक में शेयरों के अधिग्रहण की लागत करदाता के लिए।	5
2.	सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 42 में निर्दिष्ट भागीदार का हस्तांतरणीय हित।	धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (जे) में निर्दिष्ट स्थानांतरण के माध्यम से।	सीमित दायित्व भागीदारी में रूपांतरण से ठीक पहले कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण की लागत।	10 15
3.	निर्दिष्ट शेयरों या डिबेंचर के हस्तांतरण (1) के खंड (आर) में निर्दिष्ट।	किसी कंपनी में खंड (क्यू) में के माध्यम से। या धारा 47 की उपधारा	बांड, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या जमा प्रमाणपत्र की लागत का वह हिस्सा जिसके संबंध में निवेश परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है।	20 25
4.	परिणामी कंपनी या सहकारी बैंक में शेयर।	विभाजन की योजना के तहत किए गए हस्तांतरण के माध्यम से।	वह राशि जो विलीन कंपनी या सहकारी बैंक में करदाता द्वारा धारित शेयरों के अधिग्रहण की लागत से संबंधित है, विलीनीकरण में हस्तांतरित परिसंपत्तियों के शुद्ध बही मूल्य के समानुपात में विलीन कंपनी या सहकारी बैंक के विलीनीकरण से ठीक पहले के शुद्ध मूल्य से संबंधित है।	30 35
5.	अलग की गई कंपनी या सहकारी बैंक में मूल शेयर।	किसी भी अंतरण के माध्यम से, विभाजन से ठीक पहले विभाजित कंपनी में करदाता द्वारा धारित मूल शेयरों के अधिग्रहण की लागत, इस तालिका के क्रम संख्या 3 की प्रविष्टि के संबंध में स्तंभ (4) के तहत पढ़नी राशि से कम हो जाती है।		40 45

(1)	(2) (3) (4)		
06.	शेयर या किसी अन्य प्रतिभूति परिसंपत्ति की खरीद के माध्यम से करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि।		
5	07. शेयरों या किसी अन्य प्रतिभूति की सदस्यता लेने के अधिकार को त्यागने का कोई अधिकार।	मूल शेयर या अन्य प्रतिभूति की खरीद के माध्यम से।	शून्य
10	08. मूल शेयर या अन्य परिसंपत्ति की खरीद के माध्यम से अतिरिक्त शेयर या सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि। मूल शेयर या सुरक्षा धारण करने के आधार पर किसी अन्य सुरक्षा का कोई अधिकार।		
15			
20	09. शेयर या कोई अन्य प्रतिभूति पर आबंटन के माध्यम से। भुगतान के बिना किसी शेयर या किसी अन्य प्रतिभूति को धारण करने के आधार पर।		शून्य
25	10. किसी अन्य व्यक्ति से शेयर या किसी अन्य सुरक्षा की खरीद के माध्यम से इस तरह के अधिकार के लिए अधिकार।	अधिकार का त्याग करने वाले व्यक्ति को करदाता द्वारा भुगतान की गई क्रय कीमत की राशि और निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए करदाता द्वारा कंपनी या संस्था को भुगतान की गई राशि, जैसा भी मामला हो, का कुल योग।	
30			
35	11. स्वेट इक्विटी शेयर। आबंटन या हस्तांतरण के उचित बाजार मूल्य, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को (भूतपूर्व कर्मचारी के मूल्य की गणना सहित) धारा 22 के प्रयोजनों के लिए अनुलाभ।		
40	12. भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के शेयर।	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा अनुमोदित विमुद्रीकरण या निगमीकरण की योजना के तहत।	करदाता द्वारा स्टॉक एक्सचेंज की मूल सदस्यता के अधिग्रहण की लागत।
45	13. किसी शेयरधारक द्वारा भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग या समाशोधन अधिकार अर्जित करना।	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा अनुमोदित विमुद्रीकरण या निगमीकरण की योजना के तहत।	शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	के शेयर या स्टॉक एक कंपनी.	<p>(क) के अनुसरण में समेकन या विभाजन या सभी का उप-विभाजन या किसी भी शेयर पूंजी कंपनी को शेयरों में बड़ी राशि या छोटी राशि, क्योंकि जो भी मामला हो, उसके विद्यमान शेयरों से अधिक; या</p> <p>(बी) रूपांतरण के माध्यम से कंपनी के किसी भी शेयर को स्टॉक में बदलना एक ही कंपनी, या उसका पुनः रूपांतरण; या</p> <p>(ग) धर्मांतरण के माध्यम से एक प्रकार के शेयरों का कंपनी को दूसरे में बदलना एक ही तरह के शेयर कंपनी।</p>	अधिग्रहण की लागत शेयर या स्टॉक जिससे निवेश परिसंपत्ति प्राप्त होती है।
			5
			10
			15
			20

अठारहवीं अनुसूची

[धारा 314(160) देखें]

खनिज और संबद्ध खनिजों का समूह

भाग I

खनिज पदार्थ

- 5
1. एल्युमिनियम अयस्क.
 2. एपेटाइट और फॉस्फेटिक अयस्क।
 3. बेरिल.
 4. क्रोम अयस्क.
- 10
5. कोयला और लिग्नाइट।
 6. कोलम्बाइट, समरस्काइट और "दुर्लभ मृदा" समूह के अन्य खनिज।
 7. तांबा.
 8. सोना.
 9. जिप्सम.
- 15
10. लौह अयस्क.
 11. सीसा.
 12. मैंगनीज अयस्क.
 13. मोलिब्डेनम.
 14. निकल अयस्क.
- 20
15. प्लैटिनम और अन्य कीमती धातुएँ और उनके अयस्क।
 16. पिचब्लेंड और अन्य यूरेनियम अयस्क।
 17. कीमती पत्थर.
 18. रूटाइल.
 19. चांदी.
- 25
20. सल्फर और उसके अयस्क।
 21. टिन.
 22. टंगस्टन अयस्क.
 23. यूरेनिफेरस एलेनाइट, मोनाजाइट और अन्य थोरियम खनिज।
 24. तांबा और सोना, इल्मेनाइट और अन्य टाइटेनियम अयस्कों के निष्कर्षण के बाद बचे हुए यूरेनियम अवशेष।
- 30
25. वैनेडियम अयस्क.
 26. जिंक.
 27. जिंकोन.

भाग II

संबद्ध खनिजों के समूह

- 35
1. एपेटाइट, बेरिल, कैसिटेराइट, कोलंबाइट, एमरेड, फेल्सपार, लेपिडोलाइट, मीका, पिचब्लेंड, क्वार्ट्ज, समरस्काइट, शीलाइट, पुखराज, टैंटलाइट, टूमलाइन।
 2. लोहा, मैंगनीज, टाइटेनियम, वैनेडियम और निकल खनिज।
 3. सीसा, जस्ता, तांबा, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कोबाल्ट, निकल,
- 40
- मोलिब्डेनम, और यूरेनियम खनिज, और सोना और चांदी, आर्सिनोपाइराइट, चाल्कोपीराइट, पाइराइट, पाइफ्रोटाइट और पेंटालैंडाइट।
 4. क्रोमियम, ओस्मिरिडियम, प्लैटिनम और निकल खनिज।
 5. कायनाइट, सिलिमेनाइट, कोरंडम, डुमोर्टाइट और पुखराज।
 6. सोना, चांदी, टेल्यूरियम, सेलेनियम और पाइराइट।
- 45
7. बैराइट्स, फ्लोराइट, चालकोसाइट, सेलेनियम, तथा जस्ता, सीसा और चांदी के खनिज।
 8. टिन और टंगस्टन खनिज.
 9. चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट।
 10. इल्मेनाइट, मोनाजाइट, जिंकोन, रूटाइल, गार्नेट और सिलिमेनाइट।
 11. तांबे और लोहे के सल्फाइड।
- 50
12. कोयला, फायरक्ले और शेल।
 13. मैग्नेटाइट और एपेटाइट.
 14. मैग्नेसाइट और क्रोमाइट.
 15. टैल्क (सोपस्टोन और स्टीटाइट) और डोलोमाइट।
 16. बॉक्साइट, लैटेराइट, एल्युमिनस क्ले, लिथोमॉर्ज, टाइटेनियम, वैनेडम, गैलियम और 17. कोलंबियर खनिज।
- 55

उन्नीसवीं अनुसूची

[धारा 314(18) देखें]

पार्ट-एक

स्वीकृत भविष्य निधि

भाग का आवेदन.

1. भविष्य निधि को इस भाग के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

5

भविष्य निधि की स्वीकृति एवं उसका आहरण।

2. (1) आयुक्त किसी भी भविष्य निधि को अनुमोदन दे सकेगा जो उसकी राय में पैरा 3 में निर्धारित शर्तों और बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों को पूरा करती है और किसी भी समय ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगा यदि उसकी राय में भविष्य निधि उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन करती है।

10

(2) अनुमोदन प्रदान करने वाला आदेश उस तारीख को प्रभावी होगा जिसे आयुक्त बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी नियम के अनुसार नियत करे, वह तारीख उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से पश्चात् की नहीं होगी जिसमें आदेश दिया गया है।

(3) अनुमोदन वापस लेने का आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह जारी किया गया हो।

(4) किसी भविष्य निधि को अनुमोदन प्रदान करने वाला आदेश, जब तक कि आयुक्त अन्यथा निदेश न दे, इस तथ्य से प्रभावित नहीं होगा कि इन उपक्रमों के समामेलन के घटित होने पर निधि को बाद में किसी अन्य भविष्य निधि में समामेलित कर दिया जाता है जिसके संबंध में दोनों निधियां रखी जाती हैं, या यह कि वह बाद में किसी उपक्रम से संबंधित किसी अन्य भविष्य निधि को पूरी तरह या आंशिक रूप से अवशोषित कर लेती है जिसे प्रथम वर्णित निधि को बनाए रखने वाले नियोजक के उपक्रम में पूर्णतः या आंशिक रूप से अंतरित या विलय कर दिया जाता है।

15

20

अनुमोदित भविष्य निधि द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें।

3. भविष्य निधि को अनुमोदन प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए, उसे पैराग्राफ 4 के प्रावधानों के अधीन, नीचे दी गई शर्तों और किसी भी अन्य शर्तों को पूरा करना होगा, जिन्हें बोर्ड नियमों द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है-

(क) सभी कर्मचारी भारत में नियोजित होंगे, या ऐसे नियोक्ता द्वारा नियोजित होंगे जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान भारत में है;

25

(ख) किसी वर्ष में किसी कर्मचारी का अंशदान उसके उस वर्ष के वेतन का एक निश्चित अनुपात होगा और नियोक्ता द्वारा उस वर्ष ऐसे वेतन के प्रत्येक आवधिक भुगतान पर उस अनुपात में कर्मचारी के वेतन से कटौती की जाएगी और निधि में कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में जमा कर दी जाएगी;

30

(ग) किसी वर्ष में किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में नियोक्ता का अंशदान उस वर्ष कर्मचारी के अंशदान की राशि से अधिक नहीं होगा, तथा उसे एक वर्ष से अधिक अंतराल पर कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जाएगा;

(घ) निधि दो या अधिक न्यासियों में अथवा किसी न्यास के अधीन सरकारी न्यासी में निहित होगी, जिसे समस्त लाभार्थियों की सहमति के बिना प्रतिसंहरणीय नहीं किया जा सकेगा;

35

(ई) निधि में ऊपर निर्दिष्ट अनुसार न्यासियों द्वारा प्राप्त अंशदान, उसके संचय, ऐसे अंशदानों और संचयों के संबंध में जमा ब्याज, उनसे खरीदी गई प्रतिभूतियां और निधि की पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ शामिल होंगे, अन्य कोई राशि नहीं;

40

(च) निधि उस प्रतिष्ठान की निधि होगी, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं या उस प्रतिष्ठान की निधि होगी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

19 से 1952 तक।

उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन भविष्य निधि आयुक्त द्वारा स्थापित किसी संस्था को अधिसूचित किया जा सकेगा, और ऐसा प्रतिष्ठान उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन उस धारा में निर्दिष्ट किसी योजना के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्राप्त करेगा;

45

(छ) नियोक्ता को कर्मचारी से किसी भी प्रकार की राशि वसूलने का अधिकार नहीं होगा।

निधि, उन मामलों को छोड़कर, जहां कर्मचारी को कदाचार के कारण बर्खास्त कर दिया जाता है या वह निधि के विनियमों में इस संबंध में निर्दिष्ट सेवा की अवधि की समाप्ति से पहले अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारण से स्वेच्छा से अपना रोजगार छोड़ देता है:

5 (ज) किसी कर्मचारी को देय संचित शेष राशि उस दिन देय होगी जिस दिन वह निधि का रखरखाव करने वाले नियोक्ता का कर्मचारी नहीं रह जाता है;

(i) खंड (ज) में उपबंधित के सिवाय या ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार, जैसा कि बोर्ड नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे, किसी कर्मचारी के खाते में जमा शेष का कोई भाग उसे देय नहीं होगा।

10 4. (1) पैरा 3 के खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, यदि वह ठीक समझे, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जिन्हें शर्तों में बूट- वह अनुमोदन के साथ जोड़ना उचित समझे, ऐसे नियोजक द्वारा संधारित निधि को अनुमोदन दे सकेगा जिसका मुख्य कारोबार स्थान भारत में नहीं है, बशर्त कि भारत के बाहर नियोजित कर्मचारियों का अनुपात, ऐसे नियोजक द्वारा संधारित निधि को, जो भारत में नहीं है, दस प्रतिशत से अधिक न हो।

15 (2) पैरा 3 के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मचारी जो संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करते समय या किसी कानून के अधीन राष्ट्रीय सेवा में लिए जाने या नियोजित होने पर अपना रोजगार बनाए रखता है, चाहे वह नियोजक से कोई वेतन प्राप्त करता हो या नहीं, संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा के दौरान या राष्ट्रीय सेवा में लिए जाने या नियोजित होने पर निधि में उस राशि से अधिक राशि का अंशदान कर सकता है, जो उसने नियोजक की सेवा जारी रखने पर दी होती।

20

(3) पैराग्राफ 3 के खंड (ई) या खंड (एच) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी -

25 (क) उस कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर, जो निधि का रखरखाव करने वाले नियोक्ता का कर्मचारी नहीं रह जाता है, निधि के न्यासी कर्मचारी को देय संचित शेष राशि के पूरे या उसके किसी भाग को अपने पास रखने के लिए सहमति दे सकते हैं, जिसे कर्मचारी द्वारा किसी भी समय मांग किए जाने पर निकाला जा सकता है;

(ख) जहां किसी कर्मचारी को, जो कर्मचारी नहीं रह गया है, देय संचित शेष राशि, खंड (क) के अनुसार निधि में रखी जाती है, वहां निधि में ऐसे संचित शेष के संबंध में ब्याज भी शामिल हो सकेगा।

30

(ग) निधि में किसी कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता द्वारा संधारित किसी अनुमोदित भविष्य निधि में उसके व्यक्तिगत खाते से अंतरित कोई राशि और उस पर ब्याज भी शामिल हो सकता है।

(4) बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, आयुक्त किसी विशेष निधि के संबंध में पैराग्राफ 3 के खंड (ग) के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा -

35

(क) जिससे नियोक्ता द्वारा उन कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में अधिक अंशदान का भुगतान किया जा सके, जिनका वेतन प्रत्येक मामले में पांच सौ रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है; तथा

(ख) जिससे नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में आवधिक बोनस या आकस्मिक प्रकृति के अन्य अंशदान जमा किए जा सकें, जहां ऐसे बोनस या अन्य अंशदानों की गणना और भुगतान निधि के विनियमों द्वारा निश्चित सिद्धांतों के आधार पर प्रदान किया गया हो।

40

(5) पैरा 3 के खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी को पैरा 10 के उप-पैरा (4) के अधीन निर्धारित उसकी कुल आय पर निर्धारित कर की रकम का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए, वह अनुमोदित भविष्य निधि में अपने जमा शेष से ऐसी रकम निकालने का हकदार होगा जो ऐसी रकम और उस रकम के बीच के अंतर से अधिक न हो जो उस पर निर्धारित की गई होती यदि पैरा 10 के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अंतरित शेष उसकी कुल आय में शामिल न किया गया होता।

45

नियोक्ता का वार्षिक अंशदान, जब उसे आय माना जाता है	5. किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धि का वह हिस्सा जो बैंक खाते में जमा शेष राशि में होता है। किसी अनुमोदित भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी की, जिसमें शामिल है -	
कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया।	(क) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के बारह प्रतिशत या एक लाख रुपए से अधिक का किया गया अंशदान, जो भी कम हो; तथा	
	(ख) कर्मचारी के खाते में जमा शेष पर ब्याज, जहां तक वह उस दर से अधिक दर पर अनुज्ञात किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्धारित की जा सकती है।	5
	उस वित्तीय वर्ष में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा और उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय में शामिल किया जाएगा, और आयकर के लिए उत्तरदायी होगा।	
कर्मचारी के अंशदान के लिए छूट.	6. अनुमोदित भविष्य निधि में भाग लेने वाला कोई कर्मचारी, वित्तीय वर्ष में निधि में अपने व्यक्तिगत खाते में अपने अंशदान के संबंध में, धारा 69 के अनुसार निर्धारित राशि की अपनी कुल आय की गणना में कटौती का हकदार होगा।	10
संचित शेष राशि को कुल आय से बाहर रखा जाना।	7. (1) अनुमोदित भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय और देय होने वाला संचित शेष उसकी कुल आय की गणना से बाहर रखा जाएगा -	15
	(क) यदि उसने अपने नियोक्ता के पास पांच वर्ष की अवधि तक लगातार सेवा की है वर्ष या उससे अधिक;	
	(ख) यदि, यद्यपि उसने ऐसी निरन्तर सेवा नहीं की है, तथापि सेवा कर्मचारी के अस्वस्थ होने के कारण, या कर्मचारी के व्यवसाय में रुकावट आने के कारण, या कर्मचारी के नियंत्रण से परे अन्य कारण से समाप्त कर दी गई है;	20
	या	
	(ग) यदि कर्मचारी अपनी नौकरी समाप्त होने पर किसी अन्य नियोजक के पास नौकरी प्राप्त कर लेता है, तो उसे देय और देय होने वाली संचित शेष राशि को बढ़ाने के लिए ऐसे अन्य नियोजक द्वारा संधारित किसी अनुमोदित भविष्य निधि में उसके व्यक्तिगत खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।	25
	(2) जहां अपने नियोजक द्वारा संधारित अनुमोदित भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय और देय होने वाले संचित शेष में उसके पूर्व नियोजक या नियोजकों द्वारा संधारित किसी अन्य अनुमोदित भविष्य निधि या निधियों में उसके वैयक्तिक खाते से अंतरित कोई रकम सम्मिलित है, वहां उपपैरा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए निरंतर सेवा की अवधि की संगणना करने में वह अवधि या अवधियां सम्मिलित की जाएंगी, जिसके लिए ऐसे कर्मचारी ने अपने पूर्व नियोजक या पूर्वोक्त नियोजकों के अधीन निरंतर सेवा की है।	30
संचित शेष पर कर.	8. जहां अनुमोदित भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी को देय संचित शेष राशि, पैरा 7 के उपबंधों के लागू न होने के कारण उसकी कुल आय में सम्मिलित है, वहां निर्धारण अधिकारी विभिन्न कर राशियों का योग गणना करेगा जो कर्मचारी द्वारा संबंधित प्रत्येक वर्ष के लिए उसकी कुल आय के संबंध में देय होती यदि निधि अनुमोदित भविष्य निधि न होती, और वह राशि जो ऐसे कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्षों के लिए कर के रूप में भुगतान की गई सभी राशियों के योग से अधिक हो, कर्मचारी द्वारा अन्य कर के अतिरिक्त देय होगी जिसके लिए वह उस वित्तीय वर्ष के लिए उत्तरदायी हो सकता है जिसमें उसे देय संचित शेष राशि देय हो जाती है।	35
संचित शेष पर देय कर के स्रोत पर कटौती।	9. अनुमोदित भविष्य निधि के न्यासी, या निधि के नियमों द्वारा कर्मचारियों को देय संचित शेष राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति, उन मामलों में जहां अनुच्छेद 8 लागू होता है, कर्मचारी को देय संचित शेष राशि का भुगतान करते समय, उस अनुच्छेद के तहत देय राशि में से कटौती करेगा और अध्याय XI के सभी प्रावधान लागू होंगे जैसे कि संचित शेष राशि "रोजगार से आय" शीर्षक के तहत प्रभार्य आय थी।	45

10. (1) जहाँ विद्यमान शेषों के साथ भविष्य निधि को अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहाँ अनुमोदन के प्रभावी होने के दिन से ठीक पहले वाले दिन तक का लेखा-जोखा रखा जाएगा, जिसमें उस दिन प्रत्येक कर्मचारी के खाते में जमा शेष दर्शाया जाएगा तथा उसमें ऐसे अतिरिक्त विवरण दिए जाएंगे, जो बोर्ड निर्धारित करे।

नव अनुमोदित भविष्य निधि में शेष राशि का उपचार।

5 (2) खाते में प्रत्येक कर्मचारी के खाते में जमा शेष के संबंध में वह रकम भी दर्शाई जाएगी जो अनुमोदित भविष्य निधि में उस कर्मचारी के खाते में अंतरित की जानी है और ऐसी रकम (जिसमें इसमें इसका पश्चात् उसका अंतरित शेष कहा जाएगा) को उस तारीख को अनुमोदित भविष्य निधि में उसके खाते में जमा शेष के रूप में दर्शाया जाएगा जिस तारीख को निधि का अनुमोदन प्रभावी होता है और इस पैरा का उप-पैरा (4) और पैरा 4 का उप-पैरा (5) उस पर लागू होगा।

10

(3) विद्यमान निधि में किसी कर्मचारी के जमा शेष का कोई भाग, जो अनुमोदित निधि में अन्तरित नहीं किया गया है, अनुमोदित निधि के खातों से बाहर रखा जाएगा और इस भाग को छोड़कर, इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार आयकर के लिए दायी होगा।

15

(4) बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, मूल्यांकन अधिकारी किसी अंतरित शेष में समाविष्ट सभी राशियों के योग की गणना करेगा, जो इस भाग के प्रवृत्त होने पर, निधि की स्थापना की तारीख से, किसी राशि पर दिए गए किसी कर पर ध्यान दिए बिना, आयकर के लिए दायी होती और ऐसा योग (यदि कोई हो) कर्मचारी द्वारा उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय समझा जाएगा, जिसमें निधि का अनुमोदन प्रभावी होता है और उसे उस वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी की कुल आय में शामिल किया जाएगा और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, अंतरित शेष के शेष को छोड़ दिया जाएगा, किन्तु ऐसे अंतरित शेष में समाविष्ट किसी राशि के संबंध में, वापसी के रूप में या अन्यथा कोई अन्य छूट या राहत प्रदान नहीं की जाएगी।

20

25 (5) इस पैरा की कोई बात किसी अस्वीकृत भविष्य निधि का प्रशासन करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी, या अनुमोदन दिए जाने से पूर्व किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि के साथ किसी भी विधिपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

11. (1) अनुमोदित भविष्य निधि के लेखे निधि के न्यासियों द्वारा रखे जाएंगे और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी अवधियों के लिए होंगे तथा उनमें ऐसे विवरण होंगे जैसा कि बोर्ड विहित करे।

अनुमोदित भविष्य निधि के खाते।

30

(2) खाते आयकर प्राधिकारियों द्वारा सभी उचित समय पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, और न्यासी मूल्यांकन अधिकारी को उनके ऐसे सार प्रस्तुत करेंगे जैसा कि बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

35

12. (1) कोई नियोक्ता, किसी भविष्य निधि को अनुमोदित करने से इंकार करने वाले आयुक्त के आदेश या अनुमोदन वापस लेने वाले आदेश पर आपत्ति करता है तो वह ऐसे आदेश के साठ दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

अपील।

(2) अपील ऐसे प्ररूप में होगी, तरीके से सत्यापित होगी और उसके साथ ऐसी सूचना होगी बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस।

40

13. (1) जहाँ कोई नियोक्ता, जो अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि (चाहे अनुमोदित हो या नहीं) बनाए रखता है और उसने निधि या उसके किसी भाग को हस्तांतरित नहीं किया है, ऐसी निधि या भाग को निधि में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए ट्रस्टी को हस्तांतरित करता है, इस प्रकार हस्तांतरित राशि पूंजीगत व्यय की प्रकृति की मानी जाएगी।

निधि का उपचार

नियोक्ता द्वारा ट्रस्टी को हस्तांतरित।

45

(2) जब ऐसी निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी को उसमें से उसके लिए देय संचित शेष का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे शेष का कोई भाग, जो न्यासियों को इस प्रकार अन्तरित की गई राशि में उसके हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है (ब्याज जोड़े बिना, और कर्मचारी के अंशदान और उस पर ब्याज को छोड़कर), यदि नियोक्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की है कि कर्मचारी को भुगतान किए जाने पर ऐसे हिस्से की राशि से स्रोत पर कर काटा जाएगा, तो नियोक्ता द्वारा धारा 35 के अर्थ के भीतर उस वित्तीय वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा जिसमें कर्मचारी को देय संचित शेष का भुगतान किया जाता है।

50

14. पैराग्राफ 2 से 13 के प्रावधान निम्नलिखित के तहत तैयार की गई योजना के तहत स्थापित भविष्य निधि पर लागू नहीं होंगे, अर्थात्: -

निधियां स्वीकृत मानी जाएंगी।

1925 का 19.

(i) भविष्य निधि अधिनियम, 1925; (ii) लोक

1968 का 23.

भविष्य निधि अधिनियम, 1968; (iii) कर्मचारी भविष्य

1952 का 19.

निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952;

(iv) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 के अधीन होगा और ऐसी भविष्य निधि को अनुमोदित भविष्य निधि माना जाएगा, यदि उसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाता है। 1925 का 19.

नियमों से संबंधित प्रावधान.

15. बोर्ड इस भाग के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विहित कर सकेगा:— 5

(क) आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और अन्य जानकारी-अनुमोदन हेतु प्रस्तुतीकरण;

(ख) किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में अंशदान को सीमित करना कंपनी जो कंपनी में शेयरधारक हैं;

(ग) अनुमोदित भविष्य निधि के निवेश या जमा या धन को विनियमित करना; (घ) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में उसके 10

लाभकारी हित के समनुदेशन या उस पर भार के सृजन के लिए प्राप्त किसी प्रतिफल के दंड के रूप में मूल्यांकन का उपबंध करना;

(ई) उस भविष्य निधि में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा किए गए अंशदानों और ब्याज के संबंध में कर के भुगतान से छूट प्रदान करने की सीमा और तरीके का निर्धारण करना, जिससे अनुमोदन वापस ले लिया गया है; और 15

(च) साधारणतया, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना तथा भविष्य निधि के अनुमोदन तथा अनुमोदित भविष्य निधि के प्रशासन पर ऐसा अतिरिक्त नियंत्रण प्राप्त करना जैसा वह अपेक्षित समझे। 20

इस भाग में व्याख्याएँ.

16. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "नियोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि रखता है, जो कि-

(i) कोई हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ, या 25

(ii) कोई व्यक्ति जो किसी कारोबार या पेशे में लगा हुआ है और जिसके लाभ और अभिलाभ "कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत आयकर के लिए निर्धारणीय हैं; (ख) "कर्मचारी" से तात्पर्य किसी भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी से है, लेकिन 30

इसमें निजी या घरेलू नौकर शामिल नहीं है;

(ग) "अंशदान" से किसी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उसके वेतन से, या किसी नियोक्ता द्वारा अपनी स्वयं की धनराशि से किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में जमा की गई कोई राशि अभिप्रेत है, किन्तु इसमें जमा ब्याज शामिल नहीं है;

(घ) "कर्मचारी के खाते में शेष" का अर्थ है किसी भी समय भविष्य निधि में उसके व्यक्तिगत खाते में जमा कुल राशि; (ङ) किसी कर्मचारी के खाते में शेष के संबंध में "वार्षिक अभिवृद्धि" का अर्थ है किसी भी वर्ष में ऐसे शेष में 35

अंशदान और ब्याज से होने वाली वृद्धि;

(च) "कर्मचारी को देय संचित शेष" से उसके खाते में जमा शेष या उसका ऐसा भाग अभिप्रेत है, जो निधि के विनियमों के अधीन उसके द्वारा उस दिन दावा योग्य हो, जिस दिन वह निधि का रखरखाव करने वाले नियोक्ता का कर्मचारी नहीं रह जाता है; 40

(छ) "निधि के विनियमन" से तात्पर्य विनियमों के विशेष निकाय से है, जो निधि को नियंत्रित करता है। किसी विशेष भविष्य निधि का गठन और प्रशासन; तथा

(ज) "वेतन" में महंगाई भत्ता शामिल है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा प्रावधान है, किन्तु अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं इसमें शामिल नहीं हैं। 45

भाग-II

स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड

अनुमोदनकर्ता सेवानिवृत्ति निधि और उसकी निकासी।

1. (1) आयुक्त किसी अधिवर्षिता निधि या उसके किसी भाग को अनुमोदन दे सकेगा जो उसकी राय में पैरा 2 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और वह किसी भी समय ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगा यदि उसकी राय में निधि या उसके भाग की परिस्थितियां अनुमोदन को जारी रखने के लिए आवश्यक नहीं रह जाती हैं। 50

(2) आयुक्त निधि के न्यासी को अनुमोदन प्रदान किए जाने की सूचना लिखित रूप में देगा, साथ ही वह तारीख भी बताएगा जिस दिन अनुमोदन प्रभावी होना है, तथा जहां अनुमोदन शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है, वहां वे शर्तें भी बताएगा।

(3) आयुक्त निधि के न्यासियों को अनुमोदन वापस लेने के कारणों तथा वापसी के प्रभावी होने की तारीख सहित लिखित रूप में सूचित करेगा।

5

(4) आयुक्त किसी अधिवर्षिता निधि या अधिवर्षिता निधि के किसी भाग को मंजूरी देने से तब तक इनकार नहीं करेगा और न ही उसे वापस लेगा जब तक कि उसने न्यासियों या उस निधि को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया हो।

10

2. किसी अधिवर्षिता निधि को अनुमोदन प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए, उसे नीचे दी गई शर्तों और बोर्ड द्वारा नियम द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा -

अनुमोदन के लिए शर्तें.

(क) निधि भारत में किए जाने वाले किसी व्यापार या उपक्रम के संबंध में अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के अधीन स्थापित निधि होगी और कम से कम नब्बे प्रतिशत कर्मचारी भारत में नियोजित होंगे;

15

(ख) निधि का एकमात्र उद्देश्य व्यापार या उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निर्दिष्ट आयु पर या उसके पश्चात् उनकी सेवानिवृत्ति पर या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके अशक्त हो जाने पर, या ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु पर, जो ऐसे कर्मचारी हैं या रहे हैं, वार्षिकी का प्रावधान करना होगा;

20

(ग) व्यापार या उपक्रम में नियोक्ता निधि में अंशदाता होगा; और

(घ) निधि से दी जाने वाली सभी वार्षिकियां, पेंशन और अन्य लाभ केवल भारत में ही देय होंगे।

25

3. (1) अधिवर्षिता निधि या अधिवर्षिता निधि के भाग के अनुमोदन के लिए आवेदन, निधि के न्यासियों द्वारा उस कर निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा, जिसके द्वारा नियोक्ता कर योग्य है, और उसके साथ उस लिखत की एक प्रति, जिसके अधीन निधि स्थापित की गई है, और नियमों की दो प्रतियां संलग्न की जाएंगी, और जहां निधि, उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है, पूर्व के किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रही है, वहां ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित निधि के लेखाओं की दो प्रतियां भी संलग्न की जाएंगी (जो उस वर्ष से, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक नहीं होंगे) जिनके लिए ऐसे लेखा तैयार किए गए हैं, किन्तु आयुक्त ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे।

30

अनुमोदन हेतु आवेदन.

(2) यदि अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय निधि के नियमों, गठन, उद्देश्यों या शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो निधि के न्यासी ऐसे परिवर्तन की सूचना उप-पैरा (1) में उल्लिखित कर निर्धारण अधिकारी को तत्काल देंगे और ऐसी सूचना न दिए जाने की स्थिति में, जब तक कि आयुक्त अन्यथा आदेश न दे, दिया गया कोई अनुमोदन उस तारीख से वापस लिया गया समझा जाएगा, जिसको परिवर्तन प्रभावी हुआ था।

35

40

4. जहां किसी नियोक्ता द्वारा कोई अंशदान (यदि कोई हो तो उस पर ब्याज सहित) नियोक्ता को वापस कर दिया जाता है, वहां इस प्रकार वापस की गई राशि आयकर के प्रयोजन के लिए उस वित्तीय वर्ष की नियोक्ता की आय मानी जाएगी जिसमें वह वापस की गई है।

नियोक्ता द्वारा अंशदान, जब उसे नियोक्ता की आय माना जाए।

45

5. जहां नियोक्ता द्वारा किए गए किसी अंशदान, जिसमें अंशदान पर ब्याज, यदि कोई हो, भी शामिल है, का भुगतान किसी कर्मचारी को उसके जीवनकाल के दौरान, छठी अनुसूची के पैरा 13 में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में किया जाता है, वहां इस प्रकार भुगतान की गई राशि पर कर की कटौती उस औसत कर दर से की जाएगी जिस पर कर्मचारी पिछले तीन वर्षों के दौरान या उस अवधि के दौरान, यदि तीन वर्ष से कम हो, जब वह निधि का सदस्य था, कर के लिए उत्तरदायी था, और उसे न्यासियों द्वारा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय और तरीके के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

की कटौती पर कर किसी कर्मचारी को दिया गया अंशदान।

कर्मचारी के वेतन से कटौती और उसकी ओर से अंशदान को इसमें शामिल किया जाएगा।	6. जहां कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन में से कटौती करता है या उसकी ओर से किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में उस कर्मचारी का कोई अंशदान देता है, वहां वह ऐसी सभी कटौतियों या भुगतानों को उस रिटर्न में शामिल करेगा, जिसे उसे धारा 198 के अधीन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।	
वापस करना।	7. (1) कोई नियोक्ता, किसी सेवानिवृत्ति निधि को अनुमोदन देने से इंकार करने वाले आयुक्त के आदेश या ऐसे अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश पर आपत्ति करता है, तो वह ऐसे आदेश के साठ दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।	5
अपील.	(2) अपील ऐसे प्रारूप में होगी, जिसे विधिवत सत्यापित किया गया हो तथा जिसके साथ ऐसी सूचना संलग्न हो। बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस।	
दायित्व अनुमोदन की समाप्ति पर दृष्टी।	8. यदि कोई निधि या निधि का कोई भाग किसी कारणवश अनुमोदित अधिवर्षिता निधि नहीं रह जाता है, तो भी उस निधि के न्यासी, लौटाए गए अंशदानों (अंशदानों पर ब्याज, यदि कोई हो, सहित) के कारण चुकाई गई किसी राशि पर कर के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे, जहां तक कि इस प्रकार चुकाई गई राशि, उस निधि या निधि के भाग के इस भाग के उपबंधों के अंतर्गत अनुमोदित अधिवर्षिता निधि नहीं रह जाने से पहले किए गए अंशदानों के संबंध में है।	10
के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण सुपरएनुएशन फंड.	9. अनुमोदित अधिवर्षिता निधि के न्यासी और कोई नियोक्ता जो अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अंशदान करता है, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा नोटिस दिए जाने पर, नोटिस की तारीख से इक्कीस दिन से कम नहीं की अवधि के भीतर, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसा विवरण, विवरण या सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसा कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।	15
प्रावधान नियमों से संबंधित।	10. (1) बोर्ड इस भाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विहित कर सकेगा- (क) आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और अन्य जानकारी-अनुमोदन हेतु प्रस्तुतीकरण; (बी) रिटर्न, विवरण, विवरण या जानकारी जो मूल्यांकनकर्ता अधिकारी किसी अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के ट्रस्टियों या नियोक्ता से इसकी मांग कर सकता है; (ग) साधारण वार्षिक अंशदान तथा अन्य किसी भी अंशदान को सीमित करना नियोक्ता द्वारा अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि; (घ) अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि की धनराशि के निवेश या जमा को विनियमित करना; (ई) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में उसके लाभकारी हित के किसी समनुदेशन या उस पर किसी भार के सृजन के लिए प्राप्त किसी प्रतिफल के दंड के रूप में मूल्यांकन का उपबंध करना; (च) उस सीमा तक और उस तरीके का निर्धारण करना जिससे किसी अधिवर्षिता निधि से किए गए किसी भुगतान के संबंध में कर के भुगतान से छूट प्रदान की जा सकेगी, जिससे अनुमोदन वापस ले लिया गया है; (छ) ऐसी निधि के मामले में अनुमोदन हेतु निकासी का प्रावधान करना जो समाप्त हो गई हो। इस भाग या इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए; और (ज) साधारणतया, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना तथा अधिवर्षिता निधियों के अनुमोदन तथा अनुमोदित अधिवर्षिता निधियों के प्रशासन पर ऐसा अतिरिक्त नियंत्रण प्राप्त करना, जैसा वह अपेक्षित समझे।	20 25 30 35 40
इस भाग में व्याख्याएँ.	11. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "नियोक्ता", "कर्मचारी", "अंशदान" और "वेतन" का अधिवर्षिता निधि के संबंध में वही अर्थ होगा जो भविष्य निधि के संबंध में भाग 1 के पैरा 15 में उन्हें दिया गया है।	

भाग III

स्वीकृत ग्रेच्युटी निधि

1. (1) आयुक्त किसी भी उपदान निधि को अनुमोदन दे सकेगा जो उसकी राय में पैरा 2 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, और किसी भी समय ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगा यदि उसकी राय में निधि या उसके भाग की परिस्थितियां अनुमोदन को जारी रखने के लिए आवश्यक नहीं रह गई हैं।

ग्रेच्युटी फंड की स्वीकृति और उसकी निकासी।

(2) आयुक्त निधि के न्यासी को अनुमोदन प्रदान किए जाने की सूचना लिखित रूप में देगा, साथ ही वह तारीख भी बताएगा जिस दिन अनुमोदन प्रभावी होना है, तथा जहां अनुमोदन शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है, वहां वे शर्तें भी बताएगा।

(3) आयुक्त निधि के न्यासियों को अनुमोदन वापस लेने के कारणों तथा वापसी के प्रभावी होने की तारीख सहित लिखित रूप में सूचित करेगा।

(4) आयुक्त किसी ग्रेच्युटी निधि को मंजूरी देने से तब तक इंकार नहीं करेगा और न ही उसे वापस लेगा जब तक कि उसने न्यासियों या उस निधि को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया हो।

2. किसी ग्रेच्युटी फंड को स्वीकृति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए, उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: नीचे दी गई शर्तें और कोई अन्य शर्तें जो बोर्ड निर्धारित कर सकता है-

अनुमोदन के लिए शर्तें.

(क) निधि भारत में किए जाने वाले किसी व्यापार या उपक्रम के संबंध में अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के अधीन स्थापित निधि होगी और कम से कम नब्बे प्रतिशत कर्मचारी भारत में नियोजित होंगे;

(ख) निधि का एकमात्र उद्देश्य व्यापार या उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों को निर्दिष्ट आयु पर या उसके पश्चात् उनकी सेवानिवृत्ति पर या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके अशक्त हो जाने पर या निधि के नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम सेवा अवधि के पश्चात् उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाने पर, या ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु पर उनकी विधवा, बच्चों या आश्रितों को उपदान प्रदान करना होगा;

(ग) व्यापार या उपक्रम में नियोक्ता निधि में अंशदाता होगा; और

(घ) निधि द्वारा प्रदान किए गए सभी लाभ केवल भारत में ही देय होंगे।

3. (1) किसी उपदान निधि के अनुमोदन के लिए आवेदन, निधि के न्यासियों द्वारा उस कर निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा, जिसके द्वारा नियोक्ता कर निर्धारणीय है और उसके साथ उस लिखत की एक प्रति, जिसके अधीन निधि स्थापित की गई है, और नियमों की दो प्रतियां संलग्न की जाएंगी और जहां निधि, उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है, पूर्व के किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रही है, वहां ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित निधि के लेखाओं की दो प्रतियां भी संलग्न की जाएंगी (जो उस वर्ष से, जिसमें उक्त आवेदन किया गया है, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक नहीं होंगे) जिनके लिए ऐसे लेखा तैयार किए गए हैं, किन्तु आयुक्त ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे।

अनुमोदन हेतु आवेदन.

(2) यदि अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय निधि के नियमों, गठन, उद्देश्यों या शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो निधि के न्यासी ऐसे परिवर्तन की सूचना उप-पैरा (1) में उल्लिखित कर निर्धारण अधिकारी को तत्काल देंगे और ऐसी सूचना न दिए जाने की स्थिति में, जब तक कि आयुक्त अन्यथा आदेश न दे, दिया गया कोई अनुमोदन उस तारीख से वापस लिया गया समझा जाएगा, जिस तारीख को परिवर्तन प्रभावी हुआ था।

4. जहां किसी कर्मचारी को उसके जीवनकाल में कोई ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, वहां ग्रेच्युटी इस संहिता के प्रयोजन के लिए कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन माना जाएगा।

ग्रेच्युटी को वेतन माना जाएगा।

5. यदि किसी कारणवश कोई ग्रेच्युटी फंड स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड नहीं रह जाता है, तो ट्रस्टी फिर भी, निधि का कोई भी हिस्सा किसी भी कर्मचारी को दी गई किसी भी ग्रेच्युटी पर कर हेतु उत्तरदायी रहेगा।

दायित्व अनुमोदन की समाप्ति पर ट्रस्टी।

- नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान, जब उसे नियोक्ता की आय माना जाए।
6. जहां किसी नियोक्ता द्वारा कोई अंशदान (यदि कोई हो तो उस पर ब्याज सहित) नियोक्ता को वापस कर दिया जाता है, वहां इस प्रकार वापस की गई राशि आयकर के प्रयोजनों के लिए उस वित्तीय वर्ष की नियोक्ता की आय मानी जाएगी जिसमें वह वापस की गई है।
- अपील.
7. (1) कोई नियोक्ता, किसी ग्रेच्युटी निधि को अनुमोदन देने से इंकार करने वाले आयुक्त के आदेश या ऐसे अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश पर आपत्ति करता है तो वह ऐसे आदेश के साठ दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा; 5
- (2) अपील ऐसे प्रारूप में होगी, उस तरीके से सत्यापित होगी तथा उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसा बोर्ड निर्धारित करे।
- ग्रेच्युटी निधि के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण।
8. अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि के न्यासी और कोई नियोक्ता जो अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करता है, जब मूल्यांकन अधिकारी से नोटिस प्राप्त हो, तो नोटिस की तारीख से इक्कीस दिन से कम नहीं की अवधि के भीतर, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है, 10
ऐसा विवरण, विवरण या सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसा कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।
- नियमों से संबंधित प्रावधान.
9. (1) बोर्ड इस भाग के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विहित कर सकेगा-
- (क) अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और अन्य जानकारी; 15
- (ख) निधि में नियोक्ता के साधारण वार्षिक एवं अन्य अंशदान को सीमित करना;
- (ग) अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि की धनराशि के निवेश या जमा को विनियमित करना; 20
- (घ) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि में उसके लाभकारी हित के किसी समनुदेशन या उस पर किसी भार के सृजन के लिए प्राप्त किसी प्रतिफल के दंड के रूप में मूल्यांकन का उपबंध करना;
- (ई) उस निधि के मामले में अनुमोदन हेतु निकासी का प्रावधान करना जो समाप्त हो गई है।
इस भाग या इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करना; 25
- (च) साधारणतया, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना तथा उपदान निधियों के अनुमोदन और प्रशासन पर ऐसा अतिरिक्त नियंत्रण प्राप्त करना जैसा वह अपेक्षित समझे।
- इस भाग के अंतर्गत व्याख्या.
10. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ग्रेच्युटी निधियों के संबंध में "नियोक्ता", "कर्मचारी", "अंशदान" और "वेतन" का वही अर्थ होगा जो भविष्य निधियों के संबंध में भाग 1 के पैरा 15 में क्रमशः उन्हें दिया गया है। 30

एक नियंत्रित विदेशी कंपनी से संबंधित आय की गणना

5 1. एक वित्तीय वर्ष के लिए निवासी करदाता की कुल आय में वह आय शामिल होगी जो अनुच्छेद 3 के अनुसार गणना के अनुसार नियंत्रित विदेशी कंपनी से संबंधित है।

2. पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट आरोप्य आय को उस वित्तीय वर्ष के लिए करदाता की कुल आय में शामिल किया जाएगा, जिस वर्ष कंपनी की लेखा अवधि समाप्त होती है।

10 3. आबंटित आय की राशि की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी—

$$\frac{\text{ए एक्स बी एक्स सी}}{100 \text{ डी}}$$

15 जहाँ A = अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संगणित नियंत्रित विदेशी कंपनी की निर्दिष्ट आय;

बी = प्रतिशत - (i) पूंजी का

मूल्य, (ii) वोटिंग शेयर या

ब्याज,

20 जो भी अधिक हो, वह करदाता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित विदेशी मुद्रा में धारित किया जाता है। कंपनी;

सी = डी में से दिनों की संख्या, जिसके दौरान करदाता द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनी में वोटिंग शेयर या पूंजी या हित रखा गया है;

डी = लेखा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनी के रूप में बने रहने के दिनों की संख्या;

25

4. नियंत्रित विदेशी कंपनी की निर्दिष्ट आय की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी—

$$\frac{(\text{ए} + \text{बी} - \text{सी} - \text{डी}) \times \text{ई}}{\text{एफ}}$$

30 जहाँ A = नियंत्रित विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानक के अनुसार लेखा अवधि तैयार की है।

अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्टिंग मानक, सामान्यतः

स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक, जैसा भी मामला हो;

10 से 1956 तक।

35 बी = देनदारियों को पूरा करने या मूल्य में कमी के लिए किए गए प्रावधानों के लिए अलग रखी गई राशि निश्चित देयताओं के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का;

सी = लेखा अवधि के मुनाफे में से भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश की राशि या राशियाँ, यदि ऐसा लाभांश लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया जाता है;

40 डी = हानि उस सीमा तक जो पहले के लेखा अवधि के संबंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत पहले से हिसाब में नहीं ली गई है, जहां ऐसी लेखा अवधि के लिए नियंत्रित विदेशी कंपनी की शुद्ध हानि है;

E = दिनों की संख्या जिसके दौरान कंपनी अपनी लेखा अवधि के दौरान एक नियंत्रित विदेशी कंपनी है;

F = लेखांकन अवधि में दिनों की संख्या.

5. इस अनुसूची में-

(क) "नियंत्रित विदेशी कंपनी" से ऐसी विदेशी कंपनी अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात्:—

(i) कर के प्रयोजनों के लिए, वह कम कर दर वाले क्षेत्र का निवासी है;

5

(ii) ऐसी कंपनी के शेयरों का कारोबार कर के प्रयोजनों के लिए उस क्षेत्र के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं किया जाता है, जिसका वह निवासी है;

(iii) भारत में निवास करने वाले एक या एक से अधिक व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कंपनी पर नियंत्रण रखना;

(iv) यह किसी भी सक्रिय व्यापार या कारोबार में संलग्न नहीं है;

10

(v) कंपनी की निर्दिष्ट आय, जो इसके अनुसार निर्धारित की जाती है पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार पच्चीस लाख रुपए से अधिक है;

(ख) भारत में निवासी एक या अधिक व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाला कहा जाएगा।
कंपनी यदि —

(i) ऐसे व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कंपनी की पचास प्रतिशत से अन्यून मताधिकार या पचास प्रतिशत से अन्यून पूंजी वाले शेयरों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से धारण करते हैं या उन्हें अर्जित करने के हकदार हैं;

15

(ii) ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने के हकदार हैं कि कंपनी की आय या परिसंपत्ति का कम से कम पचास प्रतिशत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके लाभ के लिए लगाया जाएगा;

20

(iii) ऐसे व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, विशेष संविदात्मक संबंध के कारण कंपनी पर प्रबल प्रभाव डालते हैं;

(iv) ऐसे व्यक्तियों के पास, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी की शेयरधारक बैठक में निर्णायक प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त वोट हों।

25

(ग) किसी कंपनी को कर के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र का निवासी माना जाएगा—

(i) यदि किसी लेखा अवधि में वह क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों से कर हेतु उत्तरदायी है, इसके निगमन का स्थान या प्रबंधन का स्थान;

(ii) यदि किसी लेखा अवधि में उप-खण्ड (i) के अंतर्गत दो या अधिक क्षेत्र आते हैं, तो कंपनी को उस लेखा अवधि में इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए उनमें से किसी एक का "निवासी" माना जाएगा-

30

(ए) यदि संपूर्ण लेखा अवधि के दौरान कंपनी का प्रभावी प्रबंधन स्थान केवल उन क्षेत्रों में से किसी एक में स्थित है, तो उस क्षेत्र में; और

35

(बी) यदि संपूर्ण लेखा अवधि के दौरान कंपनी का प्रभावी प्रबंधन स्थान उन क्षेत्रों में से दो या अधिक में स्थित है, तो उनमें से एक में, जिसमें लेखा अवधि के अंत में कंपनी की परिसंपत्तियों की अधिक मात्रा स्थित है; तथा

(सी) यदि न तो उपर्युक्त मद (ए) और न ही मद (बी) लागू होती है, तो उपर्युक्त उप-खंड (i) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से एक में, जिसमें लेखा अवधि के अंत में कंपनी की परिसंपत्तियों की अधिक राशि स्थित है; और

40

(iii) यदि किसी लेखा अवधि में कोई क्षेत्र उपर्युक्त उप-खण्ड (i) के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए यह निश्चित रूप से माना जाएगा कि कंपनी उस लेखा अवधि में ऐसे क्षेत्र में निवास करती है जहां कराधान की दर कम है;

45

(घ) "कर की कम दर वाला क्षेत्र" का अर्थ है ऐसा देश या क्षेत्र जो भारत जिसमें किसी कंपनी के किसी लेखा अवधि में अर्जित लाभ के संबंध में उस देश या क्षेत्र के कानून के तहत भुगतान किए गए कर की राशि, इस संहिता के तहत गणना किए गए उन लाभों पर देय तत्संबंधी कर के आधे से कम है, जैसे कि उक्त कंपनी एक घरेलू कंपनी थी;

5

(ई) किसी कंपनी को सक्रिय व्यापार या कारोबार में संलग्न माना जाएगा यदि और केवल यदि -

(i) वह कर उद्देश्यों के लिए उस क्षेत्र के आर्थिक जीवन में कर्मचारियों या अन्य कार्मिकों के माध्यम से औद्योगिक, वाणिज्यिक या वित्तीय उपक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसका वह निवासी है; तथा

10

(ii) लेखा अवधि के दौरान कंपनी की आय का पचास प्रतिशत से कम निम्नलिखित प्रकृति का है, अर्थात्: -

(ए) लाभांश;

(बी) ब्याज;

15

(सी) गृह संपत्ति से आय;

(डी) पूंजीगत लाभ;

(ई) वार्षिकी भुगतान;

(एफ) रॉयल्टी;

20

(जी) औद्योगिक, साहित्यिक या अमूर्त अधिकारों की बिक्री या लाइसेंसिंग कलात्मक संपत्ति;

(एच) वित्तीय सहित माल की बिक्री या सेवाओं की आपूर्ति से आय सामाजिक सेवाएं—

(I) वे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को नियंत्रित करते हैं;

(II) वे व्यक्ति जो कंपनी द्वारा नियंत्रित हैं;

25

(III) अन्य व्यक्ति जो उप-मद (I) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं ;

(IV) कोई भी संबद्ध उद्यम;

(I) प्रतिभूतियों, शेयरधारिता, प्राप्य या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में प्रबंधन, धारण या निवेश से आय;

30

(जे) अवशिष्ट से आय शीर्षक के अंतर्गत आने वाली कोई अन्य आय स्रोत;

(च) "संबद्ध उद्यम" का वही अर्थ होगा जो धारा 124 के खंड (5) में है।

6. (1) जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए, 31 तारीख को समाप्त होने वाली बारह महीने की प्रत्येक अवधि मार्च का दिन किसी कंपनी की लेखा अवधि होगी।

35

(2) जहां कोई कंपनी नियमित रूप से 31 मार्च के अलावा किसी अन्य दिन समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपनाती है-

(i) कर उद्देश्यों के लिए उस क्षेत्र के कर कानून का अनुपालन करना जिसका वह निवासी है; या

40

(ii) अपने शेयरधारकों को रिपोर्ट करना,

तो ऐसे अन्य दिन को समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि कंपनी की लेखा अवधि होगी।

(3) कंपनी की पहली लेखा अवधि उसके निगमन की तारीख से शुरू होगी और 31 मार्च को या ऐसे निगमन की तारीख के बाद के किसी अन्य दिन, जैसा भी मामला हो, समाप्त होगी और बाद की लेखा अवधि बारह महीनों की क्रमिक अवधि होगी।

(4) यदि कंपनी लेखा अवधि की समाप्ति से पहले अस्तित्व में नहीं रहती है, जैसा कि उप-पैरा (1), (2) और (3) में उल्लिखित है, तो 5
लेखा अवधि कंपनी के अस्तित्व में न रहने से तुरंत पहले समाप्त हो जाएगी।

7. निवासी करदाता को किसी भी कंपनी में अपने निवेश और हित का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।
भारत से बाहर किसी संस्था को ऐसे रूप और तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

आयुक्त के समक्ष अपील योग्य आदेश (अपील)

धारावाहिक	आदेश जिसके विरुद्ध अपील संख्या प्रस्तुत की जा सकती है या दायर की जा सकती है	धारा, अध्याय आयकर या अनुसूची जिसके तहत किसके आदेश आदेश पारित हो गया है	प्राधिकरण द्वारा पारित हो गया
(1)	(2)	(3)	(4)
5			
10	1. सूचना, जहां करदाता आपत्ति करता है इसके लौटाए गए भुगतान में समायोजन करने के लिए कर आधार.	149	मूल्यांकन अधिकारी या प्रसंस्करण अधिकार
15	2. मूल्यांकन आदेश (आदेश को छोड़कर) के निर्देशों के अनुसरण में पारित किया गया। (विवाद समाधान पैनल)।	155	आकलन अफ़सर
	3. सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का आदेश।	156	आकलन अफ़सर
20	4. करदाता के विरुद्ध आदेश, जहां वह के तहत अपने दायित्व का मूल्यांकन करने से इनकार करता है <small>इस संहिता का पालन करें।</small>	नीचे उपयुक्त के प्रावधान कोड	आकलन अफ़सर
25	5. मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनः गणना (इसमें पारित आदेश को छोड़कर) विवाद निवारण अधिनियम के निर्देशों का पालन समाधान पैनल)।	159	आकलन अफ़सर
30	6. मूल्यांकन बढ़ाने या रिफंड को कम करने का प्रभाव डालने वाला आदेश किए गए दावे को स्वीकार करने से इंकार करने वाला आदेश उक्त धारा के तहत करदाता द्वारा [सिवाय इसके कि ऐसा आदेश आयुक्त या आयुक्त (अपील) या द्वारा पारित किया जाता है के अनुसरण में मूल्यांकन अधिकारी विवाद समाधान पैनल के निर्देश]	161	आकलन अफ़सर
35	7. करदाता को करदाता मानते हुए पारित आदेश किसी अनिवासी का एजेंट।	164	आकलन अफ़सर
	8. व्यवसाय पर किया गया मूल्यांकन आदेश पुनर्गठन.	168	आकलन अफ़सर
	9. विभाजन के बाद किया गया मूल्यांकन आदेश एक हिन्दू अविभाजित परिवार.	169	आकलन अफ़सर
40	10. किसी के संबंध में किया गया मूल्यांकन आदेश अनिवासी जो कभी-कभार जहाजरानी व्यवसाय में संलग्न है।	170	आकलन अफ़सर
	11. व्यक्तियों के संबंध में मूल्यांकन आदेश भारत छोड़कर चले गए।	171	आकलन अफ़सर
45	12. किसी के संबंध में मूल्यांकन आदेश एक अनिगमित निकाय का गठन किया गया किसी विशेष घटना या उद्देश्य के लिए।	172	आकलन अफ़सर

(1) (2)	(3)	(4)	
13. कर से बचने के लिए सम्पत्ति हस्तांतरित करने की संभावना वाले व्यक्तियों के संबंध में मूल्यांकन आदेश।	173	आकलन अफ़सर	
14. बंद किये गये कारोबार के संबंध में मूल्यांकन आदेश।	174	आकलन अफ़सर	
15. किसी असंबद्ध निकाय के गठन में परिवर्तन की स्थिति में उसके संबंध में मूल्यांकन आदेश।	175	आकलन अफ़सर	5
16. सभी या किसी भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण एक अनिगमित निकाय के स्थान पर दूसरे अनिगमित निकाय द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त होने की स्थिति में किन्हीं दो अनिगमित निकायों के संबंध में मूल्यांकन आदेश।	176	आकलन अफ़सर	10
17. कटौतीकर्ता के संबंध में मूल्यांकन आदेश या कलेक्टर.	177	आकलन अफ़सर	
18. उठाई गई मांग का भुगतान न करने पर ब्याज लगाने का आदेश।	213	आकलन अफ़सर	15
19. कर काटने या भुगतान करने में विफलता के लिए ब्याज लगाने का आदेश।	214	आकलन अफ़सर	
20. धन वापसी का आदेश।	215	आकलन अफ़सर	20
21. जुर्माना लगाने या जुर्माना बढ़ाने का आदेश।	अध्याय बारह	आयुक्त या आयुक्त (अपील) के पद से नीचे का आयकर प्राधिकारी	25
22. दसवीं अनुसूची के अंतर्गत आदेश- टनभार कर योजना का विकल्प चुनने के लिए अर्हता प्राप्त शिपिंग कंपनी के आवेदन पर प्रतिबन्ध।	दसवां अनुसूची	विहित प्राधिकारी।	30
23. इस संहिता के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यक्ति या सुसंगत प्रावधानों वाले व्यक्तियों के वर्ग के मामले में किया गया आदेश, जैसा कि बोर्ड, मामलों की प्रकृति, अंतर्ग्रस्त जटिलताओं और अन्य सुसंगत विचार को ध्यान में रखते हुए, निर्देश दे।		आकलन अफ़सर	35
24. आयकर अधिनियम, 1961 या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पारित कोई आदेश, जो इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व उक्त अधिनियमों के अंतर्गत अपील योग्य था।	आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिनियम, 1961 या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अनुसार, जैसा कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले था। कोड	कर निर्धारण अधिकारी या संबंधित अधिनियमों के तहत आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी।	43 से 1961 तक। 27 से 1957 तक। 40

बाईसवीं अनुसूची

[धारा 37(5)314(44)(ए),(64)(ए) देखें]

आस्थगित राजस्व व्यय भत्ता

1. नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के व्यय के संबंध में किसी वित्तीय वर्ष के लिए आस्थगित राजस्व व्यय भत्ता, ऐसे व्यय की राशि के समुचित अंश के बराबर राशि होगी।

2. पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट उपयुक्त अंश वह अंश होगा, जिसका अंश एक होगा और जिसका हर प्रासंगिक आस्थगित राजस्व व्यय के विरुद्ध उक्त सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट वित्तीय वर्षों की कुल संख्या होगी।

3. आस्थगित राजस्व व्यय भत्ता सुसंगत आस्थगित राजस्व व्यय के विरुद्ध उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट लगातार वित्तीय वर्षों की ऐसी संख्या के लिए अनुमेय होगा, अनुमेयता का ऐसा पहला वित्तीय वर्ष होगा -

(क) क्रम संख्या 1, 2, 3 और 5 पर व्यय के मामले में, वह वर्ष जिसमें ऐसी राशि वास्तव में भुगतान की जाती है;

(ख) क्रम संख्या 4 पर व्यय के मामले में, वह वर्ष जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन होता है;

(ग) क्रम संख्या 6 पर व्यय के मामले में, वह वर्ष जिसमें उसमें निर्दिष्ट हानि हुई है;

(घ) क्रम संख्या 7 पर व्यय के मामले में, व्यवसाय के प्रारंभ या व्यवसाय के विस्तार या नए व्यवसाय की स्थापना का वर्ष, जैसा भी मामला हो।

4. धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (ई) के अधीन अनुमेय आस्थगित राजस्व व्यय की कुल राशि इस अनुसूची के अधीन राशियों का योग होगी।

मेज़

क्रम संख्या	आस्थगित राजस्व व्यय की प्रकृति	वित्तीय वर्षों की संख्या जिसके लिए व्यय स्वीकार्य है
(1)	(2)	(3)
	1. गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क 2. किसी संपत्ति को पट्टे या किराए पर प्राप्त करने के लिए प्रीमियम 3. किसी कर्मचारी को उसके संबंध में भुगतान की गई राशि	6 6 6
	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी भी योजना के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।	
	4. किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूर्णतः और विशेष रूप से व्यवसाय पुनर्गठन के प्रयोजनों के लिए किया गया व्यय	6
	5. भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी खनिज के पूर्वेक्षण या किसी खनिज की खान या अन्य प्राकृतिक निक्षेप के विकास से संबंधित किसी भी कार्य पर पूर्णतः और अनन्य रूप से किया गया व्यय, उस सीमा तक, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।	10
	6. किसी भी समझौते के जब्त होने के कारण कोई नुकसान व्यवसाय के दौरान.	6
	7. (क) व्यवसाय के प्रारंभ से पूर्व; या (ख) व्यवसाय के विस्तार के संबंध में; या (ग) नए व्यवसाय की स्थापना के संबंध में किया गया कोई प्रारंभिक व्यय ऐसा होगा जैसा कि व्यवसाय में नियोजित पूंजी और परियोजना की लागत के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है।	6

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

आयकर अधिनियम, 1961, पचास साल पहले पारित होने के बाद से कई संशोधनों से गुजर चुका है। वार्षिक वित्त अधिनियमों के माध्यम से किए गए संशोधनों के अलावा संशोधन अधिनियमों द्वारा इसे कम से कम चौतीस बार संशोधित किया गया है।

बदलते आर्थिक माहौल, वाणिज्य की बढ़ती जटिलता, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास, कर चोरी को कम करने के प्रयासों और न्यायिक निर्णयों के संबंध में कानून को स्पष्ट करने के लिए नीतिगत बदलावों के कारण ये संशोधन ज़रूरी थे। इन सभी संशोधनों के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की मूल संरचना पर बोझ बढ़ गया है और इसकी भाषा जटिल हो गई है। कर प्रशासकों, लेखाकारों और करदाताओं ने आयकर अधिनियम की जटिल संरचना के बारे में चिंता जताई है। विशेष रूप से, कई संशोधनों ने औसत करदाता के लिए अधिनियम को समझना मुश्किल बना दिया है। संपत्ति कर अधिनियम, 1957 में भी संशोधन हुए हैं।

इसलिए सरकार ने प्रत्यक्ष कर कानूनों की भाषा और संरचना को संशोधित, समेकित और सरल बनाने का फैसला किया। अगस्त, 2009 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक चर्चा पत्र के साथ प्रत्यक्ष कर संहिता का मसौदा जारी किया गया। इसमें आयकर अधिनियम, 1961 और संपत्ति कर अधिनियम, 1957 को एक अधिनियम, अर्थात् प्रत्यक्ष कर संहिता द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया।

इन दस्तावेजों में उल्लिखित प्रस्तावों पर जनता और हितधारकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया और जनता, व्यापार संघों और अन्य निकायों से प्राप्त संशोधनों के सुझावों को ध्यान में रखा गया। इसके बाद, जून, 2010 में प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हुए एक संशोधित चर्चा पत्र जारी किया गया। वर्तमान विधेयक इसी प्रक्रिया का परिणाम है।

विधेयक में निहित विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

नई दिल्ली;
27 अगस्त, 2010

प्रणव मुखर्जी.

संविधान के अनुच्छेद 117 (1) और 274 (1) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश
भारत का संविधान

[पत्र संख्या एफ.152/10/2010-टीपीएल, दिनांक 27 अगस्त, 2010 की प्रतिलिपि]
श्री प्रणव मुखर्जी, वित्त मंत्री द्वारा महासचिव, लोक सभा को संबोधित पत्र।

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अनुसरण में, प्रत्यक्ष कर संहिता, 2010 को लागू करने की लोक सभा से सिफारिश की है।

खंडों पर नोट्स

इस संहिता का उद्देश्य प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करना है।

अध्याय I प्रारंभिक से संबंधित है।

खंड 1 में संहिता का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का विवरण दिया गया है। खंड में प्रावधान है कि प्रत्यक्ष कर संहिता, 2010 का विस्तार पूरे भारत में है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, संहिता 1 अप्रैल, 2012 को लागू होगी।

संहिता का भाग ए आयकर से संबंधित है।

अध्याय 2 में प्रभार के आधार का प्रावधान है।

धारा 2 आयकर का भुगतान करने और उसे वसूलने की देयता का प्रावधान करती है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को संहिता के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष की अपनी कुल आय के संबंध में आयकर का भुगतान करना होगा। संहिता के धारा 314 में "कुल आय" और "व्यक्ति" को परिभाषित किया गया है।

खंड 2 में यह भी प्रावधान है कि संहिता के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय वर्ष की कुल आय के संबंध में आयकर, जिसमें अतिरिक्त आयकर भी शामिल है, लगाया जाएगा। खंड में यह प्रावधान है कि जहां आयकर वित्तीय वर्ष के अलावा किसी अन्य अवधि की आय के संबंध में लगाया जाना है, वहां आयकर तदनुसार लगाया जाएगा। ऐसा आयकर प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर उसमें दिए गए तरीके से लगाया जाएगा। संहिता के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय के संबंध में आयकर काटा जाएगा या स्रोत पर एकत्र किया जाएगा या अग्रिम भुगतान किया जाएगा। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए आयकर की प्रभार्यता इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, क्योंकि वे उस वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को लागू हैं।

खंड 3 कुल आय के दायरे से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि संहिता के प्रावधानों के अधीन, किसी व्यक्ति, जो निवासी है, की किसी भी वित्तीय वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय शामिल होगी, जो कि-

(क) वर्ष के दौरान भारत में उसे उपार्जित होता है या उपार्जित हुआ समझा जाता है; (ख) वर्ष के दौरान भारत के बाहर

उसे उपार्जित होता है; (ग) वर्ष के दौरान भारत में उसके द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त

होता है या प्राप्त हुआ समझा जाता है; या

(घ) वर्ष के दौरान भारत के बाहर उसके द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया गया हो।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि संहिता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति, जो अनिवासी है, की किसी वित्तीय वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त समस्त आय शामिल होगी, जो कि-

(क) वर्ष के दौरान भारत में उसे उपार्जित होता है या उपार्जित हुआ समझा जाता है; या (ख) भारत में उसके द्वारा या उसकी

ओर से प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ समझा जाता है

साल के दौरान।

कोई आय जो वर्ष के दौरान भारत के बाहर किसी निवासी को उपार्जित होती है, या वर्ष के दौरान ऐसे निवासी द्वारा, या उसकी ओर से भारत के बाहर प्राप्त होती है, उसे निवासी की कुल आय में शामिल किया जाएगा, चाहे ऐसी आय पर भारत के बाहर कर लगाया गया हो या नहीं।

धारा 4 में भारत में निवास का प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष में भारत का निवासी, यदि वह भारत में है—

(क) उस वर्ष में कुल एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधियों के लिए; या

(ख) किसी अवधि या अवधियों के लिए, कुल मिलाकर—

(i) उस वर्ष में साठ दिन या उससे अधिक; और

(ii) उस वर्ष से ठीक पहले के चार वर्षों के भीतर तीन सौ पैंसठ दिन या उससे अधिक।

हालाँकि, उपरोक्त किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा जो—

(क) भारत का नागरिक हो और जो उस वर्ष किसी भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ता हो; या

(ख) वह भारत का नागरिक हो और जो उस वर्ष भारत से बाहर रोजगार के प्रयोजनार्थ भारत छोड़ता हो।

इस खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कोई कंपनी किसी वित्तीय वर्ष में भारत में निवासी होगी, यदि-

(क) यह एक भारतीय कंपनी है; या

(ख) वर्ष में किसी भी समय इसका प्रभावी प्रबंधन स्थान भारत में स्थित है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक अन्य व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में भारत का निवासी होगा, यदि वर्ष में किसी भी समय उसके कार्यों के नियंत्रण और प्रबंधन का स्थान पूर्णतः या अंशतः भारत में स्थित हो।

इस उद्देश्य के लिए, "भारतीय कंपनी" और "प्रभावी प्रबंधन का स्थान" संहिता के खंड 314 में परिभाषित किया गया है।

धारा 5 उस आय से संबंधित है जो भारत में अर्जित मानी जाती है। आय भारत में अर्जित मानी जाएगी, यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निम्नलिखित के माध्यम से या उनसे अर्जित होती है:

(क) भारत में कोई भी व्यावसायिक संबंध;

(ख) भारत में कोई संपत्ति;

(ग) भारत में कोई परिसंपत्ति या आय का स्रोत; या

(घ) भारत में स्थित पूंजीगत परिसंपत्ति का हस्तांतरण।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित आय भारत में उपाजित मानी जाएगी-

(क) रोजगार से आय, यदि यह भारत में की गई सेवा के लिए है या भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर की गई सेवा के लिए है और यह आय सरकार से प्राप्त होने योग्य है; या भारत में की गई सेवा की अवधि से पहले या बाद की आराम या छुट्टी की अवधि और रोजगार की सेवा अनुबंध का हिस्सा है; (ख) भारत के बाहर किसी घरेलू कंपनी द्वारा भुगतान किया गया कोई लाभांश;

(ग) भारत में किसी जोखिम को कवर करने वाले बीमा के संबंध में किसी निवासी या अनिवासी द्वारा अर्जित या देय पुनर्बीमा प्रीमियम सहित कोई बीमा प्रीमियम;

(घ) किसी निवासी या सरकार द्वारा उपाजित या देय ब्याज;

(ई) किसी अनिवासी द्वारा उपाजित या देय ब्याज, यदि ब्याज किसी ऋण के संबंध में है जो अनिवासी द्वारा भारत में किए जाने वाले व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए या भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करने के लिए लिया गया है;

(च) किसी निवासी या सरकार द्वारा उपाजित या देय रॉयल्टी; (छ) किसी अनिवासी द्वारा उपाजित या देय रॉयल्टी,

यदि रॉयल्टी भारत में उस अनिवासी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए है; या भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करने के लिए है;

(एच) किसी निवासी से प्राप्त या उसके द्वारा देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क सरकार;

(i) किसी अनिवासी द्वारा उपाजित या देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, भारत में उस अनिवासी द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए या भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करने के लिए उपयोग की गई सेवाओं के संबंध में;

(ज) किसी निवासी या सरकार द्वारा उपाजित या देय परिवहन प्रभार; (ट) किसी अनिवासी द्वारा उपाजित या देय परिवहन प्रभार, यदि

परिवहन प्रभार भारत में किसी स्थान से या भारत में किसी स्थान तक परिवहन के संबंध में है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी अनिवासी के मामले में भारत में अर्जित मानी जाने वाली आय में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे-

(ए) किसी भी आय के माध्यम से, या उन परिचालनों से प्राप्त आय जो सीमित हैं भारत से बाहर निर्यात के प्रयोजनार्थ भारत में माल की खरीद;

(ख) किसी निवासी द्वारा भारत के बाहर किए गए व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करने के लिए उपयोग किए गए किसी ऋण पर अर्जित या देय ब्याज;

(ग) भारत के बाहर निवासी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए या भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय अर्जित करने के लिए निवासी द्वारा अर्जित या देय रॉयल्टी; (घ) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात, सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण, 1986 की नीति के अंतर्गत अनुमोदित

किसी योजना के अंतर्गत कंप्यूटर या कंप्यूटर-आधारित उपकरण के साथ-साथ अनिवासी निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में किसी अधिकार (लाइसेंस देने सहित) के हस्तांतरण के लिए निवासी द्वारा किए गए एकमुश्त प्रतिफल या भुगतान से मिलकर बनी रॉयल्टी; (ङ) भारत के बाहर निवासी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई सेवाओं के संबंध में निवासी द्वारा अर्जित या देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क; या भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय अर्जित करने के लिए; (च) विमान या जहाज द्वारा परिवहन के लिए परिवहन शुल्क, जो किसी निवासी द्वारा अर्जित

या देय है, यदि परिवहन शुल्क भारत के बाहर किसी स्थान से भारत के बाहर किसी अन्य स्थान तक परिवहन के संबंध में है, सिवाय इसके कि जहां ऐसे परिवहन के प्रस्थान का हवाई अड्डा या मूल बंदरगाह भारत में है।

(छ) किसी विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी के किसी शेयर के भारत के बाहर हस्तांतरण से आय, जब तक कि हस्तांतरण से पहले के बारह महीनों में किसी भी समय, कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली भारत में परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य कंपनी के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत न हो;

(ज) उप-खण्ड (2) की मद (ई) की उप-मद (ii) में निर्दिष्ट अनिवासी से उपाजित या उसके द्वारा देय ब्याज, यदि ऐसे ब्याज का दावा अनिवासी द्वारा भारत में प्रभार्य उसके कर आधार से कटौती के रूप में नहीं किया गया है।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि ऐसे कारोबार के मामले में, जिसके सभी परिचालन भारत में नहीं किए जाते हैं, कारोबार की आय भारत में उपाजित मानी जाएगी, जो आय का केवल उतना ही भाग होगी, जो भारत में किए गए परिचालनों के कारण उचित रूप से अर्जित हो।

खंड में यह भी प्रावधान है कि आय (रोजगार से आय और भारत के बाहर किसी भारतीय कंपनी द्वारा भुगतान किए गए किसी लाभांश के अलावा) भारत में अर्जित मानी जाएगी, चाहे (क) भुगतान भारत में किया गया हो; (ख) सेवाएं भारत में प्रदान की गई हों; (ग) अनिवासी का भारत में निवास या

व्यवसाय का स्थान या कोई व्यावसायिक संबंध हो;

या

(घ) आय भारत में अर्जित हुई है।

खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां किसी विदेशी कंपनी में किसी शेयर या हित के भारत से बाहर हस्तांतरण के संबंध में किसी अनिवासी की आय उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन भारत में उपाजित मानी जाती है, वहां इसकी गणना 'ए*बी/सी' सूत्र के अनुसार की जाएगी, जहां ए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार गणना की गई हस्तांतरण से आय को दर्शाता है मानो हस्तांतरण भारत में किया गया हो; बी भारत में कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य को दर्शाता है; और सी कंपनी के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य को दर्शाता है।

“व्यावसायिक संबंध”, “रॉयल्टी”, “तकनीकी सेवाओं से शुल्क” और संहिता के खंड 314 में “परिवहन शुल्क” को परिभाषित किया गया है।

खंड 6 में प्रावधान है कि निम्नलिखित आय वित्तीय वर्ष में प्राप्त मानी जाएगी, अर्थात्:—

(क) वित्तीय वर्ष में नियोक्ता द्वारा खाते में किया गया कोई अंशदान पेंशन निधि के अंतर्गत किसी कर्मचारी का;

(बी) वित्तीय वर्ष में नियोक्ता द्वारा खाते में किया गया कोई अंशदान किसी अन्य निधि में कार्यरत किसी कर्मचारी का; तथा

(ग) मद (ख) में निर्दिष्ट निधि में किसी कर्मचारी के जमा शेष में वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धि, उस सीमा तक, जो विहित की जाए, अधिक हो।

धारा 7 लाभांश आय से संबंधित है। धारा 7 में प्रावधान है कि किसी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या भुगतान किया गया कोई भी लाभांश उस वित्तीय वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें इसे घोषित, वितरित या भुगतान किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी अंतरिम लाभांश उस वित्तीय वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें कंपनी द्वारा ऐसे लाभांश की राशि बिना शर्त उस सदस्य को उपलब्ध कराई जाती है जो इसका हकदार है।

इस प्रयोजन के लिए, संहिता के खंड 314 में “लाभांश” को परिभाषित किया गया है।

खंड 8 में यह प्रावधान है कि हस्तांतरणकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी अन्य व्यक्ति की आय भी शामिल होगी, यदि ऐसी आय किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण के आधार पर प्राप्त होती है, उस परिसंपत्ति के हस्तांतरण के बिना जिससे वह आय अर्जित होती है; या वह आय किसी अन्य व्यक्ति को परिसंपत्ति के प्रतिसंहरणीय हस्तांतरण के आधार पर प्राप्त होती है।

तथापि, ऐसी आय को हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में उस स्थिति में शामिल नहीं किया जाएगा, जहां किसी ट्रस्ट या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित परिसंपत्ति से कोई आय अर्जित होती है, यदि हस्तांतरण ट्रस्ट के लाभार्थी के जीवनकाल के दौरान या ऐसे अन्य व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान प्रतिसंहरणीय नहीं है।

खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि किसी हस्तांतरण में आय या परिसंपत्तियों के पूरे या किसी भाग को सीधे या परोक्ष रूप से हस्तान्तरणकर्ता को पुनः हस्तान्तरित करने का कोई प्रावधान है या यह किसी भी तरह से हस्तान्तरणकर्ता को आय या परिसंपत्तियों के पूरे या किसी भाग पर सीधे या परोक्ष रूप से पुनः अधिकार प्राप्त करने का अधिकार देता है तो हस्तांतरण को निरस्त करने योग्य माना जाएगा। इस खंड के प्रयोजन के लिए, हस्तांतरण में कोई भी समझौता, ट्रस्ट, वाचा, समझौता या व्यवस्था शामिल होगी।

खंड 9 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की कुल आय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित सभी आय-

(i) पति या पत्नी को वेतन, कमीशन, फीस या किसी अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में, चाहे नकद या वस्तु के रूप में, किसी ऐसी संस्था से जिसमें व्यक्ति का पर्याप्त हित हो;

(ii) व्यक्ति द्वारा अपने जीवनसाथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पर्याप्त प्रतिफल के अलावा, या अलग रहने के समझौते के संबंध में हस्तांतरित परिसंपत्तियों से; (iii) व्यक्ति द्वारा अपने बेटे की पत्नी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पर्याप्त प्रतिफल के अलावा, हस्तांतरित परिसंपत्तियों से; या (iv)

व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पर्याप्त प्रतिफल के अलावा, हस्तांतरित परिसंपत्तियों से, उस सीमा तक जहां तक ऐसी परिसंपत्तियों से आय पति या पत्नी या बेटे की पत्नी के तत्काल या

आस्थगित लाभ के लिए है।

उप-खंड (i) में उल्लिखित आय उस पति या पत्नी की कुल आय में शामिल की जाएगी जिसकी कुल आय अधिक है। उक्त खंड यह भी प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति की कुल आय में उस पति या पत्नी को होने वाली कोई आय शामिल नहीं होगी, जहां पति या पत्नी के पास तकनीकी या पेशेवर योग्यताएं हैं और यह आय केवल पति या पत्नी के तकनीकी या पेशेवर ज्ञान और अनुभव के आवेदन के कारण है। उक्त खंड आगे यह भी प्रावधान करता है कि बोर्ड उप-खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित आय का निर्धारण करने के लिए विधि निर्धारित कर सकता है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की कुल आय में उस व्यक्ति के नाबालिग बच्चे (विकलांग या गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति होने वाले नाबालिग बच्चे को छोड़कर) को होने वाली सभी आय भी शामिल होगी। ऐसी आय उस माता-पिता की कुल आय में शामिल की जाएगी जो नाबालिग बच्चे का अभिभावक है या उस माता-पिता की कुल आय अधिक है, यदि माता-पिता दोनों ही बच्चे के अभिभावक हैं।

जहाँ ऐसी कोई आय एक बार माता-पिता की कुल आय में शामिल हो जाती है, वहाँ अगले वर्ष में होने वाली ऐसी आय दूसरे माता-पिता की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, जब तक कि मूल्यांकन अधिकारी सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा करना आवश्यक न समझे। इस खंड में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की कुल आय में नाबालिग बच्चे को उसके द्वारा किए गए किसी शारीरिक कार्य या बच्चे के कौशल, प्रतिभा या विशेष ज्ञान और अनुभव के उपयोग से जुड़ी गतिविधि के कारण होने वाली सभी आय शामिल नहीं होगी।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की कुल आय में हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में किसी भी परिवर्तित संपत्ति या उसके हिस्से से प्राप्त सभी आय शामिल होगी या जो उक्त परिवार के विभाजन पर पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे को प्राप्त होती है। उक्त खंड में, "संपत्ति" को संपत्ति में किसी भी हित को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, चाहे वह चल हो या अचल, किसी भी रूप में ऐसी संपत्ति की बिक्री आय और जहां संपत्ति किसी भी तरीके से संपत्ति के किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी अन्य संपत्ति। "परिवर्तित संपत्ति" को संहिता के खंड 314 में परिभाषित किया गया है।

खंड 10 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष की कुल आय में छोटी अनुसूची में उल्लिखित आय शामिल नहीं होगी।

खंड 11 में यह प्रावधान है कि सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्ति किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इस संहिता के अंतर्गत आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, बशर्ते कि वे उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

अध्याय III कुल आय की गणना से संबंधित है। उप-अध्याय I सामान्य प्रावधानों से संबंधित है।

धारा 12 में प्रावधान है कि कुल आय की गणना अध्याय के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। यह भी स्पष्ट करता है कि जब तक संहिता में अन्यथा प्रावधान न हो, किसी भी उपार्जन, प्राप्ति, व्यय, निकासी, परिसंपत्ति या देयता का संदर्भ उस वित्तीय वर्ष के संबंध में माना जाएगा जिसके संबंध में और जिस व्यक्ति के संबंध में आय की गणना की जाती है।

धारा 13 आय के स्रोतों के वर्गीकरण से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, सभी स्रोतों से आय को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

क.— साधारण स्रोतों से आय।

बी.— विशेष स्रोतों से आय।

धारा 14 साधारण स्रोतों से आय की गणना से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि विशेष स्रोत के अलावा किसी भी स्रोत से आय की गणना "साधारण स्रोतों से आय" श्रेणी के अंतर्गत की जाएगी और ऐसी आय को निम्नलिखित आय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्:—

क.— रोजगार से आय।

बी.— गृह संपत्ति से आय।

सी.— व्यवसाय से आय।

डी.— पूंजीगत लाभ।

ई.— अवशिष्ट स्रोतों से आय।

खंड 15 विशेष स्रोतों से आय की गणना से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि प्रथम अनुसूची के भाग III में तालिका के स्तंभ (3) में सूचीबद्ध प्रत्येक आय उक्त तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति की विशेष स्रोत से आय होगी। यह आगे प्रावधान करता है कि किसी विशेष स्रोत से आय की गणना नौवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार "विशेष स्रोतों से आय" श्रेणी के अंतर्गत की जाएगी। यह यह भी प्रावधान करता है कि यदि आय भारत में किसी अनिवासी की स्थायी स्थापना के कारण है, तो आय को विशेष स्रोत से आय नहीं माना जाएगा;

खंड 16 गोवा राज्य और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के संघ शासित प्रदेशों में लागू पुर्तगाली नागरिक संहिता 1860 के तहत संपत्ति के सामुदायिक प्रणाली द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच आय के बंटवारे से संबंधित है। उक्त खंड में प्रावधान है कि पति और पत्नी की आय, जो कम्युनियो डॉस बेन्स द्वारा शासित है, प्रत्येक आय शीर्षक के अंतर्गत सामान्य स्रोतों से (शीर्षक "रोजगार से आय" के अलावा) और विशेष स्रोतों से पति-पत्नी के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। इस प्रकार विभाजित आय को पति-पत्नी की कुल आय में अलग से शामिल किया जाएगा। खंड में आगे प्रावधान है कि "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय को उस पति या पत्नी की कुल आय में शामिल किया जाएगा जिसने वास्तव में इसे अर्जित किया है।

खंड 17 दोहरे कराधान से बचने से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि संहिता के प्रावधानों के अधीन, कोई भी आय जो किसी व्यक्ति की किसी वित्तीय वर्ष की कुल आय में शामिल है, उसे उसी या किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए उस व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा। यह यह भी प्रावधान करता है कि कोई भी आय जो किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल की जा सकती है, उसे किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक हो।

खंड 18 में यह प्रावधान है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित व्यय को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:—

(क) कोई व्यय जो ऐसी आय से संबंधित है जो छठी अनुसूची के अंतर्गत कुल आय में सम्मिलित नहीं है, तथा जिसका निर्धारण ऐसी विधि के अनुसार किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए;

(ख) किसी विशेष स्रोत से प्राप्त आय से संबंधित कोई व्यय; (ग) कोई व्यय जो किसी अन्य वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया हो;

(घ) किसी ऐसी गतिविधि के लिए किया गया व्यय जो अपराध है या जो कानून द्वारा अनुमत नहीं है; (ङ) किसी देयता के लिए किया गया कोई प्रावधान,

यदि वह वित्तीय वर्ष के अंत तक निश्चित नहीं हो पाती है; तथा

(च) खंड 58 के उपखंड (2) की मद (क्यू) में निर्दिष्ट कोई अस्पष्टीकृत व्यय।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि संहिता के किसी प्रावधान के तहत कटौती के रूप में दी गई कोई भी राशि संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में नहीं दी जाएगी। इस खंड के प्रावधान अध्याय III के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद लागू होंगे।

धारा 19 में यह प्रावधान है कि कोई भी राशि जिस पर स्रोत पर कर कटौती योग्य है वित्तीय वर्ष के दौरान अध्याय XIII के उपबंधों को कुल आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि,—

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान कर की कटौती नहीं की गई है; या (ख) ऐसी कटौती के पश्चात् कर का भुगतान नियत तिथि पर या उससे पहले नहीं किया गया है।

खंड 144 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट तिथि।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी भी बाद के वित्तीय वर्ष में ऐसी राशि के संबंध में व्यक्ति को कटौती की अनुमति दी जाएगी, यदि-

(क) कर की कटौती वित्तीय वर्ष के दौरान की गई है, किन्तु उसका भुगतान खंड 144 के उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् ऐसे आगामी वर्ष में किया गया है; या

(ख) कर की कटौती कर ली गई है तथा उसका भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में कर दिया गया है।

उप-अध्याय II आय के शीर्षों से संबंधित है। उप-अध्याय II का भाग A रोजगार से आय से संबंधित है।

धारा 20 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की रोजगार से आय की गणना की जाएगी "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत।

धारा 21 में रोजगार से आय की गणना का प्रावधान है। "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत गणना की गई आय सकल वेतन होगी, जिसमें धारा 23 में उल्लिखित कटौतियों की कुल राशि घटाई जाएगी।

खंड 22 सकल वेतन के दायरे से संबंधित है। सकल वेतन वह वेतन राशि होगी जो किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता की ओर से देय, भुगतान या स्वीकृत की जाती है, जो भी पहले हो। "वेतन" को खंड 314 में परिभाषित किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ "अनुलाभ" और "वेतन के बदले या इसके अतिरिक्त लाभ" शामिल हैं, जिन्हें भी खंड 314 में परिभाषित किया गया है।

खंड 23 में यह प्रावधान है कि रोजगार से आय की गणना के लिए सकल वेतन में सम्मिलित सीमा तक सकल वेतन से कटौती निम्नलिखित होगी, अर्थात्:—

(क) संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार पर कर के कारण कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई कोई राशि ;

(ख) किसी कर्मचारी द्वारा अपने निवास और कार्यालय या किसी अन्य कार्यस्थल के बीच यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई भत्ता या लाभ, उस सीमा तक जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

(ग) किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को किसी लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्यों के पालन में पूर्णतः, आवश्यक रूप से और अनन्य रूप से व्ययों की पूर्ति के लिए दिया गया कोई भत्ता या लाभ, जैसा कि विहित किया जा सकता है, उस सीमा तक जहां तक ऐसे व्यय वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किए गए हों और विदा के स्थान या कर्तव्यों की प्रकृति या निवास स्थान पर विचार करते हुए व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जैसा कि विहित किया जा सकता है;

(घ) किसी नियोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित पेंशन निधि के अधीन किसी कर्मचारी के खाते में किया गया अंशदान, जो कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(ई) वित्तीय वर्ष में नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान किसी अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में किसी कर्मचारी का खाता;

(च) किसी नियोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष में किसी कर्मचारी के अनुमोदित भविष्य निधि खाते में अंशदान की कोई राशि, जो कर्मचारी के वेतन के बारह प्रतिशत से अधिक न हो;

(छ) किसी कर्मचारी के खाते में अनुमोदित निधि में जमा शेष पर वित्तीय वर्ष में जमा की गई ब्याज की कोई राशि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर देय ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी;

(ज) किसी कर्मचारी द्वारा अधिगृहित आवासीय आवास के संबंध में किराए के भुगतान पर वास्तव में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया कोई भत्ता, उस सीमा तक जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि उपर्युक्त (घ), (च) और (ज) के प्रयोजनों के लिए वेतन का तात्पर्य मूल वेतन से है और इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा प्रावधान है।

उप-अध्याय II का भाग बी गृह संपत्ति से आय से संबंधित है।

खंड 24 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व वाली किसी भी गृह संपत्ति को किराए पर देने से होने वाली आय की गणना "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी। उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी भी गृह संपत्ति से होने वाली आय की गणना इस शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी, भले ही संपत्ति का किराए पर दिया जाना, यदि कोई हो, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति का हो। जहां गृह संपत्ति का स्वामित्व दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास है जिनके पास निश्चित और सुनिश्चित शेयर हैं, खंड में यह प्रावधान है कि ऐसी गृह संपत्ति से होने वाली आय की गणना ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग की जाएगी। तदनुसार, ऐसे मामले में जहां ऐसी गृह संपत्ति के मालिकों के शेयर निश्चित और सुनिश्चित नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों का ऐसी संपत्ति के संबंध में व्यक्तियों के संघ के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा। खंड में यह भी प्रावधान है कि उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे,—

(क) गृह सम्पत्ति, या गृह सम्पत्ति का कोई भाग, जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा अस्पताल, होटल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सम्मेलन केन्द्र या अन्य किसी रूप में किया जाता है।

कोल्ड स्टोरेज और उससे होने वाली आय की गणना "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाती है;

(ख) ऐसी गृह संपत्ति जो वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग के लिए तैयार नहीं है।

इस प्रयोजन के लिए, खंड 314 में "गृह संपत्ति" और "स्वामी" को परिभाषित किया गया है।

धारा 25 में गृह संपत्ति से आय की गणना का प्रावधान है। गृह संपत्ति से आय सकल किराये से होगी, जिसमें धारा 27 में उल्लिखित कटौतियों की कुल राशि घटाई जाएगी।

खंड 26 सकल किराये के दायरे से संबंधित है। गृह संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग के संबंध में सकल किराया, उस वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त होने वाले किराये की राशि होगी, जिसके लिए ऐसी संपत्ति किराए पर दी गई है। उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जहां ऐसी संपत्ति वित्तीय वर्ष के किसी भाग के दौरान खाली थी, सकल किराया वित्तीय वर्ष के ऐसे भाग के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाले किराये की राशि होगी, जिसके लिए घर खाली नहीं था।

खंड 27 में प्रावधान है कि गृह संपत्ति से आय की गणना के लिए सकल किराये से कटौती निम्नलिखित होगी, अर्थात:—

(क) ऐसी संपत्ति के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों की राशि, वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा वास्तव में राशि का भुगतान किया गया हो;

(ख) ऐसी संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव के लिए खंड 26 के अधीन निर्धारित सकल किराये के बीस प्रतिशत के बराबर राशि;

(सी) संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के उद्देश्य से लिए गए ऋण पर या उक्त ऋण के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से लिए गए ऋण पर ब्याज की राशि। जिस वित्तीय वर्ष में गृह संपत्ति का अधिग्रहण या निर्माण किया गया है, उससे पहले की अवधि से संबंधित ब्याज को ऐसे वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली पांच समान किस्तों में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। इस तरह के ब्याज में से उस हिस्से को घटा दिया जाएगा जिसे संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है।

धारा 28 में प्रावधान है कि अग्रिम रूप से प्राप्त किराये की राशि को उस वित्तीय वर्ष के सकल किराये में शामिल किया जाएगा जिससे किराया संबंधित है।

खंड 29 में प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष में बकाया के रूप में प्राप्त किराए के संबंध में आय की गणना "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी, चाहे व्यक्ति उस वर्ष संपत्ति का मालिक बना रहे या नहीं। उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि ऊपर उल्लिखित किराए की राशि को उस वित्तीय वर्ष के लिए खंड 26 के अंतर्गत सकल किराए में शामिल किया जाएगा।

संहिता का खंड 14 यह प्रावधान करता है कि "सामान्य स्रोतों से आय" की गणना निम्नलिखित आय शीर्षकों के अंतर्गत की जाएगी:

ए.—रोजगार से आय बी.—गृह संपत्ति से आय

सी.—व्यापार से आय

डी.—पूँजीगत लाभ ई.—

अवशिष्ट स्रोत से आय।

तदनुसार, खंड 30 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किए गए किसी भी व्यवसाय से आय की गणना "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी। खंड 31 में निर्दिष्ट अलग और पृथक व्यवसाय की आय की गणना अलग से की जाएगी। उक्त खंड यह भी प्रावधान करता है कि किसी व्यवसाय से होने वाली कोई भी आय, उसके बंद होने के बाद, प्राप्ति के वर्ष में प्राप्तकर्ता की आय मानी जाएगी और तदनुसार, इसकी गणना "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी।

खंड 31 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि व्यवसायों के बीच कोई अंतर्संबंध या अंतरनिर्भरता नहीं है तो व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से पृथक और पृथक होगा। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि एक व्यवसाय को दूसरे व्यवसाय से अलग और पृथक माना जाएगा, यदि-

(क) व्यवसाय की एक इकाई व्यवसाय की दूसरी इकाई के समान ही वस्तुओं का प्रसंस्करण, उत्पादन, विनिर्माण या व्यापार कर रही है और प्रथम उल्लिखित इकाई दूसरी इकाई से भौतिक रूप से अलग स्थित है;

(ख) व्यवसाय की एक इकाई व्यवसाय की दूसरी इकाई के समान ही वस्तुओं का प्रसंस्करण, उत्पादन या विनिर्माण कर रही है और प्रथम उल्लिखित इकाई ऐसे कच्चे माल या विनिर्माण प्रक्रिया का उपयोग करती है, जो दूसरी इकाई के कच्चे माल या विनिर्माण प्रक्रिया से भिन्न है;

(ग) किसी व्यवसाय के लिए अलग-अलग लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं या रखी जा सकती हैं; या

(घ) यह ऐसा व्यवसाय है जिसके संबंध में लाभ का निर्धारण खंड 32 के उपखंड (2) के अंतर्गत किया जाता है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि सट्टा कारोबार को भी सट्टा कारोबार माना जाएगा। किसी अन्य व्यवसाय या किसी अन्य सट्टा व्यवसाय से अलग और पृथक होना।

धारा 32 में यह प्रावधान है कि "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत संगणित आय, व्यवसाय से प्राप्त लाभ होगी। बीमा व्यवसाय से प्राप्त लाभ की गणना आठवीं अनुसूची के अनुसार की जाएगी। अर्हक जहाज चलाने के व्यवसाय से प्राप्त लाभ की गणना दसवीं अनुसूची के अनुसार की जाएगी। खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के व्यवसाय से प्राप्त लाभ की गणना ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार की जाएगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास या उससे अधिग्रहण के व्यवसाय से प्राप्त लाभ या विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी इकाई द्वारा विनिर्माण या उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त लाभ की गणना बारहवीं अनुसूची के अनुसार की जाएगी। बिजली के उत्पादन और वितरण, बुनियादी ढांचा सुविधा के विकास, कोल्ड चैन सुविधा, अस्पताल चलाने, देश भर में प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने और चलाने के व्यवसाय से प्राप्त लाभ की गणना तेरहवीं अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

ऊपर उल्लिखित न किए गए किसी व्यवसाय से होने वाला लाभ, उस व्यवसाय से होने वाली सकल आय होगी, जिसमें से उस व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवसाय व्यय की राशि घटाई जाएगी।

खंड 33 यह प्रावधान करता है कि आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं अनुसूची के अंतर्गत न आने वाले कारोबार से होने वाली सकल आय निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात्:—

(i) व्यवसाय से या उसके संबंध में किसी उपार्जन या प्राप्ति की राशि;

(ii) किसी लाभ या अनुलाभ का मूल्य, चाहे वह धन में परिवर्तनीय हो या नहीं, व्यवसाय से या उसके संबंध में अर्जित या प्राप्त;

(iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यवसाय की इन्वेंट्री का मूल्य; तथा

(iv) किसी व्यवसाय को बंद करने के बाद उससे प्राप्त कोई राशि।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि ऊपर उल्लिखित उपार्जन या प्राप्ति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) किसी गैर-प्रतिस्पर्धा समझौते के तहत अर्जित या प्राप्त कोई भी प्रतिफल;

(ii) किसी व्यक्ति, चाहे वह व्यापारिक, व्यावसायिक या समान संघ हो, को उसके सदस्यों के लिए की गई विशिष्ट सेवाओं के संबंध में उपाजित या प्राप्त किसी लाभ की कोई राशि या मूल्य, चाहे वह धन में परिवर्तनीय हो या नहीं;

(iii) किसी लाइसेंस की बिक्री पर कोई प्रतिफल, जो व्यवसाय पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं है, व्यवसाय के संबंध में प्राप्त किया गया हो;

(iv) सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानून के तहत स्थापित निगम द्वारा तैयार की गई किसी योजना के तहत प्राप्त या उपाजित अधिकार या लाभ के हस्तांतरण पर कोई विचार;

(v) किसी व्यवसाय पूंजीगत परिसंपत्ति की लागत के किसी हिस्से को पूरा करने के लिए राशि के अलावा, व्यवसाय के लिए या उसके संबंध में किसी व्यक्ति या सरकार से प्राप्त नकद सहायता, सब्सिडी या अनुदान की राशि;

(vi) किसी कर, शुल्क या उपकर (जो इस संहिता के अंतर्गत कर नहीं है) की छूट, वापसी या वापसी की प्राप्त या प्राप्य राशि;

(vii) किसी अनिगमित निकाय के भागीदार को मिलने वाला पारिश्रमिक (वेतन, बोनस और कमीशन सहित) या उसके द्वारा उस निकाय से प्राप्त ब्याज की राशि;

(viii) किसी कीमती बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आबंटित राशि भी शामिल है;

(ix) किसी व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्ति (वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग की जाने वाली व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्ति को छोड़कर) के हस्तांतरण, विध्वंस या विनाश पर लाभ की राशि, जिसकी गणना खंड 42 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी;

(x) कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण पर प्राप्त या प्राप्य कोई भी प्रतिफल;

(xi) ऋण, जमा, अग्रिम या ऋण के माध्यम से किसी दायित्व की छूट या समाप्ति की राशि;

(xii) सेवा समाप्ति के कारण उपाजित या प्राप्त कोई राशि या व्यवसाय के दौरान किए गए किसी भी समझौते को जब्त कर लिया जाएगा; और

(xiii) किसी वित्तीय व्यक्ति द्वारा अर्जित या प्राप्त कोई ब्याज संस्था, आदि.

तथापि, व्यवसाय से सकल आय में कोई लाभ, किसी व्यक्ति द्वारा वित्तीय संस्थान के रूप में अर्जित या प्राप्त ब्याज के अलावा कोई ब्याज, गृह संपत्ति को किराये पर देने से होने वाली आय, जिसे "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया गया है, तथा किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय शामिल नहीं होगी।

खंड 34, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि व्यवसाय व्यय की राशि परिचालन व्यय, वित्त प्रभार और पूंजीगत भत्ते का कुल योग।

खंड 35, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि खंड 34 के प्रयोजनों के लिए परिचालन व्यय की राशि निम्नलिखित का योग होगी -

(क) उप-खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट व्यय की राशि, यदि वह पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए निर्धारित या व्यय की गई है और विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है;

(बी) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में व्यवसाय की इन्वेंट्री का मूल्य वर्ष;

(ग) व्यापार के दौरान चोरी, डकैती, धोखाधड़ी या गबन के कारण इन्वेंट्री या धन की हानि, यदि इन्वेंट्री या धन को लेखा पुस्तकों में बट्टे खाते में डाल दिया गया हो;

(घ) अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में जमा की गई कोई राशि, जो निर्धारित तरीके से संगणित कुल औसत अग्रिमों के एक प्रतिशत से अधिक न हो, यदि व्यक्ति कोई वित्तीय संस्थान है, तो वह राशि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है, और व्यक्ति की पुस्तकों में अप्राप्य के रूप में लिखे गए व्यापार ऋण या उसके भाग की राशि को अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में डेबिट किया जाता है;

(ई) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन खंड (सी) के तहत किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में डेबिट शेष, यदि कोई हो, यदि शेष राशि वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दी गई है;

(च) व्यापार ऋण या उसका भाग, यदि व्यक्ति कोई वित्तीय संस्थान नहीं है, और राशि को व्यक्ति की पुस्तकों में अप्रतिपूर्ति योग्य के रूप में लिख दिया गया है; तथा

(छ) किसी प्रेषित या समाप्त दायित्व के निर्वहन में वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऋणदाता को किया जाने वाला भुगतान, जिसे खंड 33 के उपखंड (2) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष की सकल आय में सम्मिलित किया गया है।

उक्त खंड के उप-खंड (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि निम्नलिखित व्यय पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए निर्धारित या व्यय किया जाता है, तो इसकी अनुमति दी जाएगी,—

(i) कच्चे माल, भंडार, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों, या स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद;

(ii) किसी परिसर के लिए भुगतान किया गया किराया यदि वह व्यक्ति द्वारा अधिभोग में है और उसका उपयोग किया जाता है; (iii) भवनों की वर्तमान मरम्मत यदि वह व्यक्ति द्वारा अधिभोग में है और उसका उपयोग किया जाता है; (iv) व्यक्ति द्वारा अधिभोग में है और उसका उपयोग किया जाता है, तो उसके संबंध में भूमि राजस्व, स्थानीय दरें या नगरपालिका कर;

(v) व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के भागों की वर्तमान मरम्मत; (vi) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का वर्तमान रखरखाव या मरम्मत; (vii) कर्मचारियों का वेतन या मजदूरी; (viii) विज्ञापन और प्रचार सहित बिक्री संवर्धन; (ix) होटल या बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाओं का उपयोग; (x) कानूनी सेवाएं;

(xi) मनोरंजन एवं आतिथ्य आदि का प्रावधान।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यय, जो व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का हो या उसके कारण हो, पूंजीगत व्यय जिसमें वह व्यय भी शामिल है जिसके संबंध में खंड 37 के अंतर्गत पूंजीगत भत्ता अनुमेय है, वित्त प्रभार, व्यक्ति का कोई अनिश्चित दायित्व, कार्यरत भागीदार के अलावा किसी भागीदार को देय पारिश्रमिक, किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्फलेट या इसी तरह के विज्ञापन पर किया गया व्यय, इस संहिता के अंतर्गत देय कोई कर, ब्याज या जुर्माना, भुगतान की गई कोई राशि जो धारा 207 के अंतर्गत कर से राहत के लिए पात्र है, घोषित या वितरित या भुगतान किया गया कोई लाभांश और वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के कारण अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में एक लाख रुपये से अधिक का अंशदान परिचालन व्यय के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा।

खंड 36 में व्यवसाय व्यय के संबंध में वित्त प्रभारों के निर्धारण का प्रावधान है, जो परिचालन व्यय, अनुमत वित्त प्रभारों और पूंजीगत भत्तों का योग होगा।

खंड 36 में प्रावधान है कि खंड 34 के प्रयोजनों के लिए वित्त प्रभार की राशि होगी-

(क) उधार ली गई पूंजी या लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज की राशि; (ख) व्यापार ऋणदाताओं को चुकाए गए ब्याज की राशि;

(ग) किसी भागीदार को निर्धारित सीमा तक चुकाए गए ब्याज की राशि जो अनिगमित

निकाय के गठन के समझौते के अनुरूप है और ऐसे समझौते की तारीख से अगले वर्ष की अवधि से संबंधित है;

(घ) किसी ऋण सुविधा के संबंध में भुगतान किए गए किसी प्रभार या फीस की राशि जिसका उपयोग नहीं किया गया है;

(ङ) किसी भी आकस्मिक वित्तीय प्रभार की राशि; (च) व्यक्ति द्वारा जारी किसी बांड या

डिबेंचर पर देय छूट या प्रीमियम की अनुपातिक राशि, जो निर्धारित तरीके से गणना की जा सकती है।

खंड 36 के उप-खंड (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि वित्त प्रभारों की राशि में पूंजीगत परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार ली गई पूंजी या किए गए ऋण के संबंध में भुगतान की गई कोई राशि, परिवर्तनीय डिबेंचर, बांड या शेयर पूंजी जारी करने के लिए आकस्मिक वित्तीय प्रभार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 में निर्दिष्ट ब्याज की कोई राशि शामिल नहीं होगी।

उक्त खंड के उप-खंड (3) में यह प्रावधान है कि किसी भी उधार ली गई पूंजी या लिए गए ऋण पर ब्याज की राशि, जो किसी भी वित्तीय संस्थान को देय है, उस वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में दी जाएगी जिसमें राशि वास्तव में चुकाई गई है या उस वित्तीय वर्ष में जिसमें देयता अर्जित हुई है, जो भी बाद में हो।

उक्त खंड के उप-खंड (4) में यह प्रावधान है कि उप-खंड (3) में निर्दिष्ट कोई ब्याज, जिसे ऋण या उधार में परिवर्तित कर दिया गया है, उस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए वास्तव में भुगतान किया गया नहीं माना जाएगा।

उक्त खंड के उप-खंड (5) में यह प्रावधान है कि, "उधार ली गई पूंजी" में पारस्परिक लाभ वित्त कंपनी में शेयरधारकों या अभिदाताओं से समय-समय पर प्राप्त आवर्ती अंशदान शामिल होगा, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

धारा 34 में प्रावधान है कि व्यवसाय व्यय की राशि परिचालन व्यय, वित्त प्रभार और पूंजीगत भत्ते का योग होगी। धारा 37 में प्रावधान है कि पूंजीगत भत्ते की राशि व्यवसाय पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्यहास, व्यवसाय पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मूल्यहास, टर्मिनल भत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास भत्ता और आस्थगित राजस्व व्यय भत्ते के संबंध में राशि का योग होगी।

उक्त खंड में आगे यह प्रावधान है कि किसी भी व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यहास, आरंभिक मूल्यहास या अंतिम भत्ता की अनुमति दी जाएगी, यदि परिसंपत्ति का स्वामित्व, पूर्णतः या आंशिक रूप से, व्यक्ति के पास है, तथा उसका उपयोग व्यक्ति के व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि, स्वामित्व की शर्त, चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से, किसी व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में लागू नहीं होगी, जो किसी भवन पर पूंजीगत व्यय है, जिसे व्यक्ति द्वारा पट्टे या अन्य अधिभोग अधिकार के तहत रखा गया है। यदि कोई व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्ति वित्तीय पट्टे के संदर्भ में पट्टेदार है, तो उसे व्यक्ति के स्वामित्व में माना जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि ऊपर उल्लिखित आस्थगित राजस्व व्यय भत्ते की राशि बाईसवीं अनुसूची के अनुसार विनिर्दिष्ट और संगणित होगी।

खंड 37 में प्रावधान है कि पूंजी भत्ते की राशि, व्यवसाय पूंजी परिसंपत्तियों के मूल्यहास, व्यवसाय पूंजी परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मूल्यहास, टर्मिनल भत्ते, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास भत्ते तथा आस्थगित राजस्व व्यय भत्ते के संबंध में राशि का योग होगी।

खंड 38, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि व्यवसाय के मूल्यहास की राशि पूंजीगत परिसंपत्तियां निम्नलिखित का योग होंगी, अर्थात्:—

(क) किसी परिसंपत्ति ब्लॉक के समायोजित मूल्य का ऐसा प्रतिशत, जैसा कि खंड 45 के साथ पठित पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट है, उसमें निर्दिष्ट प्रासंगिक परिसंपत्ति ब्लॉक का हिस्सा बनने वाली सभी व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्तियों के संबंध में; तथा

(ख) शून्य, किसी अन्य व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में जो पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में इस खंड के तहत कटौती पचास प्रतिशत तक सीमित होगी, यदि परिसंपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित की जाती है, और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है।

खंड 38 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यहास, संहिता के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी बात के बावजूद, वास्तव में अनुमत नहीं माना जाएगा, यदि परिसंपत्ति पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है या परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को इस संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है।

खंड 39 यह प्रावधान करता है कि मूल्यहास के अतिरिक्त, व्यवसाय पूंजीगत परिसंपत्तियों का आरंभिक मूल्यहास उस व्यक्ति को दिया जाएगा, यदि वह किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है, परिसंपत्ति एक नई परिसंपत्ति है (किसी कार्यालय उपकरण के अलावा) जिसका उपयोग उस व्यक्ति द्वारा इसकी स्थापना से पहले भारत के अंदर या बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है और परिसंपत्ति की संपूर्ण वास्तविक लागत को किसी अन्य वित्तीय वर्ष के "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करने में कटौती (चाहे मूल्यहास के रूप में या अन्यथा) के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि संदर्भित आरंभिक मूल्यहास परिसंपत्ति की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर राशि होगी और इसे उस वित्तीय वर्ष में अनुमति दी जाएगी जिसमें परिसंपत्ति का उपयोग व्यक्ति के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पहली बार किया जाता है। इस खंड के तहत कटौती स्वीकार्य राशि के पचास प्रतिशत तक सीमित होगी, यदि परिसंपत्ति का उपयोग प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम की अवधि के लिए व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

खंड 40 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान ध्वस्त, नष्ट, त्याग दिए जाने या स्थानांतरित किए जाने के कारण परिसंपत्तियों का ब्लॉक अस्तित्व में नहीं रह गया है और परिसंपत्तियों के ब्लॉक के संबंध में मूल्यहास की गणना के लिए पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिशत शून्य है, तो परिसंपत्ति के ब्लॉक के संबंध में टर्मिनल भत्ता की अनुमति दी जाएगी।

टर्मिनल भत्ता, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में परिसंपत्ति के ब्लॉक के लिखित मूल्य और वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली किसी भी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत का योग होगा, जिसमें से वित्तीय वर्ष के दौरान ध्वस्त, नष्ट, त्याग दी गई या स्थानांतरित की गई परिसंपत्तियों के संबंध में उपार्जित या प्राप्त राशि को घटाया जाएगा, साथ ही शव या स्क्रेप का मूल्य, यदि कोई हो, जोड़ा जाएगा।

उक्त खण्ड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि गणना का शुद्ध परिणाम नकारात्मक है तो टर्मिनल भत्ता "शून्य" माना जाएगा।

खंड 41 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी कंपनी को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के लिए आंतरिक सुविधा के सृजन एवं रखरखाव तथा आंतरिक सुविधा में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास करने पर किए गए व्यय (किसी भूमि या भवन की लागत के स्वरूप में व्यय नहीं) के दो सौ प्रतिशत के बराबर कटौती की अनुमति दी जाएगी।

इस खंड के अंतर्गत कटौती की अनुमति तभी दी जाएगी, यदि कंपनी वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करने के लिए आंतरिक सुविधा का सृजन और रखरखाव करती है, अनुसंधान सुविधा को निर्धारित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है और कंपनी अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए तथा ऐसी सुविधा के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित प्राधिकारी के साथ समझौता करती है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में

किसी पूर्ववर्ती को दिया गया अनुमोदन उत्तराधिकारी को दिया गया माना जाएगा, यदि अनुमोदन उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि इस खंड के अंतर्गत कटौती किसी कंपनी को नहीं दी जाएगी, यदि व्यय उसके व्यवसाय के दौरान किया गया है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास की प्रकृति का है।

बोर्ड इस खंड के प्रयोजनों के लिए, व्यवसाय की प्रकृति निर्धारित कर सकता है, अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों और तरीके का अनुपालन किया जाएगा।

खंड 42 में किसी व्यवसायिक पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर लाभ की गणना की विधि का प्रावधान है, यदि वह राशि पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के एक ब्लॉक का हिस्सा बनती है। इसमें प्रावधान है कि यदि ऐसी पूंजी परिसंपत्ति को हस्तांतरित, त्यागा, नष्ट या नष्ट किया जाता है, तो लाभ की राशि ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में अर्जित या प्राप्त राशि होगी, साथ ही स्क्रेप मूल्य की राशि, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य की राशि से घटाई गई होगी, साथ ही उस परिसंपत्ति के ब्लॉक में आने वाली और वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित की गई किसी भी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत और यदि कोई परिसंपत्ति परिसंपत्तियों के ब्लॉक में नहीं आती है, तो हस्तांतरण पर प्राप्त प्रतिफल में से वास्तविक लागत घटाकर लाभ होगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि गणना का शुद्ध परिणाम नकारात्मक होने पर, लाभ को "शून्य" माना जाएगा।

खंड 43 में पूंजी भत्ते के कारण कटौती की गणना का प्रावधान है, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय पुनर्गठन हुआ हो। पूर्ववर्ती को स्वीकार्य कटौती की राशि निम्न सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी-

ए एक्स बी

सी

कहाँ

A = कटौती की वह राशि जो स्वीकार्य होगी, मानो व्यवसाय पुनर्गठन न हुआ हो;

बी = वित्तीय वर्ष के पहले दिन से शुरू होने वाली और व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से तुरंत पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि में शामिल दिनों की संख्या;

C = वित्तीय वर्ष में दिनों की कुल संख्या जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि उत्तराधिकारी के लिए कटौती की राशि निम्न सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी -

ए एक्स बी

सी

कहाँ

A = कटौती की वह राशि जो स्वीकार्य होगी, मानो व्यवसाय पुनर्गठन न हुआ हो;

B = दिनांक से शुरू होने वाली अवधि में शामिल दिनों की संख्या व्यवसाय पुनर्गठन और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समाप्त होने वाला; और

C = वित्तीय वर्ष में दिनों की कुल संख्या जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है।

खंड 44 'व्यवसाय से आय' शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना के प्रयोजनों के लिए वास्तविक लागत का अर्थ प्रदान करना चाहता है। उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति के लिए व्यवसाय परिसंपत्ति की वास्तविक लागत की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी-

ए-[बी+(सी x ए)]

डी

कहाँ

A = व्यवसायिक परिसंपत्ति की लागत, उस पर चुकाए गए ब्याज सहित

परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार ली गई पूंजी, यदि ऐसा ब्याज परिसंपत्ति के उपयोग में लाए जाने से पहले की अवधि से संबंधित है;

बी = सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क की राशि टेरिफ अधिनियम, 1975 या उत्पाद शुल्क की राशि, जिसके संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के तहत क्रेडिट का दावा किया गया है और उसे अनुमति दी गई है;

सी = करदाता द्वारा केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सब्सिडी, अनुदान या प्रतिपूर्ति (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) की राशि सरकार, राज्य सरकार, किसी भी समय लागू कानून के तहत स्थापित कोई प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक परिसंपत्ति सहित किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में या उसके संदर्भ में;

डी = सभी परिसंपत्तियों की लागत जिसके संबंध में या जिसके संदर्भ में राशि निर्धारित की गई है 'सी' इस प्रकार प्राप्त हुआ है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि ऊपर दी गई कार्यप्रणाली के बावजूद, मूल्यांकन अधिकारी संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से वास्तविक लागत का निर्धारण कर सकता है, यदि परिसंपत्तियां, व्यक्ति द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले किसी भी समय, व्यावसायिक परिसंपत्तियां थीं और मूल्यांकन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि व्यक्ति को परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का मुख्य उद्देश्य बढ़ी हुई लागत के संदर्भ में मूल्यहास का दावा करके आयकर देयता को कम करना था।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि व्यक्ति को उपहार या विरासत के माध्यम से संपत्ति प्राप्त होती है, संपत्ति किसी वित्तीय वर्ष में व्यावसायिक संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है या व्यक्ति हस्तान्तरित होल्डिंग कंपनी या हस्तान्तरित सहायक कंपनी है, तो व्यक्ति के लिए व्यावसायिक संपत्ति की वास्तविक लागत मानी गई लिखित मूल्य होगी। किसी व्यावसायिक संपत्ति का मानी गई लिखित मूल्य, व्यक्ति या पिछले मालिक के लिए वास्तविक लागत होगी, जैसा भी मामला हो, जब उसने पहली बार संपत्ति अर्जित की थी, जिसमें उस व्यक्ति या पिछले मालिक को, जैसा भी मामला हो, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकार्य मूल्यहास की कुल राशि को घटाया गया होगा, जैसे कि संपत्ति संबंधित परिसंपत्तियों के ब्लॉक में एकमात्र संपत्ति थी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि व्यवसायिक परिसंपत्ति की बिक्री और वापस खरीद के मामले में, व्यवसायिक परिसंपत्ति की वास्तविक लागत वह वास्तविक कीमत होगी जिस पर परिसंपत्ति को उसके द्वारा पुनः अर्जित किया गया है या माना गया लिखित मूल्य, जो भी कम हो।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा कोई व्यावसायिक पूंजीगत परिसंपत्ति अर्जित की जाती है और बाद में उसे पट्टे, किराये या अन्य तरीके से हस्तांतरक को वापस हस्तांतरित कर दिया जाता है, वहां उस व्यक्ति के हाथों में परिसंपत्ति की वास्तविक लागत उस वित्तीय वर्ष के आरंभ में हस्तांतरक के हाथों में परिसंपत्ति का लिखित मूल्य होगी जिसमें उस व्यक्ति द्वारा परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया गया है।

इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां व्यक्ति अनिवासी है और कोई व्यापारिक पूंजीगत परिसंपत्ति, जो उसके द्वारा भारत के बाहर अर्जित की गई है, उसे वह भारत में लाता है, वहां उस व्यक्ति के लिए परिसंपत्ति की वास्तविक लागत उसके द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगी, जिसे उस मूल्यहास की राशि के बराबर राशि से घटाया जाएगा जो उस समय स्वीकार्य होती यदि परिसंपत्ति का उपयोग ऐसे अधिग्रहण की तारीख से व्यक्ति के व्यापार के प्रयोजनों के लिए भारत में किया जाता।

इस खंड में यह प्रावधान है कि किसी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत को 'शून्य' माना जाएगा, यदि परिसंपत्ति की लागत के संबंध में कटौती ग्यारहवीं अनुसूची या बारहवीं अनुसूची या तेरहवीं अनुसूची के तहत व्यक्ति को दी गई है या अनुमेय है, या परिसंपत्ति की लागत के संबंध में कटौती किसी अन्य व्यक्ति को पूर्वोक्त अनुसूची के तहत दी गई है या अनुमेय है और व्यक्ति ने परिसंपत्ति को "अर्जन के किसी विशेष तरीके" द्वारा अर्जित या प्राप्त किया है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि बोर्ड, किसी व्यावसायिक परिसंपत्ति की वास्तविक लागत निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, कोई अन्य लागत निर्धारित कर सकता है जिसे वास्तविक लागत निर्धारित करने में शामिल किया जा सकता है और उन परिस्थितियों में वास्तविक लागत निर्धारित करने की विधि जो उक्त खंड के तहत प्रदान नहीं की गई हैं। यह प्रावधान किया गया है कि उक्त खंड में, किसी व्यावसायिक परिसंपत्ति का लिखित मूल्य उस व्यक्ति या पिछले मालिक के लिए वास्तविक लागत होगी, जैसा भी मामला हो, जब उसने पहली बार परिसंपत्ति अर्जित की थी, जिसमें उस व्यक्ति या पिछले मालिक को स्वीकार्य मूल्यहास की कुल राशि को घटाया गया होगा।

हो सकता है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए मानो वह परिसंपत्ति संबंधित परिसंपत्ति ब्लॉक में एकमात्र परिसंपत्ति थी।

धारा 45, परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य और समायोजित मूल्य के अर्थ से संबंधित है। उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक का लिखित मूल्य, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य होगा।

तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों के ब्लॉक का समायोजित मूल्य होगा, जिसमें से उस वर्ष के दौरान खंड 37 के अंतर्गत अनुमत पूंजी भत्ते की राशि, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी, साथ ही उस परिसंपत्ति को अर्जित करने के लिए किए गए किसी भी व्यय को संहिता के किसी प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में अनुमत सीमा तक घटा दिया जाएगा।

किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक का समायोजित मूल्य निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किया जाएगा-

(ए+बी) - (सी+डी+ई)

कहाँ

A= वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के ब्लॉक का लिखित मूल्य

वित्तीय वर्ष;

बी = वित्तीय वर्ष के दौरान अधिग्रहित ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली किसी भी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत;

सी = ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में प्राप्य धनराशि, जिसे वित्तीय वर्ष के दौरान बेचा या त्याग दिया गया या नष्ट कर दिया गया या नष्ट कर दिया गया;

डी = स्क्रेप मूल्य की राशि, यदि कोई हो;

ई = खंड 44 के उप-खंड (3) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से स्थानांतरित परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य का कुल योग।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी भी परिसंपत्ति ब्लॉक का समायोजित मूल्य यदि राशि (C+D+E) राशि (A+B) से अधिक है तो "शून्य" होगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि व्यवसाय पुनर्गठन में उत्तराधिकारी द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों के ब्लॉक का समायोजित मूल्य, उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है, वह राशि होगी जो परिसंपत्तियों के ब्लॉक के समायोजित मूल्य के रूप में ली जाती यदि व्यवसाय पुनर्गठन नहीं हुआ होता।

उक्त खंड में, व्यवसाय पुनर्गठन में उत्तराधिकारी द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य का निर्धारण करने के लिए, उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन हुआ है, सूत्र भी प्रदान किया गया है, साथ ही परिसंपत्तियों के ब्लॉक के समायोजित मूल्य की गणना के लिए भी सूत्र प्रदान किया गया है, जहां परिसंपत्तियों के ब्लॉक में व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी देश से किसी वित्तीय वर्ष में अर्जित कोई भी परिसंपत्ति शामिल है और ऐसे अधिग्रहण की तारीख के बाद परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में देयता में परिवर्तन होता है।

उक्त खंड में यह प्रावधान किया गया है कि यदि व्यक्ति ने अग्रिम अनुबंध किया है तो उपर्युक्त भुगतान करते समय भारतीय रूप में व्यक्त व्यक्ति की देयता की राशि की गणना अग्रिम अनुबंध में निर्दिष्ट विनिमय दर के संदर्भ में की जाएगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि बोर्ड प्रथम वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन की स्थिति में आस्तियों के समूह के लिखित मूल्य या समायोजित लिखित मूल्य के निर्धारण की विधि, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के बीच आस्तियों के लिखित मूल्य या समायोजित लिखित मूल्य के आबंटन के निर्धारण की विधि तथा उक्त खंड में प्रावधान न किए गए परिस्थितियों में आस्तियों के समूह के लिखित मूल्य या समायोजित लिखित मूल्य के निर्धारण की विधि निर्धारित कर सकता है।

तदनुसार, धारा 46 में प्रावधान है कि किसी भी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय की गणना "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी। ऐसी आय के अतिरिक्त, "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत होने वाली आय में निम्नलिखित भी शामिल होंगे-

(क) खंड 47 के उपखंड (1) के मद् (घ) या मद् (ड) में निर्दिष्ट हस्तांतरण से आय, यदि मूल कंपनी या उसका नामित व्यक्ति सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूँजी को धारण करना बंद कर देता है या निवेश परिसंपत्ति को हस्तांतरिती द्वारा ऐसे हस्तांतरण की तारीख से आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले अपनी व्यावसायिक ट्रेडिंग परिसंपत्ति में परिवर्तित कर लिया जाता है या उसके द्वारा उसके रूप में माना जाता है;

(ख) खंड 47 के उपखंड (1) की मद् (च) में निर्दिष्ट हस्तांतरण से आय, यदि खंड 314 के उपखंड (16) या उपखंड (74) में निर्धारित शर्तों में से किसी का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(ग) खंड 47 के उपखंड (1) की मद् (जे) या मद् (एन) में निर्दिष्ट हस्तांतरण से आय, यदि उक्त खंडों में निर्धारित किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(घ) खंड 55 के उपखंड (4) में निर्दिष्ट निकासी की राशि, उसके उपखंड (2) के अंतर्गत अनुमत कटौती की सीमा तक, यदि उक्त उपखंड (4) में निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है;

(ई) खंड 55 के उपखंड (5) में निर्दिष्ट जमा राशि, उसके उपखंड (2) के तहत दी गई कटौती की सीमा तक, यदि उक्त उपखंड में निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(च) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली कटौती की राशि, यदि धारा (55) की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है।

धारा 47 में प्रावधान है कि कुछ हस्तांतरणों से होने वाली आय को पूँजीगत लाभ नहीं माना जाएगा। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि निम्नलिखित हस्तांतरणों को "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(ए) किसी भी निवेश परिसंपत्ति का कुल या आंशिक विभाजन पर वितरण हिंदू अविभाजित परिवार;

(ख) किसी निवेश परिसंपत्ति (स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा) को दान करना या अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के तहत हस्तांतरित करना;

(ग) वसीयत के तहत किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण;

(घ) किसी कंपनी द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी को किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण, यदि मूल कंपनी या उसके नामित व्यक्ति ऐसी सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूँजी रखते हैं और ऐसी सहायक कंपनी उस परिसंपत्ति को निवेश परिसंपत्ति मानती है;

(ई) किसी सहायक कंपनी द्वारा भारतीय होल्डिंग कंपनी को किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण, यदि सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूँजी ऐसी होल्डिंग कंपनी या उसके नामितियों के पास है और होल्डिंग कंपनी उस परिसंपत्ति को निवेश परिसंपत्ति मानती है;

(च) किसी पूर्ववर्ती द्वारा किसी उत्तराधिकारी भारतीय को किसी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण व्यवसाय पुनर्गठन के तहत एक योजना में कंपनी;

(छ) किसी निजी कंपनी या गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी द्वारा किसी निवेश परिसंपत्ति का सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण या कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में रूपांतरण के परिणामस्वरूप किसी शेयरधारक द्वारा कंपनी में रखे गए किसी शेयर का अंतरण, इसमें निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन;

(ज) कारोबार पुनर्गठन की योजना के तहत किसी शेयरधारक द्वारा पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के शेयरों का हस्तांतरण, यदि हस्तांतरण उत्तराधिकारी सहकारी बैंक में शेयरधारक को आबंटन के प्रतिफल में किया जाता है;

(i) किसी निवेश परिसंपत्ति का किसी एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरण कंपनी, उसमें निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन;

(जे) किसी कलाकृति, पुरातत्व, वैज्ञानिक या कला संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, चित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट का सरकार या किसी अन्य संस्था को हस्तांतरण विश्वविद्यालय या कोई सार्वजनिक संग्रहालय या राष्ट्रीय महत्व का या किसी राज्य या राज्यों में प्रतिष्ठित संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(ट) किसी कंपनी द्वारा अपने परिसमापन पर अपने शेयरधारकों को किसी निवेश परिसंपत्ति का अंतरण; (ठ) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी

योजना के तहत रिवर्स मॉर्टगेज के लेनदेन में किसी निवेश परिसंपत्ति का अंतरण; (ड) किसी डिपॉजिटरी द्वारा किसी प्रतिभूति में किसी लाभकारी हित का अंतरण।

उक्त खंड में "बैंकिंग कंपनी", "बैंकिंग संस्थान", "निजी" को भी परिभाषित किया गया है कंपनी", "सार्वजनिक असूचीबद्ध कंपनी", "डिपॉजिटरी" और "सुरक्षा"।

धारा 48 में प्रावधान है कि निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय की करयोग्यता का वित्तीय वर्ष वह वित्तीय वर्ष होगा जिसमें हस्तांतरण होता है और आय हस्तांतरणकर्ता के हाथों में करयोग्य होगी। हालाँकि, ऐसी आय को नीचे निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित मामलों में प्राप्तकर्ता की आय माना जाएगा-

(क) किसी बीमाकृत परिसंपत्ति की क्षति या विनाश के कारण बीमाकर्ता से बीमा के अंतर्गत प्राप्त किसी धन या परिसंपत्ति के मामले में, वह वित्तीय वर्ष जिसमें धन या परिसंपत्ति प्राप्त हुई है;

(ख) किसी अनिर्दिष्ट निकाय से सेवानिवृत्ति के कारण भागीदार द्वारा प्राप्त किसी धन या परिसंपत्ति के मामले में, वह वित्तीय वर्ष जिसमें धन या परिसंपत्ति प्राप्त हुई है;

(ग) किसी कंपनी के परिसमापन या विघटन के कारण शेयरधारक द्वारा प्राप्त किसी धन या परिसंपत्ति के संबंध में, खंड 314 के उपखंड (81) की मद (ग) के अर्थ के भीतर लाभांश के रूप में निर्धारित राशि को घटाकर, वह वित्तीय वर्ष जिसमें धन या परिसंपत्ति प्राप्त हुई है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी प्रतिभूति में किसी लाभकारी हित के डिपॉजिटरी या भागीदार द्वारा किए गए हस्तांतरण से प्राप्त कोई भी प्रतिफल उस वित्तीय वर्ष के लाभकारी स्वामी की आय माना जाएगा, जिसमें ऐसा हस्तांतरण हुआ था।

उक्त खंड में आगे यह प्रावधान है कि खंड 46 के उप-खंड (2) की मद (घ) में निर्दिष्ट राशि उस वित्तीय वर्ष की आय होगी जिसमें ऐसी राशि निकाली जाती है और खंड 46 के उप-खंड (2) की मद (ई) में निर्दिष्ट राशि उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद के तीसरे वित्तीय वर्ष की आय होगी जिसमें मूल परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। खंड 46 के उप-खंड (2) की मद (च) में निर्दिष्ट राशि उस वित्तीय वर्ष की आय होगी जिसमें खंड 55 के उप-खंड (6) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है।

उक्त खंड में "लाभार्थी स्वामी" शब्द को भी परिभाषित किया गया है।

खंड 49 किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय की गणना से संबंधित है। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय हस्तांतरण के परिणामस्वरूप अर्जित या प्राप्त प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होगी, जिसे खंड 51 में संदर्भित कटौतियों की कुल राशि से घटाया जाएगा। उक्त खंड आगे यह भी प्रावधान करता है कि ऐसी गणना के प्रयोजन के लिए, जहां निवेश परिसंपत्ति खंड 48 के उप-खंड (2) के मद (घ) में संदर्भित प्रतिभूतियों के संबंध में कोई लाभकारी हित है, अधिग्रहण की लागत और ऐसी प्रतिभूतियों को धारण करने की अवधि पहले-आओ-पहले-जाओ पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

धारा 50 में यह प्रावधान है कि प्रतिफल का पूरा मूल्य, निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हस्तांतरणकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त या उपार्जित राशि होगी। उक्त धारा में यह भी प्रावधान है कि

यह निर्दिष्ट करता है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए हस्तांतरण के संबंध में कौन सी राशि पूर्ण मूल्य का गठन करेगी।

धारा 51 निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत के लिए कटौती से संबंधित है।

उक्त खंड के उप-खंड (1) में यह प्रावधान है कि किसी निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, ऐसी परिसंपत्ति के सुधार की लागत तथा ऐसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से किए गए व्यय की राशि को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

उक्त खंड के उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि किसी कंपनी में इक्विटी शेयर या इक्विटी उन्मुख निधि की इकाई के मामले में, जिसे उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष के बाद किसी भी समय स्थानांतरित किया जाता है जिसमें ऐसी परिसंपत्ति अर्जित की जाती है और ऐसा लेनदेन विन्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय VII के तहत प्रतिभूति लेनदेन कर के लिए प्रभावी है, यदि उप-खंड (1) को प्रभावी करने के बाद गणना की गई आय एक सकारात्मक आय है, तो इस प्रकार प्राप्त आय का सौ प्रतिशत कटौती की अनुमति दी जाएगी और यदि उप-खंड (1) को प्रभावी करने के बाद गणना की गई आय एक नकारात्मक आय है, तो इस प्रकार प्राप्त आय का सौ प्रतिशत ऐसी आय से कम कर दिया जाएगा।

उक्त खंड के उप-खंड (3) में यह प्रावधान है कि यदि कोई निवेश परिसंपत्ति, जो उप-खंड (2) में निर्दिष्ट या खंड (53) के उप-खंड (5) में निर्दिष्ट इक्विटी शेयर या इक्विटी उन्मुख निधि की इकाई नहीं है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के पश्चात किसी भी समय अंतरित की जाती है जिसमें परिसंपत्ति व्यक्तियों द्वारा अर्जित की जाती है, तो ऐसी परिसंपत्ति के अंतरण से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कटौतियां दी जाएंगी:—

- (i) परिसंपत्ति के अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत, यदि कोई हो;
- (ii) परिसंपत्ति के सुधार की अनुक्रमित लागत, यदि कोई हो;
- (iii) व्यय की राशि, यदि कोई हो, जो पूर्णतः और अनन्य रूप से परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में की गई हो; तथा
- (iv) परिसंपत्ति के रोलओवर के लिए राहत की राशि, जैसा कि खंड 55 के तहत निर्धारित किया गया है।

खंड 52 अधिग्रहण या सुधार की अनुक्रमित लागत से संबंधित है। ऐसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए खंड 51 के उप-खंड (3) में निर्दिष्ट निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत उक्त खंड के उप-खंड (1) में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार निर्धारित राशि होगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि खंड 51 के उप-खंड (3) में निर्दिष्ट निवेश परिसंपत्ति के सुधार की अनुक्रमित लागत उक्त खंड के उप-खंड (2) में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार होगी।

धारा 53 निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान है कि किसी निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगी-

(क) परिसंपत्ति का क्रय मूल्य, या

(ख) व्यक्ति के विकल्प पर, पहली तारीख को परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य

अप्रैल, 2000 के दिन से प्रभावी होगी, यदि परिसंपत्ति उस व्यक्ति द्वारा ऐसी तारीख से पूर्व अर्जित की गई हो।

उक्त के उप-खण्ड (2) में यह प्रावधान है कि सत्रहवीं अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निवेश आस्ति के अधिग्रहण की लागत, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ढंग से अर्जित की गई है, उसमें स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट लागत होगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा अधिग्रहण के किसी विशेष तरीके से अर्जित निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, उस पर होने वाली लागत होगी।

जिस तारीख से परिसंपत्ति पिछले मालिक या व्यक्ति के विकल्प पर अर्जित की गई थी, उस तारीख से पहले पिछले मालिक या व्यक्ति द्वारा परिसंपत्ति अर्जित की गई थी, तो अप्रैल, 2000 के पहले दिन परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि खंड 58 के उप-खंड (2) के मद (एच), (आई) या (जे) में निर्दिष्ट निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत उचित बाजार मूल्य या स्टॉप शुल्क मूल्य होगी, जैसा भी मामला हो, जिसे उक्त खंडों के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि खंड 314 के उपखंड (267) में निर्दिष्ट मंदी बिक्री के माध्यम से स्थानांतरित किए गए व्यवसाय के उपक्रम या प्रभाग के रूप में निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत ऐसे उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य होगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी भागीदार द्वारा अर्जित निवेश परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा बनने वाली निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, किसी अनिगमित निकाय से उसकी सेवानिवृत्ति के कारण उसे परिसंपत्ति वितरित करने पर, उसमें निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार निर्धारित राशि होगी।

इसके अतिरिक्त, निवेश परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, निम्नलिखित के संबंध में, "शून्य" होगी,—

(क) कोई निवेश परिसंपत्ति, जहां ऐसी परिसंपत्ति स्व-उत्पादन द्वारा अर्जित की गई हो;

(ख) वह परिसंपत्ति जो अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से अर्जित की गई हो और ऐसे अधिग्रहण के लिए प्रतिकर या प्रतिफल किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया हो या और बढ़ाया गया हो; या

(सी) परिसंपत्ति, जहां व्यक्ति या पिछले अधिग्रहण की लागत किसी भी कारणवश, यदि कोई हो, तो उसका स्वामी निर्धारित या सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

उक्त खंड में "पूर्व मालिक" और "निवल संपत्ति" शब्दों को भी परिभाषित किया गया है।

खंड 54 में यह प्रावधान है कि निवेश परिसंपत्ति के सुधार की लागत पूंजीगत प्रकृति का कोई व्यय होगा जो उस व्यक्ति या पिछले मालिक द्वारा परिसंपत्ति में कोई वृद्धि या परिवर्तन करने में किया गया हो, यदि परिसंपत्ति खंड 314 के उप-खंड (237) में निर्दिष्ट अधिग्रहण के किसी विशेष तरीके से अर्जित की गई हो।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि निवेश परिसंपत्ति के सुधार की लागत, उस स्थिति में जहां परिसंपत्ति 1 अप्रैल, 2000 से पूर्व व्यक्ति या पिछले स्वामी की संपत्ति बन गई हो, 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात ऐसी परिसंपत्ति में किसी वृद्धि या परिवर्तन के लिए किया गया पूंजीगत व्यय होगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी निवेश परिसंपत्ति के सुधार की लागत निम्नलिखित के संबंध में "शून्य" होगा-

(क) स्व-उत्पादन द्वारा अर्जित निवेश परिसंपत्ति; (ख) एक निवेश परिसंपत्ति जो किसी

उपक्रम या प्रभाग द्वारा हस्तांतरित की जाती है

मंदी की बिक्री; या

(ग) कोई भी निवेश परिसंपत्ति, यदि किसी कारणवश सुधार की लागत निर्धारित या सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी अन्य आय शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना में कटौती योग्य किसी भी व्यय को सुधार की लागत की गणना करते समय ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

धारा 55 निवेश परिसंपत्ति के रोलओवर के लिए राहत से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को धारा 51 के उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी मूल निवेश परिसंपत्ति के रोलओवर के संबंध में, परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ से कटौती की अनुमति दी जाएगी। ऐसी कटौती की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी-

कुल्हाड़ी (बी+सी+डी)
इ

जहाँ A = मूल निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ की राशि;

बी = मूल निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण की तारीख से एक वर्ष पहले की अवधि के भीतर उप-खंड (6) में निर्दिष्ट नई परिसंपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए निवेश की गई राशि ;

सी = उप-खण्ड (6) में निर्दिष्ट नई परिसंपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए उस वित्तीय वर्ष के अंत तक निवेश की गई राशि जिसमें मूल निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है या हस्तांतरण की तारीख से छह महीने तक, जो भी बाद में हो;

डी = उस वित्तीय वर्ष के अंत तक किसी भी बैंक में खाते में जमा की गई राशि जिसमें मूल निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया गया है या हस्तांतरण की तारीख से छह महीने तक, जो भी बाद में हो, नियम के अनुसार।

इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई पूंजीगत लाभ जमा योजना;

E = मूल के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त शुद्ध प्रतिफल निवेश परिसंपत्ति.

उक्त खंड में आगे यह प्रावधान है कि ऐसी कटौती निवेश परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ की राशि से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, पूंजीगत लाभ जमा योजना के तहत खाते से निकाली गई किसी भी राशि का उपयोग उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर किया जाएगा जिसमें राशि निकाली गई है, नई परिसंपत्ति की खरीद या निर्माण के प्रयोजनों के लिए। साथ ही, पूंजीगत लाभ जमा योजना के तहत खाते में जमा की गई राशि का उपयोग उस वित्तीय वर्ष के अंत से तीन साल के भीतर नई परिसंपत्ति की खरीद या निर्माण के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिसमें मूल परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया गया है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसी कटौती की अनुमति दी जाएगी यदि-

(क) हस्तांतरित निवेश परिसंपत्ति (मूल निवेश परिसंपत्ति) हस्तांतरण के वर्ष से ठीक पहले के दो वर्षों के दौरान कृषि भूमि थी और व्यक्ति, एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते, उस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कम से कम एक वर्ष पहले कृषि भूमि के एक या अधिक टुकड़े अर्जित करता है जिसमें परिसंपत्ति का हस्तांतरण हुआ था, इस शर्त के अधीन कि नई परिसंपत्ति को उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष के भीतर हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जिसमें नई परिसंपत्ति अर्जित की गई है;

(ख) हस्तांतरित निवेश परिसंपत्ति (मूल निवेश परिसंपत्ति) हस्तांतरण के वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कम से कम एक वर्ष पहले अर्जित की गई कोई परिसंपत्ति थी और नई निवेश परिसंपत्ति एक आवासीय घर है और व्यक्ति के पास मूल परिसंपत्ति के हस्तांतरण की तारीख को नई निवेश परिसंपत्ति के अलावा एक से अधिक आवासीय घर नहीं हैं, इस शर्त के अधीन कि नई परिसंपत्ति उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष के भीतर हस्तांतरित नहीं की जाएगी जिसमें नई परिसंपत्ति अर्जित या निर्मित की गई है;

उक्त खंड में "शुद्ध प्रतिफल" शब्द को भी परिभाषित किया गया है।

खण्ड 56 में यह प्रावधान है कि "सामान्य स्रोतों से आय" खण्ड के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक प्रकार की आय की गणना "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी, यदि उसे धारा 14 की मदों ए से डी में निर्दिष्ट आय के किसी भी शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना में शामिल करना अपेक्षित नहीं है।

खंड 57 अवशिष्ट स्रोतों से आय की गणना से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत गणना की गई आय सकल अवशिष्ट आय होगी, जिसमें खंड 59 में उल्लिखित कटौतियों की राशि घटाई जाएगी।

खंड 58 सकल अवशिष्ट आय के दायरे से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि सकल अवशिष्ट आय में आय की प्रकृति के सभी उपार्जन या प्राप्तियां शामिल होंगी, जो विशेष स्रोतों से आय का हिस्सा नहीं हैं और धारा 14 की मदों ए से डी में निर्दिष्ट किसी भी शीर्ष के तहत आय नहीं हैं। ऐसी आय के अलावा, सकल अवशिष्ट आय में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) लाभांश (ऐसे लाभांश को छोड़कर जिनके संबंध में खंड 109 के अंतर्गत लाभांश वितरण कर का भुगतान किया गया है);

(ख) ब्याज (वित्तीय संस्थाओं द्वारा अर्जित या प्राप्त ब्याज के अलावा);

(ग) मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज;

(घ) चुड़दौड़ के प्रयोजन के लिए घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से आय;

(ई) कर्मचारियों से उनके लिए स्थापित किसी भी कोष में अंशदान के रूप में प्राप्त कोई राशि उनका कल्याण, यदि "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं है;

(च) मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर से आय जो व्यक्ति के स्वामित्व में है और किराये पर दी गई है, यदि वह "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं है;

(छ) कीमती बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि (ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि सहित) यदि उसे "रोजगार से आय" या "व्यवसाय से आय" शीर्षकों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(ज) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल या बिना प्रतिफल के प्राप्त की गई अचल संपत्ति के अलावा किसी निर्दिष्ट संपत्ति के मूल्य और धनराशि का योग;

(i) किसी भी अचल संपत्ति का मूल्य बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त किया गया व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार;

(जे) वित्तीय वर्ष में व्यक्ति द्वारा किए गए किसी निवेश का मूल्य, जिस सीमा तक वह निवेश की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या स्पष्टीकरण देता है, किन्तु उसे प्रमाणित करने में असफल रहता है या उसके द्वारा दिया गया ऐसा स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषप्रद नहीं है;

(ट) व्यक्ति के स्वामित्व में किसी धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का मूल्य, जिस सीमा तक वह उसके अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या स्पष्टीकरण देता है, किन्तु उसे प्रमाणित करने में असफल रहता है या ऐसा स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषप्रद नहीं है;

(ठ) वित्तीय वर्ष में व्यक्ति द्वारा किए गए किसी व्यय की राशि, यदि वह ऐसे व्यय के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या स्पष्टीकरण देता है, किन्तु उसे प्रमाणित करने में असफल रहता है या ऐसा स्पष्टीकरण न्यायालय की राय में संतोषप्रद नहीं है।

मूल्यांकन अधिकारी;

(एम) बीसवीं अनुसूची के अनुसार किसी नियंत्रित विदेशी कंपनी की आय की कोई राशि जो किसी निवासी को देय हो;

(एन) किसी निवेश परिसंपत्ति के पूर्ण या आंशिक या किसी हित के दीर्घकालिक पट्टे या हस्तांतरण से अग्रिम, सुरक्षा जमा या अन्यथा के रूप में प्राप्त कोई राशि;

(ओ) पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त कोई राशि।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि ऊपर (एच) या (आई) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का मूल्य, किसी अचल संपत्ति के मामले में स्टाम्प शुल्क मूल्य होगा, जो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल, यदि कोई हो, से कम होगा तथा किसी अन्य संपत्ति के मामले में उचित बाजार मूल्य होगा, जो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल, यदि कोई हो, से कम होगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि उपर्युक्त (एच) में निर्दिष्ट राशि में निम्नलिखित प्राप्त राशि शामिल नहीं होगी -

(क) किसी रिश्तेदार से; (ख)

व्यक्ति के विवाह के अवसर पर; (ग) वसीयत के तहत या उत्तराधिकार के रूप

में; (घ) भुगतानकर्ता की मृत्यु के विचार में; (ङ) किसी

स्थानीय प्राधिकारी से; या (च) किसी गैर-लाभकारी संगठन से।

इसके अलावा, उक्त खंड में 'सापेक्ष' और 'निर्दिष्ट संपत्ति' को परिभाषित किया गया है।

खंड 59 सकल अवशिष्ट आय से कटौती का प्रावधान करता है। अवशिष्ट स्रोतों से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए कटौती निम्नलिखित का योग होगी - (ए) उप-खंड (2) में निर्दिष्ट व्यय की राशि, यदि व्यय (पूंजीगत व्यय के अलावा) पूरी तरह से और विशेष रूप

से सकल अवशिष्ट आय बनाने या कमाने के प्रयोजनों के लिए निर्धारित या व्यय किया जाता है और यह उसमें निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है; और

(ख) उप-खण्ड (3) में निर्दिष्ट कटौतियों की राशि, उसमें निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन।

(ग) धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट नियंत्रित विदेशी कंपनी से लाभांश के रूप में वर्ष के दौरान प्राप्त कोई राशि, जहां तक ऐसी राशि उक्त खंड के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में व्यक्ति की कुल आय में शामिल की गई है।

उक्त खंड अवशिष्ट स्रोतों से कुछ आय के संबंध में स्वीकार्य कटौती के लिए कुछ मौद्रिक सीमाएँ प्रदान करता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि व्यक्तिगत व्यय से संबंधित कोई भी राशि और इस संहिता या आयकर अधिनियम, 1961 या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत भुगतान किए गए कर, ब्याज या जुमाने की कोई भी राशि, जैसा कि इस संहिता के लागू होने से पहले था और किसी व्यक्ति को एक दिन में किए गए किसी भुगतान या भुगतानों के योग को, बैंक पर आहरित खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट के अलावा, उक्त खंड में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त खंड जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में "पूंजी बीमा राशि" शब्द को भी परिभाषित करता है।

अध्याय III का उप-अध्याय III विभिन्न के तहत गणना की गई आय के एकत्रीकरण से संबंधित है उप-अध्याय II के तहत प्रदान की गई आय के शीर्ष।

अध्याय III का उप-अध्याय III विभिन्न के तहत गणना की गई आय के एकत्रीकरण से संबंधित है उप-अध्याय II के तहत प्रदान की गई आय के शीर्ष।

खंड 60 में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक आय शीर्ष के अंतर्गत आय को किस प्रकार एकत्रित किया जाएगा, ताकि उस वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष आय शीर्ष से आय प्राप्त हो सके। इस प्रकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय के पांच शीर्षों में से प्रत्येक के अंतर्गत आय का निर्धारण इस खंड के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

उक्त खंड में पूंजीगत लाभ, सट्टा कारोबार तथा घुड़दौड़ के प्रयोजन के लिए घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से आय की गणना इस प्रकार करने का प्रावधान है कि ऐसे स्रोतों से होने वाली किसी हानि को केवल ऐसे स्रोतों से प्राप्त सकारात्मक आय के विरुद्ध सेट ऑफ किया जाएगा।

खंड 61 में एक वर्ष के लिए सामान्य स्रोतों से वर्तमान आय की गणना करने का तरीका बताया गया है। संहिता के खंड 13 में आय को "सामान्य स्रोतों से आय" और "विशेष स्रोतों से आय" के रूप में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक आय शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की चालू आय को एकत्रित करके साधारण स्रोतों से चालू आय ज्ञात की जाएगी।

इस चालू आय को सामान्य स्रोतों से पिछले वर्ष की अनवशोषित हानि के साथ जोड़ा जाना है, जिससे सामान्य स्रोतों से सकल कुल आय प्राप्त की जा सके।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि साधारण स्रोतों से प्राप्त सकल कुल आय ऋणात्मक है तो उसे शून्य माना जाएगा तथा ऋणात्मक आय का निरपेक्ष मूल्य साधारण स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि होगी।

खंड 62 विशेष स्रोतों से आय के एकत्रीकरण के लिए प्रावधान करता है। किसी वित्तीय वर्ष में विशेष स्रोत से कुल आय उस वित्तीय वर्ष के लिए विशेष स्रोत से वर्तमान आय होगी। विशेष स्रोतों से आय को संहिता की पहली अनुसूची के भाग III में सूचीबद्ध किया गया है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष में विशेष स्रोत से वर्तमान आय को विशेष स्रोत से पूर्ववर्ती वर्ष की अनवशोषित हानि के साथ संयोजित किया जाएगा, जिससे उस वित्तीय वर्ष के लिए विशेष स्रोत से सकल कुल आय प्राप्त की जा सकेगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि विशेष स्रोत से प्राप्त सकल कुल आय ऋणात्मक है तो उसे शून्य माना जाएगा तथा ऋणात्मक आय का निरपेक्ष मूल्य वित्तीय वर्ष के लिए विशेष स्रोत से अनवशोषित चालू हानि होगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक विशेष स्रोत के संबंध में विशेष स्रोत से सकल कुल आय को एकत्रित किया जाएगा और एकत्रीकरण का शुद्ध परिणाम वित्तीय वर्ष के लिए विशेष स्रोतों से कुल आय होगा।

खंड 63 में वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की कुल आय निर्धारित करने का तरीका बताया गया है। सरलता के लिए, खंड में गणितीय सूत्र के माध्यम से कुल आय के निर्धारण का प्रावधान है। खंड में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण साधारण स्रोतों से कुल आय को विशेष स्रोतों से कुल आय के साथ जोड़कर किया जाना है। हालाँकि, साधारण स्रोतों से कुल आय को विशेष स्रोतों से कुल आय के साथ जोड़ने से पहले अध्याय III के उप-अध्याय IV के तहत व्यक्ति को उपलब्ध कटौतियों की राशि से घटाया जाएगा।

खंड 64 में यह प्रावधान किया गया है कि व्यवसाय पुनर्गठन या किसी कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित करने की स्थिति में आय को किस प्रकार एकत्रित किया जाएगा।

ऐसे मामलों में, जिस वित्तीय वर्ष में व्यवसाय पुनर्गठन होता है, उस वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती के सामान्य स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि को उस वर्ष व्यवसाय में उत्तराधिकारी के सामान्य स्रोतों से अनवशोषित पिछले वर्ष की हानि के रूप में माना जाएगा और खंड 61 के प्रावधान लागू होंगे। इसी तरह, जिस वित्तीय वर्ष में व्यवसाय पुनर्गठन होता है, उस वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती के विशेष स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि को उस वर्ष व्यवसाय में उत्तराधिकारी के विशेष स्रोतों से अनवशोषित पिछले वर्ष की हानि के रूप में माना जाएगा और खंड 62 के प्रावधान लागू होंगे।

उक्त खंड के उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में उत्तराधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती के नुकसान को अपने ऊपर लेने का लाभ बाद वाले को उपलब्ध नहीं होगा, यदि यह व्यवसाय की निरंतरता के परीक्षण को पूरा नहीं करता है। व्यवसाय की निरंतरता के परीक्षण को संहिता के खंड 314 में शर्तों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे उत्तराधिकारी को परीक्षण को पूरा करने के लिए पूरा करना होगा।

उप-खण्ड (2) में आगे यह भी प्रावधान है कि उक्त लाभ व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में उत्तराधिकारी को उपलब्ध नहीं होगा यदि पूर्ववर्ती एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था या निगमित निकाय है और एकमात्र स्वामी की शेरधारिता, वित्तीय वर्ष, जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन होता है, के तुरंत बाद पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय उत्तराधिकारी कंपनी के शेरों के कुल मूल्य के पचास प्रतिशत से कम नहीं रह जाती है।

उक्त खंड के उप-खंड (3) में यह प्रावधान है कि किसी कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित करने की स्थिति में उत्तराधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती की हानि को अपने ऊपर लेने का लाभ उत्तराधिकारी को उपलब्ध नहीं होगा, यदि विधेयक के खंड 47 के उप-खंड (1) की मद (जे) में निर्दिष्ट कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है।

उक्त खंड के उप-खंड (4) में यह प्रावधान है कि उस वित्तीय वर्ष की कुल आय, जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन या रूपांतरण हुआ था, और सभी बाद के वित्तीय वर्षों को, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार संशोधित किया जाएगा जैसे कि इस खंड के प्रावधानों को उन वित्तीय वर्षों में कभी भी प्रभावी नहीं किया गया था, यदि इसमें निर्दिष्ट शर्तें उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद के पांच वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय पूरी नहीं होती हैं जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन या रूपांतरण हुआ था।

खंड 65 में यह प्रावधान है कि किसी अनिगमित निकाय के संविधान में किसी भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण परिवर्तन की स्थिति में, भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तिथि को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे मृतक या सेवानिवृत्त भागीदार की शेरधारिता के प्रतिशत के अनुपात में साधारण या विशेष स्रोतों से अनवशोषित चालू हानि को कम किया जाएगा।

उक्त खण्ड में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसी कम की गई हानि, भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तारीख के तुरंत बाद की तारीख से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए असंबद्ध निकाय की पूर्ववर्ती वर्ष की अनवशोषित हानि होगी।

धारा 66 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी निकट स्वामित्व वाली कंपनी को सामान्य या विशेष स्रोतों से पिछले वर्ष की अनवशोषित हानि को चालू वित्तीय वर्ष की आय के साथ जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह स्वामित्व की निरंतरता के परीक्षण को पूरा नहीं करती।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि निकट-स्वामित्व वाली कंपनी स्वामित्व की निरंतरता के परीक्षण को संतुष्ट करेगी यदि कंपनी के शेयर, ऐसे व्यक्तियों द्वारा लाभकारी रूप से धारित हैं, जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर कम से कम इक्यावन प्रतिशत मतदान शक्ति रखते हैं, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित हैं।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि मतदान शक्ति के प्रतिशत की गणना करते समय - (क) किसी शेयरधारक की मृत्यु के कारण

या दाता शेयरधारक के किसी रिश्तेदार को उपहार के रूप में शेयरों के हस्तांतरण के कारण प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में मतदान शक्ति में किसी भी परिवर्तन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा;

(ख) किसी विदेशी कंपनी के समामेलन या विभाजन के परिणामस्वरूप किसी भारतीय कंपनी की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन, जो किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी है, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, यदि समामेलित या विभाजन वाली विदेशी कंपनी के इक्यावन प्रतिशत शेयरधारक, समामेलित या परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं।

खंड 67 यह प्रावधान करता है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की रिटर्न नियत तिथि तक प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न घाटे का एकत्रीकरण नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, चालू वर्ष में उत्पन्न घाटे को संहिता के किसी भी उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

विधेयक के अध्याय III का उप-अध्याय IV कर प्रोत्साहन से संबंधित है। कर प्रोत्साहन वे हैं जो कर प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष के लिए उसकी कुल आय की गणना करते समय उपलब्ध कटौतियाँ।

खंड 68 में यह प्रावधान है कि इस उप-अध्याय के अंतर्गत कटौती केवल "साधारण स्रोतों से सकल कुल आय" के संबंध में उपलब्ध है और ऐसी कटौतियों की कुल राशि साधारण स्रोतों से सकल कुल आय से अधिक नहीं होगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी राशि जो किसी वित्तीय वर्ष में इस उप-अध्याय के अंतर्गत कटौती के लिए अर्ह है, उसी या किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए संहिता के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कटौती के लिए अर्ह नहीं होगी या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, भले ही उसमें निर्दिष्ट राशि की पूर्ण कटौती की अनुमति न दी गई हो।

खंड 69 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति होने के नाते, किसी वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा भुगतान की गई या जमा की गई राशि के संबंध में उसके द्वारा की गई बचत के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो कि उस व्यक्ति, उसके पति या पत्नी या ऐसे व्यक्ति के किसी बच्चे के खाते में किसी अनुमोदित निधि में उसके योगदान के रूप में होगी।

खंड 70 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है, को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर बीमा कराने या उसे लागू रखने के लिए भुगतान की गई या जमा की गई किसी भी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी। निर्दिष्ट व्यक्ति व्यक्ति, उसके पति/पत्नी और बच्चे तथा हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं।

उक्त खण्ड में आगे यह भी प्रावधान है कि इस कटौती के लिए पात्र होने के लिए बीमा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें देय वार्षिक प्रीमियम की राशि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में बीमित पूंजी राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

खंड 71 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है, को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बीमा कराने या उसे लागू रखने के लिए भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी। निर्दिष्ट व्यक्ति व्यक्ति, उसका जीवनसाथी, आश्रित बच्चे और माता-पिता तथा हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के मामले में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में किए गए किसी भी अंशदान के संबंध में अतिरिक्त कटौती की अनुमति दी जाएगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि स्वास्थ्य बीमा योजना निम्नलिखित द्वारा तैयार की जानी चाहिए:
एक बीमाकर्ता जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो।

खंड 72 किसी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है, को भारत में स्थित किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान को वित्तीय वर्ष के दौरान ट्यूशन फीस के रूप में भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में कटौती प्रदान करने का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के किन्हीं दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि शिक्षण शुल्क में किसी भी विकास शुल्क या दान या इसी तरह के किसी भी भुगतान को शामिल नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट करता है कि पूर्णकालिक शिक्षा में प्ले स्कूल या प्री-स्कूल में शिक्षा शामिल होगी।

खंड 73, खंड 70, 71 और 72 के अंतर्गत उपलब्ध कटौती की राशि पर अधिकतम सीमा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह जीवन बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और बच्चों की शिक्षा के लिए किए गए भुगतान के संबंध में उपलब्ध कटौती की राशि पर पचास हजार रुपये की सीमा निर्धारित करता है।

खंड 74 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति हो या हिन्दू अविभाजित परिवार, को गृह संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, मरम्मत या नवीकरण के प्रयोजनार्थ लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई या देय राशि के संबंध में उस वित्तीय वर्ष में, जिसमें ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण या निर्माण किया गया हो, या किसी बाद के वित्तीय वर्ष में, उसमें निर्दिष्ट कुछ शर्तों के अधीन कटौती की अनुमति दी जाएगी।

उक्त खंड का उप-खंड (2) यह प्रावधान करते हुए शर्तों को निर्दिष्ट करता है कि कटौती उपलब्ध होगी यदि -

(क) मकान की संपत्ति व्यक्ति के स्वामित्व में है और वित्तीय संकट के दौरान उसे किराये पर नहीं दिया गया है।

वर्ष;

(ख) गृह संपत्ति का अधिग्रहण या निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाता है।

जिस वित्तीय वर्ष में ऋण लिया गया था, उसके अंत से तीन वर्ष; तथा

(ग) व्यक्ति उस वित्तीय संस्था से प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है, जिसे लिए गए ऋण पर ब्याज दिया गया है या देय है।

उक्त खंड के उप-खंड (3) में यह प्रावधान है कि ब्याज, जो उस वित्तीय वर्ष से पूर्व की अवधि से संबंधित है जिसमें गृह संपत्ति अर्जित या निर्मित की गई है, उस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होकर पांच बराबर किस्तों में कटौती के रूप में दी जाएगी।

उदाहरण के लिए, यदि जिस वित्तीय वर्ष में गृह संपत्ति अर्जित या निर्मित की गई है, उससे पहले भुगतान की गई ब्याज की कुल राशि एक लाख रुपये है, तो वह व्यक्ति गृह संपत्ति अर्जित या निर्मित किए जाने के वर्ष से पांच वर्षों तक हर साल बीस हजार रुपये की कटौती के लिए पात्र होगा।

उक्त खंड के उप-खंड (4) में यह प्रावधान है कि ऐसी पूर्व अवधि के लिए ब्याज में से उस भाग को घटा दिया जाएगा, जिसे इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

उप-खण्ड (5) कटौती की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है जिसका दावा किया जा सकता है इस धारा के अंतर्गत यह सीमा एक लाख पचास हजार रुपए निर्धारित की गई है।

खंड 75 में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति होने के नाते, स्वयं या अपने रिश्तेदारों की उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज की किसी भी राशि में कटौती की अनुमति दी जाएगी।

उक्त खंड के उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि कटौती ब्याज की अदायगी के प्रारंभिक वर्ष से आरंभ होकर आठ वर्षों के लिए अथवा ब्याज की पूरी अदायगी तक, जो भी पहले हो, अनुमत की जाएगी।

उक्त खंड का उप-खंड (3) खंड में प्रयुक्त कुछ अभिव्यक्तियों जैसे, "वित्तीय संस्थान", "उच्च शिक्षा", आदि की परिभाषा प्रदान करता है। यह स्पष्ट करता है कि रिश्तेदार शब्द का अर्थ व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चे और एक छात्र भी है, जिसके लिए व्यक्ति कानूनी अभिभावक है।

खंड 76 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को, जो निवासी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की निर्धारित बीमारी या व्याधि के चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी।

उक्त खंड के उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि यदि भुगतान वरिष्ठ नागरिक के लिए किया जाता है तो उपलब्ध कटौती अधिकतम साठ हजार रुपये होगी तथा यदि भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो कटौती अधिकतम चालीस हजार रुपये होगी।

उक्त खंड के उप-खंड (3) में यह प्रावधान है कि अनुमेय कटौती को निर्दिष्ट व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के लिए बीमाकर्ता से बीमा के तहत प्राप्त राशि, यदि कोई हो, या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि से कम किया जाएगा।

उक्त खंड के उप-खंड (4) में यह प्रावधान है कि कटौती तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि व्यक्ति किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी निर्धारित विशेषज्ञ से प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता।

उक्त खंड का उप-खंड (5) "निर्दिष्ट व्यक्ति" और "सरकारी अस्पताल" शब्दों को परिभाषित करता है।

धारा 77 में एक व्यक्ति को, जो निवासी है और विकलांग है, कुछ शर्तों के अधीन कटौती प्रदान करने का प्रावधान है। कटौती की अनुमति तभी दी जाएगी जब व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और यह प्रमाण पत्र संबंधित वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान वैध रहता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कटौती की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-

(क) एक लाख रुपए, यदि वह गंभीर रूप से दिव्यांग है; और (ख) पचास हजार रुपए, यदि वह दिव्यांग है।

खंड 78 किसी व्यक्ति को, जो निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है, निम्नलिखित के संबंध में कटौती प्रदान करने का प्रावधान करता है -

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान चिकित्सा उपचार पर किया गया कोई व्यय, विकलांग आश्रित व्यक्ति की देखभाल या प्रशिक्षण एवं पुनर्वास; या

(ख) किसी आश्रित दिव्यांग व्यक्ति के भरण-पोषण के लिए किसी बीमाकर्ता द्वारा तैयार की गई तथा इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई या जमा की गई कोई राशि।

उक्त खंड के उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि यदि आश्रित व्यक्ति गंभीर विकलांगता वाला व्यक्ति है तो उपलब्ध कटौती एक लाख रुपए होगी तथा यदि वह विकलांगता वाला व्यक्ति है तो पचास हजार रुपए होगी।

उक्त खंड के उप-खंड (3) में यह प्रावधान है कि उप-खंड (1) में निर्दिष्ट बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान के संबंध में कटौती केवल तभी दी जाएगी, जब उसमें निर्दिष्ट योजना में विकलांग व्यक्ति के आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान हो, जो ऐसी योजना में सदस्यता लेने वाले व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में हो।

उक्त खंड के उप-खंड (4) में यह प्रावधान है कि इस खंड के अंतर्गत कटौती केवल तभी दी जाएगी जब कटौती का दावा करने वाला व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले और यह प्रमाण पत्र संबंधित वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान वैध रहे।

उक्त खंड के उप-खंड (5) में यह प्रावधान है कि यदि आश्रित दिव्यांग व्यक्ति की मृत्यु उस व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य से पहले हो जाती है, जिसने उप-खंड (1) में निर्दिष्ट बीमा योजना में सदस्यता ली है, तो ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा प्राप्त कोई भी राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए उसकी आय मानी जाएगी जिसमें वह राशि प्राप्त की गई है।

उक्त खंड का उप-खंड (6) "आश्रित" शब्द को परिभाषित करता है।

खंड 79 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को निम्नलिखित की कटौती की अनुमति दी जाएगी—

(क) उसके द्वारा वित्तीय वर्ष में सोलहवीं अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अंशदान या दान के रूप में दी गई धनराशि का एक सौ पचहत्तर प्रतिशत;

(ख) उसके द्वारा वित्तीय वर्ष में सोलहवीं अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अंशदान या दान के रूप में दी गई धनराशि का एक सौ पच्चीस प्रतिशत;

(ग) वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा भुगतान की गई धनराशि का सौ प्रतिशत सोलहवीं अनुसूची के भाग-III में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को दान के रूप में प्रति वर्ष;

(घ) वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि का पचास प्रतिशत सोलहवीं अनुसूची के भाग-IV में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को दान के रूप में प्रति वर्ष दिया जा सकेगा।

विधेयक की सोलहवीं अनुसूची के भाग I, II, III और IV में उन संगठनों/संस्थाओं/निधियों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें इस खंड के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र होने हेतु अंशदान या दान दिया जाना है।

उक्त खंड के उपखंड (2) में यह प्रावधान है कि सोलहवीं अनुसूची के भाग IV में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को भुगतान की गई धनराशि का योग साधारण स्रोतों से सकल कुल आय के दस प्रतिशत तक सीमित होगा, यदि योग साधारण स्रोतों से ऐसी सकल कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक हो।

उक्त खंड के उप-खंड (3) में यह प्रावधान है कि इस खंड के अंतर्गत कटौती उप-खंड (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में नहीं दी जाएगी, यदि उस राशि का उपयोग ऐसे व्यक्ति (दान प्राप्तकर्ता) द्वारा किसी धार्मिक गतिविधि के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अलावा किसी विशेष जाति के लाभ के लिए किया जाता है।

उक्त खंड के उप-खंड (4) में यह प्रावधान है कि सोलहवीं अनुसूची के भाग IV में विनिर्दिष्ट किसी संगठन/संस्था/निधि को दिया गया दान उप-खंड (1) के अंतर्गत कटौती के लिए तभी पात्र होगा, जब ऐसा संगठन/संस्था/निधि विहित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर ले।

उक्त खंड के उप-खंड (5) में प्रावधान है कि दानकर्ता को कटौती से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि दान के बाद दानकर्ता गैर-लाभकारी संगठन नहीं रह गया है। इस प्रकार, यह प्रावधान उस स्थिति में दानकर्ता की रक्षा करता है, जब दानकर्ता किसी भी कारण से गैर-लाभकारी संगठन होने का अपना दर्जा खो सकता है।

खंड 80 यह प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है और किसी भी मकान किराया भत्ते की प्राप्ति नहीं करता है, उसे साधारण स्रोतों से अपनी सकल कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक के किसी भी व्यय में कटौती की अनुमति दी जाएगी।

अपने निवास के लिए उसके द्वारा अधिगृहित किसी सुसज्जित या असज्जित आवास के संबंध में किराया।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कटौती अधिकतम दो हजार रुपये प्रति माह तक दी जाएगी तथा यह ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगी, जो उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकती हैं, जिसमें आवास स्थित है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि इस खंड के अंतर्गत कटौती किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगी यदि कोई आवासीय सुविधा उसके या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे के स्वामित्व में उसी स्थान पर है जहां वह सामान्यतः निवास करता है या अपने कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों का पालन करता है या अपना व्यवसाय करता है।

खंड 81 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी किसी वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिया गया कोई भी योगदान।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कटौती, किसी कंपनी के मामले में, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 349 और 350 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शुद्ध लाभ के औसत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और किसी अन्य मामले में, साधारण स्रोतों से सकल कुल आय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

यह खंड "योगदान" शब्द को भी परिभाषित करता है।

खंड 82 में यह प्रावधान किया गया है कि निवेशक संरक्षण निधि होने के नाते किसी व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त कम्पोजिटी एक्सचेंज तथा उसके सदस्यों से प्राप्त अंशदान की राशि में कटौती की अनुमति दी जाएगी, यदि ऐसी राशि साधारण स्रोतों से प्राप्त सकल कुल आय में शामिल है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि निवेशक संरक्षण निधि की स्थापना मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या मान्यता प्राप्त कम्पोजिटी एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग की जाती है और ऐसी निवेशक संरक्षण निधि को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, तो कटौती की अनुमति दी जाएगी।

खंड 83 में किसी निवासी व्यक्ति, जो लेखक है, को उसके द्वारा लिखित पुस्तक के कॉपीराइट में उसके किसी हित के असाइनमेंट या अनुदान के लिए एकमुश्त प्रतिफल के रूप में अर्जित आय या उक्त पुस्तक के संबंध में रॉयल्टी या कॉपीराइट शुल्क के रूप में तीन लाख रुपये तक की कटौती प्रदान करने का प्रावधान है, यदि ऐसी आय सामान्य स्रोतों से उसकी सकल कुल आय में शामिल है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि पुस्तक साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की होनी चाहिए।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि ब्रोशर, टिप्पणियां, डायरियां, गाइड, जर्नल, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पैम्फलेट और ट्रैक्ट आदि इस खंड के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे।

खंड 84 किसी निवासी व्यक्ति को, जो पेटेंटधारक है, पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात पंजीकृत पेटेंट के संबंध में रॉयल्टी के रूप में उसके द्वारा अर्जित आय के संबंध में कटौती प्रदान करने का प्रावधान करता है, यदि ऐसी आय उसकी साधारण स्रोतों से सकल कुल आय में सम्मिलित की जाती है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि इस खंड के तहत कटौती, पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत नियंत्रक द्वारा तय लाइसेंस की शर्तों और नियमों के तहत स्वीकार्य रॉयल्टी की राशि के बराबर होगी, यदि उस अधिनियम के तहत किसी पेटेंट के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया जाता है या तीन लाख रुपये, जो भी कम हो।

उक्त खंड में "पेटेंट", "पेटेंटधारक", "रॉयल्टी" आदि शब्दों को भी परिभाषित किया गया है।

खंड 85 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक सहकारी समिति अपने सदस्यों को बैंकिंग या ऋण सुविधा प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त आय की सम्पूर्ण राशि की कटौती के लिए पात्र होगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि प्राथमिक सहकारी समिति का तात्पर्य बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग V के अर्थ में एक "प्राथमिक कृषि ऋण समिति" या एक "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से है, जिसका परिचालन क्षेत्र एक तालुका तक सीमित है और जो मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने में लगा हुआ है।

खंड 86 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक सहकारी समिति कृषि या कृषि से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त अपनी आय की संपूर्ण राशि की कटौती के लिए पात्र होगी।
वह किसी अन्य गतिविधि से प्राप्त आय के संबंध में अधिकतम एक लाख रुपये की कटौती के लिए भी पात्र होगा।

उक्त खंड में आगे "कृषि-संबंधी गतिविधियों" और "प्राथमिक सहकारी समिति" शब्दों का अर्थ भी दिया गया है।

खंड 87 में लेखाओं के रखरखाव की प्रणाली और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

तदनुसार, उक्त खंड में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी खाता बहियाँ और अन्य दस्तावेज रखने और बनाए रखने होंगे जो मूल्यांकन अधिकारी को इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने में सक्षम बनाए। कोई भी व्यक्ति जो कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, लेखा, तकनीकी परामर्श, आंतरिक सज्जा या कोई अन्य अधिसूचित पेशा या व्यवसाय करता है, उसे ऐसी खाता बहियाँ रखनी और बनाए रखनी चाहिए, यदि -

(i) व्यवसाय से उसकी आय दो लाख रुपए से अधिक है; (ii) व्यवसाय में उसकी कुल

आवर्त या सकल प्राप्तियाँ, जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में दस लाख रुपए से अधिक है; या

(iii) किसी वित्तीय वर्ष में नव स्थापित कारोबार की दशा में उसकी आय या कुल टर्नओवर, जैसा भी मामला हो, ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः दो लाख रुपए या दस लाख रुपए से अधिक होने की संभावना है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किया है, उसे ऐसे लेनदेन के संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखने होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि बोर्ड खंड में उल्लिखित लेखा पुस्तकों के अलावा अन्य लेखा पुस्तकें निर्धारित कर सकता है तथा वह अवधि भी निर्धारित कर सकता है जिसके लिए इस खंड के अंतर्गत रखी जाने वाली लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे।

खंड 88 में खातों की लेखापरीक्षा के लिए विधि, तरीके और तंत्र का प्रावधान किया गया है।
और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की रिपोर्टिंग।

तदनुसार, उक्त खंड में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे खंड 87 के अंतर्गत लेखा पुस्तकों को रखने और बनाए रखने की आवश्यकता है, को वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट करवाना होगा, यदि व्यवसाय से सकल प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष में पच्चीस लाख रुपये से अधिक हैं या व्यवसाय का कुल कारोबार या सकल प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक हैं। खातों का ऑडिट एक लेखाकार द्वारा किया जाएगा और ऑडिट की रिपोर्ट व्यक्ति को निर्धारित तिथि से पहले निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करनी चाहिए, जो ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित हो और जिसमें निर्धारित किए जा सकने वाले विवरण दिए गए हों।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जिसने किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कोई अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन किया है, ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो निर्धारित प्रपत्र में लेखाकार से प्राप्त होगी तथा लेखाकार द्वारा निर्धारित तरीके से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी।

धारा 89 लेखांकन पद्धति से संबंधित है।

उक्त खंड के उप-खंड (1) में यह प्रावधान है कि "व्यवसाय से आय" या "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत प्रभाष्य आय, अन्यथा को छोड़कर,

खंड में दिए गए प्रावधान के अनुसार, व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली नकदी या व्यापारिक लेखांकन प्रणाली के अनुसार गणना की जाएगी।

उक्त खंड के उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर किसी वर्ग के व्यक्तियों या किसी वर्ग की आय के संबंध में अनुपालन किए जाने वाले लेखांकन मानकों को अधिसूचित कर सकेगी।

उक्त खंड के उप-खंड (3) में यह प्रावधान है कि "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए माल और इन्वेंट्री की खरीद का मूल्यांकन व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन पद्धति के अनुसार किया जाएगा और इसमें उस व्यक्ति द्वारा माल को उसके मूल्यांकन की तिथि पर उसके स्थान और स्थिति में लाने के लिए वास्तव में भुगतान किए गए या व्यय किए गए किसी भी कर, शुल्क, उपकर या फीस की राशि को शामिल करने के लिए समायोजित किया जाएगा।

उक्त खंड के उप-खंड (4) में यह प्रावधान है कि "व्यवसाय से आय" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए माल की बिक्री का मूल्य, व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली लेखा पद्धति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा माल की बिक्री पर लगाए जाने वाले किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस की राशि को इसमें शामिल करने के लिए समायोजित किया जाएगा।

उक्त खंड के उप-खंड (5) में यह प्रावधान है कि किसी वित्तीय संस्था के अशोध्य या संदिग्ध ऋणों पर ब्याज को उस वित्तीय वर्ष की कुल आय में शामिल किया जाएगा जिसमें ब्याज लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है या वास्तव में प्राप्त होता है, जो भी पहले हो।

उक्त खंड के उप-खंड (6) में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा मुआवजे या बढ़ाए गए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज को उस वित्तीय वर्ष की कुल आय में शामिल किया जाएगा जिसमें वह प्राप्त हुआ है।

उक्त खंड का उप-खंड (7) "खराब या संदिग्ध ऋण" शब्द को परिभाषित करता है।

अध्याय IV गैर-लाभकारी संगठनों की कुल आय की गणना से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है।

खंड 90 में प्रावधान है कि अध्याय-IV सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक महत्व के किसी संगठन के अलावा किसी गैर-लाभकारी संगठन पर लागू होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, किसी व्यक्ति को सातवीं अनुसूची के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक महत्व के गैर-लाभकारी संगठन के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

इस प्रयोजन के लिए, खंड 314 में गैर-लाभकारी संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: संगठन, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसमें ट्रस्ट भी शामिल है, यदि—

- (i) यह किसी विशेष जाति या धार्मिक समुदाय के लाभ के लिए स्थापित नहीं है;
- (ii) यह किसी विशेष जाति या धार्मिक समुदाय के सदस्यों के लिए कोई लाभ प्रदान नहीं करता है;
- (iii) यह आम जनता के लाभ के लिए या के लाभ के लिए स्थापित किया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं या बच्चे;
- (iv) इसकी स्थापना धर्मार्थ कार्यकलापों को चलाने के लिए की गई है;
- (v) यह अपने किसी सदस्य के लाभ के लिए स्थापित नहीं है;
- (vi) यह वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में धर्मार्थ गतिविधियां चलाता है;
- (vii) इसकी गतिविधियों के वास्तविक लाभार्थी आम जनता, अनुसूचित जनजातियां, आदि हैं। जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएं या बच्चे; और
- (viii) यह खंड 98 के अंतर्गत पंजीकृत है।

खंड 91 में प्रावधान है कि किसी गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय की गणना अध्याय IV के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

खंड 92 में गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय की गणना का प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि धारा 8 के प्रावधानों के अधीन, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी धर्मार्थ गतिविधि के संबंध में किसी भी गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय सकल प्राप्तियों में से व्यय की राशि घटाकर होगी, जिसकी गणना लेखांकन की नकद प्रणाली के अनुसार की जाएगी। उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जहां गैर-लाभकारी संगठन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी है, ऐसी कुल आय की गणना लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के अनुसार की जाएगी।

खंड 93 में यह प्रावधान है कि किसी गैर-लाभकारी संगठन की किसी धर्मार्थ गतिविधि से सकल प्राप्तियां निम्नलिखित का योग होंगी, अर्थात्:—

(क) प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान की राशि;

(ख) उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति के संबंध में प्राप्त कोई किराया, जिसमें उससे अनुलग्न कोई भवन या भूमि शामिल हो;

(ग) उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी कारोबार से प्राप्त आय की रकम, यदि कारोबार इस प्रकार चलाए जा रहे किसी धर्मार्थ कार्यकलाप से संबद्ध है;

(घ) धारा 46 से 54 (दोनों सम्मिलित) के प्रावधानों के अनुसार संगणित किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से आय, जहां परिसंपत्ति का उपयोग किसी धर्मार्थ गतिविधि या ऐसी धर्मार्थ गतिविधि से संबंधित किसी व्यवसाय के लिए नहीं किया जाता है; (ङ) किसी व्यवसाय के हस्तांतरण से प्राप्त प्रतिफल का पूर्ण मूल्य

पूंजीगत परिसंपत्ति, खंड (घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्ति के अलावा ;

(च) अपने धन या परिसंपत्तियों के निवेश से प्राप्त आय की राशि; और

(छ) किसी भी आवक, वसूली, आय या प्राप्त सदस्यता की राशि किसी भी स्रोत से.

(ज) कोई राशि, जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में प्राप्त हुई थी और खंड 94 की उप-मद (ई) में निर्दिष्ट निर्दिष्ट जमा खाते में जमा की गई थी। '

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसी सकल प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष के दौरान लिया गया कोई ऋण तथा इस विशिष्ट निर्देश के साथ प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान शामिल नहीं होंगे कि वे गैर-लाभकारी संगठन के कोष का हिस्सा बनेंगे।

खंड 94 में यह प्रावधान है कि कुल आय की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी गैर-लाभकारी संगठन के वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की राशि निम्नलिखित का योग होगी - (ए) किसी भी व्यय के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से किए गए भुगतान की गई राशि

खंड 92 में निर्दिष्ट कोई प्राप्ति अर्जित करना या प्राप्त करना;

(ख) पूंजीगत व्यय के अलावा किसी अन्य व्यय के लिए भुगतान की गई राशि किसी भी धर्मार्थ गतिविधि को करने के प्रयोजन के लिए;

(ग) किसी कारोबार के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजीगत व्यय के लिए भुगतान की गई राशि, यदि कारोबार गैर-लाभकारी संगठन द्वारा किए जा रहे किसी धर्मार्थ कार्यकलाप से संबद्ध है; (घ) भारत के बाहर लागू की गई कोई राशि, यदि वह राशि किसी ऐसे कार्यकलाप के

लिए लागू की गई है जो अंतरराष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देता है जिसमें भारत की रुचि है और गैर-लाभकारी संगठन को इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(ई) कोई राशि जो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान प्राप्त की गई है और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को या उससे पहले ऐसी जमा खाता योजना के तहत निर्दिष्ट जमा खाते में जमा की गई है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; और

(च) किसी धर्मार्थ कार्यकलाप को चलाने के लिए संचित या अलग रखी गई कोई राशि - (i) कुल आय के पंद्रह प्रतिशत

तक (इस खंड के प्रावधानों को प्रभावी करने से पहले) या सकल प्राप्तियों के दस प्रतिशत तक, जो भी कम हो; और

(ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए खंड 95 में निर्दिष्ट तरीकों से निवेश या जमा किया गया हो।

खंड 95 में खंड 94 के उप-खंड (एफ) में निर्दिष्ट धन को निवेश करने या जमा करने के तरीकों का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि गैर-लाभकारी संगठन के धन या परिसंपत्तियों (1 जून, 1973 को इसके कोष का हिस्सा बनने वाली किसी भी परिसंपत्ति के अलावा) को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, किसी भी उक्त तरीके से निवेश या रखा जा सकेगा।

खंड 96 में यह प्रावधान है कि खंड 94 के उप-खंड (एफ) में निर्दिष्ट कोई भी राशि गैर-लाभकारी संगठन की आय मानी जाएगी, यदि राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे उसमें निर्दिष्ट अवधि के दौरान संचित या अलग रखा गया था या राशि खंड 95 में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से निवेशित या जमा रहना बंद कर देती है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, राशि को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष की आय माना जाएगा यदि राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे संचित या अलग रखा गया था, या जिसमें राशि किसी भी निर्दिष्ट तरीके से निवेशित या जमा नहीं रह जाती है।

धारा 97 किसी इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए निधियों या परिसंपत्तियों के उपयोग या उपयोग से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि गैर-लाभकारी संगठन की निधियों या परिसंपत्तियों का उपयोग या उपयोग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। उक्त धारा आगे यह भी प्रावधान करती है कि गैर-लाभकारी संगठन की निधियों या परिसंपत्तियों का उपयोग या उपयोग किसी इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया माना जाएगा, यदि -

(क) इसके धन या परिसंपत्तियां किसी भी इच्छुक व्यक्ति को किसी भी अवधि के लिए उधार दी जाती हैं वित्तीय वर्ष में पर्याप्त सुरक्षा या पर्याप्त ब्याज या दोनों के बिना;

(ख) इसकी भूमि, भवन या अन्य परिसंपत्ति किसी भी इच्छुक व्यक्ति के उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए पर्याप्त किराया या अन्य मुआवजा लिए बिना उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) किसी भी इच्छुक व्यक्ति को गैर-लाभकारी संगठन को प्रदान की गई सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वेतन, भत्ता या अन्यथा के रूप में कोई राशि का भुगतान किया जाता है और इस प्रकार भुगतान की गई राशि ऐसी सेवाओं के लिए उचित रूप से भुगतान की जा सकने वाली राशि से अधिक है;

(घ) गैर-लाभकारी संगठन की सेवाएं किसी भी इच्छुक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त पारिश्रमिक या अन्य मुआवजे के बिना उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ई) किसी गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से किसी भी इच्छुक व्यक्ति से वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति को पर्याप्त से अधिक प्रतिफल के लिए खरीदा जाता है;

(च) किसी गैर-लाभकारी संगठन द्वारा या उसकी ओर से किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान, अपर्याप्त से कम प्रतिफल पर कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति बेची जाती है;

(छ) गैर-लाभकारी संगठन की किसी निधि या परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी इच्छुक व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित किया जाता है, यदि निधि और परिसंपत्तियों का कुल मूल्य एक हजार रुपये से अधिक है;

(ज) गैर-लाभकारी संगठन की कोई निधि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए किसी ऐसे प्रतिष्ठान में निवेशित है या निवेशित रहती है जिसमें किसी हितबद्ध व्यक्ति का पर्याप्त हित है और ऐसा निवेश उस प्रतिष्ठान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है।

शब्द "हितबद्ध व्यक्ति" को खंड 103 में परिभाषित किया गया है।

धारा 98 गैर-लाभकारी संगठन के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रदान करती है। कोई भी गैर-लाभकारी संगठन जिसे आय कर अधिनियम के तहत अनुमोदन या पंजीकरण दिया गया है।

कर अधिनियम, 1961 के अनुसार, जैसा कि इस संहिता के लागू होने से ठीक पहले था, यदि वह निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो उसे संहिता के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई अन्य गैर-लाभकारी संगठन आयुक्त को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से अपने पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर आयुक्त ऐसे दस्तावेज या सूचना मांगेगा, जो वह अपने उद्देश्यों और गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकता है, जैसी आवश्यकता हो। इसके बाद आयुक्त, ऐसे आवेदन प्राप्त होने के महीने के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर, यदि वह इसके उद्देश्यों और इसकी गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट है, तो गैर-लाभकारी संगठन को पंजीकृत करने का लिखित आदेश पारित करेगा या यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो संगठन को सुनवाई का अवसर देने के बाद इसे पंजीकृत करने से इंकार कर देगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि इस प्रकार प्रदान किया गया पंजीकरण उस वित्तीय वर्ष से वैध होगा जिसमें उक्त आवेदन किया गया था। हालांकि, जहां आयुक्त को यह विश्वास हो जाता है कि गैर-लाभकारी संगठन की गतिविधियां वास्तविक नहीं हैं या उसके उद्देश्यों के अनुसार नहीं की जा रही हैं या किसी अन्य कानून के अनुसार नहीं की जा रही हैं जो उस पर लागू है या जिसके तहत वह पंजीकृत या अनुमोदित है, तो वह संगठन को सुनवाई का अवसर देने के बाद पंजीकरण रद्द करने या अनुमोदन वापस लेने का लिखित आदेश पारित करेगा।

खंड 99 में प्रावधान है कि गैर-लाभकारी संगठन निर्धारित लेखा पुस्तकों को रखेगा और उनका रखरखाव करेगा। यह धर्मार्थ गतिविधि से संबंधित व्यवसाय के संबंध में अलग-अलग लेखा पुस्तकें भी बनाए रखेगा। उक्त खंड में आगे प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में गैर-लाभकारी संगठन की खंड 93 में निर्दिष्ट सकल प्राप्तियां पांच लाख रुपये से अधिक हैं, तो उसे कर आधारों की रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से पहले निर्धारित प्रपत्र में एक लेखाकार से ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

धारा 100 गैर-लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त गुमनाम दान से संबंधित है। उक्त खंड में "अनाम दान" को किसी भी स्वैच्छिक योगदान के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां ऐसा योगदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसे योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम और पता तथा अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, दर्शाने वाला पहचान रिकॉर्ड नहीं रखता है। उक्त खंड में प्रावधान है कि जहां किसी गैर-लाभकारी संगठन की कुल आय में कोई अनाम दान शामिल है, वहां देय आयकर निम्नलिखित का योग होगा -

(क) उसे प्राप्त कुल दान के पांच प्रतिशत से अधिक या एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त गुमनाम दान की कुल राशि पर तीस प्रतिशत की दर से गणना की गई आयकर की राशि, जो भी अधिक हो, और

(ख) आयकर की वह राशि जो संगठन को अपनी शेष आय पर चुकानी होगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि उपरोक्त प्रावधान तब भी लागू होंगे जब गुमनाम दान इस विशिष्ट निर्देश के साथ दिया गया हो कि यह गैर-लाभकारी संगठन के कोष का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा, प्राप्त किसी भी गुमनाम दान के संबंध में कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

धारा 101 एक गैर-लाभकारी संगठन के रूपांतरण के परिणामों से संबंधित है। इस खंड में यह प्रावधान है कि कोई गैर-लाभकारी संगठन अपनी निवल संपत्ति के संबंध में तीस प्रतिशत की दर से आयकर के लिए उत्तरदायी होगा, यदि-

(क) यह किसी ऐसे संगठन में परिवर्तित हो जाता है जो गैर-लाभकारी संगठन के रूप में योग्य नहीं है;

(ख) यह किसी ऐसे संगठन के साथ विलय करता है जो गैर-लाभ संगठन;

(ग) वह संगठन विघटन होने के महीने के अंत से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी समस्त परिसंपत्तियों को किसी अन्य गैर-लाभकारी संगठन को हस्तांतरित करने में विफल रहता है।

गैर-लाभकारी संगठन की शुद्ध संपत्ति की गणना उपरोक्त (ए) या (बी) के अंतर्गत आने वाले मामले में रूपांतरण या विलय की तिथि और उपरोक्त (सी) के अंतर्गत आने वाले मामले में विघटन की तिथि के अनुसार की जाएगी। उक्त खंड में "शुद्ध संपत्ति" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसका अर्थ है इसकी कुल परिसंपत्तियों का कुल मूल्य, जिसे निर्धारित मूल्यांकन के नियमों के अनुसार इसकी देनदारियों से घटाया जाता है।

खंड 102 में प्रावधान है कि अध्याय IV के प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो-

(क) किसी व्यवसाय को ट्रस्ट के अधीन रखता है, भले ही कोई विशिष्ट निर्देश हो कि व्यवसाय ऐसे व्यक्ति की निधि का भाग होगा या व्यवसाय से प्राप्त आय का उपयोग केवल धर्मार्थ कार्यकलापों के लिए किया जाएगा;

(ख) खंड 96 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल रहता है; (ग) खंड 97 के तहत दिए

गए पंजीकरण पर ध्यान दिए बिना, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय एक गैर-लाभकारी संगठन नहीं रह जाता है; या

(घ) कोई ऐसा व्यवसाय करना जो धर्मार्थ कार्यकलाप से संबंधित न हो।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि गैर-लाभकारी संगठन जो खंड 101 के उप-खंड (1) में निर्दिष्ट रूपांतरण, विलय या विघटन के कारण गैर-लाभकारी संगठन नहीं रह जाता है, उस खंड के अनुसार अपनी निवल संपत्ति के संबंध में आयकर के लिए उत्तरदायी होगा। उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि उपरोक्त (ए), (बी), (सी) या (डी) के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना संहिता के अन्य प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

खंड 103 अध्याय-IV में प्रयुक्त कुछ शब्दों का अर्थ प्रदान करता है। यह परिभाषित करता है "धर्मार्थ गतिविधि" से भारत में की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियां अभिप्रेत हैं, अर्थात्:—

(i) गरीबों को राहत;

(ii) शिक्षा का उन्नयन;

(iii) चिकित्सा सहायता;

(iv) जलग्रहण क्षेत्रों, वनों और वन्य जीवन सहित पर्यावरण का संरक्षण; (v) कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण;

या

(vi) सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की उन्नति, जिसमें व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति में कोई गतिविधि या उसके संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल नहीं है, किसी उपकर, शुल्क या किसी अन्य विचार के लिए (उपयोग की प्रकृति, आवेदन या ऐसी गतिविधि से आय के प्रतिधारण पर ध्यान दिए बिना) और जहां वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि से सकल प्राप्तियां दस लाख रुपये से अधिक हैं।

उक्त खंड में "धर्मार्थ गतिविधि से संबंधित व्यवसाय" और "सामान्य जनता" वाक्यांशों को भी परिभाषित किया गया है।

धारा 104 में निम्नलिखित के मामले में बही लाभ की गणना की विधि प्रदान करने का प्रावधान है: ऐसे बही लाभ पर देय कर की गणना के प्रयोजनों के लिए कंपनी।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए देय सामान्य आयकर, बही लाभ पर कर से कम है, तो बही लाभ को ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की कुल आय माना जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ ए में निर्दिष्ट दर से आयकर के लिए उत्तरदायी होगी। यह अनिवार्य रूप से न्यूनतम वैकल्पिक कर की अवधारणा है। इस उप-खंड में प्रयुक्त शब्द "सामान्य आयकर" और "बही लाभ पर कर" को उक्त खंड के उप-खंड (6) में परिभाषित किया गया है। द्वितीय अनुसूची का पैराग्राफ ए ऐसी मानी गई कुल आय पर बीस प्रतिशत की कर दर का प्रावधान करता है।

यह खंड आगे बही लाभ की गणना के लिए एक सूत्र प्रदान करता है। सूत्र का प्रारंभिक बिंदु कंपनी का शुद्ध लाभ है, जिसकी गणना कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II और III के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। उप-खंड बही लाभ निर्धारित करने के लिए शुद्ध लाभ में किए जाने वाले विभिन्न समायोजनों का प्रावधान करता है। समायोजनों का शुद्ध लाभ बढ़ाने और घटाने दोनों तरह का प्रभाव होता है। यदि समायोजनों का शुद्ध सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो बही लाभ शुद्ध लाभ से अधिक होगा और इसके विपरीत।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी, जिस पर यह खंड लागू होता है, एक लेखाकार से निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि बही लाभ की गणना इस खंड के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

धारा 105, बही लाभ की गणना के लिए लाभ और हानि खाता तैयार करने से संबंधित है।

उक्त खंड में उस तरीके का प्रावधान है जिससे कंपनी को खंड 104 के अंतर्गत अपने बही लाभ की गणना के प्रयोजनार्थ अपना लाभ और हानि खाता तैयार करना है।

तदनुसार, खंड में यह प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और हानि खाता कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II और III के प्रावधानों के अनुसार होगा। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, लेखांकन नीतियां, ऐसे खातों (लाभ और हानि खाते सहित) को तैयार करने के लिए अपनाए गए लेखांकन मानक और मूल्यहास की गणना के लिए अपनाई गई विधि और दरें वही होंगी जो कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के प्रावधानों के अनुसार अपनी वार्षिक आम बैठक में ऐसे खातों को तैयार करने और रखने के उद्देश्य से अपनाई गई हैं।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक वित्तीय वर्ष अपनाया है या अपनाती है, जो इस संहिता के तहत वित्तीय वर्ष से भिन्न है, तो लेखांकन नीतियां, ऐसे खातों को तैयार करने के लिए अपनाए गए लेखांकन मानक (लाभ और हानि खाते सहित) और मूल्यहास की गणना के लिए अपनाई गई विधि और दरें, लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों और मूल्यहास की गणना के लिए अपनाई गई विधि और दरों के अनुरूप होंगी, जो ऐसे वित्तीय वर्ष या ऐसे वित्तीय वर्ष के भाग के लिए ऐसे खातों को तैयार करने के लिए अपनाई गई हैं जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के भीतर आते हैं।

खंड 106 में यह प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए कर क्रेडिट की गणना किस प्रकार की जाएगी तथा उसे किस प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा, तथा किस प्रकार आगामी वर्षों में कर क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।

उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि इस खंड के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले वित्तीय वर्ष का कर क्रेडिट सामान्य आयकर पर बही लाभ पर कर की अधिकता होगी। दूसरे शब्दों में, कर क्रेडिट केवल उस वर्ष में उत्पन्न होगा जब कंपनी अपने बही लाभ पर आयकर का भुगतान करती है। इसके अलावा, ऐसे कर क्रेडिट की राशि उस राशि के बराबर होगी जिससे बही लाभ पर आयकर संहिता के भाग ए के प्रावधानों (इस अध्याय के प्रावधानों के अलावा) के अनुसार गणना की गई आय पर आयकर से अधिक है।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि स्वीकृत कर क्रेडिट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस धारा के तहत।

इस खंड में आगे यह प्रावधान है कि कर क्रेडिट उस वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा जिसमें सामान्य आयकर बही लाभ पर कर से अधिक है और क्रेडिट बही लाभ पर कर से सामान्य आयकर की अधिकता की सीमा तक दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, क्रेडिट केवल उस आयकर की राशि के संबंध में दिया जाएगा जो बही लाभ पर देय आयकर की राशि से अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि देय सामान्य आयकर एक लाख रुपये है और बही लाभ पर देय आयकर साठ हजार रुपये है, तो कर क्रेडिट केवल चालीस हजार रुपये की सीमा तक दिया जाएगा। साठ हजार रुपये की शेष राशि शेष अवधि के लिए आगे बढ़ाई जाएगी।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि इस खंड के अंतर्गत निर्धारित कर क्रेडिट को आगे बढ़ाया जाएगा तथा उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद के पंद्रहवें वित्तीय वर्ष से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जिसके लिए कर क्रेडिट स्वीकार्य हो जाता है।

खंड 107 में यह प्रावधान है कि संहिता के कुछ प्रावधानों के अनुप्रयोग से इस अध्याय में दिए गए विशिष्ट अपवर्जनों के अलावा, संहिता के अन्य सभी प्रावधान इस अध्याय में निर्दिष्ट कंपनी पर लागू होंगे।

खंड 108 यह उपबंध करता है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति द्वारा किसी उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि में किए गए निवेशों से प्राप्त कोई आय उसी प्रकार आयकर से प्रभार्य होगी, जैसे कि वह उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय होती यदि उसने उद्यम पूंजी उपक्रम में प्रत्यक्ष रूप से निवेश किया होता।

दूसरे शब्दों में, यह खंड उद्यम पूंजी कंपनियों और फंडों को पास-श्रु दर्जा प्रदान करता है और किसी भी उद्यम पूंजी उपक्रम में उनके द्वारा किए गए निवेश के कारण प्राप्त किसी भी आय पर उनकी कोई आयकर देयता नहीं होगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि उद्यम पूंजी कंपनी, उद्यम पूंजी निधि या ऐसी कंपनी या निधि की ओर से आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई आय की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक ब्यौरे देने वाला एक निर्धारित विवरण ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति और निर्धारित आयकर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि उद्यम पूंजी कंपनी और उद्यम पूंजी निधि द्वारा भुगतान की गई आय, ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हाथों में उसी प्रकृति की और उसी अनुपात में मानी जाएगी, जैसी कि वह उक्त कंपनी या निधि द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त की गई थी।

उक्त खंड यह भी स्पष्ट करता है कि संहिता के भाग बी (घरेलू कंपनियों के वितरित मुनाफे पर कर) या भाग सी (म्यूचुअल फंड या जीवन बीमा कंपनियों की वितरित आय पर कर) के प्रावधान उद्यम पूंजी कंपनी या उद्यम पूंजी निधि द्वारा भुगतान की गई आय पर लागू नहीं होंगे।

खंड 109 विधेयक के भाग बी और अध्याय VII का एकमात्र खंड है और यह घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ पर कर या लाभांश वितरण कर से संबंधित है। उक्त खंड में प्रावधान है कि प्रत्येक घरेलू कंपनी अपने शेयरधारकों को घोषित, वितरित या भुगतान किए गए (चाहे अंतिम या अन्यथा) लाभांश की राशि पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, चाहे वह वर्तमान या संचित लाभ से हो। लाभांश वितरण कर विधेयक की दूसरी अनुसूची के पैराग्राफ बी में निर्दिष्ट दर पर घोषित, वितरित या भुगतान किए गए लाभांश पर लगाया जाएगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि जिस लाभांश पर कर लगाया जाना है, उसे घरेलू कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश की राशि, यदि कोई हो, से घटा दिया जाएगा, यदि -

- (i) ऐसा लाभांश उसकी सहायक कंपनी से प्राप्त हुआ है; और (ii) सहायक कंपनी ने ऐसे लाभांश पर इस खंड के अंतर्गत कर का भुगतान किया है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि लाभांश पर कर का भुगतान ऐसे लाभांश की घोषणा, वितरण या भुगतान की तारीख से चौदह दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, केन्द्र सरकार के खाते में कर के रूप में किया जाएगा।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि घरेलू कंपनी द्वारा भुगतान किया गया लाभांश वितरण कर घोषित, वितरित या भुगतान किए गए लाभांश के संबंध में कर का अंतिम भुगतान माना जाएगा और घरेलू कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे कर के संबंध में कोई और क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कर के लिए लगाए गए लाभांश या भुगतान किए गए कर की राशि पर कोई कटौती कंपनी या शेयरधारक को नहीं दी जाएगी।

इस खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि घरेलू कंपनी या ऐसी कंपनी का प्रधान अधिकारी चौदह दिन की अवधि के भीतर लाभांश वितरण कर का पूरा या उसका कोई भाग अदा करने में विफल रहता है, तो उसे चूककर्ता करदाता माना जाएगा और चूक की अवधि के लिए ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यह खंड "सहायक कंपनी" और "लाभांश" शब्दों को भी परिभाषित करता है।

खंड 110 विधेयक के भाग सी और अध्याय VIII का एकमात्र खंड है और यह म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनी की वितरित आय पर कर से संबंधित है। उक्त खंड में प्रावधान है कि प्रत्येक म्यूचुअल फंड इक्विटी उन्मुख फंड के यूनिट धारकों को वितरित या भुगतान की गई आय की किसी भी राशि पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता किसी अनुमोदित इक्विटी उन्मुख जीवन बीमा योजना के पॉलिसी धारकों को वितरित या भुगतान की गई आय की किसी भी राशि पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। वितरित आय पर कर दूसरी अनुसूची के पैराग्राफ सी में निर्दिष्ट दर पर लगाया जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि वितरित आय पर कर का भुगतान ऐसी आय के वितरण या भुगतान की तारीख से चौदह दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, केन्द्र सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

इस खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि वितरित आय पर म्यूचुअल फंड या जीवन बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर ऐसी आय के संबंध में कर का अंतिम भुगतान माना जाएगा और उनमें से किसी के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार भुगतान किए गए कर के संबंध में कोई और क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत म्यूचुअल फंड या जीवन बीमाकर्ता को कर के लिए लगाए गए वितरित आय या भुगतान किए गए कर के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि म्यूचुअल फंड या जीवन बीमाकर्ता या वह व्यक्ति, जो उसकी ओर से वितरित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, वितरित आय पर कर का पूरा या उसका कोई भाग चौदह दिन की अवधि के भीतर चुकाने में विफल रहता है, तो उसे चूककर्ता करदाता माना जाएगा और उसे चूक की अवधि के लिए ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज भी देना होगा।

"इक्विटी उन्मुख फंड" और "अनुमोदित इक्विटी उन्मुख जीवन बीमा योजना" शब्द उक्त खंड में भी परिभाषित किया गया है।

खंड 111 विधेयक के भाग डी और अध्याय IX का एकमात्र खंड है और यह विदेशी कंपनी के शाखा लाभ पर कर से संबंधित है। उक्त खंड में प्रावधान है कि प्रत्येक विदेशी कंपनी एक वित्तीय वर्ष के शाखा लाभ के संबंध में शाखा लाभ कर के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसा कर द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ IV में निर्दिष्ट दर पर लगाया जाएगा। यह कर उक्त विदेशी कंपनी द्वारा देय किसी भी आयकर के अतिरिक्त होगा।

इस खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि शाखा लाभ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में स्थित स्थायी प्रतिष्ठान या अचल संपत्ति से प्राप्त आय होगी तथा इसे विदेशी कंपनी की वित्तीय वर्ष की कुल आय में शामिल किया जाएगा, जिसमें से ऐसी आय पर देय आयकर की राशि घटा दी जाएगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि शाखा लाभ कर की देयता का भुगतान पूर्व-भुगतान किए गए करों के भुगतान से किया जाएगा और इस खंड के अंतर्गत लगाए गए कर को संहिता के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पूर्व-भुगतान किए गए करों, यदि कोई हो, के लिए क्रेडिट देने के बाद एकत्र किया जाएगा।

खंड 112 में यह प्रावधान है कि गैर-लाभकारी संगठन के अलावा प्रत्येक व्यक्ति, वित्तीय वर्ष की मूल्यांकन तिथि को अपनी शुद्ध संपत्ति पर संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसा संपत्ति कर द्वितीय अनुसूची के पैरा V में निर्दिष्ट दर पर उसमें दिए गए तरीके से लगाया जाएगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि संपत्ति-कर की देयता पूर्व-भुगतान किए गए करों के भुगतान से समाप्त हो जाएगी और इस खंड के तहत लगाए गए संपत्ति-कर को इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पूर्व-भुगतान किए गए करों, यदि कोई हो, के लिए क्रेडिट देने के बाद एकत्र किया जाएगा।

खंड 113 में शुद्ध संपत्ति की गणना करने का तरीका बताया गया है। सरलता के लिए, तरीके को एक सूत्र के रूप में व्यक्त किया गया है। सूत्र में प्रावधान है कि शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन की तिथि पर व्यक्ति की सभी निर्दिष्ट परिसंपत्तियों का कुल मूल्य होगी, जिसे व्यक्ति द्वारा बकाया सभी ऋणों के कुल मूल्य से घटाया जाएगा, जो निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के संबंध में किए गए हैं।

उक्त खंड में सभी निर्दिष्ट परिसंपत्तियों की विस्तृत सूची दी गई है तथा कुछ परिसंपत्तियों को भी सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

इसमें घरों की उन श्रेणियों को भी सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें निर्दिष्ट परिसंपत्ति, अर्थात् "घर" से बाहर रखा जाएगा।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि नकदी के अलावा किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा और यह स्पष्ट किया गया है कि "मूल्यांकन तिथि" शब्द का अर्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च है।

धारा 114 में यह प्रावधान है कि यदि निर्दिष्ट परिसंपत्तियां किसी व्यक्ति के कुछ रिश्तेदारों, जैसे पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे, सहयोगियों या संबद्ध संस्थाओं के पास हैं, तो उन्हें उस व्यक्ति से संबंधित माना जाएगा, यदि वे उसमें निर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करते हैं और उस व्यक्ति के हाथों में संपत्ति-कर लगाया जाएगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि कोई अवयस्क बच्चा अपनी आय से अर्जित कोई निर्दिष्ट संपत्ति रखता है, तो उसे उसके माता-पिता की संपत्ति नहीं माना जाएगा।

खंड 115 उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए व्यय की अस्वीकृति से संबंधित है और यह प्रदान करने का प्रयास करता है कि किसी व्यक्ति को किसी भी व्यय के संबंध में संहिता के तहत कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह पूंजीगत या राजस्व प्रकृति का हो, जिसे

यदि व्यय के संबंध में भुगतान किसी सहबद्ध व्यक्ति को किया गया है और यह अत्यधिक या अनुचित है, तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना जाएगा कि यह अत्यधिक या अनुचित है, यदि व्यय के संबंध में भुगतान किसी सहबद्ध व्यक्ति को किया गया है और यह अत्यधिक या अनुचित है, इस पर विचार करते हुए कि-

(i) उन वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं का उचित बाजार मूल्य जिनके लिए भुगतान किया जाता है;

(ii) व्यक्ति के व्यवसाय की वैध आवश्यकताएं; या (iii) ऐसे भुगतान से व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्रोद्भूत होने

वाला लाभ।

खंड 116 यह प्रावधान करता है कि किसी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से उत्पन्न होने वाली किसी भी आय या व्यय की राशि का निर्धारण आर्म्स लेंथ मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। "आर्म्स लेंथ मूल्य" शब्द को खंड 124 में परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है वह मूल्य जो अनियंत्रित, असंबंधित या स्वतंत्र स्थितियों में असंबंधित व्यक्तियों के बीच लेनदेन में लागू होता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी सहबद्ध उद्यम को प्रदान किए गए लाभ, सेवा या सुविधा के संबंध में किए गए किसी लागत या व्यय का आवंटन या विभाजन, या उसमें कोई योगदान, ऐसे लाभ, सेवा या सुविधा की अनुमानित कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, यदि-

(क) दो या अधिक सहबद्ध उद्यमों ने ऐसी लागत या व्यय के आवंटन या विभाजन, या उसमें किसी अंशदान के लिए पारस्परिक समझौता या व्यवस्था की है; और

(ख) किसी एक या अधिक सहबद्ध उद्यमों को प्रदान किया गया लाभ, सेवा या सुविधा अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित है।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि इसके प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, जहां किसी आय के निर्धारण या किसी व्यय के आवंटन का प्रभाव कर योग्य आय को कम करने या उस वित्तीय वर्ष के लिए लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर गणना की गई हानि को बढ़ाने का हो, जिसमें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन दर्ज किया गया था।

खंड 117 आर्म्स लेंथ मूल्य के निर्धारण से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करना चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य सभी निर्धारित विधियों में से सबसे उपयुक्त विधि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। सबसे उपयुक्त विधि लेनदेन की प्रकृति, लेनदेन की श्रेणी, संबद्ध उद्यमों की श्रेणी या ऐसे उद्यमों द्वारा निष्पादित कार्यों या ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी, जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि केवल एक ही मूल्य ऐसी विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है तो आर्म्स लेंथ मूल्य सबसे उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित मूल्य होगा या यदि एक से अधिक मूल्य ऐसी विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तो सबसे उपयुक्त विधि द्वारा निर्धारित मूल्यों का अंकगणितीय माध्य होगा।

मूल्य का निर्धारण ऐसी विधि से किया जाता है। इसके अलावा, जिस मूल्य पर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किया गया है, उसे आर्म्स लेंथ मूल्य माना जाएगा यदि आर्म्स लेंथ मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर बाद वाले के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि अध्याय III के उप-अध्याय IV (कर प्रोत्साहन) के अंतर्गत आय की उस राशि के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी, जिससे इस खंड के अंतर्गत आय की गणना के बाद व्यक्ति की कुल आय में वृद्धि हुई हो।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि सन्निकट मूल्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा:
निर्धारित सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन।

खंड 118 में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, किसी भी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता कर सकता है, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में अनुमानित मूल्य निर्धारित करने का तरीका निर्दिष्ट किया जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का आर्म्स लेंथ मूल्य, जिसके संबंध में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता किया गया है, ऐसे अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता समझौते में निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा, लेकिन लगातार पांच वित्तीय वर्षों से अधिक नहीं होगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किया गया अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता केवल उस व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा जिसके मामले में और केवल उस लेनदेन के संबंध में जिसके संबंध में समझौता किया गया है। यह आयुक्त और उसके अधीनस्थ आयकर अधिकारियों पर केवल उक्त व्यक्ति और उक्त लेनदेन के संबंध में बाध्यकारी होगा। हालाँकि, यदि संहिता में कोई संशोधन होता है जिसका उस पर प्रभाव पड़ता है तो समझौता बाध्यकारी नहीं होगा।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि बोर्ड किसी समझौते को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित कर सकता है।
यदि यह व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया हो।

खंड 119 गैर-निवासियों को आय के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप होने वाले लेनदेन द्वारा आयकर से बचने से संबंधित है और यह प्रदान करने का प्रयास करता है कि किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी अनिवासी को प्राप्त होने वाली सभी आय शामिल होगी, यदि-

(क) आय किसी व्यक्ति द्वारा अनिवासी को किसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के कारण अर्जित होती है;

(ख) व्यक्ति कोई अधिकार अर्जित करता है जिसके आधार पर उसे ऐसी आय का आनंद लेने की शक्ति प्राप्त होती है या वह कोई पूंजी राशि प्राप्त करने का हकदार है या प्राप्त कर चुका है, जिसका भुगतान किसी भी तरह से हस्तांतरण से संबंधित है; और

(ग) यदि स्थानांतरण न हुआ होता तो आय व्यक्ति की कुल आय में शामिल कर ली जाती।

उक्त खंड में आगे यह प्रावधान है कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति के पास आय का आनंद लेने की शक्ति है, हस्तांतरण के पर्याप्त परिणाम और प्रभाव तथा हस्तांतरण के परिणामस्वरूप किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को मिलने वाले सभी लाभों को ध्यान में रखा जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यह खंड लागू नहीं होगा यदि यहां संदर्भित व्यक्ति कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के लिए यह दिखा देता है कि स्थानांतरण और सभी संबद्ध परिचालन वास्तविक वाणिज्यिक लेनदेन थे और किसी कर देयता से बचने के उद्देश्य से नहीं बनाए गए थे।

धारा 120 किसी प्रतिभूति में बिक्री और पुनर्खरीद लेनदेन द्वारा कर से बचने से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति की कुल आय में कोई भी ब्याज शामिल होगा

किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली किसी प्रतिभूति से प्राप्त होने वाली आय, यदि प्रतिभूति की बिक्री और वापस खरीद से संबंधित लेन-देन दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया है, यदि ऐसे लेन-देन के परिणामस्वरूप दूसरे व्यक्ति को ब्याज प्राप्त होता है और यदि हस्तांतरण नहीं हुआ होता, तो आय को पहले उल्लिखित व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता।

खंड 121 यह प्रावधान करता है कि खंड 120 के अंतर्गत प्रतिभूति की खरीद और बिक्री से संबंधित लेन-देन को, उसमें निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में नजरअंदाज कर दिया जाएगा और उसे ध्यान में नहीं लिया जाएगा, यदि उस खंड के प्रावधानों के आधार पर अन्य व्यक्ति को मिलने वाला ब्याज उसकी कुल आय में शामिल नहीं है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किसी प्रतिभूति में किए गए किसी खरीद और बिक्री के लेन-देन के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, उसकी कुल आय की गणना के प्रयोजनों के लिए नजरअंदाज कर दी जाएगी, यदि ऐसी प्रतिभूति पर व्यक्ति को प्राप्त होने वाली कोई अन्य आय उसकी कुल आय में शामिल नहीं की जाती है और हानि को उस सीमा तक नजरअंदाज कर दिया जाएगा, जो उसमें निर्दिष्ट किसी अन्य आय की राशि से अधिक नहीं है।

खंड 122 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित ऋण साधन से प्राप्त आय, साधन से टूटी अवधि की आय की राशि से कम नहीं होगी। खंड 124 में "टूटी अवधि की आय" शब्द को परिभाषित किया गया है।

खंड 123 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई समझौता अनुचित परिहार समझौता घोषित किया जा सकता है और इस संहिता के तहत ऐसे समझौते के परिणाम निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं-

(क) व्यवस्था के किसी भी चरण की उपेक्षा करना, उसे संयोजित करना या पुनः परिभाषित करना;

(ख) व्यवस्था को इस प्रकार मानना मानो वह पहले कभी नहीं की गई थी या कार्यान्वित नहीं की गई थी या मामले की परिस्थितियों के अनुसार किसी अन्य तरीके से,

आयुक्त प्रासंगिक कर लाभ की रोकथाम या कमी के लिए उचित समझे;

(ग) किसी भी समझौता करने वाले पक्ष की उपेक्षा करना या किसी समझौता करने वाले पक्ष और किसी अन्य पक्ष को एक ही व्यक्ति मानना;

(घ) उन व्यक्तियों को, जो एक दूसरे के संबंध में जुड़े हुए हैं, एक ही व्यक्ति मानना;

(ङ) व्यवस्था के पक्षकारों के बीच पूंजी या राजस्व प्रकृति के किसी उपार्जन या प्राप्ति या किसी व्यय, कटौती, राहत या छूट का पुनः आवंटन करना; या

(च) किसी इक्विटी को ऋण में या इसके विपरीत, पूंजी या राजस्व प्रकृति के किसी उपार्जन या प्राप्ति, या किसी व्यय, कटौती, राहत या छूट में पुनः वर्गीकृत करना।

इस खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि उपरोक्त प्रावधानों को कर देयता के निर्धारण के लिए किसी अन्य आधार के अतिरिक्त या वैकल्पिक रूप से लागू किया जा सकता है और वे निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।

खंड 124 अध्याय XI में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों को परिभाषित करने का प्रयास करता है जैसे "समायोजित पार्टी", "हाथ की लंबाई मूल्य", "परिसंपत्ति", "संबद्ध उद्यम",

"अनुचित परिहार व्यवस्था", "अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन", "राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग", "सुरक्षित बंदरगाह", "कर लाभ", आदि।

खंड 125 उस उद्देश्य की धारणा से संबंधित है जिसके लिए कोई व्यवस्था की गई है और यह प्रावधान करता है कि यह माना जाएगा कि कोई व्यवस्था कर लाभ प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य से की गई है या कार्यान्वित की गई है, जब तक कि कर लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह साबित नहीं कर देता कि ऐसा लाभ प्राप्त करना व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं था।

शब्द "व्यवस्था" को खंड 124 में परिभाषित किया गया है।

धारा 126 संहिता के प्रयोजन के लिए आयकर प्राधिकारियों के वर्गों का प्रावधान करती है। धारा में दिए गए आयकर प्राधिकारी हैं-

(क) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत किया गया है

राजस्व अधिनियम, 1963,

(ख) मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक,

(सी) आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक या आयकर आयुक्त आयकर (अपील),

(घ) अपर आयकर आयुक्त या अपर आयकर निदेशक-कर,

(ई) संयुक्त आयकर आयुक्त या संयुक्त आयकर निदेशक,

(च) आयकर उपायुक्त या आयकर उप निदेशक,

(छ) सहायक आयकर आयुक्त या सहायक आयकर निदेशक-कर,

(ज) आयकर अधिकारी,

(i) कर वसूली अधिकारी,

(जे) आयकर निरीक्षक।

खंड 127, खंड 126 में सूचीबद्ध आयकर प्राधिकारियों की नियुक्ति और नियंत्रण से संबंधित है।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार ऐसे व्यक्तियों को आयकर प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे। सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले केंद्र सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन, केंद्र सरकार बोर्ड या महानिदेशक, मुख्य आयुक्त या निदेशक या आयुक्त को सहायक आयुक्त के पद से नीचे के आयकर प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत आयकर प्राधिकारी ऐसे कार्यकारी या अनुसचिवीय कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जो उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए आवश्यक हों।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि बोर्ड अधिसूचना के माध्यम से निर्देश दे सकता है कि कोई आयकर प्राधिकरण दूसरे के अधीनस्थ होगा।

उच्च प्राधिकारियों की शक्तियों से संबंधित धारा 128 में यह प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी के पद से ऊपर के किसी भी आयकर प्राधिकारी को जांच करने के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त हैं।

खंड 129 बोर्ड की अनुदेश जारी करने की शक्तियों से संबंधित है।

उक्त खंड में यह प्रावधान किया गया है कि बोर्ड समय-समय पर अन्य आयकर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निर्देश या परिपत्र जारी कर सकता है, जिन्हें वह संहिता के प्रावधानों के उचित प्रशासन के लिए समीचीन या आवश्यक समझे।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि बोर्ड अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेगा कि वह किसी आयकर प्राधिकरण को कोई विशेष मूल्यांकन करने या किसी विशेष कर का निपटान करने के लिए बाध्य करे।

किसी मामले को किसी विशेष तरीके से निपटाने के लिए आयकर आयुक्त (अपील) को निर्देश दे सकेगा, या आयकर आयुक्त (अपील) को यह निर्देश दे सकेगा कि वह उसके समक्ष किसी मामले को किसी विशेष तरीके से निपटाए।

उक्त खंड बोर्ड को निम्नलिखित के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश जारी करने का अधिकार भी देता है-

(क) कर आधारों या मामलों के किसी वर्ग की व्याख्या, सिद्धांतों की व्याख्या, ब्याज वसूलने या दंड लगाने की कार्यवाही शुरू करने सहित राजस्व के आकलन या संग्रहण से संबंधित कार्य में अन्य आयकर प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली दिशा-निर्देशों या प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना;

(ख) किसी मामले या मामलों के वर्ग को, वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए, किसी आयकर प्राधिकरण (आयकर आयुक्त (अपील) के अलावा) को किसी छूट, कटौती, वापसी या किसी अन्य राहत के लिए किसी आवेदन या दावे को स्वीकार करने के लिए अधिकृत करना।

संहिता द्वारा या उसके अधीन आवेदन या दावा करने के लिए निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, धारा 144 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना तथा विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर उसका निपटान करना;

(ग) किसी मामले या मामलों के वर्ग में, कुछ शर्तों की पूर्ति पर निहित किसी आवश्यकता या शर्तों को शिथिल करना।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि इस खंड के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी

आदेश, अनुदेश, निर्देश और परिपत्र सभी अन्य आयकर प्राधिकारियों और संहिता के प्रावधानों के निष्पादन में नियोजित अन्य व्यक्तियों पर बाध्यकारी होंगे।

धारा 130 आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। उक्त धारा यह प्रावधान करती है कि आयकर अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार अपने कार्य निष्पादित करेंगे। बोर्ड बदले में किसी अन्य आयकर प्राधिकरण को अपने अधीनस्थ सभी या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

अधिकार क्षेत्र के आदेश प्रादेशिक क्षेत्र, व्यक्तियों या को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग या मामले या मामलों के वर्ग।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि बोर्ड द्वारा निर्देश दिया जाए तो उच्च आयकर प्राधिकारी निम्न आयकर प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा उसके कार्यों का निष्पादन कर सकता है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि विभिन्न वर्ग के दो या अधिक कर निर्धारण अधिकारियों को समवर्ती क्षेत्राधिकार सौंपा गया है, तो निम्न श्रेणी का कर निर्धारण अधिकारी उच्च श्रेणी के कर निर्धारण अधिकारी के निर्देशों का पालन करेगा।

इसके अतिरिक्त, यदि बोर्ड द्वारा निर्देश दिया जाए तो कोई भी आयकर प्राधिकारी, जो उच्च पद का प्राधिकारी है, निम्न पद के आयकर प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कार्य निष्पादित कर सकता है।

खंड 131 मूल्यांकन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। उक्त खंड में प्रावधान है कि किसी क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी को, ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में अधिकार क्षेत्र होगा, यदि उसका व्यवसाय का मुख्य स्थान उस क्षेत्र में स्थित है या उस क्षेत्र में रहने वाला कोई अन्य व्यक्ति है। मामले में किसी भी विवाद का निर्णय संबंधित मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाएगा। हालाँकि, यदि विवाद विभिन्न मुख्य आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों से संबंधित है, तो इसका निर्णय सर्वसम्मति से किया जाएगा और यदि कोई सहमति नहीं है, तो बोर्ड या उसके द्वारा निर्देशित मुख्य आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट समय के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती।

खंड 132 मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करने का प्रयास करता है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी मामले को एक कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है, यदि दोनों उसके अधीनस्थ हैं। मुख्य आयुक्त अपने अधीनस्थ एक कर निर्धारण अधिकारी से किसी अन्य मुख्य आयुक्त के अधीनस्थ दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को मामलों को स्थानांतरित करने का आदेश भी दे सकता है, यदि दोनों मुख्य आयुक्त एक ही मामले में ...

ऐसे हस्तांतरण से सहमत हैं। हालांकि, अगर दोनों मुख्य आयुक्त हस्तांतरण से सहमत नहीं हैं, तो बोर्ड या बोर्ड द्वारा अधिकृत मुख्य आयुक्त, कुछ परिस्थितियों में मामले को स्थानांतरित कर सकता है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी मामले का स्थानांतरण कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है, तथा स्थानांतरणकर्ता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पहले से जारी किसी नोटिस को पुनः जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

उक्त खंड में कर प्रशासन और प्रक्रिया से संबंधित अध्याय XII के प्रयोजनों के लिए "मामले" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने का भी प्रयास किया गया है।

वर्तमान अधिकारी के परिवर्तन से संबंधित खंड 133 यह प्रावधान करता है कि आयकर अधिकारी जो अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से किसी अन्य अधिकारी का उत्तराधिकारी बनता है, वह कार्यवाही को उसी चरण से जारी रखेगा जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था। ऐसे मामले में करदाता को, यदि ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो उसके मामले में इस संहिता के तहत कोई आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है।

साक्ष्य की खोज और उत्पादन आदि से संबंधित शक्तियों से संबंधित खंड 134 यह प्रदान करने का प्रयास करता है कि निर्धारित आयकर अधिकारियों और विवाद समाधान पैनल को संहिता के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक अदालत में निहित हैं, जब वे किसी मुकदमे की सुनवाई करते हैं -

(क) खोज और निरीक्षण; (ख) बैंकिंग क्षेत्र

के किसी अधिकारी सहित किसी व्यक्ति को उपस्थिति सुनिश्चित करना
कंपनी और शपथ पर उसकी जांच;

(ग) लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और (घ) कमीशन जारी करना।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित आयकर प्राधिकारी को ऊपर उल्लिखित शक्तियां प्रदान की जाएंगी, चाहे उसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित हो या नहीं।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि कोई भी निर्धारित आयकर प्राधिकरण, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, अपने समक्ष प्रस्तुत किसी भी लेखा बही या अन्य दस्तावेज को जब्त कर सकता है और उन्हें ऐसी अवधि के लिए अपनी हिरासत में रख सकता है, जैसा वह उचित समझे, यदि ऐसा प्राधिकरण संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के पद का है। संयुक्त आयुक्त से नीचे के पद का कोई भी आयकर प्राधिकरण मुख्य आयुक्त या आयुक्त की मंजूरी प्राप्त किए बिना तीस दिन से अधिक अवधि के लिए किसी भी जब्त बही या दस्तावेज को अपनी हिरासत में नहीं रखेगा।

खंड 135 तलाशी और जब्ती से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सक्षम जांच प्राधिकरण किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने के लिए अधिकृत कर सकता है, यदि सक्षम जांच प्राधिकरण के पास, उसके पास मौजूद सूचना के परिणामस्वरूप, यह विश्वास करने का कारण है कि,—

(क) कोई व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम, 1961 या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 या अन्य की निर्दिष्ट धाराओं या खंडों के तहत समन या नोटिस जारी किया गया था।

जैसा भी मामला हो, ऐसे समन या नोटिस द्वारा अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत करने में चूक गया है या असफल रहा है; या

(ख) कोई व्यक्ति जिसके लिए पूर्वोक्त समन या नोटिस जारी किया गया है या किया जा सकता है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक कोई सामग्री पेश नहीं करेगा या पेश नहीं करवाएगा, या

संपत्ति-कर अधिनियम, 1957, या संहिता के तहत; या

(ग) किसी व्यक्ति के पास कोई कर आधार या संपत्ति है जिसका आयकर अधिनियम, 1961 या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 या संहिता के प्रयोजनों के लिए खुलासा नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकृत अधिकारी तलाशी और जब्ती करते समय किसी भी भवन, स्थान, जलयान, वाहन या वायुयान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है, जहां वह है।

यदि उसे संदेह है कि कोई सामग्री रखी गई है, या वह किसी दरवाजे, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी आदि का ताला तोड़ सकता है, या किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई ऐसी कोई सामग्री, जो स्टॉक-इन-ट्रेड नहीं है, जब्त कर सकता है। वह किसी भी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान के निशान भी लगा सकता है और स्टॉक-इन-ट्रेड सहित ऐसी किसी भी सामग्री का नोट या सूची बना सकता है।

उक्त खंड के उप-खंड (3) में यह प्रावधान है कि सक्षम जांच प्राधिकारी उस व्यक्ति पर तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जिस पर उसका अधिकार क्षेत्र है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकृत अधिकारी अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की सेवाएं मांग सकता है और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी मांग का अनुपालन करे।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकृत अधिकारी स्वामी या ऐसे व्यक्ति को, जो किसी सामग्री के तत्काल कब्जे या नियंत्रण में है, यह आदेश दे सकता है कि वह उसकी पूर्व अनुमति के बिना उस सामग्री को हटाएगा या उससे अलग नहीं होगा, यदि प्राधिकृत अधिकारी समझता है कि ऐसी सामग्री, जो स्टॉक में नहीं है, को उसके आयतन, भार या अन्य भौतिक विशेषताओं (जिसमें उसकी खतरनाक प्रकृति भी शामिल है) के कारण भौतिक कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना संभव या व्यावहारिक नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी की ऐसी कार्रवाई को जब्ती माना जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकृत अधिकारी तलाशी या जब्ती के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति की शपथ पर जांच कर सकता है, जिसके पास कोई सामग्री या पदार्थ पाया जाता है और ऐसी जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान उसके बाद आयकर अधिनियम, 1961 या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 या संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, तलाशी और जब्ती से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान, जहां तक हो सके, इस खंड के तहत तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे।

खंड 136 हिरासत में ली गई सामग्री को जब्त करने की शक्तियों से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि सक्षम जांच प्राधिकरण किसी आयकर प्राधिकरण को किसी अधिकारी या प्राधिकरण से सामग्री को जब्त करने वाले अधिकारी को सौंपने के लिए अधिकृत कर सकता है, जिसे उस अधिकारी या प्राधिकरण ने किसी अन्य कानून के तहत हिरासत में लिया है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण उन मामलों में जारी किया जा सकता है और धारा 135 में निर्दिष्ट तलाशी और जब्ती के समान परिस्थितियां।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि वह अधिकारी या प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में सामग्री विद्यमान है, सामग्री को या तो तुरन्त या जब ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की यह राय हो कि उसे अब उसकी अभिरक्षा में रखना आवश्यक नहीं है, अधियाचना अधिकारी को सौंप देगा। खंड 135 के प्रावधान इस खंड पर भी लागू होंगे।

धारा 137, जब्त की गई लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को रखने और जारी करने से संबंधित है

उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि प्राधिकृत अधिकारी या अधियाचन अधिकारी, खंड 135 के अंतर्गत जब्त या खंड 136 के अंतर्गत परिदत्त लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जिसको तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया था या लेखा पुस्तकों को प्राप्त किया गया था, मामले पर क्षेत्राधिकार रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा।

हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी या अधिग्रहीत अधिकारी करदाता को उसके आवेदन करने पर जब्त या अधिग्रहीत लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की प्रतिलिपियां बनाने या उनके अंश लेने की अनुमति दे सकता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण की तिथि से तीस दिनों की अवधि तक और मुख्य आयुक्त या आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इस अवधि से आगे तक कर सकते हैं। हालांकि, संहिता के तहत कार्यवाही पूरी होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि से आगे तक कर निर्धारण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अन्य व्यक्तियों से संबंधित सामग्री की डिलीवरी से संबंधित खंड 138 यह प्रावधान करता है कि मूल्यांकन अधिकारी, उस व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखता है जिसके मामले में तलाशी और

धारा 135 के अधीन जब्ती की गई थी, या धारा 136 के अधीन अधिग्रहण किया गया था, वह किसी सामग्री को किसी अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि जब्त की गई या अधिग्रहण की गई सामग्री उस अन्य व्यक्ति की है।

खंड 139 जब्त या अधिग्रहीत संपत्तियों को रखने और उनके उपयोग से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि मूल्यांकन अधिकारी तलाशी या अधिग्रहण की तिथि तक विद्यमान किसी भी देयता की राशि या ऐसी तिथि के बाद निर्धारित की गई राशि को जब्त या अधिग्रहीत संपत्तियों से या किसी अन्य तरीके से संपत्तियों की रिहाई तक वसूल कर सकता है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी मौजूदा देयता की वसूली कर सकता है और संपत्ति के शेष हिस्से को, यदि कोई हो, खंड 135 के तहत तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित होने की तिथि से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसकी हिरासत से संपत्ति जब्त की गई थी, कुछ शर्तों को पूरा करने पर जारी कर सकता है।

सूचना मांगने की शक्ति से संबंधित खंड 140 यह प्रावधान करता है कि संहिता के प्रयोजनों के लिए बोर्ड यह अपेक्षा कर सकता है कि -

(क) किसी निर्धारित व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से सूचना प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, प्ररूप और तरीके से; और

(ख) किसी विहित आयकर प्राधिकारी को विहित जानकारी ऐसे प्ररूप और तरीके से मांगने का अधिकार।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कोई आयकर प्राधिकारी, जो आयकर अधिकारी के पद से नीचे का न हो, किसी व्यक्ति से, जिसमें बैंकिंग कंपनी या उसका कोई अधिकारी भी शामिल है, कोई सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष लंबित किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, ऐसे प्ररूप, तरीके और ऐसे समय के भीतर, जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि इस खंड में "व्यक्ति" शब्द में निम्नलिखित शामिल होंगे:
किसी बैंकिंग कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा।

खंड 141 सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करने का प्रयास करता है कि निर्धारित आयकर प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है, या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण को प्रवेश करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जहां कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने इस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। आयकर प्राधिकरण इसमें निर्दिष्ट किसी भी व्यवसाय स्थान में केवल सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले या उस समय प्रवेश करेगा, जब ऐसा स्थान व्यवसाय के संचालन के लिए खुला हो। आयकर प्राधिकरण, उस स्थान में प्रवेश करने पर, वहां उपलब्ध खाता बही या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और वहां पाई गई नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की जांच या सत्यापन कर सकता है।

आयकर प्राधिकारी अपने द्वारा निरीक्षण की गई लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों या अभिलेखों पर पहचान चिह्न लगा सकता है और उनसे उद्धरण या प्रतियां ले सकता है, अपने द्वारा निरीक्षण की गई किसी भी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों या अभिलेखों को जब्त कर सकता है, ऐसा करने के कारणों को रिकार्ड करने के बाद, नकदी, स्टॉक या मूल्यवान वस्तुओं की सूची बना सकता है और किसी भी व्यक्ति से शपथ पर यह भी जांच कर सकता है कि क्या उसका विवरण संहिता के तहत किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि विहित आयकर प्राधिकारी, किसी समारोह, समारोह या आयोजन के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय को सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे समारोह, समारोह या आयोजन के पश्चात्, उस व्यक्ति से, जिसने ऐसा व्यय किया है या किसी अन्य व्यक्ति से, जिसके पास ऐसे व्यय के संबंध में जानकारी होने की संभावना है, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो सकती है और इस संबंध में उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के कथनों को अभिलिखित कर सकेगा।

इस खंड के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय आयकर प्राधिकारी ऐसे स्थान से कोई नकदी, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज नहीं हटाएगा।

खंड 142 किसी भी व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्रकट करने की शक्ति से संबंधित है। यह खंड यह प्रावधान करता है कि बोर्ड, या इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, किसी करदाता के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को कोई जानकारी दे सकता है जो किसी भी कर, शुल्क या उपकर लगाने या लेन-देन से संबंधित किसी भी कानून के तहत कोई कार्य कर रहा है।

विदेशी मुद्रा या कोई व्यक्ति जो किसी अन्य कानून के तहत कोई कार्य कर रहा है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी करदाता से संबंधित कोई सूचना दे सकता है या दिलवा सकता है, जो इस संहिता के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन में किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा प्राप्त या अभिप्राप्त की गई हो, यदि-

(क) व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त को आवेदन करता है।

निर्धारित प्रपत्र में आयुक्त को; तथा

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त का ऐसा निर्णय आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि उप-खंड (2) या (4) के अंतर्गत ऐसे मामलों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी जो ऐसे वर्ग के करदाताओं या ऐसे प्राधिकारियों से संबंधित हो, जिन्हें आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

खंड 143 यह प्रावधान करता है कि आयकर प्राधिकारी के समक्ष संहिता के अंतर्गत कोई कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आयकर प्राधिकारी धारा 195 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए नहीं।

धारा 144 कर आधारों की स्व-रिपोर्टिंग से संबंधित है। धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के अंतर्गत आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या जो किसी हानि को आगे ले जाने का इरादा रखता है, उसे कर आधारों की रिटर्न निर्धारित तिथि पर या उससे पहले कर निर्धारण अधिकारी या निर्धारित प्राधिकारी या एजेंसी को प्रस्तुत करनी होगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि भारत में स्थित कोई कंपनी, कोई म्यूचुअल फंड या कोई जीवन बीमा कंपनी जो लाभांश या आय वितरित करती है, जैसा भी मामला हो, और जो वितरित लाभांश या आय पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे भी नियत तिथि को या उससे पहले कर आधारों की रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि शुद्ध संपत्ति के संबंध में, प्रत्येक व्यक्ति (गैर-लाभकारी संगठन को छोड़कर) जिसके मामले में शुद्ध संपत्ति उस अधिकतम राशि से अधिक है जो संपत्ति-कर के लिए प्रभाय नहीं है, को नियत तिथि को या उससे पहले कर आधारों की रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि कर आधारों की रिटर्न किसी अन्य व्यक्ति की कर आधारों की रिटर्न भी होगी, जिसका वह व्यक्ति प्रतिनिधि करदाता है। कर आधारों की रिटर्न निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त खंड में उस व्यक्ति को भी निर्दिष्ट किया गया है जिसे ऐसी रिटर्न पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने की आवश्यकता है।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा प्रस्तुत कर आधारों के रिटर्न में कोई चूक या कोई गलत विवरण मिलता है, तो वह उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व या मूल्यांकन पूरा होने से पूर्व, जो भी पहले हो, किसी भी समय ऐसे रिटर्न को संशोधित कर सकता है।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे कोड के तहत कर आधारों का रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, वह उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसा रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है जिससे यह संबंधित है। इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय प्रस्तुत कर सकता है, यदि उसने नियत तिथि तक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है और खंड 146 के तहत उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

धारा 145 कर रिटर्न तैयार करने वालों से संबंधित है। धारा में प्रावधान है कि बोर्ड कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए एक योजना बना सकता है, जिसमें कर रिटर्न तैयार करने वालों को किसी भी निर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के कर आधारों की रिटर्न तैयार करने और प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

खंड 146 कर आधारों की रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को नोटिस दे सकता है जिसके मामले में ऐसी रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि समाप्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता वाला नोटिस। ऐसा नोटिस उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से इक्कीस महीने की अवधि के भीतर जारी किया जा सकता है जिसमें रिटर्न देय था। उक्त खंड में आगे प्रावधान है कि ऐसा नोटिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसी प्राप्ति की तिथि से चौदह दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

खंड 147 स्व-मूल्यांकन कर से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि कर आधारों की रिटर्न प्रस्तुत करने से पहले करदाता को स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करना होगा। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए स्व-मूल्यांकन कर के रूप में भुगतान की गई राशि को पहले संहिता के तहत देय ब्याज के लिए समायोजित किया जाएगा और शेष राशि को देय कर के लिए समायोजित किया जाएगा। उक्त खंड में आगे प्रावधान है कि खंड 154 या खंड 155 के तहत नियमित मूल्यांकन किए जाने के बाद, स्व-मूल्यांकन कर के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि ऐसे मूल्यांकन के लिए भुगतान की गई मानी जाएगी। खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई करदाता ऐसे स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे चूककर्ता करदाता माना जाएगा और संहिता के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

खंड 148 में यह प्रावधान है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों के रिटर्न की प्राप्ति पर, मूल्यांकन अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति रिटर्न की प्राप्ति की पावती जारी करेगा।

खंड 149 रिटर्न की प्रोसेसिंग से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी या कोई प्राधिकृत व्यक्ति खंड 144 या खंड 146 के तहत प्राप्त रिटर्न को प्रोसेस करेगा। इस उद्देश्य के लिए, रिटर्न में किसी अंकगणितीय त्रुटि या रिटर्न में किसी सूचना के अस्तित्व से स्पष्ट गलत दावे से संबंधित समायोजन करने के बाद, कर आधारों के आधार पर कर और ब्याज की गणना की जाएगी। उक्त खंड में आगे प्रावधान है कि देय या वापसी योग्य राशि का निर्धारण खंड 207 के तहत भुगतान किए गए करों या स्वीकार्य राहत के लिए क्रेडिट देने के बाद किया जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्रसंस्करण प्राधिकारी करदाता को उसके द्वारा देय या वापसी योग्य राशि निर्दिष्ट करते हुए सूचना भेजेगा। प्रसंस्करण प्राधिकारी करदाता को एक सूचना भी भेजेगा जहां रिटर्न में घोषित नुकसान समायोजित किया जाता है, लेकिन कोई कर या ब्याज देय या वापसी योग्य नहीं है। उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्रसंस्करण प्राधिकारी किसी भी देय राशि के संबंध में कोई सूचना नहीं भेजेगा, यदि रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बारह महीने की समाप्ति के बाद संसाधित किया जाता है जिसमें रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रदान करता है कि रिटर्न की पावती को सूचना माना जाएगा जहां कोई राशि देय या वापसी योग्य नहीं है और जहां कोई समायोजन नहीं किया गया है।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि बोर्ड केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक योजना बना सकता है देय या वापसी योग्य कर के शीघ्र निर्धारण के लिए रिटर्न की व्यवस्था।

इस प्रयोजन के लिए, खंड 314 में "कर आधारों की विवरणी" और "देय तिथि" को परिभाषित किया गया है। समायोजन के संबंध में, खंड 149 "रिटर्न में किसी भी जानकारी के अस्तित्व से स्पष्ट गलत दावे" को परिभाषित करता है।

धारा 150 मूल्यांकन से पहले जांच के लिए नोटिस से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी धारा 144 या धारा 146 के तहत रिटर्न प्राप्त होने पर मूल्यांकन कर सकता है, यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि करदाता ने अपने कर आधार को कम करके नहीं बताया है या अत्यधिक हानि या भत्ते की गणना नहीं की है या किसी भी तरीके से कर का कम भुगतान नहीं किया है।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी करदाता को एक नोटिस देगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उसे आवश्यक जानकारी देने तथा साक्ष्य, खाते या दस्तावेज (प्रासंगिक वित्तीय वर्ष से पूर्व की छह वर्ष से अधिक की अवधि से संबंधित न हो) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन अधिकारी संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति के कर आधार के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक जांच कर सकता है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न प्रस्तुत किया गया है, उसके अंत से छह महीने की समाप्ति के बाद करदाता को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।

खंड 151 विशेष लेखापरीक्षा से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी की राय में खातों की प्रकृति और जटिलता को देखते हुए तथा राजस्व के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह करदाता को अपने खातों का लेखापरीक्षा किसी लेखाकार से करवाने का निर्देश दे सकता है। इसमें आगे प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी तब तक ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करेगा जब तक करदाता को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो तथा मुख्य आयुक्त या आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामित लेखाकार, कर निर्धारण अधिकारी और करदाता को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो करदाता द्वारा खातों की लेखापरीक्षा के लिए निर्देश प्राप्त होने की तिथि से एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि लेखाकार का पारिश्रमिक और लेखापरीक्षा के अन्य व्यय निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित और भुगतान किए जाएंगे।

धारा 152 परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, मूल्यांकन अधिकारी किसी मूल्यांकन अधिकारी से किसी परिसंपत्ति, संपत्ति, निवेश या व्यय के मूल्य का अनुमान लगाने और उसे रिपोर्ट करने की मांग कर सकता है।

उक्त खंड इस प्रयोजन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है, जो इस संबंध में नियमों के अधीन है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि करदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा उसके कब्जे में या उसके द्वारा एकत्रित सामग्री को ध्यान में रखने के पश्चात, मूल्यांकन अधिकारी करदाता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, या यदि करदाता सहयोग नहीं करता है या उसके निर्देश का अनुपालन नहीं करता है तो अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, परिसंपत्ति, संपत्ति, निवेश या व्यय के मूल्य का अनुमान लगाएगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी ऐसे अनुमान की एक प्रति मूल्यांकन अधिकारी और करदाता को उस माह के अंत से छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा जिसमें संदर्भ दिया गया था।

खंड 153 में आर्म्स लेंथ मूल्य के निर्धारण से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, किसी भी वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा किए गए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में खंड 117 के अंतर्गत आर्म्स लेंथ मूल्य की गणना के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी को संदर्भित कर सकता है। उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे संदर्भ पर, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी खंड 117 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करेगा और वित्तीय वर्ष के अंत से बयालीस महीने की अवधि समाप्त होने से पहले मूल्यांकन अधिकारी और करदाता को अपने निर्धारण की रिपोर्ट भेजेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन दर्ज किया गया है।

धारा 154 एक अनुचित परिहार समझौते के निर्धारण और उसके परिणामों से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि आयुक्त धारा 123 के प्रयोजनों के लिए करदाता को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे अपने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि धारा 123 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते हैं।

इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे विवरणों और साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् आयुक्त, ऐसे नोटिस जारी किए जाने वाले माह के अंत से बारह माह की समाप्ति के पूर्व, व्यवस्था को खंड 123 के प्रयोजनों के लिए अनुचित परिहार समझौता या अन्यथा घोषित करने वाला आदेश पारित करेगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यवस्था को अनुचित परिहार समझौता घोषित करने पर, आयुक्त कुल आय या कर देयता में आवश्यक समायोजन करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश जारी करेगा तथा ऐसे आदेश की एक प्रति करदाता तथा व्यवस्था के दूसरे पक्ष के क्षेत्राधिकार प्राप्त आयुक्त को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजेगा।

धारा 155 मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि धारा 150 के उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए नोटिस के परिणामस्वरूप, मूल्यांकन अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, करदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, धारा 151 के तहत लेखापरीक्षा की किसी भी रिपोर्ट, मूल्यांकन की किसी भी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए करदाता के कर आधार का मूल्यांकन करेगा।

अधिकारी का कोई आदेश, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी का कोई आदेश, खंड 154 के तहत आयुक्त का कोई निर्देश, खंड 157 के तहत संयुक्त आयुक्त का कोई निर्देश और उसके कब्जे में मौजूद सामग्री, जिसके संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

करदाता।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे मूल्यांकन के आधार पर, मूल्यांकन अधिकारी खंड 149 के उप-खंड (2) के तहत जारी सूचना के अनुरक्षण में करदाता द्वारा भुगतान की गई राशि या उसे वापस की गई राशि को समायोजित करने के बाद देय या वापसी योग्य राशि का निर्धारण करेगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि करदाता आय या हानि में कोई ऐसा परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है जो ऐसे करदाता के हितों के लिए हानिकारक है, तो कर निर्धारण अधिकारी पात्र करदाता को मसौदा आदेश अग्रेषित करेगा, जो मसौदा आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर कर निर्धारण अधिकारी को अपनी स्वीकृति दर्ज कर सकता है या विवाद समाधान पैनल और कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे परिवर्तनों पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके बाद, कर निर्धारण अधिकारी मसौदा आदेश के आधार पर, यदि करदाता इसे स्वीकार करता है, या विवाद समाधान पैनल के निर्देश के अनुरूप, उस महीने के अंत से एक महीने की अवधि के भीतर कर निर्धारण पूरा करेगा जिसमें ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है।

उक्त खंड में "पात्र करदाता" शब्द को भी परिभाषित किया गया है।

खंड 156 सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर आधारों का निर्धारण करेगा, यदि-

(क) करदाता खंड 144 या खंड 146 के अंतर्गत अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में या खंड 150 के उपखंड (1) के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस की सभी शर्तों का पालन करने में या खंड 151 के अंतर्गत जारी किए गए निर्देश का पालन करने में या खंड 159 के अंतर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

(ख) करदाता नियमित रूप से लेखांकन मानकों या पद्धति का पालन करने में विफल रहता है
खंड 89 में निर्धारित लेखांकन का; या

(ग) वह करदाता के लेखों की शुद्धता या पूर्णता के बारे में संतुष्ट नहीं है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन अधिकारी सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखेगा जो उसने एकत्र की है या रिकॉर्ड में उपलब्ध है।

खंड 157 संयुक्त आयुक्त द्वारा मूल्यांकन के लिए निर्देशों से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि संयुक्त आयुक्त, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उसे भेजे गए संदर्भ पर या किसी करदाता के आवेदन पर या स्वयं के प्रस्ताव पर, किसी कार्यवाही के रिकॉर्ड को मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है जिसमें मूल्यांकन लंबित है और मूल्यांकन अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो उसे उचित लगे ताकि मूल्यांकन पूरा करने में उसे सक्षम बनाया जा सके। संयुक्त आयुक्त करदाता के लिए कोई प्रतिकूल निर्देश तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दिया जाए। उक्त खंड में आगे प्रावधान है कि जारी किया गया ऐसा कोई भी निर्देश मूल्यांकन अधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

खंड 158 विवाद समाधान पैनल द्वारा मूल्यांकन के लिए निर्देशों से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि जहां खंड 155 के उप-खंड (5) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त होती है, विवाद समाधान पैनल मसौदा आदेश से संबंधित किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है या ऐसी कोई जांच कर सकता है या करवा सकता है और मूल्यांकन अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए निर्देश जारी कर सकता है, उस महीने के अंत से नौ महीने की अवधि के भीतर जिसमें मसौदा आदेश करदाता को भेजा जाता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि विवाद समाधान पैनल मसौदा आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों की पुष्टि कर सकता है, उन्हें कम या बढ़ा सकता है, लेकिन मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले किसी प्रस्तावित परिवर्तन को रद्द नहीं करेगा या आगे की जांच के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करेगा।

इसके अलावा, किसी भी मुद्दे पर विवाद समाधान पैनल के सदस्यों के बीच किसी भी मतभेद का निर्णय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा। विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निर्देश मूल्यांकन अधिकारी के लिए बाध्यकारी होंगे।

खंड 159 मूल्यांकन को फिर से खोलने से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी लिखित रूप में दर्ज कारणों से पुनर्मूल्यांकन के लिए मामले को फिर से खोलेगा, यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि कर के लिए प्रभार्य कोई भी कर आधार प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गया है। उक्त खंड में उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके तहत कर के लिए प्रभार्य कर आधार को मूल्यांकन से बच गया माना जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि मूल्यांकन को पुनः खोलने के लिए नोटिस उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के सात वित्तीय वर्षों के लिए जारी किया जाएगा जिसमें तलाशी और जब्ती की गई है या सामग्री की मांग की गई है, और किसी भी अन्य मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जहां खंड 155 या खंड 156 या इस खंड के तहत मूल्यांकन किया गया है, वहां संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा-

(i) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर, जब तक कि संयुक्त आयुक्त ऐसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज कारणों से संतुष्ट न हो जाए कि यह ऐसा नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है;

(ii) सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जब तक कि आयुक्त का ऐसा समाधान न हो जाए;

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी भी अन्य मामले में, संयुक्त आयुक्त से नीचे के पद के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि संयुक्त आयुक्त ऐसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों से संतुष्ट न हो जाए कि यह ऐसा नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि सात वित्तीय वर्षों की उपर्युक्त अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित कोई भी मूल्यांकन कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, यदि वह तलाशी शुरू होने की तिथि पर या उस व्यक्ति के मामले में सामग्री की मांग करने की तिथि पर लंबित है, जिस पर तलाशी ली गई है या जिससे ऐसी सामग्री संबंधित है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए नोटिस के अनुसरण में रिटर्न प्राप्त होने पर, या रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए उसमें निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद, मूल्यांकन अधिकारी लिखित आदेश द्वारा कुल आय का पुनर्मूल्यांकन करेगा। इसमें प्रावधान है कि इस प्रकार किए गए पुनर्मूल्यांकन में, कर उस दर या दरों पर लगाया जाएगा जिस पर कर आधार मूल्यांकन से बच नहीं पाया होता। उक्त खंड में कुछ परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान है जिसके तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को छोड़ दिया जाएगा।

धारा 160 तलाशी मूल्यांकन के अनुमोदन से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि संयुक्त आयुक्त की मंजूरी के बिना मूल्यांकन अधिकारी द्वारा तलाशी मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

धारा 161 गलती के सुधार से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि आयकर प्राधिकरण अपने द्वारा पारित किसी आदेश या जारी की गई सूचना को रिकॉर्ड में दिखाई देने वाली किसी गलती को सुधारने के लिए उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित कर सकता है जिसमें संशोधित किया जाने वाला आदेश पारित किया गया था।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि आयकर प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या करदाता या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर संशोधन कर सकता है। इसमें प्रावधान है कि ऐसे आवेदन पर उस महीने के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा जिसमें आवेदन उसे प्राप्त हुआ है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां आदेश किसी अपील या पुनरीक्षण में तय किया गया है, वहां इस तरह संशोधन करने की प्राधिकरण की शक्ति केवल उन मामलों तक सीमित होगी जो अपील या पुनरीक्षण में तय नहीं किए गए हैं।

खंड 162 मांग की सूचना से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि इस संहिता के तहत किए गए किसी आदेश या जारी की गई सूचना के परिणामस्वरूप देय कोई भी राशि आयकर अधिकारी द्वारा मांगी जाएगी।

निर्धारित प्रपत्र और तरीके से करदाता को मांग की सूचना भेजकर प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि खंड 149 के उपखंड (2) के तहत जारी की गई सूचना को इस उद्देश्य के लिए मांग की सूचना माना जाएगा।

खंड 163 में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन पूरा करने के लिए समय सीमा का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसी समय सीमा इस संहिता के अंतर्गत अपील या संदर्भ के अलावा किसी अन्य तरीके से की गई कार्यवाही में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारियों या किसी न्यायालय के किसी आदेश में निहित किसी निष्कर्ष या निर्देश के परिणामस्वरूप किए जाने वाले मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के संबंध में लागू नहीं होगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि ऐसी सीमा अवधि की गणना करते समय, कुछ निर्दिष्ट समय अवधियों को बाहर रखा जाएगा। इसमें प्रावधान है कि मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का आदेश देने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को उपलब्ध सीमा अवधि को साठ दिनों तक बढ़ाया जाएगा, यदि निर्दिष्ट समय अवधियों के बहिष्कार के तुरंत बाद की अवधि साठ दिनों से कम है।

खंड 164 यह प्रावधान करता है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिनिधि किसी करदाता के संबंध में "करदाता" का अर्थ है -

(क) किसी अनिवासी का एजेंट, यदि करदाता अनिवासी है;

(ख) किसी नाबालिग, पागल या मूर्ख व्यक्ति का अभिभावक या प्रबंधक, यदि करदाता नाबालिग है, पागल या मूर्ख;

(ग) कोर्ट ऑफ वार्ड्स, प्रशासक-जनरल, आधिकारिक ट्रस्टी, कोई रिसीवर या प्रबंधक (जिसमें करदाता की ओर से संपत्ति का प्रबंधन करने वाला कोई व्यक्ति भी शामिल है) जिसे न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके तहत नियुक्त किया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति करदाता की ओर से या उसके लाभ के लिए आय प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है;

(घ) मौखिक ट्रस्ट के तहत नियुक्त ट्रस्टी, या लिखित रूप में एक साधन के तहत बनाया गया ट्रस्ट और किसी व्यक्ति की ओर से या उसके लाभ के लिए आय प्राप्त करने का हकदार, यदि करदाता एक ट्रस्ट है;

(ई) कानूनी प्रतिनिधि, या निष्पादक, यदि करदाता की मृत्यु हो जाती है;

(च) किसी अनिगमित निकाय के विघटन की स्थिति में भागीदार अथवा मृतक भागीदार का विधिक प्रतिनिधि; तथा

(छ) किसी कंपनी की दशा में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 या धारा 490 के अधीन नियुक्त परिसमापक।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी अनिवासी के संबंध में कौन "एजेंट" हो सकता है और किसी मृत व्यक्ति के संबंध में कौन निष्पादक हो सकता है।

खंड 165, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक प्रतिनिधि-करदाता, अपनी प्रतिनिधि हैसियत में, केवल उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले व्यक्ति के कर आधार के संबंध में ही कर निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक प्रतिनिधि-करदाता उसी प्रकार के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों के अधीन होगा, जैसे कि उसे उपार्जित कर आधारों के अधीन होता है और उस पर कर उसी प्रकार लगाया जाएगा, जिस प्रकार वह प्रधान पर लगाया जाता है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्रधान की मृत्यु या विघटन या परिसमापक की नियुक्ति से पहले शुरू की गई कोई कार्यवाही, या जो शुरू की जा सकती थी, प्रतिनिधि के खिलाफ की गई मानी जाएगी, या उसके मामले में शुरू की जा सकती है।

करदाता।

खंड 166 में प्रावधान है कि उप-अध्याय में कुछ भी प्रत्यक्ष मूल्यांकन को नहीं रोकेगा मूलधन की वसूली या इस संहिता के तहत मूलधन से देय किसी राशि की वसूली।

खंड 167 यह प्रावधान करता है कि कर निर्धारण अधिकारी को किसी भी प्रतिनिधि-करदाता में निहित किसी भी प्रकार की समस्त संपत्ति के विरुद्ध वही उपचार प्राप्त होगा जो उसे प्रधान करदाता की संपत्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है।

खंड 168 व्यवसाय पुनर्गठन की स्थिति में मूल्यांकन से संबंधित है तथा यह बताता है कि व्यवसाय पुनर्गठन में पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि पूर्ववर्ती का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से ठीक पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय के संबंध में किया जाएगा तथा उत्तराधिकारी का मूल्यांकन व्यवसाय पुनर्गठन की तारीख से प्रारंभ होकर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय के संबंध में किया जाएगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि पूर्ववर्ती के विरुद्ध की गई कोई कार्यवाही उत्तराधिकारी के विरुद्ध की गई मानी जाएगी तथा उसे उत्तराधिकारी के विरुद्ध उसी चरण से जारी रखा जा सकेगा जिस चरण पर वह व्यवसाय पुनर्गठन की तिथि को थी।

खंड 169, विभाजन के बाद हिंदू अविभाजित परिवार के मूल्यांकन से संबंधित है तथा इसमें यह प्रावधान है कि ऐसा परिवार उसी रूप में बना हुआ माना जाएगा, सिवाय इसके कि जहां हिंदू अविभाजित परिवार के संबंध में इस खंड के अंतर्गत विभाजन का निष्कर्ष दिया गया हो।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी आवश्यक जांच करने के पश्चात यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का पूर्ण या आंशिक विभाजन हुआ है या नहीं, और यदि ऐसा विभाजन हुआ है तो वह तारीख जिस दिन विभाजन हुआ है।

यह खंड स्पष्ट करता है कि परिवार के आंशिक विभाजन के किसी भी दावे की जांच नहीं की जाएगी या उसे विभाजन के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, संहिता के सभी प्रावधान जैसे वे हिंदू अविभाजित परिवार पर उसके पूर्ण विभाजन से पहले लागू होते थे, उस तिथि तक लागू रहेंगे जिस तिथि को ऐसे परिवार का पूर्ण विभाजन हो गया है।

इस खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी हिंदू अविभाजित परिवार के आंशिक विभाजन की स्थिति में, परिवार का इस संहिता के अंतर्गत इस प्रकार मूल्यांकन किया जाता रहेगा मानो कोई आंशिक विभाजन हुआ ही न हो तथा उस परिवार या उसके सदस्यों का दायित्व वही रहेगा।

इस खंड में "विभाजन" और "आंशिक विभाजन" शब्दों को भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

खंड 170, जहाजों के परिचालन के सामयिक कारोबार से किसी अनिवासी की आय के आकलन से संबंधित है तथा इसमें यह प्रावधान है कि ऐसा आकलन इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि किसी अनिवासी के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा किराये पर लिए गए जहाज का स्वामी, जहाज के प्रस्थान से पहले, उस बंदरगाह पर जहाज के अंतिम आगमन के बाद से मालिक या किराये पर लिए गए व्यक्ति द्वारा उपार्जित या प्राप्त परिवहन व्यय की पूरी राशि का रिटर्न निर्धारण अधिकारी को देगा।

इस खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि रिटर्न प्राप्त होने पर, मूल्यांकन अधिकारी चौदहवीं अनुसूची के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत तालिका की क्रम संख्या 7 के अनुसार आय का मूल्यांकन करेगा और निर्धारित कर जहाज के मालिक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय होगा। इसके अलावा, कर का विधिवत भुगतान किए जाने या भुगतान के लिए संतोषजनक व्यवस्था किए जाने के बाद जहाज को बंदरगाह निकासी प्रदान की जाएगी।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि जहाज के मालिक या किराये पर लेने वाले की प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए आय का आकलन भी, उसके विकल्प पर, संहिता के अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

खंड 171 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति के वित्तीय वर्ष के भाग के लिए कर आधार उस वित्तीय वर्ष में कर योग्य हो सकते हैं, यदि निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान या उसके तुरंत बाद भारत छोड़ सकता है तथा उसका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी व्यक्ति से मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए कर आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और यदि इसे संहिता के अनुसार आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो वह वित्तीय वर्ष के भाग के लिए व्यक्ति के कर आधारों का अनुमान लगा सकता है। इसके अलावा, इस खंड के तहत गणना किए गए कर आधारों पर देय कर संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा।

खंड 172 में यह प्रावधान है कि यदि मूल्यांकन अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वित्तीय वर्ष में किसी विशेष घटना या उद्देश्य के लिए गठित एक अनिगमित निकाय का वित्तीय वर्ष में या उसके तुरंत बाद विघटन होने की संभावना है, तो वह उस वित्तीय वर्ष में उस अनिगमित निकाय के कर आधारों पर वित्तीय वर्ष के पहले दिन से लेकर उसके विघटन की संभावित तिथि तक की अवधि के लिए कर लगा सकता है। इसके अलावा, खंड 171 के प्रावधान इस खंड के तहत किसी भी कार्यवाही पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे भारत छोड़ने वाले व्यक्ति के मामले में लागू होते हैं।

खंड 173 में यह प्रावधान है कि यदि मूल्यांकन अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति इस संहिता के अंतर्गत किसी दायित्व के भुगतान से बचने के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अपनी किसी भी संपत्ति को चार्ज करने, बेचने, स्थानांतरित करने, निपटाने या अन्यथा अलग करने की संभावना रखता है, तो वह उस वित्तीय वर्ष में ऐसे व्यक्ति के कर आधारों पर वित्तीय वर्ष के पहले दिन से लेकर उस तिथि तक की अवधि के लिए कर लगा सकता है, जब मूल्यांकन अधिकारी इस खंड के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करता है। इसके अलावा, खंड 171 के प्रावधान इस खंड के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे भारत छोड़ने वाले व्यक्ति के मामले में लागू होते हैं।

खंड 174 बंद किए गए कारोबार से संबंधित है और इसमें यह प्रावधान है कि जहां किसी वित्तीय वर्ष में कोई कारोबार बंद कर दिया जाता है, वहां मूल्यांकन अधिकारी उस वित्तीय वर्ष में ऐसे कारोबार के कर आधार पर, वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से कारोबार बंद किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए कर लगा सकता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय बंद करता है, उसे ऐसे बंद करने की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर कर निर्धारण अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी उस व्यक्ति से, जिसका व्यवसाय बंद हो गया है, कर आधारों की रिटर्न प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और रिटर्न प्राप्त होने पर या ऐसा रिटर्न दाखिल करने की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद, वह संहिता के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, इस खंड के तहत गणना किए गए कर आधारों पर देय कर संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा।

खंड 175 किसी अनिगमित निकाय के संविधान में परिवर्तन की स्थिति में उसके मूल्यांकन से संबंधित है तथा यह प्रावधान करता है कि ऐसे मामले में मूल्यांकन अधिकारी उस संपूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में एकल मूल्यांकन करेगा जिसमें परिवर्तन हुआ है। यदि मौजूदा भागीदार बाहर चले जाते हैं या नए भागीदार शामिल हो जाते हैं या सभी भागीदार अपने-अपने शेरों में या उनमें से कुछ के शेरों में परिवर्तन जारी रखते हैं तो परिवर्तन हुआ माना जाता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि संविधान में परिवर्तन किसी भागीदार की मृत्यु या सभी भागीदारों की सेवानिवृत्ति के कारण हुआ है तो इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे।

खंड 176 यह प्रावधान करता है कि मूल्यांकन अधिकारी अलग-अलग मूल्यांकन करेगा किसी भी दो अनिगमित निकायों पर, यदि—

(क) एक अनिगमित निकाय दूसरे अनिगमित निकाय का उत्तराधिकारी बनता है; और (ख) उत्तराधिकार निकाय के सभी प्रतिभागियों की

सेवानिवृत्ति के आधार पर होता है।

किसी भी प्रतिभागी की असंगठित निकाय या मृत्यु।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि पृथक मूल्यांकन खंड 168 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, मानो अन्य अनिगमित निकाय का उत्तराधिकारी अनिगमित निकाय ही उत्तराधिकारी है तथा उत्तराधिकारी अनिगमित निकाय ही पूर्ववर्ती है।

खंड 177 में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता द्वारा दाखिल प्रत्येक रिटर्न का इस प्रकार मूल्यांकन करेगा मानो वह कर आधारों का रिटर्न हो। इसके अलावा, जहां कोई व्यक्ति ऐसा रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, वहां कर निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इस संहिता के अन्य सभी प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो यहां संदर्भित रिटर्न कर आधारों का रिटर्न हो।

खंड 178 आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील से संबंधित है और इसमें प्रावधान है कि यदि कोई करदाता संहिता की इक्कीसवीं अनुसूची में निर्दिष्ट आयुक्त के पद से नीचे के किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या खंड 149 के अंतर्गत जारी सूचना से व्यथित है तो वह आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर सकता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि करदाता उस स्थिति में भी अपील कर सकता है, जहां खंड 161 के अंतर्गत उसके द्वारा दाखिल आवेदन का निपटारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आवेदन दाखिल करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां उसे किसी समझौते या अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किसी अनिवासी को देय आय पर कर कटौती के संबंध में देयता वहन करने की आवश्यकता है और वह दावा करता है कि ऐसी आय पर उसके द्वारा कोई कर कटौती योग्य नहीं था और उसने कर को केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दिया है।

खंड 179 में आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील करने का तरीका बताया गया है। करदाता द्वारा अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर की जानी चाहिए तथा निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इस खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि आयुक्त (अपील) निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकते हैं, यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता के पास उस समय सीमा के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण थे तथा अपील करने में देरी एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हुई है।

खंड 180 आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि आयुक्त (अपील) किसी भी अपील का निपटारा करने से पहले ऐसी जांच कर सकता है जिसे वह उचित समझे या मूल्यांकन अधिकारी को ऐसा करने का निर्देश दे सकता है। वह अपीलकर्ता को अपील के किसी भी नए आधार पर जाने की अनुमति भी दे सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि चूक जानबूझकर या अनुचित नहीं थी।

खंड 181 आयुक्त (अपील) की शक्तियों से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि उसके समक्ष अपील की स्थिति में, उसे मूल्यांकन की पुष्टि करने, उसे कम करने, उसे बढ़ाने या निरस्त करने या किसी दंड की पुष्टि करने या उसे रद्द करने या उसे बढ़ाने या घटाने की शक्ति होगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि आयुक्त (अपील) किसी भी मामले पर विचार कर निर्णय दे सकता है जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया हो।

खंड 182 अपील अधिकरण के गठन से संबंधित है और यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार एक अपील अधिकरण का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने न्यायिक तथा लेखा सदस्य होंगे, जितने वह ठीक समझे, जो इस संहिता द्वारा अपील अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए होंगे।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि कौन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य पद के लिए पात्र होगा। अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या लेखाकार सदस्य।

खंड 183 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई करदाता इसमें निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित है तो वह अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। इसी प्रकार, यदि आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का निर्देश दे सकता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि आयुक्त (अपील) या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

यह खंड यह भी प्रावधान करता है कि प्रत्येक अपील उसमें निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और प्रतिवादी को आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भी भाग के विरुद्ध प्रति-आपत्ति ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति देता है। अपीलीय न्यायाधिकरण निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अपील या प्रति-आपत्ति ज्ञापन स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उस समय अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था और अपील दाखिल करने में देरी एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं है।

खंड 184 अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मांग पर रोक लगाने के आदेश से संबंधित है। उक्त खंड में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि न्यायाधिकरण करदाता को पहली बार में एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए मांग पर रोक दे सकता है और इसे अधिकतम तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा ऐसी अवधि में अपील का निपटान करने का प्रयास कर सकता है।

खंड 185 अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि न्यायाधिकरण दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे। इसके पास ऐसे आदेश की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर रिकॉर्ड में दिखाई देने वाली किसी भी गलती को सुधारने और तदनुसार, अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित करने की शक्ति भी होगी।

खंड 186, अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठों के गठन और प्रक्रिया से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि न्यायाधिकरण की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन इसके सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा गठित पीठों द्वारा किया जा सकता है। प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखाकार सदस्य होगा। राष्ट्रपति तीन या अधिक सदस्यों वाली एक विशेष पीठ का गठन कर सकता है, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से न्यायिक सदस्य और एक लेखाकार सदस्य होगा। यदि किसी बिंदु पर पीठ के सदस्यों की राय अलग-अलग हो, तो इसका निर्णय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 192 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। अपीलीय न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया और न्यायपीठों की प्रक्रिया को विनियमित करने की भी शक्ति होगी।

खंड 187 उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित है तथा यह प्रावधान करता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी, यदि उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्गुप्त है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त या करदाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर और निर्दिष्ट प्रारूप में उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि उस अवधि के भीतर अपील दायर न करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि उच्च न्यायालय अपने द्वारा तैयार न किए गए किसी अन्य महत्वपूर्ण विधि प्रश्न पर अपील सुनने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि मामले में विधि का ऐसा प्रश्न शामिल है, और इस प्रकार तैयार किए गए विधि प्रश्न का निर्णय करेगा तथा ऐसा निर्णय देगा जैसा वह उचित समझे। ऐसे आदेश को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रभावी किया जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान, उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित प्रावधान इस खंड के अंतर्गत अपील के मामले में लागू होंगे।

खंड 188 में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी तथा उस पर ऐसे न्यायाधीशों या ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

खंड 189 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों से संबंधित है तथा यह उपबंध करता है कि खंड 187 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी, जिसे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त मामला प्रमाणित करता है।

खंड 190 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई से संबंधित है तथा यह उपबंध करता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध धारा 189 के अंतर्गत अपीलों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उच्च न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध अपीलों के मामले में लागू होते हैं।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जहां अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन किया जाता है या उसे उलट दिया जाता है, वहां धारा 187 में उपबंधित तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी किया जाएगा।

खंड 191 राजस्व को हानि पहुंचाने वाले आदेशों के संशोधन से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि आयुक्त अपने अधीनस्थ किसी भी आयकर प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश को सभी उपलब्ध अभिलेखों की जांच करने, करदाता की सुनवाई करने और निर्णय लेने के बाद संशोधित कर सकता है।

यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि संशोधित किया जाने वाला आदेश त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल है, तो वह ऐसी जांच कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि संशोधन आदेश का प्रभाव मूल्यांकन को बढ़ाने या संशोधित करने का हो सकता है, लेकिन यह मूल्यांकन को रद्द करने और नए मूल्यांकन का निर्देश देने वाला आदेश नहीं होगा। इसके अलावा, किसी आदेश को संशोधित करने के लिए आयुक्त की शक्ति उसमें निर्दिष्ट कुछ आदेशों तक विस्तारित नहीं होगी। इसके अलावा, जिस वित्तीय वर्ष में संशोधित किए जाने वाले आदेश को पारित किया गया था, उसके अंत से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि आयुक्त अपने अधीनस्थ आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश को इस हद तक त्रुटिपूर्ण माना जाएगा कि यह राजस्व के हितों के लिए हानिकारक है, यदि यह आदेशों की किसी निर्दिष्ट श्रेणी में आता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि आदेश कानून में संधारणीय दृष्टिकोण रखते हुए दिया गया है और आयुक्त कानून में संधारणीय किसी अन्य दृष्टिकोण के अस्तित्व के कारण सहमत नहीं है, तो आदेश को इस हद तक त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाएगा कि यह राजस्व के हितों के लिए हानिकारक है।

यह खंड 'रिकॉर्ड' शब्द को भी परिभाषित करता है।

खंड 192 यह प्रावधान करता है कि आयुक्त अपने अधीनस्थ आयकर अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित कर सकता है, सिवाय उस आदेश के जिस पर खंड 191 लागू होता है, सभी उपलब्ध अभिलेखों की जांच करने के बाद। हालांकि, ऐसा संशोधन आदेश करदाता के लिए प्रतिकूल नहीं होगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि किसी आदेश को संशोधित करने की आयुक्त की शक्ति उसमें विनिर्दिष्ट आदेशों तक विस्तारित नहीं होगी।

इस खंड में यह भी प्रावधान है कि करदाता को किसी भी आदेश में संशोधन के लिए निर्धारित समय के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना चाहिए। इसके अलावा, संशोधन आदेश उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पारित नहीं किया जाएगा जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है या यदि आयुक्त स्वप्रेरणा से आदेश को संशोधित करता है तो संशोधित आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पारित नहीं किया जाएगा।

संहिता का अध्याय XIII संग्रहण और वसूली से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। इस अध्याय का भाग ए स्रोत पर कटौती से संबंधित है।

खंड 193 स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण या अग्रिम भुगतान से संबंधित है। यह खंड यह प्रावधान करता है कि किसी भी आय पर कर इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कटौती या संग्रहण या अग्रिम भुगतान द्वारा देय होगा, भले ही ऐसी आय के संबंध में नियमित मूल्यांकन बाद के वित्तीय वर्ष में किया जाना हो।

उक्त खंड का उप-खंड (2) एक अधिभावी प्रावधान है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि इस खंड की कोई भी बात खंड 2 के उप-खंड (2) के प्रावधानों के तहत ऐसी आय पर कर के प्रभार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

प्रत्यक्ष भुगतान से संबंधित खंड 194 यह उपबंध करता है कि यदि भुगतान के समय आयकर की कटौती या संग्रहण के लिए इस अध्याय के अंतर्गत कोई उपबंध नहीं है या इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार आयकर की कटौती या संग्रहण नहीं किया गया है तो आयकर का भुगतान व्यक्ति द्वारा सीधे किया जाना होगा।

उक्त खंड के उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जिसे संहिता के उपबंधों के अनुसार कोई राशि काटने या एकत्र करने की आवश्यकता है, संहिता के अधीन एकत्र या कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित कर की कटौती या संग्रह नहीं करता है या ऐसी कटौती या संग्रह करने के पश्चात् संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, और जहां करदाता ऐसे कर का प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने में भी विफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसे भुगताना पड़ सकता है, ऐसे कर के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा।

स्रोत पर कर कटौती करने की देयता से संबंधित खंड 195 यह प्रावधान करता है कि निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति, भुगतान के समय, उचित दर पर आयकर की कटौती करेगा। खंड आगे यह भी प्रावधान करता है कि निर्दिष्ट भुगतान और

उपयुक्त दर वह होगी जो निवासी कटौतीकर्ता के मामले में तीसरी अनुसूची में और अनिवासी कटौतीकर्ता के मामले में चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि अनिवासी कटौतीकर्ता के मामले में, जहां ऐसे विनिर्दिष्ट भुगतान के संबंध में दर खंड 291 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए संगत करार में प्रदान की गई है, वहां उपयुक्त दर अनुसूचित दर या ऐसे करार में प्रदान की गई दर में से निम्नतर होगी।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि कटौतीकर्ता को स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अपेक्षित है और वह कटौतीकर्ता को ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं कराता है, तो ऐसे मामले में स्रोत पर कर की कटौती बीस प्रतिशत की दर से या उक्त खंड में विनिर्दिष्ट दर पर, जो भी अधिक हो, की जाएगी।

आय के भुगतान और कर की कटौती से संबंधित धारा 196, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि स्रोत पर कटौती नकद भुगतान करने के प्रारंभिक बिंदु पर, चेक या ड्राफ्ट जारी करके, किसी भी खाते में जमा करके, चाहे उसे उचित खाता कहा जाए या किसी अन्य नाम से, या किसी अन्य निर्धारित तरीके से की जानी होगी।

इस खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां भुगतान पूर्णतः या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में किया गया हो, वहां कटौतीकर्ता को भुगतान करने से पहले स्रोत पर कर कटौती का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां भुगतान को "रोजगार से आय" शीर्षक के तहत कर लगाया जाना है या यह ब्याज की प्रकृति का है, वहां कटौतीकर्ता वित्तीय वर्ष के दौरान पिछली कटौती या गैर-कटौती की किसी भी कमी या अधिकता की भरपाई के लिए कटौती की राशि को समायोजित कर सकता है। उक्त खंड में कटौतीकर्ता को रोजगार से किसी अन्य आय और किसी अन्य नियोक्ता से कटौतीकर्ता की उस पर काटे गए कर और बकाया या अग्रिम प्राप्तियों के लिए कर राहत को भी ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां किसी भुगतान पर देय कर का वहन किसी करार या व्यवस्था के अनुसरण में कटौतीकर्ता द्वारा किया जाना है, भुगतान ऐसी राशि तक किया जाना होगा जो उचित दर पर उस पर कर की कटौती के बाद ऐसे करार या व्यवस्था के अंतर्गत देय शुद्ध राशि के बराबर होगी।

खंड 197 मूल्यांकन अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह कटौतीकर्ता को कम या कोई कर कटौती नहीं करने का प्रमाणपत्र दे, जहां कटौतीकर्ता निवासी है या कटौतीकर्ता को जहां कटौतीकर्ता गैर-निवासी है, यदि मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है कि कटौतीकर्ता की कुल आय कम या शून्य दर पर कर कटौती को उचित ठहराती है। तदनुसार, खंड में यह प्रावधान है कि कटौती प्रमाणपत्र के अनुसार की जाएगी, जब तक कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र को रद्द नहीं कर दिया जाता है या प्रमाणपत्र की वैधता की समाप्ति नहीं हो जाती है, जो भी पहले हो।

कटौतीकर्ता के दायित्वों से संबंधित खंड 198 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक कटौतीकर्ता निर्धारित समय और तरीके के भीतर कटौती की गई राशि को केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करेगा, कटौतीकर्ता को प्रमाण-पत्र देगा तथा खंड 199 में दिए गए तरीके से कर कटौती का विवरण भी देगा।

धारा 199 कर की कटौती के बिना निवासियों को भुगतान से संबंधित है। उक्त धारा यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक कटौतीकर्ता, चाहे वह वित्तीय संस्थान हो या सहकारी समिति या कोई अन्य अधिसूचित कटौतीकर्ता, कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के भुगतान के संबंध में रिटर्न वितरित करेगा या वितरित करवाएगा। यह धारा बोर्ड को अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी रिटर्न की अवधि, उसका प्रारूप, सत्यापन का तरीका, उसे दाखिल करने का समय, दाखिल करने का माध्यम आदि के बारे में प्रावधान करने का अधिकार देती है।

खंड 200 उन मामलों के लिए प्रावधान करता है जिनमें कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि निवासी कटौतीकर्ता के मामले में कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी यदि - (ए) वेतन के अलावा कोई भुगतान किसी

व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया जाता है, जिसे भुगतान किए जाने वाले वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होती है;

(ख) किसी प्रतिभूति पर देय कोई ब्याज,—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूति; या (ii) किसी कंपनी द्वारा जारी

की गई प्रतिभूति, यदि ऐसी प्रतिभूति अभौतिक रूप में है और भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है;

(सी) किसी व्यक्ति को देय कुछ डिबेंचर पर कोई ब्याज, यदि कुल वित्तीय वर्ष के दौरान देय राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी;

(घ) किसी बैंक या आवास-वित्त सार्वजनिक कंपनी के पास निश्चित सावधि जमा पर कोई ब्याज, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक या कंपनी की शाखा द्वारा देय कुल राशि दस हजार रुपये से अधिक नहीं है;

(ई) किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक, केंद्रीय या राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित वित्तीय निगम, बीमाकर्ता, म्यूचुअल फंड या किसी अधिसूचित संस्था, संघ या निकाय को देय कोई ब्याज;

(च) किसी फर्म द्वारा अपने किसी साझेदार को देय कोई ब्याज;

(छ) शून्य कूपन बांड की परिपक्वता या मोचन पर देय कोई राशि;

(ज) सड़क परिवहन द्वारा माल की ढुलाई के लिए कोई भुगतान, यदि आदाता भुगतानकर्ता को अपना स्थायी खाता संख्या प्रदान करता है;

(i) किसी ठेकेदार को कार्य संविदा, सेवा संविदा, विज्ञापन, प्रसारण और दूरदर्शन, किसी कार्य या सेवा को करने के लिए श्रम की आपूर्ति, संविदा या रेलवे के अलावा परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा माल या यात्रियों की ढुलाई के संबंध में कोई भुगतान, यदि -

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भुगतान की राशि तीस हजार रुपये से अधिक नहीं है; और

(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की कुल राशि पचहत्तर हजार रुपये से अधिक नहीं है;

(जे) किराये का कोई भी भुगतान, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की कुल राशि एक लाख अस्सी हजार रुपये से अधिक नहीं है;

(ट) अचल संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर मुआवजे का कोई भुगतान, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की कुल राशि दो लाख रुपये से अधिक नहीं है;

इसके अलावा, किसी अनिवासी कर्तृकर्ता के मामले में, जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में उसे किए गए किसी भी भुगतान पर कर्तृकर्ता नहीं की जाएगी।

काटे गए कर के लिए क्रेडिट से संबंधित खंड 201 यह प्रावधान करता है कि किसी कर्तृकर्ता की कुल आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, उसे किए गए भुगतानों पर कर्तृकर्ता की गई राशि उसकी प्राप्त आय मानी जाएगी। इसके अलावा खंड यह प्रावधान करना चाहता है कि जिन राशियों की कर्तृकर्ता की गई है और केंद्र सरकार को भुगतान किया गया है, उन्हें कर्तृकर्ता की ओर से कर का भुगतान माना जाएगा। खंड आगे बोर्ड को कर्तृकर्ता को क्रेडिट देने की प्रक्रिया, वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए ऐसा क्रेडिट दिया जा सकता है और उससे संबंधित कोई अन्य मामला निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

खंड 202, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति, विक्रेता, पट्टादाता या लाइसेंसकर्ता, जो किसी भी राशि को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है—

(क) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा, तेंदू पत्ते, वन पट्टे के तहत या अन्यथा प्राप्त लकड़ी, लकड़ी या तेंदू पत्ते से इतर कोई अन्य वन उपज या स्क्रेप की बिक्री; या

(ख) पट्टा या लाइसेंस या अनुबंध प्रदान करना या किसी अधिकार या हित का हस्तांतरण करना, पूर्णतः या आंशिक रूप से, पार्किंग स्थल या टोल प्लाजा के लिए या खनन या उत्खनन के लिए,

ऐसी राशि का तीन प्रतिशत आयकर के रूप में वसूल करेगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि संग्रह उस समय से जल्द से जल्द किया जाना चाहिए जब भुगतान नकद में प्राप्त होता है, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से, किसी भी खाते में डेबिट करके, चाहे इसे "उंचत खाता" कहा जाता है या किसी अन्य नाम से या किसी अन्य तरीके से।

निर्धारित तरीके से। यह भी प्रावधान है कि इस तरह से एकत्रित की गई राशि निर्धारित समय और तरीके के भीतर केंद्र सरकार के खाते में जमा करानी होगी। किसी भी राशि को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को खरीदार, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को निर्धारित समय के भीतर कर संग्रह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके और तरीके से स्रोत पर एकत्र किए गए कर का रिटर्न दाखिल करना होगा।

एकत्रित कर के लिए क्रेडिट से संबंधित खंड 203 यह प्रावधान करता है कि कर संग्रहकर्ता से एकत्रित की गई और केंद्र सरकार के खाते में जमा की गई सभी राशियों को उस व्यक्ति की ओर से कर का भुगतान माना जाएगा, जिससे ऐसी राशि एकत्र की गई है। यह खंड बोर्ड को कर संग्रहकर्ता को क्रेडिट देने की प्रक्रिया, वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए ऐसा क्रेडिट दिया जा सकता है और उससे संबंधित कोई अन्य मामला निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाता है।

खंड 204 उप-अध्याय ए और बी के तहत व्याख्याओं से संबंधित है। इस प्रयोजन के लिए उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, "प्रसारण और दूरदर्शन", "पेशेवर या तकनीकी सेवाएं", "सेवा अनुबंध", "कार्य", "खरीददार", "पट्टेदार", "लाइसेंसधारी", "पट्टादाता", "लाइसेंसदाता", "स्क्रेप" और "विक्रेता" शब्दों को परिभाषित करता है।

खंड 205 अग्रिम कर का भुगतान करने की देयता से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि उसके द्वारा देय अग्रिम आयकर की राशि दस हजार रुपये से अधिक है। अग्रिम कर का भुगतान करने की देयता का पता लगाने के लिए, अनुमानित कुल आय पर कर को स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहणीय कर और खंड 207 के तहत उपलब्ध किसी भी कर क्रेडिट की राशि से घटाया जाता है।

उक्त खंड में आगे प्रावधान है कि कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्ति तीन किस्तों में यानी 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को या उससे पहले अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन तीन तारीखों तक देय राशि देय अग्रिम कर का 30 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होनी चाहिए। इसी तरह एक कंपनी के लिए, चार किस्तें हैं, जो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को या उससे पहले की तारीखें हैं। एक कंपनी के मामले में संबंधित प्रतिशत 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत हैं। यह आगे प्रावधान किया गया है कि 15 मार्च के बाद लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले भुगतान की गई अग्रिम आयकर की कोई भी राशि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई अग्रिम आयकर के रूप में मानी जाएगी।

उक्त खंड मूल्यांकन अधिकारी को यह भी अधिकार देता है कि वह करदाता को आदेश जारी कर सकता है (वित्त वर्ष की फरवरी की अंतिम तिथि के बाद नहीं) कि वह आदेश में निर्दिष्ट किस्तों में अग्रिम आयकर का भुगतान करे, यदि अधिकारी की राय में करदाता अग्रिम आयकर के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, करदाता मूल्यांकन अधिकारी को ऐसा अनुमान दाखिल करने के बाद भी अपने अनुमान के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है।

खंड 206 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में किसी अन्य वित्तीय वर्ष से संबंधित वेतन या पारिवारिक पेंशन का कोई बकाया या अग्रिम प्राप्त करता है, तो मूल्यांकन अधिकारी उसे निर्धारित तरीके से राहत प्रदान करेगा। ऐसी राहत पाने के लिए आवेदन करना आवश्यक है। हालांकि, छंटनी, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के लिए प्राप्त किसी भी मुआवजे के संबंध में ऐसी राहत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

धारा 207, किसी ऐसे करदाता को स्वीकार्य विदेशी कर क्रेडिट से संबंधित है, जो वहां का निवासी है। किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत में उस आय पर कर लगाया जाता है जिस पर भारत के साथ-साथ भारत के बाहर भी कर लगाया जाता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां करदाता को किसी ऐसी आय के संबंध में भारतीय आयकर का भुगतान करना अपेक्षित है, जिस पर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या अन्य देश में कर लगाया गया है, जिसके साथ भारत का खंड 291 के अंतर्गत करार है, वहां विदेशी कर क्रेडिट ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्र या देश के साथ किए गए करार के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

जहां ऐसा कोई समझौता नहीं है, वहां कर क्रेडिट भारतीय कर दर या दूसरे देश की कर दर, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। किसी भी मामले में क्रेडिट मान्य नहीं होगा।

भारत के बाहर कर लगाए जाने वाली आय के संबंध में देय भारतीय आयकर और करदाता की कुल आय पर देय भारतीय आयकर से अधिक होगा।

विधेयक का खंड 208 यह प्रावधान करता है कि खंड 112 में निर्दिष्ट संपत्ति कर कर-आधारों की रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि तक देय।

खंड 209 कर-आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज से संबंधित है तथा इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कर-आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए, निर्धारित को, निर्दिष्ट परिस्थितियों में, एक प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

यह खंड उस अवधि की गणना की विधि प्रदान करता है जिसके लिए ब्याज देय होगा, वह राशि जिस पर ब्याज प्रभार्य होगा आदि। इस खंड के तहत जिस कर पर ब्याज देय था, उसकी राशि में परिवर्तन के अनुसार ब्याज बढ़ाया या घटाया जाएगा।

धारा 210 अग्रिम आयकर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज से संबंधित है। निर्दिष्ट परिस्थितियों जिनमें यह ब्याज देय है, वे हैं जहाँ करदाता अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और ऐसा कर चुकाने में विफल रहा है, या जहाँ ऐसे करदाता द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम आयकर निर्धारित कर के नब्बे प्रतिशत से कम है।

यह खंड उस अवधि और राशि की गणना की विधि भी प्रदान करता है जिस पर ब्याज देय है। ब्याज एक प्रतिशत प्रति माह की दर से देय है। इस खंड के तहत जिस कर पर ब्याज देय था, उसकी राशि में परिवर्तन के अनुसार ब्याज बढ़ाया या घटाया जाएगा।

धारा 211 अग्रिम आयकर के स्थगन के लिए ब्याज से संबंधित है। यह धारा निम्न मांग करती है यह उपबंध करने के लिए कि जहाँ कोई करदाता, जो अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे कर का भुगतान करने में असफल रहा है या विनिर्दिष्ट नियत तारीखों से पूर्व कम अग्रिम कर का भुगतान किया है, तो वह तीन मास की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उक्त खंड में ब्याज की गणना की विधि भी निर्दिष्ट की गई है। प्रथम अनुसूची के भाग III में सारणी में क्रम संख्या 4 में सूचीबद्ध प्रकृति की पूंजीगत लाभ और आय की राशि का कम आकलन करने या आकलन करने में विफलता के कारण देय अग्रिम आयकर में किसी भी कमी पर ब्याज देय नहीं होगा।

अतिरिक्त धन वापसी पर ब्याज से संबंधित खंड 212 यह प्रावधान करता है कि करदाता निर्दिष्ट परिस्थितियों में उसे दी गई अतिरिक्त धन वापसी राशि पर इस खंड में उल्लिखित अवधि के लिए प्रति माह आधा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उठाई गई मांग पर देय ब्याज से संबंधित खंड 213 यह प्रावधान करता है कि किसी करदाता को ऐसे भुगतान के लिए नोटिस अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी मांग के भुगतान में देरी के लिए एक प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायित्व होगा।

धारा 214 कर की कटौती या भुगतान न करने पर ब्याज से संबंधित है। उक्त धारा यह प्रावधान करती है कि जहाँ कोई व्यक्ति, जिसे संहिता के प्रावधानों के अनुसार कोई कर काटने या एकत्र करने की आवश्यकता है, कर का पूरा या उसका कोई भाग नहीं काटता या एकत्र नहीं करता है, या कटौती या संग्रह के बाद कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा -

(क) ऐसे कर की राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से उस तारीख से लेकर जिस तारीख को ऐसा कर कटौती योग्य या संग्रहणीय था, उस तारीख तक की अवधि के लिए,

जैसा भी मामला हो, कर काटा या एकत्र किया जाता है; और

(ख) ऐसे कर की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से, उस तारीख से जिसको ऐसा कर काटा गया था या संग्रहित किया गया था, जैसी भी स्थिति हो, उस तारीख तक की अवधि के लिए, जिसको ऐसा कर संदत्त किया गया है।

खंड 215, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि करदाता किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि की वापसी का हकदार होगा, जो उस राशि से अधिक है जिसके लिए वह संहिता के तहत उत्तरदायी है। हालाँकि, जहाँ कोई कर निर्धारण रद्द कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या कोई आदेश पारित किया जाता है

यदि अपील आदि में नया कर निर्धारण करने का निर्देश दिया जाता है, तो वह नया कर निर्धारण किए जाने पर ही धन वापसी का हकदार होगा।

खंड 216 रिफंड पर ब्याज से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि करदाता किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में खंड 215 के तहत उसे वापस की जाने वाली किसी भी राशि पर उक्त खंड में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रति माह आधा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि रिफंड की राशि खंड 149 के तहत या नियमित मूल्यांकन पर निर्धारित कर के दस प्रतिशत से कम है तो कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्दिष्ट अवधि में देरी की अवधि शामिल नहीं होगी।

करदाता।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि करदाता इस खंड के अंतर्गत उसके द्वारा प्राप्य ब्याज की राशि पर प्रतिदाय की मंजूरी की तारीख से ऐसे ब्याज के वास्तविक भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए आधा प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि ऐसा ब्याज उसे प्रतिदाय के साथ नहीं दिया जाता है।

खंड 217 उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान करता है जो कुछ विशेष मामलों में धन वापसी का दावा करने के हकदार होंगे, जैसे कि मृत्यु, अक्षमता, दिवालियापन, परिसमापन आदि के कारण, जो व्यक्ति पहले स्थान पर धन वापसी का दावा करने के हकदार हैं।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली से संबंधित खंड 218 यह प्रावधान करता है कि मांग के नोटिस में अग्रिम कर के अलावा देय के रूप में निर्दिष्ट कोई राशि, नोटिस की तारीख के तीस दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी।

तथापि, यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो कि पूर्ण अवधि राजस्व के हित के लिए हानिकारक होगी तो संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से इस अवधि को कम किया जा सकता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है, या आयुक्त (अपील) के पास अपील के लंबित रहने के दौरान ऐसी शर्तों पर किशतों में भुगतान की अनुमति दे सकता है, जो वह उचित समझे। किशतों के भुगतान में चूक होने पर, करदाता को बकाया पूरी राशि के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा। ऐसे मामलों में वसूली खंड 220 में दिए गए किसी भी तरीके से की जा सकती है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि कर वसूली अधिकारी को बकाया कर वसूलने की शक्तियां प्रदान कर दिए जाने के बाद कर निर्धारण अधिकारी किसी भी राशि की वसूली के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देगा।

कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूली से संबंधित खंड 219 में यह प्रावधान है कि ऐसा अधिकारी अपने हस्ताक्षर से कर बकाया का विवरण (प्रमाणपत्र) तैयार कर सकेगा और वह खंड 220 या पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट एक या अधिक तरीकों से करदाता से प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट राशि वसूलने की कार्यवाही करेगा।

धारा 220 में अन्य बातों के साथ-साथ कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के लिए वसूली के तरीके बताए गए हैं। कर बकाया की वसूली नियोजित, देनदार या न्यायालय में आवेदन करके की जा सकती है, जिसके पास करदाता का पैसा है।

करदाता।

खंड 221, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रदान करना चाहता है कि खंड 219 के तहत कार्रवाई करने के लिए सक्षम कर वसूली अधिकारी कौन होगा। ऐसा कर वसूली अधिकारी वह होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में करदाता अपना व्यवसाय करता है या करदाता के व्यवसाय का मुख्य स्थान स्थित है या करदाता निवास करता है या करदाता की कोई चल या अचल संपत्ति स्थित है या जिसे खंड 130 के तहत अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि खंड 219 के अंतर्गत कार्रवाई करने में सक्षम कर वसूली अधिकारी कर बकाया वसूलने में सक्षम नहीं है, तो वह अन्य कर वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र भेज सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में करदाता रहता है या उसकी संपत्ति है और तब ऐसा कर वसूली अधिकारी कर बकाया की वसूली के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा।

खंड 222 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अनिवासी से देय कर बकाया की राशि, अनिवासी की किसी भी परिसंपत्ति से, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, या किसी व्यक्ति द्वारा अनिवासी को देय किसी भी राशि से वसूल की जा सकती है।

खंड 223 परिसमापन में किसी कंपनी के मामले में वसूली से संबंधित है। उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि परिसमापक तीस दिनों की अवधि के भीतर संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को अपनी नियुक्ति के बारे में सूचित करेगा और उसके बाद, मूल्यांकन अधिकारी परिसमापक को तीन महीने की अवधि के भीतर किसी भी कर बकाया या किसी भी राशि के लिए पर्याप्त राशि की जानकारी देगा जो कंपनी द्वारा उसके बाद देय होने की संभावना है।

परिसमापक कंपनी की किसी भी संपत्ति या अपनी हिरासत में मौजूद संपत्तियों को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसे मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सूचित नहीं किया जाता है। इस प्रकार सूचित की गई राशि, निर्दिष्ट सीमा तक सुरक्षित लेनदारों को देय कर्मचारियों के बकाया और ऋणों के भुगतान के बाद शेष बची कंपनी की परिसंपत्तियों पर पहला भार होगी।

कंपनी के प्रबंधक की देयता से संबंधित खंड 224 यह प्रावधान करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रबंधक होने वाला प्रत्येक व्यक्ति कंपनी के संबंध में वित्तीय वर्ष के लिए संहिता के तहत देय किसी भी राशि के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा, यदि राशि कंपनी से वसूल नहीं की जा सकती है। ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि प्रबंधक यह साबित कर देता है कि कंपनी के मामलों के संबंध में उसकी ओर से किसी उपेक्षा, दुराचरण या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण वसूली नहीं की जा सकती है। इस खंड के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित किसी भी विपरीत बात पर लागू होंगे।

धारा 225 प्रतिभागियों की संयुक्त और अलग-अलग देयता से संबंधित है। यह वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी अनिगमित निकाय में भागीदार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति या मृतक प्रतिभागी के प्रतिनिधि करदाता को संहिता के तहत अनिगमित निकाय द्वारा देय किसी भी राशि के भुगतान के लिए अनिगमित निकाय के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी ठहराता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि सीमित दायित्व भागीदारी के मामले में, ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि भागीदार यह साबित कर दे कि वसूली न होने का कारण भागीदारी के मामलों के संबंध में उसकी ओर से की गई किसी उपेक्षा, दुराचरण या कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है।

खंड 226 यह उपबंध करता है कि यदि किसी क्षेत्र में कर की वसूली संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) के अधीन राज्य सरकार को सौंपी गई है, तो राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि वसूली उसी रीति से और उसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिस रीति से नगरपालिका कर या स्थानीय दर की वसूली की जाती है।

खंड 227 विदेशी देशों या निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ समझौतों के अनुसरण में कर की वसूली से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में कर की वसूली के लिए बोर्ड और कर वसूली अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करता है।

कुछ मामलों में कर निकासी प्रमाणपत्र से संबंधित खंड 228 यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के क्षेत्र को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह अधिसूचित प्राधिकारी को इस आशय का वचन न दे कि उसने भारत में कर योग्य किसी आय या संपत्ति के संबंध में अपनी कर देयता, यदि कोई हो, के निर्वहन के लिए संतोषजनक व्यवस्था कर ली है। ऐसा व्यक्ति वह होगा जो भारत का निवासी न हो, जो किसी व्यवसाय या रोजगार के सिलसिले में भारत आया हो, और जिसकी आय भारत में किसी स्रोत से प्राप्त हुई हो।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत से प्रस्थान के समय भारत में निवास करता है, अधिसूचित प्राधिकारी को निर्धारित विवरण प्रस्तुत करेगा तथा एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा कि यदि मूल्यांकन अधिकारी की राय में ऐसा करना आवश्यक है तो उस पर कोई दायित्व नहीं है। केंद्र सरकार उन व्यक्तियों के वर्गों को अधिसूचित कर सकती है जिन पर उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी भी जहाज या वायुयान का स्वामी या किराये पर देने वाला, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अपेक्षित किसी भी व्यक्ति द्वारा संहिता के अंतर्गत देय पूरी राशि या उसके किसी भाग का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा (और दायित्व के संबंध में चूककर्ता भी माना जाएगा), यदि वह व्यक्ति अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना भारत छोड़ देता है।

खंड 229 वाद द्वारा वसूली से संबंधित है, किसी अन्य कानून से नहीं। उक्त खंड यह प्रावधान करने का प्रयास करता है कि इस अध्याय में निर्दिष्ट वसूली के विभिन्न तरीके किसी भी तरह से सरकार को देय ऋणों की वसूली से संबंधित किसी भी अन्य कानून को प्रभावित नहीं करेंगे, या करदाता से कर बकाया की वसूली के लिए वाद संस्थित करने के सरकार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे।

धारा 230 कर आधारों की कम रिपोर्टिंग के लिए दंड से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की कम रिपोर्टिंग करता है, तो उसे दंड का भुगतान करना होगा। यह राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कम रिपोर्टिंग किए गए कर आधारों की राशि के संबंध में देय कर की राशि से कम नहीं होगी, लेकिन दो गुनी से अधिक नहीं होगी।

उक्त खंड में प्रावधान है कि रिपोर्ट किए गए कर आधारों की राशि, मूल्यांकन अधिकारी, आयुक्त या आयुक्त (अपील) द्वारा किए गए जोड़ या अस्वीकृति की कुल राशि होगी, जैसा भी मामला हो। इसमें उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके तहत किसी व्यक्ति को कर आधारों की कम रिपोर्ट करने वाला माना जाएगा और साथ ही उन परिस्थितियों को भी सूचीबद्ध किया गया है जिनके तहत उसे ऐसा नहीं माना जाएगा। उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि कोई भी जोड़ या अस्वीकृति जुर्माना लगाने का आधार नहीं बनेगी, यदि यह व्यक्ति के मामले में उसी या किसी अन्य वित्तीय मामले के लिए जुर्माना लगाने का आधार रहा है।

वर्ष।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जुर्माना मूल्यांकन अधिकारी, आयुक्त या आयुक्त (अपील) द्वारा लगाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

खंड 231 उस दंड से संबंधित है, जहां तलाशी शुरू की गई है। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के मामले में खंड 135 के तहत तलाशी और जब्ती की गई है, तो उसे निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए अधोषित कर आधार के संबंध में दंड का भुगतान करना होगा। ऐसा दंड निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया जाएगा। इसमें ऐसे मामले में लगाए जाने वाले दंड की मात्रा का भी प्रावधान है।

उक्त खंड में “अधोषित कर आधार” और “निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष” शब्दों को परिभाषित किया गया है।

धारा 232 अन्य चूकों के लिए दंड से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के, इसमें सूचीबद्ध चूक करता है तो वह दंड का पात्र होगा। उक्त धारा विभिन्न चूकों के लिए लगाए जाने वाले दंड की मात्रा भी प्रदान करती है।

खंड 233 दंड लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि निर्दिष्ट आयकर प्राधिकरण किसी भी करदाता को निर्धारित समय अवधि के भीतर नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इसमें आगे प्रावधान है कि इस अध्याय के तहत जुर्माना लगाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि करदाता को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो। उक्त खंड में संयुक्त आयुक्त द्वारा जुर्माना लगाने के आदेश को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

धारा 234 में दंड आदेश पारित करने के लिए समय सीमा का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसी सीमा अवधि की गणना करते समय, कुछ निर्दिष्ट समय अवधि को छोड़ दिया जाएगा।

खंड 235 में यह प्रावधान है कि अध्याय XV के प्रावधान अपराधों के लिए अभियोजन से संबंधित किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

धारा 236 किसी भी प्रतिबंध आदेश के उल्लंघन से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि जो कोई भी धारा 135 के उप-धारा (7) में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करता है, उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त धारा में ऐसी सजा की अवधि और मात्रा का भी प्रावधान है।

खंड 237 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे प्राधिकृत अधिकारी को धारा (घ) के अंतर्गत लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है,

धारा 135 के उप-धारा (2) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ऐसी सुविधा प्रदान करने में विफल रहता है, तो उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। उक्त धारा में ऐसी सजा की अवधि और परिमाण का भी प्रावधान है।

धारा 238 कर वसूली को विफल करने के लिए संपत्ति को हटाने, छिपाने, हस्तांतरित करने या सौंपने से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि जो कोई व्यक्ति थोखाथड़ी से किसी संपत्ति या उसमें किसी हित को हटाता है, छिपाता है, हस्तांतरित करता है या किसी व्यक्ति को सौंपता है, जिसका उद्देश्य ऐसी संपत्ति या उसमें हित को पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्रमाण पत्र के निष्पादन में लेने से रोकना है, तो उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त धारा में ऐसी सजा की अवधि और मात्रा का भी प्रावधान है।

खंड 239 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति खंड 223 के उप-खंड (1) के अनुसार जानकारी देने में विफल रहता है या उस खंड के उप-खंड (3) के अनुसार राशि अलग रखने में विफल रहता है या कंपनी की किसी भी संपत्ति या उसके कब्जे में मौजूद संपत्तियों को उक्त उप-खंड (3) के प्रावधानों के उल्लंघन में छोड़ देता है, तो उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त खंड में ऐसी सजा की अवधि और मात्रा का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति काटे गए या एकत्र किए गए कर का भुगतान करने में ऐसी किसी भी विफलता के लिए दंडनीय नहीं होगा, यदि वह साबित करता है कि इसके लिए उचित कारण था।

धारा 240 इस संहिता के प्रावधानों के तहत स्रोत पर काटे गए या एकत्र किए गए कर का भुगतान करने या लाभांश या आय वितरण कर का भुगतान करने में विफलता से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के खाते में ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त धारा में ऐसी सजा की अवधि और मात्रा का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी विफलता के लिए दंडनीय नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि इसके लिए उचित कारण था।

खंड 241 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के अंतर्गत प्रभाय या अधिरोपित किसी कर, दंड या ब्याज से बचने का किसी भी तरीके से जानबूझकर प्रयास करता है, तो उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें प्रावधान है कि ऐसी सजा इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत उस पर लगाए जाने वाले किसी भी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी। उक्त खंड में ऐसे मामले के संबंध में ऐसी सजा की अलग अवधि और मात्रा का भी प्रावधान है, जहां चोरी की जाने वाली राशि एक लाख रुपये से अधिक है और अन्य मामलों में जहां यह राशि इससे कम है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के तहत किसी भी कर, दंड या ब्याज के भुगतान से बचने का किसी भी तरीके से जानबूझकर प्रयास करता है, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और न्यायालय के विवेकानुसार जुर्माना भी देना होगा। इसमें प्रावधान है कि ऐसी सजा इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत उस पर लगाए जाने वाले किसी भी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। उक्त खंड में ऐसी सजा की अवधि का प्रावधान है।

उक्त खंड में "जानबूझकर टालमटोल करने का प्रयास" वाक्यांश को परिभाषित किया गया है।

धारा 242 कर आधारों की रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 144 के उप-धारा (1) के तहत या धारा 146 या धारा 159 के तहत नोटिस के जवाब में कर आधारों की रिटर्न समय पर प्रस्तुत करने में जानबूझकर विफल रहता है, तो उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त धारा में ऐसे मामले के संबंध में ऐसी सजा की अलग-अलग अवधि और मात्रा का भी प्रावधान है, जहां कर चोरी की जाने वाली राशि एक लाख रुपये से अधिक है और अन्य मामलों में जहां यह राशि इससे कम है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कर आधारों का रिटर्न समय पर प्रस्तुत न करने पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

खंड 243 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति खंड 150 के उप-खंड (2) के अंतर्गत उसे दिए गए नोटिस द्वारा निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले जानबूझकर लेखा और दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है या प्रस्तुत करने का कारण नहीं बनता है, तो उसे कठोर कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उक्त खंड में ऐसी सजा की अवधि और मात्रा का प्रावधान है।

धारा 244 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 151 के उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए निर्देश का पालन करने में जानबूझकर विफल रहता है, तो उसे कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उक्त धारा में ऐसी सजा की अवधि और मात्रा का उल्लेख है।

खंड 245 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के तहत या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत किसी सत्यापन में कोई बयान देता है या कोई ऐसा विवरण या बयान देता है जो झूठा है और जिसके बारे में वह या तो जानता है या मानता है कि वह झूठा है या उसे विश्वास नहीं है कि वह सच है, तो उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त खंड में ऐसे मामले के संबंध में ऐसी सजा की अलग-अलग अवधि और मात्रा का भी प्रावधान है, जहां चोरी की जाने वाली राशि एक लाख रुपये से अधिक है और अन्य मामलों में जहां यह राशि इससे कम है।

धारा 246 किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर खाता बही या दस्तावेजों में जालसाजी करने से संबंधित है, ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस संहिता के तहत लगाए जाने वाले किसी कर, ब्याज या जुर्माने से बच सके। इसमें प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त धारा में यह भी प्रावधान है कि इस धारा के तहत आरोप स्थापित करने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं होगा कि दूसरे व्यक्ति ने वास्तव में ऐसे कर, जुर्माने या ब्याज से बच निकला है।

खंड 247 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कर योग्य किसी भी कर आधार से संबंधित ऐसा लेखा, विवरण या घोषणा करने और प्रस्तुत करने के लिए किसी भी तरह से उकसाता या प्रेरित करता है जो झूठा है और जिसके बारे में वह या तो जानता है कि वह झूठा है या उसे विश्वास नहीं है कि वह सच है या खंड 241 के उप-खंड (1) के तहत अपराध करता है, तो उसे कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त खंड में ऐसे मामले के संबंध में ऐसी सजा की अलग-अलग अवधि और मात्रा का भी प्रावधान है जहां चोरी की जाने वाली राशि एक लाख रुपये से अधिक है और अन्य मामलों में जहां यह राशि इससे अधिक नहीं है।

धारा 248 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। ऐसे किसी भी अपराध के संबंध में, यह प्रावधान करता है कि कंपनी के साथ-साथ हर व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा। हालांकि, उक्त धारा यह भी प्रावधान करती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध को रोकने के लिए सभी उचित तत्परता बरती थी।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि जहां इस संहिता के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दंडित किया जा सकेगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जहां इस संहिता के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और ऐसे अपराध के लिए दंड कारावास और जुर्माना है, तो कंपनी को जुर्माने से दंडित किया जाएगा और पूर्ववर्ती पैराग्राफों में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दंडित किया जा सकेगा।

उक्त खंड में “कंपनी” और “निदेशक” शब्दों को परिभाषित किया गया है।

खंड 249 अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों के सबूत से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि आयकर प्राधिकरण की हिरासत में मौजूद अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में की गई प्रविष्टियों को इस अध्याय के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने की किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उक्त खंड में आगे प्रावधान है कि प्रविष्टियों को आयकर प्राधिकरण की हिरासत में मौजूद अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों (ऐसी प्रविष्टियों वाले) को पेश करके या उस प्राधिकरण द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत प्रमाणित प्रविष्टियों की एक प्रति को मूल प्रविष्टियों की सही प्रति के रूप में पेश करके साबित किया जा सकता है।

खंड 250 कुछ मामलों में परिसंपत्तियों, लेखा पुस्तकों आदि के बारे में अनुमान से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि जहां खंड 135 के तहत की गई किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में कोई सामग्री पाई गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी सामग्री ऐसे व्यक्ति के खिलाफ या ऐसे व्यक्ति और खंड 247 में निर्दिष्ट व्यक्ति के खिलाफ इस संहिता के तहत अपराध के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो खंड 311 के प्रावधान तदनुसार ऐसी सामग्री के संबंध में लागू होंगे।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण से अभिरक्षा में ली गई कोई सामग्री खंड 136 के अधीन अधिग्रहण अधिकारी को सौंप दी जाती है और ऐसी सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे व्यक्ति और खंड 247 में निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध इस संहिता के अधीन किसी अपराध के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, वहां खंड 311 के उपबंध तदनुसार ऐसी सामग्री के संबंध में लागू होंगे।

खंड 251 दोषपूर्ण मानसिक स्थिति के बारे में अनुमान से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि इस संहिता के तहत किसी भी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की ओर से दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व की उपधारणा करेगा। हालाँकि, उक्त खंड यह भी प्रावधान करता है कि अभियुक्त के लिए यह साबित करना एक बचाव होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि कोई तथ्य तभी सिद्ध कहा जाएगा जब न्यायालय को विश्वास हो कि वह उचित संदेह से परे विद्यमान है, न कि केवल तभी जब उसका अस्तित्व संभाव्यता की अधिकता से स्थापित हो।

उक्त खंड में “दोषपूर्ण मानसिक स्थिति” शब्द को परिभाषित किया गया है।

खंड 252, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध खंड 236 से 247 के अंतर्गत अपराध के लिए, आयुक्त या आयुक्त (अपील), जैसी भी स्थिति हो, की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यवाही नहीं की जाएगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त ऐसे आयुक्त या आयुक्त (अपील) को ऐसे निर्देश या निर्देश जारी कर सकता है, जिन्हें वह इस खंड के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित समझे। इसमें यह भी प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त इस अध्याय के तहत किसी भी अपराध का निपटान निर्धारित परिस्थितियों में और निर्धारित राशि के लिए कार्यवाही शुरू होने से पहले या बाद में कर सकता है। हालाँकि, ऐसा अपराध जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा दंड दिया गया हो, उसका निपटान नहीं किया जाएगा।

धारा 253 दूसरे और उसके बाद के अपराधों के लिए सज़ा से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि अगर धारा 240, 241, 242, 243, 245, 246 और 247 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रावधानों में से किसी के तहत फिर से अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे दूसरे और हर बाद के अपराध के लिए कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त धारा में ऐसी सज़ा की अवधि का प्रावधान है।

खंड 254 में यह प्रावधान है कि इस अध्याय के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थ में असंज्ञेय माना जाएगा, भले ही उस संहिता में कोई बात निहित हो।

धारा 255 लोक सेवकों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई लोक सेवक धारा 142 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई सूचना प्रदान करता है या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उसे कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें ऐसी सजा की अवधि का भी प्रावधान है।

उक्त खंड में यह प्रावधान है कि इस खंड के अंतर्गत कोई भी अभियोजन केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं चलाया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसी मंजूरी लोक सेवक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद ही दी जा सकती है।

संहिता का अध्याय XVI अग्रिम निर्णयों और विवाद समाधान से संबंधित है।

खंड 256 अग्रिम निर्णय और विवाद समाधान प्राधिकरण के पास उपलब्ध निर्णय और विवाद समाधान के दायरे से संबंधित है। उक्त खंड में प्रावधान है कि आवेदक या अपीलकर्ता इसमें निर्दिष्ट मामलों पर निर्णय या विवाद समाधान की मांग कर सकता है। आवेदक या अपीलकर्ता, जैसा भी मामला हो, जो अग्रिम निर्णय की मांग कर सकता है, वह कोई अनिवासी, निवासी या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निवासियों का कोई भी वर्ग, कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या आयुक्त हो सकता है।

खंड 257 अग्रिम निर्णय और विवाद समाधान प्राधिकरण के गठन से संबंधित है। उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अग्रिम निर्णय और विवाद समाधान प्राधिकरण का गठन करेगी।

अग्रिम विनिर्णय सुनाने तथा विवाद का समाधान करने के लिए प्राधिकरण गठित किया जाएगा तथा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा उतने उपाध्यक्ष तथा विधिक एवं राजस्व सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार उचित समझे।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि पीठ में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा एक विधिक सदस्य और एक राजस्व सदस्य शामिल होंगे। प्राधिकरण की मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित होगी तथा प्राधिकरण की अन्य पीठें ऐसे स्थानों पर स्थित होंगी जिन्हें केंद्र सरकार उचित समझे।

खंड 258 अग्रिम न्यायिक निर्णय से निपटने में प्राधिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अग्रिम न्यायिक निर्णय प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के बाद लिखित आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। प्राधिकरण इसमें निर्दिष्ट परिस्थितियों में आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि जहां कोई आवेदन स्वीकार किया जाता है, वहां प्राधिकरण सभी प्रासंगिक सामग्री की जांच करने तथा आवेदक और आयुक्त को सुनने के पश्चात आवेदन में निर्दिष्ट प्रश्न पर अपना अग्रिम निर्णय सुनाएगा।

खंड 259 यह उपबंध करता है कि कोई भी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा जिसके संबंध में खंड 256 के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया हो।

खंड 260 में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम निर्णय केवल उस आवेदक पर बाध्यकारी होगा जिसके मामले में और उस लेनदेन के संबंध में जिसके संबंध में निर्णय सुनाया गया है। यह आवेदक और उक्त लेनदेन के संबंध में आयुक्त और उसके अधीनस्थ आयकर अधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि कोई विवाद हो तो अग्रिम निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। कानून या तथ्य में परिवर्तन, जिसके आधार पर अग्रिम निर्णय सुनाया गया है।

खंड 261 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्राधिकरण को यह पता चले कि आवेदक ने धोखाधड़ी या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके अग्रिम निर्णय प्राप्त किया है तो वह अग्रिम निर्णय को प्रारम्भ से ही शून्य घोषित कर सकता है और ऐसे मामले में, संहिता के सभी प्रावधान आवेदक पर इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा अग्रिम निर्णय कभी दिया ही नहीं गया हो।

खंड 262 विवाद समाधान की प्रक्रिया से संबंधित है। उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या आयुक्त विवाद के समाधान के लिए खंड 256 में संदर्भित आदेशों के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है और ऐसी अपील निर्दिष्ट अवधि के भीतर की जानी चाहिए। इसके अलावा, यह प्रतिवादी को आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भी भाग के विरुद्ध क्रॉस-ऑब्जेक्शन का ज्ञापन दायर करने की अनुमति देता है।

उक्त खंड में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण निर्दिष्ट परिस्थितियों में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अपील या प्रति-आपत्ति ज्ञापन स्वीकार कर सकता है। खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अंतिम होंगे और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे।

खंड 263 प्राधिकरण द्वारा मांग पर रोक लगाने के आदेश से संबंधित है। उक्त खंड में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को पहली बार में एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए मांग पर रोक लगा सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर इस रोक को अधिकतम तीन सौ पैंसठ दिनों तक बढ़ा सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपील के निपटान में देरी कंपनी के कारण नहीं हुई है।

खंड 264 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण को अभिलेख से स्पष्ट किसी गलती को सुधारने की शक्ति होगी और वह तदनुसार खंड 262 के अंतर्गत पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा। तथापि, ऐसा कोई आदेश उस तारीख से चार वर्ष की अवधि के पश्चात पारित नहीं किया जाएगा, जिस तारीख को संशोधित किए जाने वाला आदेश पारित किया गया था।

खंड 265 में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जैसा कि इस संहिता के खंड 134 में निर्दिष्ट है तथा वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थात् अंतर्गत तथा उक्त संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

खंड 266 में प्रावधान है कि प्राधिकरण को अपने स्वयं के विनियमन की शक्तियां होंगी।
इससे संबंधित सभी मामलों में प्रक्रिया।

खंड 267 अध्याय में प्रयुक्त कुछ शब्दों को परिभाषित करता है, जैसे "अग्रिम निर्णय", "अपीलकर्ता", "आवेदन", "प्राधिकरण", "अध्यक्ष", आदि।

खंड 268 यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार मामलों के निपटारे के लिए आयकर निपटान आयोग का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और उतने ही उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होंगे, जितने सरकार उचित समझे, जो प्रत्यक्ष करों से निपटने वाले केंद्र सरकार के विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगे। इन व्यक्तियों की नियुक्ति भारतीय राजस्व सेवा के उन अधिकारियों में से की जाएगी, जिन्होंने कम से कम 28 वर्ष सेवा की हो, जिसमें आयुक्त या उससे ऊपर के पद पर कम से कम 5 वर्ष सेवा शामिल है।

खंड 269 निपटान आयोग के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि आयोग की एक पीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करेंगे और इसमें दो अन्य सदस्य होंगे। हालाँकि, यदि तीसरा सदस्य अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है या रिक्रि के मामले में, पीठ केवल दो सदस्यों के साथ कार्य कर सकती है। अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली पीठ मुख्य पीठ होगी और अन्य पीठों को अतिरिक्त पीठ कहा जाएगा। अध्यक्ष किसी विशेष मामले के निपटान के लिए तीन से अधिक सदस्यों वाली एक विशेष पीठ का गठन कर सकते हैं। ये पीठें अधिसूचित स्थानों पर बैठेंगी, सिवाय एक विशेष पीठ के जो अध्यक्ष द्वारा तय किए गए स्थान पर बैठेंगी।

खंड 270 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है, तो अधिसूचित उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

खंड 271 में अध्यक्ष को एक पीठ से दूसरी पीठ को मामले स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करने का प्रावधान है, जो कि करदाता या मुख्य आयुक्त या आयुक्त के आवेदन पर या कारणों को दर्ज करने के बाद स्वयं की प्रेरणा से किया जा सकता है।

खंड 272 यह प्रावधान करता है कि पीठ बहुमत से निर्णय लेगी और समान मत विभाजन पर अध्यक्ष को संदर्भ भेजेगी। खंड आगे चलकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करता है।

खंड 273 मामलों के निपटान के लिए आवेदन से संबंधित है। उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि आवेदन में आय या संपत्ति, उसके प्राप्त होने का तरीका और देय कर की अतिरिक्त राशि आदि का पूर्ण और सही विवरण होना चाहिए। आवेदन केवल कर आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने और आवेदन में बताई गई आय या संपत्ति पर आयकर या संपत्ति कर का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। खंड आगे यह प्रावधान करता है कि तलाशी या सामग्री की मांग के मामले में अतिरिक्त कर न्यूनतम पचास लाख रुपये और आवेदन करने के लिए किसी अन्य मामले में दस लाख रुपये होना चाहिए। एक बार किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता।

धारा 274 आयकर की अतिरिक्त राशि की गणना के लिए कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

धारा 275 आवेदन स्वीकार करने से संबंधित है। उक्त धारा यह प्रावधान करती है कि निपटान आयोग दस दिनों के भीतर आवेदक को सुनवाई का नोटिस जारी करेगा और बीस दिनों की अवधि के भीतर उसकी सुनवाई के बाद उसके आवेदन को अस्वीकार या स्वीकार कर लेगा। हालाँकि, यदि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा। उक्त धारा

इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि आयोग आवेदन किए जाने के पैंतालीस दिन के भीतर आयुक्त की रिपोर्ट मांगेगा और उक्त रिपोर्ट के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ऐसी रिपोर्ट के आधार पर आवेदन को अवैध घोषित कर सकता है।

धारा 276 मामले में आगे की जांच से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए आयोग को आयुक्त से रिकॉर्ड मांगने, उन्हें आगे की जांच करने का निर्देश देने, रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदि का अधिकार है।

खंड 277 निपटान के आदेश से संबंधित है। इस तरह के आदेश में निपटान की शर्तों के बारे में प्रावधान होगा, जिसमें कर, जुर्माना आदि के माध्यम से कोई भी मांग शामिल होगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि यह धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किया गया था, तो निपटान से बचा जा सकेगा। यह आदेश उस महीने के अंत से अठारह महीने की अवधि के भीतर पारित किया जाना है जिसमें आवेदन किया गया था। आदेश में आवेदन द्वारा कवर नहीं किए गए मामले से संबंधित किसी अन्य मामले को भी शामिल किया जा सकता है।

खंड 278 निपटान पर कर के भुगतान से संबंधित है और धारा 277 के तहत निपटान आयोग के आदेश के अनुसरण में कर के भुगतान के लिए समय सीमा, इसके विस्तार की परिस्थितियों आदि को निर्दिष्ट करता है। यह यह भी प्रदान करता है कि खंड 277 के तहत निपटान आयोग के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख से किसी भी चूक पर पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

खंड 279, राजस्व की सुरक्षा के लिए अनंतिम कुर्की का आदेश देने की निपटान आयोग की शक्ति से संबंधित है तथा अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी कुर्की के प्रभावी रहने की समय-सीमा का भी प्रावधान करता है।

धारा 280 मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही को पुनर्जीवित करने से संबंधित है। उक्त धारा में यह प्रावधान है कि यदि निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश उन परिस्थितियों में अमान्य हो जाता है, जहां इसे धोखाधड़ी या गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था, तो निपटान द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही उस चरण से पुनर्जीवित मानी जाएगी, जिस पर निपटान आयोग द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया था और मूल्यांकन अधिकारी को उस वित्तीय वर्ष के अंत से इक्कीस महीने का समय मिलेगा, जिसमें आदेश अमान्य हो जाता है, मूल्यांकन तैयार करने के लिए।

खंड 281 प्रवेश के बाद निपटान आयोग की शक्तियों से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करने का प्रयास करता है कि आयोग के पास आयकर प्राधिकरण में निहित शक्तियां होंगी। यह उस समय अवधि का भी प्रावधान करता है जिसके लिए निपटान आयोग के पास मूल्यांकन अधिकारी के साथ वर्तमान क्षेत्राधिकार होगा और उसके बाद अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

धारा 282 निरीक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित है। उक्त धारा आयोग को निर्धारित शुल्क का भुगतान करके उसके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रतियां प्रदान करने का अधिकार देती है।

खंड 283 निपटान आयोग की उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि आयोग, कुछ शर्तों के अधीन, निपटान द्वारा कवर किए गए मामले के संबंध में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है।

निर्दिष्ट परिस्थितियों में प्रतिरक्षा वापस ली जा सकती है।

खंड 284 निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही के उन्मूलन से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करने का प्रयास करता है कि यदि आवेदन को अनुमति नहीं दी गई है या उसे अमान्य घोषित नहीं किया गया है या निर्दिष्ट समय के भीतर आदेश पारित नहीं किया गया है, तो निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में, मूल्यांकन अधिकारी आदेश पारित करेगा जैसे कि कोई आवेदन नहीं किया गया हो। आयोग के समक्ष कार्यवाही में लिया गया समय मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए बाहर रखा जाएगा और आयोग के समक्ष उपलब्ध सामग्री का उपयोग मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही में किया जा सकता है।

धारा 285 कार्यवाही के उपशमन के मामले में भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट से संबंधित है। उक्त धारा यह प्रावधान करती है कि उपशमन के मामले में, मूल्यांकन अधिकारी निपटान आयोग के समक्ष आवेदन करने की तिथि को या उससे पहले या आयोग के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान भुगतान किए गए कर और ब्याज के लिए क्रेडिट की अनुमति देगा।

खंड 286 निपटान आदेश के तहत देय राशि की वसूली से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि क्षेत्राधिकार प्राप्त मूल्यांकन अधिकारी निपटान आदेश में निर्दिष्ट किसी भी राशि की वसूली कर सकता है और ऐसी राशि का भुगतान करने में चूक के लिए कोई भी जुर्माना अध्याय XIII के प्रावधानों के अनुसार लगाया और वसूला जा सकता है।

धारा 287 निपटान के आदेश को अंतिम मानने से संबंधित है। उक्त धारा का उद्देश्य है इसमें यह प्रावधान है कि निपटान का प्रत्येक आदेश उसमें उल्लिखित मामलों पर निर्णायक होगा।

धारा 288 बाद में आवेदन करने पर रोक से संबंधित है। उक्त धारा उन परिस्थितियों को प्रदान करने का प्रयास करती है जब कोई व्यक्ति निपटान आयोग के समक्ष बाद में आवेदन दायर करने का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में अपवाद भी बताए गए हैं।

खंड 289 यह प्रावधान करता है कि समझौता आयोग के समक्ष कोई भी कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही होगी।

खंड 290 अध्याय XV के लिए प्रासंगिक कुछ व्याख्याएं प्रदान करने का प्रयास करता है।

संहिता के भाग-एच और अध्याय XVIII सामान्य प्रावधानों से संबंधित हैं।

खंड 291 निर्दिष्ट क्षेत्र या विदेशी देशों के साथ समझौते से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार किसी भी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार के साथ दोहरे कराधान से राहत या बचाव प्रदान करने, आयकर या संपत्ति कर की चोरी या बचाव की रोकथाम के लिए सूचना के आदान-प्रदान, कर वसूली आदि के लिए समझौता कर सकती है। जहां ऐसे समझौतों के लिए दूसरे देश ने कुछ संघों को नामित किया है, वहां खंड यह प्रावधान करता है कि भारत में कोई भी निर्दिष्ट संघ भारत के बाहर निर्दिष्ट क्षेत्र के निर्दिष्ट संघ के साथ ऐसा समझौता कर सकता है और केंद्र सरकार इसे अपनाने के लिए समझौते को अधिसूचित करेगी।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि जहां ऐसा करार किया गया है, वहां इस संहिता के प्रावधान उस करदाता पर लागू होंगे, जिस पर करार लागू है, यदि ऐसे प्रावधान उसके लिए अधिक लाभकारी हैं, सिवाय सामान्य प्रति परिहार नियम, शाखा लाभ कर लगाने और विदेशी कंपनी नियंत्रण नियमों से संबंधित प्रावधानों के, जो लागू होंगे, चाहे ऐसे प्रावधान उसके लिए लाभकारी हों या नहीं।

खंड 292 स्थायी खाता संख्या से संबंधित है। उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन करना होगा जो उसे आवंटित की जाएगी। कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसे आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है। निर्धारित लेनदेन में संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। बोर्ड को आवेदन के प्रारूप, लेनदेन की श्रेणियों और ऐसे आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत आयकर प्राधिकरण आदि के संबंध में नियम निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।

धारा 293 कर खाता संख्या से संबंधित है। यह संख्या कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहकर्ता द्वारा स्रोत पर प्राप्त की जानी चाहिए तथा निर्धारित लेनदेन या दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

धारा 294 कुछ ऋणों या जमाओं की स्वीकृति या पुनर्भुगतान की पद्धति से संबंधित है।

उक्त धारा में प्रावधान है कि एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक की कुल राशि वाले ऋण या जमा को अकाउंट पेयी चेक या बैंक ड्राफ्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से स्वीकार या चुकाया नहीं जाएगा। यह धारा सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं से लिए गए या स्वीकार किए गए किसी भी ऋण या जमा पर लागू नहीं होगी।

धारा 295 वार्षिक सूचना रिटर्न प्रस्तुत करने की बाध्यता से संबंधित है। उक्त धारा यह प्रावधान करती है कि किसी निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड वाले खाता बही या अन्य दस्तावेजों को पंजीकृत करने या बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन के संबंध में वार्षिक सूचना रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे व्यक्तियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, मोटर वाहनों को पंजीकृत करने के लिए सशक्त पंजीकरण प्राधिकारी, पोस्ट मास्टर जनरल, कलेक्टर, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी आदि शामिल हैं।

उक्त खंड में आगे यह भी प्रावधान है कि "निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन" का अर्थ होगा संपत्ति की खरीद, बिक्री, किए गए निवेश या किसी अन्य माध्यम से किया गया लेनदेन।

एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक के लेन-देन के लिए रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उक्त खंड में रिटर्न दाखिल करने का समय और तरीका भी बताया गया है।
ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें इसे दोषपूर्ण माना जाएगा, आदि।

खंड 296 कुछ हस्तांतरणों को शून्य करने से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करना चाहता है कि संहिता के तहत किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या उसके पूरा होने के बाद किसी संपत्ति का हस्तांतरण या उस पर प्रभार का सृजन किसी भी देय राशि के संबंध में किसी भी दावे के विरुद्ध शून्य होगा, जब तक कि पर्याप्त विचार के लिए और ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने या व्यक्ति द्वारा देय किसी भी राशि के बारे में जानकारी के बिना या मूल्यांकन अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा न किया गया हो। हालाँकि, इस खंड के प्रावधान किसी भी व्यावसायिक व्यापारिक संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू नहीं होंगे।

खंड 297 कुछ मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए अनंतिम कुर्की से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि मूल्यांकन अधिकारी राजस्व के हितों की रक्षा के लिए मुख्य आयुक्त या आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से करदाता की किसी भी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकता है। उक्त खंड में समय-सीमा का भी प्रावधान है जिसके लिए ऐसी कुर्कियाँ प्रभावी होंगी।

धारा 298 सामान्यतः नोटिस की तामील से संबंधित है। उक्त धारा संहिता के अंतर्गत जारी किए गए किसी भी नोटिस, सम्मन, मांग, आदेश आदि की तामील के तरीके के बारे में बताती है।

धारा 299 नोटिस और अन्य दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से संबंधित है। उक्त धारा संहिता के प्रयोजनों के लिए जारी या तामील किए गए नोटिस या किसी अन्य दस्तावेज के प्रमाणीकरण का तरीका प्रदान करने का प्रयास करती है।

खंड 300 कुछ परिस्थितियों में वैध माने जाने वाले नोटिस से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करने का प्रयास करता है कि यदि व्यक्ति किसी कार्यवाही में उपस्थित हुआ है या मूल्यांकन से संबंधित किसी जांच में सहयोग किया है तो नोटिस को विधिवत तामील माना जाएगा। यदि व्यक्ति ने मूल्यांकन पूरा होने से पहले आपत्ति उठाई है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

खंड 301 उस स्थिति में नोटिस देने से संबंधित है जब परिवार विघटित हो जाता है या अनिगमित निकाय विघटित हो जाता है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि ऐसे मामलों में, नोटिस हिंदू अविभाजित परिवार के अंतिम प्रबंधक या निर्दिष्ट परिस्थितियों में उसके वयस्क सदस्य को तथा विघटन से पहले अनिगमित निकाय के भागीदार को दिया जा सकता है।

खंड 302 कुछ मामलों में करदाताओं के संबंध में सूचना के प्रकाशन से संबंधित है। उक्त खंड केंद्र सरकार को किसी कार्यवाही या अभियोजन से संबंधित नाम आदि जैसे विवरण सार्वजनिक हित में प्रकाशित करने का अधिकार देता है। दंड के मामले में कुछ अपवाद प्रदान किए गए हैं।

खंड 303 कुछ मामलों में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा उपस्थिति से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि किसी भी परिसंपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में किसी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिए पात्र या अपेक्षित करदाता पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

खंड 304 प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति से संबंधित है। उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि संहिता के अंतर्गत किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिए पात्र या अपेक्षित करदाता, प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है, सिवाय इसके कि जहाँ उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता हो।

उक्त खंड आगे "अधिकृत प्रतिनिधि" का अर्थ प्रदान करना चाहता है और वह व्यक्ति जो करदाता का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य नहीं है।

खंड 305 कर आधार, कर आदि को पूर्णांकित करने से संबंधित है। यह कर आधार को सौ रुपये के निकटतम गुणक में पूर्णांकित करने तथा करदाता द्वारा देय या प्राप्य राशि को दस रुपये के निकटतम गुणक में पूर्णांकित करने का प्रावधान करता है।

खंड 306 क्षतिपूर्ति से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि संहिता के अनुसरण में किसी अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में कोई कर काटने, उसे बनाए रखने या उसका भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस कटौती, उसे बनाए रखने या उसके भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

धारा 307 अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति से संबंधित है। उक्त धारा केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने तथा कुछ शर्तों को पूरा करने पर जुर्माना लगाने से उन्मुक्ति प्रदान करने का अधिकार देती है। उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए विवरण छिपाने, झूठे साक्ष्य देने आदि जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में भी उन्मुक्ति वापस ली जा सकती है।

धारा 308 अपराधों के संज्ञान से संबंधित है। उक्त धारा यह प्रावधान करती है कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय संहिता के तहत किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

खंड 309 यह प्रावधान करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान इस संहिता के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लागू होंगे, जब तक कि वह व्यक्ति अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो।

खंड 310 कर आधारों आदि की विवरणी से संबंधित है, जो कुछ आधारों पर अमान्य नहीं होगी। उक्त खंड यह प्रावधान करने का प्रयास करता है कि कर-आधार, मूल्यांकन, नोटिस, सम्मन आदि की कोई भी विवरणी केवल किसी गलती, दोष या चूक के कारण अमान्य नहीं होगी, यदि वह सार और प्रभाव में संहिता के इरादे और उद्देश्य के अनुरूप है।

खंड 311 पाई गई सामग्री के बारे में अनुमान से संबंधित है। उक्त खंड यह प्रावधान करता है कि जहां तलाशी या सर्वेक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में कोई सामग्री पाई जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह सामग्री उस व्यक्ति की है, सामग्री की सामग्री, लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज, सत्य हैं, आदि। तलाशी के संबंध में अनुमान खंड 136 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण के मामले पर भी लागू होगा।

धारा 312 सिविल न्यायालयों में मुकदमों के निषेध से संबंधित है। उक्त धारा यह प्रावधान करती है कि संहिता के अंतर्गत की गई किसी कार्यवाही या दिए गए आदेश को रद्द करने या संशोधित करने के लिए किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा और संहिता के अंतर्गत सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी भी कार्य के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

खंड 313 किसी करदाता के संबंध में किसी अधिसूचना या आदेश, या अनुमोदन या पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार या बोर्ड या आयकर प्राधिकरण को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करने का प्रयास करता है। लिखित में कारण दर्ज करने और करदाता को प्रस्तावित निरस्तीकरण के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद इस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा।

खंड 314 व्याख्याओं से संबंधित है। उक्त खंड इस संहिता में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा प्रदान करता है, तथा जिन्हें संबंधित अध्यायों में अलग से नहीं दिया गया है।

कुछ परिभाषाएँ आयकर अधिनियम, 1961 में दी गई परिभाषाओं के अनुरूप हैं, जैसा कि इस संहिता के लागू होने से पहले था। अन्य परिभाषाएँ नई हैं और इस संहिता में पहली बार दी गई हैं।

खंड 315 इस संहिता के प्रावधानों की व्याख्या के लिए निर्माण का नियम प्रदान करता है। यह प्रावधान करता है कि किसी आय या किसी गणना के परिणाम के संदर्भ को आय या परिणाम के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। उक्त खंड आगे यह भी प्रावधान करता है कि राशियों के रूप में व्यक्त दो या अधिक मदों के एकत्रीकरण के लिए किसी भी निर्देश को उनके सभी संयोजनों में नकारात्मक और सकारात्मक राशियों के एकत्रीकरण के लिए निर्देश को शामिल करने के लिए भी समझा जाएगा। उक्त खंड यह भी प्रावधान करता है कि किसी सूत्र में किसी भी चर का मूल्य शून्य माना जाएगा, यदि ऐसे चर का मूल्य अनिश्चित या अनिश्चित है।

खंड 316 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है और बोर्ड को नियम अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है संहिता के प्रयोजनों के लिए नियम केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन होंगे।

उक्त खंड सामान्य शब्दों के साथ-साथ इसमें उल्लिखित विशिष्ट मामलों में भी शक्ति प्रदान करने का प्रयास करता है जैसे कि किसी भी वर्ग की आय का पता लगाना और निर्धारण करना, कृषि के मामले में आय का पता लगाने का तरीका, भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति,

वह प्रारूप और तरीका जिसमें कोई दस्तावेज, आवेदन, दावा, विवरणी या सूचना तैयार या प्रस्तुत की जा सकेगी, देय शुल्क, संहिता के किसी प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाने वाला प्राधिकार, दोहरे कराधान से बचने के लिए किसी समझौते की शर्तों को प्रभावी करने की प्रक्रिया आदि।

इस खंड में यह भी प्रावधान किया गया है कि नियम बनाने की शक्ति में पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति भी शामिल होगी, जो संहिता के लागू होने की तिथि से पहले की तिथि नहीं होगी। हालांकि, किसी भी नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, जिससे करदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

खंड 317 संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियमों, योजना और कुछ अधिसूचनाओं से संबंधित है। उक्त खंड यह उपबंध करने का प्रयास करता है कि इस संहिता के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और योजना तथा जारी की गई अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष निर्दिष्ट समय के भीतर रखी जाएगी और यदि दोनों सदन कोई परिवर्तन या निरस्तीकरण करने पर सहमत हो जाते हैं, तो नियम, योजना या अधिसूचना को उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा, तथापि, ऐसा कोई भी परिवर्तन या निरस्तीकरण उस नियम, योजना या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

धारा 318 निरसन और बचत से संबंधित है। उक्त धारा आय-व्यय को निरस्त करने का प्रयास करती है।

कर अधिनियम, 1961 और संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत आते हैं।

उक्त खंड में निरस्त किए जाने वाले अधिनियमों के अंतर्गत कुछ निर्दिष्ट कार्यवाहियों, समझौतों, नियुक्तियों, आदेशों, घोषणाओं आदि की छूट का भी प्रावधान है।

उक्त खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईए, धारा 80-आईएबी, धारा 80-आईबी, धारा 80-आईसी, धारा 80-आईडी, धारा 80-आईई या धारा 80जेजेए या धारा 80जेजेए के तहत कटौती जैसी कुछ कटौतियों की बचत का प्रावधान करता है, यदि करदाता 1 अप्रैल, 2012 से शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी कटौती के लिए पात्र है और कुछ शर्तों के अधीन है।

खंड 319 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से संबंधित है। उक्त खंड संहिता के प्रावधानों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

अनुसूची

संहिता की पहली अनुसूची कुल आय पर देय आयकर की गणना के लिए विभिन्न दरें प्रदान करने का प्रयास करती है। अनुसूची को तीन भागों में विभाजित किया गया है। भाग I विशेष स्रोत के अलावा अन्य स्रोतों से कुल आय पर आयकर की दरें प्रदान करता है। सहकारी समिति, असंबद्ध निकाय, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी के अलावा किसी सोसायटी की आय पर एक समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव है, जबकि व्यक्ति, सहकारी समिति, हिंदू अविभाजित परिवार और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए कर स्लैब प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, निवासी व्यक्तियों के लिए, महिला करदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग स्लैब प्रदान किए गए हैं क्योंकि उन्हें अन्य निवासी करदाताओं के मुकाबले राहत प्रदान करने का प्रस्ताव है। अनुसूची एक सीमा के बाद गैर-लाभकारी संगठन के लिए कर की एक समान दर का भी प्रावधान करती है।

अनुसूची का भाग II, दर के प्रयोजनों के लिए कृषि आय के एकत्रीकरण की विधि प्रदान करने का प्रयास करता है, ऐसे मामले में जहां वह व्यक्ति, जिस पर भाग I लागू होता है, की एक वर्ष के दौरान शुद्ध कृषि आय 5000 रुपए से अधिक है, तथा कुल आय प्रारंभिक सीमा से अधिक है।

भाग III में कराधान की दरें प्रदान करने का प्रयास किया गया है, यदि व्यक्ति के पास किसी विशेष स्रोत से आय है। सूचीबद्ध दरें गैर-निवासी से संबंधित हैं या जहां व्यक्ति, चाहे निवासी हो या गैर-निवासी, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, दौड़, जिसमें घुड़दौड़ या कार्ड गेम या कोई अन्य खेल या जुआ या सट्टेबाजी शामिल है, के माध्यम से आय होती है।

दूसरी अनुसूची में अन्य करों की दरें प्रदान करने का प्रावधान है, अर्थात् पुस्तक लाभ पर कर, घरेलू कंपनी के वितरित लाभ (लाभांश) पर कर, वितरित आय पर कर, शाखा लाभ पर कर तथा शुद्ध संपत्ति पर कर।

तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट भुगतानों की सूची तथा उचित दरें प्रदान करने का प्रावधान है, जिन पर निवासी कटौतीकर्ता के मामले में स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है।

चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट भुगतानों की सूची तथा उचित दरें प्रदान करने का प्रावधान है, जिन पर गैर-निवासी कटौतीकर्ता के मामले में स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है।

खंड 219, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि कर वसूली अधिकारी, पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट तरीकों से कर बकाया के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि को चूककर्ता से वसूलने के लिए आगे बढ़ेगा।

तदनुसार, पांचवीं अनुसूची कर वसूली की प्रक्रिया प्रदान करती है। यह आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुरूप है, जैसा कि इस संहिता के लागू होने से पहले था।

अनुसूची के भाग I में कर वसूली की प्रक्रिया के सामान्य प्रावधान हैं।

इसमें कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र के निष्पादन का तरीका और प्रमाण-पत्र में उल्लिखित राशियों की वसूली के विभिन्न तरीके बताए गए हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कर वसूली अधिकारी पुलिस की सहायता ले सकता है।

अनुसूची के भाग II में चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री की प्रक्रिया का प्रावधान है।

इसके भाग III में अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री की प्रक्रिया का प्रावधान है।

इसके भाग IV में चल संपत्ति के जब्ती और बिक्री की प्रक्रिया दी गई है। इसमें प्रावधान है कि जब्ती और बिक्री उसी तरह की जाएगी जैसे वास्तविक जब्ती द्वारा कुर्क की जाने वाली किसी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री की जाती है।

पांचवीं अनुसूची का भाग V व्यवसाय और अचल संपत्ति के लिए रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि रिसीवर के पास ऐसी शक्तियां होंगी जो संपत्ति के उचित प्रबंधन और उसके लाभ या किराए की वसूली के लिए आवश्यक हो सकती हैं। इसका भाग VI ऐसे चूककर्ता द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए चूककर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया प्रदान करता है जो कर बकाया की वसूली में बाधा डालते हैं।

पांचवीं अनुसूची के भाग VII में साक्ष्य, अपील, समीक्षा आदि से संबंधित कर की वसूली के लिए विविध प्रावधान हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि बोर्ड को इस अनुसूची के तहत प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई भी नियम बनाने का अधिकार है।

इस संहिता की धारा 10 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष की कुल आय इसमें कुछ निर्दिष्ट आयें शामिल नहीं होंगी।

तदनुसार, संहिता की छठी अनुसूची में ऐसी आय सूचीबद्ध है। कुछ मामलों में, ऐसी आय को उसमें निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन छूट दी जाती है। अन्य मामलों में, आय को बिना किसी शर्त के छूट दी जाती है। अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ मामलों में आय की अधिसूचना का भी प्रावधान है।

इस संहिता की धारा 11 में प्रावधान है कि कुछ व्यक्ति किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

तदनुसार, संहिता की सातवीं अनुसूची में ऐसे व्यक्तियों की गणना की गई है। कुछ मामलों में, अनुसूची में प्रावधान है कि व्यक्ति आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, बशर्त कि वे उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। अन्य मामलों में, इकाई को बिना किसी शर्त के कर से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

इस संहिता के खंड 32 के उपखंड (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि बीमा व्यवसाय की गणना आठवीं अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

तदनुसार, आठवीं अनुसूची यह प्रदान करना चाहती है कि जीवन बीमा के व्यवसाय के लाभ बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार शेयरधारकों के खाते (गैर-तकनीकी खाता) में निर्धारित लाभ होंगे, जो उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट मर्दानों द्वारा बढ़ाए और घटाए जाएंगे। इसी तरह, यह प्रदान किया जाता है कि जीवन बीमा के अलावा बीमा के व्यवसाय के लाभ वार्षिक खातों में प्रकट किए गए लाभ होंगे, जिनकी प्रतियां बीमा अधिनियम, 1938 के तहत बीमा नियंत्रक को उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट मर्दानों द्वारा बढ़ाए और घटाए जाने के रूप में प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं। बीमा के व्यवसाय के लाभ पूर्वोक्त राशियों का कुल योग होंगे। उक्त अनुसूची आगे यह प्रदान करती है कि बीमा के किसी भी व्यवसाय से होने वाले नुकसान को बाद के वर्षों के उसी व्यवसाय के मुनाफे से सेट करने की अनुमति दी जाएगी।

खंड 15 के उप-खंड (2) में प्रावधान है कि किसी विशेष स्रोत से आय की गणना नौवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार "विशेष स्रोतों से आय" वर्ग के अंतर्गत की जाएगी।

तदनुसार, नौवीं अनुसूची किसी विशेष स्रोत से अर्जित या प्राप्त आय की गणना के लिए प्रावधान करती है। इसमें आगे प्रावधान है कि विशेष स्रोत से आय की गणना इस संहिता के तहत हानि, भत्ता या कटौती को प्रभावी करने के बाद की गई मानी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी विशेष स्रोत से संबंधित सामान्य लागतों की राशि, जिसके बारे में माना जाता है कि उसे अनुमति दी गई है, निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

ढंग।

इस संहिता के खंड 32 के उपखंड (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि अर्हक जहाज के परिचालन के कारोबार से होने वाले लाभ की गणना दसवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

तदनुसार, दसवीं अनुसूची में प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए अर्हक जहाज के संचालन के व्यवसाय से होने वाले लाभ का निर्धारण उसमें निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार किया जाएगा। इसमें आगे प्रावधान है कि ऐसे लाभों की गणना इस संहिता के तहत हानि, भत्ते या कटौती को प्रभावी करने के बाद की गई मानी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यवसाय के लिए जिम्मेदार सामान्य लागतों की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

उक्त अनुसूची में आगे यह प्रावधान है कि बोर्ड किसी अर्हक जहाज के परिचालन के कारोबार से होने वाली आय की गणना के लिए नियम बना सकता है। इसमें ऐसी आय की गणना के लिए विभिन्न शर्तों को भी परिभाषित किया गया है।

खंड 32 का उपखंड (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के कारोबार से होने वाले लाभ की गणना ग्यारहवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

तदनुसार, ग्यारहवीं अनुसूची में प्रावधान है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के व्यवसाय का लाभ ऐसे व्यवसाय से सकल आय होगी, जिसमें से करदाता द्वारा पूरी तरह और विशेष रूप से ऐसे व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किए गए व्यवसाय व्यय की राशि घटाई जाएगी। इसमें आगे प्रावधान है कि ऐसे लाभों की गणना इस संहिता के तहत हानि, भत्ता या कटौती को प्रभावी करने के बाद की गई मानी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यवसाय के लिए जिम्मेदार सामान्य लागतों की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी। जिन परिस्थितियों में इस अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे, उन्हें भी इसमें निर्दिष्ट किया गया है। इसमें ऐसे लाभों की गणना के उद्देश्य के लिए विभिन्न शर्तों को भी परिभाषित किया गया है।

खंड 32 का उपखंड (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास या किसी वस्तु या चीजों के विनिर्माण या उत्पादन या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई द्वारा कोई सेवा प्रदान करने के कारोबार से होने वाले लाभ की गणना बारहवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

तदनुसार, बारहवीं अनुसूची में प्रावधान है कि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकास या संचालन या किसी वस्तु या चीजों के निर्माण या उत्पादन या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई द्वारा किसी सेवा प्रदान करने के व्यवसाय से होने वाले लाभ एक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे व्यवसाय से होने वाली सकल आय होगी, जिसमें से करदाता द्वारा ऐसे व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूरी तरह और विशेष रूप से किए गए व्यवसाय व्यय की राशि घटाई जाएगी। इसमें आगे प्रावधान है कि ऐसे लाभों की गणना इस संहिता के तहत हानि, भत्ते या कटौती को प्रभावी करने के बाद की गई मानी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यवसाय के लिए जिम्मेदार सामान्य लागतों की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी। जिन परिस्थितियों में इस अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे, उन्हें भी इसमें निर्दिष्ट किया गया है।

खंड 32 का उप-खंड (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि तेरहवीं अनुसूची के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट व्यवसाय से लाभ की गणना उक्त अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

तदनुसार, तेरहवीं अनुसूची में ऐसे विनिर्दिष्ट व्यवसायों की सूची दी गई है। इस अनुसूची के प्रावधान उक्त विनिर्दिष्ट व्यवसायों पर लागू होंगे जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हैं।

उक्त अनुसूची में आगे यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ की गणना अलग से की जाएगी। किसी भी निर्दिष्ट व्यवसाय का लाभ ऐसे व्यवसाय से होने वाली सकल आय होगी, जिसमें से करदाता द्वारा ऐसे व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूर्णतः और विशेष रूप से किए गए व्यवसाय व्यय की राशि घटाई जाएगी। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे लाभों की गणना इस संहिता के तहत हानि, भत्ते या कटौती को प्रभावी करने के बाद की गई मानी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यवसाय के लिए जिम्मेदार सामान्य लागतों की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी। जिन परिस्थितियों में इस अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे, उन्हें भी इसमें निर्दिष्ट किया गया है।

खंड 32 का उप-खंड (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि चौदहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कारोबार से होने वाले लाभ, जहां आय का निर्धारण प्रकल्पित आधार पर किया जाता है, की गणना उक्त अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

तदनुसार, चौदहवीं अनुसूची में ऐसे व्यवसायों की सूची दी गई है। इसमें प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय करदाता द्वारा किए गए ऐसे व्यवसाय से आय उसमें निर्दिष्ट राशि होगी और उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

उक्त अनुसूची में आगे यह प्रावधान है कि ऐसी आय की गणना इस संहिता के तहत हानि, भत्ते या कटौती को प्रभावी करने के बाद की गई मानी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यवसाय के लिए जिम्मेदार सामान्य लागतों की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी। जिन परिस्थितियों में इस अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होंगे, उन्हें भी इसमें निर्दिष्ट किया गया है।

पंद्रहवीं अनुसूची मूल्यहास से संबंधित है। व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्तियों का मूल्यहास संहिता के खंड 37 के तहत अनुमत पूंजीगत भत्तों में से एक है। व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्तियों के मूल्यहास की गणना का तरीका संहिता के खंड 38 में प्रदान किया गया है। उक्त खंड पंद्रहवीं अनुसूची का संदर्भ देता है। परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक के संबंध में, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यक्ति के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसंपत्तियों के ऐसे ब्लॉक के समायोजित मूल्य या लिखित मूल्य पर उक्त अनुसूची में दी गई तालिका में ऐसे परिसंपत्तियों के ब्लॉक के विरुद्ध निर्दिष्ट प्रतिशत पर मूल्यहास की अनुमति दी जानी है। उक्त तालिका व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्तियों को मोटे तौर पर बारह श्रेणियों की परिसंपत्तियों में विभाजित करती है। ये हैं भवन, फर्नीचर और फिटिंग, वाहन, हवाई जहाज, रेल, जहाज, पुस्तकें, मशीनरी और संयंत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान परिसंपत्तियां, परिवार नियोजन परिसंपत्तियां, पशु और अमूर्त परिसंपत्तियां। पंद्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक का हिस्सा न बनने वाली किसी अन्य व्यावसायिक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त अनुसूची में यह भी प्रावधान है कि किसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में कोई मूल्यहास नहीं दिया जाएगा, यदि उसकी वास्तविक लागत को एक या अधिक वर्षों में कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। यह भी प्रावधान है कि मूल्यहास अमूर्त परिसंपत्तियों के ब्लॉक के समायोजित लिखित मूल्य का एक सौ प्रतिशत होगा, यदि परिसंपत्तियों के ब्लॉक का समायोजित मूल्य या लिखित मूल्य एक लाख रुपये या उससे कम है। अनुसूची में अनुसूची में तालिका में सूचीबद्ध परिसंपत्तियों में शामिल विभिन्न मदों की सूची भी प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

इस संहिता के खंड 79 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा वित्तीय वर्ष में सोलहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अंशदान या दान के रूप में दी गई धनराशि में से एक निर्दिष्ट राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

तदनुसार, सोलहवीं अनुसूची में ऐसे व्यक्तियों की सूची दी गई है। इसके भाग I, II, III और IV में उन संस्थाओं की सूची दी गई है जिनके संबंध में अंशदान या दान क्रमशः एक सौ पचहत्तर प्रतिशत, एक सौ पच्चीस प्रतिशत, एक सौ प्रतिशत और पचास प्रतिशत की कटौती के लिए पात्र हैं।

इस संहिता के खंड 53 के उपखंड (3) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सत्रहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट और विनिर्दिष्ट तरीके से अर्जित निवेश आस्ति के अधिग्रहण की लागत उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट लागत होगी।

तदनुसार, सत्रहवीं अनुसूची में निवेश परिसंपत्ति, जैसे शेयर या कुछ अधिकार, जो इसमें निर्दिष्ट विभिन्न तरीकों से अर्जित किए गए हैं, के अधिग्रहण की लागत के निर्धारण की विधि प्रदान की गई है।

इस संहिता के खंड 314 के उपखंड (160) में "खनिज" को अठारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट संबद्ध खनिजों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है।

तदनुसार, अठारहवीं अनुसूची के भाग I और भाग II में क्रमशः सूची दी गई है ऐसे खनिजों और संबद्ध खनिजों के समूह।

विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची तीन प्रकार की निधियों, अर्थात् अनुमोदित भविष्य निधि, अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि और अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि से संबंधित है और उनके अनुमोदन और कामकाज को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश प्रदान करने का प्रयास करती है। उक्त अनुसूची के तीन भाग हैं। भाग I अनुमोदित भविष्य निधि, भाग II अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि और भाग III अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि से संबंधित है।

अनुमोदित भविष्य निधि से संबंधित भाग 1 में यह प्रावधान है कि आयुक्त भविष्य निधि को स्वीकृति देगा या वापस लेगा तथा वे शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं, जिनके संतुष्ट होने पर वह ऐसी निधि को स्वीकृति देगा। कुछ परिस्थितियों में, शर्तों में छूट भी दी जा सकती है। इस भाग में यह भी प्रावधान है कि अन्य निर्दिष्ट अधिनियमों की योजना के तहत स्थापित कुछ निधियों को इस संबंध में अधिसूचित किए जाने पर स्वीकृत माना जाएगा।

उक्त भाग में यह भी प्रावधान है कि नियोक्ता द्वारा वेतन के बारह प्रतिशत या एक लाख रुपए से अधिक का अंशदान, जो भी कम हो, तथा इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर से अधिक जमा किया गया ब्याज, संबंधित कर्मचारी की आय माना जाएगा तथा आयकर के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, कर्मचारी अपने खाते में अपने अंशदान के संबंध में अपनी आय की गणना में एक निर्दिष्ट सीमा के अधीन कटौती का हकदार होगा।

अनुसूची का भाग II अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से संबंधित है। भविष्य निधि के मामले में, आयुक्त सेवानिवृत्ति निधि को स्वीकृति प्रदान करेगा या वापस लेगा। वे शर्तें, जिनके संतुष्ट होने पर आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी, भी निर्दिष्ट की गई हैं।

उक्त भाग में आगे यह भी प्रावधान है कि नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान कब नियोक्ता की आय माना जाएगा तथा कर्मचारी को दिए गए अंशदान पर कर की कटौती भी की जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि कर्मचारियों के वेतन तथा उनकी ओर से किए गए अंशदान से की गई कटौती को नियोक्ता द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न में शामिल किया जाएगा। यह भाग सुपरएनुएशन फंड को दिए गए अनुमोदन की समाप्ति पर ट्रस्टियों की देयता को भी निर्दिष्ट करता है तथा ऐसे फंड के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों के लिए प्रावधान करता है।

अनुसूची का भाग III अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड से संबंधित है। भविष्य निधि के मामले में, आयुक्त ग्रेच्युटी फंड को मंजूरी देगा या वापस लेगा। जिन शर्तों की संतुष्टि पर आयुक्त द्वारा मंजूरी दी जाएगी, उन्हें भी निर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि नियोक्ता द्वारा योगदान कब नियोक्ता की आय माना जाएगा। यह ग्रेच्युटी फंड को दिए गए अनुमोदन की समाप्ति पर ट्रस्टियों की देयता को भी निर्दिष्ट करता है और ऐसे फंडों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों के लिए प्रावधान करता है।

उन्नीसवीं अनुसूची में तीनों भागों के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई व्यथित नियोक्ता किसी निधि को मंजूरी न देने या मंजूरी वापस लेने के आयुक्त के आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इसके अलावा, बोर्ड निधियों के सुचारू विनियमन के लिए नियम बना सकता है। इसके अलावा, कुछ प्रासंगिक शब्द जैसे 'नियोक्ता', 'कर्मचारी', 'योगदान', 'कर्मचारी के खाते में शेष', 'वार्षिक अभिवृद्धि' आदि को परिभाषित किया गया है।

बीसवीं अनुसूची में नियंत्रित विदेशी कंपनी को होने वाली आय की गणना के लिए विधि और तरीके का प्रावधान है, जिसे खंड 58 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत में निवासी किसी करदाता की कुल आय में शामिल किया जाएगा। सरलता के लिए उक्त अनुसूची में नियंत्रित विदेशी कंपनी को होने वाली आय की राशि और ऐसी कंपनी की निर्दिष्ट आय के निर्धारण के लिए सूत्र दिए गए हैं।

उक्त अनुसूची में कुछ शब्दों को भी परिभाषित किया गया है जैसे "नियंत्रित विदेशी कंपनी", "कर की कम दर वाला क्षेत्र" और "संबद्ध उद्यम"।

खंड 178 में प्रावधान है कि यदि कोई करदाता इक्कीसवीं अनुसूची में निर्दिष्ट आयुक्त से नीचे के पद के आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, तो वह आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर सकता है। तदनुसार, अनुसूची में उन आदेशों की सूची दी गई है, जिनकी अपील आयुक्त (अपील) के समक्ष की जा सकती है।

इस संहिता के खंड 37 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि पूंजी भत्ते की एक मद अर्थात् आस्थगित राजस्व व्यय भत्ता व्यय का ऐसा अनुपात होगा जैसा कि बाईसवीं अनुसूची के अनुसार निर्दिष्ट और गणना की गई है। तदनुसार, उक्त अनुसूची आस्थगित राजस्व व्यय की मदों को प्रदान करने का प्रयास करती है जिस पर एक वित्तीय वर्ष के लिए आस्थगित राजस्व व्यय भत्ता उपलब्ध होगा। अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान की गई मदें हैं गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क, पट्टे या किराए पर किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रीमियम, किसी कर्मचारी को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में भुगतान की गई राशि, किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया व्यय, व्यवसाय के दौरान किए गए किसी भी समझौते के जब्त होने के कारण कोई हानि और व्यवसाय शुरू होने से पहले या व्यवसाय के विस्तार के संबंध में या नए व्यवसाय की स्थापना के संबंध में किए गए निर्धारित प्रारंभिक व्यय।

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 और संपत्ति कर अधिनियम, 1957 को प्रतिस्थापित करना है और इस प्रकार, इन अधिनियमों के प्रशासन पर किए जा रहे व्यय के अलावा, इस विधेयक के पारित होने मात्र से कोई अतिरिक्त महत्वपूर्ण व्यय अपेक्षित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

1. विधेयक के खंड 6 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित आय प्राप्त मानी जाएगी- (ए) वित्तीय वर्ष में किसी भी नियोक्ता द्वारा खाते में किया गया कोई भी

अंशदान

पेंशन निधि के अंतर्गत किसी कर्मचारी का;

(ख) किसी नियोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष में किसी अन्य निधि में किसी कर्मचारी के खाते में किया गया कोई अंशदान;

(ग) वित्तीय वर्ष में, खंड (ख) में निर्दिष्ट निधि में किसी कर्मचारी के जमा शेष में वार्षिक वृद्धि, उस सीमा तक, जो विहित की जाए, अधिक हो।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

2. विधेयक के खंड 9 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की कुल आय में अन्य आय के अलावा, वह सभी आय शामिल होगी जो व्यक्ति द्वारा अपने जीवनसाथी को सीधे या परोक्ष रूप से हस्तांतरित परिसंपत्तियों से प्राप्त होती है, जो पर्याप्त प्रतिफल के अलावा या अलग रहने के समझौते के संबंध में होती है; और व्यक्ति द्वारा अपने बेटे की पत्नी को सीधे या परोक्ष रूप से हस्तांतरित परिसंपत्तियों से प्राप्त होती है, जो पर्याप्त प्रतिफल के अलावा होती है। यह भी प्रावधान किया गया है कि बोर्ड ऊपर उल्लिखित आय के निर्धारण के लिए विधि निर्धारित कर सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

3. विधेयक के खंड 18 में यह प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय, ऐसी आय से संबंधित कोई व्यय, जो छठी अनुसूची के अंतर्गत कुल आय में शामिल नहीं है, तथा जिसका निर्धारण ऐसी विधि के अनुसार किया गया है, कटौती के रूप में नहीं किया जाएगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

4. विधेयक के खंड 23 में रोजगार से आय की गणना के लिए सकल वेतन से कटौती का प्रावधान है। इन कटौतियों में शामिल हैं - किसी कर्मचारी द्वारा अपने निवास और कार्यालय या किसी अन्य कार्यस्थल के बीच यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई भत्ता या लाभ, उस सीमा तक जो निर्धारित की जा सकती है; किसी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई भत्ता या लाभ, जो निर्धारित की जा सकती है, किसी कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में पूर्णतः, आवश्यक रूप से और अनन्य रूप से व्ययों को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जिस सीमा तक ऐसे व्यय वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, और व्यक्तिगत व्ययों को पूरा करने के लिए, तैनाती के स्थान या कर्तव्यों की प्रकृति या निवास स्थान को ध्यान में रखते हुए, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन जो निर्धारित की जा सकती हैं; किसी कर्मचारी के खाते में स्वीकृत निधि में शेष राशि पर वित्तीय वर्ष में जमा की गई ब्याज की कोई राशि, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर देय ब्याज की राशि से अधिक न हो; किसी कर्मचारी द्वारा अधिग्रहीत आवासीय आवास के संबंध में किराए के भुगतान पर वास्तव में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया कोई भत्ता, जिस सीमा तक निर्धारित की जा सकती है।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
और इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में "ब्याज दर" अधिसूचित करें।

5. विधेयक के खंड 33 में यह प्रावधान है कि खंड 32 में निर्दिष्ट सकल आय में किसी व्यक्ति को एक दिन में किए गए किसी भुगतान या भुगतानों का योग भी शामिल होगा, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए किसी व्यय के संबंध में या किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कटौती के रूप में दी गई देयता के संबंध में किया गया हो, जो बैंक पर आहरित खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से किया गया हो; यदि भुगतान ट्रांसपोर्टर को किया जाता है तो यह राशि पैंतीस हजार रुपये से अधिक होगी।

सड़क मार्ग से माल की दुलाई के लिए, या किसी अन्य मामले में बीस हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा; और ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में भुगतान नहीं किया गया है, जैसा कि विहित किया जा सके।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

6. विधेयक का खंड 35 व्यवसाय व्यय के संबंध में परिचालन व्यय को निर्दिष्ट करता है और इसमें किसी कार्यरत प्रतिभागी या साझेदार को निर्धारित सीमा तक पारिश्रमिक शामिल है जो कि असंगठित निकाय या सीमित देयता भागीदारी, जैसा भी मामला हो, संघ के समझौते के अनुसार है और ऐसे समझौते की तारीख के बाद आने वाली अवधि से संबंधित है; किसी व्यक्ति द्वारा, जो नियोक्ता है, किसी अनुमोदित निधि में ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन योगदान, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और उस सीमा तक जहां राशि वास्तव में भुगतान की जाती है;

7. खण्ड 35 में परिचालन व्यय के निर्धारण के प्रयोजन के लिए कटौतियों को निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें नियोक्ता होने के नाते व्यक्ति द्वारा अनुमोदित निधि में ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन अंशदान शामिल है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और जिस सीमा तक राशि वास्तव में भुगतान की जाती है; साथ ही, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में जमा की गई कोई राशि, यदि व्यक्ति कोई वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है, तो निर्धारित तरीके से संगणित कुल औसत अग्रिमों के एक प्रतिशत से अधिक नहीं।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने तथा अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

8. विधेयक का खंड 36 व्यवसाय व्यय के संबंध में वित्त प्रभागों को निर्दिष्ट करता है और इसमें किसी भागीदार को निर्धारित सीमा तक भुगतान की गई ब्याज की राशि शामिल है जो कि असंबद्ध निकाय के गठन के समझौते के अनुसार है और ऐसे समझौते की तारीख के बाद आने वाली अवधि से संबंधित है; व्यक्ति द्वारा जारी किसी बांड या डिबेंचर पर देय छूट या प्रीमियम की आनुपातिक राशि, निर्धारित तरीके से गणना की जा सकती है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

9. विधेयक के खंड 37 में भारत में चाय, कॉफी या रबर उगाने और विनिर्माण का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के संबंध में ऐसी जमा योजना के अनुसार राशि की कटौती का प्रावधान है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस संबंध में नियम बनाने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

10. विधेयक के खंड 41 में यह प्रावधान है कि किसी कंपनी को वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए आंतरिक सुविधा के सृजन और रखरखाव पर किए गए व्यय (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति के व्यय को छोड़कर) के दो सौ प्रतिशत के बराबर कटौती की अनुमति दी जाएगी; और आंतरिक सुविधा में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास किया जाएगा, यदि-

(ए) कंपनी कार्य करने के लिए एक आंतरिक सुविधा का निर्माण और रखरखाव करती है
वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास;

(ख) अनुसंधान सुविधा को निर्धारित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है; और

(ग) कंपनी अनुसंधान एवं विकास सुविधा में सहयोग के लिए तथा ऐसी सुविधा के लिए रखे गए खातों की लेखापरीक्षा के लिए विहित प्राधिकारी के साथ करार करती है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

11. विधेयक के खंड 41 में आगे यह प्रावधान है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास भत्ते के लिए कटौती का दावा करने हेतु अनुसंधान सुविधा को अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड व्यवसाय की प्रकृति, शर्तों और तरीके निर्धारित कर सकता है, जिन्हें ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवश्यक माना जा सकता है।

12. तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

13. विधेयक के खंड 44 में यह प्रावधान है कि बोर्ड, किसी व्यापारिक पूंजी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है- (क) कोई अन्य लागत जिसे वास्तविक लागत निर्धारित करने में शामिल किया जा सकता है; और (ख) उन परिस्थितियों में वास्तविक लागत निर्धारित करने की विधि, जो इस खंड में प्रदान नहीं की गई हैं।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

14. विधेयक के खंड 45 में यह प्रावधान है कि बोर्ड निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है- (क) व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के बीच परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य या समायोजित लिखित मूल्य के आवंटन का निर्धारण करने की विधि; और (ख) उन परिस्थितियों में परिसंपत्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य या समायोजित लिखित मूल्य का निर्धारण करने की विधि, जो इस खंड में प्रदान नहीं की गई हैं।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

15. विधेयक के खंड 47 में यह प्रावधान है कि किसी कलाकृति, पुरातत्व, वैज्ञानिक या कला संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, चित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट को सरकार या विश्वविद्यालय या किसी सार्वजनिक संग्रहालय या राष्ट्रीय महत्व या किसी राज्य या राज्यों में प्रसिद्ध संस्थान को हस्तांतरित करने से होने वाली आय, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, को "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के तहत आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

16. खंड 47 में आगे यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी योजना के तहत रिवर्स मॉर्टगेज के लेनदेन में किसी भी निवेश परिसंपत्ति का हस्तांतरण "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के तहत आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

तदनुसार, योजना तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

17. विधेयक के खंड 58 में यह प्रावधान है कि सकल अवशिष्ट आय में अन्य बातों के साथ-साथ किसी व्यक्ति को एक दिन में किए गए भुगतान या भुगतानों का योग शामिल होगा, जो बैंक खाते में आहरित आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट के अलावा अन्य माध्यम से किया गया हो, यदि वह ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में उपगत नहीं किया गया हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

18. विधेयक के खंड 59 में यह प्रावधान है कि अवशिष्ट स्रोतों से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को एक दिन में बैंक खाते में आहरित चेक या खाते में आदाता बैंक ड्राफ्ट के अलावा किए गए किसी भुगतान या भुगतानों के योग को, यदि वह ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में व्यय नहीं किया गया है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

19. विधेयक के खंड 69 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति होने के नाते, उक्त खंड में निर्दिष्ट राशियों के कुल के संबंध में बचत के लिए कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान या जमा किए गए एक लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।

वित्तीय वर्ष। निर्दिष्ट राशियों में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में कोई राशि शामिल है, जहां ऐसा योगदान व्यक्ति, पति या ऐसे व्यक्ति के किसी बच्चे के खाते में है; निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी बीमाकर्ता की किसी भी वार्षिकी योजना के लिए अनुबंध को प्रभावी या लागू रखने के लिए कोई राशि; निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित पेंशन योजना में योगदान के रूप में कोई राशि।

तदनुसार, बोर्ड को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए।

20. विधेयक के खंड 75 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति है, वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी, जिसका उद्देश्य है- (क) अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना; या (ख) अपने रिश्तेदारों की उच्च शिक्षा। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय संस्थान" का अर्थ बैंकिंग कंपनी या कोई अन्य वित्तीय संस्थान है जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

21. विधेयक के खंड 76 में प्रावधान है कि हिंदू अविभाजित परिवार का निवासी व्यक्ति होने के नाते, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की निर्धारित बीमारी या व्याधि के चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी। यह कटौती तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि व्यक्ति किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी निर्धारित विशेषज्ञ से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता।

इसके अनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

22. विधेयक के खंड 77 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से विकलांग है तो उसे एक लाख रुपए की छूट दी जाएगी, तथा यदि वह विकलांग है तो उसे पचास हजार रुपए की छूट दी जाएगी। यह छूट तभी दी जाएगी जब व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और यह प्रमाण पत्र संबंधित वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान वैध रहता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

23. विधेयक के खंड 78 में यह प्रावधान है कि इस खंड के अंतर्गत कटौती की अनुमति तभी दी जाएगी, जब इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाला व्यक्ति, निर्धारित प्रारूप और तरीके से चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले और यह प्रमाण-पत्र संबंधित वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान वैध रहे।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

24. विधेयक के खंड 79 में यह प्रावधान है कि सोलहवीं अनुसूची के भाग IV में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किया गया दान उपखंड (1) के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र होगा, यदि दान प्राप्तकर्ता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, निर्धारित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लेता है।

तदनुसार, इस खंड के नामिती के लिए इस संबंध में नियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

25. विधेयक के खंड 80 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है और किसी भी मकान किराया भत्ते को प्राप्त नहीं करता है, उसे अपने निवास के लिए किसी सुसज्जित या असज्जित आवास के संबंध में किराए के भुगतान के लिए सामान्य स्रोतों से अपनी सकल कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक के किसी भी व्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी। यह कटौती अधिकतम दो हजार रुपए प्रति माह तक दी जाएगी और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगी जो उस क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकती हैं जिसमें आवास स्थित है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

26. विधेयक के खंड 82 में निवेशक संरक्षण निधि की आय में कटौती का प्रावधान है, यदि निधि को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

27. विधेयक के खंड 87 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन किया है, उसके संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा तथा बनाए रखेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

28. विधेयक के खंड 87 में आगे यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला संबंधी पेशा या लेखा, तकनीकी परामर्श, आंतरिक सज्जा या बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य पेशे से जुड़ा है, वह ऐसी खाता बही और अन्य दस्तावेज रखेगा और उनका रखरखाव करेगा, जिससे मूल्यांकन अधिकारी को संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने में मदद मिल सके।

तदनुसार, बोर्ड को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए।

29. विधेयक के खंड 87 में आगे यह प्रावधान है कि खातों के रखरखाव के संबंध में किसी भी व्यक्ति को जारी किए गए बिलों या रसीदों में नाम, पता और ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

30. विधेयक के खंड 87 में यह भी प्रावधान है कि बोर्ड, किसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है- (क) रखी जाने वाली और रखी जाने वाली कोई अन्य खाता बही और दस्तावेज; (ख) खाता बही और दस्तावेजों में शामिल किए जाने वाले विवरण; और (ग) वह रूप और तरीका तथा वह स्थान, जिसमें खाता बही और अन्य दस्तावेज रखे और रखे जाएंगे। बोर्ड वह अवधि भी निर्धारित कर सकता है, जिसके लिए इस धारा के तहत रखी जाने वाली और रखी जाने वाली खाता बही और अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

31. विधेयक के खंड 88 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे खंड 87 के अंतर्गत लेखा-पुस्तकें रखने और उनका रखरखाव करने की आवश्यकता है, को वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट करवाना होगा। इस ऑडिट की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी तथा इसमें ऐसे विवरण दिए जाएंगे, जो निर्धारित किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के खातों का ऑडिट किसी अन्य कानून के तहत या उसके द्वारा निर्धारित तिथि से पहले करवा लेता है, तो उसे इस खंड के प्रावधानों का अनुपालन करने वाला माना जाएगा; तथा वह ऐसे अन्य कानून के तहत अपेक्षित ऑडिट की रिपोर्ट और इस खंड के तहत निर्धारित प्रपत्र में लेखाकार द्वारा आगे की रिपोर्ट प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा, कोई व्यक्ति जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किया है, उसे वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की रिपोर्ट नियत तिथि को या उससे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट लेखाकार से निर्धारित प्रपत्र में ऐसे लेखाकार द्वारा निर्धारित तरीके से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम और प्ररूप बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

32. विधेयक के खंड 89 में यह प्रावधान है कि "व्यवसाय से आय" या "अवशिष्ट स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय, इस खंड में अन्यथा प्रावधान के अलावा, व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली नकद या व्यापारिक लेखा प्रणाली के अनुसार गणना की जाएगी। केंद्र सरकार समय-समय पर किसी भी वर्ग के व्यक्तियों या किसी भी वर्ग की आय के संबंध में अपनाए जाने वाले लेखा मानकों को अधिसूचित कर सकती है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने तथा अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

33. विधेयक का खंड 89 आगे निर्दिष्ट करता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अशोध्य या संदिग्ध ऋण" ऐसे ऋण होंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे ऋणों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जा सकते हैं।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक के खंड 90 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, किसी व्यक्ति को सातवीं अनुसूची के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक महत्व के गैर-लाभकारी संगठन के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

35. विधेयक के खंड 94 में यह प्रावधान है कि कुल आय की गणना के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की राशि में भारत के बाहर लागू की गई कोई राशि शामिल होगी, यदि - (i) राशि किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए लागू की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देता है जिसमें भारत की रुचि है; और (ii) गैर-लाभकारी संगठन को इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

36. विधेयक के खंड 94 में आगे यह प्रावधान है कि कुल आय की गणना के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की राशि उसमें निर्दिष्ट राशियों का योग होगी। इन राशियों में कोई भी ऐसी राशि शामिल है जो किसी धर्मार्थ गतिविधि को चलाने के लिए संचित या अलग रखी गई है - (i) कुल आय का पंद्रह प्रतिशत (इस खंड के प्रावधानों को प्रभावी करने से पहले) या सकल प्राप्तियों का दस प्रतिशत, जो भी कम हो; और (ii) खंड 95 में निर्दिष्ट तरीकों से निवेश या जमा, वित्तीय वर्ष के अंत से तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। ऐसी गतिविधि में धन का निवेश या जमा करने के तरीकों में निवेश या जमा करने का कोई अन्य तरीका शामिल है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, खंड 95 के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में नियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

37. विधेयक के खंड 98 में प्रावधान है कि गैर-लाभकारी संगठन को अपने पंजीकरण के लिए आयुक्त को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आवेदन करना होगा। ये प्रावधान किसी भी गैर-लाभकारी संगठन पर लागू नहीं होंगे, जिसे संहिता के लागू होने से पहले आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मंजूरी या पंजीकरण दिया गया हो, बशर्त संगठन निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम और प्ररूप बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

38. विधेयक के खंड 99 में प्रावधान है कि गैर-लाभकारी संगठन निर्धारित तरीके से ऐसी लेखा पुस्तकें रखेगा और उनका रखरखाव करेगा। इसके अलावा, गैर-लाभकारी संगठन को कर आधारों की रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से पहले एक लेखाकार से निर्धारित प्रपत्र में लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी, यदि किसी वित्तीय वर्ष में खंड 93 में निर्दिष्ट सकल प्राप्तियां पांच लाख रुपये से अधिक हैं।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम और प्ररूप बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

39. विधेयक के खंड 100 में परिभाषित किया गया है कि उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "अनाम दान" का अर्थ कोई स्वैच्छिक योगदान है, जहां ऐसा योगदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसा योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम और पता तथा अन्य ऐसे विवरण, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, दर्शाने वाला पहचान अभिलेख नहीं रखता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

40. विधेयक के खंड 101 में प्रावधान है कि एक गैर-लाभकारी संगठन अपनी निवल संपत्ति के संबंध में तीस प्रतिशत की दर से आयकर के लिए उत्तरदायी होगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

उक्त खंड में निर्दिष्ट है। गैर-लाभकारी संगठन के "निवल मूल्य" को गैर-लाभकारी संगठन की कुल परिसंपत्तियों के समग्र मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि निर्धारित किए जा सकने वाले मूल्यांकन के नियमों के अनुसार गणना की गई ऐसे संगठन की देनदारियों से कम है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

41. विधेयक के खंड 104 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी, जिस पर बही लाभ की गणना के संबंध में यह खंड लागू होता है, एक लेखाकार से निर्धारित प्रारूप में एक रिपोर्ट प्राप्त करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि बही लाभ की गणना इस खंड के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने तथा प्ररूप जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

42. विधेयक के खंड 108 में यह प्रावधान है कि उद्यम पूंजी कंपनी, उद्यम पूंजी निधि या ऐसी कंपनी या निधि की ओर से आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, निर्धारित समय के भीतर, ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को और निर्धारित आयकर प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई आय की प्रकृति और ऐसे अन्य प्रासंगिक विवरण दिए जाएंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

43. विधेयक के खंड 110 में प्रावधान है कि प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता किसी अनुमोदित इक्विटी उन्मुख जीवन बीमा योजना के पॉलिसी धारकों को निर्धारित तरीके से गणना की गई, वितरित या भुगतान की गई आय की किसी भी राशि पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

44. विधेयक के खंड 110 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि इस खंड में "अनुमोदित इक्विटी उन्मुख जीवन बीमा योजना" का अर्थ है -

(i) कोई जीवन बीमा योजना, जहां ऐसी योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल प्रीमियम का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा घरेलू कंपनियों में इक्विटी शेयरों के माध्यम से निवेश किया जाता है; और

(ii) ऐसी योजना को बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

तदनुसार, इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए।

45. विधेयक के खंड 113 में यह प्रावधान है कि संपत्ति-कर की लक्ष्य-निर्धारणीयता के प्रयोजनों के लिए शुद्ध संपत्ति की गणना के संबंध में, उक्त खंड में निर्दिष्ट नकदी के अलावा किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति का मूल्य, ऐसी रीति से निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

46. विधेयक के खंड 117 में यह प्रावधान है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में सन्निकट मूल्य का निर्धारण किसी भी निर्धारित विधि के अनुसार किया जाएगा, जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी; सर्वाधिक उपयुक्त विधि का निर्धारण लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की श्रेणी, सहबद्ध उद्यमों की श्रेणी या ऐसे उद्यमों द्वारा निष्पादित कार्यों या ऐसे अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जो निर्धारित किए जा सकते हैं; तथा उपर्युक्त रूप में निर्धारित सर्वाधिक उपयुक्त विधि को सन्निकट मूल्य के निर्धारण के लिए ऐसी रीति से लागू किया जाएगा, जो निर्धारित की जा सकती है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

47. विधेयक के खंड 116 में आगे प्रावधान है कि सन्निकट मूल्य का निर्धारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन होगा, जैसा कि इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

48. विधेयक के खंड 118 में प्रावधान है कि बोर्ड अधिसूचना द्वारा एक योजना तैयार कर सकता है किसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के लिए।

तदनुसार, इस संबंध में योजना तैयार करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए।

49. विधेयक के खंड 123 में यह प्रावधान है कि सामान्य एंटी-परिहार नियम ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगा, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को दिशानिर्देश तैयार करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

50. विधेयक के खंड 124 में यह प्रावधान है कि "कर से बचने से संबंधित विशेष प्रावधान" अध्याय के प्रयोजनों के लिए, दो उद्यमों को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय सहबद्ध उद्यम माना जाएगा, यदि वे उक्त खंड में निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर एक दूसरे से सहबद्ध हैं। इन शर्तों में शामिल हैं - 'दोनों उद्यमों में से किसी एक का कोई विशिष्ट या अलग स्थान जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है'; 'दोनों उद्यमों के बीच विद्यमान पारस्परिक हित का कोई अन्य संबंध, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है'।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

51. विधेयक के खंड 127 में आगे यह भी प्रावधान है कि बोर्ड अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई आयकर प्राधिकरण या प्राधिकरण ऐसे अन्य आयकर प्राधिकरणों के अधीनस्थ होंगे, जिन्हें ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार, बोर्ड को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए।

52. विधेयक के खंड 133 में जब्त परिसंपत्तियों को रखने और उनके उपयोग के संबंध में प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित शर्तों के अधीन, उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से परिसंपत्तियां जब्त की गई थीं, कोई परिसंपत्ति या उसकी आय, जो उक्त खंड में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन के बाद भी बची रहती है, छोड़ देगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में नियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव किया गया।

53. विधेयक के खंड 135 में प्रावधान है कि तलाशी और जब्ती के संबंध में बोर्ड नियम बना सकता है -

(क) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करना -

(i) किसी भी इमारत, स्थान, जहाज, वाहन या विमान में प्रवेश करने के लिए जहां मुक्त प्रवेश उपलब्ध न हो, वहां तलाशी ली जाए; और (ii) जब्त की गई किसी सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित की जाए; और

(ख) इस खंड के अंतर्गत तलाशी और जब्ती से संबंधित कोई अन्य मामला।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

54. विधेयक के खंड 140 में यह प्रावधान है कि प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, यह अपेक्षा कर सकेगा कि -

(क) किसी विहित व्यक्ति को ऐसी सूचना ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत करने का निर्देश देना, जैसा कि विहित किया जाए; तथा

(ख) किसी निर्धारित आयकर प्राधिकरण द्वारा ऐसी सूचना मांगने के लिए जैसा कि निर्धारित किया जाएगा, प्ररूप और तरीके से।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

55. विधेयक के खंड 142 में यह उपबंध है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी करदाता से संबंधित कोई सूचना दे सकेगा या दिलवा सकेगा, जो इस संहिता के अधीन किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा उसके कृत्यों के निष्पादन में प्राप्त की गई हो या अभिप्राप्त की गई हो, यदि वह व्यक्ति मुख्य आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप में आवेदन करता है; और मुख्य आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में है।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वह निम्नलिखित प्रपत्र जारी कर सके:
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

56. विधेयक के खंड 142 में यह भी प्रावधान है कि बोर्ड या इस संबंध में आदेश द्वारा इसके द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी अन्य कानून के तहत कोई कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी करदाता के संबंध में कोई जानकारी दे सकता है या देवा सकता है, जिसे केंद्रीय सरकार, यदि उसकी राय में सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस खंड में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

57. विधेयक के खंड 144 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर आधारों का विवरण निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व कर निर्धारण अधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या एजेन्सी को प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

58. विधेयक के खंड 144 में आगे यह प्रावधान है कि आय के संबंध में कर आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति में उक्त खंड में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त, व्यक्तियों का कोई वर्ग या वर्ग भी शामिल होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार को इस संबंध में नियम बनाने/अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

59. विधेयक के खंड 144 में आगे यह प्रावधान है कि कर आधारों की विवरणी ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत की जाएगी, तथा उसे निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा तथा उसमें ऐसे विवरण दिए जाएंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

60. विधेयक के खंड 145 में यह प्रावधान है कि बोर्ड कर रिटर्न तैयारकर्ता योजना के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कर रिटर्न तैयारकर्ता योजना तैयार कर सकेगा ताकि कर रिटर्न तैयारकर्ता को योजना के अनुसार किसी निर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के कर आधारों की रिटर्न तैयार करने और प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सके।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में कर रिटर्न तैयार करने की योजना तैयार करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

61. विधेयक के खंड 149 में यह प्रावधान है कि बोर्ड करदाता द्वारा देय कर अथवा उसे देय प्रतिदाय के शीघ्र निर्धारण के लिए रिटर्न के केंद्रीकृत प्रसंस्करण हेतु योजना बना सकता है।

तदनुसार, इस संबंध में योजना तैयार करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए।

62. विधेयक के खंड 151 में यह प्रावधान है कि यदि कार्यवाही के किसी भी चरण में कर निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि कर निर्धारण के खातों की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हितों को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह कर निर्धारण अधिकारी को अपने खातों का लेखा-परीक्षण किसी लेखाकार से करवाने का निर्देश दे सकता है। लेखाकार ऐसे प्ररूप में लेखा-परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी, तथा जिसमें निर्धारित किए जा सकने वाले विवरण और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण दिए जाएंगे।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को नियम/प्रपत्र बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

63. विधेयक के खंड 154 में यह भी प्रावधान है कि लेखाकार का पारिश्रमिक और विशेष लेखापरीक्षा के लिए अन्य व्यय मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित और भुगतान किए जाएंगे। तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

64. विधेयक के खंड 155 में यह प्रावधान है कि मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, "पात्र "करदाता" में व्यक्तियों का कोई भी वर्ग या वर्ग शामिल है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

65. विधेयक के खंड 159 में यह प्रावधान है कि किसी मामले को पुनः खोलने के लिए, सभी कर निर्धारण अधिकारी करदाता को एक नोटिस देंगे, जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कर आधारों की विवरणी, तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में, सत्यापित तरीके से तथा निर्धारित अन्य विवरण सहित प्रस्तुत करे।

तदनुसार, केंद्र सरकार को नियम/प्रपत्र बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

66. विधेयक के खंड 162 में यह प्रावधान है कि इस संहिता के अधीन किए गए किसी आदेश या जारी की गई सूचना के परिणामस्वरूप देय किसी राशि की मांग आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप और तरीके से करदाता को मांग नोटिस भेजकर की जाएगी।

तदनुसार, केंद्र सरकार को नियम/प्रपत्र बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

67. विधेयक के खंड 179 में यह प्रावधान है कि आयुक्त (अपील) को खंड 178 के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी तथा ऐसे तरीके से सत्यापित की जाएगी तथा उसके साथ निर्धारित शुल्क लगेगा।

तदनुसार, केंद्र सरकार को नियम/प्रपत्र बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

68. विधेयक के खंड 182 में यह प्रावधान है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील या प्रति-आपत्ति ज्ञापन ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसे तरीके से सत्यापित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। करदाता द्वारा अपील के साथ ऐसी फीस भी दी जाएगी जो निर्धारित की जा सकती है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को नियम/प्रपत्र बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

69. विधेयक के खंड 184 में यह प्रावधान है कि कोई करदाता धारा 183 के अंतर्गत उसके द्वारा की गई अपील से संबंधित मांग पर स्थान के लिए अपील अधिकरण में आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न करनी होगी, जो विहित की जाए।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

70. विधेयक के खंड 192 में यह प्रावधान है कि आयुक्त के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के संशोधन के लिए करदाता द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक आवेदन, उस आदेश को छोड़कर जिस पर धारा 190 लागू होती है, ऐसी फीस के साथ होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

71. विधेयक के खंड 196 में यह प्रावधान है कि स्रोत पर कर कटौती के दायित्व के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट भुगतान किया गया माना जाएगा, यदि भुगतान प्रत्येक रूप में किया गया है; चेक या ड्राफ्ट जारी करके; किसी खाते में जमा करके, चाहे उसे 'उचंत्त खाता' कहा जाए या किसी अन्य नाम से; या किसी अन्य तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

72. विधेयक के खंड 196 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि "रोजगार से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य भुगतान से कर की कोई कटौती करने के प्रयोजन के लिए, कटौतीकर्ता, कटौतीकर्ता द्वारा निर्धारित प्ररूप और तरीके से प्रस्तुत किए गए निर्दिष्ट विवरणों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखेगा।

तदनुसार, केंद्र सरकार को नियम/प्रपत्र बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

73. विधेयक के खंड 197 में यह प्रावधान है कि कटौतीकर्ता, निर्धारित प्रारूप और तरीके से, कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जिसमें वह अपने द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भुगतानों से, जैसा भी मामला हो, कम दर पर आयकर की कटौती करने या आयकर की कोई कटौती न करने का प्रमाण-पत्र मांग सकता है। इसके अलावा, कटौतीकर्ता, निर्धारित प्रारूप और तरीके से, कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जिसमें वह अपने द्वारा किसी अनिवासी कटौतीकर्ता को किए जाने वाले भुगतानों से, जैसा भी मामला हो, कम दर पर आयकर की कटौती करने या आयकर की कोई कटौती न करने का प्रमाण-पत्र मांग सकता है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को नियम/प्रपत्र बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

74. विधेयक के खंड 197 में आगे यह प्रावधान है कि बोर्ड उन परिस्थितियों और मामलों को निर्धारित कर सकेगा जिनमें कर की कम या कोई कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा तथा वे शर्तें निर्धारित कर सकेगा जिनके अधीन ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा तथा उससे संबंधित सभी अन्य मामलों के लिए भी प्रावधान कर सकेगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

75. विधेयक के खंड 198 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कटौतीकर्ता, निर्धारित समय और तरीके से, कटौती की गई राशि का भुगतान केन्द्रीय सरकार के खाते में करेगा।
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कटौतीकर्ता, कटौतीकर्ता को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देगा कि कर की कटौती निर्धारित समय के भीतर कर के रूप में कर के रूप में कर की कटौती कर ली गई है तथा इसमें निर्धारित विवरण भी शामिल होंगे।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

76. विधेयक के खंड 199 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कटौतीकर्ता से कर की कटौती के बिना किसी भुगतान के संबंध में विवरणी देने या देने की अपेक्षा कर सकेगी।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

77. विधेयक के खंड 199 में आगे प्रावधान है कि बोर्ड रिटर्न के संबंध में इस खंड के अंतर्गत कर-कटौती और रिटर्न के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- (क) वह अवधि जिसके संबंध में रिटर्न प्रस्तुत किया जाना है;
- (ख) विवरणी का प्रारूप और उसमें दिए गए विवरण; (ग) विवरणी के सत्यापन का तरीका; (घ) वह समय और माध्यम जिसके द्वारा विवरणी प्रस्तुत की जानी है;
- (ई) आयकर प्राधिकारी, या रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति; और
- (च) उससे संबंधित कोई अन्य विषय।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

78. विधेयक के खंड 200 में यह प्रावधान है कि जहां आदाता निवासी है, वहां किसी संस्था, संघ या निकाय या संस्थाओं, संघों या निकायों के वर्ग को देय किसी भी ब्याज से स्रोत पर कोई कर नहीं काटा जाएगा, जिसे केंद्र सरकार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है। इसके अलावा, यह केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई और इस संबंध में उसके द्वारा अधिसूचित किसी भी योजना के तहत जमाराशियों के संबंध में देय किसी भी ब्याज पर भी लागू होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना जारी करने तथा इस संबंध में योजना बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

79. विधेयक के खंड 201 में प्रावधान है कि निम्नलिखित के संबंध में ऋण देने के प्रयोजनों के लिए कर कटौती के मामले में, बोर्ड निर्धारित कर सकता है -

- (क) कटौतीकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को क्रेडिट देने की प्रक्रिया;

(ख) वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए ऐसा ऋण दिया जा सकेगा; और

(ग) उससे संबंधित कोई अन्य मामला।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

80. विधेयक के खंड 201 में यह प्रावधान है कि स्रोत पर कर संग्रहण के प्रयोजनों के लिए, यदि राशि नकद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से, किसी खाते में डेबिट करके, चाहे उसे "उंचत खाता" कहा जाए या किसी अन्य तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जो भी पहले हो, प्राप्त हुई मानी जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

81. विधेयक के खंड 202 में यह भी प्रावधान है कि स्रोत पर कर के रूप में कोई राशि एकत्र करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित समय और तरीके के भीतर केंद्र सरकार के खाते में इस तरह से एकत्र की गई राशि का भुगतान करेगा। साथ ही, स्रोत पर कर के रूप में कोई राशि एकत्र करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर खरीदार, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को कर संग्रह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

82. विधेयक के खंड 202 में आगे प्रावधान है कि बोर्ड निम्नलिखित निर्धारित करेगा:
कर संग्रहण रिटर्न के संबंध में:—

(क) वह अवधि जिसके संबंध में रिटर्न प्रस्तुत किया जाना है;

(ख) विवरणी का प्रारूप और उसमें दिए गए विवरण;

(ग) रिटर्न के सत्यापन का तरीका;

(घ) वह समय तथा माध्यम जिसके द्वारा रिटर्न वितरित किया जाना है;

(ई) आयकर प्राधिकारी, या रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति; और

(च) उससे संबंधित कोई अन्य मामला।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

83. विधेयक के खंड 203 में प्रावधान है कि एकत्रित कर के संबंध में क्रेडिट देने के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है -

(क) संग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति को ऋण देने की प्रक्रिया;

(ख) वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए ऐसा ऋण दिया जा सकेगा; और

(ग) उससे संबंधित कोई अन्य मामला।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

84. विधेयक के खंड 204 में यह प्रावधान है कि "स्रोत पर संग्रहण" अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'पेशेवर या तकनीकी सेवाओं' का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला या लेखा पेशे, तकनीकी परामर्श, आंतरिक सजावट या बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य पेशे को चलाने के दौरान प्रदान की गई सेवाओं से है।

तदनुसार, बोर्ड को नियम बनाने/अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

85. विधेयक के खंड 205 में यह प्रावधान है कि जहां कर निर्धारण अधिकारी की राय में कोई व्यक्ति अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से निर्धारित तरीके से गणना की गई अग्रिम आयकर का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है; और ऐसे व्यक्ति को धारा 168 के तहत किशतों को निर्दिष्ट करते हुए मांग की सूचना जारी कर सकता है।

जिसमें ऐसे कर का भुगतान किया जाना है। इसके अलावा, वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश दिया गया है, वह ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, मूल्यांकन अधिकारी को एक अनुमान दाखिल कर सकता है, यदि उसके अनुमान में, उसके द्वारा देय अग्रिम कर उक्त आदेश में निर्दिष्ट राशि से कम है, और इस खंड में निर्दिष्ट नियत तारीखों को या उससे पहले अपने अनुमान के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम और प्ररूप बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

86. विधेयक के खंड 206 में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी वित्तीय वर्ष में किसी अन्य वित्तीय वर्ष से संबंधित वेतन या पारिवारिक पेंशन का कोई बकाया या अग्रिम प्राप्त किया है, तो निर्धारण अधिकारी उसके समक्ष किए गए आवेदन पर ऐसी राहत प्रदान करेगा, जो विहित की जा सकती है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

87. विधेयक के खंड 207 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार राहत या दोहरे कराधान से बचाव के लिए, निर्धारित करें,—

- (क) ऋण की राशि की गणना करने की विधि; (ख) ऋण का दावा करने का तरीका; और
(ग) ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक समझे जाएं।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

88. विधेयक के खंड 210 में यह प्रावधान है कि कर-आधारों की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज के संबंध में, मूल्यांकन अधिकारी निर्धारित प्ररूप में करदाता को मांग का नोटिस देगा, जिसमें संहिता के अंतर्गत किसी सुधार, संशोधन या अपीलीय आदेश के कारण मूल्यांकित आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप देय ब्याज में वृद्धि के कारण देय राशि निर्दिष्ट की जाएगी और ऐसा नोटिस धारा 168 के अंतर्गत नोटिस माना जाएगा।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को निम्नलिखित प्रपत्र जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है:
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

89. विधेयक के खंड 210 में यह प्रावधान है कि अग्रिम आयकर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज के संबंध में, मूल्यांकन अधिकारी निर्धारित प्ररूप में करदाता को मांग का नोटिस देगा, जिसमें संहिता के तहत किसी सुधार, संशोधन या अपीलीय आदेश के कारण ब्याज में वृद्धि के कारण देय राशि निर्दिष्ट की जाएगी और इस तरह के नोटिस को धारा 168 के तहत नोटिस माना जाएगा और इस संहिता के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को निम्नलिखित प्रपत्र जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है:
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

90. विधेयक के खंड 215 में यह प्रावधान है कि कोई करदाता, किसी वित्तीय वर्ष के लिए उसके द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई किसी भी राशि, या उसके द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई मानी गई राशि, उस राशि से अधिक की वापसी का हकदार होगा, जिसका वह संहिता के अधीन उत्तरदायी है, तथा वापसी के लिए प्रत्येक दावा ऐसे समय, ऐसे प्ररूप और तरीके के भीतर किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

91. विधेयक के खंड 216 में यह प्रावधान है कि रिफंड पर ब्याज के संबंध में, मूल्यांकन अधिकारी निर्धारित प्ररूप में करदाता को मांग का नोटिस देगा, जिसमें उसे दिए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि निर्दिष्ट की जाएगी, जहां ब्याज उस राशि में परिवर्तन के अनुसार कम हो जाता है, जिस पर संहिता के तहत किसी सुधार, संशोधन या अपीलीय आदेश के परिणामस्वरूप ब्याज देय था, और ऐसा नोटिस धारा 161 के तहत नोटिस माना जाएगा।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को निम्नलिखित प्रपत्र जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है:
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

92. विधेयक के खंड 218 में यह प्रावधान है कि मांग के नोटिस में अग्रिम कर के अलावा देय के रूप में निर्दिष्ट कोई राशि, नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर, निर्धारित तरीके से केंद्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

93. विधेयक के खंड 219 में यह प्रावधान है कि कर वसूली अधिकारी धारा 213 की उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट चूककर्ता करदाता के कर बकाया का विवरण निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से तैयार कर सकेगा।

तदनुसार, केन्द्र सरकार को निम्नलिखित प्रपत्र जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है:
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

94. विधेयक के खंड 220 में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी करदाता के नियोक्ता से करदाता को किए जाने वाले किसी भी भुगतान में से ऐसी राशि काटने की मांग कर सकता है जो करदाता के बकाया कर को चुकाने के लिए पर्याप्त हो। ऐसी मांग पर, नियोक्ता मांग का अनुपालन करेगा और निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार के खाते में कटौती की गई राशि का भुगतान करेगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

95. विधेयक के खंड 220 में यह भी प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी लिखित नोटिस द्वारा करदाता के किसी भी देनदार से ऐसी राशि का भुगतान करने की मांग कर सकता है, जो ऋण की राशि से अधिक न हो, जो करदाता के कर बकाया को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, देनदार मांग का अनुपालन करेगा और नोटिस में निर्दिष्ट समय (करदाता को ऋण देय होने से पहले नहीं) के भीतर निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार के खाते में राशि का भुगतान करेगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

96. विधेयक के खंड 221 में यह प्रावधान है कि कर वसूली अधिकारी, किसी अन्य कर वसूली अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में करदाता निवास करता है या उसकी संपत्ति है, वसूल किए जाने वाले कर बकाया को निर्दिष्ट करते हुए, ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाए, प्रमाणपत्र भेज सकेगा, यदि प्रथम वर्णित कर वसूली अधिकारी अपनी अधिकारिता में चल या अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा पूरी रकम वसूल करने में समर्थ नहीं है; या उसकी यह राय है कि इस अध्याय के अधीन पूरी रकम या उसके किसी भाग की वसूली में तेजी लाने या उसे सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना आवश्यक है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

97. विधेयक के खंड 228 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत से प्रस्थान के समय भारत में निवास करता है, अधिसूचित प्राधिकारी को ऐसी विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाएं; तथा अधिसूचित प्राधिकारी से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि उसका कोई दायित्व नहीं है, यदि कर निर्धारण अधिकारी की राय में ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

98. विधेयक के खंड 228 में यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति भारत का क्षेत्र तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी को, जिसे अधिसूचित किया जाए, यह वचन नहीं दे देता कि उसने भारत में कर योग्य किसी आय या संपत्ति के संबंध में अपने कर दायित्व, यदि कोई हो, के निर्वहन के लिए संतोषजनक व्यवस्था कर ली है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को प्राधिकरण को अधिसूचित करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

99. विधेयक के खंड 228 में आगे यह निर्देश दिया गया है कि बोर्ड ब्याज राजस्व को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्धारित कर सकता है-

(क) परिस्थितियाँ

(ख) वह प्रारूप और तरीका जिसमें वचनबद्धता प्रस्तुत की जाएगी और

(ग) तदनुसार, उससे संबंधित किसी अन्य तरीके से, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में नियम बनाने और प्रारूप जारी करने के लिए गरीबों को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

100. विधेयक के खंड 252 में यह प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त, कार्यवाही शुरू होने से पहले या बाद में, अध्याय XV के अधीन किसी अपराध का, परिस्थितियों के अधीन और निर्धारित राशि के लिए, शमन कर सकेगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

101. विधेयक के खंड 256 में यह प्रावधान है कि आवेदक या अपीलकर्ता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित निवासियों का कोई वर्ग है, किसी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कर आधार की गणना से संबंधित किसी मुद्दे के संबंध में निर्धारण से संबंधित मामलों पर, जैसा भी मामला हो, निर्णय या विवाद का समाधान चाह सकता है और ऐसे निर्धारण में आवेदन में निर्दिष्ट कर आधार की ऐसी गणना से संबंधित कानून या तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण शामिल होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने तथा अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

102. विधेयक के खंड 257 में प्रावधान है कि अग्रिम विनिर्णय और विवाद समाधान प्राधिकरण के संबंध में सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें और निबंधन ऐसे होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

103. विधेयक के खंड 258 में यह प्रावधान है कि अग्रिम न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया के संबंध में आवेदन ऐसे प्रारूप और तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

104. विधेयक के खंड 258 में आगे यह प्रावधान है कि अग्रिम निर्णय की प्रक्रिया के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम निर्णय की एक प्रति, सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित तथा निर्धारित तरीके से प्रमाणित, ऐसे निर्णय के पश्चात् यथाशीघ्र आवेदक तथा आयुक्त को भेजी जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

105. विधेयक के खंड 262 में यह प्रावधान है कि विवाद समाधान की प्रक्रिया के संबंध में अपील या प्रति आपत्ति ज्ञापन ऐसे प्रारूप और तरीके से होगा तथा उसे ऐसे तरीके से सत्यापित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा अपील के साथ ऐसी फीस भी दी जाएगी जो निर्धारित की जा सकती है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

106. विधेयक के खंड 263 में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी धारा 256 के अंतर्गत उसके द्वारा की गई अपील से संबंधित मांग पर स्थगन के लिए अग्रिम विनिर्णय और विवाद समाधान प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगी और ऐसे आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न करनी होगी, जो विहित की जाए।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

107. विधेयक के खंड 269 में यह प्रावधान है कि समझौता आयोग की प्रधान पीठ और अतिरिक्त पीठें सामान्यतः ऐसे स्थानों पर बैठेंगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

108. विधेयक के खंड 270 में यह प्रावधान है कि निपटान आयोग के संबंध में, उपाध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, उपाध्यक्षों में से एक जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में अधिकृत करेगी, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगी।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

109. विधेयक के खंड 273 में यह प्रावधान है कि कोई करदाता अपने मामले के किसी भी चरण में मामले के निपटारे के लिए निर्धारित प्रारूप और तरीके से निपटान आयोग को आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन में निर्दिष्ट विवरणों के अलावा, ऐसे अन्य विवरण भी शामिल होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

यह भी प्रावधान किया गया है कि निपटान आयोग को किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी संलग्न किया जाएगा। इसके अलावा, करदाता, जिस तिथि को निपटान आयोग को ऐसा आवेदन करेगा, उस तिथि को वह कर निर्धारण अधिकारी को निर्धारित तरीके से निपटान आयोग को ऐसा आवेदन किए जाने की सूचना भी देगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम और प्रारूप बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

110. विधेयक के खंड 282 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी आयकर प्राधिकरण द्वारा निपटान आयोग को दी गई किसी रिपोर्ट का निरीक्षण करने या उसकी प्रतियां प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा; लेकिन निपटान आयोग अपने विवेकानुसार, इस संबंध में किए गए आवेदन पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को, जिसका मामला विचाराधीन है, ऐसी किसी भी रिपोर्ट में उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर लाए गए किसी भी साक्ष्य का खंडन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, निपटान आयोग इस संबंध में किए गए आवेदन पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ऐसे व्यक्ति को इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक किसी भी रिपोर्ट या उसके भाग की प्रमाणित प्रति प्रदान करेगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

111. विधेयक के खंड 291 में यह प्रावधान है कि विदेशी देशों या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के साथ किसी समझौते के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो समझौतों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

112. विधेयक के खंड 291 में यह भी प्रावधान है कि विदेशी देशों या निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ किसी समझौते के संबंध में, कोई व्यक्ति तब तक समझौते के प्रावधानों के तहत राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह दूसरे देश या निर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण पत्र उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के कर प्राधिकरण से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं कर लेता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

113. विधेयक के खंड 292 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो निर्धारित शर्तों और अपेक्षाओं को पूरा करता है, उसे स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन करना होगा और आवेदक को स्थायी खाता संख्या आवंटित की जाएगी। इसके अलावा, निर्धारित किए गए लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, स्थायी खाता संख्या किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित की जा सकती है, चाहे उसके द्वारा आवेदन किया गया हो या नहीं।

इसके अलावा, जिस व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या (पीएन) आवंटित किया गया है, उसे निर्धारित लेनदेन या दस्तावेजों में उस संख्या का उल्लेख करना होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

114. विधेयक के खंड 292 में आगे प्रावधान है कि बोर्ड निम्नलिखित निर्धारित करेगा:

स्थायी खाता संख्या के संबंध में:

(क) वह प्ररूप और तरीका जिसमें स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन किया जा सकेगा तथा वे विवरण जो ऐसे आवेदन में अंतर्विष्ट होंगे;

(ख) आयकर प्राधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो आवेदन प्राप्त करने या स्थायी खाता संख्या आवंटित करने के लिए प्राधिकृत है; (ग) लेन-देन की श्रेणियां जिनके संबंध में स्थायी खाता संख्या निर्दिष्ट की गई है;

ऐसे लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संख्याएं उद्धृत की जाएंगी;

(घ) दस्तावेजों की श्रेणियां जिनमें ऐसे नंबर उद्धृत किए जाएंगे।

प्रत्येक व्यक्ति;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों का वर्ग या वर्ग जिन पर इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे; (च) वह रूप और तरीका जिससे वह व्यक्ति जिसे कोई पद

आवंटित नहीं किया गया है,

स्थायी खाता संख्या अपनी घोषणा करेगा;

(छ) वह रीति जिससे खंड (ग) में निर्दिष्ट लेन-देनों की श्रेणियों के संबंध में स्थायी खाता संख्या उद्धृत की जाएगी; तथा उससे संबंधित कोई अन्य विषय।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

115. विधेयक के खंड 293 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे कर खाता संख्या आवंटित की गई है, वह निर्धारित किए गए लेन-देन या दस्तावेजों में उस संख्या का उल्लेख करेगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

116. विधेयक के खंड 294 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई ऋण या जमाराशि अकाउंट पेयी चेक या बैंक ड्राफ्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं करेगा या उसे वापस नहीं करेगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे ऋण या जमाराशि की कुल राशि पचास हजार रुपये से अधिक है। हालांकि, ये प्रावधान ऐसे किसी अन्य संस्थान, संघ या निकाय या संस्थानों, संघों या निकायों के वर्ग से लिए गए या स्वीकार किए गए किसी ऋण या जमाराशि पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अधिसूचित कर सकती है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

117. विधेयक के खंड 295 में यह प्रावधान है कि किसी भी कानून के तहत किसी निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने वाली खाता बही या अन्य दस्तावेजों को पंजीकृत करने या बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन के संबंध में वार्षिक सूचना रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। ऐसे व्यक्ति में सरकारी कार्यालय के मामले में नामित व्यक्ति भी शामिल होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

118. विधेयक के खंड 295 में आगे यह प्रावधान है कि विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन के संबंध में वार्षिक सूचना विवरणी ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और तरीके से (फ्लॉपी, डिस्कट, चुंबकीय कार्ट्रिज टेप, सीडी-रोम या किसी कंप्यूटर पठनीय मीडिया सहित) और निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

119. विधेयक के खंड 295 में आगे प्रावधान है कि वार्षिक सूचना रिटर्न प्रस्तुत करने के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन" में कोई अन्य लेनदेन शामिल होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

120. विधेयक के खंड 295 में यह भी प्रावधान है कि वित्तीय लेनदेन के संबंध में वार्षिक सूचना रिटर्न प्रस्तुत किया जाएगा यदि किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रत्येक लेनदेन का कुल मूल्य निर्धारित राशि से अधिक है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

121. विधेयक के खंड 295 में आगे यह प्रावधान है कि यदि निर्धारित आयकर प्राधिकरण को लगता है कि प्रस्तुत वार्षिक सूचना रिटर्न दोषपूर्ण है, तो वह उस व्यक्ति को दोष की सूचना दे सकता है जिसने ऐसा रिटर्न प्रस्तुत किया है और उसे ऐसी सूचना की तामील से एक महीने की अवधि के भीतर दोष को सुधारने का अवसर दे सकता है। इसके अलावा, निर्धारित आयकर प्राधिकरण वार्षिक सूचना रिटर्न को अमान्य मान लेगा यदि ऐसा दोष निर्धारित समय के भीतर दूर नहीं किया जाता है, और संहिता के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति वार्षिक सूचना रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहा हो।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

122. विधेयक के खंड 295 में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त खंड के अंतर्गत वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और उसने निर्धारित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, तो निर्धारित आयकर प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है जिसमें उससे नोटिस की तामील की तारीख से साठ दिन से अधिक की अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

123. विधेयक के खंड 304 में यह प्रावधान है कि कोई भी करदाता जो इस संहिता के तहत किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आयकर प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है या जिसके लिए उपस्थित होना आवश्यक है, वह किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। "अधिकृत प्रतिनिधि" का अर्थ है करदाता द्वारा लिखित रूप में उसकी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत व्यक्ति, जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसने इस उद्देश्य के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

124. विधेयक के खंड 304 में आगे यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जो विधिक व्यवसायी या लेखाकार न हो, यदि विहित प्राधिकारी द्वारा किसी आयकर कार्यवाही के संबंध में कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो वह करदाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य नहीं होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

125. विधेयक के खंड 305 में यह प्रावधान है कि संहिता के प्रावधानों के तहत कर आधार की राशि को सौ रुपये के निकटतम गुणक में तथा करदाता द्वारा देय या प्राप्य किसी राशि को दस रुपये के निकटतम गुणक में पूर्णांकित करने की विधि ऐसी होगी, जैसी निर्धारित की जा सकती है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

126. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (18) में "अनुमोदित निधि" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: इसका अर्थ भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, ग्रेज्युटी निधि, पेंशन निधि या कोई अन्य निधि भी है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार और निर्धारित योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

तदनुसार, योजना तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

127. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (31) में पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे वर्गों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

तदनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है
इस खंड के प्रयोजनार्थ सरकारें इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी करेंगी।

128. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (34) में "बोर्ड" की परिभाषा इस प्रकार की गई है: इसका तात्पर्य केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

129. विधेयक के खंड 314 के उप-खंड (36) में "खंडित अवधि आय" को उस तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए आय के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस दिन व्यक्ति द्वारा ऋण उपकरण अर्जित किया जाता है या वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, जो भी बाद में हो, और उस तारीख को समाप्त होती है जिस दिन प्रतिभूति बेची जाती है, और इस तरह से गणना की जा सकती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

130. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (55) में "सक्षम जांच प्राधिकारी" को परिभाषित किया गया है, जिसका अभिप्राय ऐसे आयकर प्राधिकारी से है जो संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे का नहीं है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को नियम अधिसूचित करने/बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

131. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (57) में "कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना भंडारण उपकरण पर रिकॉर्ड किया गया कोई भी कम्प्यूटर प्रोग्राम; या कोई भी अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक डेटा या समान प्रकृति का कोई उत्पाद या सेवा, जैसा कि बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

132. विधेयक के खंड 314 का उपखंड (63) किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" को उस सूचकांक के रूप में परिभाषित करता है जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए गैर-नगरीय मैन्युअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के पचहत्तर प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए।

तदनुसार, केंद्र सरकार को "सूचकांक" को अधिसूचित करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

133. विधेयक के खंड 314 के उप-खंड (74) में यह प्रावधान है कि "विघटन" के संबंध में हस्तांतरण ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार होगा, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया जा सकता है कि हस्तांतरण वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए है। यह भी प्रावधान है कि किसी प्राधिकरण या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित या स्थापित निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का विभाजन या पुनर्गठन, परिणामी कंपनी बनाने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

134. विधेयक के खंड 314 का उपखंड (86) किसी भी के संबंध में "देय तिथि" को परिभाषित करता है कर आधारों की विवरणी के अलावा अन्य विवरणी से अभिप्राय ऐसी तारीख से है जो निर्धारित की जाए।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

135. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (87) में "बुनावी ट्रस्ट" को परिभाषित किया गया है, जिसका अभिप्राय केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट है।

तदनुसार, इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

136. विधेयक के खंड 314 का उपखंड (93) निम्नलिखित के संबंध में "उचित बाजार मूल्य" को परिभाषित करता है किसी परिसंपत्ति से अभिप्राय उस कीमत से है जो निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाए।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

137. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (112) में "मुख्यालय व्यय" को भारत के बाहर करदाता द्वारा किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासन व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें इसमें निर्दिष्ट मामलों के अलावा, प्रशासन से संबंधित ऐसे अन्य मामलों के संबंध में किए गए व्यय शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

138. विधेयक के खंड 314 के उप-खंड (159) में "चिकित्सा प्राधिकरण" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - (i) दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (पी) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकरण; या (ii) ऐसे अन्य चिकित्सा प्राधिकरण जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में "चिकित्सा प्राधिकरण" को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

139. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (166) में मंदा बिक्री के तहत हस्तांतरित उपक्रम या प्रभाग के संबंध में "शुद्ध संपत्ति" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है निर्धारित तरीके से निर्धारित मूल्य।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

140. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (191) में यह प्रावधान है कि अनुलाभों का मूल्य इसमें परिभाषित राशि की गणना ऐसी रीति से की जाएगी, जैसी निर्धारित की जाए।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए परिलब्धियों के मूल्य की गणना के तरीके के संबंध में नियम बनाने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

141. विधेयक के खंड 314 के उप-खंड (211) में "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एफ) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित ऐसी शर्तों को पूरा करता है।

तदनुसार, इस संबंध में नियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखते हुए।

142. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (213) में "पंजीकृत मूल्यांकक" की परिभाषा दी गई है, जिसका अभिप्राय बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति से है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

143. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (239) में "विनिर्दिष्ट संघ" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: कोई संस्था, संघ या निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो भारत में वर्तमान में लागू किसी कानून या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के कानूनों के तहत कार्य करता है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

144. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (241) में "विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा" को परिभाषित किया गया है, जिसका अभिप्राय इसमें विनिर्दिष्ट उद्योगों या सेवाओं के अलावा कोई अन्य उद्योग या सेवा है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

145. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (242) में "निर्दिष्ट क्षेत्र" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: भारत से बाहर का कोई भी क्षेत्र जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

146. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (250) में "राज्य संयोजित वित्त इकाई" को परिभाषित किया गया है, जिसका अभिप्राय ऐसी इकाई से है, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संयोजित वित्त विकास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित की जाती है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

147. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (259) में "कर वसूली अधिकारी" की परिभाषा इस प्रकार की गई है, मानो वह कोई आयकर अधिकारी हो जिसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने या ऐसी शक्तियों और कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है जो निर्धारण अधिकारी को प्रदान की गई हैं या उसे सौंपी गई हैं।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

148. विधेयक के खंड 314 के उप-खंड (260) में यह प्रावधान है कि उत्तराधिकारी के मामले में "कारोबार की निरंतरता का परीक्षण" तभी संतुष्ट होगा, जब वह इसमें निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करता है, जो पूर्ववर्ती के व्यवसाय के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए या यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जा सकती हैं कि व्यवसाय पुनर्गठन वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

149. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (284) में "शहरी क्षेत्र" को मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे केंद्रीय सरकार उस क्षेत्र के शहरीकरण की सीमा और दायरे तथा अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

150. विधेयक के खंड 314 के उप-खंड (289) में यह प्रावधान है कि "स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य" उस तारीख को स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य होगा, जिस तारीख को मूल्यांकनकर्ता द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जो निर्धारित विधि के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें से ऐसे शेयरों के संबंध में मूल्यांकनकर्ता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि को घटाया जाएगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

151. विधेयक के खंड 314 का उपखंड (290) "उद्यम पूंजी कंपनी" को परिभाषित करता है मतलब एक कंपनी,—

(क) जिसे उद्यम पूंजी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कंपनी; और

(ख) जो इस संबंध में निर्धारित सभी अन्य शर्तों को पूरा करता हो।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

152. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (291) में "उद्यम पूंजी निधि" से तात्पर्य ऐसी निधि से है, -

(क) जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत उद्यम पूंजी निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है; और

(ख) जो इस संबंध में निर्धारित सभी अन्य शर्तों को पूरा करता हो।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

153. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (292) में "जोखिम पूंजी उपक्रम" को ऐसी घरेलू कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो निम्नलिखित के कारोबार में लगी हुई है-

(क) नैनो प्रौद्योगिकी; (ख) हार्डवेयर

और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी; (ग) बीज अनुसंधान और विकास; (घ) जैव प्रौद्योगिकी; (ङ) फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नई रासायनिक इकाइयों का अनुसंधान और विकास;

(च) जैव ईंधन का उत्पादन; (छ) डेयरी या

मुर्गीपालन; (ज) बैठने की व्यवस्था

के साथ समग्र होटल-सह-सम्मेलन केंद्र का निर्माण और संचालन तीन हजार से अधिक की क्षमता;

(i) अवसंरचना सुविधा का विकास; या (j) कोई अन्य व्यवसाय, जैसा कि

निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

154. विधेयक के खंड 314 के उपखंड (297) में "शून्य कूपन बांड" को परिभाषित किया गया है, जिसका अभिप्राय किसी कंपनी, निधि या अनुसूचित बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार जारी किया गया बांड है; जिसके संबंध में कंपनी, निधि या अनुसूचित बैंक से परिपक्वता या मोचन से पूर्व कोई भुगतान और लाभ प्राप्त या प्राप्य नहीं है; और जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट कर सकती है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में योजना तैयार करने और अधिसूचित करने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

155. विधेयक के उप-खंड 316 में यह प्रावधान है कि बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन, इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए नियम बना सकता है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि विशेष रूप से, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) किसी भी वर्ग की आय का पता लगाना और निर्धारण करना;

(ख) वह तरीका और प्रक्रिया जिसके द्वारा आय निर्धारित की जाएगी, निम्नलिखित के मामले में-

(i) कृषि आय;

(ii) भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति;

(iii) ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आय में धारा 8 में निर्दिष्ट आय सम्मिलित है;

(ग) इस संहिता के अधीन अनुमेय व्यय की राशि का निर्धारण ऐसी रीति से, ऐसी सीमा तक तथा ऐसे आधार और शर्तों पर किया जाएगा, जैसा कि विधिक कार्यवाही में अपेक्षित हो।
बोर्ड का उचित एवं युक्तिसंगत होना;

(घ) वे पद्धतियां जिनके द्वारा किसी कर योग्य आय या कटौती योग्य व्यय का अनुमान लगाया जा सकेगा, यदि ऐसी आय या व्यय निश्चित रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या केवल निर्धारिती को इतनी परेशानी और व्यय उठाकर सुनिश्चित किया जा सकता है जो बोर्ड की राय में अनुचित है;

(ई) वह प्ररूप और तरीका जिसमें कोई दस्तावेज, आवेदन, दावा, विवरणी या सूचना तैयार की जा सकेगी या प्रस्तुत की जा सकेगी तथा वह शुल्क जो किसी दस्तावेज, आवेदन या दावे के संबंध में लगाया जा सकेगा;

(च) व्यक्तियों का वह वर्ग या वर्ग, जिनसे कोई दस्तावेज, आवेदन, दावा, विवरणी या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी;

(छ) वह प्ररूप और तरीका जिससे कोई दस्तावेज, आवेदन, दावा, विवरणी या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जा सकेगी;

(ज) दस्तावेज, विवरण, रसीद, प्रमाणपत्र या रिपोर्ट जो इस संहिता में निहित किसी भी विपरीत बात पर ध्यान दिए बिना, रिटर्न के साथ प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी, किन्तु मांगे जाने पर मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी;

(i) कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिस पर कोई दस्तावेज, आवेदन, दावा, रिटर्न या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित की जा सकती है;

(जे) वह तरीका जिससे इस संहिता के अधीन दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज, आवेदन, दावे, विवरणी या सूचना का सत्यापन किया जा सकेगा;

(ट) वह प्राधिकरण, एजेंसी या संगठन जो कोई आवेदन प्राप्त कर सकता है, बोर्ड या विभाग की ओर से दावा, विवरणी या सूचना;

(ठ) इस संहिता के किसी उपबंध के अधीन करदाताओं द्वारा देय ब्याज या सरकार द्वारा करदाताओं को देय ब्याज की गणना करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें उस अवधि को पूर्णांकित करना भी शामिल है जिसके लिए ऐसे ब्याज की गणना उन मामलों में की जानी है जहां ऐसी अवधि में किसी माह का अंश सम्मिलित है, तथा उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करना जिनमें और किस सीमा तक करदाताओं द्वारा देय ब्याज की छोटी राशियों की उपेक्षा की जा सकती है;

(ड) वह प्ररूप और रीति, जिसमें इस संहिता के अधीन कोई अपील या प्रतिआक्षेप फाइल किया जा सकेगा और वह रीति, जिसमें धारा 184 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी आदेश की सूचना तामील की जा सकेगी;

(ढ) वे परिस्थितियां, वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए तथा वह तरीका जिससे आयुक्त (अपील) किसी अपीलकर्ता को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा जो उसने प्रस्तुत नहीं किया है या जिसे उसे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
अधिकारी;

(ओ) किसी अपील, आवेदन, संदर्भ या निर्णय के संबंध में देय शुल्क;

(त) आयकर प्राधिकारियों के समक्ष व्यवसाय करने वाले विधि व्यवसायियों या लेखाकारों से भिन्न, धारा 270 में निर्दिष्ट व्यक्तियों का रजिस्टर रखना तथा उस धारा की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी का गठन करना तथा उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(थ) करदाता द्वारा कर के भुगतान की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र जारी करना;

(द) इस संहिता के किसी प्रयोजन के लिए विहित किया जाने वाला प्राधिकारी;

(ध) दोहरे कराधान के संबंध में राहत प्रदान करने या दोहरे कराधान से बचने के लिए किसी करार की शर्तों को प्रभावी करने की प्रक्रिया, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन की जा सकेगी; और

(न) कोई अन्य विषय जो इस संहिता द्वारा विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

उपर्युक्त खंड यह भी प्रावधान करता है कि इस खंड के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार बनाया गया कोई भी आदेश, शुरू की गई कार्यवाही या संचालित की गई देयता या दायित्व का निर्वहन, संहिता के प्रावधानों के अनुसार विधिवत बनाया गया, शुरू किया गया, संचालित किया गया या निर्वहन किया गया माना जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि इस खंड द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में नियमों या उनमें से किसी को संहिता के प्रारंभ की तिथि से पहले की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी और जब तक इसके विपरीत अनुमति नहीं दी जाती है, किसी भी नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाएगा ताकि मूल्यांकनकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

तदनुसार, बोर्ड को नियम और अधिसूचनाएं बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

156. विधेयक की पांचवीं अनुसूची के पैरा 93 में प्रावधान है कि बोर्ड पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत जारी किए जाने वाले किसी आदेश, नोटिस, वारंट या प्रमाणपत्र के लिए उपयोग किए जाने वाले प्ररूप को निर्धारित कर सकता है।

तदनुसार, इस संबंध में बोर्ड को निर्धारित प्रपत्र जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए।

157. विधेयक की छठी अनुसूची के पैरा 4 में यह प्रावधान है कि संघ के सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के सदस्य की विधवा या बच्चों या नामित उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन की राशि, यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु परिचालन कर्तव्यों के दौरान हुई है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, योजना तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
और इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में नियम बना सकेंगे।

158. विधेयक की छठी अनुसूची के पैरा 5 में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी कंपनी को होने वाली कोई आय, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे, भारत की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं में भारत में या भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के साथ किए गए करार के अनुसरण में प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के रूप में प्राप्त आय, शामिल नहीं है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

159. विधेयक की छठी अनुसूची के पैरा 6 में यह प्रावधान है कि कुल आय में सम्मिलित न की गई आय में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (25 मार्च, 1957 की रोम संधि द्वारा स्थापित) की कोई आय भी सम्मिलित होगी, जो भारत में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट योजना के अंतर्गत इसकी निधियों में से किए गए निवेशों से ब्याज, लाभांश या पूंजीगत लाभ के रूप में प्राप्त हुई हो।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए योजना तैयार करने तथा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

160. विधेयक की छठी अनुसूची के पैरा 10 में यह प्रावधान है कि कुल आय में शामिल न की गई आय में ऐसी आय भी शामिल होगी, जिसकी प्रकृति और सीमा किसी निकाय या प्राधिकरण को प्राप्त होती है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया है, यदि ऐसा निकाय या प्राधिकरण-

(क) निम्नलिखित के तहत स्थापित या गठित या नियुक्त किया गया है-

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा दो या अधिक देशों के साथ की गई संधि या करार; या

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्ताक्षरित अभिसमय; और

(ख) लाभ के प्रयोजनों के लिए स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

161. विधेयक की छठी अनुसूची के पैरा 12 में यह प्रावधान है कि कुल आय में सम्मिलित न की गई आय में किसी भविष्य निधि से, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है, या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तथा इस संबंध में उसके द्वारा अधिसूचित किसी अन्य भविष्य निधि से प्राप्त कोई भुगतान भी सम्मिलित होगा।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

162. विधेयक की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 27 की मद (क) में यह प्रावधान है कि कुल आय में शामिल न की गई आय में किसी व्यक्ति द्वारा पेंशन के रूप में प्राप्त कोई राशि भी शामिल होगी, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो और जिसे "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" या ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

163. विधेयक की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 31 में यह प्रावधान है कि कुल आय में शामिल न की गई आय में स्थानीय प्राधिकरण या राज्य पूलित वित्त इकाई द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में जारी बांडों पर ब्याज की कोई राशि भी शामिल होगी जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने तथा अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

164. विधेयक की छठी अनुसूची के पैरा 34 में यह प्रावधान है कि कुल आय में शामिल न की गई आय में भारत में आयोजित किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन से किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली कोई आय और उसकी राशि भी सम्मिलित होगी, यदि ऐसा आयोजन उस अंतर्राष्ट्रीय खेल को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित है जो ऐसे आयोजन से संबंधित है; उसमें दो से अधिक देश भाग ले रहे हैं; और इस पैरा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

165. विधेयक की छठी अनुसूची के पैरा 41 में यह प्रावधान है कि कुल आय में शामिल न की गई आय में किसी कर्मचारी द्वारा एक या एक से अधिक नियोजकों से इस सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के नकद समतुल्य के रूप में प्राप्त किया गया कोई भुगतान भी शामिल होगा, इस सीमा तक कि ऐसी राशि का योग निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

166. विधेयक की छठी अनुसूची के पैरा 42 में यह प्रावधान है कि कुल आय में शामिल न की गई आय में किसी कर्मचारी द्वारा एक या एक से अधिक नियोजकों से उसकी सेवानिवृत्ति पर या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके अशक्त हो जाने पर या उसकी नौकरी समाप्त हो जाने पर ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त किया गया भुगतान भी शामिल होगा; या कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार द्वारा प्राप्त किया गया कोई ग्रेच्युटी, बशर्ते कि ऐसी कुल राशि निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

167. विधेयक की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 43 में प्रावधान है कि कुल आय में शामिल न की गई आय में किसी कर्मचारी द्वारा एक या अधिक से प्राप्त कोई राशि भी शामिल होगी।

इस प्रयोजन के लिए विहित नियमों के अनुसार तैयार की गई किसी योजना के अंतर्गत उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण के संबंध में, अधिक नियोजकों को, उस सीमा तक, जहां तक ऐसी राशि का कुल योग, विहित सीमा से अधिक नहीं हो।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

168. विधेयक की छठी अनुसूची के पैरा 47 में यह प्रावधान है कि कुल आय में सम्मिलित न की गई आय में सहकारी समिति की ऐसी गतिविधियों से तथा उस सीमा तक की आय भी सम्मिलित होगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस संबंध में नियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखते हुए।

169. विधेयक की सातवीं अनुसूची के पैरा 22 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई निर्वाचन ट्रस्ट आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी स्वैच्छिक अंशदानों के योग का 95 प्रतिशत और किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से आगे लाया गया अधिशेष, यदि कोई हो, राजनीतिक दलों को वितरित कर दिया जाता है।

तदनुसार, योजना तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

170. विधेयक की सातवीं अनुसूची के पैरा 24 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई निगम आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

171. विधेयक की आठवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 और 4 में प्रावधान है कि जीवन बीमा के अलावा बीमा के कारोबार का लाभ वार्षिक खातों में प्रकट लाभ होगा, जिसकी प्रतियां बीमा अधिनियम, 1938 के तहत बीमा नियंत्रक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे लाभों में से ऐसी राशि घटाई जाएगी जो कि निर्धारित जोखिम के लिए आरक्षित निधि में रखी जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

166. विधेयक की आठवीं अनुसूची के पैरा 11 में यह प्रावधान है कि बीमा व्यवसाय से संबंधित सामान्य लागतों (मूल्यहास सहित) की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

172. विधेयक की नौवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में यह प्रावधान है कि विशेष स्रोत से संबंधित सामान्य लागतों (मूल्यहास सहित) की राशि, जिसे पैराग्राफ 4 के अंतर्गत स्वीकृत माना गया है, का निर्धारण ऐसे तरीके से किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

173. विधेयक की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 में यह प्रावधान है कि अर्हक जहाज के परिचालन तथा किसी अन्य कारोबार के लिए उत्तरदायी सामान्य लागत (मूल्यहास सहित) की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

174. विधेयक की दसवीं अनुसूची के पैरा 13 में यह प्रावधान है कि बोर्ड निम्नलिखित के संबंध में अर्हक जहाज के परिचालन के कारोबार से आय की गणना के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकता है:—

(क) टनभार आय योजना में शामिल होने की विधि और समय तथा अवधि वे परिस्थितियाँ और कारण जिनके अंतर्गत विकल्प लागू रहेगा;

(ख) वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत किसी कंपनी को टन भार से बाहर रखा जा सकता है आय योजना;

(ग) नये जहाज खरीदने तथा चालक दल के प्रशिक्षण के लिए आंतरिक उपार्जन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए टनभार आय योजना की प्रयोज्यता के लिए अन्य शर्तें;

(घ) टन भार के चार्टर की सीमाएँ;

(ई) टनभार आय योजना के दुरुपयोग की रोकथाम, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि कोई लेनदेन या व्यवस्था के परिणामस्वरूप, या यहाँ निर्धारित नियमों के बिना, कर लाभ प्राप्त नहीं होता -

(i) अर्हक शिपिंग कंपनी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति; या

(ii) अपनी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों के संबंध में अर्हता प्राप्त शिपिंग कंपनी अर्हताप्राप्त जहाज़ चलाने का व्यवसाय;

(च) माल या सेवाओं का मूल्यांकन, जहाँ इन्हें अर्हक जहाज संचालन के व्यवसाय और अर्हक शिपिंग कंपनी द्वारा किए जाने वाले किसी अन्य व्यवसाय के बीच स्थानांतरित किया जाता है;

(छ) व्यापारिक लेन-देन के सन्निकट मूल्य का निर्धारण, यदि लेन-देन की व्यवस्था के परिणामस्वरूप टनभार आय योजना का दुरुपयोग होता है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

176. विधेयक की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 16 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामले में, जहाँ अर्हक कंपनी द्वारा स्लॉट खरीदने, स्लॉट चार्टर या अर्हक जहाज को साझा करने के लिए व्यवस्था की गई है, 'माना गया टन भार' ऐसी रीति से परिकल्पित किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

177. विधेयक की ग्यारहवीं अनुसूची के पैरा 3 में यह प्रावधान है कि खनिज तेल या प्राकृतिक गैस के कारोबार के लाभों की गणना के प्रयोजन के लिए, कारोबार व्यय की राशि उसमें विनिर्दिष्ट राशियों का योग होगी, जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक में बनाए गए स्थल पुनरुद्धार खाते में योजना के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को योजना तैयार करने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

178. विधेयक की ग्यारहवीं अनुसूची के पैरा 6 में यह प्रावधान है कि खनिज तेल या प्राकृतिक गैस तथा किसी अन्य व्यवसाय के व्यवसाय से संबंधित सामान्य लागतों, जिसमें मूल्यहास भी शामिल है, की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

179. विधेयक की बारहवीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 में यह प्रावधान है कि उस अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यवसाय के लिए लागू सामान्य लागतों (मूल्यहास सहित) की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

180. विधेयक की तेरहवीं अनुसूची के पैरा 1 में यह प्रावधान है कि उस अनुसूची के उपबंध उसमें उल्लिखित उन विनिर्दिष्ट व्यवसायों पर लागू होंगे जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित हैं।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

181. विधेयक की तेरहवीं अनुसूची के पैराग्राफ 1, मद (जे) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि उस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए 'विनिर्दिष्ट व्यवसाय' में, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, तैयार की गई और बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचित की गई गंदी बस्ती पुनर्विकास या पुनर्वास की योजना के अंतर्गत आवास परियोजना को विकसित करने और निर्माण करने का व्यवसाय शामिल होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को योजना और दिशानिर्देश बनाने तथा बोर्ड को अधिसूचना जारी करने और इस संबंध में नियम निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

182. विधेयक की तेरहवीं अनुसूची के पैरा 8 में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट व्यवसाय और उस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यवसाय के लिए मूल्यहास सहित सामान्य लागतों की राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

183. विधेयक की तेरहवीं अनुसूची के पैरा 9 में यह प्रावधान है कि उस अनुसूची के उपबंध पैरा (1) में निर्दिष्ट उस व्यवसाय पर लागू होंगे, जो उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ-साथ निर्धारित की जाने वाली अन्य शर्तों को पूरा करता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

184. विधेयक की तेरहवीं अनुसूची के पैरा 9 की मद (ii) और (iii) में यह प्रावधान है कि उस अनुसूची के प्रावधान वितरण के लिए क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने और संचालित करने के निर्दिष्ट व्यवसाय पर लागू होंगे, जिसमें नेटवर्क का एक अभिन्न अंग होने के नाते भंडारण सुविधाएं भी शामिल हैं, जो इस शर्त को पूरा करता है कि इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के खंड 3 के उप-खंड (1) के तहत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

185. विधेयक की चौदहवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 में यह प्रावधान है कि पैराग्राफ 1 में तालिका के कॉलम 2 में निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए जिम्मेदार सामान्य लागतों (मूल्यहास सहित) की राशि और पैराग्राफ 3 के तहत अनुमत मानी गई राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाएगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

186. विधेयक की सोलहवीं अनुसूची का भाग 1 एक सौ पचहत्तर प्रतिशत कटौती के लिए पात्र अंशदान या दान को निर्दिष्ट करता है। इसमें कोई अनुसंधान संघ या राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था शामिल है, यदि वह वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में लगी हुई है; और ऐसी संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को इस संबंध में शर्तों के अधीन और ऐसे दिशानिर्देशों और तरीके के अनुसार अनुमोदित किया जाता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

187. विधेयक की सोलहवीं अनुसूची का भाग 2 एक सौ पच्चीस प्रतिशत कटौती के लिए पात्र अंशदान या दान को निर्दिष्ट करता है। इसमें कोई भी शोध संघ या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान शामिल है, यदि वह सांख्यिकीय कार्य करने में लगा हुआ है।

सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या शोध; और ऐसे संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को इस संबंध में शर्तों के अधीन और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

188. विधेयक की सोलहवीं अनुसूची का भाग 3 एक सौ प्रतिशत कटौती के लिए पात्र अंशदान या दान को निर्दिष्ट करता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर का कोई विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान शामिल है, जिसे इस संबंध में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है; सरकार या कोई ऐसा स्थानीय प्राधिकरण, संस्थान या संघ जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया जा सकता है, जिसका उपयोग परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए किया जाना है; भारतीय ओलंपिक संघ या भारत में स्थापित कोई अन्य संघ या संस्थान, जिसे केंद्र सरकार, विहित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है - (क) खेल और खेलों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास; या (ख) भारत में खेल और खेलों का प्रायोजन और जहां राशि किसी करदाता द्वारा भुगतान की जाती है, जो एक कंपनी है; केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित ग्रामीण विकास निधि; केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने तथा अधिसूचनाएं जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

189. विधेयक की सोलहवीं अनुसूची का भाग 4 पचास प्रतिशत कटौती के लिए पात्र अंशदान या दान को निर्दिष्ट करता है। इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई अन्य स्थान शामिल है जिसे केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व का या किसी राज्य या राज्यों में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसका उपयोग ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के जीर्णोद्धार या मरम्मत के लिए किया जाना है।

तदनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस संबंध में।

190. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-1 के पैराग्राफ 3 में यह प्रावधान है कि भविष्य निधि को स्वीकृति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए, उसे पैराग्राफ 5 के प्रावधानों के अधीन, उसके अंतर्गत निर्धारित शर्तों और किसी अन्य शर्तों को पूरा करना होगा, जिन्हें बोर्ड नियमों द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि बोर्ड नियमों द्वारा कर्मचारियों के खाते में शेष राशि के उस हिस्से के संबंध में शर्तों और प्रतिबंधों को निर्दिष्ट कर सकता है, जो उसे देय है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

191. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-1 के पैरा 4 में यह भी प्रावधान है कि जहां विद्यमान शेष के साथ भविष्य निधि को अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां अनुमोदन के प्रभावी होने के दिन से ठीक पहले वाले दिन तक का लेखा-जोखा रखा जाएगा, जिसमें उस दिन प्रत्येक कर्मचारी के खाते में जमा शेष दर्शाया जाएगा तथा उसमें ऐसे अतिरिक्त विवरण दिए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड निर्धारित करे।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

192. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-1 का पैरा 6 यह उपबंध करता है कि अनुमोदित भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में शेष राशि में किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धि का वह भाग, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं - (क) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के बारह प्रतिशत या एक लाख रुपए से अधिक का अंशदान, जो भी कम हो; और (ख) कर्मचारी के खाते में शेष राशि पर जमा किया गया ब्याज, जहां तक उसे ऐसी दर से अधिक दर पर अनुज्ञात किया जाता है, जिसे केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, उस वित्तीय वर्ष में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा और उसे उस वित्तीय वर्ष की कुल आय में शामिल किया जाएगा और वह आयकर के लिए उत्तरदायी होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए दर निर्धारित करने तथा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

193. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-I के पैराग्राफ 11 में प्रावधान है कि अनुमोदित भविष्य निधि के खाते उस निधि के ट्रस्टियों द्वारा बनाए रखे जाएंगे और ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी अवधि के लिए रखे जाएंगे तथा उनमें ऐसे विवरण होंगे, जैसा कि बोर्ड निर्धारित कर सकता है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि खाते आयकर अधिकारियों द्वारा सभी उचित समय पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे तथा ट्रस्टी मूल्यांकन अधिकारी को उनके ऐसे सारांश प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

194. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-I के पैराग्राफ 13 में यह प्रावधान है कि यदि कोई नियोक्ता आयुक्त के किसी आदेश पर आपत्ति करता है जिसमें भविष्य निधि को मंजूरी देने से इनकार किया गया है या अनुमोदन वापस लेने का आदेश दिया गया है, तो वह ऐसे आदेश के साठ दिनों के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है। अपील ऐसे प्रारूप में होगी और ऐसे तरीके से सत्यापित की जाएगी तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन होगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

195. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-I के पैराग्राफ 15 में यह प्रावधान है कि उस भाग द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अतिरिक्त, बोर्ड नियम बना सकता है-

(क) अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और अन्य जानकारी निर्धारित करना;

(ख) कंपनी के उन कर्मचारियों द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में अंशदान को सीमित करना, जो कंपनी में शेयरधारक हैं;

(ग) अनुमोदित भविष्य निधि के निवेश या जमा राशि को विनियमित करना;

(घ) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में उसके लाभकारी हित के समनुदेशन या सृजन के लिए प्राप्त किसी प्रतिफल के दंड के रूप में मूल्यांकन का उपबंध करना;

(ङ) उस भविष्य निधि में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा किए गए अंशदानों और ब्याज के संबंध में कर के भुगतान से छूट प्रदान करने की सीमा और तरीके का निर्धारण करना, जिससे अनुमोदन वापस ले लिया गया है; और

(च) साधारणतया, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना तथा भविष्य निधि के अनुमोदन तथा अनुमोदित भविष्य निधि के प्रशासन पर ऐसा अतिरिक्त नियंत्रण प्राप्त करना जैसा वह अपेक्षित समझे।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

196. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग 2 के पैरा 3 में यह प्रावधान है कि किसी अधिवर्षिता निधि को अनुमोदन प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उसे उसमें निर्धारित शर्तों और बोर्ड द्वारा नियमों द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

197. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग 2 के पैरा 6 में यह प्रावधान है कि जहां नियोक्ता द्वारा किए गए किसी अंशदान, जिसमें अंशदान पर ब्याज, यदि कोई हो, भी शामिल है, का भुगतान किसी कर्मचारी को उसके जीवनकाल में छठी अनुसूची के पैरा 13 में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में किया जाता है, वहां इस प्रकार भुगतान की गई राशि पर कर की औसत दर से कटौती की जाएगी जिस पर कर्मचारी पिछले तीन वर्षों के दौरान या उस अवधि के दौरान, यदि तीन वर्ष से कम हो, जब वह निधि का सदस्य था, कर के लिए उत्तरदायी था और इसे न्यासियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर और बोर्ड द्वारा निर्देशित तरीके से केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

197. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-II के पैराग्राफ 8 में प्रावधान है कि यदि कोई नियोक्ता किसी सेवानिवृत्ति निधि को मंजूरी देने से इनकार करने वाले आयुक्त के आदेश या ऐसे अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश पर आपत्ति करता है, तो वह ऐसे आदेश के साठ दिनों के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है। अपील ऐसे प्रारूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन होगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

199. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-II के पैराग्राफ 10 में प्रावधान है कि उस भाग द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अतिरिक्त, बोर्ड नियम बना सकता है-

(क) अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और अन्य जानकारी निर्धारित करना;

(ख) विवरण, विवरण, या सूचना निर्धारित करना, जो मूल्यांकन अधिकारी किसी अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड के ट्रस्टियों या नियोक्ता से मांग सकता है;

(ग) किसी नियोक्ता द्वारा अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में साधारण वार्षिक अंशदान तथा अन्य अंशदान को सीमित करना;

(घ) अनुमोदित अधिवर्षिता निधि की धनराशि के निवेश या जमा को विनियमित करना;

(ई) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में उसके लाभकारी हित के किसी समनुदेशन या उस पर भार सृजन के लिए प्राप्त किसी प्रतिफल के दंड के रूप में मूल्यांकन का उपबंध करना;

(च) सीमा का निर्धारण करना, और जिस तरह से, कर के भुगतान से छूट किसी ऐसे अधिवर्षिता निधि से किए गए भुगतान के संबंध में दी जा सकती है जिससे अनुमोदन वापस ले लिया गया है;

(छ) ऐसी निधि के मामले में अनुमोदन हेतु निकासी का प्रावधान करना जो समाप्त हो गई हो। इस भाग या इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए; और

(ज) साधारणतया, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना तथा अधिवर्षिता निधियों के अनुमोदन तथा अनुमोदित अधिवर्षिता निधियों के प्रशासन पर ऐसा अतिरिक्त नियंत्रण प्राप्त करना, जैसा वह अपेक्षित समझे।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

200. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-III का पैरा 7, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि किसी ग्रेच्युटी निधि को अनुमोदन प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए, उसे नीचे दी गई शर्तों और किसी अन्य शर्त को पूरा करना होगा, जिसे बोर्ड नियमों द्वारा निर्धारित कर सकता है-

(क) निधि भारत में किए जाने वाले किसी व्यापार या उपक्रम के संबंध में अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के अधीन स्थापित निधि होगी और कम से कम नब्बे प्रतिशत कर्मचारी भारत में नियोजित होंगे;

(ख) निधि का एकमात्र उद्देश्य व्यापार या उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों को निर्दिष्ट आयु पर या उसके पश्चात् उनकी सेवानिवृत्ति पर या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके अशक्त हो जाने पर या निधि के नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम सेवा अवधि के पश्चात् उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाने पर तथा ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु पर उनकी विधवाओं, बच्चों या आश्रितों को उपदान प्रदान करना होगा;

(ग) व्यापार या उपक्रम में नियोक्ता निधि में अंशदाता होगा; और

(घ) निधि द्वारा प्रदान किए गए सभी लाभ केवल भारत में ही देय होंगे।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

201. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-III के पैराग्राफ 9 में प्रावधान है कि कोई नियोक्ता आयुक्त के किसी ऐसे आदेश पर आपत्ति करता है जिसमें ग्रेच्युटी फंड को मंजूरी देने से इनकार किया गया हो या ऐसा अनुमोदन वापस लेने का आदेश दिया गया हो, तो वह ऐसे आदेश के साठ दिनों के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है। अपील ऐसे प्रारूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन होगी।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

202. विधेयक की उन्नीसवीं अनुसूची के भाग-III के पैराग्राफ 9 में प्रावधान है कि उस भाग द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अतिरिक्त, बोर्ड नियम बना सकता है-

(क) अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और अन्य जानकारी निर्धारित करना;

(ख) निधि में नियोक्ता के साधारण वार्षिक एवं अन्य अंशदान को सीमित करना;

(ग) अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि की धनराशि के निवेश या जमा को विनियमित करना;

(घ) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि में उसके लाभकारी हित के किसी समनुदेशन या उस पर भार सृजन के लिए प्राप्त किसी प्रतिफल के दंड के रूप में मूल्यांकन का उपबंध करना;

(ई) उस निधि के मामले में अनुमोदन हेतु निकासी का प्रावधान करना जो समाप्त हो गई है।

इस भाग या इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करना;

(च) साधारणतया, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना तथा उपदान निधियों के अनुमोदन और प्रशासन पर ऐसा अतिरिक्त नियंत्रण प्राप्त करना जैसा वह अपेक्षित समझे।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

203. विधेयक की बीसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 में यह प्रावधान है कि निवासी करदाता भारत से बाहर किसी संस्था में अपने निवेश और हित का ब्यौरा ऐसे प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

204. विधेयक की बीसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 22 में यह प्रावधान है कि टनभार कर योजना का विकल्प चुनने के लिए अर्हक शिपिंग कंपनी के आवेदन के संबंध में दसवीं अनुसूची के तहत किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य आदेश होगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

205. बाईसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 3, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि आस्थगित राजस्व व्यय भत्ता दस लगातार वित्तीय वर्षों के लिए अनुमेय होगा, अनुमेयता का पहला ऐसा वित्तीय वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें ऐसी राशि वास्तव में भुगतान की जाती है, जो भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी खनिज के पूर्वेक्षण या किसी खनिज की खान या अन्य प्राकृतिक जमा के विकास से संबंधित किसी भी कार्य पर निर्धारित सीमा तक पूर्णतः और विशेष रूप से किए गए व्यय के मामले में है।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

206. बाईसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 में आगे यह प्रावधान है कि भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी खनिज की खोज या किसी खनिज की खान या अन्य प्राकृतिक जमा के विकास से संबंधित किसी भी संचालन पर पूरी तरह और विशेष रूप से किए गए व्यय के मामले में, निर्धारित सीमा तक, आस्थगित राजस्व व्यय भत्ता दस लगातार वित्तीय वर्षों के लिए स्वीकार्य होगा, स्वीकार्यता का पहला ऐसा वित्तीय वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें ऐसी राशि वास्तव में भुगतान की जाती है। इसके अलावा, आस्थगित राजस्व व्यय भत्ता छह लगातार वित्तीय वर्षों के लिए स्वीकार्य होगा, स्वीकार्यता का पहला ऐसा वित्तीय वर्ष व्यवसाय के आरंभ या व्यवसाय के विस्तार या नए व्यवसाय की स्थापना का वर्ष होगा, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रारंभिक व्यय के मामले में -

(क) कारोबार शुरू करने से पहले; या (ख) कारोबार के विस्तार के संबंध में; या (ग) नया कारोबार स्थापित करने के संबंध में,

जो व्यवसाय में नियोजित पूंजी और परियोजना की लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।

तदनुसार, इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है।

207. प्रस्तावित विधान के अंतर्गत बनाए गए नियम और योजना तथा जारी की गई अधिसूचना को संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा।

208. जिन विषयों के संबंध में नियम या योजना बनाई जा सकती है या अधिसूचना जारी की जा सकती है, वे प्रक्रिया और प्रशासनिक विवरण के विषय हैं और विधेयक में उनके लिए प्रावधान करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोकसभा

ए

बिल

प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना।

(श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री)